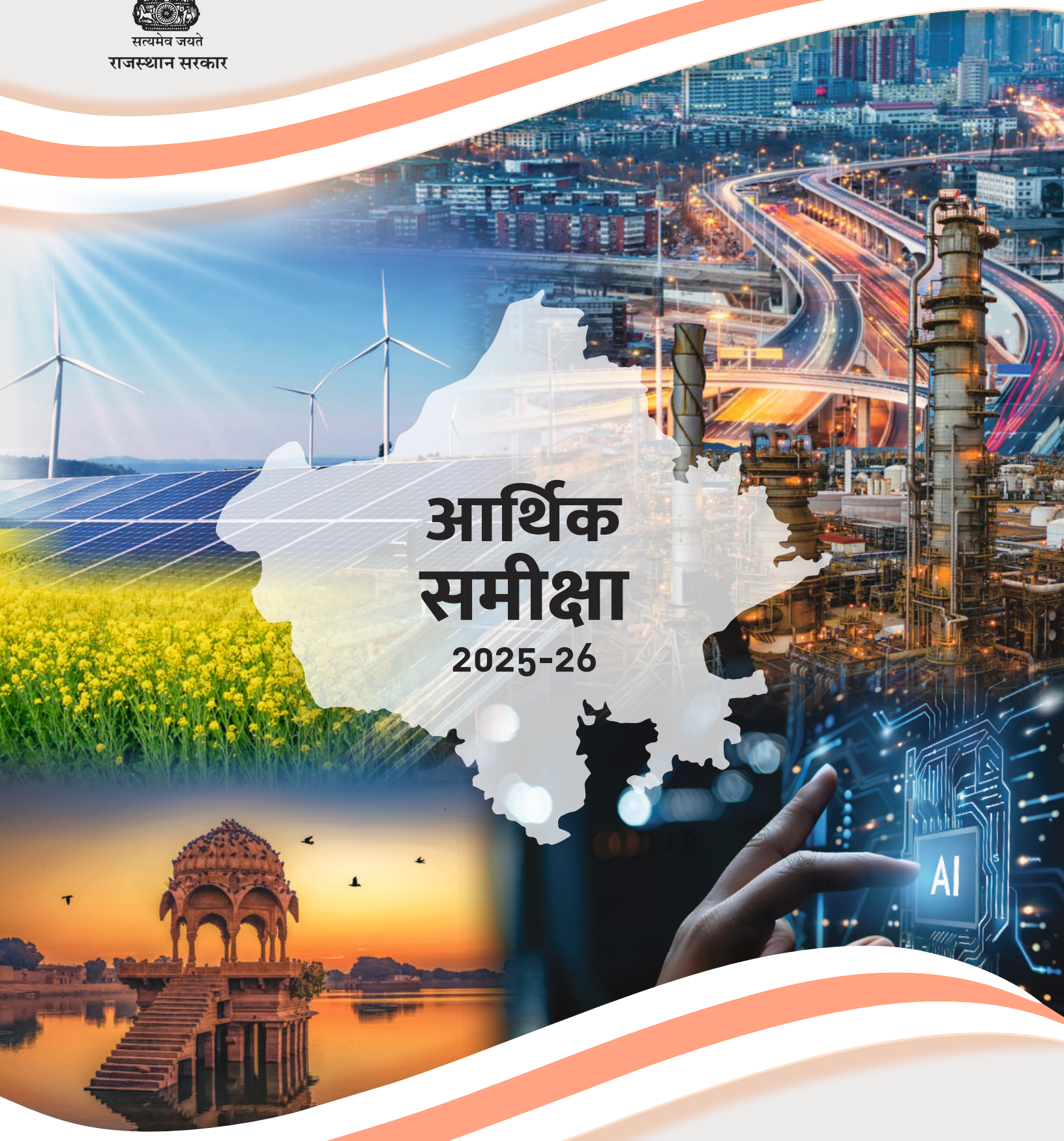
सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



आर्थिक समीक्षा

2025-26

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा
2025–26

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

संदेश

मुख्य मंत्री
राजस्थान



विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प में एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ''विकसित राजस्थान 2047'' का एक भविष्योन्मुख विजन तैयार किया गया है। सभी क्षेत्रों में निवेश, उत्पादकता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार एक मजबूत नीतिगत ढांचे के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास के विजन के अनुरूप ही नीति निर्माण और कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं।

आर्थिक वृद्धि उन्मुख पथ पर अग्रसर रहते हुए हमारा लक्ष्य एक मजबूत एवं विविधिकृत अर्थव्यवस्था बनाना है। कृषि, उद्योग, सेवा और अन्य सभी उभरते क्षेत्रों में निहित संभावनाओं का उपयोग करते हुए भौतिक–डिजीटल आधारभूत ढांचा निर्माण एवं प्रक्रियात्मक सरलीकरण के माध्यम से प्रदेश में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार कौशल संवर्धन एवं उद्यमिता प्रोत्साहन के माध्यम से मानव संसाधन विकास करते हुए और आर्थिक अवसरों को बढ़ाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक विकास का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र एवं समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इन समन्वित प्रयासों का उद्देश्य राजस्थान को निवेश का एक आकर्षक गंतव्य बनाना और राष्ट्रीय विकास में अहम भूमिका निभाना है।

आर्थिक समीक्षा 2025–26 राज्य सरकार की पारदर्शी शासन हेतु प्रतिबद्धता एवं दीर्घकालीन आर्थिक विजन का प्रतिबिंब है। यह दस्तावेज न केवल प्रदेश की प्रगति का सार्वभौमिक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, बल्कि सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए भावी रणनीतिक दिशा–निर्देशों को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन सभी हितधारकों के लिए एक मूल्यवान दस्तावेज सिद्ध होगा। हमारे सामूहिक संकल्प और सतत नवाचारों से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करने वाले ''विकसित राजस्थान'' का विजन साकार होगा।

(भजन लाल शर्मा)

सत्यमेव जयते

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा 2025–26 राजस्थान के आर्थिक प्रदर्शन, संरचनात्मक परिवर्तन तथा प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत नवाचारों का एक विस्तृत एवं साक्ष्य–आधारित आकलन प्रस्तुत करती है। यह समीक्षा विकसित राजस्थान@2047 के दीर्घकालिक विजन से प्रेरित होकर संतुलित, सतत् एवं समावेशी विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह सुदृढ़ समंकों के आधार पर राज्य में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, उद्योग, आधारभूत ढांचें, सेवा क्षेत्र, मानव विकास तथा संस्थागत सुधारों में हुई प्रगति को उजागर करती है। इसमें उत्पादकता में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण, निवेश को प्रोत्साहन, व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने तथा स्वच्छ एवं प्रौद्योगिकी–आधारित विकास को गति देने के उद्देश्य पर केन्द्रित नीतिगत उपायों का व्यवस्थित रूप से प्रलेखन किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह आर्थिक समीक्षा नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं हितधारकों के लिए एक उपयोगी सन्दर्भ के रूप में कार्य करेगी, जो विजन 2047 के अनुरूप उचित निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगी।

(वी. श्रीनिवास)

सत्यमेव जयते

शासन सचिव
सांख्यिकी विभाग
राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा 2025–26, राज्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों एवं संभावनाओं, क्षेत्रीय गतिशीलता तथा नीतिगत नवाचारों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। इसे साक्ष्य–आधारित योजनाओं के निर्माण तथा सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए तैयार किया जाता है। इस वर्ष आर्थिक समीक्षा की थीम विकसित राजस्थान@2047 के दस्तावेज के अनुरूप है, जो राज्य की एक लचीली, समावेशी एवं सतत् अर्थव्यवस्था की परिकल्पना करती है।

मैं इस दस्तावेज को तैयार करने में बहुमूल्य योगदान और अथक प्रयासों के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की टीम के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में कार्यरत सभी योजनाकारों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के लिए लाभकारी तथा विकसित राजस्थान@2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक योगदान प्रदान करेगा।

(डॉ॰ रवि कुमार सुरपुर)

सत्यमेव जयते

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
राजस्थान

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें राजस्थान के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को आकार देने वाले व्यापक–आर्थिक संकेतकों, क्षेत्रवार विकास और संरचनात्मक परिवर्तनों का एक व्यवस्थित मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है।

इस वर्ष आर्थिक समीक्षा 2025–26 के अध्यायों की थीम विकसित राजस्थान*@2047* विज़न दस्तावेज के 13 क्षेत्रों यथा कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपान्तरण, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा एवं ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन, औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास, आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं तथा वित्तीय प्रबन्धन एवं आर्थिक नीति के अनुरूप हैं। इस दस्तावेज़ में महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक संकेतकों के टाईम–सिरीज डेटा से संबंधित सांख्यिकीय परिशिष्टों को भी सम्मिलित किया गया है।

मैं विभिन्न विभागों के अधिकारियों का, उनके द्वारा प्रदत सहयोग तथा समय पर आंकड़े एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आर्थिक समीक्षा 2025–26 नीति–निर्माताओं, सरकारी विभागों, शोधकर्ताओं एवं राज्य के सामाजिक–आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्यरत हितधारकों के लिए एक उपयोगी स्रोत सिद्ध होगा। इस प्रकाशन की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

(विनेश सिंघवी)

विवरणिका

अध्याय	पृष्ठ	विवरण
	i	**संकेताक्षर**
	viii	**आर्थिक विकास के मुख्य सूचक**
	x	**सारांश**
1	1	**कृषि–खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण**
		कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और वृद्धि
		प्रचालित जोत धारक
		राज्य में कृषि–जलवायु क्षेत्र
		राजस्थान में सतत् कृषि एवं उद्यानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना
		कटाई के बाद प्रबंधन
		समृद्ध खेती के लिए पशुधन
		किसानों और कृषि श्रमिकों का कल्याण
2	28	**स्वास्थ्य एवं कल्याण**
		स्वस्थ भविष्य की ओरः राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण
		सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच
		राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना
		सभी के लिए स्वास्थ्य
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
3	44	**शिक्षा एवं ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था**
		स्कूली शिक्षाः सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना
		समग्र शिक्षाः समग्र विकास की दिशा में
		आजीवन शिक्षा को सशक्त बनानाः साक्षरता और सतत् शिक्षा को आगे बढ़ाना
		उच्च शिक्षा को सशक्त बनाकर ज्ञान आधारित भविष्य
		कुशल और नवोन्मेषी कार्यबल तैयार करने के लिए राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना
		स्वस्थ राज्य के लिए चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना
		राज्य में संस्त शिक्षा को पुनर्जीवित करना
		राज्य में भाषा और पुस्तकालय शिक्षा को बढ़ावा देना
		प्रगतिशील राज्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ाना
4	62	**सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन**
		सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ
		लक्षित समूह एवं कवरेज रूपरेखा
		लैंगिक सशक्तीकरण एवं समावेशन
		बाल कल्याण एवं सशक्तीकरण
		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक समावेशन
		विशेष योग्यजन व्यक्ति
		वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण एवं हित संरक्षण
		सार्वभौमिक सामाजिक कल्याण
		अल्पसंख्यक कल्याण एवं समावेशन
5	86	**औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि**
		राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान
		आधारभूत संरचना का विकास
		कनेक्टिविटी
		एम.एस.एम.ई. एवं लघु उद्योग
		वित्तीय सहायता
		विपणन सहायता
		ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस
		निर्यात
		अन्य पहल
		अवसरों की खोज : खनन, तेल और गैस विकास

		राजस्थान को सशक्त बनानाः रोजगार को बढ़ावा देना
		श्रमिक कल्याण
		रोजगार सृजन
		सामाजिक सुरक्षा
		आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास
		युवा मामलात एवं खेल
6	**126**	**पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास**
		पर्यटन
		संस्कृति
		कला
		सेवाएं
7	**143**	**आधारभूत अवसंरचना**
		ऊर्जा–संचालित अर्थव्यवस्था का निर्माण
		राजस्थान को जोड़नाः ग्रामीण मार्गों से औद्योगिक राजमार्गों तक
		एकीकृत परिवहनः आर्थिक विकास और गतिशीलता की दिशा में कदम बढ़ाना
		विकास को गति देनाः बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की शक्ति का उपयोग करना
		सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी): बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को खोलना
		एक सतत् भविष्य का निर्माणः हरित बुनियादी ढांचे की क्षमता
8	**183**	**जल सुरक्षा एवं अनुकूलता**
		वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र
		राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करनाः एकी.त जल अवसंरचना
9	**201**	**पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता**
		वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र
		अक्षय ऊर्जा क्षेत्र
		राज्य में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य
		सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)
10	**218**	**ग्रामीण विकास**
		समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता
		पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाना
		समावेशी और सतत ग्रामीण गैर–कृषि विकास को प्रोत्साहित करना
11	**233**	**शहरी विकास**
		सतत् शहरी विकास और जनसांख्यिकीय प्रबंधन
		सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार
		प्रभावी शहरी शासन और नीति कार्यान्वयन
12	**250**	**प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं**
		सूचना प्रौद्योगिकी–समर्थित नागरिक–केंद्रित सेवा प्रदायगी
		पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र
		प्रभावी वित्तीय प्रबंधन
13	**264**	**वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति**
		आर्थिक वृद्धिः सुदृढ़ एवं लचीली अर्थव्यवस्था का आधार
		क्षेत्रीय परिवर्तन : आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में तेजी लाना
		पूंजी निर्माण : सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
		मूल्य स्थिरीकरण : आर्थिक विकास और स्थिरता को बढावा देना
		राजकोषीय प्रबन्धन : वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना
		वित्तीय सेवाएँ : पूंजी तक पंहुँच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाना
		समावेशी विकास : एक समतामूल अर्थव्यवस्था का निर्माण
	प1–प52	**सांख्यिकीय परिशिष्ठ**

संकेताक्षर

ए ए ए एम	आयुष आयुष्मान आरोग्य मंदिर
ए ए एम	आयुष्मान आरोग्य मंदिर
ए बी डी एम	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
ए बी एच ए	आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता
ए बी एल	गतिविधि आधारित शिक्षण
ऐ.डी.ए	अजमेर विकास प्राधिकरण
एडीबी	एशियन डेवलपमेंट बैंक
एडीएम	अपर जिला मजिस्ट्रेट
एई	अग्रिम अनुमान
एएफडी	एजेंस फ्रांसेज़ दे डेवलपमेंट
एजी	महालेखाकार
ए.एच.पी	साझेदारी में किफायती आवास
एआई/एमएल	कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग
एआइएफ	कृषि अवसंरचना निधि
ए आई आ ई बी	एशियाई अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) निवेश बैंक
ए आई आई एम एस	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एएमई	एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग
एएमआई	एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
अमृत	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
ए एन एम	सहायक नर्स दाई
ए पी के	एप्लिकेशन पैकेज (एंड्रॉयड आधारित स्थापना)
ए पी वाई	अटल पेंशन योजना
एआरआर	एवरेज रेवेन्यू रियलाइज़्ड
ए आर टी	एंटी–रेट्रोवायरल उपचार
ए एस एच ए	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एटी एंड सी	एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल
एटीसी	अनुकूलन परीक्षण केन्द्र
एटीएस	ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन
एवीजीसी–अक्सआर	राजस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी
ए डब्ल्यू डब्ल्यू	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
ए वाई यू एस एच	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी
बी2सी	बिजनिस टू कन्ज्यूमर
बी.ए.आर	निर्मित क्षेत्र अनुपात
बी ए टी एफ	ब्लॉक शैक्षणिक कार्यबल
बी सी	बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट
बी सी जी	बैसिलस कैलमेट–ग्यूरिन टीका
बी.डी.ए	बीकानेर विकास प्राधिकरण
बीईई	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
बीईएसएस	बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
बी.एच.डी.ए	भरतपुर विकास प्राधिकरण
बीआईपी	बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम
बीओसीडब्ल्यू	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
बीओपीडी	प्रतिदिन कच्चे तेल के बैरल
बी पी डी पी	ब्लॉक पंचायत विकास योजना
बी पी एच यू	ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ
बी पी एल	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरएपी	व्यवसाय सुधार कार्य योजना
बीआरयूपीवाई	भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
बीएसई	बॉम्बे स्टौक एक्सचेंज
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
सी ए डी डब्ल्यू एम	कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वाष्रिक वृद्धि दर
सी.ए.एम.पी.ए.	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सी बी एस ई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सी सी ए	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र
सीसीबी	केन्द्रीय सहकारी बैंक
सी सी बी	क्रिटिकल केयर ब्लॉक
सी सी ई	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
सी – डी ए सी	उन्नत संगणन विकास केंद्र
सीएफए	सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस
सी एफ सी	स्थिर पूंजी की खपत
सीएफसी	सामान्य सुविधा केंद्र
सीजीडी	शहर गैस वितरण
सी एच सी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सी आई एफ	सामुदायिक निवेश निधि
सीकेटी किमी	सर्किट किलोमीटर
सी एल एफ	क्लस्टर लेवल फेडरेशन
सी.एल.आई.डी	समुदाय–आधारित संस्थागत विकास
सी.एल.एस.एस	क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना
सी एम ए एम	तीव्र कुपोषण का सामुदायिक प्रबंधन
सी एम आर ई जी एस	मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
सी एम एस	प्रबंधन अध्ययन केंद्र
सीएनजी	संपीड़ित प्राकृतिक गैस
सी.ओ.डी.	जमा प्रमाण पत्र
सी ओ टी पी ए	सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम

सी पी एच सी	समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
सी पी आई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी पी आई ए एल	कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी पी आई आई डब्ल्यू	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी आर सी	समेकित क्षेत्रीय केंद्र
सीआरआईएफ	केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष
सी एस सी	सामुदायिक स्वच्छता परिसर
सी.एस.एम.सी	केन्द्रिय स्वीकृति एवं निगरानी समिति
सी एस आर	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सी एस एस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
सी टी एस	दस्तकार प्रशिक्षण योजना
सीयूएफ	कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर
सी.वी.एस.	वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र
सी डब्ल्यू एस एन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
डी एड (एच आइ)	शिक्षा में डिप्लोमा (श्रवण बाधित)
डीएएम	डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
डी ए टी एफ	जिला शैक्षणिक कार्यबल
डी ए वाई एन आर एल एम	दीनदयाल अंत्योदय योजना दृ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण
डीडीयू–जीकेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
डीएफसीसी	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन
डीजी पे सखी	डिजीटल पेमेनट सखी
डीजीएम	विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण
डी जी पी	पुलिस महानिदेशक
डी एच	जिला अस्पताल
डीएलसी	जिला स्तरीय समिति
डी एम	जिला मजिस्ट्रेट
डीएमएफटी	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट
डीएमआईसी	दिल्ली–मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर
डी.एम.आर.सी	दिल्ली मेट्रो रेल निगम
डीओपी	कार्मिक विभाग
डोरा	डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स
डी पी डी पी	जिला पंचायत विकास योजना
डी पी एच एल	जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ
डीपीआईआईटी	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी आर आई पी	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना
डीआरएम	विवाद निवारण तंत्र
डीटी	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर
डी टी एन टी	विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ
डी.यू	आवासीय इकाइयाँ
डीडब्ल्यूई	महिला अधिकारिता निदेशालय
डी डब्ल्यू एस एम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन/समिति
ईएपी	एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट
ई बी बी	शैक्षिक रूप से पिछडे ब्लॉक
ई बी सी	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
ई सी सी ई	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा
ईसीजीसी	निर्यात ऋण गारंटी निगम
ईडीएलआई	कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना
ईएफसीआई	एलीजीबल फिक्स्ड केपिटल इन्वेस्टमेंट
ईएचवी	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज
ईएलएसटीपी	रोजगार संबद्ध कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
ईओआई	रोजगार परिणाम सूचकांक
ईओआई	एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ई.पी.आर.	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व
ईपीएस	कर्मचारी पेंशन योजना
ई आर सी पी	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
ई एस आई एस	कर्मचारी राज्य बीमा योजना
ईएसएमए	आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम
ई.एस.एस.	ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
ईवी	इलेक्ट्रिक व्हीकल
ई डब्ल्यू एस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एम सी	वित्त आयोग
एफ एच टी सी	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन
एफ.आई.ई.डी	वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास
एफ आई आर	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफ एल एन ए टी	बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता एसेसमेंट टेस्ट
एफ पी एस	उचित मूल्य दुकान
एफ.एस.एस.ए.आई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
एफ.एस.एस.एम	मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन
एफटीओ	फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन
एफडब्ल्यू	फेयर वेदर रोड
जी2सी	गवरमेन्ट टू सीटीजन
जीसीसी	राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
जी डी पी	सकल घरेलू उत्पाद
जीपीएनआईसी	गर्वमेन्ट ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम ऑफ एनआईसी
जी ई आर	सकल नामांकन अनुपात
जी एफ सी एफ	सकल स्थिर पूंजी निर्माण
जीएफटी	गुजरात ट्रैवल फेयर
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली

जीआइटीबी	ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार
जीएनएसएस	ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम
जी पी डी पी	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जी पी	ग्राम पंचायतें
जीआर	ग्रेवल्ड रोड
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी–सेक	सरकारी प्रतिभूति
जीएसएस	ग्रिड उप–केंद्र
जी एस टी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसवीए	सकल राज्य मूल्य वर्धन
जीवीए	सकल मूल्य वर्धन
जीवीओ	सकल मूल्य उत्पाद
एचएएम	हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल
एच ई डब्ल्यू	महिला सशक्तिकरण केंद्र
एच.आई.जी	उच्च आय वर्ग
एचआईवी/एआईडीएस	मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु/अर्जित प्रतिरक्षित अपूर्णता सिंड्रोम
एचपी	हॉर्स पावर
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचआरआरएल	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
हुडको	आवास एवं शहरी विकास निगम लि.
एचवीडीएस	हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
एच डब्ल्यू सी	स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आई सी ए	सिंचित कमांड क्षेत्र
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आई सी डी एस	समेकित बाल विकास योजना
आई डी डी	आयोडीन की कमी से होने वाले विकार
आई डी एस पी	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम
आईएफएमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
आईएफएस	एकीकृत कृषि प्रणालियां
आई जी एन पी	इंदिरा गांधी नहर परियोजना
आई एच एच एल	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईआईटीएफ	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
आईएलएंडएफएस	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज
आई एम आर	शिशु मृत्यु दर
आई एम टी आई	सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान
आईपी/एमपीएलएस	इंटरनेट प्रोटोकॉल/मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
आई पी डी	आंतरिक रोगी विभाग
आई पी एच एल	एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आई.एस.एस	ब्याज सब्सिडी योजना
आई टी आई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आई यू डी	अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण
आई वाई सी एफ	शिशु एवं छोटे बालक पोषण
जे.डी.ए	जयपुर विकास प्राधिकरण
जे.एफ.एम.पी.	संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम
जाइका	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी
जे जे एम	जल जीवन मिशन
जेकेके	जवाहर कला केन्द्र
जे.ओ.डी.ए	जोधपुर विकास प्राधिकरण
जेपीएमआईए	जोधपुरदृपालीदृमारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र
जे एस वाई	जननी सुरक्षा योजना
केबीएनआईआर	खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र
के.डी.ए	कोटा विकास प्राधिकरण
के जी बी वी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
कि मी	किलोमीटर
केटीपीए	किलो टन पर एनम
कुसुम	किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान
केवी	किलोवोल्ट
केवीआईबी	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
एलएएमपीएस	वृहद आदिवासी बहुउद्देशीय समिति
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
लाइफ–एमजीएनरेगा	लाइवीहुड इन फुल एम्पलॉयमेंट–मनरेगा
एल.आई.जी	निम्न आय वर्ग
एलएलपी	सीमित दायित्व साझेदारी
एल ओ ए	आवंटन पत्र
एलएसडी	लंपी स्किन डिजीज
एलएसजी	स्थानीय स्वशासन
एलटी	लो टेंशन
एम ए ए वाई	मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
एम बी सी	अति पिछड़े वर्ग
एमसीसी	मॉडल करियर केन्द्र
एम सी एफ	मिलियन घन फुट
एम सी एम	मेरिट कम मीन्ड्स
एम सी एम	मिलियन घन मीटर
एमडीआर	मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड
एम जी जे वी वाई	महात्मा गांधी जन भगदारी विकास योजना
एम जी एन आर ई जी एस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम एच टी	मोबाइल स्वास्थ्य दल
एमआईसीई	मीटिंग प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शिनियां
एम आई एफ	सूक्ष्म सिंचाई निधि

एमआईएफसी	एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र
एम.आई.जी	मध्यम आय वर्ग
एम जे एस ए	मुंख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान
एम जे एस ए 2.0	मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0
एम एल ए एल ए डी	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एमएमकेवीवाई	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना
एम एम एम पी वाई	मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना
एम एम आर	मातृ मृत्यु दर
एमएमएससीएम	मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर
एमएमटीपीए	मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
एमएनआरई	मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
एम एन आर ई जी ए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमएनएसकेएसवाई	मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना
एमओपी	मिनिस्ट्री ऑफ पावर
एम ओ पी के सी– ई आर सी पी	संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल–पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
एम.ओ.एस.पी.आई.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एम ओ यू	समझौता ज्ञापन
एम पी एल ए डी	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एम आर	खसरा–रूबेला टीका
एमआरओ	मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल
एम–सैंड	विनिर्मित रेत
एमएससी	मल्टी सर्विस सेन्टर
एमएसई	मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एम एस आर ए	मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
एम एस एस	महिला स्वास्थ्य संघ
एम एस एस के	महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र
एम टी	मीट्रिक टन
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमडब्ल्यूएच	मेगावाट आवर
एमवाईएसवाई	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एन ए बी एच	अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
एन ए बी एल	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एन.ए.एम.पी.	राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम
एनएएन	निधि आपके निकट
एन बी एफ सी	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एन सी ई आर टी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एन.सी.आर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन.सी.आर.पी.बी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एनडीबी	न्यू डेवलपमेंट बैंक
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन ई पी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनएफडीपी	नेशल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म
एन एफ एच एस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एन एफ एस ए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएफएसएनएम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिषन
एन जी ओ	गैर–सरकारी संगठन
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन एच एम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन एच पी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
डब्ल्यू आर डी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईसीडीआईटी	राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर डवलपमंट एण्ड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
एनआईसी	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ट्रैफिक सिस्टम
एनआईएमएचएएनएस	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
एनआईडब्ल्यूई	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान
एन एम एच पी	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
एनएमएनएफ	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
एनएमएसए	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
एन एन एम आर	नवजात मृत्यु दर
एन ओ एच पी	राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम
एनपीसीएल	नेशलन पेमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया
एन पी पी सी डी	बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम
एन पी पी सी एफ	फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम
एन आर एच एम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एन आर एल एम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनआरआर	प्रवासी राजस्थानी
एसएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड
एन एस डी पी	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एन एस एफ डी सी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
एन एस के एफ डी सी	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एन टी सी पी	राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम
एन टी ई पी	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम
एन यू एच एम	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
एन वी एच सी पी	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम
एन.डब्ल्यू.एम.पी.	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम
एनडब्ल्यूआर	उत्तर पश्चिम रेलवे

ओ बी सी	अन्य पिछड़े वर्ग
ओ.सी.ई.एम.एस.	ऑनलाईन सतत उत्सर्जन/अपशिष्ट निगरानी प्रणाली
ओ डी ई	ऑन–डिमांड परिक्षाए
ओ डी एफ	खुले में शौच मुक्त
ओडीओपी	एक जिला एक उत्पाद
ओडीआर	अन्य जिला सड़क
ओ ओ पी ई	आउट–ऑफ–पॉकेट एक्सपेंडिचर
ओ पी डी	बाह्य रोगी विभाग
ओपीजीडब्ल्यू	ऑप्टिकल ग्राउंड वायर
ओ पी वी	मौखिक पोलियो टीका
ओ आर एफ	ओरल रीडिंग फ्लूएंसी
ओ एस सी	एक–स्टॉप केंद्र
ओ टी पी	एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड
पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक
पीएटीए	पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन
पी सी आई	प्रति व्यक्ति आय
पीडीओटी	प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
पी डी एस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पी ई	अनंतिम अनुमान
पीईएल	पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस
पेंटा वी	पंचघटक टीका
पीएफएमएस	पब्लिक फाईनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम
पी जी	स्नातकोत्तर
पी एच सी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पी एच ई डी	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीआईए	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियाँ
पी आई सी	पेटेन्ट सूचना केन्द्र
पीकेवीवाई	परम्परागत कृषि विकास योजना
पीएल	पेट्रोलियम पट्टा
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पी एम जे ए एन एम एन	प्रधानमंत्री जनजाति–आदिवासी न्याय महा अभियान
पी एम के यू एस यू एम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान
पी एम श्री	प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया
पी.एम. स्वनिधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
पी एम ए ए जी वाई	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
पी एम ए बी एच आई एम	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
पी एम ए वाई – जी	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
पीएमडीडीकेवाई	प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमएफएमई	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी एम जे वी के	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
पी एम के एस वाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पी एम–कुसुम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
पीएमएमएसवाई	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
पी एम एम वाई	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पीएमपी	प्रारंभिक मास्टर प्लान
पी एम–उषा	प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान
पीएमवीबीआरवाई	प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
पीएनजी	पाइप्ड नेचुरल गैस
पी ओ सी एस ओ	बाल यौन अपराधों से संरक्षण (बाल संरक्षण अधिनियम)
पी ओ एस	बिक्री केन्द्र
पीपीए	पावर परचेज एग्रीमेंट
पी पी आई यू सी डी	प्रसवोत्तर लगाए गए अंतर्गर्भाशयी उपकरण
पीपीपी	सार्वजनिक–निजी भागीदारी
पी आर आई	पंचायती राज संस्था
पीएसएस	मूल्य समर्थन योजना
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पी टी एम	अभिभावक एवं शिक्षक बैठक
पी टी आर	छात्र शिक्षक अनपुात
पी वी टी जी	विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह
पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग
आरएडी	वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
राज–एआईएमएस	राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली
आरएजकेवीआईके	रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम
राजमेस	राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
राजस्वान	राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
आरएएस	राजस्थान प्रशासनिक सेवा
आर.ए.वाई.	राजीव आवास योजना
आरबीआई	रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया
आरसीडीएफ	राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन
आर सी डी एफ	राजस्थान सहकारी डेयरी संघ
आर डी	ग्रामीण विकास
आरडीएसएस	रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम
आरडीटीएम	राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट

आर ई	संशोधित अनुमान
आरई	रिन्यूएबल एनर्जी
आरईसी	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन
आर ई ई टी	शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा
रेरा	रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी
आरईआरसी	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
रेस्को	रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी
आरएफसी	राजस्थान वित्तीय निगम
आर जी ए वी पी	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्
आरजीडीपीएस	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम
आर जी एच एस	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
आरजीएम	क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण
आर जी एस ए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आर आई डी एफ	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि
रीको	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
आरआईपीएस	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
रिप्स	राजस्थान निवेश संवर्धन योजना
आरआईटीटीएमएएन	राजस्थान पर्यटन संस्थान एवं यात्रा प्रबंधन
आरकेसीएल	राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आर के एस के	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आर एम एफ डी सी सी	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम
आरएमएस	क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण
आर.ओ.बी	रोड ओवर ब्रिज
आरओबी	रेल ओवर ब्रिज
आर पी एस सी	राजस्थान लोक सेवा आयोग
आरपीजेड	राजस्थान पेट्रो जोन
आर.आर.ई.सी	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम
आरएसडीसीएल	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
आर आर ई आई एस	राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी
आर आर आर	मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरूद्धार
आर एस – सी एफ ए	राजस्थान राज्य वित्तीय लेखांकन प्रमाणपत्र
आर एस – सी आई टी	राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र
आर एस – सी एस ई पी	राजस्थान राज्य अंग्रेजी एवं व्यक्तित्व विकास प्रमाणपत्र
आरयूबी	रेल अंडर ब्रिज
आरएसएफसीएससीएल	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
आरएसआईसी	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
आरएसएलडीसी	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम
आरएसएमएमएल	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड
आरआरईसीएल	राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड
आरएसटीपी	नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
आरएसडब्ल्यूसी	राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन
आरटीडी	भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती
आरटीडीसी	राजस्थान पर्यटन विकास निगम
आरटीएच	राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम
आरटीआईसीएफ	राजस्थान पर्यटन अवसंरचना एवं पूंजी कोष
आर.टी.आई.डी.एफ़	राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास कोष
आरएसआरटीसी	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
आरटीयूपी	राजस्थान पर्यटन इकाई नीति
आर.यू.बी.	रोड अंडर ब्रिज
आरटीएस	रूफटॉप सोलर
आर यू डी ए	ग्रामीण गैर–कृषि विकास अभिकरण
आर.यू.डी.एफ	राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड
आर यू एच एस	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
आर.यू.आई.डी.पी.	राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना
आरयूवीआईटीएल	राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज लिमिटेड
आर.वी.एस.एफ.	पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा
आरडब्ल्यूएसएलआईपी	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना
आर डब्ल्यू एस आर पी डी	रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना
एस ए जे वाई	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसएकेएसएचएम	स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान
एस ए टी एफ	राज्य शैक्षणिक कार्यबल
एस बी एम – जी	स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण
एस सी	अनुसूचित जातियाँ
एस सी ए	विशेष केंद्रीय सहायता
एस सी ए डी ए	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण प्रणाली
एस सी एस पी	अनुसूचित जाति उप–योजना
एसडीसी	स्टेट डेटा सेन्टर
एस डी जी	सतत विकास लक्ष्य
एस डी एच	उप–जिला अस्पताल
एस डी एम सी	स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन निधि
एस ई सी सी	सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना
एस एफ सी	राज्य वित्त आयोग
एस जी एस टी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर

एस एच सी	उप–स्वास्थ्य केंद्र
एस एच जी	स्वयं सहायता समूह
एसआईआर	विशेष निवेश क्षेत्र
एस.एल.टी.सी	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति
स्मार्ट	सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल–टाइम सिस्टम
एस एम सी	स्कूल प्रबंधन समिति
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एस पी एम जे यू वाई	डॉ. श्यामा प्रसात मुखर्जी जिला उत्थान योजना
एसआरएफ	स्टेट रोड फंड
एस आर एस	नमूना पंजीकरण प्रणाली
एसएसओ	सिंगल साइन–ऑन
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एस टी आई	यौन संचारित संक्रमण
एसटीएनएएमएस	स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम
सूरज	राजस्थान लिमिटेड की सौर ऊर्जा कंपनी
एसडब्ल्यूसीएस	एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली
एस डब्ल्यू एस एम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
टी डी	टेटनस–डिफ्थीरिया टीका
टी एफ आर	कुल प्रजनन दर
टी एम सी	हजार मिलियन घन फीट
टी.ओ.डी	ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट
ट्राई	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
टी एस पी	जनजातीय उप–योजना
टीटीएफ	ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर
यू 5 एम आर	पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर
यू ए ए एम	शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर
यूएवी	अनमेन्ड एरियल व्हीकल
यू.डी.ए	उदयपुर विकास प्राधिकरण
यू डी आई डी	विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र
यू जी	स्नातक
यू एच सी	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
यू.एल.बी	शहरी स्थानीय निकाय
उल्लास	अंडरस्टैंडिंग लाइफलोंग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी
यू पी एच सी	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
यू पी एस सी	संघ लोक सेवा आयोग
यूआर	बेरोजगारी दर
यू एस डी	अमेरिकी डॉलर
वी.एफ.पी.एम.सी	ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति
वीजीएफ	वायबिलिटी गैप फंडिंग
वी एच एस सी	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियाँ
वीकेवाईयूपीवाई	विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
वी एम पी	विलेज मास्टर योजना
वी ओ	ग्राम संगठन
वी.ओ.जी	संवेदनशील व्यवसायिक समूहों
वी डब्ल्यू एस सी	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्ल्यू सी डी	महिला एवं बाल विकास विभाग
डब्ल्यू डी सी	जलग्रहण विकास घटक
डब्ल्यूडीएफसी	वेस्टर्न फ्रेट कॉरीडोर
डब्ल्यू एफ आई जी	महिला कृषक हित समूह
डब्ल्यू पी डी	जल परियोजना प्रभाग
डब्ल्यू पी आई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	कामगार जनसंख्या अनुपात
एन आई सी	जल संसाधन विभाग
डब्ल्यू यू ए	जल उपयोगकर्ता संघ
वाईयूपीवाई	युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹करोड़	 725464 1195641	 771631 1348693	 830724 1522063	 903564 1701190	 981807 1875413
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	प्रतिशत	 8.93 17.46	 6.36 12.80	 7.66 12.85	 8.77 11.77	 8.66 10.24
3	सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाएं	प्रतिशत	 28.18 28.62 43.20	 27.62 28.12 44.26	 27.05 28.66 44.29	 27.05 28.21 44.74	 25.33 28.21 46.46
4	सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाएं	प्रतिशत	 28.54 27.90 43.56	 27.59 27.38 45.03	 27.40 27.92 44.68	 27.13 27.05 45.82	 25.74 26.55 47.71
5	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹करोड़	 634247 1070324	 674018 1202344	 724575 1361835	 789133 1525291	 859333 1685118
6	प्रति व्यक्ति आय (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹	 79490 134143	 83561 149060	 88868 167027	 95762 185095	 103189 202349

टिप्पणीः वर्ष 2023-24- संशोधित अनुमान II, वर्ष 2024-25- संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2025-26- अग्रिम अनुमान(अ.)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
7	सकल स्थाई पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर @ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	₹करोड़	342374 28.64	390245 28.94	449352 29.52	502412 29.53	-
8	कृषि उत्पादन सूचकांक * (आधार वर्ष 2005–06 से 2007–08=100)		201.57	209.63	214.92	243.55+	-
9	कुल खाद्यान्न उत्पादन*	लाख मै. टन	231.92	252.80	240.92	309.62+	283.98~
10	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100)		133.97	136.93	153.46	154.38	153.29@@
11	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100) प्रतिशत परिवर्तन		371.22 9.93	388.45 4.64	388.09 -0.09	396.72 2.18	399.74$ 0.76
12	अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)	मेगावाट	23452	23509	24784	27284	31556$
13	वाणिज्यिक बैंक साख #	₹करोड़	375030	375030	537597	611546	691943

* कृषि वर्ष से संबंधित है।
+ अन्तिम
~ अग्रिम
@ प्रावधानिक
@ @ प्रावधानिक नवम्बर, 2025 तक
# 30 सितम्बर के अनुसार
$ दिसम्बर, 2025 तक

सारांश

राजस्थान का परिचय

राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से घिरा हुआ है। इसकी एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसका विशिष्ट समचतुर्भुजाकार आकार पश्चिम से पूर्व तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राज्य का दक्षिणी क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। राजधानी जयपुर, जिसे "गुलाबी शहर" के नाम से जाना जाता है, राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।

राज्य की भौगोलिक स्थिति चार प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है: पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण–पूर्वी पठार। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। पश्चिमी रेगिस्तान, हालांकि शुष्क है, राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन और खनन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। जैव विविधता से समृद्ध अरावली पर्वतमाला, कई ऐतिहासिक स्थलों के साथ, पर्यटन का भी केंद्र है। पूर्वी मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए उपयुक्त हैं, जबकि दक्षिण–पूर्वी पठार औद्योगिक विकास की संभावनाएँ प्रदान करता है। 1 अक्टूबर, 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ है, जो इसे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों और उद्योग, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में आधुनिक विकास का अनूठा मिश्रण है। कृषि आज भी इसकी आधारशिला है, और राजस्थान गेहूं, जौ, सरसों और दालों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। राज्य का विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र, खेती के लिए चुनौतीपूर्ण होते हुए भी, व्यापक सिंचाई परियोजनाओं और उपजाऊ पूर्वी मैदानों द्वारा समर्थित है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को हस्तशिल्प क्षेत्र का भी समर्थन प्राप्त है, जो लाखों लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आजीविका प्रदान करता है। पर्यटन उद्योग अपने ऐतिहासिक स्मारकों, किलों, महलों और जीवंत त्योहारों के कारण लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जिससे खुदरा और अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है।

राजस्थान परंपरा और आधुनिकता का संगम है, जहाँ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सशक्त आर्थिक विकास से मिलती है। अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और उद्योग पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के साथ, राज्य भारत के विकास गाथा में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार बने रहने के लिए तैयार है।

राज्य ने अपने औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्रों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, खनन क्षेत्र में अग्रणी रहकर सौर एवं पवन ऊर्जा में निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान ई–गवर्नेंस और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आधुनिक अवसंरचना, औद्योगिक विकास और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान तेजी से विकास कर रहा है। राज्य ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और औद्योगीकरण जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसरों को अपनाने के बीच संतुलन बनाए रखा है।

तालिका I : राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्र	2011	लाख वर्ग कि.मी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग कि.मी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.2
कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	75.1	68.8

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएं प्रति हजार पुरूष	928	943
बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	2011	बालिकाएं प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरूष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	2023*	प्रति हजार मध्य–वर्ष जनसंख्या	22.9	18.4
अशोधित मृत्यु दर	2023*	प्रति हजार मध्य–वर्ष जनसंख्या	5.9	6.4
शिशु मृत्यु दर	2023*	प्रति हजार जीवित जन्म	29	25
मातृ मृत्यु अनुपात	2021-23*	प्रति लाख जीवित जन्म	86	88
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2019-23*	आयु वर्षों में	70.4	70.3

*एस.आर.एस. बुलेटिन : भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय

दृष्टिः विकसित राजस्थान

राजस्थान की परिकल्पना है कि 2047 तक, राज्य समावेशी विकास, सशक्त नागरिकों, विश्व स्तरीय अवसंरचना, सतत विकास और पारदर्शी शासन द्वारा चिह्नित नए भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत में निहित और राज्य की जनता की अग्रणी भावना से प्रेरित होगा।

विकसित राजस्थान की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए, राज्य ने "विकसित राजस्थान @2047" नामक एक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया है, जो राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी विकास का प्रतीक बनाने के लिए एक दीर्घकालिक विकास रणनीति है। राज्य की विकास दृष्टि महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करती है, जो चुनौतियों को अवसरों में बदलने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। हम राजस्थान के समावेशी और भविष्योन्मुखी विकास की परिकल्पना करते हैं। इस दृष्टि के अनुरूप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने, हरित अवसंरचना को बढ़ावा देने और हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है।

विकसित राजस्थान@2047 के क्षेत्र

यह विजन दस्तावेज़ 13 चिन्हित क्षेत्रों में विशिष्ट रोडमैप प्रदान करता है, जो नीतिगत निर्णयों, निवेश प्राथमिकताओं, संरचनात्मक परिवर्तन और 2047 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का मार्गदर्शन करेगा।

चित्र I : विकसित राजस्थान@2047 के 13 क्षेत्र



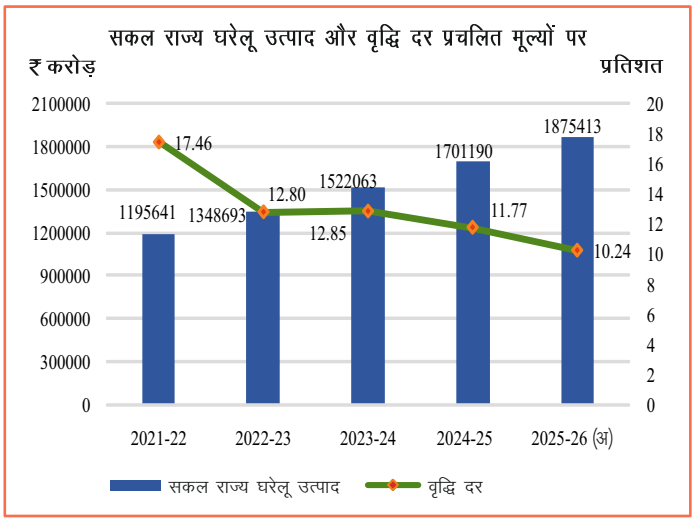
राजकोषीय प्रबंधन और आर्थिक नीति

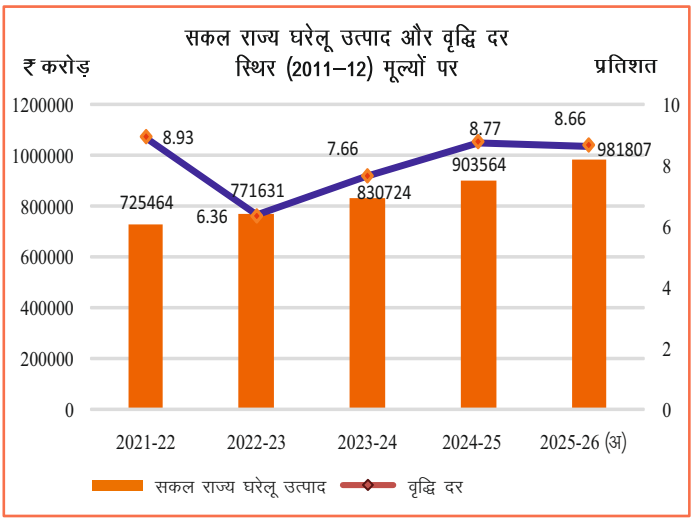
राज्य ने प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण निर्धारित किया है। कृषि में तकनीकी प्रगति, औद्योगिक उत्पादन का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रभावी उपयोग इस विकास रणनीति का मूल आधार है। इसके अलावा, मूलभूत बुनियादी ढांचा, स्मार्ट शहरों, औद्योगिक समूहों और एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रित विकास नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को और मजबूत करेगा।

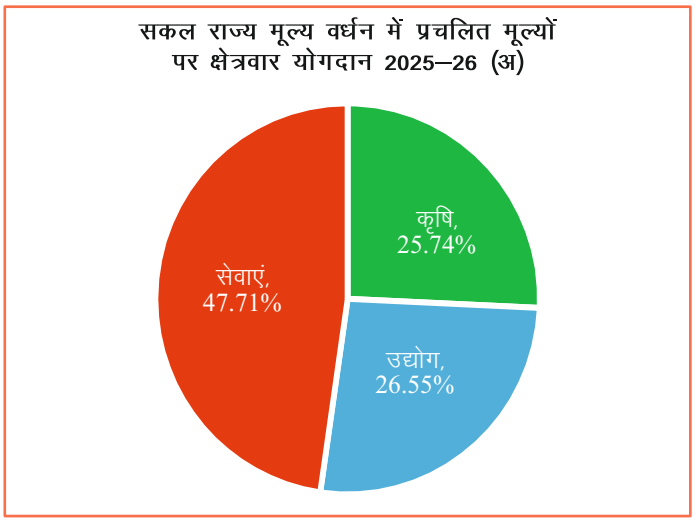
राजस्थान की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों को दर्शाती है, जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) के आँकड़ों से दर्शाया जाता है। प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी वर्ष 2025–26 में ₹18.75 लाख करोड अनुमानित है, जो वर्ष 2024–25 में ₹17.01लाख करोड से 10.24 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है। स्थिर (2011–12) कीमतों पर जीएसडीपी वर्ष 2024–25 में ₹9.04 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025–26 में ₹9.82 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो 8.66 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो वर्ष 2025–26 में प्रचलित कीमतों पर गत वर्ष से 9.32 प्रतिशत बढ़कर ₹2,02,349 और स्थिर (2011–12) कीमतों पर 7.76 प्रतिशत बढ़कर ₹1,03,189 होने का अनुमान है। ये संकेतक राज्य की संतुलित आर्थिक प्रगति और अपने नागरिकों के हित में सुधार के लिए इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

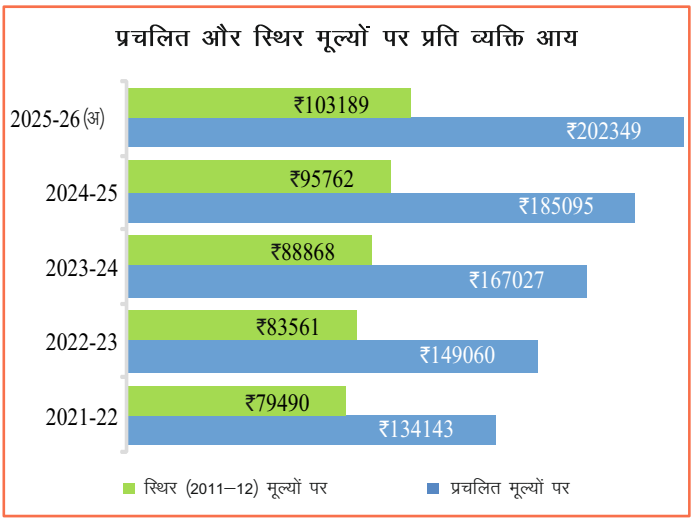
राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है, जो सामूहिक रूप से इसके सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (जीएसवीए) में योगदान करते हैं। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025–26 के लिए कृषि क्षेत्र जिसमें फसलें, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल हैं, जिसका जीएसवीए में 25.74 प्रतिशत योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और निर्माण शामिल है, जिसका जीएसवीए में योगदान 26.55 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र जिसमें परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएँ, वास्तविक स्थिति, पेशेवर सेवाएँ, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाएँ शामिल हैं, जिसका जीएसवीए में 47.71 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदान है।

चित्र II : अर्थव्यवस्था एक नजर में









अ अग्रिम अनुमान

मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एक व्यापक माप है जो वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के मूल्य में उतार–चढ़ाव को दर्शाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य रुझानों के संकेतक के रूप में कार्य करता है। राज्य के लिए, डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 1999–2000=100) 2024 में 394.68 से बढ़कर 2025 में 399.13 हो गया, जो 1.13 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है। प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में 1.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई, विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में 1.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्नेहक की कीमतों में 0.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू)** आम तौर पर उपभोग के लिए घरों में खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में भिन्नता को मापता है। वर्ष 2025 में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (आधार वर्ष 2016=100) राज्य के विभिन्न केंद्रों में मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। इसमें गत् वर्ष की तुलना में अलवर में 2.02 प्रतिशत, भीलवाड़ा में 2.62 प्रतिशत, जयपुर में 1.88 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर 2.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

बैंकिंग क्षेत्र, राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सितंबर 2025 तक 9,172 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (4619), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1,628), निजी क्षेत्र के बैंक (2,301), लघु वित्त बैंक (577), विदेशी बैंक (7) और भुगतान बैंक (40) शामिल हैं। राजस्थान में जमा राशि में 9.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ऋण–जमा अनुपात बढ़कर 89.61 प्रतिशत हो गया, जो राष्ट्रीय औसत 80.43 प्रतिशत से अधिक है।

चित्र III : बैंकिंग क्षेत्र – एक नजर में

राजस्थान में बैंकिंग सेवाएँ



सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक



9,172	कार्यालयों/शाखाओं की संख्या
₹7,72,147 करोड़	सितम्बर, 2025 तक जमाएं
₹6,91,943 करोड़	सितम्बर, 2025 तक ऋण
11	प्रति लाख जन्संख्या पर बैंकिंग कार्यालयों की संख्या
₹92,719	प्रति व्यक्ति बैंक जमा सितम्बर, 2024 तक
₹83,088	प्रति व्यक्ति बैंक ऋण सितम्बर, 2024 तक

कृषि–खाद्य प्रणाली का रूपांतरण

राजस्थान की कृषि–खाद्य प्रणाली अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो वर्ष 2025–26 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में लगभग 25.74 प्रतिशत का योगदान देती है। शुष्क एवं अर्द्ध–शुष्क क्षेत्रों में संरचनात्मक तथा जलवायु संबंधी बाधाओं के बावजूद, इस क्षेत्र ने वास्तविक उत्पादन में निरंतर प्रगति और सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। पशुपालन आय के दोहरे स्रोत के रूप में उभरा है, जो कृषि उत्पादन के एक–तिहाई से अधिक का योगदान देता है तथा वर्षा की अनिश्चितता से उत्पन्न फसल अस्थिरता की भरपाई करता है। राज्य बाजरा, राई एवं सरसों, कुल तिलहन तथा दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान बनाए हुए है, साथ ही मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने हेतु बागवानी में भी विविधता ला रहा है। वर्ष 2025–26 के उत्पादन अनुमानों के अनुसार, खरीफ दलहनों का उत्पादन बढ़कर 20.52 लाख मैट्रिक टन (2.34 प्रतिशत वृद्धि) तथा रबी दलहनों का उत्पादन 26.61 लाख मैट्रिक टन (22.34 प्रतिशत वृद्धि) होने का अनुमान है। एक लचीली एव मूल्य–उन्मुख संरचना की ओर यह बदलाव बेहतर संस्थागत वित्त, जोखिम सुरक्षा तंत्र और उत्पादकता में वृद्धि द्वारा सम्भव हुआ है।

चित्र IV : कृषि–खाद्य प्रणाली के लिए सरकारी पहल



मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा किये जाने वाले बीज उत्पादन को बढ़ावा देकर आदानों की गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2025–26 में, खरीफ एवं रबी सीजन के दौरान 1.13 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, नई फसल किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए 31.50 लाख बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरित किए गए। **नमो ड्रोन दीदी योजना** महिलाओं द्वारा संचालित ड्रोन सेवाओं को बढ़ावा देकर आधुनिक तकनीक को पारंपरिक खेती के साथ जोड़ती है। यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करती है।

कृषि ऋण एवं सहकारी– आधारित वित्तपोषण अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शून्य–ब्याज पर सुलभ ऋण उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिसंबर 2025 तक, 30.45 लाख किसानों को ₹18,085.89 करोड़ का ऋण वितरित किया गया, वहीं उपज के विरुद्ध गिरवी ऋण के तहत 27 किसानों को मात्र 3 प्रतिशत ब्याज पर ₹70.50 लाख उपलब्ध कराए गए। **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)** उपज में उतार–चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की सुरक्षा करती है। फसल क्षति की भरपाई हेतु पात्र किसानों को लगभग ₹6,206.61 करोड़ की कुल बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है। **दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन** अरहर, उड़द एवं मसूर के उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित है, जिसके लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार और जलवायु–अनुकूल बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु फसल कटाई–पश्चात भंडारण एवं प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.) 2,000 क्लस्टरों के गठन के माध्यम से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। ये क्लस्टर पूरे राज्य में 2.50 लाख किसानों तथा 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करते हैं। **प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना (पी.एम.डी.डी.के.वाई.)** का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, आय, विविधता एवं स्थिरता को बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं जालौर जिलों को लक्षित करती है। **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (पी.एम.–एफ.एम.ई.)** सूक्ष्म इकाइयों को ऋण और तकनीकी पहुँच के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है। इस योजना के तहत 8 जिलों में 8 इन्क्यूबेशन सेंटर को ₹23.11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। दिसंबर 2025 तक, 2,048 आवेदनों में से 1,518 आवेदनों को बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया और 414 आवेदनों को कुल ₹23.54 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पशुधन के रोग और मृत्यु की स्थिति में मुफ्त बीमा प्रदान करती है। अब तक 10.63 लाख पशु और 5.54 लाख परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। 1 दिसंबर 2025 से, राज्य देशी पशुधन के लिए 100 प्रतिशत प्रीमियम वहन करता है और वर्ष 2025–26 में 42 लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। **राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना** दूध उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जो 1 फरवरी, 2025 से प्रभावी है। यह दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में ₹5.00 लाख की सुरक्षा प्रदान करती है और दिसंबर 2025 तक 1.12 लाख दूध उत्पादकों को बीमित किया जा चुका है।

स्वास्थ्य एवं कल्याण

राजस्थान ने स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को मानव पूंजी और सामाजिक–आर्थिक प्रगति की आधारशिला के रूप में स्थापित किया गया है। प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार, बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार तथा बीमा योजनाओं के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यू.एच.सी.) की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय नीतियों और विकसित राजस्थान@2047 के उस विजन के अनुरूप है, जिसमें सभी के लिए सर्वोत्तम शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2025–26 में ₹2,800 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाया गया है। अवसंरचना, बीमा, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी अंतर को कम करते हुये प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखने और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

एनएफएचएस–4 (2015–16) से एनएफएचएस–5 (2019–21) की अवधि के दौरान राजस्थान ने कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य

संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर या उसके समकक्ष प्रदर्शन किया है। नवजात मृत्यु दर (एन.एन.एम.आर.) प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 29.8 से घटकर 20.2 हो गई, शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 41.3 से घटकर 30.3 तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू.5एम.आर.) 50.7 से घटकर 37.6 हो गई, ये सभी राष्ट्रीय आंकड़ों से बेहतर हैं। संस्थागत प्रसवों का अनुपात बढ़कर 94.9 प्रतिशत हो गया (जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 88.6 प्रतिशत है), पूर्ण टीकाकरण 80.4 प्रतिशत तक पहुँचा तथा कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) घटकर 2.0 के स्तर पर आ गई। बाल कुपोषण में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, बौनापन (स्टंटिंग) 31.8 प्रतिशत, दुर्बलता (वेस्टिंग) 16.8 प्रतिशत तथा अल्पवजन 27.6 प्रतिशत रह गया जबकि (एस.आर.एस. 2021–23) की अवधि में मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) में सुधार होकर यह 86 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया, यह राष्ट्रीय स्तर 88 से कम है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर 46.3 प्रतिशत पर स्थिर रही, जो राष्ट्रीय औसत 52.2 प्रतिशत से कम है।

राज्य में व्यापक एलोपैथिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 267 अस्पताल, 849 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.), 2,875 ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) तथा 15,292 उप–केन्द्र शामिल हैं। इन संस्थानों में कुल 76,720 बिस्तर/शैय्याएं उपलब्ध हैं तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (ए.ए.एम.) कार्यरत हैं। आयुष्मान भारत के अन्तर्गत 11,571 आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों में 12 प्रकार की व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिनका विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.), उप–स्वास्थ्य केन्द्र (एस.एच.सी.) एवं शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। आयुर्वेद के अंतर्गत 127 जिला अस्पताल, 86 ब्लॉक अस्पताल तथा 3,575 औषधालय संचालित हैं। होम्योपैथी में 7 अस्पताल और 189 औषधालय तथा यूनानी पद्धति में 12 अस्पताल और 119 औषधालय कार्यरत हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन का कार्य निरंतर जारी है, जिसमें नए सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना, पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नयन तथा **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम–अभिम)** के अंतर्गत 406 कार्य, जैसे ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट और प्रयोगशालाओं की स्थापना शामिल।

चित्र V: प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल योजनाएँ/कार्यक्रम



सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना के अंतर्गत **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना** 2,179 पैकेजों में ₹25 लाख तक के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करती है जिसमें अन्य राज्यों में भी पोर्टेबिलिटी भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान इस योजनान्तर्गत 15.33 लाख रोगियों का ईलाज एवं ₹1,919 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया। **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना** के अन्तर्गत 13.65 लाख परिवार पंजिकृत है, इसमें 92.76 लाख दावों के लिए ₹2,441 करोड़ व्यय किये गये है। **आयुष्मान वय वंदन योजना** (70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक), **मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना** (15.73 करोड़ रोगी, निःशुल्क दवाओं पर

₹1,312 करोड़ का व्यय) तथा निःशुल्क जाँच सेवाएं (13.55 करोड़ जाँचें) जैसी नई पहलें, जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय को कम करती हैं। **कर्मचारी राज्य बीमा योजना** के अन्तर्गत 67.44 लाख बीमित व्यक्तियों को कवर किया गया है, जिस पर ₹144.77 करोड़ का व्यय किया गया है।

राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ए.बी.डी.एम.)** के अन्तर्गत 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की गई हैं, जिनसे 2.38 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेख जोड़े गए हैं, जिससे सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित हुई है। ई–संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से 20.33 लाख परामर्श प्रदान किए गए। एआई–आधारित पहलों के तहत मिशन मधुनेत्र के अन्तर्गत मधुमेह जनित रेटिनोपैथी की जाँच हेतु 640 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि मिशन मधुहरि के अंतर्गत टाइप–1 मधुमेह से ग्रस्त 1,700 से अधिक रोगियों का पंजीकरण कर उन्हें निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5.51 करोड़ रोगियों का उपचार किया गया। **सिलिकोसिस नीति** के तहत 20,478 पीड़ितों को ₹614.86 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। लोरोसिस कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 जिलों में 7,260 मामलों की पुष्टि की गई। राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.ओ.एच.पी.) के अन्तर्गत 6,095 शिविरों के माध्यम से 2.38 लाख रोगियों की मुख स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि राष्ट्रीय बहरा निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.पी.सी.डी.) के अन्तर्गत 61,625 रोगियों की स्क्रीनिंग की गई। तंबाकू नियंत्रण एवं वायरल हेपेटाइटिस पहलों के अन्तर्गत लाखों व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 2,623 रोगियों को हेपेटाइटिस का उपचार प्रदान किया गया। एचआईवी/एड्स के लिए 28.60 लाख व्यक्तियों की जांच की गई तथा 28 केंद्रों पर निःशुल्क एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) उपलब्ध कराई गई। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 86,733 नसबंदी की गईं तथा 11 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अन्तर्गत 54,022 आशा सहयोगिनियां समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच सेतु का कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के तहत 34.10 लाख बच्चों की जाँच की गई तथा 732 जटिल सर्जरियां की गईं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.) के अन्तर्गत संचालित 332 उजाला क्लीनिकों के माध्यम से 3.93 लाख किशोरों को परामर्श सेवाएँ प्रदान की गईं। आपातकालीन सेवाएं सशक्त रूप से संचालित हैं, जिनमें 108 एंबुलेंस सेवाओं के अन्तर्गत 3.19 लाख कॉल्स का निस्तारण किया गया तथा 104 जननी एक्सप्रेस के माध्यम से 13,984 गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की गई। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से 6.01 लाख व्यक्तियों को उपचार सेवाएं प्रदान की गईं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) के अन्तर्गत 17 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.सी.एच.सी.), 286 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी.) तथा 638 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू.ए.ए. एम) संचालित हैं। साथ ही कुष्ठ रोग, क्षय रोग (टीबी), अंधता एवं वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **शुद्ध आहार मिलावट पर वार** अभियान के अन्तर्गत 38,647 नमूनों की जांच की गई। आयुष मिशन के तहत 570 औषधालयों/अस्पतालों का निर्माण/मरम्मत कार्य पूर्ण किया गया तथा जियो–टैगिंग किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 1.38 करोड़ प्रतिभागियों ने भाग लिया।

शिक्षा एवं ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था

शिक्षा राजस्थान की मानव पूंजी विकास रणनीति का एक मुख्य स्तंभ बनी हुई है, खासकर राज्य की ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को देखते हुए। राज्य ने स्कूल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता और उच्च शिक्षा को सम्मिलित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया, जिसे डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और लक्षित छात्र सहायता योजनाओं द्वारा समर्थन प्रबल किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लागू होने से पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षक क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण में सुधार हुए हैं। नामांकन, ट्रांज़िशन दरों और ड्रॉपआउट स्तरों में कमी में सुधार देखे गए हैं, जो समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में प्रगति को दर्शाता है।

चित्र VI : सरकारी अभियान के माध्यम से शिक्षा का सशक्तीकरण



समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व–प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। राज्य ने बुनियादी साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

निपुण भारत मिशन ने क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता सुनिश्चित की है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान 35 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को संरचित शिक्षा पद्धति, गतिविधि–आधारित शिक्षण सामग्री और शिक्षक क्षमता संवर्धन से लाभ मिला है।

एनईपी 2020 के तहत, **मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए)** छात्र–केंद्रित शिक्षण, शिक्षक क्षमता निर्माण और स्कूल सुधार पर फोकस करता है। सीखने की क्षमता और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने हेतु **प्रखर राजस्थान 2.0**, **निपुण राजस्थान अभियान** तथा **मेगा पेरेंट–टीचर मीटिंग्स** सहित अनेक पहलें लागू की गई हैं। लगभग 2.96 लाख विद्यार्थियों के नामांकन वाले 639 **पीएम श्री स्कूलों** को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है, जो एनईपी के अनुरूप, समावेशी और पर्यावरण–अनुकूल शिक्षा प्रदान करते हैं।

लाखों विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, मुफ्त साइकिल, यूनिफॉर्म, मेधावी छात्रों के लिए टैबलेट और परिवहन वाउचर प्रदान किए गए हैं, ताकि उनकी शिक्षा तक पहुँच, स्कूल में बने रहने की दर और समान अवसर बढ़ सकें।

नए सरकारी कॉलेज और पाठ्यक्रम शुरू किए, 4,000 से अधिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया और आदिवासी छात्रों, लड़कियों तथा पिछड़े वर्गों को विशेष आर्थिक मदद दी गई ताकि उनकी रोजगार की संभावनाएं और ज्ञान आधारित विकास मजबूत हो सके।

सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन

राज्य का दृष्टिकोण है कि आर्थिक प्रगति के साथ मानव पूंजी का विकास, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार तथा आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक विकास के लाभ पहुंच सकें। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान ने जीवन–चक्र आधारित सामाजिक विकास का ढ़ांचे को सुदृढ़ किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका संवर्धन एवं सामाजिक संरक्षण के क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विद्यमान कमजोरियों का समाधान किया गया है। संस्थागत अभिसरण, सामुदायिक सहभागिता तथा जन आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग से सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में पारदर्शिता, दक्षता एवं अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे समावेशन में वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण, शहरी एवं आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं का कार्यान्वयन सुदृढ़ हुआ है।

महिला सशक्तीकरण समावेशी विकास का एक प्रमुख आधार बना रहा। शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, आजीविका सहायता,

चित्र VII : प्रमुख सरकारी पहलें



सुरक्षा तथा वित्तीय सशक्तीकरण से संबंधित प्रयासों ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है और पारिवारिक आय सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। **लाडो प्रोत्साहन योजना** बालिका जन्म को प्रोत्साहन देते हुए उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना लैंगिक भेदभाव की रोकथाम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रयास करती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को सात निर्धारित चरणों में ₹1.50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान 3.27 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुईं, जिस पर ₹217.63 करोड़ का व्यय किया गया।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) के माध्यम से राज्य द्वारा आंगनवाड़ी नेटवर्क के जरिए पूरक पोषण, पूर्व–प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान 27.64 लाख बच्चों, 2.89 लाख गर्भवती महिलाओं तथा 2.84 लाख धात्री माताओं को पोषण सहायता प्रदान की गई।

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 4.46 करोड़ निर्धारित है, जिसके विरूद्व 01 दिसम्बर, .2025 तक 4.38 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** के अंतर्गत 18.73 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाया गया तथा 18.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया।

दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य द्वारा **"दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति–2025"** लागू की गई है, जिससे वे सरकारी कार्यालयों में अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें। इसके साथ ही विधवाओं एवं एकल महिलाओं सहित समाज के कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार किया गया है। पेंशन योजनाओं एवं संरक्षण सेवाओं के माध्यम से आय सुरक्षा, गरिमा तथा सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ किया गया है।

औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक विकास

राजस्थान का औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास, रोजगार सृजन और विविधीकरण का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। समृद्ध खनिज संसाधनों, सशक्त एमएसएमई आधार और विस्तारशील आधारभूत अवसंरचना के बल पर इस क्षेत्र में सकल मूल्य वर्द्धन और औद्योगिक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि दर्ज की गई है, विशेष रूप से विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में।

निवेश आधारित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आर.आई.पी.एस.) 2024** लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य घरेलू एवं वैश्विक निवेश आकर्षित करना, हरित और प्रौद्योगिकी–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा रोजगार सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल ₹1.65 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं। इसके पूरक के रूप में **राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 लागू** की गई, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना है। इसके प्रावधान आर.आई.पी.एस. के अनुरूप हैं तथा लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, कौशल विकास और हरित परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 का उद्देश्य वृहद् स्तर पर निवेश, मूल्य संवर्द्धन, हरित विनिर्माण और रोजगार सृजन

चित्र VIII : औद्योगिक और खनन क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए प्रमुख नीतियां



राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025



राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025



राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति 2025



अप्रवासी राजस्थानी नीति 2025



राजस्थान डेटा सेन्टर पॉलिसी 2025



राजस्थान रोजगार नीति 2026



को प्रोत्साहित करके राज्य को वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करना है। लघु स्तर के व्यापारियों और सूक्ष्म व्यापार उद्यमों हेतु ऋण, बीमा और ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक बेहतर पहुंच बनाने तथा महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ, व्यापार क्षेत्र के लिए एक संरचित सहायता ढांचा बनाने के लिए **राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति 2025** लागू की गई है। **प्रवासी राजस्थानी नीति 2025** का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय से निवेश, व्यापार, नवाचार और परोपकारी योगदान को प्रोत्साहित करना है। नीति के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर, शिकायत निवारण प्रणाली और डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं प्रारम्भ की गई हैं।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को **राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025** के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन, नियमों में शिथिलता और निरन्तर सहयोग प्रदान करके राजस्थान को एक पसंदीदा डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। नीति की अधिसूचना और रिप्स प्रोत्साहनों के एकीकरण के माध्यम से प्रारम्भिक निवेशकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की वृद्धि को राजस्थान **एम.एस.एम.ई. नीति 2024** के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी, समावेशी और प्रौद्योगिकी–सक्षम एम.एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान 343 एम.एस.एम.ई. इकाइयों को ₹188.92 लाख की सहायता प्रदान की गई है। **एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2019** के द्वारा उद्यमों की स्थापना एवं नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित किया गया है इसके अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1,405 अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं। **एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024** के अन्तर्गत क्लस्टर आधारित विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा **एक जिला एक उत्पाद नीति 2024** के माध्यम से क्षेत्रीय विशेषीकरण में प्रगति हुई है, इसमें 272 इकाइयों को ₹11.5 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण एवं सेवा आधारित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान युक्त ऋण प्रदान कर रोजगार सृजन करने के लिए **विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (वी.के.वाई.यू.पी.वाई.)** प्रारम्भ की गई है।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया जा रहा है, इसके अंतर्गत अनेक इकाइयों को विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रमाणन हेतु सहायता प्रदान की गई है, इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024–25 में ₹97,171.66 करोड़ का निर्यात हुआ। खनन क्षेत्र में **राजस्थान खनिज नीति 2024** एवं **राजस्थान एम–सैंड नीति 2024** का उद्देश्य सतत् एवं पारदर्शी खनिज विकास सुनिश्चित करना है, जिसके तहत एम–सैंड का आवंटन किया गया है।



राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जी.सी.सी.) नीति 2025 का उद्देश्य कुशल प्रतिभा, सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना और लागत प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर वैश्विक क्षमता केन्द्रों को आकर्षित करना है, जिससे उच्च–मूल्य रोजगार के अवसरों का सृजन एवं सेवा क्षेत्र के एकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके।



राजस्थान कौशल नीति 2025 मांग–आधारित कौशल विकास, पुनः–कौशल (री–स्किलिंग) और उन्नत कौशल (अप–स्किलिंग) पर केन्द्रित है, जिससे रोजगार–क्षमता में वृद्धि, कार्यबल की उत्पादकता में सुधार तथा औद्योगिक, सेवा एवं नवीन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

राजस्थान युवा नीति 2026 का उद्देश्य शिक्षा, कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व क्षमता के विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है और जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करते हुए समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।



राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं, परिवहन एवं उद्योगों के लिए स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का विस्तार करना है जिससे न्यून–कार्बन विकास को बढ़ावा देने, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार तथा गैस–आधारित औद्योगिक विकास को समर्थन मिले।

राजस्थान रोजगार नीति 2026 राज्य में 64.4 प्रतिशत की उच्च श्रम बल भागीदारी दर और 4.2 प्रतिशत की बेरोजगारी दर के बावजूद मौजूदा रोजगार चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार की गई है। यह नीति राज्य के जनसांख्यिकीय लाभ और क्षेत्रीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य स्व–रोजगार, वेतन आधारित रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से मार्च, 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है।

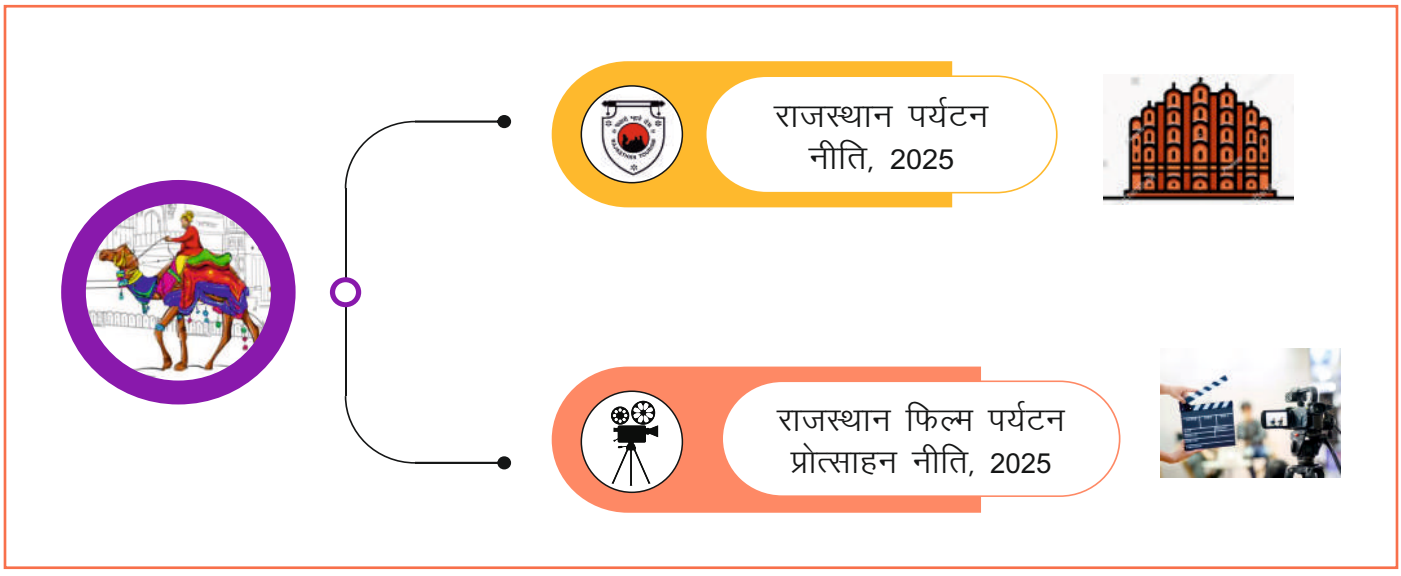
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम.वाई.एस.वाई.) 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने अथवा विस्तार के लिए ब्याज–मुक्त ऋण, मार्जिन मनी सहायता तथा सी.जी.टी.एम.एस.ई. शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है, जो रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास, परिवहन, आतिथ्य सत्कार, हस्तशिल्प और सेवाओं जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। राज्य के पर्यटन क्षेत्र में विरासत, धार्मिक, रेगिस्तानी, वन्यजीव, ईको–पर्यटन, फिल्म पर्यटन और बढ़ते हुए एमआईसीई क्षेत्र सहित विविध प्रकार के पर्यटन विकल्प मौजूद हैं। कोविड–19 महामारी के बाद राज्य में घरेलू पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य द्वारा संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, पर्यटन अवसंरचना को उन्नत करने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। आजीविका बढ़ाने और विरासत संपत्तियों के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन को पर्यटन विकास के साथ एकीकृत किया गया है।

राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, उत्पाद विविधीकरण, डिजिटल एकीकरण और निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन विकास को गति देने के लिए **राजस्थान पर्यटन नीति, 2025** प्रारम्भ की है, साथ ही जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन इकाइयों को पूंजी सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी और स्टांप शुल्क छूट जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। राज्य ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया है। वित्तीय प्रोत्साहन और सरलीकृत अनुमतियों के माध्यम से राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए **राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025** शुरू की गई है।

चित्र IX : राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख नीतियां



राजस्थान पर्यटन अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण कोष (आरटीआईसीएफ) का गठन मार्च, 2025 में ₹5,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली वृहद स्तर की पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया था। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान ₹276 करोड़ की लागत वाली 88 पर्यटन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

आधारभूत अवसंरचना

मुख्य अवसंरचना को आर्थिक गतिविधियों और सेवा प्रदायगी के एक महत्वपूर्ण सक्षम कारक के रूप में निरंतर प्राथमिकता दी गई। इस दिशा में विद्युत प्रणालियों को सुदृढ़ करने, परिवहन नेटवर्क के विस्तार, जल आपूर्ति अवसंरचना, शहरी सेवाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि बाजार तक पहुँच बेहतर हो और शहरी–ग्रामीण एकीकरण को बढ़ावा मिल सके। प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने, सेवा अंतराल कम करने तथा लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाने के लिए एकीकृत योजना, नेटवर्क विस्तार और परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण के कार्य किए गए। इससे राज्य भर में विनिर्माण, कृषि, व्यापार और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मजबूती मिली।

विद्युत क्षेत्र ने कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को समर्थन देकर तथा जीवन स्तर में सुधार को सक्षम बनाते हुए आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा सौर ऊर्जा के विस्तार के साथ–साथ विद्युत वितरण, डिजिटल प्रणालियों और ऊर्जा भंडारण में सुधार हेतु राज्य द्वारा अनेक कदम उठाए गए, ताकि विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता मार्च 2025 के 27,283.83 मेगावाट से बढ़कर दिसंबर 2025 में 31,556.43 मेगावाट हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसमें सौर ऊर्जा क्षमता 9,898.00 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा क्षमता 4,416.12 मेगावाट तक पहुँच गई है। दिसंबर 2025 तक ये दोनों मिलकर कुल स्थापित क्षमता का 45.36 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

कुल ऊर्जा उपलब्धता 2021–22 के 9,080.92 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2024–25 में 11,770.00 करोड़ यूनिट हो गई, जबकि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई ऊर्जा इसी अवधि में 6,969.65 करोड़ यूनिट से बढ़कर 9,200.80 करोड़ यूनिट हो गई। यह विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति क्षमता और खपत के विस्तार को दर्शाता है। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2025 के 197.94 लाख से बढ़कर नवंबर 2025 में 202.78 लाख हो गई, जो 2.44 प्रतिशत की वृद्धि है। यह वृद्धि स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों और एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण से समर्थित है। पीएम–कुसुम घटक–ए चरण– I के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक 468.75 मेगावाट क्षमता वाले 364 सौर संयंत्र चालू किए जा चुके हैं।

दिसंबर 2025 तक, 43,965 गांवों, 1.14 लाख ढाणियों और 111.15 लाख ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाई गई है, जिससे ग्रामीण सेवा वितरण और कृषि उत्पादकता मजबूत हुई है। 2025–26 के दौरान (नवंबर तक), 70,566 कृषि कनेक्शन जारी किए गए और किसानों को ₹14,612.19 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी प्रदान की गई है।

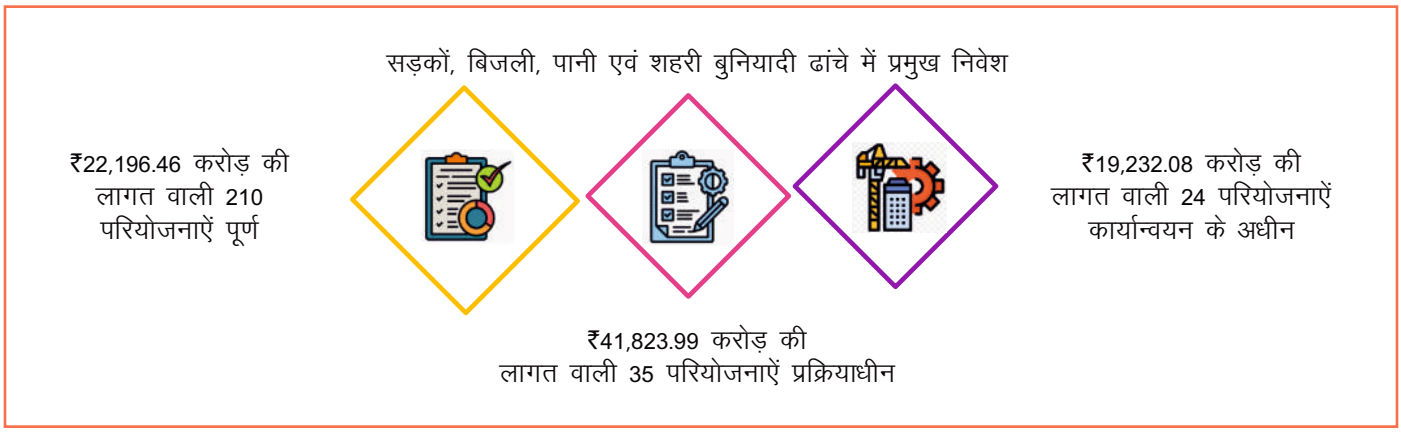
भारत सरकार ने **प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना** शुरूआत की जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र लगाकर प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त विद्युत प्रदान करना है। दिसम्बर, 2025 तक 1.22 लाख उपभोक्ताओं के लिए 493 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है। **रिवैम्पड़ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस)** उद्देश्य संपूर्ण भारत में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एवं सी.) हानियों को 12–15 प्रतिशत के स्तर पर कम करके और आपूर्ति की औसत लागत एवं कुल राजस्व आवश्यकता अंतर (ए.सी.एस.–ए.आर.आर.) को शून्य पर लाकर डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। आरडीएसएस के तहत 214 नए 33/11 केवी सबस्टेशनों में से 165, 1,559 कृषि फीडर पृथक्करणों में से 365 और 44,125 एचवीडीएस ट्रांसफार्मरों में से 20,971 का निर्माण पूरा हो चुका है। कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, 45,512 पंपों के लक्ष्य में से 14,540 कैपेसिटर इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है।

सड़क परिवहन क्षेत्र में, राज्य का सड़कों का घनत्व 97.97 किमी प्रति 100 वर्ग किमी तक पहुंच गया है एवं मार्च, 2025 तक 91.68 प्रतिशत गांव (39,666 गांव) सड़कों से जुड़े गये हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)–III योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 8,658.35 किमी सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत ₹5,174.06 करोड़ है। दिसम्बर, 2025 तक ₹4,064.08 करोड़ की लागत से 8,560.07 किमी सड़कों का उन्नयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा अटल प्रगति पथ की शुरुआत गाँवों में भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु हुई हैं। पहले चरण में 78 अटल प्रगति पथों में से 35 पथों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं दूसरे चरण में, 249 गाँवों में 39 अटल प्रगति पथों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

चित्र X: सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

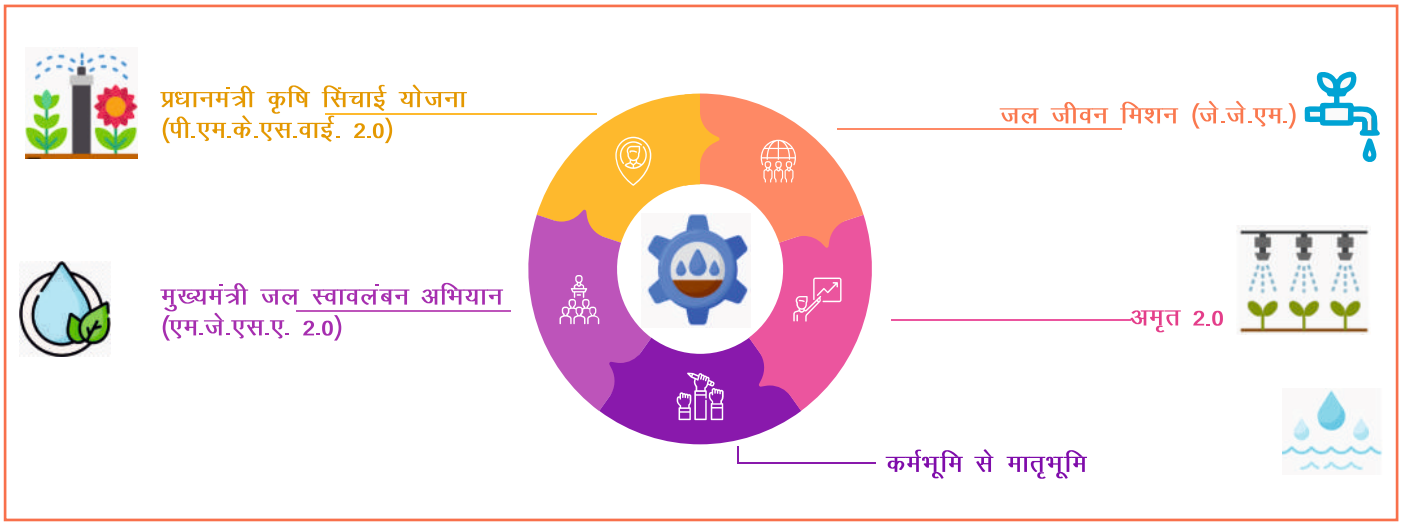


जल सुरक्षा एवं अनुकूलता

भारत के कुल भू–भाग का 10.41 प्रतिशत से अधिक हिस्सा राजस्थान के पास है, लेकिन जल संसाधन मात्र 1.16 प्रतिशत है। नाजुक जल–भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान में जल सुरक्षा उसकी विकास योजनाओं/दृष्टि का एक महत्वपूर्ण आधार है। राज्य में अनियमित वर्षा, गिरते भूजल स्तर और बढ़ते बंजर भूमि जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, जिससे कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिक संतुलन और सामाजिक–आर्थिक स्थिरता के लिए सतत जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राजस्थान ने अपने विजन 2047 योजना के तहत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, आधुनिक सिंचाई पद्धतियों और समुदाय–आधारित संरक्षण को एकीकृत और बहुआयामी दृष्टिकोण में अपनाया है।

राज्य ने प्रमुख नदी जोड़ परियोजनाओं, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं, भूजल पुनर्भरण कार्यक्रमों तथा डिजिटल हस्तक्षेपों के समन्वित उपयोग के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), अटल भूजल योजना तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए 2.0) जैसे कार्यक्रमों ने जल के कुशल उपयोग, जलागम क्षेत्र प्रबंधन और सहभागी भूजल प्रबन्धन को बढ़ावा दिया है।

चित्र XI : जल सुरक्षा एवं अनुकूलता



दिसंबर, 2025 तक ₹2,765.05 करोड़ के व्यय से (आई.जी.एन.पी. को छोड़कर) 23,320 हेक्टेयर की नई सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। 6 प्रमुख एवं 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के साथ–साथ 34 लघु सिंचाई योजनाएँ सक्रिय रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य ने यमुना जल समझौते के अंतर्गत अंतर–राज्यीय सहयोग को भी सुदृढ़ किया है तथा संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे 17 जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा और 2.51 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा के रूप में निरंतर कार्य करते हुए 16.17 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए) को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई. 2.0) का उद्देश्य सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना तथा जल उपयोग दक्षता को कवर करता है। जलागम क्षेत्र घटक ₹1,990.37 करोड़ की लागत से 39 जिलों में 8.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से क्रमशः 62,916 हेक्टेयर और 63,243 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित किया गया है, जिसके लिए ₹905.18 करोड़ का आवंटन किया गया है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एम.जे.एस.ए. 2.0) सामुदायिक नेतृत्व वाले वर्षा जल संचयन और पारंपरिक संरचनाओं के पुनरुद्धार पर जोर देता है। प्रथम चरण में ₹2,289.49 करोड़ की लागत से 1.10 लाख कार्य पूरे किये गए जबकि द्वितीय चरण में स्थानीय जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20,000 गांवों में 26,059 कार्यों को मंजूरी दी गई। **कर्मभूमि से मातृभूमि** और **वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान** ने जल संरक्षण को जन आंदोलनों में बदल दिया, जिसके तहत 16,006 जल पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया और 42,200 जलाशयों की सफाई की गई।

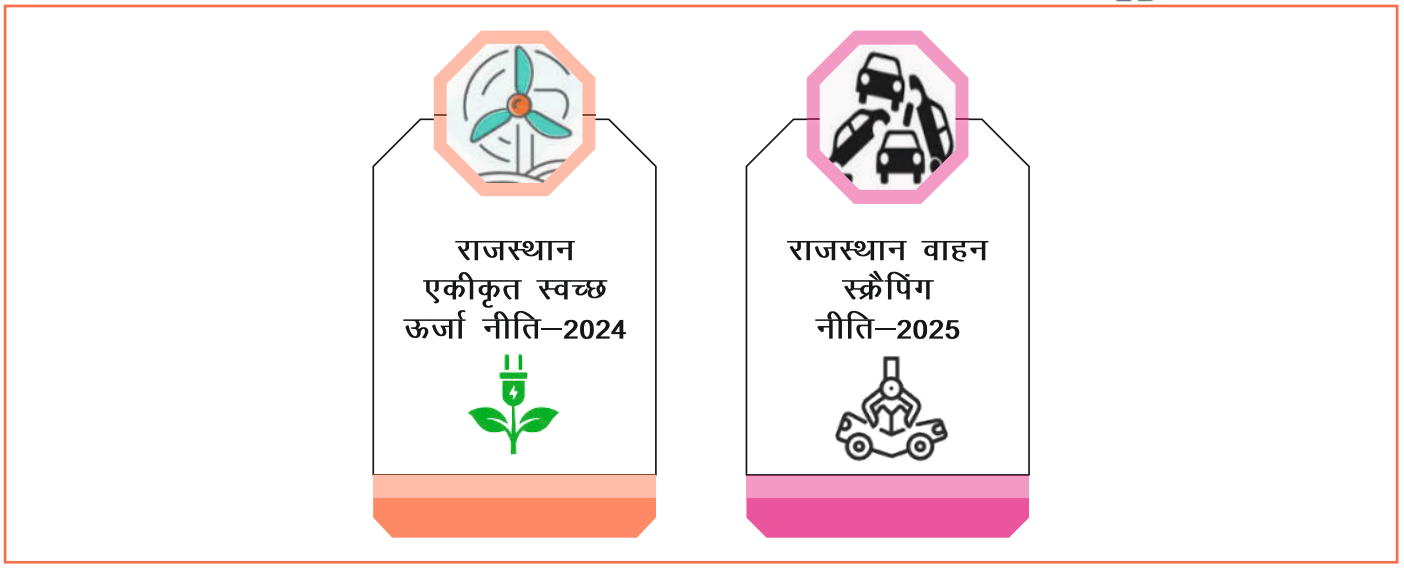
जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) का लक्ष्य 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना है। ₹93,427 करोड़ की स्वीकृत राशि के साथ, 62.40 लाख घरों को कार्यशील नल कनेक्शन प्राप्त हो चुके हैं। **अमृत 2.0** राज्य के 183 शहरी निकायों में ₹5,123.06 करोड़ की स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से **"हर घर नल"** सुनिश्चित करता है।

पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता

राजस्थान ने स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन एवं जलवायु जोखिम प्रबंधन को अपने विकास ढ़ाचें में एकीकृत किया है, ताकि पर्यावरणीय कार्यों को आर्थिक विकास के साथ संरेखित किया जा सके। राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेजी से विस्तार करके उल्लेखनीय प्रगति की है जिससे उत्सर्जन की गति में कमी आई है। इसके साथ ही **'एक पेड़ माँ के नाम'** जैसे बड़े पैमाने पर समुदाय–संचालित वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाया गया है, इस अभियान में दिसंबर, 2025 तक 8.21 करोड़ पौधे लगाए गये हैं। जलवायु संबधी घटनाओं से तेजी से उभरने के लिए वित्तीय आंवटन और प्रारम्भिक चेतावनी तंत्र के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार किया गया।

सतत् विकास लक्ष्यों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत राजस्थान ने पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो इसके बेहतर एस.डी.जी. के प्रदर्शन एवं लक्षित हरित नीतियों में परिलक्षित होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति एवं विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियाँ जैसी नीतियां जारी की गई हैं।

चित्र XII : पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता



राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति–2024, अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने, अभिनव भंडारण समाधानों को एकीकृत करने तथा स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। राज्य के प्रचुर सौर एवं पवन संसाधन तथा सहायक नीतियां, इसे भारत के सतत् ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी बनाती हैं। यह दूरदर्शी नीति भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट अक्षय क्षमता को अर्जित करने के साथ संबद्ध है, जो सतत् विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रतिराज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति–2025, सुव्यवस्थित रीसाइक्लिंग और मैटीरियल रिकवरी के माध्यम से वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और शहरी पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करने पर केन्द्रित है। इस नीति द्वारा वाहनों के डी–रजिस्ट्रेशन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण का भार कम किया जा रहा है तथा परिवहन में सर्क्युलर इकोनॉमी के व्यवहारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राजस्थान ने, सतत् तथा समावेशी विकास को अर्जित करने के लिए अपनी विकास रणनीतियों को सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के साथ एकीकृत किया है। राज्य संकेतक फ्रेमवर्क 3.0 के आधार पर राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट का नवीनतम सप्तम संस्करण जारी किया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने सुदृढ़ संस्थागत मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से 188 संकेतकों में से 33 संकेतकों के लक्ष्यों को अर्जित कर लिया गया है एवं 63 संकेतकों के लक्ष्यों को अर्जित करने में 'On Track' है।

ग्रामीण विकास

राज्य ने समेकित एवं विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त सशक्त बनाया है, आजीविका के अवसरों को बढ़ाया है, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार किया है तथा महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है। सहभागी योजना निर्माण और केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के प्रभावी समन्वय से जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था एवं सेवा वितरण में सुधार हुआ है।

चित्र XIII : महिला–नेतृत्व हेतु आजीविका पहलें (2025–26)



12.98 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया



13,157 महिलाएं, लेनदेन राशि ₹671.07 करोड़





50 ड्रोन तैनात किए गए, लगभग 12,500 एकड़ क्षेत्र कवर किया गया



कुल 37,369 पशु सखी एवं 36,787 कृषि सखी कार्यरत

राजीविका के माध्यम से कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों ने आय सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महिला केन्द्रित प्रमुख नवाचारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, तकनीक अपनाने एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

चित्र XIV : एन.आर.एल.एम. (राजीविका) के अंतर्गत आजीविका संवर्धन



ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हेतु सुरक्षित आवास की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.)** अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर, तक) कुल 1.08 लाख नये आवासों का निर्माण किया गया है। **पण्डित दीन दयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना** अन्तर्गत 22 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** द्वितीय फेज के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर, 2025 तक) कुल 1.05 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 2,205 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया, तथा 414 गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया एवं कुल ₹100.67 करोड़ व्यय किए गए हैं।

ड्रॉन आधारित सर्वेक्षणों और डिजीटल सम्पत्ति अभिलेखों के माध्यम से ग्रामीण भूमि शासन को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) स्वामित्व योजना के अन्तर्गत 4.13 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। ग्रामीण ज्ञान अवसंरचना को मजबूत करने एवं युवाओं के क्षमता निर्माण हेतु 1607 **अटल ज्ञान केन्द्रों** हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

शहरी विकास

राज्य, शहरी क्षेत्रों के विकास की दिशा में सतत प्रयासरत है, जहां किफायती आवास, स्मार्ट टाउनशिप, बेहतर सेवाएँ और 5R दृष्टिकोण– Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Remove, के माध्यम से स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाता है। राज्य शहरी नियोजन और शासन में जी.आई.एस, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई) जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। इसके साथ–साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, हरित सार्वजनिक स्थलों के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान ने शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा विकसित किया है, जिसमें शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार न्यास, राजस्थान आवासन मंडल और जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जैसे निकाय शामिल हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर जैसे शहरों में विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों, फ्लाईओवर, पार्कों, आवास तथा अन्य नागरिक अवसंरचना के लिए बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय का प्रबंधन करते हैं।

स्थानिक दृष्टि से राजस्थान में शहरीकरण कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे जिलों में केंद्रित है, जहाँ शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, जबकि जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर जैसे जिलों में शहरी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण पुरुषों में रोजगार तथा महिलाओं में विवाह है। शहरी राजस्थान में आवासीय परिस्थितियाँ तुलनात्मक रूप से अनुकूल हैं, जहाँ लगभग 68.9 प्रतिशत मकान "अच्छी" स्थिति में वर्गीकृत हैं, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति–2025 को शहरी विकास एवं विभाग द्वारा 10 दिसम्बर, 2025 को प्रारम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन योजना के एकीकरण के माध्यम से सतत एवं सघन शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति का उदेश्य ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, शहरी विस्तार तथा निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना तथा आवागमन सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाना हैं।

राजस्थान टाउनशिप नीति, 2024 को राजस्थान में संतुलित शहरी विस्तार, बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा 17 जुलाई, 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति के माध्यम से आवास, अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधाओं से सुसज्जित, बड़े स्तर की आत्मनिर्भर टाउनशिपों को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। यह नीति परिधीय एवं नए विकास क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित कर मौजूदा शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करने का प्रयास करती है।

राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 में सामाजिक, सार्वजनिक, चेरिटेबल व धार्मिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी निवेशकों, कम्पनियों, ट्रस्ट, सरकारी विभागों, उपक्रमों एवं निकायों, समाचार पत्रों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन हेतु प्रावधानों को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत राजस्थान में 2.7 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.3 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

चित्र XV : शहरी विकास के त्वरक



राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) के चरण–III के अंतर्गत 12 शहरों में सीवरेज, जलापूर्ति एवं ड्रेनेज से जुड़े ₹4,000 करोड़ से अधिक के कार्य शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 18 लाख लोगों को लाभ मिला है। वहीं चरण–IV (ट्रैंच–I एवं II) के अंतर्गत अनुमानित रूप से लगभग 49 लाख जनसंख्या को लाभान्वित किए जाने की अपेक्षा है। **अमृत 2.0** के अंतर्गत राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज, जलापूर्ति तथा जलाशयों और पार्कों के पुनरूद्धार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है। **स्मार्ट सिटी मिशन** का क्रियान्वयन जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में किया जा रहा है, जिसके लिए कुल ₹4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा दिसंबर 2025 तक लगभग ₹3,862 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। राजस्थान में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने परियोजनाओं एवं एजेंटों के पंजीकरण तथा शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से आवासीय बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ किया है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0 के अंतर्गत राजस्थान ने सभी शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) में खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) की स्थिति प्राप्त कर ली है। इसके तहत 3.68 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों तथा 22,500 से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय अवसंरचना तथा सूचना–शिक्षा–संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों पर अधिक ध्यान देता है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति प्लेट ₹8 में सब्सिडी वाले भोजन की सुविधा दी जाती है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ₹22 की सब्सिडी प्रदान की जाती है। लगभग एक हजार रसोईयों के माध्यम से दिसंबर, 2025 तक लगभग 11 करोड़ थालियॉ परोसी जा चुकी है।

प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं

राजस्थान में डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रभावी शासन व्यवस्था निरंतर विकसित हो रही है, जो सरकारी विभागों के कंप्युटरीकरण से लेकर शासन के अंतिम बिंदुओं तक पहुंचने वाली पहल का हिस्सा बन चुका है। लोक सेवा प्रदायगी में पहुंच को सुधारने और बाधाओं को कम करने के लिए जन आधार के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) इस दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। **जन आधार** (एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान) योजना के अन्तर्गत 2.06 करोड़ परिवारों के 7.95 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का नामांकन किया गया है। 165 से अधिक सार्वजनिक लाभ योजनाओं को एकीकृत करके ₹1.29 लाख करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण किया जा चुका है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने के लिए **स्मार्ट** की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य डेटा रिपॉजिटरी को केंद्रीकृत कर योजनाओं एवं पात्रताओं की एक एकीकृत लेजर तैयार करना है, ताकि पात्र लाभार्थी सहजता से लाभ प्राप्त कर सकें। **राजस्थान संपर्क 2.0** उन्नत एवं केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। वर्ष 2025 में राजस्थान सम्पर्क (181) पर दर्ज 33.88 लाख परिवादों में से 98 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है।

आम जन को घर के समीप सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए वैधानिक रूप से अनुमत 78,000 ई–मित्र केंद्र स्थापित किए गए हैं। जन सूचना पोर्टल पर 117 विभागों, 351 योजनाओं एवं 749 प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। राज किसान साथी पोर्टल पर 2.1

लाख लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड किए गए हैं। किसानों ने राज किसान साथी पोर्टल की सुविधा का उपयोग करके 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनीकिट्स एवं 1.35 लाख से अधिक बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के नमूने प्राप्त किये हैं।

निर्णय–निर्माण को सुदृढ़ करने तथा कागज–रहित कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए **राज–काज** डिजिटल प्लेटफॉर्म (ई–ऑफिस प्रणाली) विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक 42 लाख से अधिक ई–फाइलें बनाई जा चुकी हैं। राज ई–साइन एक कागज–रहित एवं पारदर्शी प्रणाली है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन 70,000 से अधिक दस्तावेजों पर ई–हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। राजमेल के अन्तर्गत 57.48 लाख अकाउन्ट बनाए जा चुके हैं। **अभय कमांड सेंटर** के एक एकीकृत जीपीएस समाधान है जिसके तहत 26 जिलों में 25,159 कैमरे स्थापित किए गए हैं।

चित्र XVI : प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं के लिए पहल



एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) 3.0 को अपनाने से बजट निर्माण की प्रक्रियाएँ अधिक प्रभावी हुई हैं, जिससे नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार हुआ है तथा खातों का वास्तविक समय में मिलान (रीयल–टाइम रिकॉन्सिलिएशन) संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली ने सूचना प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया है,समयबद्ध खातों को तैयार करने में सटीकता को बढ़ाया है और सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता तथा कुशलता में सुधार किया है।

राजस्थान एआई / एमएल नीति 2026 6 जनवरी, 2026 को यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, नए रोजगार अवसरों के सृजन तथा एआई के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। **राजस्थान एवीजीसी–एक्सआर नीति 2024** नवाचार, रचनात्मक उद्यमिता और उच्च–कौशल डिजिटल रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी उद्योगों को बढ़ावा देती है।

पंच गौरव कार्यक्रम

चित्र XVII : पंच गौरव



राज्य सरकार ने वर्ष 2025–26 में 'पंच गौरव' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की क्षमता और विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उत्पादों / स्थलों का चयन करके प्रत्येक जिले को एक अनूठी पहचान प्रदान करना और उनके संरक्षण, संवर्धन और विकास के माध्यम से जिलों को एक मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 'पंच गौरव' पहल के तहत प्रत्येक जिले के लिए पांच प्रमुख तत्व निर्धारित किए गए हैं: एक जिला–एक उत्पाद; एक जिला–एक फसल; एक जिला–एक वनस्पति प्रजाति; एक जिला–एक खेल; और एक जिला–एक पर्यटन स्थल।

पंच गौरव कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंच गौरव समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2025–26 में 'पंच गौरव' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ₹100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

तालिका II : जिलेवार चिह्नित पंच गौरव की सूची

क्र.सं.	जिला	उपज	वनस्पति प्रजाति	उत्पाद	पर्यटन स्थल	खेल
1.	अजमेर	गुलाब	नीम	ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद	पुष्कर तीर्थ	कबड्डी
2.	अलवर	प्याज	अर्जुन	ऑटामोबाइल पार्ट्स	सरिस्का टाईगर रिजर्व	कुश्ती
3.	बालोतरा	अनार	रोहिड़ा	टैक्सटाइल उत्पाद	नाकोड़ा जैन मंदिर	क्रिकेट
4.	बांसवाड़ा	आम	सागवान	मार्बल के उत्पाद	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर	तीरंदाजी
5.	बारां	लहसुन	चिरौंजी	लहसुन के उत्पाद	रामगढ़ क्रेटर	फुटबॉल
6.	बाड़मेर	ईसबगोल	रोहिड़ा	कशीदाकारी	किराडू मंदिर	बास्केटबॉल
7.	ब्यावर	गेंहू	करंज	क्वार्ट्ज एवं फेल्डस्पार पाउडर	टोडगढ़ पहाड़ी	हॉकी
8.	भरतपुर	शहद	कदम्ब	कृषि आधारित उत्पाद	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	कुश्ती
9.	भीलवाड़ा	संतरा	अर्जुन	टेक्सटाईल उत्पाद	माण्डलगढ़ किला	बास्केटबॉल
10.	बीकानेर	मोठ	रोहिड़ा	बीकानेरी नमकीन	करणी माता मंदिर	तीरंदाजी
11.	बून्दी	चावल	धोक	सेन्ड स्टोन	रामगढ़ विषधारी टाईगर रिज़र्व	कबड्डी
12.	चित्तौड़गढ़	सीताफल	बिल्व पत्र	ग्रेनाईट एवं मार्बल के उत्पाद	चित्तौडगढ़ दुर्ग	कबड्डी
13.	चूरू	ग्वारपाठा	खेजड़ी	लकड़ी के उत्पाद	सालासर बालाजी मंदिर	एथलेटिक्स
14.	दौसा	सौंफ	ढाक	पत्थर के उत्पाद	मेहंदीपुर बालाजी मंदिर	फुटबॉल
15.	डीडवाना –कुचामन	प्याज	खेजड़ी	मार्बल एवं ग्रेनाईट के उत्पाद	डीडवाना झील	बास्केटबॉल
16.	डीग	सरसों	अर्जुन	स्टोन आधारित उत्पाद	डीग महल	कुश्ती
17.	धौलपुर	आलू	करंज	स्टोन आधारित उत्पाद	मचकुण्ड	हॉकी
18.	डूंगरपुर	आम	सागवान	मार्बल के उत्पाद	बेणेश्वर धाम	हॉकी
19.	हनुमानगढ़	किन्नू	शीशम	कृषि आधारित उत्पाद	गोगामेड़ी मंदिर	हॉकी
20.	जयपुर	आंवला	लिसोड़ा	रत्नाभूषण	आमेर दुर्ग	कबड्डी
21.	जैसलमेर	खजूर	जाल	येलो स्टोन के उत्पाद	जैसलमेर दुर्ग	जिमनास्टिक
22.	जालौर	अनार	जाल	ग्रेनाईट के उत्पाद	सुँधा माता मंदिर	बॉक्सिंग
23.	झालावाड़	संतरा	सागवान	कोटा स्टोन के उत्पाद	गागरोन दुर्ग	बास्केटबॉल

क्र.सं.	जिला	उपज	वनस्पति प्रजाति	उत्पाद	पर्यटन स्थल	खेल
24.	झुन्झुनू	सरसों	नीम	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद	लोहार्गल तीर्थ	बास्केटबॉल
25.	जोधपुर	जीरा	जाल	लकड़ी के फर्नीचर	मेहरानगढ़ दुर्ग	जिमनास्टिक
26.	करौली	तिल	बरगद	सेण्ड स्टोन के उत्पाद	कैलादेवी मंदिर	क्रिकेट
27.	खैरथल–तिजारा	प्याज	शीशम	ऑटोमोबाईल पार्ट्स	तिजारा जैन मंदिर	कुश्ती
28.	कोटा	धनिया	खैर	कोटा डोरिया	चम्बल रिवर फ्रंट	कुश्ती
29.	कोटपूतली–बहरोड़	गाजर	गूगल	ऑटोमोबाईल पार्ट्स	बैराठ	कुश्ती
30.	नागौर	मूंग	खेजडी	पान मैथी एवं मसाला प्रसंस्करण	मीराबाई स्मारक	कबड्डी
31.	पाली	मेंहदी	नीम	टेक्सटाईल के उत्पाद	रणकपुर जैन मंदिर	बास्केटबॉल
32.	फलौदी	जीरा	जाल	सोनामुखी के उत्पाद	खींचन	एथलेटिक्स
33.	प्रतापगढ़	कलौंजी	तेंदू	थेवा आभूषण	सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण	तीरंदाजी
34.	राजसमन्द	सीताफल	नीम	ग्रेनाईट एवं मार्बल के उत्पाद	कुम्भलगढ़ किला	हॉकी
35.	सलूम्बर	मक्का	पलाश	क्वार्ट्ज	जयसमंद झील	कबड्डी
36.	सवाई माधोपुर	अमरूद	नीम	मार्बल के उत्पाद	रणथम्भौर नेशनल पार्क	फुटबॉल
37.	सीकर	प्याज	अरडू	लकड़ी के फर्नीचर	खाटूश्याम जी मंदिर	बास्केटबॉल
38.	सिरोही	सौंफ	महुआ	मार्बल के उत्पाद	देलवाड़ा जैन मंदिर	तीरंदाजी
39.	श्रीगंगानगर	किन्नू	शीशम	सरसों का तेल	बूढ़ा जोहड़	एथलेटिक्स
40.	टोंक	सरसों	अमलतास	स्लेट स्टोन के उत्पाद	डिग्गी कल्याण जी	एथलेटिक्स
41.	उदयपुर	सीताफल	महुआ	मार्बल एवं ग्रेनाईट के उत्पाद	फतेहसागर एवं पिछोला झील	तैराकी

01 कृषि–खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ हैं, जो सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.), रोजगार सृजन और ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह क्षेत्र खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, विभिन्न सहायक आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने तथा विविध कृषि–जलवायु परिस्थितियों, सीमित जल उपलब्धता और जलवायु परिवर्तनशीलता के उच्च जोखिम से युक्त राज्य में ग्रामीण विकास को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। राजस्थान की अधिकांश आबादी ग्रामीण होने और आय व रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर होने के कारण, समावेशी, सुदृढ़ एवं सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने हेतु कृषि–खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण अत्यंत आवश्यक है।

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक योगदान है, जो इनकी निरंतर आर्थिक प्रासंगिकता को दर्शाता है। इस क्षेत्र ने वर्तमान तथा स्थिर दोनों मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो उत्पादकता में सुधार, विविधीकरण और संस्थागत समर्थन में सुधार द्वारा सतत विकास को प्रतिबिंबित करती है। फसल एवं पशुधन का कृषि उत्पाद में प्रमुख योगदान है, जबकि मत्स्य पालन, वानिकी एवं लॉगिंग आय के विविधीकरण और रोजगार सृजन में, विशेष रूप से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में व्यापक रूप से अपनाई गई मिश्रित कृषि पद्धतियों ने जलवायु तथा बाजार संबंधी जोखिमों के विरुद्ध सहनशीलता को सुदृढ़ किया है और कृषक परिवारों के लिए विविध आय स्रोतों को समर्थन प्रदान किया है।

राजस्थान की कृषि प्रणालियाँ शुष्क एवं अर्ध–शुष्क परिस्थितियों, खंडित जोतों, मृदा क्षरण तथा जल अभाव जैसी प्राकृतिक बाधाओं के अंतर्गत संचालित होती हैं। इसके प्रत्युत्तर में कुशल संसाधन प्रबंधन, सतत भूमि उपयोग तथा जलवायु–सहिष्णु कृषि पद्धतियों पर विशेष बल दिया गया है। मृदा परीक्षण के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जैव–उर्वरकों एवं जैविक इनपुट्स का संवर्धन सतत कृषि विकास की आधारशिला है। वर्षा–आधारित एवं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता परस्पर जुड़ी हुई हैं।

पशुधन राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और विशेषकर शुष्क एवं सूखा–प्रभावित क्षेत्रों में आय की स्थिरता प्रदान करता है। राज्य का राष्ट्रीय पशुधन आबादी में महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा दुग्ध एवं ऊन उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पशुधन विकास के प्रयासों में नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार, रोग नियंत्रण, चारा विकास तथा स्वदेशी नस्लों का संरक्षण शामिल है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पशुपालन समावेशी ग्रामीण विकास का एक प्रमुख चालक बनकर उभरा है, जो सुनिश्चित बाजार उपलब्धता, नियमित आय और महिलाओं की सशक्त भागीदारी प्रदान करता है। मत्स्य पालन विकास भी एक सम्बद्ध गतिविधि के रूप में महत्व प्राप्त किया है, जो जल निकायों के उपयोग के माध्यम से आजीविका, रोजगार और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

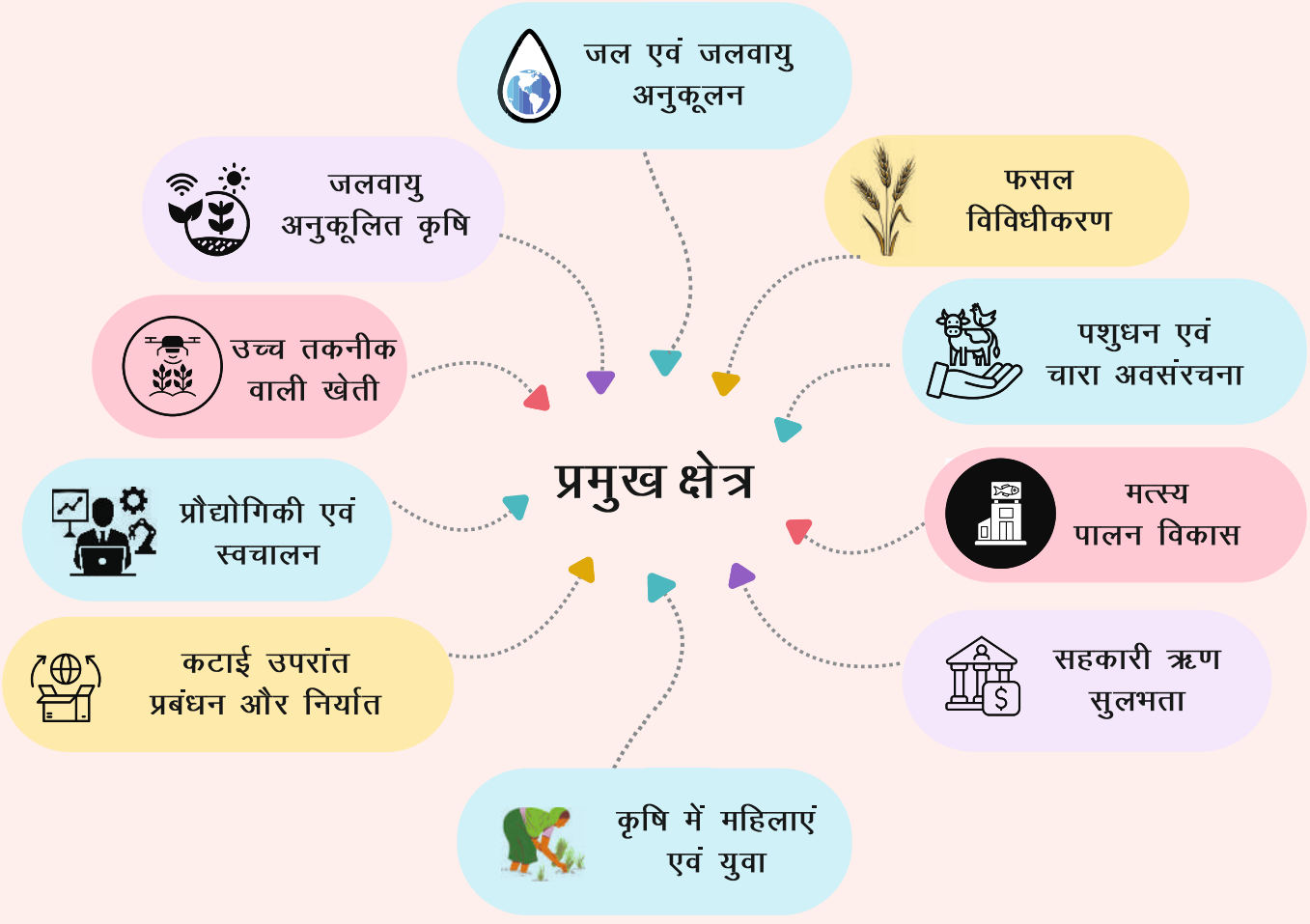
राजस्थान में कृषि–खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण के तहत किया जा रहा है जो उत्पादन को फसल कटाई–पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन से जोड़ता है। सिंचाई अवसंरचना को सुदृढ़ करना, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना, भंडारण एवं भण्डार सुविधाओं का विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा कृषि विपणन प्रणालियों में सुधार करना फसल कटाई–पश्चात नुकसान को कम करने और मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत समर्थन, किफायती ऋण तक पहुँच, फसल बीमा के माध्यम से जोखिम कम करना तथा कृषि सेवाओं में डिजिटल एकीकरण इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं।

दृष्टि वक्तव्य – विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक राजस्थान भारत का अग्रणी कृषि शक्ति बनेगा, जिससे बेहतर उत्पादकता, किसानों की आय और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि होगी।

हम पशुधन सशक्तिकरण, सहकारी संचालित अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत कृषि–प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समतापूर्ण ग्रामीण विकास की परिकल्पना करते हैं। संतृप्ति–आधारित जलग्रहण हस्तक्षेप, वनरोपण, जैव–विविधता संरक्षण और जलवायु–अनुकूलित कृषि द्वारा क्षरित भूमि का पुनर्स्थापन एवं जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म–सिंचाई, कटाई उपरांत नवाचारों स्वशासी प्रक्षेत्र प्रक्रियाओं की समन्वित प्रथाओं द्वारा राजस्थान एक आत्मनिर्भर, अनुकूलित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा, जो राष्ट्रीय समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को संवर्धित करेगी।

चित्र 1.1

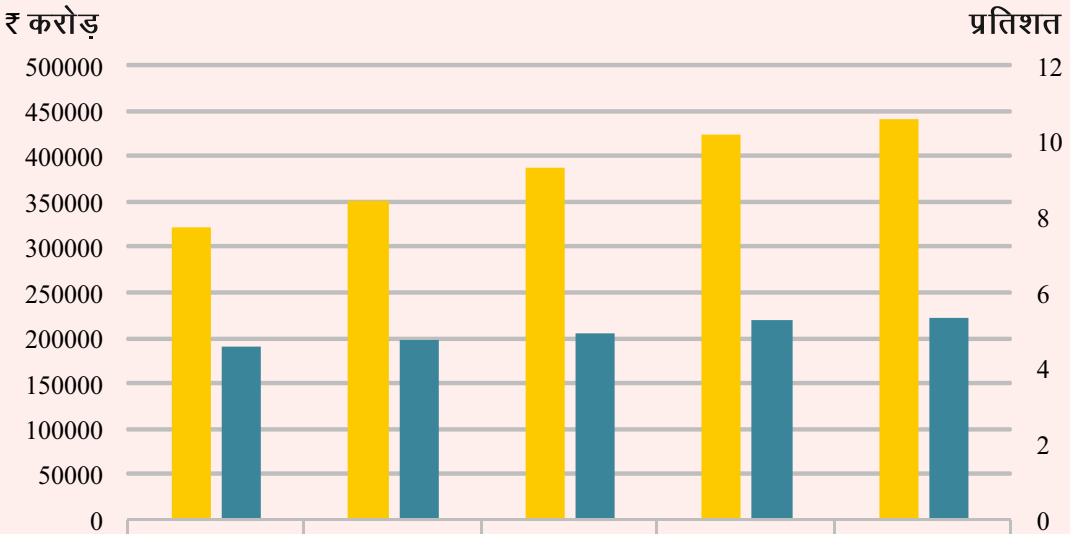


कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और वृद्धि

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) वर्ष 2021–22 के ₹1.92 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025–26 में ₹2.23 लाख करोड़ हो गया, जो स्थिर (2011–12) कीमतों पर 3.82 प्रतिशत की वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) को दर्शाता है, जबकि प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का जी.वी.ए. वर्ष 2021–22 के ₹3.23 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025–26 में ₹4.41 लाख करोड़ हो गया जो कि 8.10 प्रतिशत सी.ए.जी.आर की वृद्धि को दर्शाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जी.वी.ए. एवं वृद्धि दर को प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर चित्र 1.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.2

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) एवं वृद्धि दर



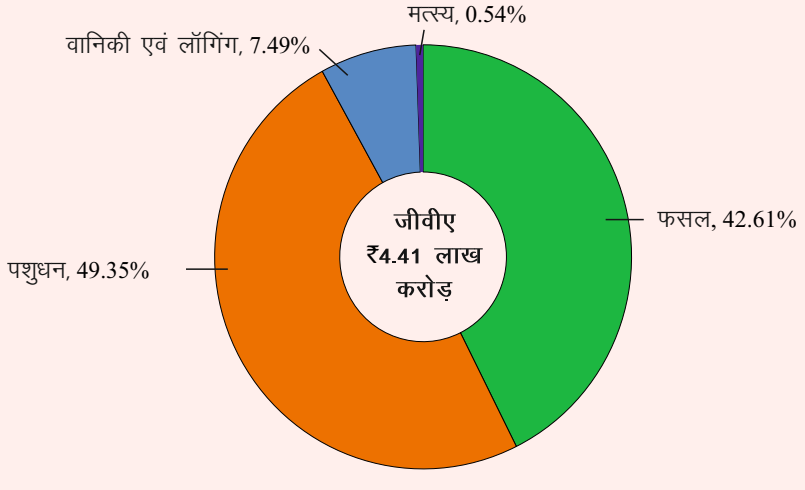
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (अ.)
जीवीए प्रचलित कीमतों पर	322739	351121	388438	425904	440702
जीवीए स्थिर कीमतों पर	191571	199619	206474	222073	222550
वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर	10.28	8.79	10.63	9.65	3.47
वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर	2.50	4.20	3.43	7.56	0.22

नोट–वर्ष 2023–24 संशोधित अनुमान (द्वितीय), 2024–25 संशोधित अनुमान (प्रथम) एवं 2025–26 अग्रिम अनुमान

वर्ष 2025–26 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का राजस्थान के सकल मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) में 25.74 प्रतिशत योगदान है, जो कि वर्ष 2011–12 में 28.56 प्रतिशत था। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में फसल, पशुधन, मत्स्य, वानिकी एवं लॉगिंग शामिल हैं। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के योगदान को चित्र 1.3 में दर्शाया गया है।

चित्र1.3

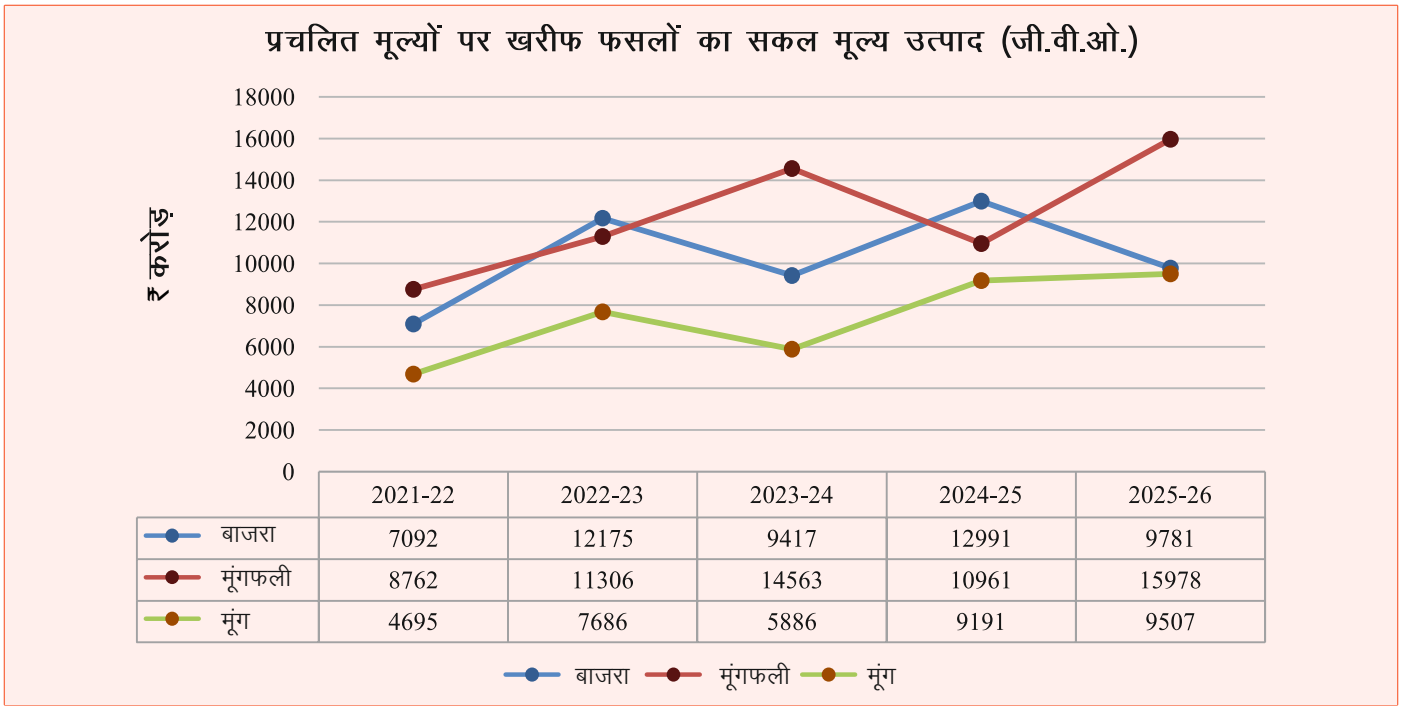
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025–26 (अग्रिम अनुमान) में योगदान



वृद्धि के सन्दर्भ में, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वर्ष 2024–25 की तुलना में वर्ष 2025–26 में 0.22 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई है। वर्ष 2025–26 के दौरान फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र में क्रमशः –5.01 प्रतिशत, 5. 20 प्रतिशत, 2.67 प्रतिशत एवं 0.87 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

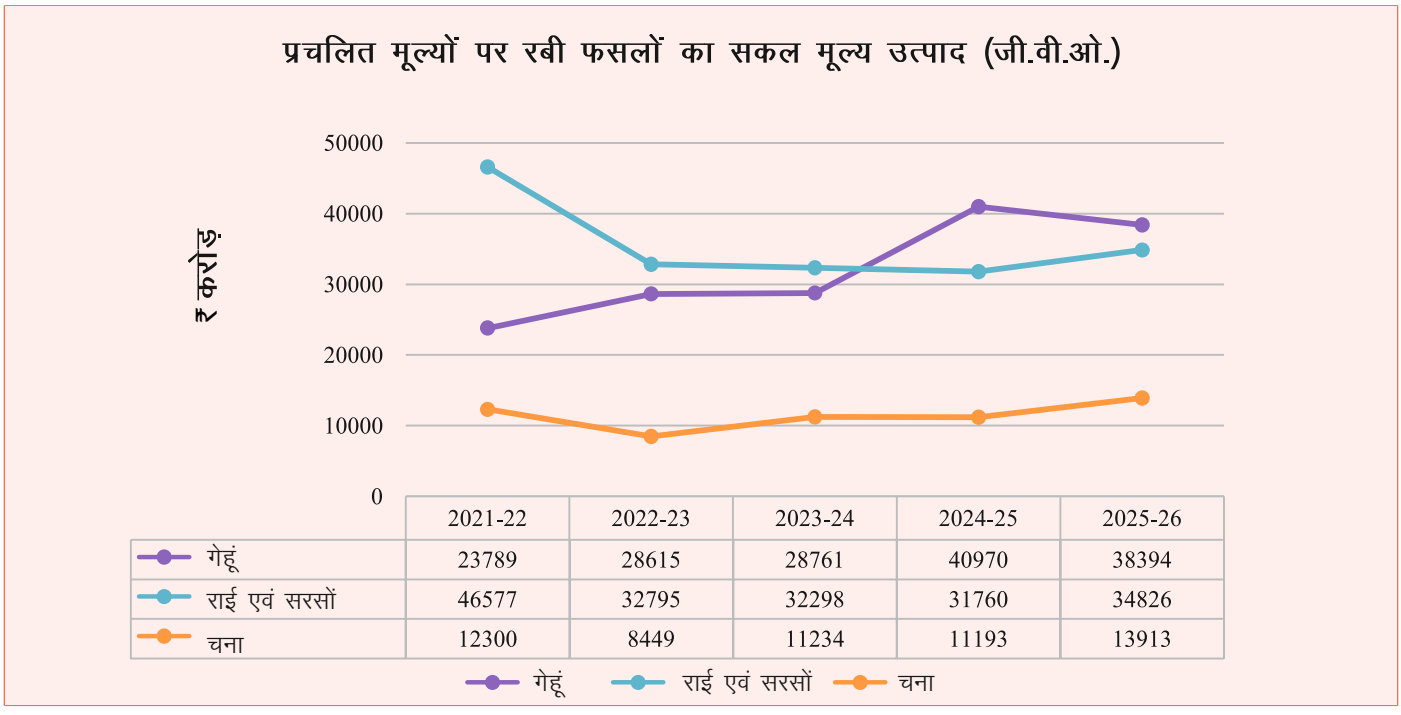
वर्ष 2025–26 में फसल क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर ₹1.88 लाख करोड़ रहा है। राज्य में खरीफ फसलों में बाजरा, मूंगफली और मूंग प्रमुख फसलें हैं जबकि रबी फसल क्षेत्र की आय में गेहूं, राई एवं सरसों तथा चना का प्रमुख योगदान रहा है। इन फसलों के पिछले 5 वर्षों के सकल मूल्य उत्पाद को चित्र 1.4 और 1.5 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.4



	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
बाजरा	7092	12175	9417	12991	9781
मूंगफली	8762	11306	14563	10961	15978
मूंग	4695	7686	5886	9191	9507

चित्र 1.5

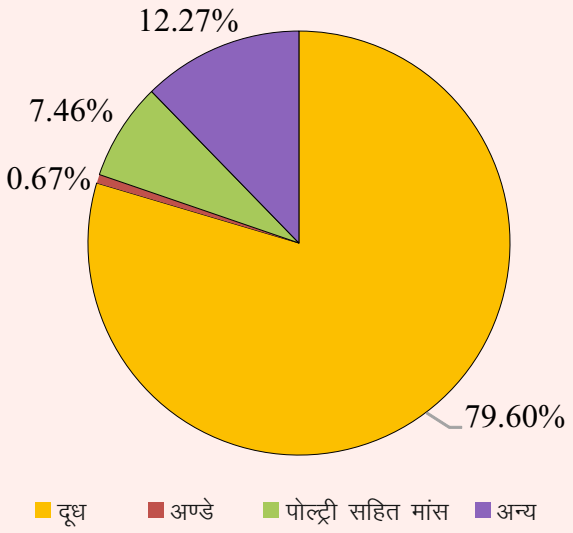


	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
गेहूं	23789	28615	28761	40970	38394
राई एवं सरसों	46577	32795	32298	31760	34826
चना	12300	8449	11234	11193	13913

वर्ष 2025–26 में पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर ₹2.17 लाख करोड़ रहा, जो कि फसल क्षेत्र से भी अधिक है। पशुधन क्षेत्र की आय में दूध का प्रमुख योगदान है। लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से पोल्ट्री और अंडा क्षेत्रों के योगदान को और अधिक विविध बनाने तथा बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। वर्ष 2025–26 में प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों के योगदान प्रतिशत को चित्र 1.6 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.6

प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025–26 में सकल मूल्य उत्पाद (जी.वी.ओ.) में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा



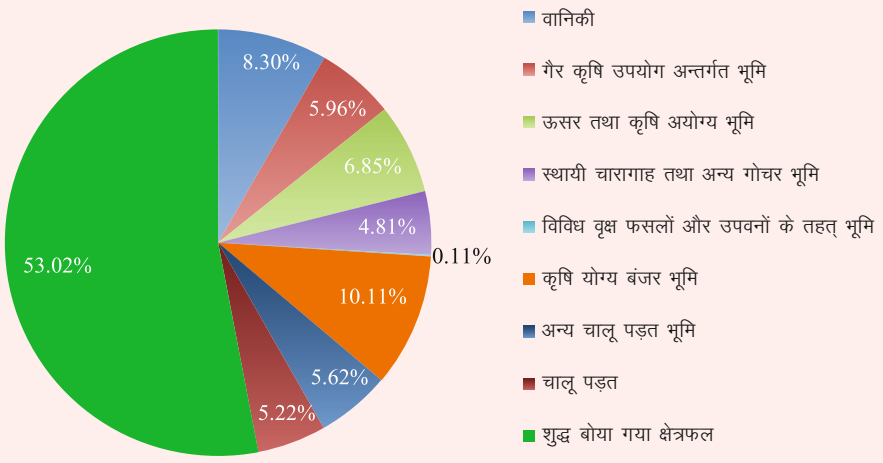
समृद्ध कृषि के लिए कुशल भूमि उपयोग और फसल पैटर्न

राजस्थान में शुष्क जलवायु, सीमित कृषि योग्य भूमि और जल संकट के कारण समृद्ध खेती के लिए कुशल भूमि उपयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रमुख रणनीतियों में ड्रिप सिंचाई जैसी जल–संरक्षण तकनीकों को अपनाना, सूखा–प्रतिरोधी फसलों (जैसे बाजरा, दालें आदि) को बढ़ावा देना तथा पशुपालन के साथ कृषि वानिकी को एकीकृत करना शामिल है। फसल चक्र, शून्य जुताई (पड़त भूमि) और वर्षा जल संचयन जैसी सतत कृषि पद्धतियाँ मिट्टी के क्षरण को रोकने और उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

वर्ष 2024–25 में राज्य का रिर्पोटिंग क्षेत्र 343.43 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 53.02 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जिसे चित्र 1.7 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.7

भू–उपयोग सांख्यिकी 2024–25 (प्रावधानिक)



प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना 2015–16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 68.88 लाख थी अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (तालिका–1.1)। सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े श्रेणियों की वर्गीकृत भूमि जोत, कुल जोतों का क्रमशः 40.12 प्रतिशत, 21.90 प्रतिशत, 18.50 प्रतिशत, 14.79 प्रतिशत एवं 4.69 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है व बड़े आकार वर्गों की जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि विखंडन में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2010–11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015–16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया, अर्थात् जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

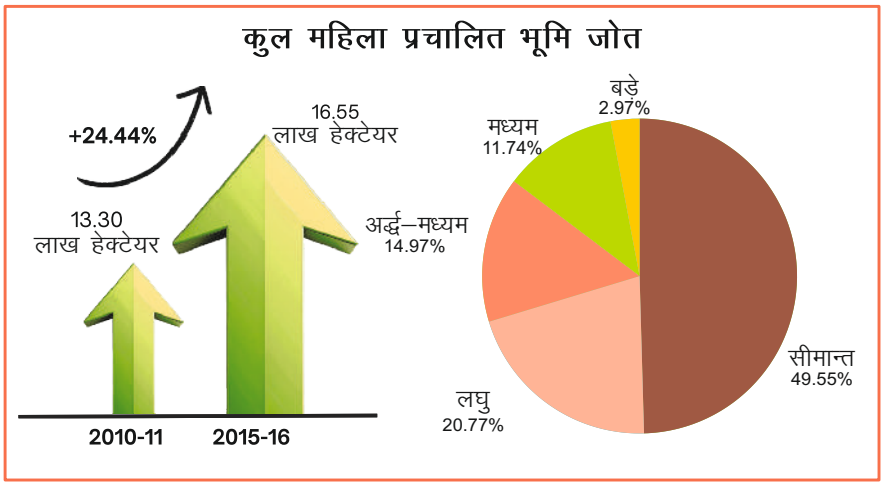
वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमान्त, लघु व अर्द्ध मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल में क्रमशः 19.79 प्रतिशत, 10.50 प्रतिशत व 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (तालिका–1.1)। इसके विपरीत बड़े आकार एवं मध्यम आकार की जोतों के कुल क्षेत्रफल में क्रमशः 13.20 प्रतिशत एवं 0.27 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। कृषि गणना 2015–16 के अनुसार राज्य में प्रचालित भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा है जो वर्ष 2010–11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो 11.07 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

महिला प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना 2015–16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 5.46 लाख थी अर्थात् महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (तालिका–1.1)।

राज्य में वर्ष 2010–11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया, अर्थात् महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका–1.1)।

चित्र 1.8



राज्य में कृषि–जलवायु क्षेत्र

राजस्थान को विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण, 10 कृषि–जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जलवायु, मिट्टी के प्रकार, स्थलाकृति और फसल पैटर्न के आधार पर जलवायु राज्य के उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र में 61 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी या अर्द्ध–रेगिस्तानी है, जो वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र जो राज्य का 39 प्रतिशत हिस्सा उपजाऊ है। विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों का विवरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

प्रमुख फसलों का उत्पादन और उत्पादकता

भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में राजस्थान का कृषि परिदृश्य अत्यंत विविधतापूर्ण है। राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों को मुख्य रूप से खरीफ फसलें (जैसे बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास), रबी फसलें (जैसे गेहूं, सरसों, जौ, चना) और नकद फसलें व मसाले (जैसे ग्वार, जीरा, धनिया, मेथी) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

राज्य में कृषि उत्पादन मुख्य रूप से मानसून के समय पर आगमन पर निर्भर करता है। खरीफ मौसम में उत्पादन और उत्पादकता न केवल वर्षा की मात्रा पर बल्कि वर्षा के उचित और समान वितरण, समय की अवधि और इसकी तीव्रता पर भी निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए खरीफ और रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन की विस्तृत स्थिति तालिका 1.3 में दिखाई गई है।

तालिका 1.1 : कृषि गणना 2015–16

आकार वर्ग/समूह एवं लिंग के अनुसार प्रचालित जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल (समस्त सामाजिक वर्ग)								
क्र.स.	आकार वर्ग (हेक्टेयर मे)	लिंग	प्रचालित भूमि जोतों की संख्या ('000 में)			जोतों का संचालित क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर में)		
			2010-11	2015-16	% विचलन	2010-11	2015-16	% विचलन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीमान्त (1.0 हेक्टेयर से कम)	पुरुष	2268	2683	18.30	1120	1304	16.43
		स्त्री	239	384	60.67	116	177	52.59
		संस्थागत	4	4	0.00	2	2	0.00
योग			**2511**	**3071**	**22.30**	**1238**	**1483**	**19.79**
2	लघु (1.0–2.0 हेक्टेयर)	पुरुष	1389	1514	9.00	1988	2158	8.55
		स्त्री	120	161	34.17	171	227	32.75
		संस्थागत	2	2	0.00	3	4	33.33
योग			**1511**	**1677**	**10.99**	**2162**	**2389**	**10.50**
3	अर्द्ध–मध्यम (2.0–4.0 हेक्टेयर)	पुरुष	1240	1297	4.60	3509	3655	4.16
		स्त्री	92	116	26.09	258	325	25.97
		संस्थागत	3	3	0.00	7	8	14.29
योग			**1335**	**1416**	**6.07**	**3774**	**3988**	**5.67**
4	मध्यम (4.0–10.0 हेक्टेयर)	पुरुष	1051	1038	-1.24	6459	6334	-1.94
		स्त्री	74	91	22.97	445	549	23.37
		संस्थागत	2	3	50.00	14	16	14.29
योग			**1127**	**1132**	**0.44**	**6918**	**6899**	**-0.27**
5	बड़े (10.0 हेक्टेयर से अधिक)	पुरुष	381	334	-12.34	6621	5657	-14.56
		स्त्री	21	23	9.52	340	377	10.88
		संस्थागत	2	2	0.00	83	80	-3.61
योग			**404**	**359**	**-11.14**	**7044**	**6114**	**-13.20**
समस्त वर्ग		पुरुष	6329	6866	8.48	19697	19108	-2.99
		स्त्री	546	775	41.94	1330	1655	24.44
		संस्थागत	13	14	7.69	109	110	0.92
योग			**6888**	**7655**	**11.14**	**21136**	**20873**	**-1.24**

तालिका 1.2 : राजस्थान में कृषि–जलवायु क्षेत्र

क्र. स.	क्षेत्र का नाम	सम्मिलित जिले	मुख्य फसलें	
			खरीफ	रबी
1	शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-A)	जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर एवं बालोतरा	बाजरा, मोठ एवं तिल	गेहूं, सरसों एवं जीरा
2	उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र (I-B)	श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	कपास एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
3	अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-C)	बीकानेर, जैसलमेर एवं चुरू आंशिक (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील)	बाजरा, मोठ एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
4	अन्तः स्थलीय जलोत्सरण के अन्तर्वर्ती मैदानी क्षेत्र (II-A)	नागौर एवं डीडवाना–कुचामन, सीकर, झुन्झुनू, चुरू (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील छोड़कर)	बाजरा, ग्वार एवं दलहन	सरसों एवं चना
5	लूनी बेसिन का अन्तर्वर्ती मैदानी क्षेत्र (II-B)	जालोर, पाली, सिरोही (पिण्डवाड़ा, आबूरोड़ तहसील छोड़कर) एवं ब्यावर आंशिक (जैतारण एवं ब्यावर तहसील)	बाजरा, ग्वार एवं तिल	गेहूं एवं सरसों
6	अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-A)	जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ब्यावर (जैतारण, ब्यावर तहसील छोड़कर) खैरथल–तिजारा एवं कोटपुतली–बहरोड़	बाजरा, ग्वार एवं ज्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
7	बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-B)	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर एवं डीग	बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली	गेहूं, जौ, सरसों एवं चना
8	अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-A)	उदयपुर, चित्तौड़गढ़ (बड़ी सादड़ी तहसील छोड़कर) राजसमंद, भीलवाड़ा एवं सिरोही आंशिक (पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड तहसील)	मक्का, दलहन एवं ज्वार	गेहूं एवं चना
9	आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-B)	डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, एवं चित्तौड़गढ़ आंशिक (बड़ी सादड़ी तहसील)	मक्का, धान, ज्वार एवं उड़द	गेहूं एवं चना
10	आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V)	कोटा, झालावाड़ बूंदी एवं बारां	ज्वार एवं सोयाबीन	गेहूं एवं चना

तालिका 1.3 : राज्य में खरीफ और रबी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

फसल	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)			उत्पादन (लाख मैट्रिक टन में)		
	2023-24	2024-25 (अन्तिम)	2025-26 (अग्रिम)	2023-24	2024-25 (अन्तिम)	2025-26 (अग्रिम)
(अ) अनाज	93.39	105.55	96.73	207.64	267.82	236.85
खरीफ	59.47	63.86	56.44	77.07	94.19	69.03
रबी	33.92	41.69	40.29	130.57	173.63	167.82
(ब) दलहन	54.63	54.06	60.51	33.29	41.80	47.13
खरीफ	36.47	37.09	39.62	13.40	20.05	20.52
रबी	18.16	16.97	20.89	19.89	21.75	26.61
(अ+ब) खाद्यान्न	148.02	159.61	157.24	240.93	309.62	283.98
खरीफ	95.94	100.95	96.06	90.47	114.24	89.55
रबी	52.08	58.66	61.18	150.46	195.38	194.43
(स) तिलहन	66.46	60.98	62.83	101.27	93.73	100.46
खरीफ	24.52	25.73	26.84	37.29	38.23	41.23
रबी	41.94	35.25	35.99	63.98	55.50	59.23
(द) गन्ना	0.04	0.06	0.05	3.64	4.65	3.61
(य) कपास (रूई) *	10.04	6.27	6.44	26.21	17.88	17.94

* उत्पादन लाख गांठों में (प्रत्येक गांठ में 170 किलो)

वर्ष 2025–26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 283.98 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 8.28 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2025–26 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 89.55 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह 114.24 लाख मैट्रिक टन था। इस प्रकार इसमें 21.61 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं, वर्ष 2025–26 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 194. 43 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2024–25 के 195.38 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 0.49 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2025–26 में खरीफ अनाज का उत्पादन 69.03 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह 94.19 लाख मैट्रिक टन था। इस प्रकार इसमें 26.71 प्रतिशत कमी हुई है। वर्ष 2025–26 में रबी अनाज का उत्पादन 167.82 लाख मैट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2024–25 के 173.63 लाख टन की तुलना में 3.35 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2025–26 में खरीफ दलहन का उत्पादन 20.52 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है जबकि वर्ष 2024–25 में यह 20.05 लाख मैट्रिक टन था। इस प्रकार इसमें 2.34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2025–26 में रबी दलहन का उत्पादन 26.61 लाख मैट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2024–25 के 21.75 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 22.34 प्रतिशत अधिक है।

तिलहनों में खरीफ मौसम में मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं अरंडी तथा रबी मौसम में सरसों एवं तोरिया, तारामीरा एवं अलसी शामिल हैं। वर्ष 2025–26 में तिलहन उत्पादन 100.46 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2024–25 में यह 93.73 लाख मैट्रिक टन था इस प्रकार इसमें 7.18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025–26 में खरीफ तिलहन का उत्पादन 41.23 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है, जो वर्ष 2024–25 के 38.23 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 7.85 प्रतिशत अधिक है। वहीं, वर्ष 2025–26 में रबी तिलहन का उत्पादन 59.23 लाख टन होने की संभावना है जबकि वर्ष 2024–25 में यह 55.50 लाख टन था। इस प्रकार

इसमें 6.72 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

वर्ष 2025–26 में गन्ने का उत्पादन 3.61 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है जबकि वर्ष 2024–25 में यह 4.65 लाख मैट्रिक टन था। इस प्रकार इसमें 22.37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2025–26 में कपास का उत्पादन 17.94 लाख गांठें रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2024–25 के 17.88 लाख गांठों की तुलना में 0.34 प्रतिशत अधिक है।

गत पांच वर्षों में कृषि फसलों की उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4 : कृषि फसलों की उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर)

फसल	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अनाज	2423	2093	2220	2233	2537
दलहन	671	628	657	609	773
खाद्यान्न	1757	1486	1653	1628	1940
तिलहन	1523	1484	1449	1524	1537
गन्ना	79111	75852	89307	87155	76835
कपास (रूई)	675	558	579	444	484
ग्वार	458	419	540	513	662

प्रमुख कृषि फसलों में राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति

वर्ष 2023–24 में राजस्थान देश में बाजरा, राई एवं सरसों, कुल तिलहन, मोटे–अनाज और ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान, मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान तथा चना, कुल दलहन एवं सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है। प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति का विवरण तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5 : प्रमुख फसलों के उत्पादन में अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति

क्र. सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान (प्रतिशत में)
1.	राई एवं सरसों	राजस्थान	मध्यप्रदेश	उत्तर प्रदेश	43.43
2.	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात	41.34
3.	कुल तिलहन	राजस्थान	मध्यप्रदेश	गुजरात	23.61
4.	मोटा अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश	14.21
5.	ग्वार	राजस्थान	हरियाणा	गुजरात	88.80
6.	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	मध्यप्रदेश	19.91
7.	चना	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	17.39
8.	कुल दलहन	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	13.76
9.	सोयाबीन	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	8.96

स्रोतः – कृषि सांख्यिकी एक झलक 2024, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 1.6 में फल, सब्जियों और मसालो का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.6 : फल, सब्जियों और मसालो का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

वर्ष	फल			सब्जियां			मसाले		
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हेक्टेयर में)
2020-21	68883	906739	13163	189387	2185865	11542	962367	1180477	1227
2021-22	78137	956442	12240	204005	2374806	11640	811797	1044880	1287
2022-23	82331	906134	11006	192712	2334884	12116	922616	933317	1012
2023-24	88672	1197555	13506	193510	2711816	14014	684449	379720	555
2024-25	92993	1384606	14889	204755	2860484	13970	1364822	1469559	1077

चित्र 1.9 : किसानों के लिए एकीकृत सहायता प्रणाली



अ) बीज

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना

किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ एवं उड़द की 10 वर्षों तक की उन्नत किस्मों का बीज उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2025–26 के दौरान खरीफ एवं रबी मौसम में 1.13 लाख क्विंटल बीज के लक्ष्य के विरुद्ध 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गये हैं।

किसानों में, विभिन्न फसलों की नवीन जारी किस्मों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उन्हें निःशुल्क बीज मिनीकिट उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2025–26 के खरीफ एवं रबी मौसम में किसानों को कुल 31.50 लाख बीज मिनीकिट वितरित किए गए हैं।

उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य

राजस्थान के विविध कृषि–जलवायु क्षेत्रों में फसल उत्पादन को बढ़ाने और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों और जैविक उर्वरकों का संतुलित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में 4.79 लाख मृदा नमूने एकत्रित किए गए तथा 4.15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को जारी किए गए।

राज्य में किसानों को वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) 22.20 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 7.77 लाख मैट्रिक टन डी.ए.पी., 4.32 लाख मैट्रिक टन एस.एस.पी. और 2.53 लाख मैट्रिक टन एन.पी.के. की आपूर्ति की गई है।

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और किसानों में जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो–उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु 'गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद (वर्मी–कम्पोस्ट) का उत्पादन हेतु प्रति किसान ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राजकिसान पोर्टल पर 1.02 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके विरुद्ध दिसम्बर, 2025 तक 54,940 की प्रशासनिक स्वीकृतियां एवं 10,814 की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं।

कृषि क्लीनिक

किसानों को मृदा परीक्षण, फसल संबंधी जानकारी तथा कीट/रोग उपचार संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर कृषि क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024–25 में 20 कृषि क्लिनिक स्थापित किए गए हैं तथा वर्ष 2025–26 में 13 अतिरिक्त कृषि क्लिनिकों की स्थापना की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

नमो ड्रोन दीदी योजना : इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 1,070 कृषि ड्रोन तथा उनके परिवहन हेतु वाहन क्रय करने के लिए ऋण पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। नैनो यूरिया एवं कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन तकनीक का उपयोग उर्वरकों एवं कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी अनुप्रयोग सुनिश्चित करेगा। यह पहल पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करके कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगी।

पशु सखी और कृषि सखी : राजीविका की गतिविधियाँ मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। कुल 37,369 स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) की सदस्या पशु सखी के रूप में कार्यरत हैं तथा 36,787 स्वयं सहायता समूह की सदस्या कृषि सखी के रूप में कार्य कर रही हैं।

ब) कृषि ऋण

कृषि ऋण से तात्पर्य किसानों और व्यवसायों को कृषि गतिविधियों में सहयोग करने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं से है। यह किसानों को कृषि में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए इनपुट, उपकरण और अन्य बुनियादी ढाँचे खरीदने के लिए कोष प्रदान करता है। कृषि विकास को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए किफायती ऋणों तक पहुँच महत्वपूर्ण है।

सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास

राज्य में कुल 42,858 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनमें 23 संघ, 24 दुग्ध संघ, 38 उपभोक्ता थोक दुकानें, 9,086 प्राथमिक

कृषि ऋण सहकारी समितियां और 285 सामान्य विपणन तथा फल एवं सब्जी सहकारी विपणन समितियां शामिल हैं। वर्तमान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक अल्पकालिक कृषि ऋण एवं 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा ₹209.00 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध ₹95.13 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण, ₹783.79 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण (कृषि एवं गैर कृषि) तथा कुल ₹25,000 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध ₹18,085.89 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जा चुके हैं।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में 1,432 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.), 288 वृहद आदिवासी बहुउद्देशीय समिति (एल.ए.एम.पी.एस.) तथा 32 महिला बहुउद्देशीय समितियों के गठन की अनुमति प्रदान की गई है।

महिला सहकारिता : सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु वर्ष 2025–26 में स्वयं सहायता समूहों की नेतृत्वकर्ताओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ₹15.00 लाख की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 1,035 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से 8.70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण : वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समिमियों के माध्यम से 30.45 लाख किसानों को ₹18,085.89 करोड़ का कृषि फसली ऋण वितरित किया गया है। अल्पकालीन कृषि ऋण की समय पर अदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में फसल ऋण की राशि चुकाने वाले किसानों को ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना : इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों, गैर–कृषि गतिविधियों से आजीविका अर्जित करने वाले ग्रामीण परिवारों तथा लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों के सदस्यों (जो योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हैं) को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में 13,801 लाभार्थियों को ₹122,04 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं।

सहकार किसान कल्याण योजना : फसल ऋण के अतिरिक्त किसानों की कृषि संबंधी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की शाखाओं के माध्यम से ऋण वितरण हेतु "सहकारी किसान कल्याण योजना" प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ₹10.00 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसंबर तक) ₹121.11 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

कृषि उपज गिरवी ऋण योजना : किसानों को कृषि उपज को गिरवी रखकर मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2025–26 में (दिसंबर तक) 27 किसानों को ₹70.50 लाख के ऋण वितरित किए गए हैं।

सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड : राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण वितरित किए जा रहे हैं। इसके तहत सितंबर, 2025 तक कुल 61.83 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिनमें से 43.95 लाख कार्ड सक्रिय हैं।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा : वर्ष 2025–26 में (दिसंबर तक) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 393 स्वयं सहायता समूहों को ₹5.06 करोड़ के ऋण वितरित किए गए।

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना : राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत गैर–कृषि गतिविधियों के लिए ₹50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण की अवधि पाँच वर्ष है। वर्ष 2025–26 में (दिसंबर तक) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 76 प्रकरणों में ₹33 लाख के ऋण वितरित किए गए हैं।

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना : ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों की आजीविका मुख्यतः कृषि एवं डेयरी/दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है। इन गतिविधियों से जुड़े परिवारों को सहयोग प्रदान करने तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक कृषक परिवारों को ₹1.00 लाख तक का ब्याज–मुक्त अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 92,074 ऑनलाइन आवेदनों से 89,997 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

कृषि अवसंरचना निधि (ए.आई.एफ.) के अंतर्गत 3 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान : किसानों के लिए खेत के द्वार पर या अवसंरचना के सृजन हेतु माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 15 मई, 2020 को ₹1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा की गई थी। ए.आई.एफ के अंतर्गत ₹2.00 करोड़ की सीमा तक के सभी ऋणों पर प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, ए.आई.एफ. को पैक्स के साथ बहु–सेवा केंद्र (एम.एस.सी.) योजना के रूप में भी जोड़ा गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक राज्य में ₹4,212.54 करोड़ की 4,900 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिनमें से 4,427 परियोजनाओं के लिए ₹2,793.08 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

स) फसल बीमा

अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान और फसल की विफलता से किसानों की सुरक्षा के लिए खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) लागू की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलें (अनाज, मोटा अनाज एवं दालें), तिलहन और वाणिज्यिक / बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ फसलों, रबी फसलों और वाणिज्यिक / बागवानी फसलों के लिए किसान प्रीमियम क्रमशः 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान तथा फसल कटाई प्रयोगों के संचालन हेतु प्राथमिक कार्मिकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्य पोषित योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में (15 दिसंबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2025 तक) पात्र किसानों को लगभग ₹6,206.61 करोड़ के बीमा दावों का भुगतान किया गया है।

राजस्थान में सतत कृषि एवं बागवानी पद्धतियों को प्रोत्साहन

राजस्थान में बागवानी विकास की अपार संभावनाएँ हैं। यह ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि–प्रसंस्करण एवं अन्य सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देती है। वर्ष 2025–26 के लिए (दिसंबर तक) राज्य योजना के अंतर्गत (केंद्रीय अंश सहित) ₹1,918.67 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध ₹523.13 करोड़ की राशि उपयोग की जा चुकी है।

राज्य में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं–

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन. एच. एम.)

फल, मसाले एवं फूलों जैसी विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह योजना चयनित 41 जिलों में लागू की जा रही है। वर्ष 2025–26 के दौरान ₹124.76 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है (जिसमें ₹74.86 करोड़ केंद्रीय अंश एवं ₹49.90 करोड़ राज्य अंश है)। दिसंबर, 2025 तक ₹48.83 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2,358 हेक्टेयर क्षेत्र में फलोद्यान स्थापित किए गए हैं। 3.13 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को ग्रीन हाउस के अंतर्गत, 0.51 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को शेडनेट हाऊस के अंतर्गत, 638 हेक्टेयर क्षेत्र को प्लास्टिक मल्चिंग के अंतर्गत आच्छादित किया गया है। इसके अतिरिक्त 9 वर्मी–कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, 1,129 कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचनाएँ तथा 19 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण दिसंबर, 2025 तक किया गया है।

राष्ट्रीय बाँस मिशन

यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे अभी लागू किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बाँस पौधों के उत्पादन हेतु उच्च तकनीक एवं लघु नर्सरियों का विकास किया जाएगा, साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ₹93.28 लाख की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है तथा वर्ष 2025–26 के लिए ₹100 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

एग्रो–फॉरेस्ट्री योजना

इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में नई नर्सरियों (उच्च तकनीक वाली, बड़ी एवं छोटी) की स्थापना तथा विद्यमान नर्सरियों में पौध उत्पादन का प्रावधान है। वर्ष 2025–26 में राज्य के तीन अलग–अलग स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्र में चार उच्च तकनीक वाली नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं। वर्ष 2025–26 में ₹285 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के. वी. वाई.)

इस योजना के अंतर्गत खजूर की खेती, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन. एच. एम.) से वंचित जिलों में बागवानी विकास तथा शहरी क्षेत्रों में सब्जी क्लस्टर जैसी पहलों को शामिल किया है। इसके साथ ही संरक्षित खेती को बढ़ावा देने तथा नर्सरी विकास के लिए झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बस्सी (जयपुर) एवं नांता (कोटा) में उत्कृष्टता केंद्रों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित करती है। वर्ष 2025–26 में (दिसंबर तक) ₹40.14 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹20.56 करोड़ का व्यय किया गया है।

कृषि सुधार के लिए प्रमुख पहल

(अ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)

- **गेहूँ एवं दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन** : यह मिशन राज्य में रबी 2007–08 से केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित फसल प्रदर्शन का आयोजन, प्रमाणित बीजों का वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों/जैव–उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा, जिप्सम का उपयोग, पौध संरक्षण रसायन एवं जैव–एजेंट/जैव–कीटनाशक/खरपतवारनाशी का उपयोग, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण तथा फेंसिंग (बाड़बंदी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं।

  वर्ष 2025–26 से राज्य में 18 जिलों को गेहूँ की खेती के लिए शामिल किया गया है, जिनमें अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं भीलवाड़ा शामिल हैं। दलहन के अंतर्गत राज्य के सभी 41 जिलों को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार ने रबी 2025–26 से दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन को केन्द्र प्रायोजित योजना "दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन" में विलय कर दिया है।

  राज्य में दलहन उत्पादन को बढ़ाने विशेष रूप से तुअर, उड़द एवं मसूर पर केन्द्रित करने, किसानों को जलवायु–अनुकूल बीजों के उत्पादन एवं उपलब्धता को बढ़ावा देने, दलहन की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करने, कटाई–उपरांत भंडारण एवं प्रबंधन तकनीकों को प्रोत्साहित करने, एनसीसीएफ एवं नेफेड द्वारा तुअर, उड़द एवं मसूर की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने, पीएम–आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के मानदंडों के अनुसार अन्य दलहनों की खरीद सुनिश्चित करने तथा प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सरकार ने वर्ष 2025–26 से 2030–31 की अवधि हेतु एक नई योजना "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" को स्वीकृति प्रदान की है।

- **मोटे अनाज हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन** : वर्ष 2018–19 से मोटे अनाजों के अंतर्गत मक्का एवं जौ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित फसल प्रदर्शनों का आयोजन, प्रमाणित बीजों का वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों/जैव–उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा तथा पौध संरक्षण रसायनों एवं जैव–एजेंट/जैव–कीटनाशक/खरपतवारनाशी के उपयोग जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं।

  वर्ष 2025–26 में राज्य में मक्का की खेती हेतु 09 जिलों यथा बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द को शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार जौ की खेती हेतु 09 जिलों यथा अजमेर, ब्यावर, जयपुर, डीडवाना–कुचामन, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं भीलवाड़ा को शामिल किया गया है।

- **पोषक अनाज (श्री अन्न) हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन** : वर्ष 2018–19 से बाजरा एवं ज्वार को पोषक अनाज (न्यूट्रीसीरियल्स) श्रेणी में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित फसल प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों का वितरण एवं बीज उत्पादन, सूक्ष्म पोषक तत्वों/जैव–उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा, पौध संरक्षण रसायनों एवं जैव–एजेंट/जैव–कीटनाशक/खरपतवारनाशी का उपयोग तथा मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ एवं जन–जागरुकता कार्यक्रम शामिल हैं।

  वर्ष 2025–26 में ज्वार फसल हेतु 11 जिलों यथा अजमेर, ब्यावर, जयपुर, टोंक, नागौर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ तथा बाजरा फसल हेतु राज्य के 28 जिलों यथा अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, खैरथल–तिजारा,

कोटपूतली–बहरोड़, टोंक, डीडवाना–कुचामन, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, जालौर, पाली एवं सिरोही को शामिल किया गया है।

- **वाणिज्यिक फसलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन** : इस मिशन के अंतर्गत एकीकृत फसल प्रबंधन पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन (इस फसल प्रणाली को अपनाने वाले किसानों हेतु), पौध संरक्षण/रसायनों एवं जैव–एजेंट/फेरोमोन ट्रैप एवं ल्योर के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कीट एवं रोगों के उचित नियंत्रण/प्रबंधन तथा जागरुकता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं।

  वर्ष 2025–26 में वाणिज्यिक फसल के रूप में कपास हेतु राज्य के 18 जिलों यथा अजमेर, खैरथल–तिजारा, कोटपूतली–बहरोड़, झुंझुनूं, नागौर, अलवर, भरतपुर, डीग, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, फलोदी, पाली, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया है।

  गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज एवं वाणिज्यिक फसलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में ₹136.63 करोड़ व्यय किए गए हैं।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन

इस मिशन के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में प्रजनक बीजों की खरीद (100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता), मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों में वीसीपी के माध्यम से प्रमाणित बीजों का वितरण, फसल प्रदर्शन, एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) आधारित किसान खेत पाठशालाएं, किसान प्रशिक्षण, फसल कटाई उपरांत अवसंरचना विकास एवं तारबंदी, कार्यशालाएं तथा अन्य सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियां शामिल हैं। इस योजना का वित्तपोषण पैटर्न भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के अन्तर्गत ₹125.00 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹105.73 करोड़ व्यय किए गए हैं।

(स) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एन. एम. एस. ए.)

वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर. ए. डी): राज्य के विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में क्षेत्र–विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की एकीकृत कृषि प्रणालियां (आई.एफ.एस.) जैसे पशुधन आधारित, बागवानी आधारित तथा कृषि वानिकी (वृक्ष आधारित) कृषि प्रणालियां परिकल्पित की गई हैं। इन प्रणालियों एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। कृषि प्रणालियों को अन्य गतिविधियों यथा वर्मी–कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, साइलेज इकाइयों की स्थापना आदि के साथ–साथ संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना का वित्तपोषण पैटर्न 60 प्रतिशत केंद्रीय अंश एवं 40 प्रतिशत राज्य अंश के अनुपात में है।

(द) अनुकूलन परीक्षण केंद्र (ए. टी. सी.) एवं जैविक खेती हेतु सहायता

अनुकूलन परीक्षण केंद्र (ए.टी.सी.) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में अनुशंसित नई कृषि तकनीकों की अनुकूलता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का परीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य निधि के अंतर्गत जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन किसानों को प्रतिवर्ष ₹1.00 लाख का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(य) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन. एम. एन. एफ.)

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025–26 में प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 2,000 क्लस्टर (केंद्रीय–1,800 एवं राज्य–200) गठित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 2.50 लाख किसानों को आच्छादित करते हुए 1.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(र) परंपरागत कृषि विकास योजना (पी. के. वी. वाई)

जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति एवं सहभागी गारंटी प्रणाली (पी. जी. एस.) प्रमाणन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। पी. जी.एस.–इंडिया कार्यक्रम गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है, जिससे किसान पी. जी. एस.–इंडिया मानकों के अनुरूप जैविक खेती के विभिन्न स्वरूपों को अपना सकते हैं। जैविक कृषि का उद्देश्य पर्यावरण–अनुकूल एवं कम लागत वाली तकनीकों को अपनाकर रसायन एवं कीटनाशक अवशेष–मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना है।

किसानों के पास पी.जी.एस.–इंडिया मानकों के अनुरूप किसी भी प्रकार की जैविक खेती अपनाने का विकल्प उपलब्ध है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत ₹42.07 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹4.20 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

(ल) प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना (पी.एम.डी.डी.के.वाई.)

भारत का कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, किंतु कई जिलों में कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाएं, ऋण की उपलब्धता तथा भंडारण अवसंरचना अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 में "प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना (पी.एम.डी.डी.के.वाई.)" की घोषणा की गई है। यह योजना वर्ष 2025–26 से प्रारंभ होकर छह वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना में 11 मंत्रालयों एवं विभागों की प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है।

यह योजना देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों के समग्र कृषि विकास हेतु गठित की गई है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, विविधता, आय एवं सततता को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य से चयनित जिले बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं जालौर हैं।

कृषि विभाग के महत्वपूर्ण घटकों की भौतिक प्रगति तालिका 1.7 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.7 : वर्ष 2025–26 के दौरान महत्वपूर्ण घटकों की भौतिक प्रगति

घटक का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2025 तक)
पाईप लाईन	कि.मी.	20000	10073
डिग्गी	संख्या	10000	4979
फार्म पॉण्ड	संख्या	25000	10626
कृषि उपकरण	संख्या	1,00,000	28,479
जिप्सम वितरण	मैट्रिक टन	30000	8090
कृषक का दौरा	संख्या	205	158
फसल प्रदर्शन	संख्या	3,36,113	2,78,920
बीज मिनीकिट वितरण	संख्या	31,50,000	31,49,683
समन्वित कीट प्रबन्धन प्रदर्शन	संख्या	300	180
कृषक प्रशिक्षण (1 एवं 2 दिवसीय)	संख्या	11320	10105
पौध संरक्षण रसायन/जैविक कीट नियंत्रण	हेक्टेयर	2,00,000	90,000
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	संख्या	4,05,000	4,14,714
कांटेदार तारबंदी	मीटर	3,00,00,000	94,69,496

फसल कटाई के बाद प्रबंधन

फसल कटाई के बाद प्रबंधन कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रभावी खाद्य उत्पादन एवं वितरण प्रणाली के आधार के रूप में कार्य करता है। इसमें कटाई के बाद कृषि उत्पादों को रखने के लिए विभिन्न सुविधाएं और तकनीकें जैसे भंडारण इकाइयाँ, प्रसंस्करण संयंत्र और परिवहन नेटवर्क शामिल होती हैं। फसल कटाई के बाद प्रबंधन न केवल अपशिष्ट को कम करके खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाता है, बल्कि किसानों की बाजार तक पहुँच और लाभप्रदता में सुधार करके आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। फसल कटाई के बाद वर्तमान अपर्याप्त सुविधाओं और प्रक्रियाओं के कारण कृषि उत्पादकता और स्थिरता में रूकावट डालने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीकी प्रगति और क्षमता निर्माण जैसी प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।

(अ) भंडारण

कृषि में भंडारण आवश्यक है क्योंकि यह कटाई के बाद फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने, फसलों के खराब होने तथा कीटों से होने वाले नुकसान में सहायक होता है। प्रभावी भण्डारण प्रणालियां अपव्यय को कम करती हैं तथा किसानों को बाजार की परिस्थितियां अनुकूल होने तक अपने उत्पादों को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान कर खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है जिससे उनकी आय स्थिर होती है। राजस्थान राज्य भण्डारण निगम राज्य में कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक, भण्डारण के लिए गोदामों का विकास एवं प्रबन्धन करने वाली नोडल एजेंसी है।

- वर्तमान में राज्य के 36 जिलों में 97 गोदाम हैं जिनकी दिसम्बर, 2025 तक कुल भंडारण क्षमता 17.25 लाख मैट्रिक टन (जिसमें निगम की 17.20 लाख मैट्रिक टन स्वयं की निर्माण की गई क्षमता सहित) है।
- वर्ष 2025–26 के दौरान, दिसम्बर, 2025 तक गोदामों का औसत उपयोग 8.25 लाख मैट्रिक टन था, जो कुल भंडारण क्षमता के औसत उपयोग का 48 प्रतिशत है। सरकार एससी/एसटी किसानों, उत्पादक संगठनों, सामान्य किसानों और सहकारी समितियों को भंडारण शुल्क पर क्रमशः 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है, जो अन्य सभी राज्य भण्डारण निगमों और केंद्रीय भण्डारण निगम की तुलना मे सर्वाधिक है।
- वर्ष 2025–26 में निगम ने 0.03 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया है और 0.37 लाख मैट्रिक टन क्षमता निर्माणाधीन है।

आरएसडब्ल्यूसी की उपलब्धियां तालिका 1.8 में प्रदर्शित हैं।

तालिका 1.8 : राजस्थान राज्य भण्डारण निगम की उपलब्धियां

क्र. स.	मद	उपलब्धियां				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसम्बर तक)
1.	औसत भण्डारण क्षमता (लाख मैट्रिक टन)	14.71	15.98	16.79	18.17	17.25
2.	औसत उपयोगिता (लाख मैट्रिक टन)	10.31	6.10	7.37	8.54	8.25
3.	औसत उपयोगिता का प्रतिशत	70 %	38%	44%	47%	48%
4.	भण्डारण क्षमता का निर्माण (लाख मैट्रिक टन)	2.24	2.40	0.71	0.61	0.03
5.	भण्डार गृहों की संख्या	93	93	94	97	97
6	कुल आय (₹ करोड़ में)	122.61	130.13	130.37	142.62	181.61 (अनुमानित)

राज्य में सहकारी संस्थाओं/समितियों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 8,912 गोदामों का निर्माण किया गया है। इन गोदामों का उपयोग कृषि उपज के भंडारण के साथ–साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न के भंडारण हेतु किया जाता है। वर्ष 2025–26 की बजट घोषणा के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदामों, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों के निर्माण तथा 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 100 पुराने गोदामों के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(ब) प्रसंस्करण

प्रसंस्करण खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, कटाई उपरांत होने वाली हानियों को कम करने तथा उत्पादों के बाजार मूल्य में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आर्थिक विकास को प्रेरित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित कर सकता हैं।

राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के अंतर्गत निवेशकों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय के माध्यम से कुल 2,524 समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप दिए गए हैं, जिनके माध्यम से ₹43,794.84 करोड़ के कुल निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएम–एफएमई)**

  प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण योजना वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए प्रस्तावित थी, जिसे अब 2025–26 तक विस्तारित कर दिया गया है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। अनुदान राशि संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित की जाती है तथा 3 वर्ष की लॉक–इन अवधि के पश्चात ऋण खाते में समायोजित की जाती है।

  इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तार हेतु 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹10 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है। यह योजना सभी प्रकार की लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की अनुमति देती है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान कुल 2,048 व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,518 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर बैंकों को प्रेषित किया गया तथा 414 आवेदनों में ₹23.54 करोड़ की सब्सिडी राशि स्वीकृत की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में 8 इनक्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किए गए हैं जिनके लिए ₹23.11 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं जारी की गई है।

- 8 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर में एक दिवसीय **"राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025"** का सफल आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में राज्यभर से मसाला उत्पादक किसान, व्यापारी, निर्यातक एवं अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्टॉल, प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शन, संवाद सत्र तथा बी2बी कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान में मसाला प्रसंस्करण, व्यापार एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विकसित राज स्पाइस ऐप का शुभारंभ सम्मेलन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। अब तक इस ऐप पर लगभग 4,000 व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है।

(स) विपणन

कृषि विपणन किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने, कृषि उत्पादों के कुशल वितरण को सुगम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभावी विपणन प्रणालियाँ मूल्य स्थिरीकरण में सहायक होती हैं तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे अंततः सतत कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण समुदाय सशक्त होते हैं। परस्पर जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था में सशक्त कृषि विपणन उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादों के विपणन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं:

- **कृषक उपहार योजना** – यह योजना ई–नाम पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है, जिसके अंतर्गत ई–नाम के माध्यम से अपनी उपज विक्रय करने वाले व्यक्तिगत उत्पादक–किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। किसान को ₹10,000 मूल्य की उपज बिक्री पर एक कूपन तथा ई–नाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से उपज के मूल्य के गुणक के अनुसार अतिरिक्त कूपन प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान मंडी एवं संभाग स्तर पर 798 लॉटरी के माध्यम से ₹1.38 करोड़ के पुरस्कार वितरित किए गए।
- **सहकारी विपणन संरचना** – राज्य में 285 क्रय–विक्रय समितियाँ तथा फल एवं सब्जी विपणन सहकारी समितियाँ

पंजीकृत हैं। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान सहकारी विपणन समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि आदानों तथा कृषि उपज का क्रमशः ₹87.00 करोड़, ₹357.30 करोड़ एवं ₹890.00 करोड़ का विपणन किया गया। इसके अतिरिक्त, राजफेड द्वारा वर्ष 2025–26 के दौरान किसानों को 3,000 मीट्रिक टन उर्वरक एवं बीज वितरित किए गए।

- **राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025:** यह मेला 9 मई 2025 से 18 मई 2025 तक जवाहर कला केंद्र, जयपुर में आयोजित किया गया। इस मेले में राज्य एवं अन्य राज्यों की सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों के प्रसिद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विक्रय हेतु प्रस्तुत किया गया।
- **मंडी प्रांगण एवं अवसंरचना विकास कार्य:** मंडी यार्ड एवं उपयार्डों के निर्माण, सड़क निर्माण तथा अन्य विभागीय कार्यों से संबंधित निर्माण कार्य किये गए। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान मंडी यार्ड विकास, सड़क निर्माण एवं अन्य विभागों के जमा कार्यों पर कुल ₹513.65 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2025 तक मंडी क्षेत्रों में कुल 47.38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया।
- **सहकारी उपभोक्ता संरचना:** बाजार में कालाबाजारी एवं वस्तुओं की कृत्रिम कमी से उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु सहकारी संस्थाएँ प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं तथा उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध करा रही हैं। इस उद्देश्य से 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत हैं, जिनमें से 33 जिला स्तर पर कार्यरत हैं तथा राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (कॉनफेड) उपभोक्ता क्षेत्र में शीर्ष (एपेक्स) संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान ₹1,516.29 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹1,073.82 करोड़ का व्यवसाय किया गया।

समृद्ध खेती के लिए पशुधन

राज्य में पशुपालन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, विशेष रूप से शुष्क और अर्द्ध–शुष्क क्षेत्रों में यह विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थिरता को बढ़ाता है। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में, पशुपालन सूखे और अकाल की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और ग्रामीण गरीबों को स्थिर एवं सतत आजीविका प्रदान करता है।

पशु गणना–2019 में राज्य के कुल 568.01 लाख पशुधन और 146.23 लाख कुक्कुट पक्षियों की संख्या दर्ज की गई। राज्य में देश के कुल पशुधन का लगभग 10.60 प्रतिशत हिस्सा है। इसमें देश के 7.24 प्रतिशत मवेशी, 12.47 प्रतिशत भैंस, 14.00 प्रतिशत बकरियाँ, 10.64 प्रतिशत भेड़ और 84.43 प्रतिशत ऊँट शामिल हैं। वर्ष 2023–24 ने देश के दूध उत्पादन में 14.51 प्रतिशत तथा ऊन उत्पादन में 47.53 प्रतिशत का योगदान दिया।

राज्य पशुधन के कुशल स्वास्थ्य देखभाल और आनुवंशिक सुधार के लिए संस्थानों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से सेवाओं के एकीकृत पैकेज की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। साथ ही, पशुपालकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित कर रहा हैं। राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों का विस्तार उल्लेखनीय रहा है, जिसे तालिका 1.9 में देखा जा सकता है।

तालिका 1.9 : राजस्थान में पशु चिकित्सा संस्थाएँ

संस्थाएं	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसम्बर तक)
पॉलीक्लिनिक	35	38	48	73	98
ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय / प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	788	813	831	848	873
पशु चिकित्सालय	2105	2095	2187	2242	2243
पशु चिकित्सा उप केन्द्र	5768	6030	7167	7563	7712
जिला चल पशु चिकित्सा इकाई	102	102	102	102	34

तालिका 1.10 में विभिन्न पशुपालन उत्पादों का उत्पादन दर्शाया गया है। दूध का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 26,572 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 34,733 हजार टन हो गया। इसी प्रकार, इसी अवधि में अंडों का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 2,698 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 3,087 मिलियन हो गया।

मांस उत्पादन के लिए भी समान प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। मांस उत्पादन वर्ष 2019–20 में 200 हजार टन था, जो बढ़कर 2023–24 में 247 हजार टन हो गया। हालांकि, ऊन का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 144 लाख किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 160 लाख किलोग्राम हो गया।

तालिका 1.10 : पशुधन उत्पाद उत्पादन

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)	मांस उत्पादन (हजार टन)	अण्डा उत्पादन (दस लाख)	ऊन उत्पादन (लाख किग्रा.)
2019-20	26572	200	2698	144
2020-21	30723	201	2488	157
2021-22	33265	221	2688	156
2022-23	33307	240	2761	161
2023-24	34733	247	3087	160

पशुधन रोगों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल 571.90 लाख टीकाकरण किए गए। नस्ल सुधार के लिए 2.49 लाख बड़े पशु और 4.47 लाख छोटे पशु बंध्याकरण किए गए और 17.09 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

पशुधन विकास

राजस्थान में पशुधन विकास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण में सुधार करना है। राज्य नस्ल सुधार, चारा विकास तथा सुदृढ़ पशु चिकित्सा सेवाओं जैसे संधारणीय प्रयासों को बढ़ावा देता है।

चित्र 1.10 : पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति



- 700 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र
- 2 नए पशु चिकित्सालय
- 151 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को क्रमोन्नत कर पशु चिकित्सालय
- 101 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय
- 50 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर पॉलीक्लिनिक पशु चिकित्सालय बनाया गया
- आरआईडीएफ ट्रेंच–31 के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा वर्ष 2025–26 में 310 पशु चिकित्सालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु ₹144.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई
- 2,423 नवीन पद सृजित

- पशुपालकों को कॉल सेंटर–1962 के माध्यम से 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों द्वारा से पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही है।
- वर्ष 2025–26 में 59.82 लाख पशुओं के उपचार से 15.30 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हुए।
- पशुपालकों के घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुचांने के लिए, चिकित्सा आपातकालीन सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की गई है।





- खुरपका–मुंहपका रोग (एफएमडी) की रोकथाम कार्यक्रम के 5वें चरण के अंतर्गत 1.86 करोड़ गाय एवं भैंसों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया है।
- लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) की रोकथाम के लिए वर्ष 2025–26 के दौरान 108.30 लाख गायों का भी निःशुल्क टीकाकरण किया गया है।

पशुधन की सुरक्षा, देखभाल तथा देशी नस्लों के संरक्षण हेतु पशु कल्याण पहलें

- ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन के अंतर्गत ऊँट प्रजनन को प्रोत्साहित करने तथा नवजात ऊँट शावकों (टोड़ी) के पालन–पोषण और पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 25,364 नवजात टोड़ी को कुल ₹17 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है, जिससे 9,379 ऊँट पालक लाभान्वित हुए हैं।

- पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमार पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इस वृद्धि से पशुपालकों को अधिक प्रभावी पशु चिकित्सा सेवाएं तथा महंगी दवाओं के आर्थिक बोझ से भी राहत मिलती है।

पशुपालक कल्याण पहलें

- **मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना** : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024–25 के दौरान 10.63 लाख पशुओं के बीमा कवरेज हेतु 5.54 लाख परिवारों को निःशुल्क बीमा पॉलिसियां जारी की गईं। वर्ष 2025–26 में, (वर्ष 2024–25 में बीमित पशुओं सहित) कुल 42.00 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जा रहा है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट जैसे देशी पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

- राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के गरीब एवं अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के दौरान 25.19 लाख बीमार पशुओं का उपचार किया गया तथा 23.21 लाख पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण किया गया, जिससे 6.63 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए।

- ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित शिविरों के माध्यम से 21 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया गया है। 17.41 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया, 29.43 लाख पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई गई तथा 24.53 लाख पशुओं पर परजीवी–नाशक दवा का छिड़काव किया गया। इस अभियान के माध्यम से 10.29 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए हैं।

- **राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (9वां चरण)** : यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में ₹5.00 लाख तथा आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में ₹2.50 लाख की राशि देय है। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक 1,12,176 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।

- **सरस सामूहिक आरोग्य बीमा** : दिसंबर 2025 तक सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के 19वें चरण के अंतर्गत कुल 33,516 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।

- **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना** : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली अनुदान सहायता ₹2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर कर दी गई है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान ₹650 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध डीबीटी के माध्यम से ₹519 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

- **सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना** : इस योजना के अंतर्गत मछली पकड़ने की गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में लगभग 20,000 मछुआरे इस क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के माध्यम से 5,501 सक्रिय मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कवर किया गया है।

गोपालन

राज्य "गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 एवं 2021" के अंतर्गत गौशालाओं एवं नंदीशालाओं के माध्यम से सतत् विकास को सुनिश्चित करते हुए देशी गोवंश नस्लों के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत गौपालकों एवं गौशाला प्रतिनिधियों के लिए जैविक खेती, चारा उत्पादन तथा गो–उत्पादों के मूल्य वर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही पंचगव्य के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- **गौशाला विकास योजना** : राज्य सरकार पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना (पशु शेड, चारा भंडार, गोपालक आवास गृह, जल टंकी आदि) के विकास हेतु 90:10 (सरकारःजनसहभागिता) के अनुपात में अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। दिसंबर 2025 तक 12 गौशालाओं को ₹1.10 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

- **पंजीकृत गौशालाओं हेतु अनुदान** : इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत गौशालाओं, कांजी हाउसों एवं नंदीशालाओं में अनुपयोगी, दुर्घटनाग्रस्त एवं रोगग्रस्त मवेशियों के लिए चारा एवं पानी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1 अप्रैल 2025 से सहायता दरों में वृद्धि करते हुए बड़े पशुओं के लिए ₹44 से बढ़ाकर ₹50 प्रति पशु प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं के लिए ₹22 से बढ़ाकर ₹25 प्रति पशु प्रतिदिन (270 दिनों की अवधि के लिए) कर दी गई है। दिसंबर 2025 तक विभिन्न जिलों की 3,043 गौशालाओं को ₹1,204.90 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

- **पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना** : यह योजना आवारा नर पशुओं की समस्या के समाधान हेतु पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाओं की स्थापना के लिए लागू की गई है, जिसमें 90:10 के अनुपात में सरकार एवं जनसहभागिता से वित्त पोषण किया जाता है। प्रत्येक इकाई की अनुमानित लागत ₹1.57 करोड़ है। दिसंबर 2025 तक 13 जिलों में ₹13.31 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

- **ग्राम गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना** : यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर आवारा पशुओं के आश्रय हेतु गौशालाओं अथवा पशु आश्रय स्थलों की स्थापना पर केंद्रित है। इसकी अनुमानित स्थापना लागत ₹1.00 करोड़ है (90:10 वित्त पोषण)। इस योजना के अंतर्गत 15 ग्राम गौशालाओं के लिए कुल ₹6.80 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

- **वध/तस्करी से बचाए गए गोवंश हेतु अनुदान** : इस योजना के अंतर्गत गौशालाओं में रखे गए वध अथवा तस्करी से बचाए गए गोवंश की देखभाल हेतु अधिकतम एक वर्ष तक सहायता प्रदान की जाती है। दिसंबर 2025 तक 6 गौशालाओं को ₹34 लाख की राशि वितरित की गई है।

- **मूल्य संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम** : गोपालन निदेशालय द्वारा गोपालकों एवं गौशाला प्रतिनिधियों के लिए गो–उत्पादों के प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य वर्धन पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं पाली स्थित संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 13 बैचों के आयोजन हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को ₹14.13 लाख की राशि आवंटित की गई है, जिसके माध्यम से राज्य भर के 455 गौशाला प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

डेयरी विकास

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। दिसम्बर, 2025 तक, कुल 19,643 डेयरी सहकारी समितियां 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों और एक राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय, 'राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) लिमिटेड, जयपुर' से संबद्ध हैं।

विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं और संसाधनों के माध्यम से जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 51.40 लाख लीटर प्रति दिन तक पहुँच गई है। दिसम्बर, 2025 तक राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध दुग्ध संघों द्वारा प्रतिदिन औसतन 30.29 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की गई है। वर्तमान में, 10 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो दूध के लिए पूरे वर्ष पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। दिसम्बर, 2025 तक इन दुग्ध संघों ने ₹4,304.91 करोड़ की राशि दुग्ध उत्पादकों को वितरित की है। डेयरी विकास क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11 : वर्ष 2025–26 के दौरान डेयरी गतिविधियां

गतिविधि	इकाई	लक्ष्य (दिसम्बर, 2025 तक)	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2025 तक)
औसत दुग्ध संकलन	लाख किग्रा. प्रतिदिन	36.95	30.29
औसत दुग्ध विपणन	लाख लीटर प्रतिदिन	26.63	22.60
पशु आहार विक्रय (संघ)	000' मीट्रिक टन	356	219
पुनर्जीवित समितियां	संख्या	675	546
नई समितियां	संख्या	1467	627
कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान	000' संख्या	310	194

राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) ने दिसम्बर, 2025 तक 3,66,758 मीट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन किया और 3,65,466 मीट्रिक टन दूध उत्पादकों को बेचा है। वर्ष 2025–26 की मांग के अनुसार, आरसीडीएफ ने जिला दुग्ध संघों को 10,223 क्विंटल उन्नत चारा बीज रियायती दर पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त, आरसीडीएफ घी, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, पनीर, दही, टेट्रा पैक दूध, मावा, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, बर्फी और पेड़ा सहित विभिन्न डेयरी उत्पादों का निर्माण करता है। फेडरेशन द्वारा दिसम्बर, 2025 तक, 21,669 मैट्रिक टन घी का विपणन किया जा चुका है।

जलीय कृषि और मत्स्य पालन विकास

राजस्थान में मत्स्य पालन क्षेत्र न केवल राज्य के जल संसाधनों का उपयोग करके विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि यह सस्ती व प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री और ग्रामीण एवं वंचित समुदायों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। राज्य में लगभग 4.30 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है जिनमें से 3.36 लाख हेक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशयों के रूप में तथा 0.94 लाख हेक्टेयर छोटे तालाबों और टैंकों के रूप में मौजूद है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)

यह योजना मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और मछुआरों, मत्स्य किसानों एवं संबंधित हितधारकों की आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत मत्स्य तालाब निर्माण, झींगा पालन, केज कल्चर और चारा मिलों जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए मत्स्य किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 17.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण हेतु 19 लाभार्थियों को, 8.80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में झींगा पालन तालाबों के निर्माण हेतु 5 लाभार्थियों को, 12 केज कल्चर इकाइयों (प्रति इकाई 18 केज) की स्थापना हेतु स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त 5 मत्स्य कृषकों को मछली परिवहन वाहनों की खरीद हेतु भी स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में जन आधार डीबीटी प्रणाली के माध्यम से एसएनए स्पर्श पोर्टल द्वारा 41 लाभार्थियों के खातों में कुल ₹467.72 लाख की अनुदान राशि हस्तांतरित की गई है।

राज्य में मछली उत्पादन, मत्स्य बीज उत्पादन/संचयन तथा राजस्व से संबंधित वर्षवार विवरण तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12 : मछली उत्पादन, मछली बीज उत्पादन और राजस्व

क्र. सं.	वर्ष	मत्स्य उत्पादन (मीट्रिक टन)	मत्स्य बीज उत्पादन/भण्डारण (मिलियन फ्राई)	राजस्व (₹करोड़ में)
1	2021-22	65693.92	1181.40	41.35
2	2022-23	79286.40	1197.74	68.92
3	2023-24	91349.43	1364.00	67.95
4	2024-25	113647.21	1382.39	66.66
5	2025-26 (दिसम्बर तक)	78013.03	1335.90	20.25

चूरू में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला

इस प्रयोगशाला का उद्देश्य खारे जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में मत्स्यपालन की संभावनाओं का पता लगाना हैं। विशेष रूप से शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ मीठे पानी के स्रोत सीमित हैं। चूरू में यह प्रयोगशाला स्थानीय झींगा पालन को समर्थन देने के लिए बजट पहल के तहत पूर्ण की गई है। यह सुविधा झींगा किसानों को खारे पानी के परीक्षण की आवश्यक सेवाएँ प्रदान करेगी।

किसानों और कृषि श्रमिकों का कल्याण

किसानों और कृषि श्रमिकों का कल्याण कृषि क्षेत्र की स्थिरता एवं विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान न केवल खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वे ग्रामीण आजीविका बनाए रखने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन समूहों को बाजार मूल्य में उतार–चढ़ाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है।

किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए कल्याणकारी पहल कई कारणों से आवश्यक हैं। पहला, ये आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता और समर्थन सेवाएँ मिलती हैं, जो उनकी आय को स्थिर करने में मदद करती हैं। इससे वे बेहतर कृषि पद्धतियों और तकनीकों में निवेश कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, ये कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में हाशिए पर मौजदू समूहों जैसे छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिकों को सशक्त बनाते हैं उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा तक पहचुँ प्रदान की जाती है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक हैं।

कृषक कल्याण को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय समृद्धि के बीच परस्पर संबंध की व्यापक समझ को दर्शाती है।

चित्र 1.11 : किसानों तथा कृषि श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ



पी.एम. किसान पोर्टल

- 75.17 लाख किसानों ने भूमि सत्यापन के लिए आवेदन किया (दिसंबर, 2025 तक)
- 21वीं किस्त के अंतर्गत 65.29 लाख किसानों को ₹1,305.80 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई
- 69.42 लाख किसानों द्वारा ई–केवाईसी एवं आधार सीडिंग पूर्ण की गई।
- लाभार्थियों की संख्या के मामले में राज्य देश में 5वें स्थान पर है।

लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना

- ₹1,250 की मासिक पेंशन
- पात्रता: लघु एवं सीमांत किसान
  (महिलाएँ: 55 वर्ष या उससे अधिक आयु)
  (पुरुष: 58 वर्ष या उससे अधिक आयु)
- 1.97 लाख लाभार्थी शामिल
- दिसंबर 2025 तक ₹234.89 करोड़ का व्यय

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद

- रबी विपणन मौसम 2025–26 (10 मार्च से 30 जून 2025)
- 21.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद
- 1.73 लाख किसान लाभान्वित
- 327 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद
- एमएसपी ₹2,425 प्रति क्विंटल निर्धारित

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

- वार्षिक सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 की गई (बजट 2025–26)
- चौथी किस्त के अंतर्गत ₹717.96 करोड़ की राशि हस्तांतरित
- 71.79 लाख किसान लाभान्वित
- प्रति किसान ₹1,000 की सहायता डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से भेजी गई

राजस्थान कृषक समर्थन योजना

- एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से अधिक ₹150 प्रति क्विंटल का बोनस
- राज्य सरकार द्वारा ₹320.50 करोड़ का भुगतान

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना

- 30 नवंबर 2018 तक बकाया अल्पकालिक फसल ऋणों की माफी
- 20.92 लाख किसान लाभान्वित
- मार्च 2025 तक ₹7,881.89 करोड़ की ऋण राहत
- योजना 2019 के अंतर्गत अतिदेय मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋणों पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राहत

समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण

- कॉनफेड के माध्यम से पूरक पोषण की आपूर्ति
- लगभग 63,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर किया गया
- दिसंबर 2025 तक कुल ₹662.50 करोड़ की आपूर्ति



किसान कलेवा योजना

- किसानों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना
- 'सुपर', 'ए' एवं 'बी' श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में लागू
- फल एवं सब्जी मंडी प्रांगणों को छोड़कर सभी वित्तीय रूप से सक्षम मंडियों तक विस्तार
- दिसंबर 2025 तक ₹5.09 करोड़ के व्यय से 18.26 लाख किसानों एवं श्रमिकों को लाभ



महिलाओं के लिए प्रशिक्षण

- ग्राम पंचायत स्तर पर एक–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
- 30 महिला किसानों के प्रति प्रशिक्षण हेतु ₹3,000 की सरकारी सहायता
- कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार पर विशेष ध्यान– 3.03 लाख महिलाएँ लाभान्वित
- वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान 10,105 प्रशिक्षण सत्र आयोजित



कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन

- सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डी. स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किए गए
- सहायता राशिः सीनियर सेकेंडरी (कृषि)– ₹15,000 प्रति वर्ष
- बी.एस.सी. (कृषि) / एम.एस.सी.(कृषि)– ₹25,000 प्रति वर्ष
- पीएच.डी.– ₹40,000 प्रति वर्ष
- वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में 25,862 लड़कियों को ₹48.03 करोड़ की राशि से लाभान्वित



मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना

- मृत्यु या दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करता है
- कृषक, कृषि मजदूर और हमाल (बोझा उठाने वाले) को कृषि और विपणन गतिविधियों के दौरान कवर करता है
- वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में 1,938 लाभार्थियों को ₹31.06 करोड़ की राशि के साथ लाभ प्रदान किया गया



महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना

- कृषि उपज बाजारों के मजदूरों के जीवन कल्याण के लिए 2015 में शुरू की गई
- वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में 698 मजदूरों को ₹3.51 करोड़ की राशि से लाभान्वित

महत्वपूर्ण विशेषताएं

गर्भावस्था सहायता

- लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूरों के लिए 45 दिनों के बराबर मजदूरी (दो गर्भधारण तक लागू)
- नवजात बच्चे के पिता को 15 दिनों के बराबर मजदूरी
- वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में 24 महिला मजदूरों को ₹1.18 लाख वितरित

छात्रवृत्ति / मेरिट पुरस्कार

- 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए
- 181 छात्रों को ₹7.11 लाख वितरित

विवाह सहायता

- अपनी शादी या दो बेटियों तक की शादी के लिए ₹75,000
- 461 लाइसेंसी मजदूरों को ₹341.00 लाख वितरित

चिकित्सा सहायता

- गंभीर बीमारियों (कैंसर, हृदय, लीवर, गुर्दा आदि) के इलाज के लिए सरकारी / अधिकृत अस्पतालों में ₹20,000 सहायता।
- 06 लाइसेंस प्राप्त मजदूरों को ₹1.05 लाख वितरित।

02 स्वास्थ्य एवं कल्याण

स्वस्थ भविष्य की ओरः राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण

स्वास्थ्य और कल्याण केवल बीमारियों का न होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण भी समाहित है। इसी संदर्भ में, राजस्थान का विकास एजेंडा निवारक देखभाल, समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं और नवाचार के उपयोग पर केंद्रित है, ताकि ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम किया जा सके। राज्य सरकार की पहल एक सशक्त स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिबिम्बित करती है। एक ऐसा तंत्र जो समुदायों को सशक्त बनाता है, मानव पूंजी को विकसित करता है और राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में योगदान देता है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मानव संसाधन विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सुदृढ़ एवं विस्तृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मानते हुए कि एक स्वस्थ जनसंख्या मजबूत मानव पूंजी और सामाजिक–आर्थिक प्रगति की नींव होती है, राज्य का लक्ष्य सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2017 के अनुरूप, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गरीब और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी नागरिकों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक सुधार और टिकाऊ नीतियां लागू कर रहा है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने में निरन्तर निवेश कर रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप–स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन शामिल है, ताकि अन्तिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में समान चिकित्सा सुविधा की समान पहुँच प्राप्त हो सके।

इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से राजस्थान एक सशक्त, समावेशी और कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित कर रहा है, जो अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देती है तथा सतत् मानव संसाधन विकास को सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो प्रत्येक परिवार को ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जैसी खास पहलों के जरिए बड़ी बीमारियों का वित्तीय बोझ कम करके राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

राज्य अपने स्वास्थ्य तंत्र को रूपान्तरित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रयासरत है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य पेशेवरों, दोनों की उत्पादकता एवं दक्षता को बढ़ाना है। टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख और ए.आई. आधारित निदान जैसे नवीन समाधान को एकीकृत कर राज्य सेवा वितरण में सुधार, संचालन का सरलीकरण और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुँच का विस्तार करना चाहता है। इसी परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारम्भ किया है, जो स्वास्थ्य अभिलेखों के डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी–आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने पर केन्द्रित है।

इन प्रयासों के पूरक के रूप में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र व्यक्तियों के स्वास्थ्य अभिलेखों का एक केंद्रीकृत डिजिटल संग्रह बनाने का लक्ष्य रखता है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच चिकित्सीय जानकारी तक सुगम पहुँच को साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण दक्षता बढ़ती है। रोगियों के उपचारों में सुधार और राजस्थान सहित देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2023 राज्य के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

दिसम्बर, 2025 तक राजस्थान में 6.52 करोड़ से अधिक आभा आईडी जारी की जा चुकी हैं, जिनसे चिकित्सीय इतिहास तक बेहतर पहुँच और उपचार की निरन्तरता सुनिश्चित हुई है तथा इन आईडी से 2.38 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य अभिलेख जोड़े गए हैं। राज्य को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए पहचाना गया है, जिससे स्वास्थ्य और कल्याणकारी लाभों तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित हुई है। ये सभी पहलें राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी तात्कालिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पुरा करते हुए एक स्थायी प्रौद्योगिकी आधारित स्वास्थ्य प्रणाली की नींव रखती हैं।

विजन स्टेटमेन्ट–विकसित राजस्थान@2047

2047 तक राजस्थान सभी नागरिकों के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से समग्र कल्याण की परिकल्पना करता है, जिसे एक सार्वभौमिक, सुलभ एवं एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा समर्थित किया जाएगा। एक पारदर्शी, समावेशी एवं नवाचार आधारित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रणाली आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करेगी, जिससे सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक स्थिरता सुदृढ़ होगी।

चित्र 2.1



सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच

राजस्थान और भारत के विभिन्न मुख्य स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृति को तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1 : राजस्थान और भारत के स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति

क्र. स.	संकेतक	राजस्थान		भारत	
		एनएफएचएस–4 (2015–16)	एनएफएचएस–5 (2019–21)	एनएफएचएस–4 (2015–16)	एनएफएचएस–5 (2019–21)
1.	नवजात मृत्यु दर (एनएनएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	29.8	20.2	29.5	24.9
2.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	41.3	30.3	40.7	35.2
3.	पाँच वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर (यू5एमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	50.7	37.6	49.7	41.9
4.	संस्थागत जन्म (प्रतिशत)	84.0	94.9	78.9	88.6

क्र. स.	संकेतक	राजस्थान		भारत	
		एनएफएच एस–4 (2015–16)	एनएफएच एस–5 (2019–21)	एनएफएच एस–4 (2015–16)	एनएफएच एस–5 (2019–21)
5.	पूर्ण टीकाकरण* (प्रतिशत)	54.8	80.4	62.0	76.4
6.	गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता (आयु समुह 15–49 वर्ष)	46.6	46.3	50.4	52.2
7.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (प्रति महिला बच्चों की संख्या)	2.4	2.0	2.2	2.0
8.	पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कद में कम हैं (प्रतिशत)	39.1	31.8	38.4	35.5
9.	पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुबले हैं (प्रतिशत)	23.0	16.8	21.0	19.3
10.	पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो वजन में कम है (प्रतिशत)	36.7	27.6	35.8	32.1

*12–23 महीने की आयु के बच्चे पूरी तरह से टीकाकृत माने जाते हैं, यह जानकारी या तो टीकाकरण कार्ड से या माँ की याददाश्त के आधार पर। स्रोतः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–5: 2019–21)

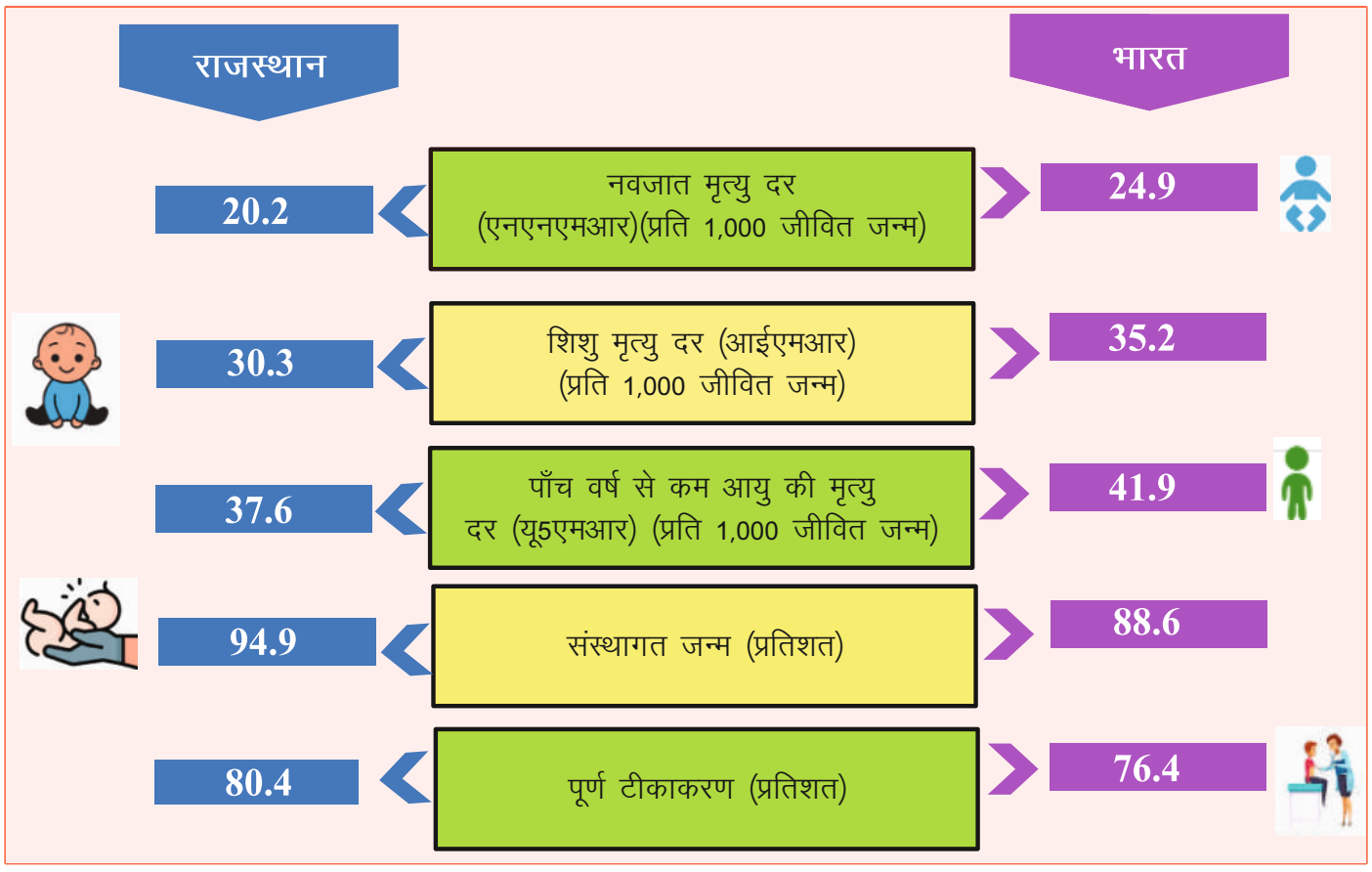
राजस्थान में नवजात मृत्यु दर (एनएनएमआर) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2015–16 में प्रति हजार जीवित जन्म पर 29.8 से घटकर 2019–21 में 20.2 हो गई है। यह कमी नवजात स्वास्थ्य देखभाल में सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है, जो संभवतः बेहतर प्रसवपूर्व देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और नवजात स्वास्थ्य के लिए लक्षित प्रयासों के कारण हुई है। राजस्थान की नवजात मृत्यु दर (एनएनएमआर) अब 2019–21 में राष्ट्रीय औसत 24.9 से कम है, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने नवजात शिशुओं के जीवित रहने की दर में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एनएफएचएस–4 से एनएफएचएस–5 तक का सुधार राज्य में नवजात मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 11 अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ 2015–16 में 41.3 से घटकर 2019–21 में 30.3 रह गई है। यह सुधार शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है, जिसमें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और टीकाकरण की बढ़ती पहुंच का योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) अब 2019–21 के राष्ट्रीय औसत 35.2 से कम है, जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में शिशु मृत्यु दर को कम करने में राज्य की प्रगति को दर्शाता है। यह रेखांकित करता है कि राज्य के स्वास्थ्य प्रयास शिशुओं के जीवित रहने की दर में सुधार लाने में प्रभावी रहे हैं।

राजस्थान में पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (यू–5 एमआर) में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो 2015–16 में प्रति हजार जीवित जन्म पर 50.7 थी, वह 2019–21 में घटकर 37.6 हो गई है। यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–4) के आंकड़ों से 13.1 अंक की प्रभावशाली कमी दर्शाती है। यह सुधार बच्चों के स्वास्थ्य में प्रभावी प्रयासों को दर्शाता है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, पोषण और टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं। 2019–21 के दौरान, राजस्थान की यू–5 एमआर राष्ट्रीय औसत 41.9 से कम हो गई है, जो यह दर्शाती है कि राज्य ने शिशु मृत्यु दर को घटाने में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक सफलता प्राप्त की है। यह प्रगति बच्चों के जीवित रहने की दर में सुधार पर केंद्रित स्वास्थ्य नीतियों के प्रभाव को उजागर करती है।

राजस्थान में **संस्थागत जन्म का प्रतिशत** 2015–16 में 84.0 प्रतिशत से बढ़कर 2019–21 में 94.9 प्रतिशत हो गया, जो कि राष्ट्रीय औसत 88.6 प्रतिशत से अधिक है। यह सुधार प्रसव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच, सुरक्षित प्रसव में योगदान और राज्य में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य परिणामों में सुधार को दर्शाता है।

चित्र 2.2 : राजस्थान और भारत में स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति – एन.एफ.एच.एस.-5 (2019-21)



गर्भवती महिलाओं (15–49 वर्ष) में खून की कमी (एनीमिया) का प्रसार 2015–16 और 2019–21 के बीच 0.3 अंकों से घटा है। यह राष्ट्रीय औसत से 5.9 अंक कम है, जो एनएफएचएस–5 डेटा के अनुसार, राज्य में गर्भवती महिलाओं के बीच एनीमिया को सम्बोधित करने में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणामों को दर्शाता है, जिससे बेहतर मातृ और बाल स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में मदद मिली है।

राजस्थान में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2019–21 में घटकर 2.0 हो गई है, जो 2015–16 से 0.4 अंकों की कमी को दर्शाता है। यह दर अब 2019–21 के राष्ट्रीय औसत 2.0 के अनुरूप है, जो राज्य में सफल परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है। टीएफआर का 2.4 से घटकर 2.0 होना राजस्थान में जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का प्रतीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–5) के अनुसार, प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर लगभग 2.1 है, जो जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जनसंख्या न बढ़ती है और न घटती है। यह तथ्य कि राजस्थान की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) इस स्तर पर पहुंच गई है, यह संकेत देता है कि राज्य अपनी जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने की दिशा में है, जो सतत् विकास के लिए आवश्यक है।

राजस्थान में 2019–21 के दौरान **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन, दुबलापन और कम वजन का प्रतिशत** क्रमशः 31.8 प्रतिशत, 16.8 प्रतिशत और 27.6 प्रतिशत रहा जिसमें अच्छा सुधार हुआ है। एनएफएचएस–5 के अनुसार बौनापन 7.3 अंक घटकर 31.8 प्रतिशत, दुबलापन 6.2 अंक घटकर 16.8 प्रतिशत, और कम वजन 9.1 अंक घटकर 27.6 प्रतिशत हो गया है। ये कमी कुपोषण को दूर करने और बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है। हालांकि ये सुधार उत्साहवर्धक हैं, बच्चों में कुपोषण को और कम करने के लिए निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) डेटा के अनुसार, राजस्थान में **मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)** में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो 2018–2020 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 113 से घटकर 2021–2023 में 86 हो गई है। यह कमी मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति को दर्शाती है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, उन्नत मातृ देखभाल और मातृ मृत्यु को कम करने के उपायों का

परिणाम है। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर 86 है, जो समान अवधि में राष्ट्रीय औसत 88 से कम है। यह दर्शाता है कि माताओं के स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

तालिका 2.2 : मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) की प्रवृति

क्र.स.	सूचकांक	राजस्थान		भारत	
		एसआरएस (2018–20)	एसआरएस (2021–23)	एसआरएस (2018–20)	एसआरएस (2021–23)
1.	मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति लाख जीवित जन्म)	113	86	97	88

स्रोतः नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2018–20 और 2021–23 (सितम्बर, 2025)

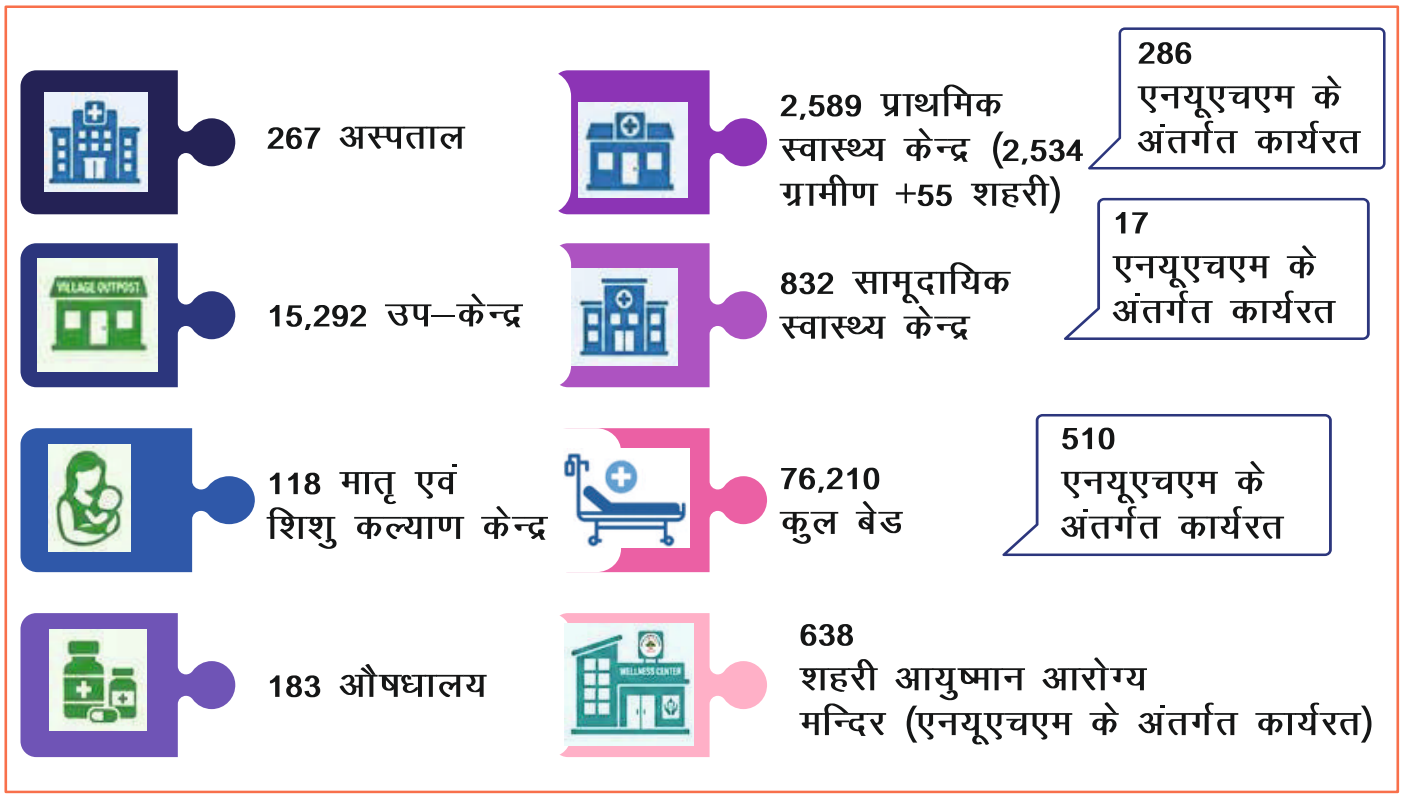
राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना

भौतिक अवसंरचना

राजस्थान एक सुसज्जित और विविधतापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा है, जहाँ अनेक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक संस्थान व्यापक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों का संचालन कर रही है। सरकार ने गरीब और पिछड़े समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने के लिए एससीएसपी / टीएसपी क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाते हैं। यह बहु–प्रणालीक दृष्टिकोण सभी के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकारी एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों (चिकित्सा महाविद्यालयों के संलग्न अस्पतालों को छोड़कर) की दिसम्बर, 2025 तक की स्थिति तालिका 2.3 में दशाई गई है।

चित्र 2.3 : राजस्थान में एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों की स्थिति



*63 जिला, 125 उप–जिला, 32 सैटेलाइट और 47 अन्य अस्पताल सम्मिलित हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ही एकमात्र महत्वपूर्ण और प्रभावी मार्ग है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने "स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों'' की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं को मजबूत करने की सिफारिश की, जिसे समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) प्रदान करने के प्लेटफॉर्म के रूप में देखा गया और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य बजट का दो तिहाई हिस्सा समर्पित करने की प्रतिबद्धता की बात की है। समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में देखभाल के निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सम्बंधी पहलू शामिल हैं। नवम्बर 2023 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कर दिया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) के तहत प्रदान की जाने वाली 12 सेवाओं की सूची निम्नलिखित हैः–

1. गर्भावस्था एवं बच्चों के जन्म के समय देखभाल ।
2. नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
3. बाल्यकाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
4. परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक सेवाएं एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
5. संचारी रोगों का प्रबंधनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम।
6. एक्यूट सिम्पल इल्नेस एवं मामूली बीमारियों के लिए सामान्य ओपीडी सेवाएं।
7. गैर–संचारी बीमारियों की जाँच, रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन।
8. सामान्य नेत्र एवं नाक, कान, गला रोग सेवाएं।
9. बुनियादी मुख स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
10. प्रौढ़ एवं उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
11. जलने एवं आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं।
12. मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की जाँच एवं बुनियादी प्रबंधन ।

तालिका 2.3 : आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुविधाओं की संख्या जहां सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला शुरू की गई (दिसम्बर, 2025 तक)

सुविधा का प्रकार	पोर्टल पर कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिर	आयुष्मान आरोग्य मंदिर के विरुद्ध सेवाओं के विस्तारित पैकेज की शुरूआत
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)	2485	2113
उप स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी)	14742	6854
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (यूपीएचसी)	299	292
शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (यूएएएम)	332	293
आयुष आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (एएएएम)	2019	2019
कुल	**19877**	**11571**

राज्य में 127 आयुर्वेदिक अस्पताल, 86 ब्लॉक आयुष अस्पताल, 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल और 3,575 आयुर्वेदिक औषधालय, 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय, 1 सर्जिकल एंबुलेटरी थेरेपी यूनिट और 13 एंबुलेटरी थेरेपी इकाइयां कार्यरत हैं। राज्य के आयुर्वेद संस्थानों में 45 आंचल प्रसूता केंद्र, 45 जरावस्था ज्ञान व्याधि निवारण केंद्र, 82 पंचकर्म केंद्र, 10 क्षारसूत्र केंद्र और 33 योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी शामिल हैं। राज्य में कार्यरत आयुर्वेद एवं अन्य संस्थाओं की संख्या तालिका 2.4 में दी गयी है।

तालिका 2.4 : राज्य में आयुर्वेद एवं अन्य संस्थाएं (दिसम्बर, 2025 तक)

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	संस्थानों की संख्या
1.	आयुर्वेद अस्पताल	127
2.	ब्लॉक आयुष अस्पताल	86
3.	आयुर्वेद औषधालय	3575
4.	मोबाइल इकाइयाँ	14
5.	योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र	33
6.	योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल	3
7.	योग और प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय	3

विभिन्न संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य में होम्योपैथिक विभाग भी कार्यरत है। वर्तमान में, राज्य में 7 होम्योपैथिक अस्पताल, 189 औषधालय, 60 एकल चिकित्सा इकाइयाँ, 83 राजकीय ब्लॉक आयुष अस्पताल, 225 ब्लॉक होम्योपैथिक औषधालय, 2 मोबाइल इकाइयाँ तथा 3 जिला आयुष अस्पताल कार्यरत हैं।

यूनानी चिकित्सा प्रणाली विश्व स्तर पर सबसे पुरानी उपचार प्रणालियों में से एक है, जो राज्य में 12 चिकित्सालय, 119 औषधालय, 7 मोबाईल यूनिट और 142 जिला चिकित्सालय/सी.एच.सी/पी.एच.सी इकाइयों के साथ–साथ 102 सह आयुर्वेद संचालित इकाइयां एवं हिजामा थैरेपी के लिए 1 उत्कृष्टता केन्द्र विभिन्न सुविधाओं के साथ कार्यरत है।

सभी के लिए स्वास्थ्य

राजस्थान ने "सभी के लिए स्वास्थ्य" की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके लिए राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम–2023 लागू किया गया है, जो कानूनी रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच प्रदान करना है।

सभी लोगों को बिना वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की जा रही है, जो परिवारों को उच्च आउट ऑफ पॉकेट खर्च (ओ.ओ.पी.ई.) से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करती है।

इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत पंजीकृत परिवारों, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (एसइसीसी) में पात्र लाभार्थी, छोटे और सीमांत किसानों, संविदा श्रमिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और कोविड़–19 से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। शेष आबादी ₹850 प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं, शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में लगभग 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत है।

- इस योजना के नये चरण में प्रति परिवार ₹2,370 का प्रीमियम निर्धारित किया गया, जो योजना में 2,179 पैकेजों को कवर करता है, जिनमें से 2,002 पैकेज बीमा मोड में और 177 पैकेज ट्रस्ट मोड में है।
- यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है, जिसमें ₹5 लाख बीमा मोड में और ₹20 लाख ट्रस्ट मोड में होते हैं, साथ ही अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज भी शामिल हैं एवं अन्य राज्यों में प्रतिपूर्ति विकल्प भी उपलब्ध हैं।
- इस योजना में विभिन्न सर्जरियों, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष तथा जेरियाट्रिक (वृद्धजन) देखभाल से संबंधित 132 नए पैकेज शामिल किए गए हैं।

- अप्रेल, 2025 से राज्य में इन–बाउंड पॉर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य प्रदेशों के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में तथा दिसम्बर, 2025 से आउट–बाउंड पॉर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थियों को अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है।
- इस योजनान्तर्गत 2.86 करोड़ लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 2.29 करोड़ पात्र व्यक्तियों की ई–केवाईसी का कार्य पूर्ण किया गया।
- इस योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में कुल ₹2,800 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹2,080 करोड़ का व्यय किया गया।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) की भौतिक प्रगति को तालिका 2.5 में दर्शाया गया है–

तालिका 2.5 : मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की प्रगति

क्र. सं.	विवरण	संख्या	राशि ₹(करोड़ में)
1.	ईलाज प्राप्त मरीज	1532780	–
2.	प्रस्तुत बीमा दावे	6275311	2955.16
3.	भुगतान किये गये दावे	4015705	2245.53

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना : सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में संचालित है। इस योजनान्तर्गत मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप–स्वास्थ्य केन्द्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भर्ती एवं बाह्य रोगियों को आवश्यक दवाइयाँ एवं जांच सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। योजनान्तर्गत आवश्यक दवाओं की सूची में 1,238 दवाइयों, 428 सर्जिकल वस्तुएं और 156 सूचर्स को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान इस पहल के अन्तर्गत 15.73 करोड़ मरीजों को लाभान्वित किया गया, जिसमें दवाईयों पर ₹1312.19 करोड़ व्यय किये गये।

मुख्यमंत्री बाल संबल योजना : दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सहायता योजना" प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंर्तगत 224 बच्चों को दुर्लभ रोग से पीड़ित के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिस पर कुल ₹65 लाख व्यय किये गये।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) : राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, वर्तमान में यह लगभग 13.65 लाख परिवारों को कवर कर रही है। आरजीएचएस लाभार्थी श्रेणी में राज्य के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, राजस्थान सरकार में सेवारत कर्मचारी के साथ पेंशनभोगी, राज्य स्वायत्त निकाय सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी तथा उन पर आश्रित सम्मिलित हैं। आरजीएचएस के अन्तर्गत पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता है। पात्र पंजीकृत लाभार्थी राज्य के सभी सरकारी, 741 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों, सहकारी औषधि भण्डारों (कॉन्फेड) एवं 3,748 सूचीबद्ध निजी फार्मा स्टोर तथा राज्य के बाहर 39 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस ओपीडी / आईपीडी / डे–केयर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा के तहत भी उपचार सम्मिलित है। आरजीएचएस लाभार्थियों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है, जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से सहज और त्वरित सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ओपीडी / आईपीडी सेवाओं और फार्मेसी प्रतिपूर्ति के 92.76 लाख दावों पर कुल ₹2,440.69 करोड़ व्यय किये गये हैं।

आयुष्मान वय वंदन योजना : राजस्थान में समावेशी स्वास्थ्य सेवा को वर्तमान में लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं द्वारा आकार दिया जा रहा है। बुजुर्गों को बिना किसी वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर, 2024 को शुरू की गई आयुष्मान वय वंदन योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार प्रदान करती है।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना : ग्रामीण समुदायों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान इनडोर और आउटडोर रोगी विभागों में प्रति माह 9 लाख रोगियों का इलाज किया गया और स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति माह 4,000 प्रसव कराए गए। इस पहल के समर्थन में वर्ष 2025–26 के लिए ₹300 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

"शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान : राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ किया गया। इस अभियान के तहत दिसम्बर, 2025 तक 14,998 निरीक्षणों के माध्यम से कुल 38,647 नमूने एकत्र किए गए हैं। प्रयोगशाला परीक्षणों के बाद 2,764 नमूने निम्न गुणवत्ता, 129 नमूने गलत ब्रांडिंग एवं 653 नमूने असुरक्षित पाए गए। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल ₹13.61 करोड़ का व्यय किया गया।

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ाना और मरीजों के लिए समर्थन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत 2.10 लाख नए मरीजों और 3.41 लाख फॉलो–अप मरीजों को बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के तहत कुल 645 शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 15,069 मरीजों का इलाज किया गया। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल ₹179.55 लाख का व्यय किया गया है।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीएफ) : पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ फ्लोराइड का स्तर अधिक है, वहाँ फ्लोरोसिस की समस्या से निपटने के लिए यह कार्यक्रम राज्य के 30 चिन्हित् जिलों में लागू किया गया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राज्य के कुल 1,020 गांवों को फ्लोराइड प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में 19,805 संदिग्ध फ्लोरोसिस रोगियों को चिन्हित् किया गया, जिनमें से 7,260 मामलों की पुष्टि की गई। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल ₹17.22 लाख व्यय किए गए हैं।

सिलिकोसिस नीति–2019 : सिलिकोसिस खदानों, कारखानों, पत्थर कटाई, ग्राइंडिंग, पाउडर निर्माण, गिट्टी, बलुआ पत्थर की मूर्तिकला आदि कार्यों में उत्पन्न धूल के लम्बे समय तक सम्पर्क में आने से होने वाला एक असाध्य रोग है। इस नीति के अंतर्गत सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ–साथ रोग की पहचान, पुनर्वास, रोकथाम एवं नियंत्रण तथा संबंधित कार्यस्थलों एवं श्रमिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणन पर पीड़ित को पुनर्वास हेतु ₹3 लाख की सहायता राशि तथा ₹1,500 प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है। पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को ₹2 लाख की सहायता दी जाती है। दिवंगत की विधवा को आयु वर्ग के अनुसार ₹1,250 से ₹1,500 प्रतिमाह विधवा पेंशन दी जाती है। पालनहार योजना के अन्तर्गत परिवार को आयु वर्ग के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। पीड़ित एवं उसका परिवार 'आस्था कार्ड' धारक परिवार की भांति सभी बीपीएल सुविधाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, अंतिम संस्कार हेतु पीड़ित के परिवार को ₹10,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सिलिकोसिस नीति के अन्तर्गत (दिसम्बर, 2025 तक) डीएसएपी के माध्यम से केन्द्रीय ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया द्वारा ₹614.86 करोड़ की राशि व्यय कर 20,478 सिलिकोसिस पीड़ितों/परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) का उद्देश्य मुख स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और शहरी एवं ग्रामीण आबादी के बीच दन्त सेवाओं की पहुंच में असमानताओं को कम करना है। इस पहल ने बेहतर मुख स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल 6,095 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 2.38 लाख रोगियों की जांच की गई। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत सरकारी दन्त चिकित्सा संस्थानों में 16.29 लाख रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है।

राष्ट्रीय बहरा नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी) का उद्देश्य सुनने की क्षमता को बढ़ावा देना और शहरी और ग्रामीण आबादी में बहरापन की सेवाओं की पहुंच में असमानताओं को कम करना है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल 1,554 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 61,625 मरीजों की जांच की गई। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में 6.09 लाख रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 60 दिवसीय तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत राज्यभर में जागरूकता गतिविधियां संचालित की गई। इनमें तम्बाकू मुक्त विद्यालय,

सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही, तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायतें, सोशल मीडिया अभियान तथा क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम शामिल रहे। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल ₹931.40 लाख के प्रावधान के विरुद्ध ₹211.95 लाख का व्यय किया गया है।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) : यह कार्यक्रम राज्य में वर्ष 2019 में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस–सी का उन्मूलन करना तथा हेपेटाइटिस–बी एवं सी के साथ–साथ हेपेटाइटिस–ए एवं ई से होने वाली मृत्यु दर तथा रोगों को कम करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत हेपेटाइटिस जांच हेतु जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर स्थित मेडिकल कॉलेजों में चार राज्य स्तरीय मॉडल उपचार प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में 50 एनवीएचसीपी प्रयोगशालाएं भी कार्यरत हैं।

वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक), हेपेटाइटिस–बी की जांच हेतु कुल 8.81 लाख रोगियों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 10,555 रोगी पॉजिटिव पाए गए तथा 1,597 रोगियों को उपचार प्रदान किया गया। इसी अवधि में हेपेटाइटिस–सी की जांच के लिए 6.65 लाख रोगियों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 3,580 रोगी पॉजिटिव पाए गए और 1,026 रोगियों को उपचार प्रदान किया गया। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल ₹12.59 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹2.18 करोड़ का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (जाँच) योजना राज्य सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में समग्र उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चरणबद्ध रूप से लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक कुल 101.17 करोड़ निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँचें कराई गई। योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल ₹531.56 करोड़ का व्यय कर 13.55 करोड़ निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँचें की गईं तथा 3.90 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संक्रामक एवं गैरसंक्रामक रोगों की नियमित निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों को नियंत्रित करना है। भारत सरकार द्वारा विकसित संचार प्रणाली (वर्तमान में आईडीएसपी पोर्टल) के माध्यम से उपकेन्द्र स्तर से ही वास्तविक समय (रियल–टाइम) में आंकड़ों का संकलन सुनिश्चित किया जाता है। राज्य एवं जिला स्तर पर जिला निगरानी समितियों का गठन किया गया है तथा उपकेन्द्र स्तर तक निगरानी इकाइयों की स्थापना की गई है। प्राथमिकता के आधार पर 27 जिला चिकित्सालयों की जिला प्रयोगशालाओं का चयन कर उन्हें सुदृढ़ करते हुए जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, रेफरल नेटवर्क के अन्तर्गत 7 चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में स्वीकृत राशि ₹163.50 लाख के विरुद्ध ₹49.11 लाख का व्यय किया गया है।

अन्य प्रमुख गतिविधियां एवं कार्यक्रम–

- राज्य में टाइप–1 मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन मधुहारी कार्यक्रम का शुभारम्भ 29 नवम्बर, 2024 को जिला चिकित्सालय, नागौर में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के 70 जिला एवं उप–जिला चिकित्सालयों से बाल रोग विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। दिसम्बर, 2025 तक 1,700 से अधिक रोगियों का पंजीकरण किया गया तथा उन्हें निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर एवं ग्लूकोज स्ट्रिप्स प्रदान की गई।
- **मिशन मधुनेत्र** के अन्तर्गत राज्य में मधुमेह रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की जाँच प्रारम्भिक चरण में 5 चिकित्सा संस्थानों यथा जिला चिकित्सालय–पाली, ब्यावर, करौली, जालोर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देशनोक (बीकानेर) में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान डायबिटिक रेटिनोपैथी हेतु 640 ए.आई. आधारित जाँचें की गईं, जिनमें से 96 रोगी पॉजिटिव पाए गए तथा उनके उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
- **प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम** के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के 41 जिलों के 61 जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस सेवाए संचालित की जा रही हैं। इन डायलिसिस केन्द्रों पर कुल 145 हीमोडायलिसिस मशीनें कार्यरत हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान 6,653 पंजीकृत रोगियों को कुल 51,088 डायलिसिस उपचार सत्रों से लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2025–26 के दौरान चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत नवीन गतिविधियां–

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) डीग को 150 शैय्याओं वाले जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी।

- पृथ्वीराजनगर–जयपुर (शिवदासपुरा, टोंक रोड पर स्थित) और बालमुकुंदपुरा (अजमेर रोड) में 50 शैय्याओं वाले दो नवीन सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने की स्वीकृति जारी।
- रामगंज मंडी (कोटा) स्थित उप–जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी।
- मुरलीपुरा और प्रतापनगर (जयपुर) तथा कमला नेहरू अस्पताल, कांकरोली (राजसमंद) को 50 शैय्याओं वाले सैटेलाइट अस्पतालों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी।
- 78 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी।
- 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी।
- 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप–जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी।
- सुनेल (झालावाड़) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 75 शैय्याओं वाले सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा लागू किया गया है, इसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रसार को रोकना और कम करना है।

- "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक 28.60 लाख व्यक्तियों के खून की जांच की गई है, जिनमें से 5,522 रक्त के नमूने एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए हैं।
- मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों एवं चयनित केन्द्रों में कार्यरत सभी 53 यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) क्लिनिकों पर निःशुल्क परामर्श, परीक्षण और दवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- राज्य में 255 ब्लड बैंक संचालित हैं, जिसमें 58 राज्य सरकार, 7 केन्द्र सरकार एवं 190 निजी क्षेत्र के ब्लड बैंक शामिल हैं, जो जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाते हैं।
- राज्य में 28 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) केन्द्र, 8 पीपीपी ए.आर.टी. केन्द्र एवं 21 लिंक ए.आर.टी. केन्द्र तथा 17 केयर सपोर्ट केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों पर एचआईवी / एड्स के रोगियों को एंटी रेट्रोवायरल दवाएं निःशुल्क वितरित की जाती हैं।
- इस योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में कुल ₹47.98 करोड़ के विरूद्ध ₹22.72 करोड़ का व्यय किया गया।

आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को सशक्त बनाना (आयुष) आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी और राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। मिशन के तहत सुधार, नवीकरण एवं सहायता से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई, जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

- आयुष सेवाओं के अन्तर्गत ₹39.76 करोड़ की दवाएं तथा 4,032 आयुष औषधालयों (2,019 एएएम सहित), 222 अस्पताल, 6 एकीकृत आयुष अस्पताल, 33 योग प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों एवं 1,010 आइसोलेटेड आयुष सुविधाओं जैसी सभी सेवाओं को एक छत के नीचे समेकित कर सहायता प्रदान की जा रही है।
- 570 औषधालयों, 6 (पचास शैय्याओं वाले) एकीकृत आयुष चिकित्सालयों, 7 रसायनशालाओं, 2,019 एएएम (आयुष) केंद्रों के सिविल ब्रांडिंग वार्डों, 5 (दस एवं तीस शैय्याओं वाले) एकीकृत आयुष चिकित्सालयों, 2 सह–स्थित विभागीय औषधालयों, 2 स्वतंत्र आयुष चिकित्सालयों एवं 10 क्षारसूत्र इकाइयों का निर्माण / नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।
- आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में परिवर्तित किया गया है, इन केन्द्रों में नियमित योगाभ्यास, आयुष उपचार, सामान्य प्रयोगशाला सेवाएं, प्रकृति परीक्षण और औषधीय उद्यान तथा गैर संक्रामक रोगों की सर्वे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष) को एनएबीएच प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) स्वीकृत राशि ₹348.88 करोड़ के विरूद्ध ₹174.44 करोड़ प्राप्त हो चुकी है एवं ₹50.81 करोड़ व्यय किये गये हैं।

राजस्थान में वर्ष 2025–26 के लिए आयुष मिशन के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- 11 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2025 को "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" थीम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के 1.69 लाख स्थानों पर 138.22 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- आमजन की सुविधाओं के लिए सभी चिकित्सालयों एवं औषधालयों को गूगल मैप पर प्रदर्शित किया गया है।
- जायल–नागौर एवं नवलगढ़–झुंझुंनू में आयुर्वेद औषधालयों को ब्लॉक आयुष चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया।
- कोटा में नवीन राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया गया है।
- वर्ष 2025–26 में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 210 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर का चयन किया गया, जिसमें योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागों से संबंधित 18 स्वास्थ्य सूचको को सम्मिलित किया गया है।
- मौसमी बीमारियों के लिए साप्ताहिक एक दिवसीय शिविरों का आयोजन कर कुल 4.16 लाख रोगियों का उपचार किया गया।
- आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वस्थ महिला–सशक्त परिवार तथा पोषण माह के अवसरों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा कुल 1.30 लाख रोगियों का उपचार किया गया।
- "शहर चलो एवं गाँव चलो" अभियान के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया और इन शिविरों के दौरान होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कुल 3.08 लाख रोगियों का उपचार किया गया।
- संभाग स्तर पर नारी निकेतन केन्द्रों में प्रतिमाह निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान कुल 547 रोगियों का उपचार किया गया।
- संभाग स्तर पर आयोजित आरोग्य मेलों (बीकानेर व उदयपुर) में कुल 52,694 रोगियों का उपचार किया गया।
- राज्य वार्षिक कार्य योजना 2024–25 के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से 2 विभागीय चिकित्सा इकाइयों (लाडुवाला–श्रीगंगानगर और जसुत–दौसा दोनों स्थानों पर सरकारी होम्योपैथी एकल चिकित्सक इकाई) के नए भवनों का निर्माण किया गया है।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान होम्योपैथिक संस्थानों के माध्यम से 2.30 करोड़ रोगियों को उपचार देकर लाभान्वित किया गया है। इसी अवधि के दौरान विशेष योजना के तहत एससीएसपी / टीएसपी क्षेत्रों में लगवाये गये 40 शिविरों के माध्यम से 8,828 रोगियों का इलाज किया गया।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) यूनानी चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत कुल 10.86 लाख रोगियों का इलाज किया गया, जिनमें 4.82 लाख महिलाएं शामिल हैं। वर्ष 2025–26 में आवंटित बजट ₹61.67 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध (दिसम्बर तक), ₹41.26 करोड़ व्यय किये गये।

राज्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए **परिवार कल्याण** कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान 86,733 नसबन्दी ऑपरेशन, 4.63 लाख इंट्रा यूटेराइन डिवाइस (आई.यू.डी.) व 2.19 लाख पोस्ट प्लेसेंटल आई.यू.सी.डी. (पी.पी.आई.यू.सी.डी.) लगाई गई तथा 1.52 लाख लाभार्थी/महिलाओं को गर्भनिरोधक इन्जेक्शन की पहली खुराक दी गई। इसके अलावा 3.75 लाख ओरल पिल्स (ओ.पी.) उपयोगकर्ताओं, 5.63 लाख सी.सी. उपयोगकर्ताओं एवं 76,001 सेंटक्रोमन टेबलेट उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की गई हैं। एनएफएचएस–5 के अनुसार कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.0 के राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, शिशु मृत्यु दर को कम करने और शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से प्रति रक्षा हेतु सघन टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया गया है।

तालिका 2.6 : वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में किये गये टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति

(संख्या में)

क्र.स.	टीकाकरण	उपलब्धि (लाखों में)
1.	पेन्टा–3	11.24
2.	बी.सी.जी. टीकाकरण	10.98
3.	मीजल्स रूबेला–1	11.73
4.	टी.डी.	11.93
5.	ओ.पी.वी.–3	11.16

मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना : इस योजना का उद्देश्य राज्य में शिशु मृत्यु दर के साथ–साथ प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करना तथा गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को निःशुल्क दवा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क दवा और उपभोग्य वस्तुएं, प्रयोगशाला जाँच, भोजन, रक्त सुविधा एवं यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान 25.47 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा, 10.15 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच, 7.37 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क ताजा भोजन, 4.43 लाख गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल तक, 30,193 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से उच्च चिकित्सा संस्थान तक, 4.92 लाख गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से घर तक निःशुल्क परिवहन सुविधा तथा 54,314 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क रक्त सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 1.81 लाख बच्चों को निःशुल्क जाँच सेवाएं, 4.21 लाख बच्चों को निःशुल्क दवाईयां, 3,259 बच्चों को निःशुल्क रक्त सुविधा तथा 48,997 बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की गई।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस)

भारत में कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) चलाई जा रही है। यह योजना कारखानों, होटलों, निजी चिकित्सा संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को कवर करती है, जहां न्यूनतम दस कर्मचारी कार्यरत हैं एवं जिनका वेतन ₹21,000 प्रति माह से अधिक नहीं है।

- 67.44 लाख से अधिक बीमित व्यक्ति तथा आश्रित ईएसआईएस के तहत लाभान्वित हैं। चिकित्सा लाभ बीमित के पति/पत्नी, पुत्र (21 वर्ष तक), अविवाहित पुत्रियां, विकलांग बच्चों और आश्रित माता–पिता को प्रदान किए जाते हैं।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान चिकित्सा उपचार पर खर्च ₹144.77 करोड़ रहा, जिसमें 13.91 लाख ओ.पी.डी., 590 आई.पी.डी. रोगियों का इलाज किया गया है एवं 1.17 लाख लैब टेस्ट किए गए। ईएसआईसी और राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी 7:1 के अनुपात में होती है। इसमें नियोक्ता का 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का 0.75 प्रतिशत योगदान रहता है।
- यह योजना 50 शैय्याओं वाले 03 अस्पतालों (जोधपुर, भीलवाड़ा और पाली में स्थित) और 76 औषधालयों के माध्यम से संचालित है। जयपुर का मॉडल ईएसआईसी अस्पताल एवं भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर तथा अलवर के अस्पताल में उल्लेखनीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अलवर में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में औषधालय भी कार्यरत हैं।
- राज्य के 58 चिकित्सालयों/औषधालयों में योग्य दन्त चिकित्सकों द्वारा दन्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को उप–मिशन के रूप में शामिल किया गया है। एनएचएम के तहत विभिन्न गतिविधियों की प्रगति निम्नानुसार हैं:–

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** (2005) की शुरुआत के बाद से, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) घटक ने एनआरएचएम गतिविधियों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। आशा कार्यक्रम को सामुदायिक प्रक्रिया के एक प्रमुख घटक के रूप में शुरू किया गया था और 20 वर्षों की अवधि में, यह कार्यक्रम दुनिया का सबसे बडा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम बनकर उभरा है और इसे स्वास्थ्य में लोगों की भागीदारी को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आशा एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता है, जिसकी भूमिका स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना तथा समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक मध्यस्थ/संपर्क के रूप में कार्य करना है। राजस्थान में, आशा को आशा सहयोगिनी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्यकर्ता है। आशा का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है और वह एएनएम और एडब्ल्यूडब्ल्यू (आंगनवाडी कार्यकर्ता) के समन्वय से कार्य करती है। राज्य की सभी आशा कार्यकर्ताओं को

गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होता है। वर्तमान में सितम्बर, 2025 तक राज्य में 54,022 आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं। आशा सहयोगिनी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में एक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाकर्ता, एक सेवा प्रदाता और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना शामिल है। वह एमसीएचएन (मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण) दिवस और घर–घर जाकर विभिन्न आरसीएच (प्रजनन बाल स्वास्थ्य) गतिविधियों के दौरान प्रमुख आरसीएच सेवाओं और संदेशों के वितरण में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, आशा सहयोगिनी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसे मलेरिया, टीबी और कई अन्य स्वास्थ्य प्रावधान के तहत महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करती है। समुदाय में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2025–26 में बजट प्रावधान ₹132.68 करोड़ के विरूद्ध (सितम्बर तक) ₹55.10 करोड़ व्यय किये गये हैं।

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)** : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कार्यक्रम देशभर में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जन्म दोष और विकास में देरी जैसे 40 पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करना है। राज्य में स्कूलों और समुदायों में स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (एमएचटी) को लगाया गया है। मोबाइल स्वास्थ्य टीम ने वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में कुल 34.10 लाख बच्चों की जांच की, जिसमें से 87,592 बच्चों का इलाज किया गया, जिसमें 732 जटिल सर्जरी की गई। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में कुल प्रावधान राशि ₹24.77 करोड़ के विरूद्ध (दिसम्बर तक), कुल ₹6.37 करोड़ का व्यय किया गया।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)

राजस्थान में किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र हैं, क्योंकि मातृ एवं नवजात जीवन संरक्षण के साथ–साथ किशोर स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ करता है, जिसके अन्तर्गत उजाला क्लीनिक एवं आउटरीच गतिविधियां, साप्ताहिक आयरन–फोलिक एसिड अनुपूरण तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जनसांख्यिकीय क्षमता को मानव पूंजी में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे किशोरों तक उनके निवास, अध्ययन एवं सामाजिक परिवेश में ही प्रभावी रूप से पहुँचा जा सके।

किशोर–अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया गया है, जहाँ परामर्श, निवारक सेवाएं एवं रेफरल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो एनीमिया, कुपोषण, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा व्यवहार संबंधी समस्याओं की शीघ्र पहचान एवं प्रबन्धन में योगदान करते हैं।

वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक), कुल 6.74 लाख किशोर–किशोरियों को उजाला क्लीनिक में परामर्श प्रदान किये गये तथा 6,547 आउटरीच सत्र आयोजित किए गए, जिससे 3.93 लाख किशोर–किशोरियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक), के लिए स्वीकृत बजट ₹21.71 करोड़ में से ₹9.96 करोड़ का व्यय किया गया है।

- **104 जननी एक्सप्रेस सेवा** : राजस्थान में मातृ स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं तक समय पर परिवहन प्रदान करती है। वर्ष 2025–26 (नवम्बर तक), के दौरान इन एम्बुलेंस के माध्यम से कुल 13,984 गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल एवं 1.77 लाख को अस्पताल से घर तक परिवहन सुविधा तथा 12,827 नसबंदी में लाभार्थियों को भी रैफरल ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदान की गई है। 3,458 नवजात शिशुओं को घर से अस्पताल एवं 29,490 को अस्पताल से घर तक परिवहन सुविधा, 1,097 गर्भवती महिलाओं एवं 224 बीमार नवजात शिशुओं को इन एम्बुलेंस के माध्यम से अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रैफर किया गया है। वर्ष 2025–26 में आवंटित बजट ₹100.24 करोड़ में से (दिसम्बर तक), कुल ₹55.24 करोड़ का व्यय किया गया।

- **108 एम्बुलेंस सेवा योजना** : राज्य के लोगों को निःशुल्क और प्रभावी आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सितम्बर, 2008 में शुरू की गई। वर्तमान में राज्य में 1,094 एम्बुलेंस संचालित हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान राज्य भर में चल रही एम्बुलेंसो द्वारा 3.19 लाख आपातकालीन चिकित्सा, 19,139 पुलिस घटनाओं और 1.23 लाख गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु परिवहन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वर्ष 2025–26 के लिए कुल स्वीकृत बजट ₹224.77 करोड़ में से (दिसम्बर तक) ₹173.57 करोड़ का व्यय किया गया।

- **मोबाइल मेडिकल सेवा योजना** : यह योजना 2008–09 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राजस्थान के उन दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना था, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / उप–केंद्र या निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस योजना के तहत रेगिस्तानी, आदिवासी, अविकसित गांवों, क्षेत्रों, ब्लॉकों में हर महीने 20 निःशुल्क मेडिकल कैम्पों का आयोजन किया जाता है। राज्य में 28 मोबाइल मेडिकल वाहन चल रहे हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान 14,340 शिविरों के लक्ष्य के विरूद्व 10,714 शिविरों में 6.01 लाख रोगियों का इलाज किया गया एवं ₹87.08 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹7.45 करोड़ व्यय किए गए हैं।

- **एमएए (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य) वाउचर योजना** : यह योजना गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सोनोग्राफी सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य में 2024 में शुरू की गई। इन सेवाओं की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। राज्य में कुल 1,462 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्र क्यूआर कोड वाले वाउचरों के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान 2 लाख सोनोग्राफी वाउचर जारी किए गए हैं, जिनसे 1.48 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम–अभिम)**: इस मिशन का उद्देश्य भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करना है। यह मिशन भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने, प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। इस मिशन के अंतर्गत कुल 406 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें 131 ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बी.पी.एच.यू.) का निर्माण, 6 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आई.पी.एच.एल.), 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सी.सी.बी.) तथा 429 शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर शामिल हैं।

- ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को व्यावसायिक बनाने और स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाने की दिशा में पहला कदम है। सरपंच / वार्डपंच की अध्यक्षता में 43,440 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्य आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों तथा महिला स्वास्थ्य संघ (एमएसएस) आदि के प्रतिनिधि हैं। आशा सहयोगिनी वीएचएससी की संयोजक हैं। उनकी बैठकें एमसीएचएन के दिनों में होती हैं जब उपकेंद्र की एएनएम पहले से ही गाँव का दौरा कर रही होती हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक), पूरे राज्य में 3.5 लाख बैठकें आयोजित की गई। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के लिए स्वीकृत कुल प्रावधान ₹11.65 करोड़ के विरूद्ध कुल ₹3.44 करोड़ का व्यय किया गया है।

टेलीमेडिसिन

भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए ई–संजीवनी एचडब्ल्यूसी पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल पदानुक्रमित परामर्श सेवाएं प्रदान करता है, अर्थात निम्न सुविधा से उच्च सुविधा (पीएचसी–सीएचसी / डीएच / मेडिकल कॉलेज) तक, इसे हब एंड स्पोक मॉडल भी कहा जाता है। राज्य में दिसम्बर, 2025 तक टेली–परामर्श की कुल संख्या 20.33 लाख है। वर्ष 2025–26 (नवम्बर तक), के दौरान आवंटित राशि ₹619.01 करोड़ के विरूद्ध ₹13.30 करोड़ का व्यय किया गया।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राज्य सरकार राज्य के लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों, के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके लिए संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के साथ–साथ उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत सुनियोजित ढांचे के विकास और चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाकर शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।

- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में 31,893 शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित किये गये।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में कुल 1,693 आउटरीच शिविरों का आयोजन किया गया।

- गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में 71 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नेशनल सर्टिफाइड तथा 07 संस्थाओं को स्टेट सर्टिफाइड करवाया गया।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), में प्राप्त बजट ₹198.01 करोड़ में से कुल ₹58.25 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका 2.7 : शहरी पीएचसी, सीएचसी एवं यूएएएम की स्थिति

क्रम सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	उपलब्धि (दिसम्बर, 2025 तक)
1	शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	वर्तमान में 17 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं।
2	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	वर्तमान में 286 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं।
4	शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर	वर्तमान में 638 शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर संचालित हैं।

चित्र 2.4 : स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां 2025–26



03 शिक्षा एवं ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था

राजस्थान में शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक केंद्रीय स्तंभ रही है, विशेष रूप से राज्य की बहुसंख्यक ग्रामीण और जनजातीय आबादी के संदर्भ में। क्षेत्रीय और सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को कम करने के एक प्रमुख साधन के रूप में शिक्षा को मानते हुए, राज्य ने सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करने, गुणवत्ता में सुधार लाने और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

समग्र शिक्षा अभियान जिसमें पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा को एकीकृत करती है, वही शालादर्पण, पारदर्शिता तथा प्रशासनिक दक्षता मे सुधार के लिए डिजाइन किया हुआ डिजिटल प्लेटफार्म है, जैसी प्रमुख पहलों के कार्यान्वय से प्रर्याप्त प्रगति प्राप्त की गई है। इन पहलों से विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति में सुधार और निगरानी तंत्र में उल्लेखनीय योगदान मिला है। प्रौद्योगिकी एवं डेटा –संचालित शासन की सहायता से, राजस्थान दूरस्थ ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में बच्चों तक शैक्षिक सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम हो गया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया है।

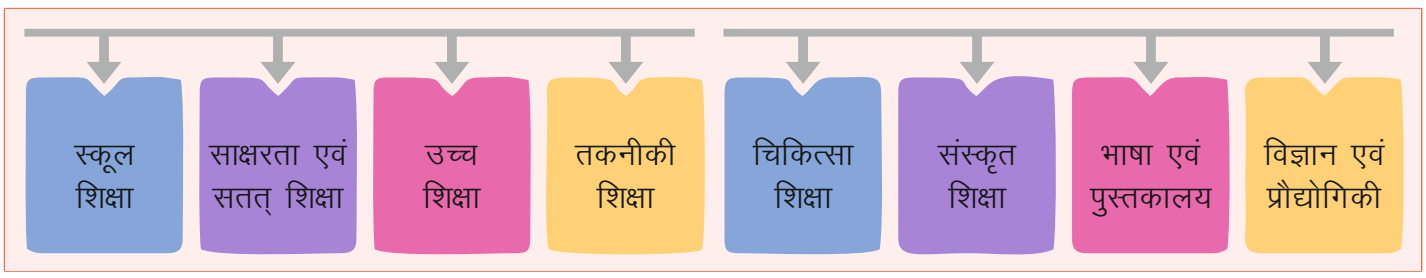
राजस्थान ने औपचारिक शिक्षा को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण भी अपनाया है। नए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से उच्च शिक्षा अवसंरचना का विस्तार करके राज्य भर के युवाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा के बाद और तकनीकी शिक्षा के अवसर बढ़ा दिये हैं। इन संस्थानों ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो श्रम बाजार की उभरती आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों के साथ संरेखित है। शिक्षार्थियों को नए रोजगार के अवसरों के अनुसार उपयोगी कौशल प्रदान किए गए हैं। शिक्षा को कौशल विकास के साथ संरेखित करके राज्य ने शैक्षणिक ज्ञान को वास्तविक नौकरी की आवश्यकताओं से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे शिक्षा का मूल्य बढ़ा है, छात्रों ने करियर की तैयारी की है और राज्य के समग्र मानव संसाधन सुदृढ़ हुए हैं।

मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय और राज्य विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेशों में से एक माना जाता है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार वांछित प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य में मानव संसाधन के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा अनेक तरीकों से राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत कल्याण में सुधार करती है। हर दृष्टि से शिक्षा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कोई भी देश मानवीय संसाधनों में पर्याप्त निवेश के बिना सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं कर सकता है। शिक्षा लोगों की स्वयं एवं दुनिया के प्रति समझ को समृद्ध करती है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता एवं रचनात्मकता को बढ़ाती है, साथ ही उद्यमिता तथा तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

राज्य सरकार शिक्षा के बेहतर विकास एवं उन्नत शैक्षिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। राज्य विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई लक्षित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की शुरुआत की गई है। विद्यालयों की अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों में निवेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की सुगम उपलब्धता में वृद्धि की है।

चित्र 3.1 : राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र



विज़न स्टेटमेंट–विकसित राजस्थान@2047

2047 तक राजस्थान में विद्यार्थी–केंद्रित, समावेशी और प्रौद्योगिकी–संचालित शिक्षण प्रणाली होगी, जो पहुँच, समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगी। स्कूल और तकनीकी शिक्षा, क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और बहुविषयी शिक्षण को बढ़ावा देगी, जिससे छात्रों को कार्यात्मक, क्रिटिकल और सॉफ्ट स्किल्स से सक्षम किया जाएगा।

संस्कृत को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी। एक जीवंत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र फन लर्निंग, अनुसंधान और नवाचार पर बल देगा, जिससे राजस्थान वैश्विक मानकों के अनुरूप ज्ञान, अत्याधुनिक अनुसंधान और परिवर्तनकारी शिक्षा का केंद्र बनेगा।

चित्र 3.2



स्कूली शिक्षा: सभी के लिए प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना

स्कूली शिक्षा बच्चे के बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की नींव रखती है जिससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों शिक्षा शामिल हैं, जो प्रारंभिक वर्षों में मौलिक शिक्षा को बाद के चरणों में उन्नत विषयों एवं आलोचनात्मक तार्किक सोच के साथ जोड़ती है। यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल छात्रों के ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि आवश्यक जीवन कौशल भी विकसित करता है जिससे वे समाज में योगदान देने के लिए तैयार होते हैं।

- राज्य में 44,934 राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 19,950 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।
- राजकीय विद्यालयों में छात्रों का कुल नामांकन 72.93 लाख है।

प्रारम्भिक शिक्षा राज्य में बच्चों के भविष्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि छात्रों को शिक्षा से प्राप्त ज्ञान से उसके भावी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा में की गई पहलें सार्वभौमिक पहुंच एवं विद्यालय में बच्चें की उपस्थिति को सुनिश्चित करती हैं, शैक्षिक समानता में वृद्धि करती हैं एवं सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के साथ–साथ प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी प्रमुख पहलों के साथ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना राज्य में सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में लागू की गई हैं।

दूसरी ओर, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा द्वारा रखी गई नींव पर आधारित होती है, जो विविध पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान एवं आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ाती है। यह प्रगति न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है अपितु उन्हें आज के कार्यबल के लिए आवश्यक जीवन कौशल के साथ–साथ सामाजिक एवं पारस्परिक कौशल भी प्रदान करती है। इस सुगम

परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने कई गतिविधियाँ संचालित की हैं जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन, अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों की स्थापना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के साथ–साथ छात्रों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान की है।

विद्यार्थियों को रोजगार एवं उद्यमिता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 19,950 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे है, इनमें से 1,364 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित एक प्रा.वि./उ.प्रा.वि. विद्यालय को राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित कर उसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। कुल संचालित उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 8,373 है,जिसमें से 1,575 प्राथमिक एवं 6,798 उच्च प्राथमिक विद्यालय है।

स्कूली शिक्षा के तहत उन्नत पहल

- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जोखिम पूर्ण कार्यों में लिप्त परिवार के बच्चों (सफाईकर्मी श्रेणी) को देय छात्रवृति, अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व मैट्रिक–उत्तर मैट्रिक), अनुसूचित जाति (पूर्व मैट्रिक–उत्तर मैट्रिक), अनुसूचित जनजाति (पूर्व मैट्रिक –उत्तर मैट्रिक), अन्य पिछड़ा वर्ग (पूर्व मैट्रिक कक्षा 9–10), अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (देवनारायण गुरूकुल) जैसी विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के तहत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) 2.93 लाख छात्र– छात्राओं को ₹67.50 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया गया।

  राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति अ.जा., अ.ज.जा., अति पिछड़ा वर्ग एवं सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹20.04 करोड़ व्यय किए गए हैं।

- शिक्षा तक पहुंच बढाने एवं सीखने मे निरंतरता को बनाए रखने के लिए, **निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना** के तहत राजकीय विद्यालयों के कक्षा–1 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों, कक्षा–9 से 12 तक में पढ़ने वाली सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों तथा वे छात्र जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हैं, को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, जयपुर के माध्यम से राज्य के प्रारम्भिक, माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 80 लाख विद्यार्थियों को कुल 04.05 करोड़ पुस्तकों का वितरण किया गया।

- **निःशुल्क साईकिल वितरण योजना** के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाली समस्त वर्ग की स्कूली बालिकाओं को साईकिलें उपलब्ध कराई जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये 3.25 लाख साईकिलों का वितरण किया जा चुका है एवं शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये साईकिल क्रय हेतु 3.34 लाख साईकिलों का आपूर्ति आदेश जारी किया जा चुका है।

- वर्ष 2025–26 में कुल 3,737 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हो रहे हैं जिनमें 6.84 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व–प्राथमिक बाल वाटिकाएं आरम्भ किये जाने के क्रम में कुल 977 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व–प्राथमिक बाल वाटिका कक्षाएं चलाई जा रही है एवं वर्तमान में कुल 1,010 बाल वाटिकाएं संचालित हैं।

- राजकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा **ज्ञान संकल्प पोर्टल** की स्थापना की गई है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राजकीय विद्यालयों हेतु विभिन्न दानदाताओं/भामाशाहों/सी.एस.आर. के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा विद्यालयों में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ₹34.38 करोड़ के विकास कार्य करवाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 2025 में आयोजित 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कुल 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ₹139.90 करोड़ सहयोग राशि के साथ शिक्षा के विकास में योगदान दिया हैं।

- **लाडो प्रोस्ताहन योजना** के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को अधिकतम कुल राशि ₹1.50 लाख का भुगतान 07 किस्तों में किया जाता है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹18.09 करोड़ की राशि का व्यय किया जा चुका है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी से छठी किस्त और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सातवीं किस्त दी जा रही है।

- **मुख्यमंत्री सम्बल योजना** के अन्तर्गत निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन (डी.ईएल.ईडी.) अध्ययन करने वाली **विधवा/परित्यक्ता महिलाओं** को वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में प्राप्त 352 ऑनलाईन आवेदनों में से 331 लाभार्थियों के खाते में शिक्षण शुल्क ₹9000.0 राशि प्रति लाभार्थी हस्तान्तरित की जा चुकी है।

- 2025–26 में, 226 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 02 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोंन्नत किया गया। 41 लाख विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय समान परीक्षा प्रणाली लागू की गई। कक्षा 3–8 के विद्यार्थियों के क्षमता मूल्यांकन परिणाम साझा करने के लिए मेगा अभिभावक–शिक्षक बैठकें (PTM) आयोजित की गईं। पढ़ने के कौशल को सुधारने के लिए एआई आधारित मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम शुरू किया गया। "वीरगाथा 3.0" कार्यक्रम के तहत छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल किया गया। राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1.53 करोड़ छात्रों ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनाः इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत मदरसों को डिजिटल और भौतिक संसाधनों से उन्नत करना है, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर एवं ई–लर्निंग उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹15 लाख तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹25 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 90 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक कुल 305 मदरसों को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

वर्ष 2025–26 में राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्र नामांकन एवं शिक्षक संख्या क्रमशः 22.72 लाख और 1.69 लाख है, छात्र–शिक्षक अनुपात 13:1 है तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्र नामांकन और शिक्षक संख्या क्रमशः 50.22 लाख और 2.82 लाख है, छात्र–शिक्षक अनुपात 18:1 है। ये दोनों अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिश के अनुसार अनुशंसित 30:1 छात्र–शिक्षक अनुपात से बेहतर है।

राजस्थान में सकल नामांकन अनुपात' वर्ष 2023–24 व 2024–25 की स्थिति तालिका–3.1 में दर्शाई गई है

तालिका 3.1 : राजस्थान में सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	प्राथमिक (1–5)	उच्च प्राथमिक (6–8)	प्रारम्भिक (1–8)	माध्यमिक (9–10)	उच्च माध्यमिक (11–12)
2023-24	95.1	90.9	93.6	80.2	62.0
2024-25	88.3	92.1	89.7	82.2	66.1

स्त्रोतः रिपोर्ट ऑन यूनीफाइड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडीआईएसई+ 2023–24 एवं 2024–2025, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

- वर्ष 2024–25 में गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक शिक्षा के लिए राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में 6.8 प्रतिशत अंकों की कमी, उच्च प्राथमिक के लिए 1.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि तथा उच्च माध्यमिक के लिए 4.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि देखी गई है।

राजस्थान में छात्र शिक्षक अनुपात* वर्ष 2023–24, 2024–25 की स्थिति तालिका–3.2 में दर्शाई गई है –

तालिका 3.2 : राजस्थान में छात्र शिक्षक अनुपात

वर्ष	प्राथमिक (1–5)	उच्च प्राथमिक (6–8)	माध्यमिक (9–10)	उच्च माध्यमिक (11–12)
2023-24	20	12	11	15
2024-25	18	12	11	15

स्त्रोतः रिपोर्ट ऑन यूनीफाइड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडीआईएसई+ 2023–24 एवं 2024–2025, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

- साथ ही, वर्ष 2024–25 में राजस्थान में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर छात्र–शिक्षक अनुपात (पीटीआर) क्रमशः 18, 12, 11 एवं 15 था, जिसमें गत वर्ष 2023–24 की तुलना में प्राथमिक स्तर पर सुधार देखा गया है।

राजस्थान में संक्रमण दर* (ट्रांजिशन रेट) वर्ष 2023–24, 2024–25 की स्थिति तालिका–3.3 में दर्शाई गई है–

तालिका 3.3 : राजस्थान में प्रवेश दर

वर्ष	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक (कक्षा 5 से 6)	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक (कक्षा 8 से 9)	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक (कक्षा 10 से 11)
2023-24	90.7	87.6	82.6
2024-25	93.8	90.2	88.2

स्त्रोतः रिपोर्ट ऑन यूनीफाइड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडीआईएसई+ 2023–24 एवं 2024–2025, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

- माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में संक्रमण दर 82.6 (2023–24) से बढ़कर 88.2 (2024–25) एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में संक्रमण दर 90.7 (2023–24) से बढ़कर 93.8 (2024–25) हुई है।

राजस्थान में ठहराव दर* (रिटेंशन रेट) वर्ष 2023–24, 2024–25 की स्थिति तालिका 3.4 में दर्शाई गई है–

तालिका 3.4 : राजस्थान में ठहराव दर

वर्ष	प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	प्रारम्भिक (कक्षा 1 से 8)	माध्यमिक (कक्षा 1 से 10)	उच्च माध्यमिक (कक्षा 1 से 12)
2023-24	82.5	75.3	59.1	48.9
2024-25	83.1	78.7	55.9	51.9

स्त्रोतः रिपोर्ट ऑन यूनीफाइड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडीआईएसई+ 2023–24 एवं 2024–2025, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

- प्रारम्भिक स्तर (कक्षा 1–8) के लिए, ठहराव दर 75.3 (2023–24) से बढ़कर 78.7 (2024–25) हो गई है।
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) के लिए, यह 82.5 (2023–24) से बढ़कर 83.1 (2024–25) हो गई है
- उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, ठहराव दर 48.9 (2023–24) से बढ़कर 51.9 (2024–25) हैं।
- माध्यमिक स्तर के लिए, ठहराव दर 55.9 (2024–25) पर उल्लेखनीय रूप से कम है, जो सुधार के महत्वपूर्ण क्षेत्र को उजागर करता है।

राजस्थान में ड्रापआउट दर' वर्ष 2023–24, 2024–25 की स्थित्ति तालिका–3.5 में दर्शाई गई है–

तालिका 3.5 : राजस्थान में ड्रापआउट दर

वर्ष	प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)	माध्यमिक (कक्षा 9 से 10)
2023-24	7.6	6.8	11.1
2024-25	3.6	3.6	7.7

स्त्रोतः रिपोर्ट ऑन यूनीफाइड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडीआईएसई+ 2023–24 एवं 2024–2025, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

- राज्य की ड्रॉपआउट दर प्राथमिक स्तर के लिए 7.6 (2023–24) से घटकर 3.6 (2024–25), उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 6.8 (2023–24) से घटकर 3.6 (2024–25) एवं माध्यमिक स्तर के लिए 11.1 (2023–24) से घटकर 7.7 (2024–25) हो गई है।

* सकल नामांकन अनुपातः स्कूली शिक्षा के किसी विशेष स्तर में कुल नामांकन, आयु की परवाह किए बिना, आधिकारिक आयु–समूह की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो किसी दिए गए स्कूल वर्ष में स्कूली शिक्षा के दिए गए स्तर के अनुरूप होता है।

* छात्र–शिक्षक अनुपातः छात्र–शिक्षक अनुपात (पीटीआर) किसी दिए गए स्कूल वर्ष में प्रति शिक्षक (शिक्षा के उस स्तर पर पचाने वाले) छात्रों (शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर पर) की औसत संख्या है।

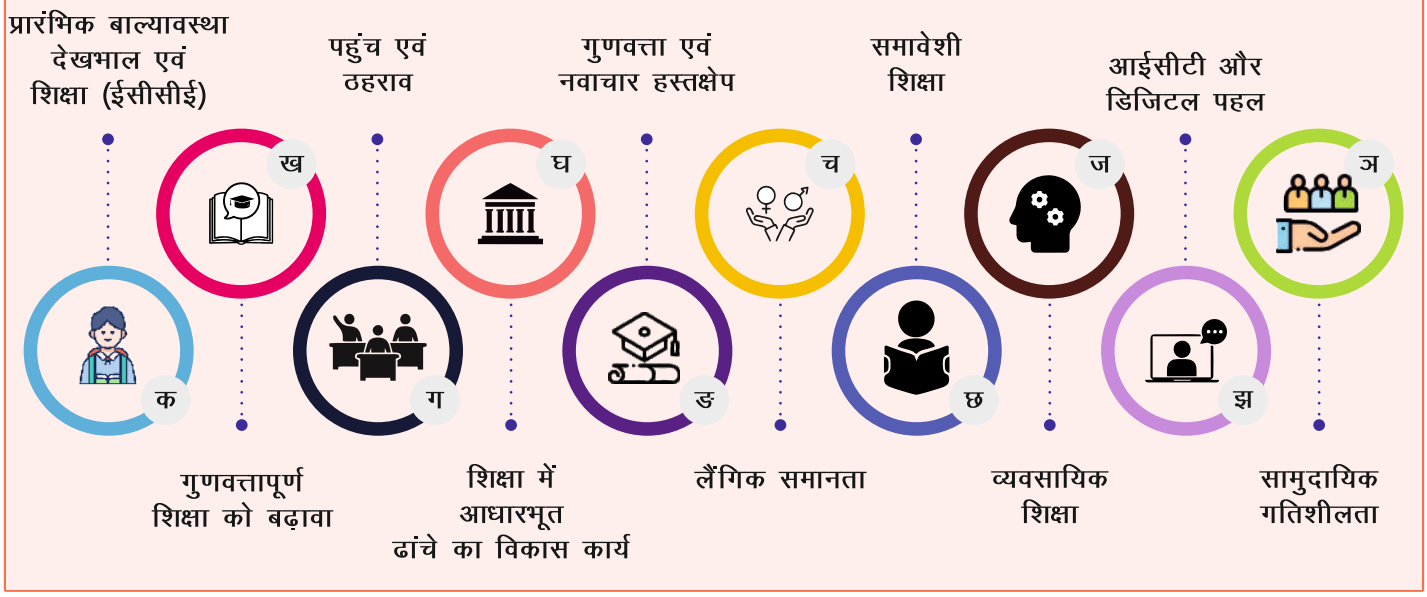
* संक्रमण दरः उन छात्रों का अनुपात जो एक शैक्षिक स्तर के अंतिम ग्रेड से अगले स्तर के पहले ग्रेड में प्रवेश करते हैं।

* ठहराव दरः किसी दिए गए स्कूल वर्ष में शिक्षा के किसी दिए गए स्तर की पहली कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों (या स्कूलों) के समूह का प्रतिशत, जिनके उस स्तर की अंतिम कक्षा तक पहुंचने की उम्मीद है।

* ड्रॉपआउट दरः किसी दिए गए स्कूल वर्ष में किसी दिए गए स्तर में नामांकित समूह के विद्यार्थियों का अनुपात, जो अगले स्कूल वर्ष में किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं हैं।

समग्र शिक्षा : समग्र विकास की दिशा में

चित्र 3.3 : समग्र शिक्षा



समग्र शिक्षा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य प्री–स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों के लिए समावेशी, समानतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना पूर्व–नर्सरी से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है तथा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीखने के परिणामों में सुधार, सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, समानता और न्यूनतम स्कूली मानकों को सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन को समर्थन देना तथा एस.सी.ई.आर.टी. और डी.आई.ई.टी. जैसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना है।

राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से एकल राज्य कार्यान्वयन समिति के रूप में किया जाता है। योजना के अंतर्गत वित्तीय भागीदारी का अनुपात केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 है।

क. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई)

वर्तमान में, आँगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 62,000 आँगनबाड़ी केन्द्रों में 3–6 वर्ष आयु वर्ग के 11.90 लाख बच्चे पूर्व–विद्यालय शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

- राज्य में समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत संचालित लगभग 62,000 आँगनबाडी केन्द्रों में से 42,554 आँगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षा विभाग द्वारा पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता के उद्देश्य से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों के साथ एकीकृत किया जा चुका है।
- उक्त एकीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 22,746 आँगनबाड़ी केन्द्र राजकीय विद्यालयों के परिसर/भवन में (भौतिक रूप से एकीकृत) संचालित हैं तथा 19,808 आँगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय परिसर की 700 मीटर की परिधि में स्थित संबंधित विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित किये जा रहे हैं।
- राज्य में 962 बाल वाटिकाएं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों तथा 629 बाल वाटिकाएं पीएम श्री विद्यालयों में संचालित की जा रही हैं।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹18.62 करोड़ स्वीकृत हुए हैं जिसके विरुद्ध ₹2.15 करोड़ का व्यय हुआ है।

ख. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संवर्धन

निपुण भारत मिशन (मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान): यह मिशन कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर "निपुण मेलों" का आयोजन, कक्षा 1 के लिए 'विद्या प्रवेश' और कक्षा 3 से 5 के लिए विषय–विशिष्ट कार्यपुस्तिकाएँ प्रदान करना शामिल है। इस कार्यक्रम में समग्र रिपोर्ट कार्ड, श्रेणीबद्ध पाठक (कहानी कार्ड) सेट, गतिविधि आधारित शिक्षण किट (एबीएल) का उपयोग भी शामिल है। राज्य ने कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए संरचित शिक्षा पद्धति आधारित पाठ्यपुस्तकें भी विकसित की है, जिसमें चार ब्लॉक शिक्षा पद्धति का पालन किया जाता है। इस गतिविधि के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) कुल 35.41 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं ₹50.09 करोड़ व्यय किये गये हैं।

शिक्षक संसाधन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) सामग्री: कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को बाल–केंद्रित शिक्षण पद्धति में सहायता के लिए गतिविधि पुस्तिकाएं एवं सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) सामग्री प्रदान की जाती है।

क्षमता संवर्धन कार्यशालाएँ: एफएलएन कार्यक्रम के लिए राज्य, ज़िला और ब्लॉक शैक्षणिक कार्य बलों (एसएटीएफ, डीएटीएफ, बीएटीएफ) के सदस्यों एवं एफएलएन सलाहकारों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। शिक्षक क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से शिक्षकों के साथ क्लस्टर स्तरीय कार्यशालायें (तिमाही) आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, समग्र शिक्षा और पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

अभिनव कार्यक्रम–

- **प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम:** बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए) के तहत राज्य स्तर पर 'प्रखर राजस्थान 2.0' कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- **मेगा पीटीएम (अभिभावक एवं शिक्षक बैठक):** राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2025 को राज्य के सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया था। जिसका उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, पढ़ने के कौशल की स्थिति और सीखने की चुनौतियों को अभिभावकों के साथ साझा करना था।
- पहली और दूसरी क्लास के विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलो को मजबूत करने के लिए, निपुण भारत मिशन के तहत **निपुण राजस्थान अभियान** 30 अक्टूबर, 2025 को शुरू किया गया।
- किशोर विद्यार्थियों को 21वीं सदी के जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता, नागरिकता और भविष्य के करियर कौशल से सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर **पी.आर.ए.बी.ए.एल. कार्यक्रम** (प्रोग्राम टू रिकोगनाईज एबिलिटिज एण्ड बिल्ड अप एडेप्टिव लाईफ स्कील्स) शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है।

ग. पहुंच एवं ठहराव

स्कूली शिक्षा में पहुंच एवं ठहराव में सुधार के लिए राज्य में निम्नलिखित नवाचारों को अपनाया गया है:–

राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से **स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों** की शुरुआत की गई है। ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), नई दिल्ली से संबद्ध हैं एवं इनका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकतम लाभ प्रदान करना है। इस संबंध में बालिकाओं के लिए कम से कम 55 प्रतिशत सीटें आरक्षित करके प्रवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। इन मॉडल स्कूलों में अपनाया गया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के दिशा–निर्देशों पर आधारित है।

- राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में से 27 जिलों के 134 ब्लॉकों में 134 **स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय** कक्षा 01–12 तक संचालित हैं। सत्र 2025–26 (दिसम्बर तक) में मॉडल विद्यालयों में 62,433 विद्यार्थी नामांकित हैं।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु **41 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय** (जिसमें 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, 20 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावास एवं 11 बेघर, बेसहारा अनाथ श्रेणी के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास) संचालित किए जा रहे है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में इन छात्रावासों में 3,900 प्रवेश क्षमता के विरूद्ध 3,458 बालिकाओं का नामांकन किया गया है एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि ₹20.94 करोड़ के विरूद्ध ₹16.76 करोड़ राशि जिलों को आवंटित की जा चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्यार्थियों विशेष रूप से दूरस्थ या कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में रहने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 10 तक की छात्राओं को स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा **परिवहन वाउचर** दिये जाते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के उन विद्यार्थियों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय से 1 किमी दूर रहते हैं एवं कक्षा 6 से 8 तक के उन छात्रों के लिए जो उच्च प्राथमिक विद्यालय से 2 किमी दूर रहते हैं, को परिवहन वाउचर जारी किए जाते हैं। कक्षा 9 से 10 तक की उन छात्राओं को परिवहन वाउचर जारी किए जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय/ब्लॉक से 5 कि.मी. से अधिक दूर रहती हैं तथा गांवों में परिवहन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण अपने निवास से 5 किमी से अधिक दूरी पर स्थित शहरी विद्यालयों में पढ़ रही हैं। इस हेतु वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹187.72 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसके विरूद्ध ₹11.62 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

राज्य में 1 अप्रैल 2010 से **बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** लागू है, जिसके तहत कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है। इन प्रवेशों के लिए आय पात्रता सीमा वर्ष 2020–21 में ₹1.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख कर दी गई थी। वर्ष 2024–25 के लिए, वार्षिक कार्य योजना के तहत निजी स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में ₹546.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

घ. शिक्षा में आधारभूत ढांचे का विकास कार्य

राजस्थान में **विद्यालय के आधारभूत ढांचे के विकास कार्य** का उद्देश्य सुरक्षित, सुलभ एवं सुसज्जित शिक्षण वातावरण बनाना है जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इस हेतु कक्षाओं, स्वच्छता, बिजली एवं डिजिटल संसाधनों जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने, बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने और समान शैक्षिक अवसरों विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है।

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा–कक्ष निर्माण, भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण/जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निमाण, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण, शौचालय इकाई, पेयजल सुविधा, मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षों का निर्माण, मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावासों का निर्माण, के.जी.बी.वी. भवन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण एवं चारदीवारी कार्य, वृहद मरम्मत आदि कार्यों के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.) द्वारा समग्र शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹348.64 करोड़ का लक्ष्य स्वीकृत किया है एवं ₹93.62 करोड़ का व्यय किया गया है।

इसी प्रकार, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा के तहत वर्ष 2025–26 में ₹1,420.08 करोड का लक्ष्य स्वीकृत किया है। यह आवंटन विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे उच्च प्राथमिक से क्रमोन्नत किए गए माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों के लिए विद्यालय भवन, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में कक्षाएं, अतिरिक्त कक्षाएं, उपकरणों के साथ विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, कला एवं शिल्प कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, शौचालय इकाई, पेयजल सुविधा, मरम्मत की आवश्यकता वाली शौचालय इकाइयां, पेयजल सुविधाएं, सीडब्ल्यूएसएन शौचालय, महाराव शेखाजी अकादमी आदि के लिए है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में इस मद में ₹205.42 करोड़ का व्यय किया गया।

ङ. गुणवत्ता एवं नवाचार हस्तक्षेप

निःशुल्क यूनिफार्म वितरण योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024–25 में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि ₹800 प्रति विद्यार्थी डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित की गई है। इसके अन्तर्गत कुल राशि ₹330.06 करोड़ का व्यय किया गया है एवं 41.26 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। सत्र 2025–26 में कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु प्रति विद्यार्थी सहायता राशि ₹600 डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जा रही है। दिसम्बर, 2025 तक कुल 24.8 लाख विद्यार्थियों को राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 विषयों (गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला और पारंपरिक कहानी सुनाना) में **कला उत्सव (कला महोत्सव)** का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान से कुल 15 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में, इस गतिविधि के तहत ₹12.28 लाख व्यय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना वर्ष 2022 में लागू की गई जिसका व्यापक लक्ष्य सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित कर विद्यालयों का समग्र रूपान्तरण करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। ये विद्यालय पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों जैसे सौलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण तथा जल संरक्षण व संचयन को शामिल करते हुए हरित विद्यालय के रूप में स्थापित किये जाते है। योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक/यूएलबी से दो विद्यालयों (एक माध्यमिक शिक्षा व एक प्रारम्भिक शिक्षा से) का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया।

- पीएमश्री योजना राजस्थान के 639 स्कूलों में लागू है। 639 पीएम श्री विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के 90, माध्यमिक शिक्षा के 549 एवं 01 संस्कृत शिक्षा का विद्यालय है। इनमें लगभग 2.96 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पीएम श्री स्कूलों के लिए वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹434.65 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹51.81 करोड़ का व्यय हुआ है।

29 जुलाई, 2020 को लॉन्च हुई **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020** का उद्देश्य समग्र शिक्षा के माध्यम से भारत की विकास की ज़रूरतों को पूरा करना है। एनईपी 2020 को लागू करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने सार्थक बनाया, जिसमें 27 चैप्टर में 297 कार्य बताए गए हैं। इनमें से 202 कार्य राज्यों को दिए गए हैं। राजस्थान में, दिसंबर, 2025 तक 73 कार्य पूरे हो चुके हैं। राजस्थान राज्य में कुल 297 कार्यों का समन्वय 6 कमेटियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियों द्वारा समर्थित किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय के गूगल 202 टास्क ट्रैकर का इस्तेमाल करके हर महीने प्रगति की समीक्षा की जाती है और अपडेट नियमित तौर पर मंत्रालय के साथ साझा किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए)

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए), राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य राज्य को एक मॉडल के रूप में विकसित करना, नामांकन बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। राजस्थान ने इस योजना के तहत एनईपी बालक, एनईपी शिक्षक और एनईपी स्कूल को बहुवर्षीय कार्यक्रम के रूप में लागू करने की रणनीति बनाई गई है।

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं–

- राज्य एआई-आधारित मौखिक पठन प्रवाह (ओआरएफ) मूल्यांकन
- छात्र उपस्थिति ऐप
- एनआईओएस के लिए ऑन–डिमांड परीक्षाएं (ओडीई)
- डिजिटल पहलें

इनमें से दो गतिविधियाँ (ओआरएफ और डिजिटल पहल) जिला स्तर पर लागू की जा रही हैं।

च. लैंगिक समानता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहलः

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में, 364 **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)** संचालित हैं जिनमें 44,040 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। वर्ष 2025–26 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि ₹224.33 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरूद्ध ₹107.38 करोड़ एवं राज्यांश ₹8.17 करोड़ जिलों को आवंटित किये जा चुके हैं। कभी नामांकित न होने वाली एवं बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं को केजीबीवी में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका **सशक्तीकरण कार्यक्रम** हेतु ₹14.42 लाख की राशि 628 पीएमश्री विद्यालयों एवं 639 पीएमश्री विद्यालयों में सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण हेतु ₹6.77 लाख की राशि जिलों को जारी की गई है जिनमें राज्य/जिला स्तरीय प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता मॉडयूल मुद्रण कार्य, **मीना–राजू–गार्गी** मॉडयूल का मुद्रण, बाल अधिकार क्लब स्थापना, प्रलेखन, प्रमाण प्त्र जारी करना, पुरस्कार वितरण आदि गतिविधियां सम्मिलित है।

छ. समावेशी शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को मुख्यधारा में लाना एवं सामाजिक बनाना समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनके नामांकन, प्रतिधारण एवं एकीकरण में सुधार कर उनकी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें कार्यात्मक, शैक्षिक एवं चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹26.07 करोड़ का बजट आवंटित किया गया जिसमें से ₹7.30 करोड़ व्यय किये गये हैं।
- एक नवाचार के रूप में, दो राज्य मॉडल संसाधन कक्ष जयपुर एवं उदयपुर में स्थापित किये गये हैं जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क चिकित्सीय और शैक्षिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ज. व्यावसायिक शिक्षा

राजस्थान में **व्यावसायिक शिक्षा** का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल से सुसज्जित करना, रोज़गार क्षमता में वृद्धि करना तथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

शैक्षणिक वर्ष 2025–26 में, राजस्थान में विभिन्न 16 क्षेत्रों को कवर करते हुए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कुल 4,019 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 3,263 (937 विद्यालय दोहरे–क्षेत्र तथा 2,326 विद्यालय एकल–क्षेत्र के रूप में स्वीकृत) विद्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत, 549 विद्यालय पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत तथा 207 विद्यालय स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित हैं। इन विद्यालयों में कुल नामांकित विद्यार्थी लगभग 4.70 लाख हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹616.88 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें कुल ₹205.33 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

झ. आईसीटी और डिजिटल पहल

विद्यालयों में आईसीटी का उपयोग शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार हेतु किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 13,976 राउप्रावि/राउमावि विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब एवं 13,018 स्मार्ट क्लास के माध्यम से आसान शिक्षा एवं ई–ज्ञान/दीक्षा पोर्टल के जरिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- **दीक्षा पोर्टल** शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं दीक्षा सेंट्रल पीएमयू के तत्वाधान में बनाया जा रहा है। इस पोर्टल पर आरएससीईआरटी (ईटी सैल, अजमेर) द्वारा ई–सामग्री अपलोड की जा रही है।
- **मिशन स्टार्ट** –शिक्षा विभाग "ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग" का उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन स्टार्ट के तहत विषय शिक्षकों की अनुपलब्धता अथवा शिक्षकों की अनुपस्थिति की स्थिति में, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटल सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एकीकृत शाला दर्पण) स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान का एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है, जहां सभी राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है और नियमित रूप से अपडेट की जाती है।

सरकारी लाभकारी योजनाओं यथा ट्रांसपोर्ट वाउचर, निःशुल्क साइकिल वितरण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, यूनिफॉर्म वितरण, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, पालनहार योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, सभी प्रकार की प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन एवं भुगतान की शाला दर्पण के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है।

ञ. सामुदायिक गतिशीलता

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी)/स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें।

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में एसएमसी / एसडीएमसी के 5 अभिभावक सदस्य व 1 जनप्रतिनिधि (कुल 6) को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस गतिविधि के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राशि ₹2.79 करोड़ व्यय की गई है।

आजीवन शिक्षा को सशक्त बनानाः साक्षरता एवं सतत् शिक्षा को आगे बढ़ाना

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर उन्हें जीवन की विकासात्मक गतिविधियों से जोड़कर उपयोगी कौशल विकसित कर रहा है। राज्य के निरक्षर लोगों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मौलिक साक्षरता और कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों का समावेश

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से केंद्र प्रायोजित योजना **"नवभारत साक्षरता कार्यक्रम"** लागू की जा रही है। प्राथमिक कार्यान्वयन इकाइयों के रूप में यूडीआईएसई कोड के तहत पंजीकृत स्कूलों के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवक–आधारित अभियान का उपयोग करके, इस योजना के तहत शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों का सर्वेक्षण सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उल्लास ऐप (अंडरस्टेन्डिंग ऑफ लाइफलोंग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) पर ऑनलाइन मोड में किया गया है। वर्ष 2025–26 में, योजना के लक्ष्य 30.00 लाख के विरूद्ध 25.72 लाख निरक्षरों एवं 1.49 लाख स्वयंसेवी शिक्षकों का सर्वेक्षण किया गया है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में स्वीकृत ₹34.37 करोड़ के बजट प्रावधान में से ₹4.24 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

शिक्षा को सुलभ, लचीला बनाने एवं कहीं से भी, कभी भी सीखने के उद्देश्य से, साक्षरता विभाग ने मिशन ज्ञान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर, 2023 के अवसर पर दो यू–ट्यूब चैनल, ई–साक्षरता (73 वीडियो अपलोड और लगभग 27,000 से अधिक सब्सक्राइबर) एवं उल्लास राजस्थान (18 वीडियो अपलोड) लॉन्च किए हैं, ताकि राज्य के छात्रों को ई–क्लासेज की सुविधा मिल सके।

नव–साक्षरों को शिक्षा की सुविधा हेतु साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित हो रहे **महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालयों** की संख्या 14,970 है। इन पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य एवं अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के साथ–साथ नियमित पत्र–पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। प्रत्येक लाइब्रेरी को प्रति माह ₹500 नियमित व्यय के रूप में दिए जा रहे हैं।

वर्ष 2025–26 का प्रथम बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षण (एफएलएनएटी), दिनांक 21 सितम्बर, 2025 को एन.आई.ओ.एस. के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें 14.78 लाख शिक्षार्थी उपस्थित हुए।

महिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना

राजस्थान में महिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य महिलाओं की साक्षरता में सुधार, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना एवं शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को कम करके उन्हें सशक्त बनाना है। ये कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हैं, जिससे राज्य के समग्र विकास में योगदान मिलता है।

वंचित समूहों से संबंधित महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में **महिला शिक्षण विहार** आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। यह विद्यालय 15 से 30 वर्ष की आयु की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी या वंचित समूहों से संबंधित महिलाओं को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य इन महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके, आत्मनिर्भर बनाकर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। वर्तमान में यह कार्यक्रम झालावाड़ जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें 100 महिलाओं को नामांकित किया गया है जिन पर वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹29.18 लाख की राशि व्यय की गई है।

उच्च शिक्षा को सशक्त बनाकर ज्ञान–आधारित भविष्य

राजस्थान में उच्च शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यावसायिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से पूर्ण करना है। यह अनुसंधान, नवाचार और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान मिलता है। इसके अतिरिक्त, यह समावेशिता को बढ़ावा देता है और विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार क्षमता को बढ़ाता है।

उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन का कार्य करता है। आजादी के समय राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 महाविद्यालय थे परन्तु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या 3,218 हो गई है। जिनमें से राज्य में 596 राजकीय महाविद्यालय, 20 राजकीय विधि महाविद्यालय, 48 राजकीय कृषि महाविद्यालय, 1,589 निजी महाविद्यालय, 957 शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं।

उच्च शिक्षा में वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹1,552.08 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें ₹786.24 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2025–26 के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ / पहल

- राज्य में 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय, 05 नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय एवं 01 नवीन राजकीय विधि महाविद्यालय खोले गये।
- 05 राजकीय स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया एवं राजकीय महाविद्यालयों में 04 नवीन संकाय शुरू किए गए हैं।
- राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 30 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 17 नवीन विषय शुरू किए गए हैं।
- जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राशि ₹20 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध राशि ₹3.55 करोड़ का व्यय हुआ है।
- जनजाति प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राशि ₹30.00 लाख का बजट आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध राशि ₹7.00 लाख का व्यय हुआ है।
- सहरिया छात्र–छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राशि ₹50.00 लाख का बजट आवंटन किया गया था जिसके विरुद्ध राशि ₹31.75 लाख का व्यय हुआ है।
- सहरिया छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राशि ₹150.00 लाख का बजट आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध राशि ₹123.00 लाख का व्यय हुआ है।

उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ावा देना:

राजस्थान में महिलाओं एवं लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, सुरक्षित शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना एवं लचीले शिक्षण विकल्प प्रदान करना शामिल है। अधिक समावेशी समाज के लिए सामुदायिक सहभागिता और मजबूत सरकारी नीतियाँ राज्य में लड़कियों एवं महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर रही हैं।

विधवा, तलाक शुदा महिलाओ को शिक्षा के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री बी.एड. संबल योजना** लागू की गई है। राज्य इस कार्यक्रम मे नामांकन कराने वाली विधवा / तलाकशुदा महिलाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों मे बी.एड. पाठ्यक्रम की फीस की प्रतिपूर्ति करता है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹48.00 लाख राशि का बजट आवंटन हुआ जिसमें ₹31.12 लाख राशि का व्यय किया गया है।

दूरस्थ शिक्षा योजना का उद्देश्य उन लड़कियों को दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करना है जो कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। यह राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में रहने वाली लड़कियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹21.30 करोड़ राशि का बजट आंवटन हुआ जिसमें से ₹20.54 करोड़ राशि का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो मेधावी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राशि ₹200.00 लाख का बजट आवंटन किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि ₹91.99 लाख का व्यय किया गया है।

चित्र 3.4 : उच्च शिक्षा हेतु प्रमुख योजनाऐं



राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेकर पढ़ाई के लिए प्रेरित करने तथा छात्राओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना** शुरू की गई। इसके अन्तर्गत जिन मेधावी छात्राओं ने बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, उन्हें स्कूटी प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में योजना के अंतर्गत ₹299.69 करोड़ का बजट आंवटन किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि ₹67.67 करोड़ का व्यय किया गया है।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023 में शिक्षा के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाने के उद्धेश्य से शुरू की गई है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹56.10 करोड़ का बजट आंवटन किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि ₹33.71 करोड़ का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य शैक्षिक स्तर को बढ़ाना एवं निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों को सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में आवंटित्त ₹45.50 करोड़ में से ₹21.11 करोड़ का व्यय किया गया है।

स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस: विदेश में नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) तथा देश के एन.आई.आर.एफ. रैकिंग वाले 1 से 50 तक सूचीबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया जिसके विरूद्ध ₹145 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा योजना): यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण केन्द्र प्रवर्तित योजना (60:40) है जिसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सशक्त, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, शोधपरक, रोजगारोन्मुखी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के पांच स्तम्भों –सुलभता, समानता, जवाबदेही, सामर्थ्य और गुणवत्ता के अनुरूप तैयार की गई है। इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक और भौतिक ढ़ांचे के विकास एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

- राजस्थान के उच्च शिक्षण संस्थानों को रूसा 1.0 के अन्तर्गत ₹390 करोड़, रूसा 2.0 के अन्तर्गत ₹221 करोड़ एवं पीएम–उषा के अन्तर्गत ₹330 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ हैं। लाभार्थी संस्थाओं की संख्या रूसा 1.0 में 110, रूसा 2.0 में 20 एवं पीएम–उषा में 34 है। इनमें प्रोजेक्ट पूर्ण करने का प्रतिशत क्रमशः 94.40, 73.82 एवं 27 है।

नवाचार, कौशल विकास एवं अधोसंरचना विस्तारः

- **रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमः** छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के 314 राजकीय महाविद्यालयों में औपचारिक रूप से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- **राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रमः** युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने हेतु उद्योग–उन्मुख कौशल को शिक्षा तंत्र से एकीकृत करने के उद्देश्य से बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के अंतर्गत 'राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम' हेतु ₹25 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- **आईसीटी लेब** एवं **स्मार्ट क्लासरूम की स्थापनाः** 35 राजकीय महाविद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी लेब की स्थापना हेतु राशि ₹7.12 करोड़ तथा 153 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना हेतु राशि ₹29.99 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी।
- **खेल सुविधाओं का विकासः** 122 राजकीय महाविद्यालयों में एथलेटिक्स ट्रेक, बेडमिंटन, वॉलीबाल, फुटबाल, खो–खो, कबड्डी, क्रिकेट आदि खेलों के विकास एवं उपकरण क्रय करने हेतु राशि ₹1,305 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

कुशल एवं नवोन्मेषी कार्यबल तैयार करने के लिए राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना

भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण तकनीकी शिक्षा की मांग बढ़ रही है। **तकनीकी शिक्षा** विभिन्न व्यापार, हस्तकला एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य छात्रों को विशिष्ट व्यापार एवं व्यवसायों में विशेष कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना है, ताकि कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

राज्य का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को उच्च गुणवत्ता एवं अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य के तकनीकी मानव संसाधन की प्रतिस्पर्धात्मकता को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना है।

राजस्थान के लिए **व्यावसायिक शिक्षा** आवश्यक है क्योंकि यह राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में सीधे योगदान देती है, नागरिकों को एक गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देती है। एक सुशिक्षित, कुशल कार्यबल राजस्थान को अपने अनूठे अवसरों का लाभ उठाने, अपने विकासात्मक अंतराल को कम करने और एक स्थायी भविष्य बनाने में मदद करेगा।

राजस्थान में **इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन शिक्षा** प्रदान करने का उद्देश्य एक कुशल कार्यबल विकसित करना है जो नवाचार, आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी, प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल प्रदान करना है, साथ ही राज्य में रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में कुल 73 (19 राजकीय तथा 54 निजी महाविद्यालय) अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें कुल प्रवेश क्षमता लगभग 27,753 छात्र प्रति वर्ष है। वर्ष 2025–26 में इन महाविद्यालयों में कुल 16,355 छात्र नामांकित हैं।
- इसी तरह प्रबन्धन शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर तक के 52 प्रबन्धन संस्थान (07 राजकीय एवं 45 निजी संस्थान), जिनमें कुल प्रवेश क्षमता लगभग 4,474 प्रति वर्ष है। वर्ष 2025–26 में इन महाविद्यालयों में कुल 1,800 छात्र नामांकित हैं।
- उपरोक्त सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के संघटक/निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय/एम.बी.ए. संस्थान राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं गोविंद गुरू जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से सम्बद्ध हैं।
- इसके अतिरिक्त, राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) जोधपुर आईआईआईटी–कोटा, एमएनआईटी जयपुर तथा भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) उदयपुर संचालित हैं।

राजस्थान के आर्थिक विकास, कार्यबल कौशल वृद्धि, नवाचार एवं प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता देने से राजस्थान अपनी क्षमता को विस्तृत करने और अक्षय ऊर्जा, औद्योगिक विकास, कृषि एवं डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनने में सक्षम होगा। राज्य में उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना जैसे उद्धेश्य पॉलिटेक्निक कॉलेजों के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है।

राज्य में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2025–26 में 25,802 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले कुल 137 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं।

- इनमें से 9,376 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले 56 राजकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाला 01 केन्द्रीय सहशिक्षा महाविद्यालय एवं 1,558 छात्राओं की प्रवेश क्षमता वाले 12 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। इनकी कुल प्रवेश क्षमता 10,994 है। इसके अतिरिक्त 68 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं जिसमें प्रवेश क्षमता 14,808 है।

गत 2 वर्षो में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की भौतिक प्रगति तालिका 3.6 में निम्नानुसार रही–

तालिका 3.6 : पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	पॉलिटेक्निक महाविद्यालय			कुल प्रवेश क्षमता		
		राजकीय	निजी	कुल	राजकीय	निजी	कुल
1	2024-25	48	68	116	7565	14673	22238
2	2025-26	69	68	137	10994	14808	25802

- तकनीकी शिक्षा (पॉलिटेक्निक) के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹105.48 करोड़ आवंटन के विरूद्ध ₹46.35 करोड़ का व्यय किया गया है।

राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता (एसईई) विभाग के अन्तर्गत संचालित हैं। कुल, 314 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है, जिनमें 63,960 छात्रों की प्रवेश क्षमता है एवं 1,385 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें 2,12,624 छात्रों की प्रवेश क्षमता है।

- वर्तमान में कुल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 12 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, मण्डोर (जोधपुर), कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा एवं भरतपुर में स्वीकृत हैं।
- दस्तकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अन्तर्गत 44 अभियांत्रिकी व 35 गैर–अभियांत्रिकी व्यवसायों में एक से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।
- तकनीकी शिक्षा (आईटीआई) के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹496.82 करोड़ आवंटन के विरूद्ध ₹119.21 करोड़ का व्यय किया गया है।

स्वस्थ राज्य के लिए चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार, चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर करने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है। इससे विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार सृजित होंगे एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी, जिससे राज्य में अधिक स्वस्थ और सक्षम मानव संसाधन का विकास होगा।

राज्य में दिसम्बर, 2025 तक 49 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 6 राजकीय, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज, 24 राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत, 02 ई. एस. आई. कॉलेज, अलवर व जयपुर एवं एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर तथा 15 निजी क्षेत्र में हैं।

- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹91.46 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से ₹23.03 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

- स्नातक (यूजी) राजकीय मेडिकल कॉलेजः शैक्षणिक वर्ष 2025–26 में 4,730 छात्र (दंत चिकित्सा कॉलेजों सहित) नामांकित हैं।
- स्नातकोत्तर (पीजी) राजकीय मेडिकल कॉलेजः शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में 2,098 छात्र (दंत चिकित्सा कॉलेजों सहित) नामांकित हैं।
- राज्य के राजकीय चिकित्सा, निजी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में कुल 8,980 स्नातक, 3,930 स्नातकोत्तर एवं 446 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की सीटें स्वीकृत हैं।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण में शैक्षणिक सत्र 2022–23 से धौलपुर में मेडिकल कॉलेज तथा तृतीय चरण में श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ़ एवं सिरोही में मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ किए गए। 5 नवीन मेडिकल कॉलेज अलवर, दौसा, करौली, बून्दी एवं हनुमानगढ़ शैक्षणिक सत्र 2023–24 से एवं 5 नवीन मेडिकल कॉलेज बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुन्झुनू एवं सवाई माधोपुर वर्ष 2024–25 से (प्रति कॉलेज 100 एमबीबीएस सीट की प्रवेश क्षमता) तथा 02 नवीन मेडिकल कॉलेज टोंक एवं जैसलमेर वर्ष 2025–26 (प्रति कॉलेज 50 एमबीबीएस सीट की प्रवेश क्षमता) में प्रारम्भ किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के लिए, **राजमेस** के अन्तर्गत ₹3,630.50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से ₹1,116.95 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

15 नये मेडिकल कॉलेज (अलवर, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, दौसा, झुन्झुनू, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाई माधोपुर) खोलने के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत प्रति मेडिकल कॉलेज राशि ₹325 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें केन्द्र की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत एवं राज्य की हिस्सा राशि 40 प्रतिशत है। सभी 15 चिकित्सा महाविद्यालयों की सी.पी.आर. और डी.पी.आर. को मंजूरी दे दी गई है, एवं निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिरत है।

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 4,330 स्नातक, 1,974 स्नातकोत्तर व 210 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की है। साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), जोधपुर में 150 स्नातक, 190 स्नातकोत्तर तथा 83 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की सीटें हैं।

निजी मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 2,800 स्नातक, 1,398 स्नातकोत्तर व 153 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की है।

इसी प्रकार, राज्य में 17 दन्त चिकित्सा कॉलेज हैं, जिनमें से 02 राजकीय क्षेत्र में (राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर) व 15 निजी क्षेत्र में हैं। राजकीय दन्त चिकित्सा कॉलेज की वार्षिक प्रवेश क्षमता स्नातक 100 विद्यार्थी एवं 28 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की हैं। निजी दन्त चिकित्सा कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 1,450 स्नातक व 340 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की है।

इनके अतिरिक्त 28 जिलों के राजकीय चिकित्सालयों में 381 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ 8 विशिष्टताओं में पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए व जयपुर के आरयूएचएस में शैक्षणिक सत्र 2021–22 एवं शैक्षणिक सत्र 2022–23 में जोधपुर एवं उदयपुर में 25 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ मास्टर्स इन पब्लिक हैल्थ (एमपीएच) कोर्स प्रारम्भ किया गया है।

मेडिकल कॉलेजों से संबंद्ध अस्पतालों द्वारा अन्तरंग व बहिरंग रोगियों की देखभाल की जा रही है तथा प्रदेश की जनसंख्या के बड़े भाग की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है, इसके साथ ही पड़ौसी राज्यों (जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदि) के रोगियों की देखभाल भी की जा रही है।

राज्य में संस्कृत शिक्षा को पुनर्जीवित करना

राजस्थान मे संस्कृत शिक्षा को पूर्नजीवित करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, बौद्धिक विकास को बढावा देने और छात्रों को भारतीय साहित्य और दर्शन से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भाषा आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है और स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण मे सहायक है साथ ही आधुनिक शोध एवं नवाचार में भी योगदान देता है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है एवं आज भी उसी रूप और संरचना को बरकरार रखे हुए है जैसे हजारों वर्ष पहले थी। यह शब्द निर्माण की दृष्टि से अत्यधिक

वैज्ञानिक है। राजस्थान संस्कृत भाषा के लिए अग्रणी राज्य है, जहां वर्ष 1958 से एक पृथक संस्कृत निदेशालय कार्यरत है एवं वर्ष 1998 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। संस्कृत निदेशालय विद्यालय स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है।

राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिए कुल 2,374 संस्थान हैं, जिनमें 1,872 संस्थान राजकीय, 502 संस्थान निजी क्षेत्र के हैं। इन संस्थानों में कुल 1.56 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान एक राजकीय एवं 15 निजी एस.टी.सी. महाविद्यालय संचालित हैं, 01 राजकीय राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जबकि निजी क्षेत्र में 82 शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में विभिन्न योजनाओं पर ₹290.70 करोड़ के आंवटित बजट के विरूद्ध ₹196.94 करोड़ का व्यय किया गया है।

वर्ष 2025–26 के दौरान संस्कृत शिक्षण संस्थानों की संख्या तालिका–3.7 में दर्शाई गई है –

तालिका 3.7 : राजस्थान में संस्कृत शिक्षण संस्थानों की संख्या

स्तर	राजकीय	निजी	कुल
संस्कृत शिक्षा के कुल संस्थान	1872	502	2374

राज्य में **"राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान" (एसएसआईईआरटी)** महापुरा, जयपुर में संचालित है। एसएसआईईआरटी के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं–

- विद्यालयों की कक्षा 1–12 तक संस्कृत शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यपुस्तकें एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना तथा शैक्षिक मानदंडो के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।
- शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेवारत शिक्षकों को सहयोग करना।
- संस्कृत को सार्वजनिक भाषा के रूप मे बढ़ावा देना, संचार कौशल को बढ़ाना और इसके प्रचार एवं शोधकार्य मे सहायता करना।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹94 लाख के बजट आवंटन के विरूद्ध ₹57.43 लाख की राशि व्यय की गई है तथा 2,551 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं।
- द्विवर्षीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं समीक्षा तथा पाठ्यपुस्तक लेखन।
- संस्कृत भाषा को जनवाणी बनाने हेतु संचार कौशल विकसित करना एवं प्रचार–प्रसार की दिशा में प्रयास करना।

राज्य में भाषा एवं पुस्तकालय शिक्षा को बढ़ावा देना

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई है। वर्तमान में, राज्य में 323 पुस्तकालय हैं, जिनमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 07 सम्भाग स्तरीय पुस्तकालय, 33 जिला स्तरीय पुस्तकालय, 06 पंचायत समिति स्तरीय पुस्तकालय (भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में), 276 पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालय (माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) संचालित हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹479.54 लाख के आवंटित बजट के विरूद्ध ₹262.22 लाख का व्यय किया गया है।

पुस्तकालय जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सभी आयु वर्ग के पुरुष एवं महिला पाठकों को पुस्तकालय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। चयनित पुस्तकालयों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, चिल्ड्रन कॉर्नर, महात्मा गाँधी कॉर्नर, नवसाक्षर कॉर्नर एवं दृष्टि बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध है। विभाग द्वारा संचालित 47 पुस्तकालयों में वर्तमान में 22,87,985 पुस्तकें उपलब्ध हैं। वर्ष 2025–26 में इन पुस्तकालयों में कुल 14,289 सदस्य पंजीकृत हुए।

जयपुर में **राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय** ने पहली बार राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंडिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली से सदस्यों के लिए पुस्तकें लेना एवं वापस करना आसान हो जाता है, साथ ही कम कर्मचारियों के साथ पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है।

सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्रों की स्थापना प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए 33 जिला पुस्तकालयों में की गई है। प्रत्येक अध्ययन केंद्र में विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन एवं परीक्षा तैयारी में सहायता देने हेतु एक मार्गदर्शक की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2025–26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत ₹93.06 लाख के बजट प्रावधान के मुकाबले ₹46.53 लाख की राशि व्यय की गई है।

प्रगतिशील राज्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ाना

राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग छात्रों एवं जनसामान्य के लिए प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करके वैज्ञानिक जागरुकता को बढ़ावा देता है। ताकि छात्रों को एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह विभाग विज्ञान क्लबों एवं प्रतियोगिताओं को सहायता प्रदान करता है एवं सार्वजनिक पहुँच के लिए क्षेत्रीय कार्यालय चलाता है। विभाग व्यावहारिक शिक्षा, नवाचार एवं जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान केंद्र और संग्रहालय भी स्थापित करता है।

- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर एवं उदयपुर में डिजिटल तारामण्डलों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के साथ दिनांक 04 जुलाई, 2025 को राशि ₹13 करोड़ (प्रत्येक) की लागत से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹32.05 करोड़ के बजट आवंटन के विरूद्ध ₹11.94 करोड़ का व्यय किया गया है।

राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (सरसेक), जोधपुर का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराकर तथा मिट्टी, जल, वन, कृषि और खनिज संसाधनों के मानचित्र तैयार कर विकास नियोजन में सहायता करना तथा बेहतर संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अनुसंधान एवं विकास प्रभाग की स्थापना की गई है। यह विभाग राजकीय एवं गैर राजकीय शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विद्यार्थियों एवं आमजन में वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर में नए विज्ञान केंद्र, डिजिटल तारामण्डल और नवाचार केन्द्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

पेंटेट सूचना केन्द्र (पीआईसी), जयपुर की स्थापना बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए की गई है, जिसमें पेटेंट और भौगोलिक संकेत शामिल हैं। यह केन्द्र नवप्रवतकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को पेटेंट दाखिल करने और नवाचारों के संरक्षण में सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

नॉलेज ऑग्मेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स (केएआरवाईए) कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शोध एवं अनुसंधान संस्थानों में इंटर्नशिप और अनुसंधान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है। केएआरवाईए-2025 के तहत 63 विद्यार्थियों को अनुसंधान फेलोशिप प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- 28 फरवरी, 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर उत्कृष्ट नवाचारों के लिए राज्य नवाचार परिषद् द्वारा दो श्रेणियों यथा जमीनी स्तर और उच्च शिक्षण संस्थान में राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार प्रदान किये गये। इसके तहत प्रथम विजेता को ₹1,00,000, द्वितीय विजेता को ₹51,000 और तृतीय विजेता को ₹21,000 की नकद राशि प्रदान की गयी।
- इंदिरा गांधी पंचायंती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में सरसेक उप–केन्द्र का कार्यालय स्थापित कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में एस्ट्रो नाईट ट्यूरिज्म गतिविधि के तहत विज्ञान केंद्र एवं पार्क, जन्तर–मन्तर ,अल्बर्ट हॉल आदि विभिन्न स्थानों पर 5 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें लगभग 1600 प्रतिभागियों ने आकाश दर्शन किये।

04 सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन

राजस्थान सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विविधता वाला राज्य है, जिसके लिए सामाजिक सशक्तीकरण एवं सतत् समावेशन और न्यायसंगत विकास अनिवार्य घटक है। समावेशी विकास का उद्देश्य यह है कि समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर और वंचित समूहों को अवसरों, सार्वजनिक सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित हो, ताकि विकास के लाभ उन सभी तक पहुँच सकें। सामाजिक सशक्तीकरण को मजबूत करने से न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि मानव पूंजी, उत्पादकता तथा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता भी सुदृढ़ होती है।

राजस्थान सरकार ने सामाजिक विकास के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका संवर्धन, सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह अध्याय महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, युवाओं, श्रमिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों, विमुक्त एवं घुमंतू जातियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित समुदायों के सशक्तीकरण हेतु राज्य की पहलों का एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इसमें सम्मिलित नीतियाँ और कार्यक्रम जीवन–चक्र आधारित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं, जो जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक असुरक्षाओं को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देते हैं।

लैंगिक सशक्तीकरण राज्य की सामाजिक विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता, सुरक्षा तथा वित्तीय सुदृढ़ता को समर्थन देने वाली पहलें लैंगिक असमानताओं को कम करने तथा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इसी प्रकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा पर केंद्रित लक्षित प्रयासों का उद्देश्य अंतर–पीढ़ीगत वंचना के चक्र को तोड़ने और दीर्घकालिक मानवीय विकास परिणामों में सुधार लाने का लक्ष्य रखते हैं।

राजस्थान ने सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक क्षेत्र के संकेतकों में, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता तथा असमानताओं में कमी के क्षेत्रों में, निरंतर प्रगति प्रदर्शित की है। सुदृढ़ संस्थागत ढांचे, विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा सामुदायिक सहभागिता ने ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय क्षेत्रों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को और सशक्त बनाया है।

प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से सामाजिक क्षेत्र, प्रशासनिक दक्षता तथा सेवा प्रदायगी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जन आधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणालियाँ तथा ऑनलाइन निगरानी तंत्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, दक्षता एवं अंतिम छोर तक लाभ की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। साथ ही, श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार तथा शिकायत निवारण प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु अपनाए गए उपायों ने सुरक्षित और सक्षम कार्यबल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

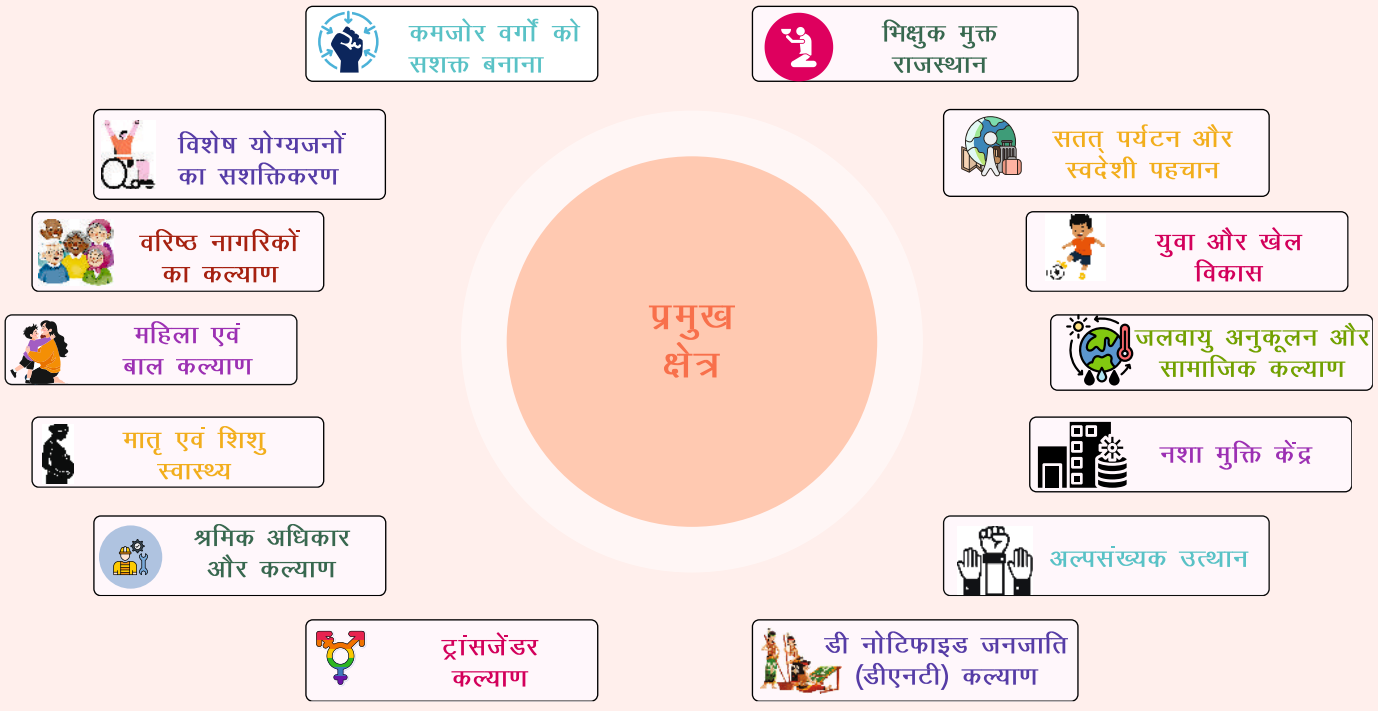
समग्र रूप से, यह अध्याय कल्याणकारी सहायताओं को सशक्तीकरण–उन्मुख नीतियों, डिजिटल नवाचार तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण के साथ समन्वित करते हुए, एक समावेशी एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित राजस्थान के निर्माण के प्रति राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

विजन स्टेटमेंट–विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक, राजस्थान अधिक समतापूर्ण, समावेशी एवं समृद्ध राज्य के रूप में उभरेगा, जहां सभी के लिए विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और महिलाएं एवं बच्चें, अवसरों तक समान पहुँच से सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन व्यतीत करेंगे।

एक सक्षम कार्यबल एवं दक्ष युवा आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक होंगे। खेल, फिटनेस एवं प्रतिभा विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा अर्जित कर वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त करेगा।

चित्र 4.1

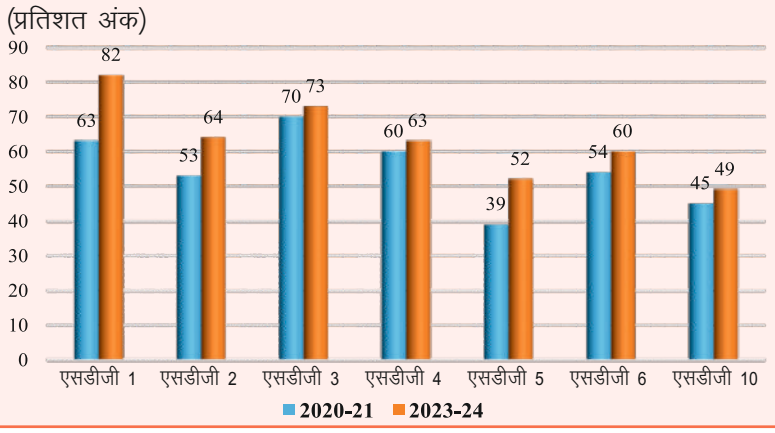


सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

राजस्थान ने वर्ष 2023–24 में वर्ष 2020–21 की सतत् विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है। सामाजिक क्षेत्र के आंकड़े विभिन्न लक्ष्यों में एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाते हैं, जो राज्य की सामाजिक–आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिम्ब हैं।

राजस्थान ने वर्ष 2020–21 से वर्ष 2023–24 के बीच सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों के कई प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया है। एस.डी.जी. इण्डिया इंडेक्स के अनुसार राज्य ने 'गरीबी का अंत (लक्ष्य–1) में उल्लेखनीय सुधार किए हैं, जिसमें 19 अंकों की वृद्धि हुई है, जो गरीबी कम करने के प्रति राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी तरह, 'भुखमरी समाप्त करना" (लक्ष्य–2) में 11 अंकों की वृद्धि हुई है, जो खाद्य सुरक्षा में सुधार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त राज्य की प्रगति अच्छा स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना (लक्ष्य–3), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य–4), लैंगिक समानता (लक्ष्य–5), शुद्ध जल एवं स्वच्छता (लक्ष्य–6) तथा असमानताओं में कमी (लक्ष्य–10) के क्षेत्रों में क्रमशः 3, 3, 13, 6 और 4 अंकों की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ी।

चित्र 4.2 : एसडीजी इण्डिया इंडेक्स की उपलब्धि



स्रोतः एसडीजी इण्डिया इंडेक्स

राज्य सरकार ने प्रगति की निगरानी करने, स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप नीतियाँ लागू करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं की हैं।

लक्षित समूह एवं कवरेज रूपरेखा

राज्य के एकीकृत सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन दृष्टिकोण के अनुरूप, चार विषयगत क्षेत्रों–शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लक्षित समूहवार नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का एक सुव्यवस्थित और समग्र प्रस्तुतीकरण किया गया है।

चित्र 4.3



शैक्षिक विकास

- शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर पहुंच
- टीचिंग और करिकुलम में सुधार
- ज्ञान और कौशल का विकास
- आजीवन सीखने को बढ़ावा
- शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों के साथ जोड़ना



आर्थिक विकास

- आर्थिक खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना
- नौकरियों, उत्पादन और नवाचार के जरिए विकास को बढ़ावा देना
- मानवीय पूंजी और बिजनेस सपोर्ट में निवेश करना
- गरीबी कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य
- निरंतर विकास और एक मजबूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करना



समाज कल्याण

- जरूरतमंद लोगों और परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान करना
- कमजोर और वंचित समूहों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना
- इसमें स्वास्थ्य सेवा, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक सहायता शामिल है
- सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना
- जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना



सामाजिक सुरक्षा

- वित्तीय सहायता और जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना
- बेरोजगारी, विकलांगता या कठिनाई के समय व्यक्तियों को सहायता देना
- जीवन स्तर का एक बुनियादी स्तर सुनिश्चित करना
- एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है
- परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना

लैंगिक सशक्तीकरण एवं समावेशन

लैंगिक सशक्तीकरण समावेशी विकास की मूल आधारशिला है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पूर्ण क्षमताओं के साकार रूप को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। राज्य द्वारा अपनाये गये नवाचार संरचनात्मक बाधाओं को कम करने, शिक्षा एवं कौशल तक पहुँच को सुदृढ़ करने, वित्तीय आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने, सुरक्षा एवं विधिक संरक्षण सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। कल्याणकारी सहायता और सशक्तीकरण–उन्मुख पहलों के समन्वित संयोजन के माध्यम से, ये नीतियाँ विकास प्रक्रिया में महिलाओं की गरिमा, आत्मनिर्भरता और सार्थक सहभागिता को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती हैं। चार विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न योजनाएँ निम्नानुसार है:

चित्र 4.4

शैक्षिक विकास	• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना • काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना
आर्थिक विकास	• स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) को समर्थन • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना • मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना • मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम–जॉब वर्क योजना

सामाजिक कल्याण

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना
- महिला विकास कार्यक्रम
- लाडो प्रोत्साहन योजना
- 181 महिला हेल्पलाईन
- त्रि–स्तरीय महिला समाधान समिति
- मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना
- महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब ''मिशन शक्ति''
- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013
- महिला कल्याण कोष
- विधवा विवाह उपहार योजना
- किशोरी बालिका योजना
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021
- कालीबाई भील उड़ान योजना
- कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान

सामाजिक सुरक्षा

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदन
- शक्ति सदन योजना
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.)
- वन स्टॉप सेन्टर/सखी केन्द्र
- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र

शैक्षिक विकास

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ: यह भारत सरकार की एक अग्रणी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में कार्यरत है, जहां बालिकाओं को समान सम्मान प्राप्त हो एवं उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाया जाए।

इस योजना के अन्तर्गत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जैसे बैठकें, प्रशिक्षण, कार्यशालायें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹5.70 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से ₹4.20 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है एवं बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1.04 लाख बालिकाओं के जन्मोत्सव मनाये जा चुके हैं।

काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना: वर्ष 2019–20 में प्रारंभ की गई यह योजना राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं तथा बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु संचालित है। योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य ओपन स्कूल को देय प्रवेश शुल्क, पुनः/आंशिक प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा प्रायोगिक विषयों की परीक्षा शुल्क का वहन विभाग द्वारा किया जाता है।

आर्थिक विकास

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) को समर्थन: अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है, जो स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा निर्मित अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और विपणन करने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। राज्य स्वयं सहायता समूहों को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आई.आई.टी.एफ.), शिल्प ग्राम उत्सव तथा अन्य विभागीय मेलों जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता हैं। वार्षिक योजना 2025–26 के लिए ₹1.80 करोड़ राशि के प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2025 तक ₹76.95 लाख का व्यय किया गया है। कुल 10 हाट आयोजित कर 1,270 स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना: यह योजना राज्य में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनके सशक्तीकरण का समर्थन करती है। इसके अंतर्गत महिलाओं को नए उद्यम

प्रारंभ करने अथवा मौजूदा व्यवसायों के विस्तार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ₹50 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक का ऋण प्रदान कर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसंबर तक), कुल ₹30 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹10 करोड़ की राशि व्यय की गई है तथा बैंकों द्वारा ₹103.67 करोड़ मूल्य के 976 ऋण आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजनाः यह योजना राजस्थान में महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वयित की जा रही है। इसके माध्यम से महिलाओं की रोजगार–योग्यता में वृद्धि के साथ–साथ उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹56 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹14.87 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

योजना अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम संचालित हैः–

- महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क आर.एस.–सी.आई.टी. प्रशिक्षण (वर्ष 2025–26 में 74,001 को प्रशिक्षित किया जा रहा है)
- महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क आर.एस.–सी.एफ.ए. प्रशिक्षण (वर्ष 2025–26 में 4,979 को प्रशिक्षित किया जा रहा है)
- महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट आर.एस.–सी.एस.ई.पी. प्रशिक्षण (वर्ष 2025–26 में 3,607 को प्रशिक्षित किया जा रहा है)
- कौशल सामर्थ्य योजना

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम/जॉब वर्क योजनाः यह योजना उन महिलाओं को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है जो घर से कार्य करके अपने परिवार की आजीविका में योगदान देना चाहती हैं। महिलाएँ और बालिकाएँ पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से वस्त्र कार्य, ऑनलाइन परामर्श, ट्यूशन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, लेखांकन, जीएसटी फाइलिंग, आभूषण निर्माण, पैकेजिंग तथा चिकित्सीय परामर्श सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकती हैं। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक 147 जॉब प्रदाताओं का पंजीकरण किया गया है तथा 47,462 रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, जिनके माध्यम से कुल 5,952 महिलाओं/बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

सामाजिक कल्याण

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः इस योजना का लक्ष्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन देना है। इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :–

- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु ₹31,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 10वीं पास कन्याओं के लिए ₹10,000 और स्नातक पास कन्याओं के लिए ₹20,000 की राशि दी जाती है।

- बी.पी.एल. परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारकों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं, विशेष योग्जन व्यक्तियों, पालनहार लाभार्थियों और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु ₹21,000 की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 10वीं पास कन्याओं के लिए ₹10,000 और स्नातक पास कन्याओं के लिए ₹20,000 की राशि दी जाती है।

इस योजना में वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) 7,269 कन्याओं को ₹33.86 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

विधवा विवाह उपहार योजनाः यदि कोई विधवा महिला, जो पेंशन योजना की लाभार्थी है, विवाह करती है, तो राज्य सरकार उसके विवाह पर ₹51,000 का उपहार प्रदान करती है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹2.55 लाख व्यय कर 5 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजनाः इस पहल के तहत राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तथा चयनित बीपीएल परिवारों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹450 की रियायती दर पर (प्रति वर्ष अधिकतम 12 सिलेंडर) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2024–25 से योजना के दायरे का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त एनएफएसए परिवारों को इसके

अंतर्गत सम्मिलित किया गया। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसंबर तक), 2.18 करोड़ गैस सिलेंडरों के पुनर्भरण के माध्यम से लाभार्थियों को कुल ₹487.86 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई है।

किशोरी बालिका योजनाः यह योजना 14–18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, जिससे उनके सर्वांगीण आत्म–विकास के लिए एक सहयोगात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण किया जा सके। योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल, 2022 से राज्य के पाँच आकांक्षी जिलों–बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर एवं सिरोही में किया जा रहा है तथा इन जिलों की 29,368 किशोरियों का सर्वेक्षण कर उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किए जाने हेतु चिन्हित किया गया है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसंबर तक), ₹11.22 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹5.58 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

महिला कल्याण कोषः यह कोष राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर मानदेय आधारित सेवाएँ प्रदान करने वाले कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं एवं आशा सहयोगिनियों के कल्याण हेतु स्थापित किया गया है। कोष के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर अंशदान किया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वार्षिक ₹750 तथा सहायिकाओं एवं आशा सहायिकाओं के लिए ₹376 का अंशदान निर्धारित है। इस कोष के माध्यम से प्रत्येक सदस्य को ₹10,000 का बीमा संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ₹10,000 की बीमा राशि के साथ संचित बचत एवं उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान किया जाता है। सेवा समाप्ति की स्थिति में सदस्य को संचित बचत राशि ब्याज सहित प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 के लिए इस योजना हेतु ₹5.14 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

महिला विकास कार्यक्रमः यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से "साथिनों" के माध्यम से क्रियान्वयित किया जा रहा है, जो महिलाओं के मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती हैं। साथिन सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के विरूद्ध कार्य करते हुए महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण तथा उनके अधिकारों के संबंध में जागरूकता प्रदान करती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से साथिन की नियुक्ति की जाती है। अप्रैल, 2025 से साथिनों का मानदेय ₹5,844 से बढ़ाकर ₹6,428 प्रति माह किया गया है।

वर्तमान में, महिलाओं में जागरूकता सृजित करने हेतु 10,908 साथिन कार्यरत हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹76.38 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹61.95 करोड की राशि व्यय की गई है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजनाः सामूहिक विवाह का उद्देश्य दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना तथा विवाह पर होने वाले व्यय को कम करना है। इसके अन्तर्गत प्रति दंपति ₹25,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से ₹21,000 वधू को तथा ₹4,000 आयोजन संस्था को दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम पांच विभिन्न समुदायों/जातियों/धर्मों के कम से कम 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले आयोजकों को व्यवस्थाओं हेतु ₹10 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹5.94 करोड़ की राशि व्यय कर 2,202 जोड़ों को लाभान्वित किया गया है।

लाडो प्रोत्साहन योजनाः यह योजना 1 अगस्त, 2024 से बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने तथा उनके सर्वांगीण विकास को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वयित की गई है। इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव की रोकथाम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा बाल विवाह की समाप्ति सुनिश्चित करना है। योजना के अन्तर्गत ₹1.50 लाख की वित्तीय सहायता सात किश्तों में प्रदान की जाती है, जिसमें से छह किश्तें माता–पिता/अभिभावक को तथा सातवी किश्त सीधे बालिका के बैंक खाते में जमा की जाती है। पात्रता के अनुसार माता का राजस्थान का मूल निवासी होना तथा बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) के अन्तर्गत किसी सरकारी अथवा अनुमोदित निजी चिकित्सालय में होना अनिवार्य है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹320 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹217.63 करोड़ की राशि व्यय कर 3.27 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

कालीबाई भील उड़ान योजनाः यह योजना राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करती है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और राजीविका

सैनिटरी नैपकिन खरीदकर आँगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं में वितरित करते हैं। वर्तमान में लगभग 1.22 करोड़ किशोरियों/महिलाओं को हर माह मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹91.50 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

181 महिला हेल्पलाईनः महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में 24X7 महिला हेल्पलाइन सेवा की स्थापना की गई है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) प्राप्त 4,098 प्रकरणों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013: योजना अन्तर्गत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है, तथा प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। इन समितियों के गठन हेतु दिशा–निर्देश सभी विभागों और इकाइयों को जारी किए गए हैं। आंतरिक और स्थानीय समितियाँ सभी जिलों और विभिन्न सरकारी/निजी इकाइयों में स्थापित की गई हैं। राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई, ताकि सरकारी प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा सके।

त्रि–स्तरीय महिला समाधान समितिः इस योजना का लक्ष्य अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निवारण, सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह समिति तीन स्तरों पर कार्य करती हैः विभागीय स्तर (विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में), जिला स्तर (जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में), और उप–जिला स्तर (उप–जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में)। प्रत्येक समिति में पुलिस, श्रम, उद्योग, न्यायपालिका, चिकित्सा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ जिला कलेक्टर द्वारा नामित एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया हैं। जिला महिला सहायता समिति को त्रि–स्तरीय महिला समाधान समिति में सम्मिलित कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री–किट योजनाः यह योजना मातृ स्वास्थ्य में सुधार, स्वस्थ गर्भावस्था परिणामों को समर्थन प्रदान करने तथा राजस्थान में कुपोषण न्यूनीकरण के प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अन्तिम पांच माह के दौरान आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से पोषण किट प्रदान की जाएगी। प्रत्येक किट में खजूर, घी, भुनी मूंगफली, भुने चने, गुड़ तथा मखाना जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वर्ष 2025–26 के लिए इस योजना के अन्तर्गत कुल ₹25 करोड़ के राज्य निधि व्यय का प्रावधान किया गया है।

कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थानः कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान की स्थापना हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में राज्य में महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से की गई है। यह संस्थान वर्तमान में प्रबंध अध्ययन केन्द्र (सी.एम.एस.) के अधीन कार्यरत है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग को तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा महिला–केन्द्रित योजनाओं के मूल्यांकन एवं शोध के साथ–साथ लैंगिक विषयों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

वर्ष 2025–26 के दौरान, संस्थान द्वारा महिला सशक्तीकरण निदेशालय के पर्यवेक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सावित्री बाई फुले संस्थान, एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस. एवं सी.डी.ए.सी. के सहयोग से महिला हेल्पलाइन एवं वन स्टॉप सेंटर के सलाहकारों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु जेंडर सेंसीटाइजेशन मॉड्यूल भी विकसित किया गया है।

महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब ''मिशन शक्ति'': एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए 'मिशन शक्ति' नामक अंब्रेला योजना को आरंभ किया है। मिशन शक्ति के तहत 'सामर्थ्य' उप–योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर महिला सशक्तीकरण केंद्र राज्य हब और जिले स्तर पर महिला सशक्तीकरण केंद्र जिला हब स्थापित किए गए हैं। इस हब का संचालन केंद्र और राज्य के 60:40 बजट अनुपात में किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) में आवंटित बजट राशि ₹7.07 करोड़ के विरुद्ध ₹6.09 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजनाः यह योजना महिलाओं की विशिष्ट पहचान स्थापित करने और उनके कल्याण के लिए

किए जा रहे प्रयासों को सम्मानित करने हेतु प्रारम्भ की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8 मार्च को पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित चार प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किए जाते है–

- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनके द्वारा बालिका एवं महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य किया गया है।
- व्यक्ति और संस्था जो महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं।
- श्रेष्ठ महिला और बाल विकास कार्यकर्ता
- श्रेष्ठ दानदाता/कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधि

अन्य नवाचार एवं संबंधित गतिविधियाँ:

राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, अप्रैल 2025: 8 से 22 अप्रैल, 2025 तक आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के दौरान 1.18 करोड़ गतिविधियों का पंजीकरण करते हुए राजस्थान ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अभियान में लाभार्थियों के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष बल दिया गया, जिसके अन्तर्गत जीवन के प्रथम 1000 दिवसों का महत्व, पोषण ट्रैकर को प्रोत्साहित करना, सी.एम.ए.एम. मॉडल के माध्यम से कुपोषण प्रबंधन तथा बाल मोटापे की रोकथाम जैसे विषय शामिल रहे।

राष्ट्रीय पोषण माह, सितम्बर–अक्टूबर 2025: 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान निर्धारित 81.02 लाख गतिविधियों के लक्ष्य के विरूद्ध 89.05 लाख गतिविधियों का पंजीकरण कर 109.91 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस अवधि में मोटापा नियंत्रण, तेल एवं चीनी के उपयोग में कमी, ई.सी.सी.ई., आई.वाई.सी.एफ. तथा पुरूष सहभागिता जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। सामाजिक सहभागिता एवं डिजिटल निगरानी तंत्र ने इस उपलब्धि को और सुदृढ़ किया।

पोषण अभियान: जीवन के महत्वपूर्ण चरण जैसे गर्भावस्था, गोदभराई, शिशु को प्रथम ठोस आहार प्रदान करने तथा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा पर सकारात्मक व्यवहार अपनाने के प्रति समुदाय में जागरूकता सृजित करने हेतु प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र पर समुदाय–आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। आंगनवाडी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रभावी वास्तविक–समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के सभी जिलों में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को क्रियान्वयित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: इस योजना के तहत, बी.पी.एल. परिवारों की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाओं को ₹1,250 प्रति माह तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को ₹1,500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए ₹300 और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹500 का अंशदान दिया जाता है तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹229.54 करोड़ की राशि व्यय कर 4.17 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना: इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को ₹1,250 प्रति माह तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम होने पर आधारित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹2,795.46 करोड़ की राशि व्यय कर 19.33 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदन: यह केन्द्र संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय, देखभाल तथा पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से घरेलू हिंसा, उत्पीड़न अथवा अन्य कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को संरक्षण एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹4.73 करोड़ की राशि व्यय कर 161 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

शक्ति सदन योजना: यह योजना संकटग्रस्त महिलाओं, विशेषतः घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को आश्रय एवं आवश्यक सहायता प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत महिलाओं को विधिक, चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह योजना महिलाओं के सशक्तीकरण एवं पुनर्वास को प्रोत्साहित करते

हुए उन्हें पुनः आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर करने का लक्ष्य रखती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹22.92 लाख की राशि व्यय कर 106 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.): यह केन्द्र पीड़ित महिलाओं को परामर्श, विधिक/पुलिस/चिकित्सीय सहायता प्रदान करने तथा उन्हें हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न के सभी रूपों के विरूद्ध सशक्त रूप से खड़ा होने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र जिला महिला समाधान समिति द्वारा चयनित गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से महिला पुलिस थानों/पुलिस थानों में संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 266 केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 262 केन्द्र कार्यरत हैं। केन्द्रों के प्रभावी संचालन हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिए चयनित गैर–सरकारी संगठन को प्रतिवर्ष ₹5 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) केन्द्रों के लिए ₹12.30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से ₹7.18 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। इस अवधि में कुल 23,920 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 22,942 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

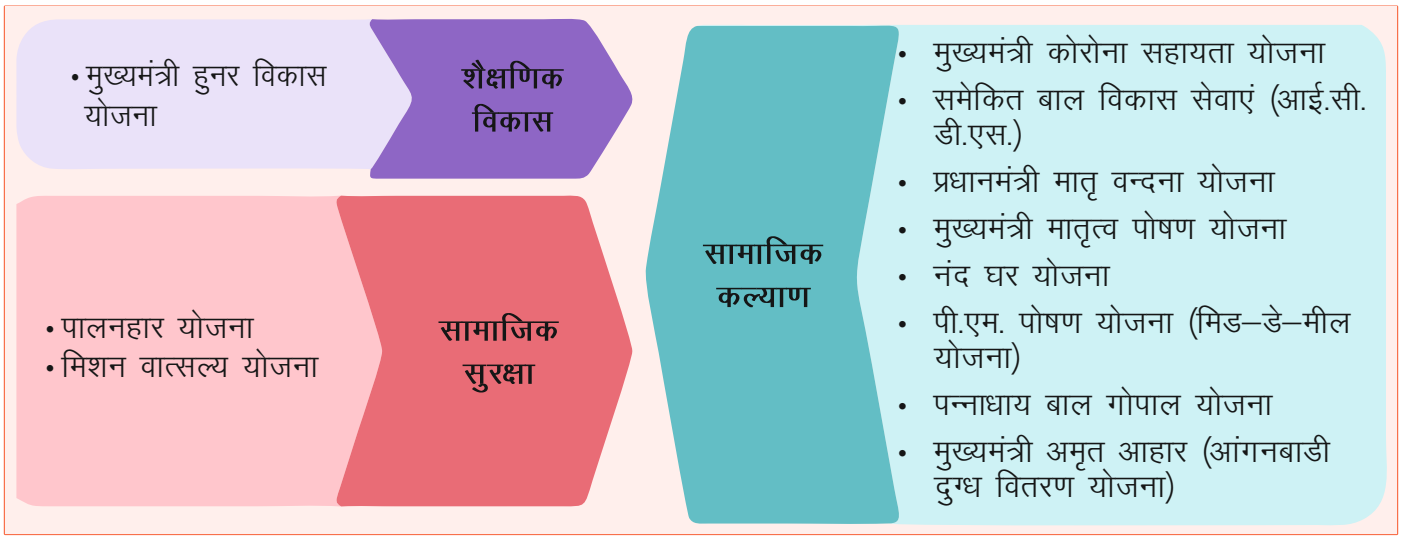
वन स्टॉप सेन्टर/सखी केन्द्रः यह योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24x7 सहायता प्रदान करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से चिकित्सीय, पुलिस, विधिक, परामर्श तथा अस्थायी आश्रय सेवाएँ उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य समयबंध राहत, न्याय एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना है। राजस्थान में जिलावार कुल 52 वन स्टॉप सेन्टर/सखी केन्द्र संचालित हैं। प्रत्येक केन्द्र के संचालन हेतु प्रतिमाह ₹3 लाख का बजट प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) केन्द्रों के लिए ₹14 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जिसमें से ₹7.11 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। इस अवधि में राज्य के सभी वन स्टॉप सेन्टर में कुल 7,366 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 7,020 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्रः यह केन्द्र जिला मुख्यालयों पर स्थापित किए गए हैं तथा महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर निःशुल्क परामर्श प्रदान करते हैं। साथ ही, इन केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹4.96 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹2.96 करोड़ की राशि व्यय कर लगभग 2.25 लाख महिलाओं/विद्यालय की बालिकाओं को परामर्श सेवाएँ एवं जानकारी प्रदान की गई है।

बाल कल्याण एवं सशक्तीकरण

बाल कल्याण एवं सशक्तीकरण सुदृढ़ मानव पूँजी के निर्माण तथा दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य द्वारा एक समुचित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके अन्तर्गत बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं का समाधान किया जाता है। लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से संवेदनशील परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास को बढ़ावा दिया जाता है, शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार किया जाता है तथा उनके समग्र विकास एवं कल्याण हेतु एक सुरक्षित एवं पोषक वातावरण का निर्माण किया जाता है।

चित्र 4.5



शैक्षणिक विकास

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनाः इस योजना का मुख्य उद्देश्य पालनहार योजना के लाभार्थियों को व्यवसायिक, तकनीकी प्रशिक्षण अथवा उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹15 लाख की राशि व्यय की गई है तथा 36 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक कल्याण

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनाः इस योजना का उद्देश्य कोविड–19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका को तत्कालिक सहायता के रूप में ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक सहायता राशि देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि देय है। उन्हें सरकारी विद्यालयों/छात्रावासों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, कॉलेज छात्रावासों में प्राथमिकता और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विधवा महिला को ₹1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक सहायता राशि देय है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹15 करोड़ की राशि व्यय कर 23,663 बच्चों व विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.): यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1975 को निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया–

- 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
- बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
- मृत्यु दर, बीमारियों, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट की दर को घटाना।
- बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतियों और क्रियान्वयन का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।
- बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए माँ को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से 22 परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों में, 41 परियोजनाएं जनजाति क्षेत्रों में तथा शेष 300 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कुल 63,206 स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 63,064 मुख्य आंगनबाडी केन्द्र सक्रिय हैं। राज्य में 61,706 आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और 55,441 सहायिकाएं कार्यरत हैं।

वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹1,500 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹1,064.85 करोड़ की राशि व्यय कर 27.64 लाख बच्चों, 2.89 लाख गर्भवती, 2.84 लाख धात्री माताओं और 29,368 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण प्रदान किया गया है। 3 से 6 वर्ष आयु के 11.73 लाख बच्चों को शाला–पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। लक्षित लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण तालिका 4.1 के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

तालिका 4.1 : आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध सेवाएं

क्र.सं.	सेवाएं	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चें, गर्भवती–धात्री महिलाएं एवं 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं (केवल 5 आकांक्षी जिले धौलपुर, करोली, जैसलमेर, सिरोही और बारां)
2.	बचपन और शाला पूर्व शिक्षा	3–6 वर्ष तक की आयु के बच्चें
3.	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	15–45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
4.	टीकाकरण	0–6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं
5.	स्वास्थ्य जाँच	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती –धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
6.	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएं	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनाः भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु नकद प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर प्रथम संतान के लिए लाभार्थियों को दो किश्तों में ₹5,000 की सहायता प्रदान की जाती है। द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म की स्थिति में तथा निर्धारित शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त ₹6,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।

1 अप्रैल, 2024 से राज्य सरकार द्वारा प्रथम संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त ₹1,500 की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 1 सितम्बर, 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के प्रथम संतान के जन्म की स्थिति में यह राशि ₹6,500 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।

वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹321 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹169.17 करोड़ की राशि व्यय कर लक्षित 3.26 लाख लाभार्थियों में से 3.15 लाख को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजनाः इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना है, जिससे जन्म के समय कम वजन तथा कुपोषण की समस्या में कमी लाई जा सके।

योजना के अन्तर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर कुल ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे तीन किश्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) प्रथम किश्त के अन्तर्गत 21,932, द्वितीय किश्त के अन्तर्गत 23,569 तथा तृतीय किश्त के अन्तर्गत 18,688 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस अवधि में कुल ₹88 करोड़ के बजट आवंटन के विरूद्ध ₹40.38 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

नन्द घर योजनाः इस योजना को एकीकृत बाल विकास सेवाओं में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत आंगनवाडी केन्द्रों के निर्माण/नवीनीकरण तथा अतिरिक्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया गया है। दिसम्बर, 2025 तक राज्य में 6,874 आंगनवाडी केन्द्रों में निर्माण/नवीनीकरण कार्य एवं संबंधित गतिविधियाँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

पी.एम. पोषण योजना (मिड–डे–मील योजना): प्रधानमंत्री पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में प्री–प्राथमिक से कक्षा 8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। यह योजना बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने के साथ–साथ नामांकनों में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन प्रतिछात्र 150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) उपलब्ध कराया जाता है। मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत परोसे जाने वाले भोजन में प्री–प्राथमिक से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित किया जाता है। प्री–प्राथमिक से कक्षा 5 तक के लिए प्रति छात्र प्रतिदिन खाना बनाने की लागत ₹6.78 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिदिन प्रतिछात्र ₹10.17 निर्धारित की गई है। भोजन के पोषण मूल्य का विश्लेषण राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान में यह योजना राज्य के 68,480 सरकारी विद्यालयों एवं संस्थानों में संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्री–प्राथमिक से कक्षा 8 तक अध्ययनरत कुल 57.01 लाख विद्यार्थी (प्री–प्राथमिक से कक्षा 5 में 34.07 लाख तथा कक्षा 6 से 8 में 22.94 लाख) लाभान्वित हैं। वर्तमान में मध्यान्ह भोजन के पकाने एवं वितरण हेतु 1.16 लाख रसोइया सहायक कार्यरत हैं, जिन्हें ₹2,297 प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल ₹1,323.76 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹407.40 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

पन्नाधाय बाल गोपाल योजनाः योजनान्तर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सप्ताह में 6 दिवस स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को दूध एवं चीनी उपलब्ध कराकर उनके पोषण स्तर में सुधार करना, समग्र स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना तथा शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

योजना के अन्तर्गत प्री–प्राथमिक से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन प्रति छात्र 150 मिली लीटर गर्म दूध हेतु 15 ग्राम दूध पाउडर एवं 8.4 ग्राम चीनी तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 मिली लीटर गर्म दूध हेतु 20 ग्राम दूध पाउडर एवं 10.2 ग्राम चीनी उपलब्ध कराई जाती है।

गैस सिलेण्डर के उपयोग के लिए ₹1,500 प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा विद्यालयों को 1 किलोग्राम पैकिंग में ₹421 प्रति किलोग्राम की दर से दूध पाउडर की आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹722 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹481.63 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

मुख्यमंत्री अमृत आहार (आंगनवाडी दूध वितरण योजना): यह योजना 14 दिसम्बर, 2024 से 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु राज्य के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों में क्रियान्वयित की गई है। इसके अन्तर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा मानक गुणवत्ता का स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराकर प्रतिदिन प्रति बच्चे 100 मिली लीटर मीठा एवं गर्म दूध प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में इस योजना को सप्ताह में पांच दिवस तक विस्तारित किया गया है। जिसका सम्पूर्ण व्यय राज्य योजना के अन्तर्गत वहन किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹122 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹57.83 करोड़ की राशि व्यय की गई है, जिससे 11.50 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

पालनहार योजना: पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक नकद हस्तांतरण योजना है, जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए प्रारम्भ की गई थी, पहले यह अनसूचित जाति के बच्चों के लिए प्रारम्भ की गई थी लेकिन बाद में इसे सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए प्रारम्भ कर दिया गया। इस योजना में बंदी माता–पिता, विधवाओं, पुनर्विवाहित विधवाओं, कुष्ठ रोग या एच.आई.वी./ए.आई.डी.एस. से संक्रमित माता/पिता, विशेष योग्यजन माता–पिता और अन्य कमजोर समूहों के बच्चे शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह एवं 6–18 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं यदि उनका नामांकन विद्यालय में है। अन्य श्रेणियों में 0–6 वर्ष के बच्चों का ₹750 प्रति माह और 6–18 वर्ष के बच्चों को ₹1,500 प्रति माह दिया जाता है, इसके साथ ही कपड़े और आवश्यकताओं के लिए ₹2,000 की वार्षिक एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹760 करोड़ की राशि व्यय कर 6.09 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

मिशन वात्सल्य योजना: यह योजना विशेष रूप से अनाथ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कमजोर बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थानों को सशक्त बनाने, परिवार केंद्रित देखभाल को प्रोत्साहित करने, बाल तस्करी को रोकने पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह मिशन जागरूकता फैलाने और बाल कल्याण प्रणाली में सुधार करने पर भी कार्य करता है। यह एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जिसके तहत् केन्द्र व राज्य का अनुपात 60:40 है।

- 40 राजकीय बाल देखभाल संस्थान और 79 गैर–राजकीय बाल देखभाल संस्थान संचालित किये जा रहे हैं, जहां 3,268 बच्चों को आवासीय, शैक्षणिक, परामर्श, कौशल विकास एवं अन्य सुविधाओं के साथ संस्थागत देखभाल का लाभ मिल रहा है।
- राज्य में 40 विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेन्सियों के द्वारा 151 बच्चों को घरेलू एवं अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण किया गया।
- योजनान्तर्गत 62 बच्चें व्यक्तिगत पालन–पोषण देखरेख के अन्तर्गत, 201 बच्चें प्रायोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत और 42 बच्चें आफ्टर केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹50.41 करोड़ राशि का व्यय किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निम्नानुसार अन्य कानून एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है–

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006:** इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों के समन्वय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने हेतु जन जागरूकता अभियान एवं कानूनी प्रक्रिया से रोकथाम के प्रयास किये जाते है। राज्य में

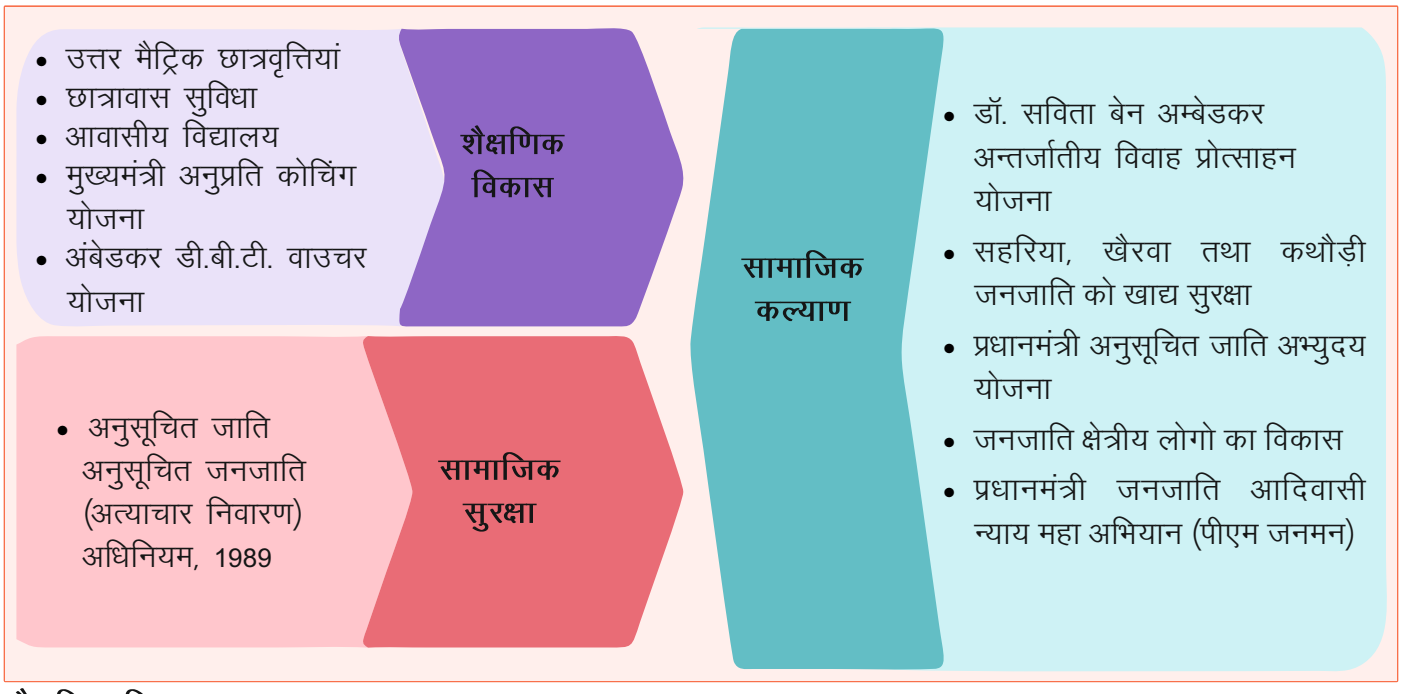
बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत 9 लाख से अधिक लोगो को जागरूक कर सहभागिता सुनिश्चित की गयी है।

- **लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम):** लैंगिक अपराध, उत्पीडन एवं अश्लील साहित्य के अपराध से बालकों का संरक्षण करने हेतु विभाग द्वारा इस कानून की अनुपालना में विभिन्न प्रयास किये जा रहे है, जिसके अन्तर्गत पीड़ित बालक/बालिका को बाल मित्र (सपोर्ट पर्सन) के माध्यम से समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में पीड़ित बालक/बालिकाओं को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 88 बाल मित्र कार्यरत है।
- **चाईल्ड हेल्पलाईन (1098):** विभाग द्वारा बच्चों को कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने एवं उन तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 24x7 चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) का संचालन राज्य के 33 जिलों में एवं 05 रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर) तक बाल सहायता हेल्पलाइन के संचालन हेतु ₹7.78 करोड का व्यय किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक समावेशन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक समावेशन समानता एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य की नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों की चुनौतियों के समाधान हेतु शिक्षा, आजीविका के अवसरों तथा सामाजिक संरक्षण तक पहुँच का विस्तार करने पर केन्द्रित हैं। लक्षित छात्रवृत्तियों, आवासीय सुविधाओं, आर्थिक सहायता एवं विधिक संरक्षण के माध्यम से ये पहलें सामाजिक–आर्थिक विषमताओं को कम करने तथा वंचित समुदायों की विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं।

चित्र 4.6



शैक्षणिक विकास

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अभिभावक आय ₹2.50 लाख तक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना के अन्तर्गत ₹5 लाख तक होने की स्थिति में पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच को सुदृढ़ किया जा सके।

वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) 2.58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ₹367.92 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि का वितरण किया गया है। योजना की प्रगति का विवरण तालिका 4.2 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका 4.2 : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों की वर्ष 2025–26 की प्रगति (दिसम्बर तक)

योजना	लाभान्वित	व्यय (₹करोड़ में)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	196982	240.70
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	21920	22.38
आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	2209	2.34
विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	37042	102.43
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियाँ	9	0.06
योग	**258162**	**367.91**

छात्रावास सुविधाः विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग एवं विमुक्त घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन छात्रावासों में आवास, भोजन, पोशाक, स्टेशनरी, कोचिंग आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹157.26 करोड़ की राशि का वितरण कर 39,030 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

आवासीय विद्यालयः राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (आर.आर.ई.आई.एस.) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आर्थिक पिछड़े वर्ग के ₹8 लाख प्रतिवर्ष पारिवारिक आय वाले परिवारों के लिए 42 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में सुविधाओं के तौर पर आवास, भोजन, पोशाक, लेखन सामग्री, चिकित्सा आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹67.26 करोड़ की राशि व्यय कर 12,570 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाः इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा, रीट, पटवारी, कांस्टेबल और अन्य परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करना है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख तक है या जिनके माता–पिता सरकारी सेवा (विशिष्ट वेतन मानदंड के अन्तर्गत) में कार्यरत हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) 30,000 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 19,985 विद्यार्थियों (अस्थायी मेरिट) को लाभान्वित किया गया है।

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजनाः यह योजना विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करने हेतु संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर स्थित सरकारी महाविद्यालयों (केवल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों हेतु) में अध्ययनरत तथा अपने गृह स्थान से दूर किराये के आवास में निवास कर रहे विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 1,500, अनुसूचित जनजाति के 1,500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750, अल्पसंख्यक समुदायों के 500 तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। आवास, भोजन, विद्युत–पानी सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु प्रति विद्यार्थी ₹2,000 प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है।

सामाजिक कल्याण

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाः इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सवर्ण हिन्दू एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मध्य अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र दम्पतियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। 31 मार्च, 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति दम्पति ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें ₹1.25 लाख केन्द्र सरकार का अंश तथा ₹3.75 लाख राज्य सरकार का अंश शामिल है। 1 अप्रेल, 2023 या उसके पश्चात पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर ₹10 लाख प्रति दम्पति कर दी गई है। बढ़ी हुई सहायता राशि का वितरण इस प्रकार किया जाता है. ₹2.50 लाख संयुक्त बैंक खाते में एसएनए के माध्यम से जमा किए जाते हैं, ₹2.50 लाख पे–मैनेजर के माध्यम से जारी किए जाते

हैं तथा ₹5 लाख की राशि आठ वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) में रखी जाती है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत ₹1.25 लाख केन्द्र सरकार का अंश तथा ₹8.75 लाख राज्य सरकार का अंश है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक), ₹14.70 करोड़ का व्यय किया गया है तथा 149 दम्पति लाभान्वित हुए हैं।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनाः पीएम–अजय योजना, जिसे पूर्व में अनुसूचित जाति उप–योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में जाना जाता था, अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर समूह–आधारित आजीविका परियोजनाओं हेतु अनुदान सहायता प्रदान करती है। योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा ₹50,000 (जो भी कम हो) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता हेतु कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है, तथापि वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक वाले परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) 1,441 अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका 4.3 में दर्शाई गयी है–

तालिका 4.3 : प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अन्तर्गत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2025–2026 (दिसम्बर तक)

क्र.सं.	योजना का नाम	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (राशि ₹लाखों में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
अ) बैंकिंग योजनाएं					
1	पैकेज ऑफ प्रोग्राम (शहरी)	750	108	375.00	54.00
2	पैकेज ऑफ प्रोग्राम (ग्रामीण)	750	476	375.00	238.00
3	ई–रिक्शा/ऑटोरिक्शा	102	1	51.00	0.50
4	उन्नत नस्ल गाय/भैंस/बकरी	667	267	333.50	133.50
5	मुद्रा योजना (शहरी एवं ग्रामीण)	1131	190	565.50	95.00
कुल		3400	1042	1700.00	521.00
(ब) राष्ट्रीय निगम की योजनाएं (एन.एस.एफ.डी.सी. एवं एन.एस.के.एफ.डी.सी.)		1270	399	635.00	199.50
योग (अ+ब)		**4670**	**1441**	**2335.00**	**720.50**

आदिवासी क्षेत्र में जन कल्याणः जनजाति लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2025–26 में कुल राशि ₹1,229.06 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, संविधान की धारा 275 (1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्रमशः ₹1051.48 करोड़, ₹50 करोड़, ₹115 करोड़ एवं ₹12.58 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर, 2025 तक कुल ₹552.92 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

आदिवासी क्षेत्र के विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में भौतिक उपलब्धियां तालिका–4.4 में दी गयी है।

तालिका 4.4 : जनजाति क्षेत्रिय विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति

क्रं सं	योजना	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	आश्रम छात्रावास संचालन	विद्यार्थी संख्या	30250	27925
2.	आवासीय विद्यालय संचालन	विद्यार्थी संख्या	5190	4121
3.	खेल छात्रावास संचालन	विद्यार्थी संख्या	900	888
4.	मॉडल पब्लिक स्कूल का संचालन	विद्यार्थी संख्या	750	663
5.	मां–बाड़ी संचालन	विद्यार्थी संख्या	99690	88684
6.	कॉलेज एवं बहुउद्देशीय छात्रावास का संचालन	विद्यार्थी संख्या	1553	1112
7	जनजाति मेले	संख्या	12	4
8.	पेयजल हेतु सोलर पनघट सुविधा	संख्या	50	50
9.	मल्टीपरपज सेन्टर	संख्या	13	8
10.	सामुदायिक भवन का निर्माण	संख्या	50	5
11.	रिसर्च फैलोशिप	विद्यार्थी संख्या	24	27
12.	मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना	विद्यार्थी संख्या	150	115
13.	खाद्य शिल्प प्रशिक्षण	विद्यार्थी संख्या	40	44
14.	क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	लाभार्थी संख्या	4695	4538
15.	मृत्यु, बीमारी इत्यादि पर आर्थिक सहायता	लाभार्थी संख्या	120	49
16.	विशेष केन्द्रीय सहायता (प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना)	ग्राम	245	WIP
17.	कृषि विकास (मिनिकिट वितरण)	लाभार्थी संख्या	850000	826196
18.	उद्यानिकी संबंधित गतिविधिया	लाभार्थी संख्या	150000	99750
19.	पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट ''बी'' हेतु सहायता	लाभार्थी संख्या	4200	501
20.	कौशल विकास	लाभार्थी संख्या	120	30

सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षाः राज्य के जनजाति क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों को खाद्य तेल, घी एवं दाल उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में बारां जिले की सहरिया तथा उदयपुर जिलें की कथौडी एवं खैरवा जनजाति के परिवार को प्रतिमाह प्रति सदस्य 250 मि.ली. घी, 500 मि.ली. खाद्य तेल तथा 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। लाभार्थियों को सामग्री का वितरण प्वाईंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान, 3,253 कथौड़ी जनजाति, 9,066 खैरवा जनजाति एवं 1.18 लाख सहारिया जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): यह भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से संवेदनशील जनजातिय समूहों (पी.वी.टी.जी.) की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। योजना के अन्तर्गत बारां जिले की 8 पंचायत समितियों में निवास कर रहे आवास विहीन सहरिया पी.वी.टी.जी. परिवारों को प्रति आवास ₹2.37 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें आवास निर्माण, शौचालय निर्माण तथा मनरेगा के अन्तर्गत अकुशल श्रमिक मजदूरी शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक 11,411 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है जिस पर ₹368.18 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

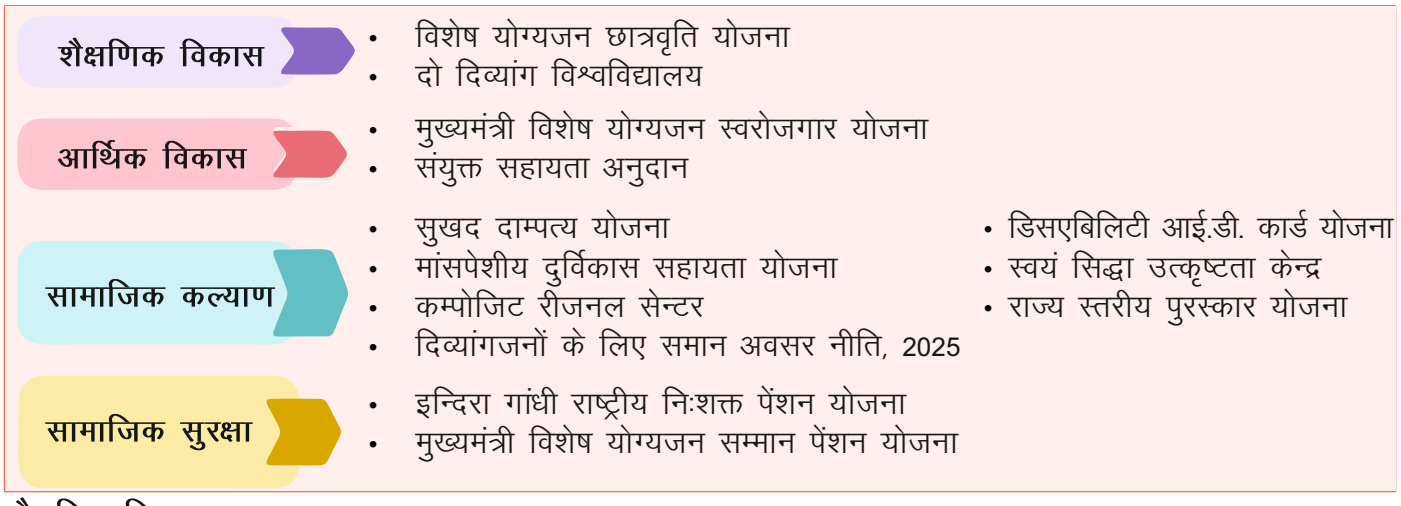
सामाजिक सुरक्षा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हुए अत्याचार के मामलों में, पीड़ित या उनके आश्रितों को अपराध के प्रकार के आधार पर ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है। एफ.आई.आर., चालान और दोषसिद्धि के दौरान ₹10,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। मृतक पीड़ितों की विधवाओं या उनके आश्रितों को ₹5,000 मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में बजट उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) अनुसूचित जाति के 4,258 पीड़ित/आश्रितों को ₹31.01 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति के 1,509 पीड़ित/आश्रितों को ₹10.63 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

विशेष योग्यजन व्यक्ति

समान अवसर एवं पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग जनों का सशक्तीकरण एक समावेशी एवं संवेदनशील समाज के निर्माण हेतु अत्यंत आवश्यक है। राज्य की पहलें शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में सुधार पर केन्द्रित हैं, साथ ही सुगम्यता एवं अधिकार–आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी विशेष बल दिया गया है। ये प्रयास विशेष योग्यजनों के स्वतन्त्र जीवन, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के साथ–साथ उनके जीवन स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं।

चित्र 4.7



शैक्षणिक विकास

विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना: इस योजना के अन्तर्गत राजकीय एवं राज्य/केन्द्र से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत पात्र विशेष योग्यजन विद्यार्थियों, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है। कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को ₹500 प्रतिमाह तथा कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को ₹600 प्रतिमाह देय है। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹4.06 लाख का व्यय कर 76 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

दो दिव्यांग विश्वद्यालय: विशेष योग्यजनो की शिक्षा व शोध हेतु बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर एवं महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर स्थापित किए गए हैं।

आर्थिक विकास

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना: इस योजना में ₹5 लाख तक का ऋण, स्वरोजगार हेतु ऐसे विशेष योग्यजनों को दिया जाता है, जिनकी स्वयं और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है। राज्य द्वारा ₹50,000 की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹1.16 करोड व्यय कर 232 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है।

संयुक्त सहायता अनुदानः इस योजना के अन्तर्गत पात्र विशेष योग्यजनों (आयकर दाता नहीं हो), को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट फोन, जयपुर फुट/जूते/पाम पेड आदि प्रदान करने के लिए ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹32.11 करोड़ का व्यय कर 55,945 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया हैं।

सामाजिक कल्याण

सुखद दाम्पत्य योजनाः इस योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजन (पुरूष/स्त्री) को विवाह पश्चात् सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने हेतु ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त आयोजक (पंजीकृत सोसायटी) के लिए भी ₹20,000 की सहायता प्रदान की जाती है।

युवाओं द्वारा 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवनसाथी बनाने पर ₹5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹1.69 करोड़ का व्यय कर 117 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड योजनाः भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विशेष योग्यजनों की 21 श्रेणियों के विशेष योग्यजनों के सशक्तीकरण एवं कल्याण हेतु उन्हें चिह्नित कर निःशक्तता प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) 90,025 यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति, 2025: राज्य सरकार द्वारा यह नीति कार्यस्थल पर दिव्यांग कार्मिकों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से राज्य के समस्त राजकीय विभागों में कार्यरत विशेष योग्यजनों को कार्यस्थल पर कार्यकुशलता हेतु अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य में विशेष योग्यजन अधिकारी एवं कार्मिक द्वारा राजकीय कार्यालयों में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में यह नीति सहायक होगी।

मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजनाः इस सहायता योजना में मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजन को उनकी जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर प्रदान की जाएगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियों को अब तक लगभग 1,100 व्हील चेयर वितरित की जा चुकी है।

राज्य स्तरीय पुरस्कार योजनाः अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगनजन दिवस (3 दिसम्बर) के अवसर पर राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष दो श्रेणीयों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं–

1. विशेष योग्यजनों द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि
2. विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में व्यक्तियों, स्वैच्छिक संगठनों, कार्यालयों, एजेन्सियों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य

योजना के अन्तर्गत चयनित पुरस्कारर्थियों को ₹10,000 से ₹15,000 तक की वित्तीय सहायता के साथ प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति–चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹5.21 लाख की राशि व्यय कर 52 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है।

कम्पोजिट रीजनल सेन्टरः दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र (कम्पोजिट रीजनल सेन्टर) खोले जाने के निर्णय उपरान्त 17 जनवरी, 2023 से कम्पोजिट रिजनल सेंटर (सी.आर.सी.) जयपुर का संचालन स्वयंसिद्धा परिसर जामड़ोली जयपुर में किया जा रहा है।

स्वयं सिद्धा उत्कृष्टता केन्द्रः दिव्यांगजनों एवं समाज के वंचित वर्गों हेतु सुविधाओं के उन्नयन के उद्देश्य से वर्तमान में संचालित जामडोली–जयपुर परिसर के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर के जामडोली में स्वयं सिद्धा उत्कृष्टता केन्द्र का

कार्यालय स्थापित किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से ₹200 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव किया गया है।

मासिक अतिरिक्त आर्थिक सहायता: पेन्शन के अतिरिक्त, 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दैनिक कार्यों में दूसरे पर निर्भरता के कारण ₹1,000 प्रतिमाह की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विशेष शिक्षा का नया कोर्स: राज्य सरकारी बौद्धिक दिव्यांगता शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, जामडोली (जयपुर) में 35 विशेष शिक्षा प्रशिक्षुओं हेतु डी.एड. (एच.आई.) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

अन्य पहलें एवं संबंधित गतिविधियाँ:

- जोधपुर मुख्यालय पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से मूक बाधिर एवं दृष्टिहीन वर्ग के दिव्यांग जनों हेतु दो महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित आवासीय गतिविधियों हेतु मैस भत्ता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,250 प्रति निवासी प्रतिमाह किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

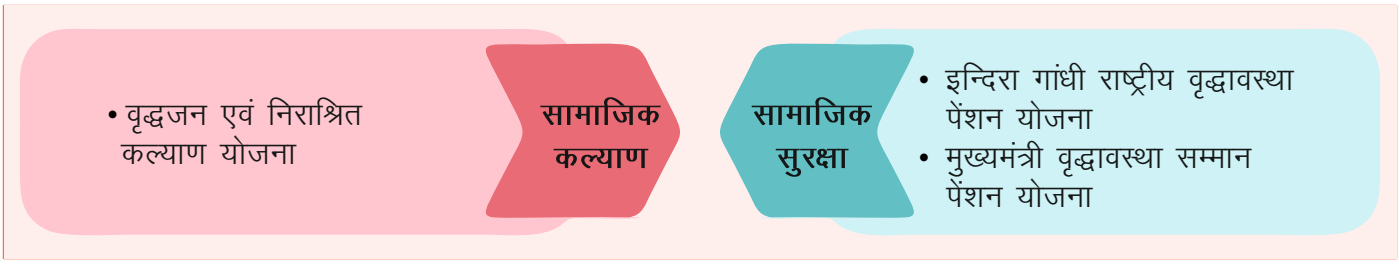
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना: सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति, जो बहु निःशक्तता से ग्रसित है उनके लिए 24 नवंबर, 2009 को यह योजना शुरू की गई। 18 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारी को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय हैं। केंद्र सरकार द्वारा 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को प्रति माह ₹300 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को प्रति माह ₹500 की सहायता देय है तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹6.65 करोड़ की राशि व्यय कर 13,230 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: इस योजना में जन्म से लेकर सभी आयु के विशेष योग्यजन व्यक्तियों को प्रति माह ₹1,250 की पेंशन देय है। कुष्ठ रोग से मुक्त हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को ₹2,500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है, और नामित मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित सभी सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रतिमाह ₹1,500 पेंशन प्रदान की जाती है। इसकी पात्रता हेतु परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 अथवा कम होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹719.89 करोड़ की राशि व्यय कर 5.90 लाख आवेदको को लाभान्वित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण एवं हित संरक्षण

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं हित संरक्षण को सुदृढ़ बनाना राज्य की एक प्रमुख सामाजिक प्राथमिकता है। राज्य की योजनाएं आय सुरक्षा, गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, आवासीय सहायता तथा सामाजिक देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केन्द्रित हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिक गरिमापूर्ण, आत्मनिर्भरता एवं सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकें। पेन्शन योजनाओं एवं संस्थागत देखभाल सुविधाओं के माध्यम से ये पहलें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ–साथ उनके जीवन स्तर एवं सामाजिक सहभागिता में निरंतर सुधार लाने का लक्ष्य रखती हैं।

चित्र 4.8



सामाजिक कल्याण

वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण योजनाः इस योजना में जरूरतमंद वृद्ध निराश्रित व्यक्तियों की समग्र देखभाल के लिए राज्य सरकार विभिन्न वृद्धाश्रमों का संचालन करती है। इन संस्थानों में निवासियों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लाभार्थियों में गरीब, निराश्रित एवं संतानहीन वृद्ध व्यक्ति शामिल हैं, साथ ही वे बुजुर्ग भी जो अपने बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बेघर बुजुर्गों, कामकाजी महिलाओं और असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए विभिन्न मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹13.75 करोड़ का व्यय कर 41 वृद्धाश्रम और 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालित किए जा रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा

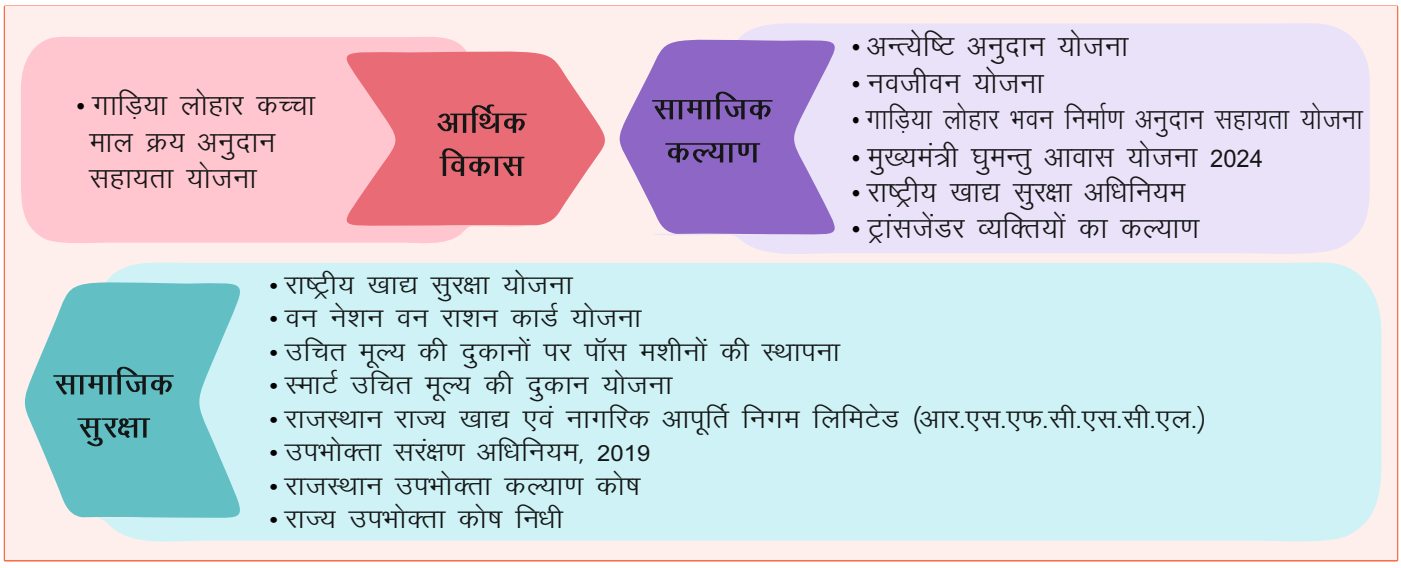
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 19 नवम्बर, 2007 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सदस्यों को प्रति माह ₹1,250 की पेंशन प्रदान की जाती है। इसमें केंद्र सरकार 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹200 प्रतिमाह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 प्रतिमाह का अंशदान देती है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹335.49 करोड़ की राशि व्यय कर 8.32 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजनाः इस योजना के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को, जिनकी सभी स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹1,250 प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹7,124.78 करोड़ की राशि व्यय कर लगभग 51.90 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सार्वभौमिक सामाजिक कल्याण

सार्वभौमिक सामाजिक कल्याण समाज के सभी वर्गों को मूलभूत सेवाओं, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण तक पहुँच सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है। इस ढाँचे के अन्तर्गत अपनाए गए कल्याणकारी उपाय संवेदनशील वर्गों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ दीर्घकालीन सामाजिक स्थिरता को भी सुदृढ़ करते हैं। लक्षित सहायता को सेवा प्रदायगी प्रणाली में व्यापक सुधारों के साथ समन्वित करते हुए ये पहलें सामाजिक समानता, सहनशीलता तथा समावेशी विकास को सशक्तिकरण प्रदान करती हैं।

चित्र 4.9



आर्थिक विकास

गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजनाः गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में ₹10,000 राशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹60,000 व्यय कर 6 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक कल्याण

अन्त्येष्टि अनुदान योजनाः इस योजना के अन्तर्गत लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को ₹5,000 दिये जाते हैं। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) 787 लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में ₹39.35 लाख का व्यय किया गया है।

नवजीवन योजनाः अवैध शराब के निर्माण एवं भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर/संसाधन प्रदान करने, निरक्षरता को दूर करने और व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नवजीवन योजना शुरू की गई है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹2.79 करोड़ व्यय कर 4,470 आवेदको को लाभान्वित किया गया है।

गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजनाः गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया है। महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजनान्तर्गत (2023–24) भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखण्ड होने पर तीन किश्तों में ₹1.20 लाख देने का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक किश्त के रूप में ₹40,000 अनुदान दिया जाता है। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) ₹6.05 लाख व्यय कर 10 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024: यह योजना 22 अक्टूबर, 2024 से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों के ऐसे व्यक्तियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जिनका पक्का मकान नहीं है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को मकान निर्माण हेतु कुल ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में दी जाती है, जिनमें ₹20,000 निर्माण के प्रारम्भिक कार्य हेतु, ₹50,000 लिंटल तक निर्माण पूर्ण होने पर एवं ₹50,000 मकान निर्माण पूर्ण होने पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 की सहायता तथा श्रमिक मानव दिवस के श्रम वेतन (मनरेगा) के तहत 90 व्यक्ति दिवसों हेतु ₹23,920 तक की मजदूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत देय समस्त राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹92.40 लाख की राशि व्यय कर 75 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याणः राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विधिक, संस्थागत एवं कल्याणकारी उपाय लागू किए गए हैं। राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 प्रभावशाली रूप से क्रियान्वयित किए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में 92वें स्थान पर सम्मिलित किया गया है, जिससे उन्हें आरक्षण एवं विभिन्न कल्याणकारी लाभों की सुविधा प्राप्त हुई है। विशेष योग्यजन सम्मान पेन्शन योजना के अन्तर्गत सभी आयु वर्ग के ट्रांसजेंडर व्यक्ति पात्र हैं, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 32 लाभार्थियों को पेन्शन सहायता प्रदान की जा रही है। सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं समयबद्ध विधिक कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक के अधीन राज्य स्तर पर तथा जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में जिला स्तर पर संरक्षण प्रकोष्टों की स्थापना की गई है। वर्ष 2016 से कार्यरत राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021 में स्थापित ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के माध्यम से शिक्षा एवं आजीविका सहायता हेतु छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.): सार्वजनिक वितरण का उद्देश्य कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग तथा समाज के गरीब व जरुरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना तथा वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार में निहित है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न गेहूं का मासिक वितरण किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में कुल 32 श्रेणियाँ हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2024 से आगामी पांच वर्षों तक अन्त्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं और अन्य पात्र लाभार्थियों को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आधारकार्ड एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से भी दिया जा रहा है।

राज्य में एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों की सीमा 4.46 करोड़ है और 1 दिसम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों की संख्या 4.38 करोड़ है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) 18.73 लाख मैट्रिक टन गेहूं की मात्रा का उठाव कर 18.76 लाख मैट्रिक टन गेहूं का वितरण लाभार्थियों को करवाया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना: यह योजना लाभार्थियों को पूरे भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे प्रवासियों के लिए पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है। इस योजना से पूरे देश में एन.एफ.एस.ए. के लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) राजस्थान में 'सेल स्टेट' के रूप में कुल 1.57 लाख तथा 'होम स्टेट' के रूप में 57,904 अनाज वितरण लेनदेन दर्ज किए गए हैं।

गिव अप अभियान– राज्य में ''अपात्र को लाभ प्राप्त न हो, पात्र लाभ से वंचित न रहे'' के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम व्यक्तियों से स्वैच्छिक रूप से अपना लाभ छोड़ने के आहवान के साथ विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार कर 01 नवम्बर, 2024 से ''गिव अप अभियान'' प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), के दौरान कुल 37.75 लाख सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से एनएफएसए सूची से अपने नाम हटवाए गए हैं।

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (पी.ओ.एस.) मशीनों की स्थापना: सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (पी.ओ.एस.) मशीने उपलब्ध करवाई गई हैं और उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस प्रणाली से होने वाले वितरण का किसी भी समय तथा किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन सम्भव है, जिससे कालाबाजारी को रोक कर लक्षित लाभार्थियों को उचित आपूर्ति प्रदान की जाती है।

किसी लाभार्थी का अंगूठा निशान (फिंगर प्रिन्ट) मिलान नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक बार उपयोग किए जाने वाला पासवर्ड (ओ.टी.पी.) प्रेषण किया जाता है अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जा सकती है। राज्य के अन्तर्गत 'डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी' के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई लाभार्थी अपनी राशन सामग्री जिलें में किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अन्तर्गत पीओएस मशीनों के माध्यम से 18.69 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण कर 4.38 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। दिसम्बर, 2025 तक पीओएस मशीनों के माध्यम से गेहूँ के कुल 8.70 करोड़ वितरण लेनदेन किए गए हैं।

स्मार्ट एफ.पी.एस. योजना: भारत सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य दुकानों को स्मार्ट दुकानों तथा सार्वजनिक जागरूकता केंद्रों में परिवर्तित करना है, जिससे आधारभूत संरचनाओं का सुधार, पोषक तत्वों के सामानों का प्रचार और दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव हो सके। राज्य के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पायलट परियोजना के तहत पहले चरण में 15 उचित मूल्य दुकानों का चयन किया गया है और दूसरे चरण में 30 उचित मूल्य की दुकानों का चयन किया गया है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (आर.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.): राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और दैनिक आवश्यकताओं का उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ का परिवहन करना है। वर्तमान में अनुमोदन अनुसार समस्त सक्रिय उचित मूल्य दुकानों पर ई–वेईंग मशीन व आयरिस स्केनर का पोस मशीनों से संयोजित स्थापित कर दिया गया है। दिसम्बर, 2025 तक पोस मशीन से सबंध प्राप्त कुल 93,152 शिकायतों में से 93,022 का निस्तारण किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में जयपुर जिले में चार तथा जोधपुर जिले में दो आयोग कार्यरत हैं। राज्य में कुल 37 जिला आयोग एवं 06 क्षेत्रीय शाखाएं (कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर एवं भरतपुर) संचालित हैं। राज्य आयोग की क्षेत्रीय शाखाएं (सर्किट बेंच) संभागीय मुख्यालयों पर कार्यरत हैं। सर्किट बेंच जोधपुर 7 अक्टूबर, 2023 से स्थायी पीठ के रूप में कार्य कर रही है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में 08 नवीन जिलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान अनुसार जिला आयोगों की स्थापना सम्बन्धी अधिसूचना (16 मई, 2025 को) जारी की जा चुकी है।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) प्रकरणों की स्थिति

- राज्य आयोग में 1,574 प्रकरण दर्ज हुए एवं दिसम्बर, 2025 तक 1,361 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
- 37 जिला आयोगों में 9,515 प्रकरण दर्ज हुए एवं दिसम्बर, 2025 तक 11,155 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
- राज्य आयोग द्वारा लोक अदालतों के माध्यम से 7 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
- जिला आयोगों द्वारा लोक अदालतों के माध्यम से 705 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष: राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष का प्रशासन उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य आयोग एवं जिला आयोगों में दायर की गई शिकायतों से प्राप्त शुल्क को कोष के पीडी खाते में जमा किया जाता है। इस कोष का उपयोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं विश्व उपभोक्ता दिवस के आयोजन, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचायन तथा उपभोक्ता कल्याण से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है।

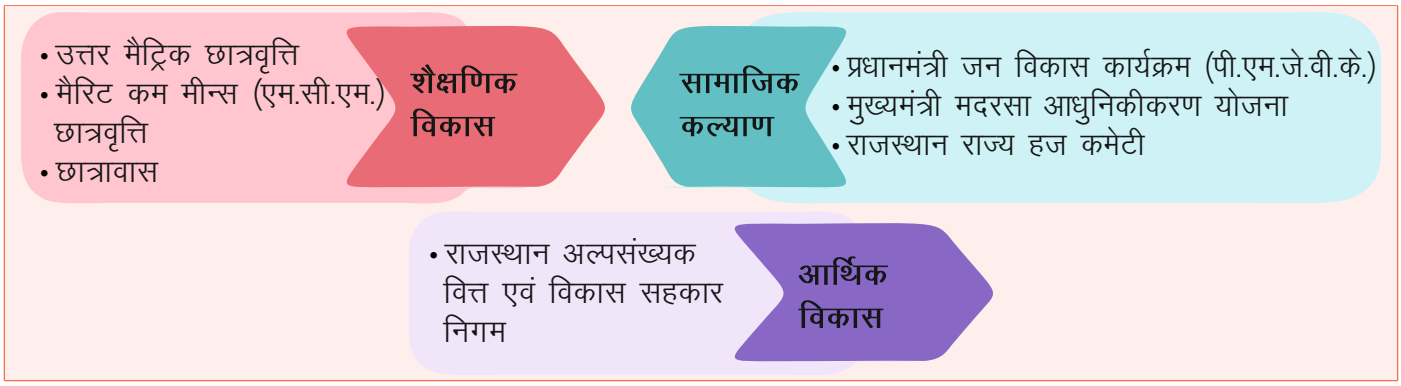
राज्य उपभोक्ता समग्र निधी: इस निधी का प्रारम्भिक गठन ₹10 करोड़ की राशि से किया गया था, जिसमें भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का अंशदान क्रमशः 75:25 के अनुपात में रहा। तत्पश्चात वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा इस कोष में वृद्धि की गई, जिससे कुल कोष राशि ₹20 करोड़ हो गई। इस कोष पर अर्जित ब्याज का उपयोग राज्य में विभिन्न उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए किया जाता है।

राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800–180–6030) का संचालन 15 मार्च, 2011 से किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), हेल्पलाइन द्वारा 5,050 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 90 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण सुझाव परामर्श एवं मार्गदर्शन द्वारा कर दिया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं समावेशन

अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण एवं सशक्तीकरण सामाजिक समावेशन एवं समान विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, आजाविका तथा मूलभूत अवसंरचना तक पहुँच में सुधार हेतु लक्षित हस्तक्षेप अपनाए जाते हैं, साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाता है। शैक्षिक उन्नयन, कौशल विकास एवं आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहित करने वाले लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से ये पहलें मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ करने, सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को कम करने तथा राज्य के विकास प्रक्रिया में अल्पसंख्यक समुदायों की सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं।

चित्र 4.10



शैक्षणिक विकास

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तिः यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए आवश्यक है कि माता–पिता की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो और पिछले परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

मैरिट कम मीन्स (एम.सी.एम.) छात्रवृत्तिः यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के निम्न आय वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता के लिए आवश्यक है कि अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो और अभ्यर्थी ने पिछले परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

छात्रावासः राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान हेतु निःशुल्क छात्रावास सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों में छात्र और छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को मैस खर्च के लिए प्रतिमाह ₹3,250 तक की सहायता 9.5 माह तक दी जाती है। यह प्रयास शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की शिक्षा छोड़ने की दर को कम करने हेतु कार्यरत है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) 60 छात्रावास संचालित कर कुल 2,750 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है।

आर्थिक विकास

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आर.एम.एफ.डी.सी.सी.): यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की राज्य एजेंसी है। यह रियायती दरों पर मुख्यतः बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा और व्यवसाय के लिए ऋण देता है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक), 64 लाभार्थियों को ₹1.50 करोड़ के ऋण प्रदान किये गए हैं।

सामाजिक कल्याण

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम): यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी विकास को सुदृढ़ करना है। 1 अप्रैल 2022 से, इस योजना को पूरे राज्य के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, प्रस्तावित क्षेत्र के 15 किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 25 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदाय से होनी अनिवार्य है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक), की अवधि के दौरान, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्य के लिए कुल ₹8.25 करोड़ रुपये की लागत के 31 कार्यों को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनाः इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत मदरसों को डिजिटल और भौतिक संसाधनों से सुसज्जित करना है, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर एवं ई–लर्निंग उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹15 लाख तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹25 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 90 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक कुल 305 मदरसों को लाभ प्रदान किया गया है।

राजस्थान राज्य हज समितिः राजस्थान राज्य हज समिति को वर्ष 2026 के हज यात्रा हेतु कुल 4,782 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

05 औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि

राजस्थान के औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र, संसाधन–आधारित सशक्तता और नीति–प्रेरित विकास के एक गतिशील संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज भण्डारों, विश्व–प्रसिद्ध हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों तथा पारंपरिक एवं आधुनिक कौशल के सुदृढ़ आधार से सम्पन्न है। ये विशेषताएँ विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र में विनिर्माण, प्रसंस्करण तथा सेवा गतिविधियों के लिए व्यापक अवसर सृजित करती हैं।

निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आर.आई.पी.एस.) 2024, राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2024, राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025, राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 तथा राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जी.सी.सी.) नीति 2025 जैसी प्रगतिशील नीतिगत पहलें लागू की हैं। ये नीतियाँ वित्तीय प्रोत्साहनों, नियामकीय सरलीकरण, सतत्ता उपायों एवं कौशल आधारित सहयोग का समन्वित ढांचा प्रदान करती हैं, जिससे राजस्थान एक निवेश–अनुकूल स्थल के रूप में स्थापित हो रहा है।

औद्योगिक विकास का रोजगार सृजन एवं श्रम कल्याण से घनिष्ठ सम्बन्ध है। राज्य द्वारा कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, श्रम सुधारों तथा समावेशी कार्यबल भागीदारी, विशेषकर युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक कौशल को सशक्त करने, युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा कारीगरों एवं छोटे उत्पादकों को आधुनिक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, रिफाइनरी एवं सिटी गैस वितरण परियोजनाओं सहित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र का विकास भी राज्य के औद्योगिक आधार को और अधिक विविध बना रहा है।

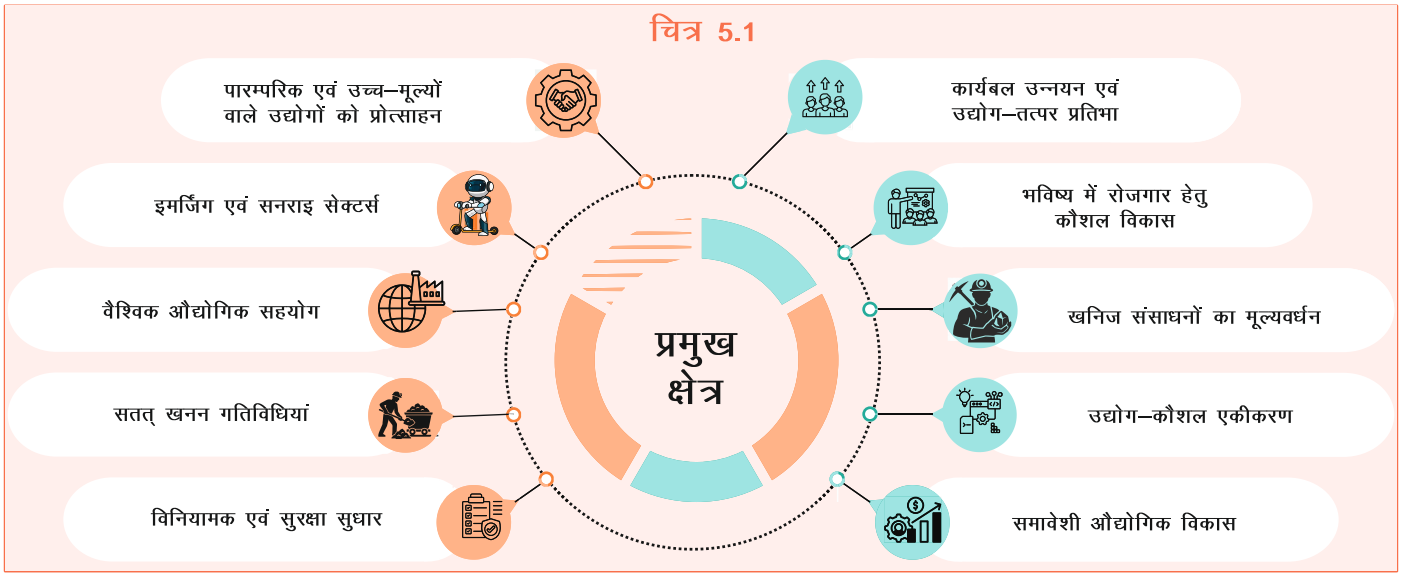
आधारभूत संरचना का विकास औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। रीको जैसी एजेंसियों ने दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यू.डी.एफ.सी.) के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ व्यापक औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषीकृत औद्योगिक पार्कों और विशेष निवेश क्षेत्रों (एस.आई.आर.) का सुनियोजित विकास किया है। राजस्थान की औद्योगिक विकास रणनीति 'विकसित राजस्थान@2047' की परिकल्पना के अंतर्गत सतत्, समावेशी एवं प्रौद्योगिकी–आधारित दीर्घकालिक विकास दृष्टि के अनुरूप है।

विज़न स्टेटमेन्ट–विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक, राजस्थान एम.एस.एम.ई., पर्यावरण–अनुकूल विनिर्माण एवं न्यूनतम नियामक बाधाओं पर विशेष बल के साथ सतत्, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए भारत का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केन्द्र होगा।
वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सतत् खनन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देगा, जबकि भविष्य के लिए तैयार कौशल पारिस्थितिकी तंत्र युवाओं को अत्याधुनिक कौशल, नवाचार और रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाएगा, जो सतत् आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है जिससे मजबूत, अनुकूलनशील एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन सुनिश्चित होगा।



चित्र 5.1



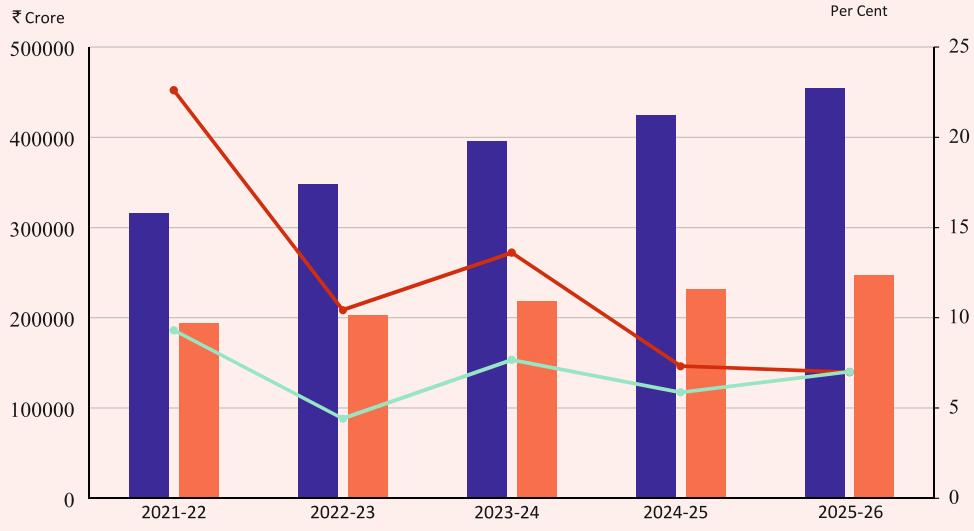
राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान

उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्द्धन

उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2025–26 के लिए स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 7.02 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है। उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं। उद्योग क्षेत्र का स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल मूल्य वर्द्धन (जी.वी.ए.) वर्ष 2011–12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025–26 में ₹2.48 लाख करोड़ हो गया है, जो कि 4.36 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) को दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर जी.वी.ए. वर्ष 2011–12 के ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025–26 में ₹4.54 लाख करोड़ हो गया है जो कि 8.98 प्रतिशत सी.ए.जी.आर. की वृद्धि को दर्शाता है। प्रचलित मूल्यों एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र के सकल मूल्य वर्द्धन (जी.वी.ए.) को इसकी वृद्धि दर सहित चित्र 5.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.2

उद्योग क्षेत्र का मूल्य वर्द्धन (जी.वी.ए.) एवं वृद्धि दर
प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

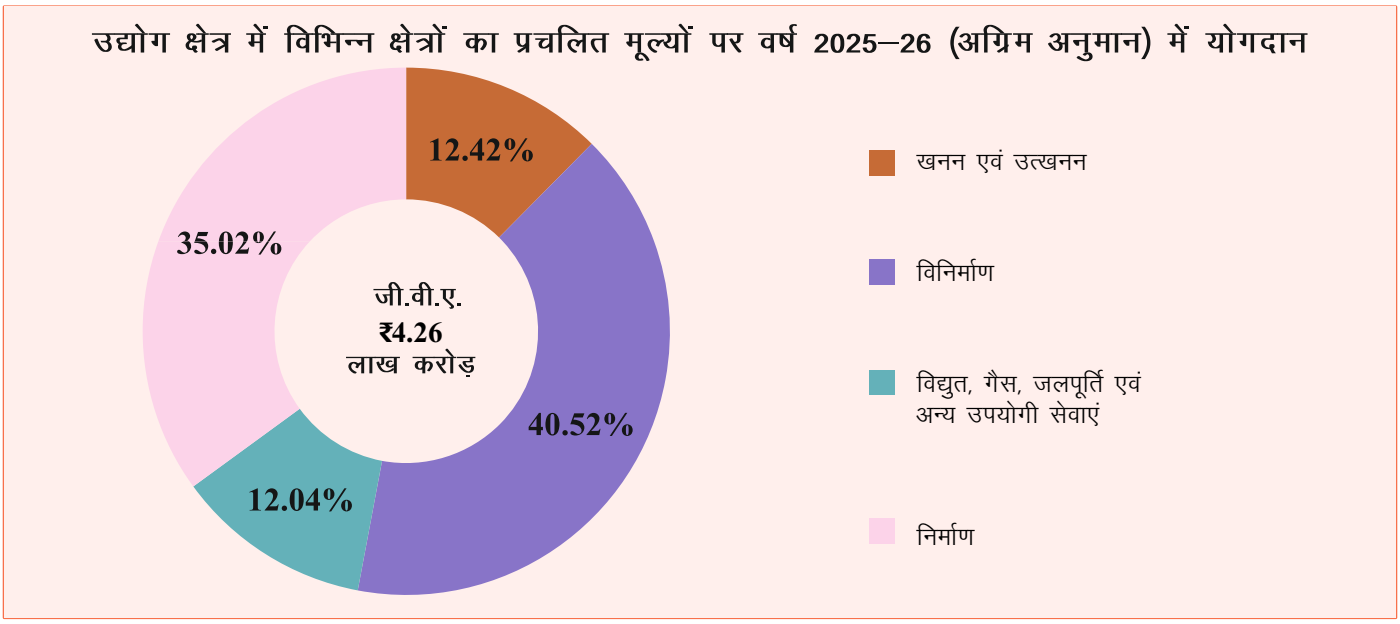


	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
जी.वी.ए. प्रचलित मूल्यों पर (₹करोड़)	315450	348361	395783	424790	454486
जी.वी.ए. स्थिर मूल्यों पर (₹करोड़)	194568	203171	218768	231618	247872
वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर	22.60	10.43	13.61	7.33	6.99
वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर	9.31	4.42	7.68	5.87	7.02

2023–24 संशोधित अनुमान द्वितीय, 2024–25 संशाधित अनुमान प्रथम, 2025–26 अग्रिम अनुमान

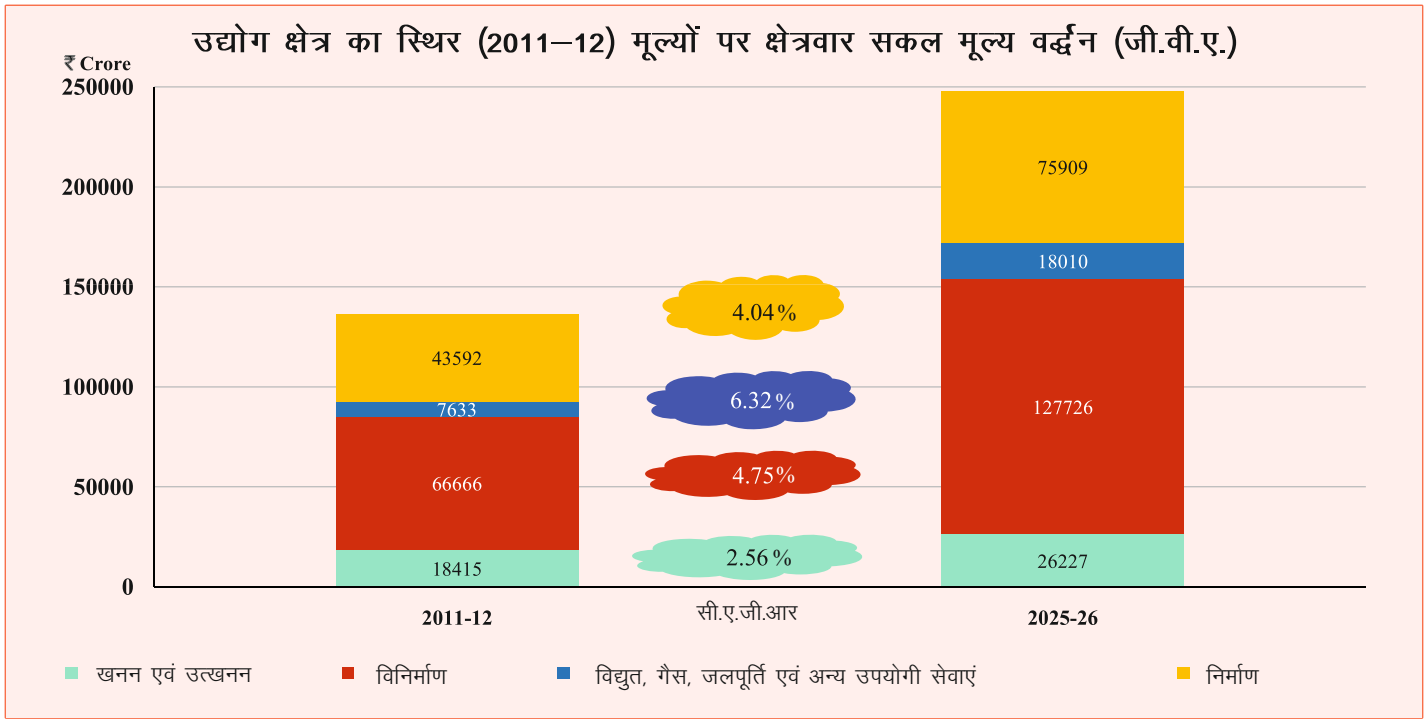
वर्ष 2025–26 में राजस्थान के सकल मूल्य वर्द्धन (जी.वी.ए.) में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 26.55 प्रतिशत रहा है। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 40.52 प्रतिशत अनुमानित है, इसके पश्चात् निर्माण क्षेत्र का योगदान 35.02 प्रतिशत, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान 12.42, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं क्षेत्र का योगदान 12.04 प्रतिशत अनुमानित है। उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को चित्र 5.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.3



स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2024–25 की तुलना में वर्ष 2025–26 के दौरान उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर 7.02 प्रतिशत रही है। वर्ष 2024–25 की तुलना में 2025–26 के दौरान विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 9.37 प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र में 8.27 प्रतिशत, विनिर्माण में 7.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 1.41 प्रतिशत की कमी हुई है। स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2025–26 में उद्योग क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्द्धन (जी.वी.ए.) तथा 14 वर्षों की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) को चित्र 5.4 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.4



औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक समग्र संकेतक है, जो कि एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला (आधार वर्ष 2011–12) तीन वृहद् समूहों यथा–विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वर्ष 2020–21 से 2025–26 तक समग्र रूप से औद्योगिक निष्पादन को तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)

Sector	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 नवम्बर, तक (प्रावधानिक)
विनिर्माण	136.14	142.18	169.50	175.21	181.17
खनन	124.53	116.76	111.38	97.30	87.94
विद्युत	144.93	157.21	168.64	179.77	161.00
सामान्य सूचकांक	133.97	136.93	153.46	154.38	153.29

आधारभूत संरचना का विकास

राजस्थान में आधारभूत संरचना का विकास, आर्थिक वृद्धि एवं औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्तमान में 43 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के साथ–साथ 6 उप–केन्द्र उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहें हैं।

औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा 445 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। ये औद्योगिक क्षेत्र सुव्यवस्थित तथा व्यवसाय–अनुकूल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हैं। रीको द्वारा परिवहन कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति, जल प्रबंधन तथा आधुनिक संचार प्रणालियों को सुनिश्चित करता है, जो राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं व्यावसायिक सफलता के प्रमुख कारक हैं।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में रीको द्वारा 7,654.63 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया एवं 19 नए औद्योगिक क्षेत्र यथा (1) अजयमेरू पालरा विस्तार, अजमेर (2) बोरावास द्वितीय चरण, बालोतरा (3) सेरेमिक पार्क गजनेर, बीकानेर (4) धुंवाला, भीलवाड़ा (5) महुवा कलां, भीलवाड़ा (6) पण्डेर, भीलवाड़ा (7) आईटी पार्क, अजमेर (8) बंजारी सुहागपुरा, बांसवाड़ा (9) भिण्डर, सगतपुरा, उदयपुर (10) रूंध सौंखरी, कठूमर, अलवर (11) कचारिया, किशनगढ़, अजमेर (12) स्टोन पार्क, गुण्डी फतेहपुर, कोटा (13) वेस्ट रिसाईकलिंग पार्क, गुण्दी फतेहपुर, कोटा (14) पीपलखेडी, बारां (15) केकड़ी विस्तार, अजमेर (16) टेक्सटाइल पार्क, रूपाहेली, भीलवाड़ा (17) बरौली, धौलपुर (18) पीपलूंद, भीलवाड़ा (19) कीड़ीमाल, भीलवाड़ा विकसित किये गये हैं तथा 1,499 भूखण्ड (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय तथा अन्य भूखण्ड सहित) आवंटित किये गये। इसी अवधि में, रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों पर कुल ₹1220.99 करोड़ व्यय किये एवं ₹2,050.73 करोड़ वसूली की गयी है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आर.आई.पी.एस.) 2024

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 का शुभारम्भ 8 अक्टूबर, 2024 को किया गया जिसका उद्देश्य सतत् आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देना तथा राजस्थान को सतत् औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यह योजना विनिर्माण, सेवाएं, सनराइज इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.), स्टार्ट–अप्स, औद्योगिक अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जी.सी.सी.) तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, वैश्वीकरण एवं पर्यावरण–अनुकूल विस्तार को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित है। योजना में हरित विकास, निर्यात संवर्द्धन एवं क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। परिसम्पत्ति सृजन प्रोत्साहन के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में न्यूनतम ₹50 करोड़ (एम.एस.एम.ई. हेतु ₹25 करोड़) तथा सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़ (पर्यटन हेतु ₹10 करोड़) के निवेश पर 7 वर्षों की अवधि हेतु देय एवं जमा राज्य कर की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसके

विकल्प के रूप में इकाइयाँ पूंजी अनुदान अथवा टर्नओवर–आधारित प्रोत्साहन का भी चयन कर सकती हैं, जो कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात 10 वर्षों की अवधि में वार्षिक रूप से वितरित की जायेगी। पात्र इकाइयों को बैंकिंग, डीलिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्कों में पूर्ण छूट/प्रतिपूर्ति के साथ–साथ अतिरिक्त टॉप–अप प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं जिसमें रिजनल अथवा सेक्टोरल एंकर इकाइयों के लिए एम्प्लॉयर बूस्टर (10–15 प्रतिशत) एवं थ्रस्ट बूस्टर (10 प्रतिशत) अथवा एंकर बूस्टर (20 प्रतिशत) शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण रियायतों में 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क से शत–प्रतिशत छूट और मंडी/बाजार शुल्क की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी एवं रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट एवं 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति शामिल है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल ₹1.65 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025, एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य की लॉजिस्टिक्स आधारभूत–संरचना को सुदृढ़ करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना तथा वृहद् स्तर पर निजी निवेश आकर्षित करना है। लॉजिस्टिक्स अवसंरचना से जुड़े निवेशक एवं उद्यम इस नीति के अंतर्गत सक्षम एवं प्रोत्साहन–आधारित ढांचे से लाभान्वित हो सकते हैं।

प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–



साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल एवं ड्राई पोर्ट जैसी लॉजिस्टिक्स अवसंरचनाओं हेतु पूंजी अनुदान देय है। यह अनुदान पात्र स्थिर पूंजी निवेश (इ.एफ.सी.आई.) का 25 प्रतिशत होगा, जिसे 10 वर्षों की अवधि में वार्षिक रूप से वितरित किया जाएगा तथा यह अनुदान लागू प्रावधानों के अनुसार ₹5 करोड़ से ₹50 करोड़ तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अधीन होगी।



7 वर्षों की अवधि के लिए 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 लाख प्रति वर्ष होगी।



कौशल विकास एवं प्रशिक्षण सहायता– एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए प्रति श्रमिक प्रति माह प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹4,000 तक) प्रतिपूर्ति।



वित्तीय प्रोत्साहन –

- स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति
- 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क एवं मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत छूट

प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहनः

- वाणिज्यिक वाहनों हेतु प्रति ट्रक ₹2,000 तक ट्रैकिंग उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
- राज्य में संचालित इकाइयों के लिए लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर की लागत का 50 प्रतिशत एकमुश्त प्रतिपूर्ति, प्रति इंस्टॉलेशन ₹2 लाख तक।
- फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत का 20 प्रतिशत (₹10 लाख तक) एकमुश्त प्रतिपूर्ति।





पर्यावरणीय सततता परियोजनाओं के लिए हरित प्रोत्साहन (ग्रीन इंसेंटिव) जिसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (₹12.5 करोड़ तक) एकमुश्त प्रतिपूर्ति ।

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति–2025 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन एवं लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

राजस्थान डेटा सेंटर नीति–2025

इस नीति को 19 फरवरी, 2025 को अधिसूचित किया गया। यह नीति क्लाउड कम्प्यूटिंग, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने में डेटा सेंटर्स की अहम भूमिका को पहचानते हुए राजस्थान को नेशनल और इंटरनेशनल डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह बनाना चाहती है। डिजिटल सेवाओं और डेटा की खपत में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, इस नीति का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत, सुरक्षित और सतत् डेटा सेंटर इकोसिस्टम स्थापित करना है।



वित्तीय प्रोत्साहन : पात्र उद्यम परिसंपत्ति सृजन आधारित प्रोत्साहन जिसमें निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान या टर्नओवर–आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं, में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। प्रथम तीन मेगा या अल्ट्रा–मेगा डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए विशेष सनराइज प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, जिसमें अतिरिक्त प्रोत्साहन बूस्टर, सावधि ऋणों पर ब्याज अनुदान और कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग से संबंधित लाभ शामिल हैं।

गैर–वित्तीय प्रोत्साहन और भवन मानदंड : यह नीति भवन और विकास मानदंडों में शिथिलता के माध्यम से गैर–वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, जिसमें उच्च फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.), फ्लेक्सिबल ग्राउंड कवरेज, प्री–फैब्रिकेटेड और मॉड्यूलर डेटा सेंटर इकाइयों की अनुमति, मल्टी–लेवल डीजल जनरेटर स्टैकिंग और शीघ्र संचालन हेतु आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करना शामिल है।





परिचालन और श्रम प्रावधान : डेटा सेंटर क्षेत्र को आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (ई.एस.एम.ए.) के अंतर्गत एक आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा निर्धारित सुरक्षा नियमों के अधीन सभी पारियों में महिलाओं के नियोजन सहित इन डाटा सेंटर्स को 24X7 संचालन की अनुमति दी गई है। नीति के अंतर्गत अनुपालन भार को कम करने के लिए श्रम कानूनों के तहत स्व–प्रमाणीकरण (सेल्फ–सर्टिफिकेशन) की सुविधा भी उपलब्ध है।

सतत्ता और क्षेत्रीय विकास : नीति नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, ग्रीन बिल्डिंग और पर्यावरणीय संरक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सततता पर बल देती है। यह नीति डेटा प्रसारण में होने वाले विलम्ब को कम करने, डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देने तथा उभरते शहरी केंद्रों की बढ़ती डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टियर–2 और टियर–3 शहरों में डेटा सेंटर्स के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।



जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.)

जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आई.आर.) के रूप में अधिसूचित किया गया। रीको को जे.पी.एम.आई.ए. की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे जे.पी.एम.आई.ए. विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया। परियोजना को तीन चरणों में विकसित किया जा रहा है –

फेज–ए का कुल क्षेत्रफल 1,577.69 एकड़ है, और इसकी अनुमानित परियोजना लागत ₹921.66 करोड़ है, जिसमें विभिन्न अवसंरचना घटकों के विकास हेतु भूमि लागत भी शामिल है। भारत सरकार ने जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक (जे.पी.एम. आई.ए.) क्षेत्र के एस.पी.वी. में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) की अंशपूंजी वितरण को स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना की वित्तीय संरचना में 49 प्रतिशत इक्विटी निवेश ₹322.80 करोड़ तथा एन. आई.सी.डी.आई.टी. से ₹105 करोड़ का सॉफ्ट ऋण शामिल है। इस सॉफ्ट ऋण पर 10 वर्ष की ब्याज स्थगन अवधि तथा 10 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि है, जो प्रचलित 10–वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (जी–सेक) दर से संबद्ध है।

फेज–ए के अंतर्गत कुल 1,577.69 एकड़ भूमि में से जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा 656.27 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की गई है। एन.आई.सी.डी.आई.टी. द्वारा ₹193.53 करोड़ की राशि परियोजना एस.पी.वी. को हस्तांतरित की गई है। परियोजना के लिए जल आपूर्ति अवसंरचना पर होने वाला ₹275 करोड़ का व्यय रीको द्वारा वहन किया

जाएगा, जिसमें से ₹50 करोड़ की राशि जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हेतु जलापूर्ति के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा दो 220 केवी ग्रिड सब–स्टेशन (जी.एस.एस.) की स्थापना के लिए ₹87.21 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की गई है, जिसके लिए रीको द्वारा ₹11.51 करोड़ की अग्रिम राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

फेज–बी हेतु 1,086.45 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गई तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है। जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.) में उत्पादों की आसान एवं तीव्र आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु में एक बहु–मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की योजना भी फेज–बी में ही बनाई गई है।

फेज–सी के अन्तर्गत 1,373.36 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गई है एवं भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.)

खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.) 165 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें पूर्ववर्ती अलवर जिले के 43 गांव शामिल हैं। रीको को के.बी.एन.आई.आर. विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया। परियोजना का प्रारंभिक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

औद्योगिक पार्क्स एवं विशेष निवेश क्षेत्र

- एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एच.आर.आर.एल.) के डाउनस्ट्रीम उत्पादों के बेहतर उपयोग हेतु 700 हेक्टेयर भूमि पर राजस्थान पेट्रो जोन (आर.पी.जेड.) विकसित किया जा रहा है। आर.पी.जेड. का प्रथम चरण सितम्बर 2025 में डाउनस्ट्रीम पॉलिमर–आधारित उद्योगों के लिए आवंटन हेतु प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त, अल्प पूंजी के साथ न्यूनतम समय में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु आर.पी.जेड. में 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स की योजना बनाई गई है, जिनमें से 2 शेड्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- पर्यावरण संरक्षण एवं अपशिष्ट से संसाधनों की पुर्नप्राप्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क ग्राम थौलाई, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर में 48.21 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया गया है एवं दूसरा पार्क गुण्दी–फतेहपुर, रामगंज मंडी, कोटा में 21.09 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया गया है।
- गुण्दी–फतेहपुर, कोटा में 18.83 हेक्टेयर भूमि पर एक स्टोन पार्क की स्थापना की गई है।
- कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर में 41 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया गया है। यह पार्क पर्याप्त औद्योगिक जलापूर्ति के साथ विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन किया गया है तथा इसमें 5 से 20 एकड़ क्षेत्रफल के 9 भू–खण्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
- राज्य में उपलब्ध प्रचुर कच्चे माल का उपयोग करने तथा सिरेमिक एवं ग्लास उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए रीको द्वारा दो प्रमुख सिरेमिक जोन विकसित किये जा रहे हैं–
  - i. **सोनियाना सिरेमिक एवं ग्लास जोन, चित्तौड़गढ़** : सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र में 196.95 एकड़ भूमि पर सिरेमिक एवं ग्लास ज़ोन विकसित किया गया है। इसमें से लगभग 91 एकड़ भूमि असाही ग्लास इंडिया लिमिटेड को आवंटित की गई है, जो प्रथम चरण में ₹1,389 करोड़ का निवेश कर रही है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
  - ii. **गजनेर सिरेमिक एवं ग्लास जोन, बीकानेर** : गजनेर औद्योगिक क्षेत्र में 237 एकड़ भूमि पर सिरेमिक एवं ग्लास जोन विकसित किया गया है। इस ज़ोन में 40,000 से 80,000 वर्ग मीटर आकार के 13 बड़े भू–खण्ड उपलब्ध हैं।
- **हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क, जोधपुर** : हस्तशिल्प एवं फर्नीचर उद्योग राजस्थान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें जोधपुर एक प्रमुख निर्यात केन्द्र के रूप में उभर रहा है। इस उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको द्वारा बोरानाडा एक्सटेंशन औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में 161.75 एकड़ भूमि पर हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क का विकास किया गया है। इस परियोजना से लगभग ₹400 करोड़ का निवेश आकर्षित होने तथा 5,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार सृजित होने की संभावना है।

अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास

- **यूनिटी मॉल (पी.एम. एकता मॉल)** : भारत सरकार द्वारा यूनिटी मॉल की स्थापना हेतु ₹202 करोड़ की स्वीकृति प्रदान

की गई है। रीको द्वारा यूनिटी मॉल परियोजना के लिए जयपुर में 19,987 वर्ग मीटर भूमि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को आवंटित की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रीको को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। परियोजना वर्तमान में प्रगतिरत है तथा दिसम्बर, 2025 तक कुल ₹21.09 करोड़ राशि व्यय की गई है।

- रीको ने औद्योगिक इकाइयों को आगजनी की घटनाओं से बचाने के लिए केशवाना (कोटपूतली–बहरोड़), खैरथल (अलवर), खारा (बीकानेर), कलड़वास (उदयपुर), रतनगढ़ (चूरू), बगरू (जयपुर), बालोतरा में एक–एक तथा भिवाडी (खैरथल–तिजारा) में 2 फायर स्टेशन सहित कुल 9 अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

कनेक्टिविटी

औद्योगिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी, उत्पादन क्षमता एवं परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। स्मार्ट तकनीकों को एकीकृत करने, अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने और विनिर्माण कार्यों में सतत् लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत कनेक्टिविटी अत्यन्त आवश्यक है।

दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) : दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत के दो प्रमुख शहरों – दिल्ली (राजधानी) और मुंबई (वित्तीय राजधानी) के मध्य एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनाना है। इससे आर्थिक विकास तीव्र होने, लाखों रोजगार सृजित होने और भारत की विनिर्माण एवं निर्यात क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर 150 किलोमीटर का क्षेत्र (प्रभाव क्षेत्र) का चयन दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाने हेतु किया गया है। प्रथम चरण में, खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.) और जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.) विकसित किए जा रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) कंपनी – राजस्थान औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम (आर.आई.डी.सी.ओ.) की स्थापना की गई है।

वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यू.डी.एफ.सी.) : वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत में एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश के पश्चिमी हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना है। यह भारत की अपने रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने तथा दादरी (उत्तर प्रदेश) एवं जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह (मुंबई) के मध्य माल–परिवहन (लॉजिस्टिक्स) दक्षता बढ़ाने हेतु व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई 1,504 किलोमीटर है। कॉरिडोर का लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से होकर गुजरता है। यह कॉरिडोर राजस्थान को भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी बाजारों तक बेहतर संपर्क प्रदान करता है।

राज्य में व्यवसायों हेतु हवाई परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) लिमिटेड वर्ष 1979 से जयपुर हवाई अड्डे पर एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन कर रहा है। राजसीको ने आयातकों एवं निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, राजसीको, सांगानेर (जयपुर) से बॉन्डेड ट्रक सुविधा भी प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर तक इस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से कुल ₹969.59 लाख का कारोबार हुआ है।

निगम द्वारा निर्यात हेतु इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) जयपुर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर में ड्राई पोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर तक इन ड्राई पोर्ट सुविधाओं से कुल ₹21.17 लाख का कारोबार हुआ है।

एम.एस.एम.ई. एवं लघु उद्योग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान के मामलों के निवारण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत 14 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन किया गया है। वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर तक इन 14 सुविधा परिषदों द्वारा 1,517 मामलों का निस्तारण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उद्यमियों को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला केन्द्र में एम.एस.एम.ई. निवेशक सुविधा केन्द्र (एम.आई.एफ.सी.) स्थापित किए गए हैं।

राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2024

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति–2024 को 8 दिसम्बर, 2024 से लागू किया गया है। यह नीति 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी और इसका लक्ष्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक एम.एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना है।

इस नीति का प्रमुख उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जो राजस्थान में एम.एस.एम.ई. को उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने में सक्षम बनाए। इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक ''वन स्टॉप शॉप'' समाधान के रूप में तैयार किया गया है, जो लाभ और सहायता प्राप्त करने में सुलभ पहुँच को सुनिश्चित करता है।

नीति में मुख्य प्रावधान–

- नई एम.एस.एम.ई. की स्थापना और मौजूदा एम.एस.एम.ई. इकाइयों के विस्तार हेतु चयनित इकाइयों को ₹50 करोड़ तक की ऋण राशि पर आर.आई.पी.एस.–2024 के तहत देय ब्याज अनुदान के अलावा 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जायेगा।
- लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को एन.एस.ई./बी.एस.ई./एम.एस.ई. एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से समता पूंजी (इक्विटी कैपिटल) जुटाने हेतु ₹15 लाख तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जायेगी।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत (₹5 लाख तक) राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹3 लाख) की सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर एम.एस.एम.ई. उत्पादों के विपणन के लिए, स्टॉल किराया और दो व्यक्तियों के यात्रा व्यय के लिए 75 प्रतिशत सहायता (अधिकतम ₹1.5 लाख) प्रदान की जाएगी।
- उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए उपकरण एवं सॉफ्टवेयर की खरीद पर किए गए व्यय का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹50,000) प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- ई–कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹50,000) प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

एम.एस.एम.ई. नीति 2024 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक 343 आवेदकों को ₹188.92 लाख राशि का अनुदान वितरित किया गया है।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम–2019

एम.एस.एम.ई. की स्थापना को सरल बनाने के लिए 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम–2019 लागू किया गया। राज्य द्वारा ''राज उद्योग मित्र'' वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। एम.एस.एम.ई. इकाइयों को नोडल एजेंसी के समक्ष ''आशय की घोषणा'' प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसके पश्चात एजेंसी एक ''अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र'' जारी करती है। यह प्रमाण पत्र इकाई को इसके जारी होने से पांच साल तक राज्य कानूनों के तहत अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट प्रदान करता है।

वर्ष 2025 के दौरान कुल 1,405 अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से सूक्ष्म श्रेणी के 944, लघु श्रेणी के 307 एवं मध्यम श्रेणी के 154 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करना है।

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के प्रमुख घटक :

1. कारीगर/ शिल्पकार/बुनकर क्लस्टरों को सहायता
   - क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए ₹50 लाख तक की सहायता।
   - कच्चा माल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु कच्चा माल डिपो की स्थापना एवं संचालन के लिए कम्जोजिट/सावधि ऋणों पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान।
   - ई–कॉमर्स के माध्यम से उत्पन्न कुल वार्षिक बिक्री पर ₹50,000 तक का एकमुश्त प्रोत्साहन।
2. कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (सी.एफ.सी.) की स्थापना हेतु सहायता
   - सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की साझा समस्याओं के समाधान के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सी.एफ.सी.) की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक अधिकतम ₹10 करोड़ तक की की सहायता।
3. एम.एस.एम.ई. समूहों को आधारभूत संरचना के विकास हेतु राज्य सहायता
   - गैर–रीको औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा एम.एस.एम.ई. क्लस्टरों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु ₹10 करोड़ तक की परियोजना लागत पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक की सहायता।
   - गैर–रीको औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड एम.एस.एम.ई. क्लस्टरों के विकास हेतु परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (अधिकतम ₹5 करोड़ तक) तक की सहायता।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकरण : एम.एस.एम.ई. की संशोधित परिभाषा के अनुसार एम.एस.एम.ई. पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर कुल 4.41 लाख औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया गया है। इन इकाइयों में ₹11,146.03 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं और इनके माध्यम से 24.40 लाख व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (बी.आर.यू.पी.वाई.) : यह योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के गैर–कृषि क्षेत्रों–जैसे विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार के विकास में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। साझेदारी फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी (एल.एल.पी.), सहकारी समितियों अथवा कंपनियों के मामले में संबंधित इकाई में कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। इस योजना में पात्र आवेदकों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 9 प्रतिशत, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत तथा ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (₹25 लाख तक) मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जायेगा। वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर तक कुल 1,022 ऋण आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें से 890 आवेदकों को ₹222.95 करोड़ की ऋण राशि से लाभान्वित किया गया है। इसी अवधि में 660 आवेदकों को ₹43.21 करोड़ की मार्जिन मनी अनुदान राशि प्रदान की गई है जबकि 2,370 आवेदकों को ₹14.73 करोड़ का ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है।

पीएम विश्वकर्मा योजना

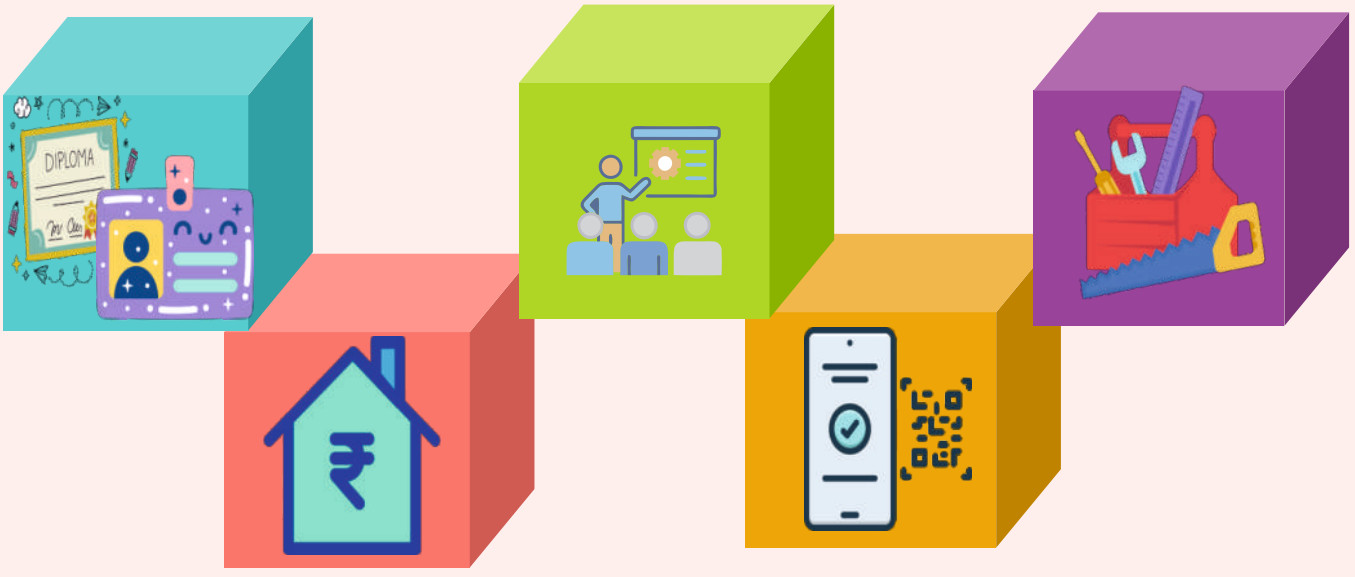
इस योजना का उद्देश्य कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में बढ़ईगीरी, लोहार, मिट्टी के बर्तन, सिलाई और अन्य सहित 18 ट्रेड शामिल हैं।

चित्र 5.5

पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र
कौशल प्राप्त पेशेवरों को मान्यता हेतु

कौशल संवर्धन प्रशिक्षण
प्रतिदिन ₹500 के स्टाइपेंड के साथ 5–7 दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिवस का उन्नत प्रशिक्षण

टूलकिट सहायता
उपकरण खरीदने हेतु ₹15,000



बिना गारंटी ऋण
5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण, दो किस्तों में :
₹1 लाख (18 माह) और ₹2 लाख (30 माह) तक

डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन
प्रति माह 100 डिजिटल लेनदेन तक
प्रति लेनदेन पर ₹1 प्रोत्साहन

योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे राज्य के कारीगरों को केवल 3 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के उद्यम ऋण उपलब्ध हो रहा है।

प्रगति–

दिसम्बर, 2025 तक कुल 21.75 लाख आवेदनों में से 15.71 लाख आवेदनों का प्रथम चरण (ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तर) पर सत्यापन किया गया है। इनमें से 5.00 लाख आवेदनों का द्वितीय चरण (जिला कलेक्टर स्तर) पर सत्यापन कर आगे की प्रक्रिया हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2.53 लाख आवेदनों का सत्यापन किया गया। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राज्य में 2.14 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। राज्य ने ऋण स्वीकृति (57,524 ऋण) एवं ऋण वितरण (53,552 ऋण) में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तथा कारीगरों को प्रशिक्षण (2.14 लाख लाभार्थी) एवं टूलकिट वितरण (1.13 लाख टूलकिट) में तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

वित्तीय सहायता

राजस्थान में उद्योगों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों और उद्योगों के विकास एवं वृद्धि का बढ़ावा देना है।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (वी.के.वाई.यू.पी.वाई.)

यह योजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2025 से लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराकर नए रोजगार के अवसर सृजित करना है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं–

- नवीन स्थापना, विस्तार करने वाले, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण कर रहे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तथा ₹1 करोड़ से अधिक एवं ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।
- स्वीकृत ऋण राशि के 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹5 लाख (जो भी कम हो) तक की मार्जिन मनी अनुदान राशि देय है।
- महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों, दिव्यांग उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों तथा बुनकर, कारीगर, शिल्पकार एवं हस्तशिल्प कार्डधारकों को ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक के ऋण पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर तक कुल 2,075 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 125 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किए गए तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा 73 आवेदकों को ₹27.34 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम.वाई.एस.वाई) 2026

राज्य के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जारी की गयी है। यह योजना वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी सहायता, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) शुल्क का पुनर्भरण करके युवा उद्यमियों को सहयोग प्रदान करती है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थान उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु निम्नानुसार मार्जिन मनी और शत–प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेंगे–

1. 8वीं से 12वीं कक्षा पास आवेदक
   अ) ब्याज अनुदान :
   - सेवा एवं व्यापार क्षेत्र– ₹3.5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा।
   - विनिर्माण क्षेत्र– ₹7.5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा।

   ब) मार्जिन मनी सहायता– ऋण राशि का 10 प्रतिशत (₹35 हजार तक) की मार्जिन मनी सहायता।
2. स्नातक/आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक अथवा उच्च योग्यता वाले आवेदक
   अ) ब्याज अनुदान :
   - सेवा एवं व्यापार क्षेत्र – ₹5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा।
   - विनिर्माण क्षेत्र– ₹10 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा।

   ब) मार्जिन मनी सहायता : ऋण राशि का 10 प्रतिशत (₹50 हजार तक) की मार्जिन मनी सहायता।
3. सी.जी.टी.एम.एस.ई. शुल्क प्रतिपूर्ति : सी.जी.टी.एम.एस.ई. के अन्तर्गत देय शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.)

युवाओं की औद्योगिकीकरण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत 1,000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 45 वर्ष अथवा उससे कम आयु के उद्यमी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के प्रारम्भ से दिसम्बर 2025 तक 706 इकाइयों को कुल ₹764.43 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार ने "रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी के औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन" परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ₹146 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की है। इस परियोजना पर दिसम्बर, 2025 तक कुल ₹141.02 करोड़ व्यय किये गये हैं।

रीको द्वारा उद्योगों के विकास के लिए उद्यमों और अन्य परियोजनाओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹91.05 करोड़ की सावधि ऋण राशि स्वीकृत की गई एवं ₹81.07 करोड़ की राशि वसूली गई।

राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.) ने स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2025 तक 84,879 इकाइयों को ₹9,130.07 करोड़ के ऋण प्रदान किये गये हैं। गत पाँच वर्षों के दौरान आर.एफ.सी. के वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ तालिका 5.2 में दी गई हैं।

तालिका 5.2 : राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ

(₹करोड़)

वर्ष	ऋण स्वीकृति		ऋण वितरण		ऋण वसूली	
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
2021-22	150	131.55	100	114.13	200	284.10
2022-23	125	116.94	100	101.12	250	276.65
2023-24	125	104.51	110	83.65	210	214.75
2024-25	200	212.07	140	142.32	200	201.49
2025-26 दिसम्बर, तक	300	119.99	200	97.59	200	119.56

विपणन सहायता

सरकार उद्योगों को बाजार तक पहुँच सुदृढ़ करने एवं उनके बाजार विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से सहयोग प्रदान करती है। ये प्रयास उद्योगों की वृद्धि करने, नए ग्राहकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आर.एस.आई.सी.) जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में **राजस्थली** आउटलेट्स के माध्यम से राज्य के कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में हस्तशिल्प वस्तुओं बिक्री का टर्नओवर ₹681.90 लाख रहा है।
- इसके अतिरिक्त, आर.एस.आई.सी. विभिन्न सरकारी विभागों को कांटेदार तार, टेंट, तिरपाल, स्टील फर्नीचर, पॉलीथीन बैग और एंगल आयरन पोस्ट जैसे उत्पादों की आपूर्ति करके लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है, इसके द्वारा वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल ₹1,640.52 लाख का टर्नओवर हुआ है।
- 44वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर–2025 का आयोजन 14 से 27 नवम्बर, 2025 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** के अन्तर्गत उत्कृष्ट सहभागिता के लिए राजस्थान पवेलियन को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
- खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 2 अक्टूबर, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक खादी वस्त्रों पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई तथा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आई.आई.टी.एफ.) नई दिल्ली में सहभागिता एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से खादी को बढ़ावा दिया गया।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस

सरकार व्यवसायों को शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाने हेतु विनियामक और परिचालन वातावरण में सुधार करने पर ध्यान दे रही है। इसमें प्रक्रियाओं को सरल बनाना, लागत कम करना और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना शामिल है। इसका उद्देश्य विकास दर को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और अधिक प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी व्यवसाय वातावरण तैयार करना है।

- राज्य में निवेशकों को विभिन्न विभागों से त्वरित ऑनलाइन स्वीकृतियाँ प्रदान करने तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान एंटरप्राइजेज़ सिंगल विंडो एनेबलिंग एंड क्लीयरेंस अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया।

- मौजूदा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एस.डब्ल्यू.सी.एस.) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज निवेश पोर्टल (वन स्टॉप शॉप सुविधा) लॉन्च किया गया था, ताकि एक ही स्थान पर समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ/अनुमोदन प्रदान किए जा सकें तथा राज्य में ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाया जा सके। अनुमोदन हेतु एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दोनों पोर्टल्स को एकीकृत किया दिया गया है। वर्तमान में निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर 19 विभागों की 181 सेवाएँ एकीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष 2025 के दौरान पोर्टल के माध्यम से ₹42,693.70 करोड़ के निवेश प्रस्ताव युक्त कुल 1,925 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं।
- नए उद्यमों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक विवाद और निवारण तंत्र (डी.आर.एम.) स्थापित किया गया। समिति के निर्णय सभी विभागों के लिए बाध्यकारी होते हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर तक 111 बैठकें आयोजित की गईं।
- राज्य सरकार द्वारा व्यवसायों एवं उद्योगों की स्थापना के लिए नियामक प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं। ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) के बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) का अनुसरण एवं कार्यान्वयन कर रही है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान–2024 के अंतर्गत बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स, एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड सर्विस सेक्टर श्रेणी में राजस्थान ''टॉप अचीवर'' के रूप में अंकित हुआ है। इसके पश्चात डी.पी.आई.आई.टी. द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान–2026 जारी किया गया है, जिसकी क्रियान्वयन अवधि 15 नवम्बर 2025 से 15 जुलाई 2026 तक है।

निर्यात

राज्य सरकार ने आर्थिक विकास के लिए निर्यात को प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के खजाने के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ यथा उत्पादों हेतु बाजार अवसरों का विस्तार, उत्पाद गुणवत्ता और उसके बाद की हैंडलिंग तकनीकों में सुधार, संयंत्र, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में तकनीकी उन्नयन, रोजगारों के बेहतर अवसर भी प्राप्त होते हैं।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024



राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का उद्देश्य सतत् एवं समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देकर लघु एवं मध्यम उद्यमों (एस.एम.ई.), स्थानीय हस्तशिल्प और निर्यात उत्पादों में विविधीकरण लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। माल ढुलाई अनुदान, विपणन सहायता, निर्यात दस्तावेजीकरण और प्रमाणन हेतु सहायता, उत्पाद परीक्षण अनुदान, ई–कॉमर्स निर्यात सुविधा और निर्यात क्रेडिट बीमा प्रदान करना प्रमुख उपायों में शामिल है। यह नीति राजस्थान के निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को रणनीतिक वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करती है। यह कनेक्टिविटी में सुधार, निर्यात–उन्मुख क्लस्टर विकसित करने और एम.एस.एम.ई. को लक्षित सहायता प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसके अतिरिक्त, यह नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास, तकनीकी को अपनाने और बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम स्थापित करके, यह नीति राजस्थान की वैश्विक व्यापार में स्थिति को मजबूत करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखती है।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के प्रमुख प्रावधान–

- **निर्यात दस्तावेजीकरण, गुणवत्ता एवं प्रबंधन प्रमाणन हेतु सहायता** : इस घटक के अंतर्गत निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण हेतु प्रति इकाई वार्षिक लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक, सहायता प्रदान की जाती है। दिसम्बर, 2025 तक कुल 25 आवेदकों को ₹22.36 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- **विपणन सहायता** : इस घटक के अंतर्गत विदेशों में आयोजित होने वाले अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने वाले पात्र उद्यमों को व्ययों की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति एवं आवागम हेतु सहायता अधिकतम ₹3 लाख तक की सहायता (दो वर्ष में एक बार) प्रदान की जाती है। दिसम्बर, 2025 तक कुल 75 आवेदकों को ₹182.68 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- **उत्पाद परीक्षण प्रोत्साहन** : इस घटक के अंतर्गत निर्यात इकाइयों को उत्पाद सम्बन्धी प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹20,000 प्रति शिपमेंट तथा ₹3 लाख प्रति वर्ष तक प्रदान की जाती है। दिसम्बर, 2025 तक कुल 11 आवेदकों को ₹10.02 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- **प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता** : इस घटक के अंतर्गत निर्यात इकाइयों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण एवं उन्नयन हेतु किए गए व्यय का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹50 लाख तक प्रदान की जाती है। दिसम्बर, 2025 तक कुल 15 आवेदकों को ₹624.96 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।
- **ई–कॉमर्स सहायता** : इस घटक के अंतर्गत निर्यात बढ़ाने हेतु ई–कॉमर्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए देय कुल शुल्क का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹2 लाख तक प्रदान की जाती है। दिसम्बर, 2025 तक कुल 18 आवेदकों को ₹26.43 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- **निर्यात ऋण बीमा** : इस घटक के अंतर्गत निर्यात इकाइयों को निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई.सी.जी.सी.) को अदा किए गए प्रीमियम का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹2 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष तक प्रदान की जाती है। दिसम्बर, 2025 तक कुल 11 आवेदकों को ₹11.38 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

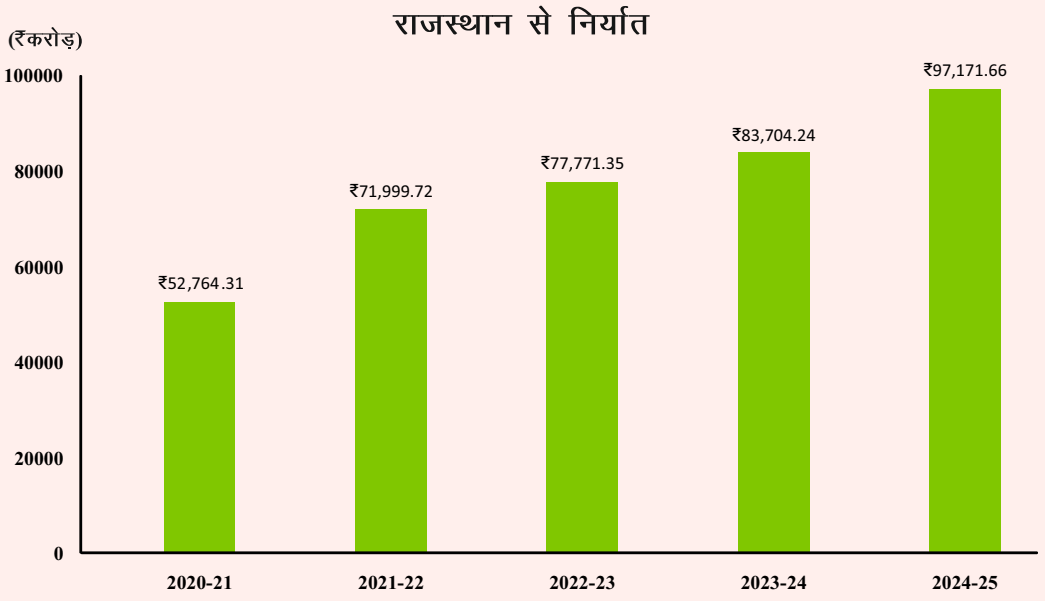
इस नीति के अंतर्गत पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को आर.आई.पी.एस.–2024 के तहत माल भाड़ा लागत पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख प्रति इकाई तक) प्रदान की जाती है।

राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, धातु, वस्त्र एवं हस्तशिल्प पाँच प्रमुख निर्यातक वस्तुएँ हैं, जिनका राज्य के निर्यात में 67 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। राज्य से वर्ष 2024–25 के दौरान ₹97,171.66 करोड़ का निर्यात हुआ। जिसका विवरण तालिका 5.3 एवं चित्र 5.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3 : राजस्थान से निर्यात (₹करोड़)

क्र.सं.	उत्पाद		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कपड़ा		5729.29	9251.39	7834.36	8819.58	9700.60
2	कृषि एवं खाद्य उत्पाद		3740.65	5180.17	6334.21	6486.78	7195.18
3	रत्न एवं आभूषण		4067.36	6811.04	9178.77	11183.23	17567.87
4	अभियांत्रिकी		7781.81	11966.1	13887.00	16592.51	19849.29
5	धातु	1. लौह	1102.94	1436.00	1754.02	2148.23	1598.94
		2. अलौह	4180.75	6802.57	9509.89	7709.71	8425.88
6	आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं आदि		4080.22	4481.15	3572.18	3665.94	3764.83
7	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, बिटुमिन्स पदार्थ, खनिज वैक्स, अयस्क, स्लैग एवं ऐश		842.34	1393.34	1345.82	1599.32	1766.44
8	इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉटवेयर		3016.01	464.73	829.71	1110.14	1389.97
9	ऊन एवं ऊनी कपड़े		62.31	133.47	154.41	122.90	107.23
10	रासायनिक एवं सम्बद्ध		5016.53	6995.14	6429.28	4585.72	4994.54
11	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स		2268.39	2577.60	2781.64	2954.20	3169.92
12	प्लास्टिक एवं लिनालियम		1337.58	2030.83	1948.58	4010.27	4447.06
13	हस्तशिल्प		6205.32	7830.07	7309.05	7986.83	8444.04
14	चमड़ा एवं चर्म उत्पाद		193.43	298.59	309.69	272.65	299.35
15	तैयार वस्त्र		1764.40	2561.09	3074.53	2751.35	2748.61
16	कालीन (दरियां)		464.70	706.18	731.83	742.63	733.33
17	अन्य		910.28	1080.24	786.38	962.25	968.58
योग			**52764.31**	**71999.72**	**77771.35**	**83704.24**	**97171.66**

चित्र 5.6



राजस्थान एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) नीति 2024

राजस्थान ओ.डी.ओ.पी. नीति 2024 का उद्देश्य प्रत्येक जिले की मूल क्षमताओं के आधार पर विभिन्न सरकारी पहलों का एकीकरण करना है, ताकि जिला विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाया जा सके। यह नीति स्थानीय उद्योगों के लिए सहायता संरचना को सुव्यवस्थित करने, उत्पाद मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा जिला–विशिष्ट उत्पादों को व्यापक बाजारों से जोड़कर संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित है। इस नीति के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद निर्माताओं को नए उद्यमों की स्थापना हेतु मार्जिन मनी सहायता, नवीनतम तकनीक हासिल करने हेतु सहयोग, गुणवत्ता प्रमाणन एवं मानकों के लिए सहायता, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास, विपणन सहायता, ई–कॉमर्स को प्रोत्साहन तथा ओ.डी.ओ.पी. पहल के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है। एक सशक्त इकोसिस्टम के निर्माण के माध्यम से यह नीति प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित एवं प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जिलों ने अपने–अपने क्षेत्रों से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान की है।

राजस्थान ओ.डी.ओ.पी. नीति 2024 के अंतर्गत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को तालिका 5.4 में एवं जिलेवार चिन्हित उत्पादों को तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4 : राजस्थान ओ.डी.ओ.पी. नीति 2024 के अंतर्गत योजना वार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित इकाईयों की संख्यां	वित्तीय सहायता (₹ लाख)
1	मार्जिन मनी सहायता	61	912.03
2	प्रौद्योगिकी उन्नयन	1	5.00
3	गुणवत्ता प्रमाणन सहायता	17	4.49
4	विपणन सहायता	149	203.02
5	ई–कॉमर्स सहायता	7	5.41
6	कैटलॉग व्यय / वेबसाइट	37	24.41
योग		**272**	**1154.36**

तालिका 5.5 : ओ.डी.ओ.पी. नीति 2024 के अंतर्गत जिलावार चिन्हित उत्पाद

क्र. सं.	जिला	ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद का नाम
1	अजमेर	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
2	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
3	बालोतरा	वस्त्र उत्पाद
4	बाँसवाड़ा	मार्बल उत्पाद
5	बारां	लहसुन उत्पाद
6	बाड़मेर	कशीदाकारी
7	ब्यावर	क्वार्ट्ज एवं फेल्डस्पार पाउडर
8	भरतपुर	कृषि आधारित उत्पाद
9	भीलवाड़ा	वस्त्र उत्पाद
10	बीकानेर	बीकानेरी नमकीन
11	बूंदी	सैंडस्टोन
12	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
13	चूरू	लकड़ी के उत्पाद
14	दौसा	पत्थर आधारित उत्पाद
15	डीडवाना–कुचामन	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद
16	डीग	पत्थर आधारित उत्पाद
17	धौलपुर	पत्थर आधारित उत्पाद
18	डूंगरपुर	मार्बल उत्पाद
19	हनुमानगढ़	कृषि आधारित उत्पाद
20	जयपुर	रत्न एवं आभूषण
21	जैसलमेर	येलो स्टोन उत्पाद
22	जालौर	ग्रेनाइट उत्पाद
23	झालावाड़	कोटा स्टोन उत्पाद
24	झुंझुनूं	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद
25	जोधपुर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
26	करौली	सैंडस्टोन उत्पाद
27	खैरथल–तिजारा	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
28	कोटा	कोटा डोरिया
29	कोटपूतली–बहरोड़	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
30	नागौर	पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण
31	पाली	वस्त्र उत्पाद
32	फलौदी	सोनामुखी उत्पाद
33	प्रतापगढ़	थेवा आभूषण
34	राजसमंद	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
35	सलूम्बर	क्वार्ट्ज
36	सवाई माधोपुर	मार्बल उत्पाद
37	सीकर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
38	सिरोही	मार्बल उत्पाद
39	श्रीगंगानगर	सरसों का तेल
40	टोंक	स्लेट स्टोन उत्पाद
41	उदयपुर	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद

राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति 2025

राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति 2025 को राज्य में 7 दिसम्बर 2025 से लागू किया गया है। इस नीति का उद्देश्य सूक्ष्म व्यापार उद्यमों सहित छोटे व्यापारियों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करना है, साथ ही व्यापार क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। नीति के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

- **ब्याज अनुदान** : नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की स्थापना के लिए, ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा और ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- **क्रेडिट गारंटी सहायता** : क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी.जी.टी.एम.एस.ई) योजना के अंतर्गत, नवीन सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों को ₹5 करोड़ तक के ऋण कवरेज पर देय गारंटी शुल्क की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए दी जाएगी।
- **बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति** : सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों के लिए, प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत (₹1 लाख तक) प्रतिपूर्ति, पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- **ई–कॉमर्स प्रोत्साहन** : सूक्ष्म व्यापार उद्यमों को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹50,000 तक की ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

विशेष श्रेणियों हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन : महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यापार उद्यमों को ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा।

राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025



यह नीति राज्य को वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 13 फरवरी 2025 को अधिसूचित की गयी है। इस नीति के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

- वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु 10 वर्षों की अवधि के लिए परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन, जिसमें निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान तथा टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं।
- मेगा एवं अल्ट्रा–मेगा परियोजनाओं हेतु फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट, राज्य कर/वैट की प्रतिपूर्ति।
- स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में लाभ, जिसमें 75 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति शामिल है।
- विद्युत खपत पर 7 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से 100 प्रतिशत छूट।
- भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में लाभ जिसमें 75 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति शामिल है।
- वस्त्र एवं परिधान उद्योग में पर्यावरणीय रूप से सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण परियोजनाओं पर किए गए व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹12.5 करोड़ की सीमा तक।
- फ्रेट सब्सिडी, जिसमें राज्य के इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात किए गए माल पर कुल मालभाड़ा व्यय की 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹25 लाख की सीमा तक।
- कौशल विकास सहायता जिसमें योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्मिकों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
- बौद्धिक संपदा सहायता, जिसमें पेटेंट एवं कॉपीराइट पंजीकरण हेतु किए गए व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति–2025 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन एवं लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2024 (आर.आई.पी.एस–2024) के प्रावधानों के अनुरूप दिए जाएंगे।

अन्य पहल

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 : राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, राज्य की आर्थिक उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इस समिट में राज्य की व्यापक निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया और वैश्विक निवेश समुदाय से मजबूत रुचि आकर्षित हुई। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) तथा उनके ग्राउंड–ब्रेकिंग की स्थिति का विवरण तालिका 5.6 में दिया गया है।

तालिका 5.6 : राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में साइन किए गए (एम.ओ.यू.) और ग्राउंड–ब्रेकिंग स्थिति का विभागवार विवरण

क्रियान्वयन विभाग	एम.ओ.यू./प्रोजेक्ट की कुल संख्या	निवेश प्रस्ताव (₹ करोड़)	ग्राउंड ब्रेकिंग निवेश दिसम्बर, 2025 तक (₹ करोड़)
कृषि	2352	42046	8149
पशुपालन	75	1871	210
विमानन	13	12774	1275
आयूष	135	6717	1446
कॉलेज शिक्षा	67	816	248
डी.एस.ई.ई. (कौशल)	21	8966	87
ऊर्जा	812	2827421	615995
उच्च शिक्षा	25	15178	-
उद्योग	4340	225575	76080
सूचना एवं प्रौद्योगिकी	94	9511	1012
स्वायत्त शासन विभाग	70	10646	1971
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	284	20965	4803
चिकित्सा शिक्षा	47	20612	6305
खनन	293	99587	34237
संस्कृत शिक्षा	12	101	98
विद्यालय शिक्षा	210	14206	1011
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3	618	-
खेल एवं युवा	29	7585	90
तकनीकी शिक्षा	333	5218	56
पर्यटन	1245	91519	10033
परिवहन	13	1570	15
शहरी विकास एवं आवासन	540	106724	37929
कुल	**11013**	**3530225**	**801048**

राजस्थान फाउण्डेशन

प्रवासी राजस्थानियों से निरन्तर संवाद करने, राज्य के साथ उनके संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान फाउण्डेशन के 26 चैप्टर्स क्रियाशील किए गये है। इसके अतिरिक्त प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान फाउण्डेशन के 14 नए चैप्टर्स स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है। ये चैप्टर्स विदेशों में दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड, कनाडा तथा देश में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और केरल में खोले जाएंगे।

प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन 10 दिसम्बर 2025 को जयपुर में किया गया, जिसमें लगभग 5,000 प्रवासी राजस्थानियों और देश–विदेश से आए अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर "प्रवासी राजस्थानी नीति 2025" लॉन्च की गई और "राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल" का भी उद्घाटन किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों तथा अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को राजस्थान में सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास पहलों में योगदान दे सकते हैं और राज्य के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं।

प्रवासी राजस्थानियों के हितों की सुरक्षा एवं संवद्धर्न हेतु समर्पित एक विभाग 'डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स (डी.ओ.आर.ए.)' का गठन किया गया है। राज्य सरकार की विभिन्न क्षेत्रवार नीतियों के प्रावधानों एवं लाभों के बारे में प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी देने हेतु राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा 'नॉलेज सीरीज–एक वर्चुअल कनेक्ट' की शुरुआत की गई है। प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं के समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान के लिए सभी जिलों में सिंगल पोइंट कॉन्टेक्ट के रूप में अतिरिक्त जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रवासी राजस्थानी नीति 2025

विश्वभर में बसे राजस्थानी प्रवासियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के साथ–साथ राजस्थान को एक विशिष्ट वैश्विक पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा 10 दिसम्बर 2025 को "प्रवासी राजस्थानी नीति 2025" जारी की गयी है। इस नीति का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों की राज्य के विकास में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना तथा उन्हें उनकी जड़ों से पुनः जोड़ने के लिए एक व्यापक एवं संरचित ढांचा प्रदान करना है। नीति का प्राथमिक उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, उपलब्धियों एवं योगदानों को एक सुव्यवस्थित तंत्र में एकीकृत करना तथा उन्हें राज्य के विकास, निवेश, व्यापार, नवाचार और सामाजिक परोपकार जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ना है। यह नीति निम्नलिखित पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

चित्र 5.7

एक्सिलरेट

यह स्तम्भ विशेष रूप से ऐसा अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है, जो प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को प्रोत्साहित करे, उनके व्यावसायिक अवसरों की खोज को सरल बनाए, सरकारी विभागों से प्रभावी रूप से जुड़ने में सहायता करे और उनके नवाचारपूर्ण विचारों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराए, जिससे राज्य के समग्र आर्थिक विकास को गति मिल सके।

ब्रिज

यह स्तम्भ राजस्थान और उसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के मध्य एक सशक्त सेतु स्थापित करने पर केन्द्रित है, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया, न्यूज़लेटर, लाइवस्ट्रीम, कॉन्क्लेव एवं विभिन्न आयोजनों के माध्यम से एक गतिशील आउटरीच कार्यक्रम संचालित कर गैर–निवासी राजस्थानियों के साथ दीर्घकालिक एवं सतत संबंध विकसित किए जाएंगे।

सेलिब्रेट

यह स्तम्भ त्योहारों, प्रदर्शनियों तथा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पहलों के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के साथ राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, विरासत एवं कला के संरक्षण और संवर्धन पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य उनके वर्तमान निवास देश एवं राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों का उत्सव मनाना तथा उन्हें सम्मानित करना है।

ड्राइव

यह स्तम्भ राजस्थानी प्रवासी समुदाय को अवसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक निर्माण तथा अन्य सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से राजस्थान के सामाजिक–आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित एवं संगठित करता है, जिससे स्थानीय पहलों को सशक्त बनाया जा सके।

एन्श्योर

यह स्तम्भ शिकायत निवारण मंचों, सहयोगात्मक सहायता प्रणालियों तथा उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को प्रभावी सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक प्रमुख क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से किया जाता है।

- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों की स्वीकृति के उपरांत 850 इकाइयों को ₹62.29 करोड़ की मार्जिन मनी का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया गया।
- वर्ष 2025–26 में पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को 943 नवीन इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य प्रदान किया गया, जिसके लिए ₹34.67 करोड़ की मार्जिन मनी निर्धारित की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से 10,373 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। दिसम्बर 2025 तक 459 इकाइयों को ₹34.58 लाख की मार्जिन मनी वितरित की गई, जिसके परिणामस्वरूप 4,792 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित हुआ।

कारखाना और बॉयलर्स : औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कारखाना और बॉयलर निरीक्षण विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला में वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान 127 कारखानों से 871 वायु प्रदूषक नमूने एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया। विभाग द्वारा 3,052 निरीक्षण किए गए तथा 629 नए कारखानों एवं 161 नए बॉयलर्स का पंजीयन किया गया, जिससे लगभग 87,200 श्रमिकों को रोजगार मिला। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान 1,213 सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 43,743 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अवसरों की खोज : खनन, तेल और गैस विकास

राजस्थान में खनन क्षेत्र

राजस्थान खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, यहाँ 82 प्रकार के खनिजों के भण्डार हैं, जिनमें से 57 खनिजों का वर्तमान में वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है। यह राज्य चूना पत्थर, सीसा–जस्ता, वोलस्टोनाइट, गार्नेट, बैराइट्स, सिलिका सैण्ड, ग्रेनाइट, संगमरमर एवं तांबा जैसे प्रमुख खनिजों का अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान कोयला, लिग्नाइट एवं जिप्सम के राष्ट्रीय उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पत्थर उद्योग में विशेषतः मार्बल, सैण्ड स्टोन और ग्रेनाइट के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है।

वर्तमान में खनन पट्टे ई–नीलामी के माध्यम से जारी किये जाते हैं। राज्य में प्रधान खनिजों हेतु 3,395 खनन पट्टे और अप्रधान खनिजों हेतु 13,428 खनन पट्टे आवंटित हैं तथा 16,058 क्वेरी लाइसेंस जारी किये गये हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य में कुल 34 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, जो देश में सर्वाधिक है।

वर्ष 2025–26 के दौरान खान एवं भूविज्ञान विभाग हेतु ₹12,980 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2025 तक कुल ₹6,857.97 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

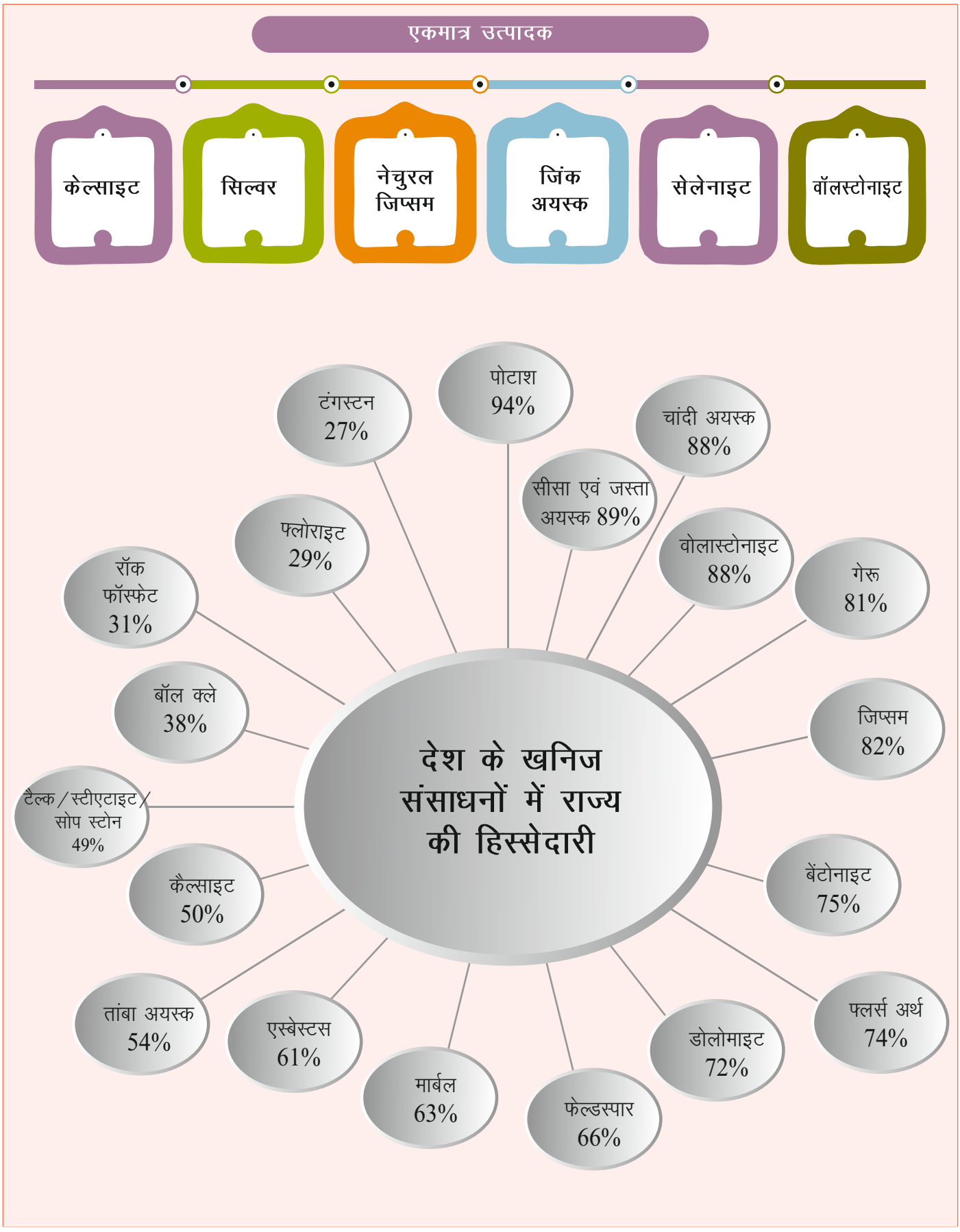
राजस्थान खनिज नीति 2024

राजस्थान खनिज नीति 2024 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ एवं पारदर्शी खनिज विकास को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं

- खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
- शून्य–अपशिष्ट खनन, पर्यावरण–अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
- उन्नत अन्वेषण तकनीकों, ए.आई.– आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- जी.पी.एस.–आधारित ट्रैकिंग, जियो–फेंसिंग और रीयल–टाइम निगरानी का उपयोग कर अवैध गतिविधियों को रोकना।

चित्र 5.8


एकमात्र उत्पादक
केल्साइट
सिल्वर
नेचुरल जिप्सम
जिंक अयस्क
सेलेनाइट
वॉलस्टोनाइट
देश के खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी
टंगस्टन 27%
पोटाश 94%
चांदी अयस्क 88%
सीसा एवं जस्ता अयस्क 89%
फ्लोराइट 29%
वोलास्टोनाइट 88%
रॉक फॉस्फेट 31%
गेरू 81%
बॉल क्ले 38%
जिप्सम 82%
टैल्क/स्टीएटाइट/सोप स्टोन 49%
बेंटोनाइट 75%
कैल्साइट 50%
फ्लर्स अर्थ 74%
तांबा अयस्क 54%
डोलोमाइट 72%
एस्बेस्टस 61%
मार्बल 63%
फेल्डस्पार 66%

राजस्थान एम–सैंड नीति 2024

राजस्थान एम–सैंड नीति 2024 एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में नदी रेत (बजरी) के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत (एम–सैंड) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना है। निर्माण सामग्री की बढ़ती मांग और नदी रेत खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, यह नीति संसाधनों के उत्तरदायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

मुख्य विशेषताएं

एम–सैंड के उपयोग को बढ़ावा देना : यह नीति प्रक्रियाओं एवं नियमों को सरल बनाकर तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर एम–सैंड इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देती है।

एम–सैंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन :

- **वित्तीय लाभ :** रॉयल्टी में छूट (50 प्रतिशत) और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत।
- **निवेश सब्सिडी :** 10 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत राज्य कर प्रतिपूर्ति।
- **बिजली शुल्क छूट :** 7 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत।
- **स्टाम्प शुल्क में कमी :** स्टाम्प शुल्क पर 75 प्रतिशत छूट।
- **रोजगार लाभ :** स्थानीय कर्मचारियों के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

गुणवत्ता मानक एवं नियंत्रण :

- एम–सैंड इकाइयों में ऑन–साइट गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन।

अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता :

- जल पुनः उपयोग हेतु शून्य–निर्वहन (जीरो–डिसचार्ज) प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सी. एण्ड डी.) अपशिष्ट से एम–सैंड उत्पादन को प्रोत्साहन।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु अपशिष्ट निपटान तंत्र विकसित करना।

कार्यान्वयन रणनीति :

- सरकारी परियोजनाओं में एम–सैंड के उपयोग को चरणबद्ध रूप से बढ़ाना (वर्ष 2028–29 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य)।

एम–सैंड एवं ओवरबर्डन प्लॉट का आवंटन :

- दिसम्बर 2025 तक नई नीति के अंतर्गत कुल 38 एम–सैंड प्लॉट तथा 10 ओवरबर्डन डंप माइनिंग प्लॉटों का आवंटन किया गया है।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.)

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राजस्थान सरकार के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन का कार्य कर रहा है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य खनिजों के खनन में लागत प्रभावी तकनीकी नवाचारों को अपनाना और खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में विविधता लाना है।

आर.एस.एम.एम.एल. ने अपनी स्थापना से ही खनिजों के अन्वेषण/उत्खनन के उद्देश्य से खनन के क्षेत्र में नए अवसर विकसित करने की पहल की है। वर्ष 2024–25 के दौरान, कम्पनी द्वारा ₹1,726.03 करोड़ (अनऑडिटेड) सकल राजस्व एवं ₹658.22 करोड़ (अनऑडिटेड) कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2025–26 हेतु अनुमानित सकल राजस्व ₹1,922.17 करोड़ तथा कर–पूर्व लाभ ₹665.45 करोड़ निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा दिसम्बर, 2025 तक राजकोष में ₹253.92 करोड़ की राशि का योगदान किया गया है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों को कॉर्पोरेट ऑफिस उदयपुर के सीधे नियंत्रण में चार भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर (एस.बी.यू. एण्ड पी.सी.) का नाम दिया है। चार एस.बी.यू. एवं पी.सी. निम्न प्रकार हैं–

1. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर – रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा, उदयपुर।
2. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर – जिप्सम, बीकानेर।
3. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर – लाईम स्टोन, जोधपुर।
4. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर – लिग्नाईट, जयपुर।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान अर्जित परिचालन राजस्व के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति के आंकड़े तालिका 5.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.7 : परिचालन राजस्व के संदर्भ में वित्तीय प्रदर्शन

(₹करोड़)

क्र.सं.	विवरण	परिचालन राजस्व 2025–26 दिसम्बर तक
1.	एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. रॉक फास्फेट	911.48
2.	एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. लाइम स्टोन	201.04
3.	एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम	3.59
4.	एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. लिग्नाइट	156.22
5.	106.30 मेगावाट पवन ऊर्जा एवं 5 मेगावाट सोलर ऊर्जा संयत्र	24.32

सामाजिक गतिविधियां: आर.एस.एम.एम.एल. अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में विभिन्न संस्थाओं को निरन्तर योगदान दे रहा है। इस सम्बन्ध में वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान अपने विभिन्न एस.बी.यू. द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों पर कुल ₹4.96 करोड़ तथा वानिकी एवं पौधारोपण पर ₹89 लाख व्यय किया गया है।

सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना (आई.पी.एस.)

वर्ष 2025–26 में खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना के अनुमोदित क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार अन्वेषण कार्यक्रमों के अंतर्गत भूवैज्ञानिक जांच हेतु कुल 34 परियोजनाओं को रखा गया। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर) के दौरान क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण (आर.एम.एस.) 220 वर्ग किलोमीटर में, क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण (आर.जी.एम.) 258.50 वर्ग किलोमीटर में, विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण (डी.जी.एम.) 37.07 वर्ग किलोमीटर में किया गया है एवं 1,414 मीटर ड्रिलिंग की गई।

जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (डी.एम.एफ.टी.)

जिला खनिज फाउण्डेशन (डी.एम.एफ.) एक न्यास है, जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन सम्बन्धी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करने हेतु एक गैर–लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित है। डी.एम.एफ.टी. के तहत दिसम्बर, 2025 तक किए जाने वाले कार्यों और वित्तीय गतिविधियों का विवरण तालिका 5.8 में दिया गया है।

तालिका 5.8 : डी.एम.एफ.टी. के तहत किए जाने वाले कार्यों और वित्तीय गतिविधियों का विवरण

क्र.सं.	गतिविधियां	इकाई	आंकड़े
1	विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी	संख्या	21993
2	वित्तीय स्वीकृति जारी	₹करोड़	9393.38
3	पूर्ण हुए कार्यों की संख्या	संख्या	13612
4	कुल व्यय दिसम्बर, 2025 तक	₹करोड़	5927.84

विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण तालिका 5.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.9 : अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	विवरण	आंकड़े 2025-26 दिसम्बर तक
1	अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के दर्ज प्रकरणों की संख्या	7335
2	दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की संख्या	831
3	जब्त वाहन/मशीन/औजारों की संख्या	7162
4	अवैध खनन/निर्गमन से वसूल शास्ति राशि (₹ करोड़)	50.94

तेल और प्राकृतिक गैस

राजस्थान सिटी गैस वितरण (सी.जी.डी.) नीति 2025

गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा सम्पूर्ण राज्य में स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का विस्तार करने के उद्देश्य से 16 जुलाई, 2025 को राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति 2025 जारी की गई। यह नीति गैस पाइपलाइन अवसंरचना को सुदृढ़ करने, सी.जी.डी. नेटवर्क के विकास में तेजी लाने तथा घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पी.एन.जी.) एवं संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की उपलब्धता बढ़ाने पर केन्द्रित है।

वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) राज्य में कुल 53,047 नए घरेलू पाइप्ड कुकिंग गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं।

राजस्थान देश के कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। राज्य देश में स्थलीय (ऑनशोर) प्राकृतिक गैस उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है तथा भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत योगदान देता है। राज्य में देश के कुल उत्पादन 28.70 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक (एमएमटीपीए) में से लगभग 3.42 एम.एम.टी.पी.ए. कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में पेट्रोलियम संभावनाओं वाला क्षेत्र लगभग 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 14 जिलों को सम्मिलित करते हुए चार पेट्रोलियमयुक्त बेसिनों में विस्तृत है:

1. बाड़मेर–सांचौर बेसिन – (बाड़मेर जिला तथा अंशतः जालोर एवं बालोतरा जिले)
2. जैसलमेर बेसिन– (जैसलमेर एवं फलौदी जिला तथा अंशतः बीकानेर जिला)
3. बीकानेर – नागौर बेसिन – (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले)
4. विंध्यन बेसिन – (कोटा, बारां, झालावाड़, धौलपुर, करौली जिले तथा अंशतः बून्दी, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले)

वर्तमान में राज्य के 15 तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 57,000–59,000 बैरल तेल प्रतिदिन (बी.ओ.पी.डी.) का उत्पादन किया जा रहा है इन क्षेत्रों में मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एवं अन्य क्षेत्र शामिल हैं। बाड़मेर से शुद्ध प्राकृतिक गैस उत्पादन लगभग 1.90–2.20 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एम.एम.एस.सी.एम.) प्रतिदिन है जबकि जैसलमेर क्षेत्र से इसका उत्पादन लगभग 0.71–0.75 एम.एम.एस.सी.एम. प्रतिदिन होता है। इस प्रकार राजस्थान राज्य में कुल शुद्ध प्राकृतिक गैस उत्पादन लगभग 2.60–2.95 एम.एम.एस.सी.एम. प्रतिदिन है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का दोहन, उत्पादन और विकास गतिविधियाँ –

- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान, केयर्न इंडिया लिमिटेड द्वारा बाड़मेर–सांचोर बेसिन से कुल 22.51 लाख मैट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया, जबकि केयर्न वेदांता लिमिटेड, फोकस एनर्जी, ओ.एन.जी.सी. और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से जैसलमेर और बाड़मेर–सांचोर बेसिनों से कुल 825.07 एम.एम.एस.सी.एम. प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया।

- कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं अन्वेषण की गतिविधियाँ 12 पेट्रोलियम खनन लीज (पी.एल.) क्षेत्रों और 13 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) ब्लॉकों में चल रही हैं।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में जैसलमेर जिले के बाघेवाला क्षेत्र से लगभग 2.04 लाख बैरल भारी कच्चे तेल का निष्कासन किया गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 800 बैरल प्रतिदिन (बी.ओ.पी.डी.) भारी कच्चे तेल का उत्पादन जारी है।
- जैसलमेर जिले में स्थित भाकरी टिब्बा पेट्रोलियम लीज (पी.एल.) ब्लॉक (ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित) में जून 2025 में तथा चिन्नेवाला टिब्बा पेट्रोलियम लीज (पी.एल.) ब्लॉक (ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड द्वारा संचालित) में अगस्त 2025 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रारंभ हुआ।
- वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर तक ₹1,533.74 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना

एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एच.आर.आर.एल.), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) और राजस्थान सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें क्रमशः 74 प्रतिशत (₹19,600 करोड़) और 26 प्रतिशत (₹6,886 करोड़) की इक्विटी भागीदारी है। पचपदरा, बालोतरा में 9 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का कार्य 16 जनवरी, 2018 को प्रारम्भ किया गया। परियोजना की संशोधित लागत ₹79,459 करोड़ है और इसका वित्त पोषण 2:1 के ऋण–इक्विटी अनुपात में किया गया है। यह रिफाइनरी बीएस-VI मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत होने वाली देश की पहली रिफाइनरी होगी।

दिसम्बर, 2025 तक ₹76,442 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं एवं विभिन्न साइट–संबंधी गतिविधियों पर ₹63,456 करोड़ व्यय किए गए हैं। परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, और इस परियोजना में 26,000 से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया गया है। राज्य सरकार की 26 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के कुल ₹6,886 करोड़ में से ₹3,734.91 करोड़ राशि का भुगतान एच.आर.आर.एल. को किया गया है।

पेट्रोलियम क्षेत्र से उत्पादन तथा अर्जित राजस्व का विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है।

तालिका 5.10 : पेट्रोलियम क्षेत्र से उत्पादन और अर्जित राजस्व

वर्ष	क्रूड ऑयल		प्राकृतिक गैस		पी.ई.एल. शुल्क अनिवार्य किराया आदि (₹करोड़)	कुल राजस्व (₹करोड़)
	रॉयल्टी (₹करोड़)	उत्पादन (मिलियन बैरल)	रॉयल्टी (₹करोड़)	उत्पादन एम.एम.एस.सी.एम.		
2020 -21	1784.32	42.62	112.42	1232.75	8.05	1904.79
2021 -22	3601.13	42.46	384.54	1684.51	9.72	3995.40
2022 -23	4322.14	36.55	555.14	1648.78	11.89	4889.17
2023 -24	2881.56	32.00	526.66	1522.41	16.86	3425.08
2024 -25	2265.55	24.88	409.12	1250.82	14.25	2688.91
2025 -26 दिसम्बर तक	1263.84	16.38	260.03	825.07	9.87	1533.74

राजस्थान को सशक्त बनानाः रोजगार को बढ़ावा देना

राज्य में श्रम विभाग औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए, उनके वेतन और भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।

राजस्थान सरकार सभी के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से युवाओं और पिछड़े समुदायों को लक्षित करते हुए, सतत् रोजगार सुधार और नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास पर जोर देते हुए राज्य ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उद्योगों के साथ साझेदारी के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलें प्रारम्भ की हैं। इन प्रयासों के बावजूद, राज्य को अपने रोजगार लक्ष्यों की प्राप्ति में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2023–24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर 4.7 प्रतिशत[1] दर्ज की गई है

रोजगार स्थितिः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) देश एवं विभिन्न राज्यों में रोजगार और बेरोज़गारी की स्थिति का आंकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनेक प्रमुख मानकों को मापता है, जैसेः कार्यशील जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.) श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) बेरोज़गारी दर (यू. आर.) आदि। राजस्थान और भारत के रोजगार सम्बन्धित संकेतकों को तालिका 5.11 में दर्शाया गया है। (सामान्य स्थिति के अनुसार प्रधान स्थिति + गौण स्थिति; आयु समूह 15–59 वर्ष)[2]।

तालिका 5.11 : राजस्थान और भारत के लिए रोजगार संबंधी संकेतक

(प्रतिशत)

क्र. सं.	सूचक	राजस्थान		भारत	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1.	**श्रम बल भागीदारी दर**				
	पुरुष	78.6	81.4	83.2	83.5
	महिला	50.5	54.1	39.8	45.2
	कुल	64.8	67.6	61.6	64.3
2.	**श्रमिक जनसंख्या अनुपात**				
	पुरुष	73.9	77.4	80.2	80.6
	महिला	48.9	51.7	38.5	43.7
	कुल	61.6	64.4	59.5	62.1
3.	**बेरोजगारी की दर**				
	पुरुष	6.0	4.8	3.6	3.5
	महिला	3.2	4.5	3.2	3.4
	कुल	4.9	4.7	3.4	3.5

वर्ष 2022–23 की तुलना में, राज्य में डब्ल्यू.पी.आर. और एल.एफ.पी.आर. दोनों क्रमिक वृद्धि दर्शाते हैं।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) जुलाई 2023–जून 2024 के अनुसार, राजस्थान की श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ. पी.आर.)[3] 67.6 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष 64.8 प्रतिशत, (जुलाई 2022–जून 2023) से अधिक है। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि राज्य में अधिक लोग रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे हैं या कार्यरत हैं।

कार्यशील जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.)[4] एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जनसंख्या में रोजगार के स्तर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। यह कार्य करने योग्य जनसंख्या के उस अनुपात को दर्शाता है जो कार्य में संलग्न हैं, जिससे श्रम बाजार की गतिशीलता की जानकारी मिलती है। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या अनुपात में वृद्धि राज्य में अर्थव्यवस्था के विस्तार का संकेत देती है।

1 Annual Report PLFS 2023-24
https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AnnualReport_PLFS2023-24L2.pdf
https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AR_PLFS_2022_23N.pdf
2 Annual Report PLFS 2023-24
https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AnnualReport_PLFS2023-24L2.pdf
https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AR_PLFS_2022_23N.pdf
3 The percentage of people in a country's working-age population who are actively working or looking for work.
The percentage of people in a population who are employed.
4The percentage of people in a population who are employed.

राजस्थान की बेरोज़गारी दर (यू.आर.) वर्ष 2022–23 (पी.एल.एफ.एस. वार्षिक रिपोर्ट) में 4.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2023–24 में यह दर घटकर 4.7 प्रतिशत हो गई, जो 0.2 प्रतिशत कम है। यह गिरावट वर्तमान में जारी चुनौतियों के बावजूद कौशल विकास पहलों के माध्यम से सुधार की संभावनाओं को प्रकट करती है। समग्र रूप से राजस्थान का आथिक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है, जिसमें औद्योगीकरण एवं सेवा क्षेत्र की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में उल्लेखनीय योगदान दे रही है। रोजगार के अवसरों में क्षेत्रीय एवं लैगिंक असमानताएं अब भी बनी हुई हैं, जिन्हें राज्य लक्षित नीतियों और कौशल विकास के माध्यम से सुधार किया जा रहा है।

संकलन श्रेणी के अनुसार श्रमिकः राज्य और देश के कामगारों का श्रेणीवार तुलनात्मक वितरण को तालिका 5.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.12 : श्रेणीवार कामगारों का तुलनात्मक प्रतिशत वितरण (पी.एस.+एस.एस.) (एन.आई.सी.–2008 के उद्योग अनुभाग) – राजस्थान[5]

क्र.सं.	भाग	राजस्थान	भारत
1	कृषि एवं वानिकी और मछली पकड़ना	51.05	46.07
2	खनन एवं उत्खनन	0.47	0.23
3	विनिर्माण	10.95	11.44
4	विद्युत, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति	0.34	0.27
5	जलापूर्ति, सीवरेज अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार गतिविधियाँ	0.23	0.27
6	निर्माण	12.31	11.98
7	थोक और खुदरा व्यापार मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत	8.61	10.23
8	परिवहन एवं भंडारण	3.71	4.28
9	आवास और खाद्य सेवा गतिविधियाँ	1.89	2.00
10	सूचना एवं संचार	0.58	1.35
11	वित्तीय और बीमा गतिविधियाँ	0.77	1.05
12	रियल एस्टेट गतिविधियाँ	0.14	0.22
13	व्यावयायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियाँ	0.82	0.67
14	प्रशासनिक और सहायता सेवा गतिविधियाँ	0.76	0.92
15	लोक प्रशासन और रक्षा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा	0.95	1.42
16	शिक्षा	2.73	3.04
17	मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य गतिविधियाँ	1.17	1.35
18	कला, मनोरंजन और मनबहलाव	0.34	0.22
19	अन्य सेवा गतिविधियाँ	1.47	1.67
20	नियोक्ता के रूप में परिवारों की गतिविधियाँ, स्वयं के उपयोग के लिए परिवारों द्वारा उत्पादित अविभाज्य वस्तुएं और सेवाएं से संबंधित गतिविधियां	0.70	1.31

5 Annual Report PLFS 2023-24
https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AnnualReport_PLFS2023-24L2.pdf

श्रमिक कल्याण

राजस्थान में श्रम विभाग का लक्ष्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सकारात्मक औद्योगिक परिवेश का निर्माण करना है। यह श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करता है और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही, यह भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) जैसे कल्याणकारी निकायों के व्यापक उद्देश्यों का समर्थन करता है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत स्थापित इस बोर्ड का मुख्य कार्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना है, जिनमें स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ तथा कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बोर्ड का गठन वर्ष 2009 में किया गया था और तब से इसके द्वारा 36.95 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 20.09 लाख से अधिक श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को लाभ प्रदान किया गया है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान बोर्ड द्वारा 1.29 लाख श्रमिकों का लाभार्थी के रूप में पंजीकरण किया गया, 2.88 लाख लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किये गये तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर कुल ₹303.83 करोड़ का व्यय किया गया है।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान गतिविधियों की स्थितिः

- 4,338 सदस्यों के साथ 38 नई ट्रेड यूनियनें पंजीकृत की गई।
- श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों में 1,178 मामलों का समाधान किया गया।
- 1,085 औद्योगिक शिकायतों में से 766 का समाधान और 128 औद्योगिक विवादों में से 94 विवादों का निपटारा किया गया।

श्रमिक कल्याण योजनाएँ

राज्य में बी.ओ.सी.डब्ल्यू. द्वारा कौशल विकास एवं शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता के तीन प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चित्र 5.9 में दर्शाई गई हैं।

चित्र 5.9 : राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

कौशल विकास एवं शिक्षा	• निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना • निर्माण श्रमिक औज़ार/टूलकिट सहायता योजना • शुभ शक्ति योजना
स्वास्थ्य	• सामान्य मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु/चोट लगने पर सहायता योजना • प्रसूति सहायता योजना • सिलिकोसिस सहायता योजना • निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना
वित्तीय सहायता	• वाणिज्यिक ऋणों पर ब्याज प्रतिपूर्ति की योजना • भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को बढ़ावा देने की योजना • ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजना • वीज़ा व्यय प्रतिपूर्ति योजना • अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए निर्माण श्रमिकों को बढ़ावा देने की योजना • निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

निर्माण श्रमिकों के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का विवरणः–

राजस्थान में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, **निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना** के अन्तर्गत कक्षा 6 से आगे अध्ययनरत बच्चों के लिए ₹8,000 से ₹25,000 तक की छात्रवृत्ति तथा पात्र

मेधावी विद्यार्थियों को ₹4,000 से ₹35,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में इस योजना के अन्तर्गत कुल 2.68 लाख लाभार्थियों के बच्चों को लाभान्वित किया गया तथा योजना के तहत कुल ₹284.72 करोड़ का व्यय किया गया है।

निर्माण श्रमिक औज़ार/टूलकिट सहायता योजना के अन्तर्गत आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए लाभार्थियों को ₹2,000 या उपकरणों की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) इस योजना के अन्तर्गत 13,948 लाभार्थियों को ₹2.78 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

सामान्य मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु/चोट लगने पर सहायता योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹2.00 लाख, आकस्मिक मृत्यु पर ₹5.00 लाख, पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹3.00 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता पीड़ित/परिजनों को प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चोट लगने पर ₹5,000 से ₹20,000 तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल 1,419 लाभार्थियों को ₹13.84 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत प्रसव के समय महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें लड़के के जन्म पर ₹20,000 तथा लड़की के जन्म पर ₹21,000 की सहायता तीन किश्तों में दी जाती है– प्रसव के समय ₹5,000, एक वर्ष बाद टीकाकरण प्रमाणपत्र पर ₹5,000 तथा पाँच वर्ष की आयु में विद्यालय प्रवेश के समय बालकों हेतु ₹10,000 और बालिकाओं हेतु ₹11,000 देय है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल 4,188 लाभार्थियों को ₹2.11 करोड़ सहायता प्रदान की गई है।

राज्य में श्रमिक परिवारों की पुत्रियों के सशक्तीकरण हेतु **शुभ शक्ति योजना** के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की अविवाहित वयस्क पुत्रियों को ₹55,000 की वित्तीय सहायता उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्वरोजगार अथवा विवाह सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु प्रदान की जाती है।

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अन्तर्गत, लाभार्थियों को हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी), अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या अन्य किसी केन्द्र या राज्य सरकार की आवास योजनाओं के तहत अपना घर खरीदने या निर्माण करने हेतु ₹1.5 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।

सिलिकोसिस सहायता योजना के अंतर्गत सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्तियों को ₹3.00 लाख तथा मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को ₹2.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) कुल 494 लाभार्थियों को ₹14.82 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बोर्ड लाभार्थियों के योगदान पर 50 से 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान इस योजना के तहत कुल 88 लाभार्थियों को ₹6,596 राशि की सहायता प्रदान की गई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर, तक) कुल 52 लाभार्थियों को इस पहल के तहत ₹26.50 लाख की सहायता प्रदान की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहन करने की योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता देकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना, सामाजिक–आर्थिक बाधाओं को दूर करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता में भाग लेने पर ₹2 लाख, कांस्य पदक जीतने पर ₹5 लाख, रजत पदक जीतने पर ₹8 लाख तथा स्वर्ण पदक जीतने पर ₹11 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में नेपाल में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में एक लाभार्थी के पुत्र द्वारा शॉट–पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर इस पहल के अन्तर्गत ₹11 लाख की सहायता प्रदान की गई।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को विभिन्न पहलों के माध्यम से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है, इसमें ₹5 लाख तक के पेशेवर ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति, आई.आई.टी./आई.आई.एम. में एडमिशन प्राप्त करने वाले बच्चों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति तथा विदेश में रोजगार हेतु श्रमिकों द्वारा वहन किए गए ₹5,000 तक के वीजा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। ये पहलें शिक्षा, स्वरोजगार तथा आजीविका के बेहतर अवसरों को बढ़ावा देती हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने **ई–श्रम** पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, जिसे आधार से जोड़ा जाएगा। यह पोर्टल 26 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया, यह प्रवासी और गिग श्रमिकों सहित विभिन्न श्रमिक श्रेणियों के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए नाम, व्यवसाय, पता और कौशल जैसे आवश्यक विवरण एकत्र करता है। 16–59 वर्ष की आयु के पात्र श्रमिक जो आयकर दाता या ई.पी.एफ.ओ./ई.एस.आई.सी. के सदस्य नहीं हैं, वे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल न केवल सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की पहुँच में सुधार करता है बल्कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान एक महत्वपूर्ण संसाधन भी प्रदान करता है। राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक इस पोर्टल पर 1.52 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत किए गए हैं।

रोजगार सृजन

राजस्थान युवाओं के लिए रोजगार सृजन में अग्रणी बनकर उभरा है। रोजगार क्षमता में सुधार के साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। रोजगार कार्यालयों का लक्ष्य नौकरी चाहने वालों को नौकरी के उपयुक्त अवसरों और नियोक्ताओं को कार्यबल से जोड़कर उनकी सहायता करना है। बेरोजगार युवा इन कार्यालयों में पंजीकरण करवा सकते हैं, जहां उनके आवेदनों का नियोक्ता की मांगों से मिलान किया जाता है।

पारंपरिक रोजगार एक्सचेंजों को आई.टी.–सक्षम मॉडल कैरियर सेंटर (एम.सी.सी.) में बदलने के उद्देश्य से, निम्नलिखित जिलों में कुल 16 एम.सी.सी. स्थापित किए गए हैं– बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, दौसा, झालावाड़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जालौर, बारां, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर। इसके अतिरिक्त, बेरोजगार युवाओं को समर्थन देने के लिए जिला मुख्यालयों पर ''त्रैमासिक रोजगार सहायता शिविर'' आयोजित किये जाते है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान 167 ऐसे आयोजन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों के लिए 49,497 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। वर्तमान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 25 दिसम्बर 2025 को जयपुर में एक रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 150 से अधिक नियोक्ताओं ने भाग लिया और 3,292 बेरोजगार उम्मीदवारों का निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु चयन किया गया।

इसके अतिरिक्त, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को रिक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण अवसरों, छात्रवृत्तियों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रोजगार निदेशालय द्वारा "राजस्थान रोजगार संदेश" नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।

वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कुल 1,33,430 व्यक्तियों पंजीयन किया गया, जिनमें 69,956 महिलाएँ; 23,457 अनुसूचित जाति; 15,198 अनुसूचित जनजाति तथा 71,718 अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति शामिल हैं।

राज्य में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री युवा संबल योजना** के अंतर्गत आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन माह का कौशल प्रशिक्षण तथा इसके पश्चात विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिदिन चार घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य किया गया है। इस योजना के तहत पुरुषों को ₹4,000 प्रति माह तथा महिलाओं/ट्रांसजेंडर व्यक्तियों/दिव्यांगजनों को ₹4,500 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम दो वर्ष तक अथवा लाभार्थी के रोजगार प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) देय है।

1 फरवरी 2019 से वर्ष 2025–26 (दिसम्बर) तक इस योजना के अंतर्गत कुल 8,54,504 लाभार्थियों को ₹3,644.33 करोड़ की बेरोजगारी भत्ता राशि वितरित की गई है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹850.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से ₹477.60 करोड़ बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किए गए हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सहायता के लिए 33 जिला पुस्तकालयों में **सावित्री बाई फुले अध्ययन केन्द्र** स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र में छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन और परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए एक सलाहकार होगा। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में ₹93.06 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹46.53 लाख व्यय किए गए हैं।

राजस्थान रोजगार नीति 2026

राजस्थान रोजगार नीति 2026 राज्य की रोजगार सम्बन्धी समस्या के समाधान करने हेतु तैयार की गई एक समग्र रूपरेखा है। यद्यपि राज्य की श्रम बल भागीदारी दर 64.4 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तथापि 4.2 प्रतिशत की बेरोजगारी दर राज्य की चिंता का विषय बनी हुई है। यह नीति राज्य के जनसांख्यिकीय लाभ और क्षेत्रीय क्षमताओं का प्रभावी उपयोग कर इस चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास करती है।

विज़न : राज्य के प्रत्येक युवा को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना तथा राजस्थान को समावेशी एवं सतत् रोजगार का अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना, जिससे राज्य वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हो सके।

मिशन : स्वरोजगार, मजदूरी/वेतन आधारित रोजगार तथा उद्यमशीलता पर केन्द्रित बहु–आयामी रणनीति के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन सुनिश्चित करना।

चित्र 5.10 : रणनीतिक स्तम्भ

प्राथमिक क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरूत्थान

- राजीविका के माध्यम से महिला–नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करना तथा लखपति दीदी योजना का विस्तार करते हुए वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि–उद्यमिता, खाद्य प्रसंस्करण, वन–आधारित आजीविका एवं इको–टूरिज़्म को प्रोत्साहित करना।
- आय सुरक्षा एवं स्थाई परिसंपत्ति निर्माण के उद्देश्य से नरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या को 125 दिनों तक बढ़ाना।

द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण एवं हरित रोजगार) को गति प्रदान करना

- एम.एस.एम.ई. नीति 2024 एवं आर.आई.पी.एस. 2024 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को संबल प्रदान करना।
- ई.पी.एफ./ई.एस.आई. प्रतिपूर्ति तथा रोजगार–आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना।
- टेक्सटाइल क्षेत्र (पी.एम.–मित्र), हस्तशिल्प क्षेत्र (ओ.डी.ओ.पी.), नवीकरणीय ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता देना तथा कुशल श्रमिकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों को सुगम बनाना।

तृतीयक (सेवाओं) क्षेत्र का विस्तार

- पर्यटन एवं आतिथ्य, आई.टी./आई.टी.ई.एस., स्टार्ट–अप्स, शहरी सूक्ष्म उद्यमों तथा गिग इकोनॉमी को सुदृढ़ एवं प्रोत्साहित करना।
- होम–स्टे, को–वर्किंग स्पेसेज तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना।

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को सुदृढ़

- सरकारी नौकरियों में पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- फिक्सड–टर्म कॉन्ट्रेक्ट पर पेशेवरों की नियुक्ति करना एवं फ्रंटलाइन कर्मियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे फ्रंटलाइन कर्मियों के माध्यम से समुदाय–आधारित सेवा वितरण को सुदृढ़ करना।

निष्पादन और निगरानी के लिए प्रमुख सक्षमकर्ता

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ डिजिटल एवं प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया है।

- **राजस्थान रोजगार पोर्टल (ई.ई.एम.एस. 2.0) :** यह एक ए.आई.–सक्षम, एकीकृत रोजगार मंच है, जो रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से जोड़ता है। इसमें विभिन्न विभागों एवं प्रशिक्षण संस्थानों का डेटा एकीकृत किया गया है तथा ई–जॉब फेयर और अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
- **क्षेत्रीय फोकस :** समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) क्षेत्रों एवं आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **डेटा–आधारित शासन :** जिलों में प्लेसमेंट, वेतन वृद्धि और समावेशन की निगरानी के लिए रोजगार परिणाम सूचकांक (ई.ओ.आई.) विकसित किया गया है, जिसकी देखरेख कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के नेतृत्व में गठित एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जाती है।

यह नीति विकास, प्रोत्साहन और डिजिटल शासन को एकीकृत कर एक कुशल एवं सशक्त कार्यबल का निर्माण करती है। यह "नियोजित युवा, समृद्ध राजस्थान" के विजन को साकार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

सामाजिक सुरक्षा

संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.)** द्वारा वर्तमान में तीन योजनाएं चलाई जा रही हैं, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ई.पी.एफ.), कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ई.पी.एस.) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 (ई.डी.एल.आई.)। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ई.पी.एफ.ओ. ने राजस्थान जोन के अंतर्गत 1.30 लाख प्रतिष्ठानों, 22.26 लाख खातों और 1.75 लाख पेंशनभोगियों को सम्मिलित किया। हाल ही में, ई.पी.एफ.ओ. ने एक समावेशी और एकजुट आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में ई.पी.एफ.ओ. की पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से निधि आपके निकट 2.0 (एन.ए.एन. 2.0) लॉन्च किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ई.पी.एफ.), 1952 एक सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य एक अनिवार्य बचत योजना के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत इस फण्ड में योगदान करते हैं। इस योजना के अंतर्गत सदस्य आवास, शिक्षा तथा चिकित्सीय आपात स्थितियों जैसी विशेष आवश्यकताओं के लिए राशि की निकासी कर सकते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के दौरान कर्मचारियों को एक सुरक्षित वित्तीय आधार प्राप्त होता है।

राजस्थान में कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस.), 1995 कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा ढ़ाचा प्रदान करती है, जो उनके वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर पेंशन लाभ प्रदान करती है।

कर्मचारी जमा–सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.) 1976, कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवा के दौरान कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर उनके परिवारों को वित्तीय सहायता मिले। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम सुनिश्चित लाभ ₹2.5 लाख तथा अधिकतम ₹7 लाख तक प्रदान किया जाता है, जो कर्मचारी की सेवा अवधि एवं वेतन पर निर्भर करता है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करती है, जिनके पास व्यापक बीमा योजनाओं की उपलब्धता नहीं होती।

तालिका 5.13 : ई.पी.एफ.ओ. द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का योगदान (प्रतिशत)

अंशदान दाता	अंशदान खाते			प्रशासनिक शुल्क	कुल देय अंशदान
	ई.पी.एफ.	ई.पी.एस.	ई.डी.एल.आई.	ई.पी.एफ.	
कर्मचारी	12	-	-	-	12
नियोक्ता	3.67	8.33	0.50	0.50	13

तालिका 5.14 : आवृत्त संस्थानों एवं खातों की वर्षवार संख्या

वित्तीय वर्ष	आवृत्त संस्थानों की संख्या	खातों की संख्या
2022-23	11298	175878
2023-24	12701	124781
2024-25	14836	104267
2025-26 (दिसम्बर, तक)	15151	36048

तालिका 5.15 : निष्पादित दावों की वर्षवार संख्या

वित्तीय वर्ष	निष्पादित दावों की संख्या	वितरित राशि (₹ करोड)
2022-23	1042036	3195.78
2023-24	1155024	3639.63
2024-25	1616740	4506.62
2025-26 (दिसम्बर, तक)	1755318	4476.33

वर्ष 2025–26 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) द्वारा 02 नई पहल / योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं :

1. **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पी.एम.वी.बी.आर.वाई.)** : यह योजना 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी है। पी.एम.वी.बी.आर.वाई. एक रोजगार–संबद्ध प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि तथा कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। ₹99,446 करोड़ के परिव्यय वाली इस योजना के अंतर्गत देश में दो वर्षों में 3.50 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के मध्य सृजित रोजगारों पर लागू होंगे। यह योजना दो भागों में विभाजित है, जिसमें प्रथम भाग पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों पर तथा द्वितीय भाग नियोक्ताओं पर केन्द्रित है–
   - **भाग अ (प्रथम बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी)** : पहली बार ई.पी.एफ.ओ. के सदस्य बनने वाले कर्मचारी जिनका वेतन ₹1 लाख प्रतिमाह तक है, को एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन एक माह के ई.पी.एफ. वेतन के बराबर (₹15,000 तक) होगा। यह राशि 6 माह एवं 12 माह की सेवा पूर्ण करने के बाद दो किश्तों में प्रदान की जाएगी, बशर्ते कर्मचारी द्वारा एक बुनियादी वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूर्ण किया गया हो।
   - **भाग ब (नियोक्ता)** : ई.पी.एफ.ओ. से पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर प्रति माह अधिकतम ₹3,000 तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह लाभ अधिकतम 4 वर्षों तक देय होगा। दिसम्बर 2025 तक, राजस्थान में 18,263 प्रतिष्ठान पी.एम.वी.बी.आर.वाई के अंतर्गत पंजीकृत किये गये हैं।
2. **कर्मचारी नामांकन अभियान 2025** : यह अभियान 1 नवम्बर, 2025 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत नियोक्ताओं को उन पात्र कर्मचारियों का नामांकन करने की सुविधा दी गई है, जो 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच ई.पी.एफ.ओ. कवरेज से वंचित रह गए थे। ऐसे मामलों में, यदि पूर्व में कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं की गई है, तो कर्मचारी अंशदान को माफ कर दिया जाएगा तथा प्रति प्रतिष्ठान केवल ₹100 का नाममात्र क्षति शुल्क देय होगा। यह अभियान पूर्व की त्रुटियों के नियमितीकरण में सहायक है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुनिश्चित करता है।

कार्मिक विभाग (डी.ओ.पी.)

राजस्थान में कार्मिक विभाग राज्य सरकार के तहत मानव संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) सहित विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया की निगरानी करता है। वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) 23,599 पदों पर नियुक्तियाँ प्रदान की गयी हैं एवं 1,53,800 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

तालिका 5.16 : राजस्थान में डी.ओ.पी. द्वारा प्रदान की गई नियुक्तियों का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	नियुक्तियाँ
1	2021-22	15324
2	2022-23	51764
3	2023-24	44337
4	2024-25	64931
5	2025-26 (दिसम्बर तक)	23599

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान 42.03 लाख परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराते हुए 1,554.85 लाख मानव–दिवस का रोजगार सृजित किया गया। योजना के अन्तर्गत 46,684 परिवारों ने 100 दिनों का रोजगार पूर्ण किया।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

यह योजना शहरी परिवारों के 18–60 वर्ष आयु वर्ग के अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में 111.24 लाख मानव–दिवस का रोजगार सृजित किया गया।

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जी.सी.सी.) नीति 2025

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 को 27 नवम्बर 2025 को अधिसूचित किया गया है। तीव्र वैश्वीकरण, डिजिटल परिवर्तन तथा ज्ञान–आधारित सेवाओं के बढ़ते महत्व के संदर्भ में, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जी.सी.सी.) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दक्षता, नवाचार और मूल्य सृजन के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभरे हैं। ये सेंटर्स केन्द्रीकृत हब के रूप में कार्य करते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, एनालिटिक्स, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और डिजिटल नवाचार जैसी उच्च–मूल्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।

यह नीति उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के सृजन, कौशल विकास में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन तथा निर्यात वृद्धि सहित महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभ उत्पन्न करने की अपेक्षा रखती है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक सेवा मूल्य श्रृंखला से जोड़ना तथा राजस्थान को एक प्रतिस्पर्धी, भविष्य के लिए तैयार और सतत् जी.सी.सी. गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

Connect · Collaborate · Contribute

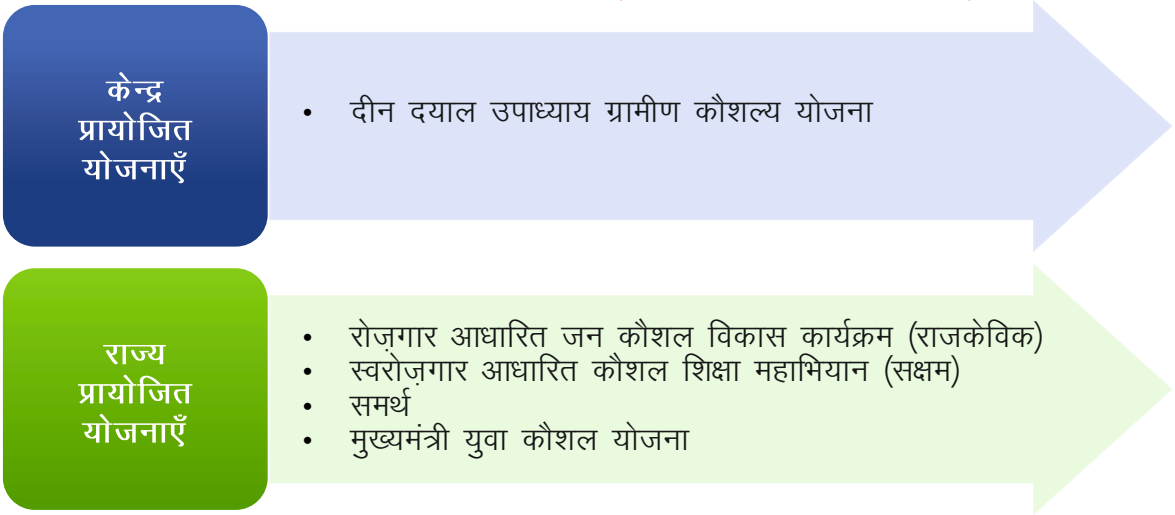
राजस्थान कौशल नीति 2025

राजस्थान कौशल नीति 2025 जिसे 16 अप्रैल 2025 को जारी की गई थी, इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं की रोजगार–क्षमता तथा आय में वृद्धि करना है। यह नीति विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में पुनः–कौशल (री–स्किलिंग) और उन्नयन कौशल (अप–स्किलिंग) पर जोर देती है। नीति के प्रमुख प्रावधानों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) का आधुनिकीकरण एवं विस्तार, मॉडल करियर केन्द्रों की स्थापना, पूर्व शिक्षण को मान्यता (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग), भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती (रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय) कार्यक्रम, राजस्थान राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (आर.सी.वी.ई.टी.) को सुदृढ़ करना, फिनिशिंग स्कूल, उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) तथा अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम शामिल हैं। यह नीति लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले वर्गों को संबल देने पर भी जोर देती है, जिसका लक्ष्य राज्य के युवाओं, महिलाओं और वंचित समुदायों तक पहुँच बनाना है।

आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास

राजस्थान में गरीब और कमजोर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान आजीविका मिशन (आर.एम.ओ.एल.) की स्थापना भारत की पहली राज्य–स्तरीय पहल के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य वंचित आबादी के बीच आजीविका बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीति विकसित करना था। इसे मई 2012 में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) में परिवर्तित किया गया। आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा कई प्रशिक्षण भागीदारों के साथ सहयोग करके पूरे राज्य में कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। वर्तमान में, 431 से अधिक भागीदार एजेंसियां कार्यरत हैं, और वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) तक विभिन्न क्षेत्रों में 9 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

चित्र 5.11 : राजस्थान में केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ



केन्द्र प्रायोजित योजना

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट आधारित योजना है। इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवाओं (महिलाओं एवं विशेष वर्गों के लिए 45 वर्ष तक) को रोजगार से जुड़े कौशल प्रदान करना है, ताकि वे न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियाँ प्राप्त कर सकें। यह योजना वंचित वर्गों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करती है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 34 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 9 प्रतिशत तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है।

1 अप्रैल 2025 से प्रभावी डी.डी.यू.–जी.के.वाई. 2.0 के दिशा–निर्देशों में मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से बेहतर क्रियान्वयन, ई.आर.पी. आधारित रियल–टाइम निगरानी का अनिवार्य उपयोग, प्रशिक्षण केंद्रों एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की ग्रेडिंग एवं रेटिंग के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करना, अद्यतन परियोजना शासन व्यवस्था तथा लाइफ–मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य पहलों के साथ एकीकरण पर विशेष बल दिया गया है।

वर्ष 2025–26 के लिए डी.डी.यू.–जी.के.वाई. 2.0 के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य 7,957 युवाओं का निर्धारित किया गया, जिसके लिए ₹83.63 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल 6,463 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राज्य प्रायोजित योजनाएँ

आर.एस.एल.डी.सी. ने विभिन्न श्रेणियों के युवाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी राज्य–प्रायोजित वर्तमान योजनाओं का पुनर्गठन किया है। रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.) को अब रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकेविक) के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.एस.टी.पी.) को दो पहल में विभाजित किया गया है सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान) और समर्थ, जो विभिन्न सामाजिक वर्गों को लक्षित करता है। ये तीनों योजनाएं एकीकृत रूप से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (एम.एम.के.वी.वाई.) तहत संचालित की जा रही हैं।

- **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकेविक)** : इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत स्पेशल एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया और रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह व्यवस्था उद्योगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, क्योंकि उद्योग ही कौशल आवश्यकताओं की पहचान करने और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल 16,150 व्यक्तियो को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :
  - **अल्पकालिक प्रशिक्षण** : 3 से 6 माह की अवधि का प्रशिक्षण, जिसमें प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात 70 प्रतिशत वेतन आधारित रोजगार का प्रावधान है।
  - **पुनः–कौशल (रीस्किलिंग)/उन्नयन कौशल (अप–स्किलिंग)** : विद्यालय शिक्षा को बीच में छोड़ चुके युवाओं के लिए लक्षित पाठ्यक्रम, जिसका उद्देश्य रोजगार–क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करना है।
- **स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान (सक्षम)** युवाओं और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल 6,282 व्यक्तियो को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **समर्थ योजना** का लक्ष्य सबसे गरीब और समाज के अन्य वंचित समुदायों, जिसमें भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति, अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग, दलित, आदिवासी और कैदी शामिल हैं, को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार या स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर तक कुल 6,039 व्यक्तियो को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.वाई.के.वाई.)** को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) एवं महाविद्यालय शिक्षा विभाग ने मिलकर 7 नवम्बर 2019 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को जोड़ना है। यह योजना द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्नातक विद्यार्थियों तथा स्नातकोत्तर छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स एवं डोमेन–स्पेसिफिक कौशल का संयोजन प्रदान कर उनकी रोजगार–क्षमता में वृद्धि करने पर

केंद्रित है। वर्ष 2025–26 के लिए राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय परिसरों में 5,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ₹1.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत सॉफ्ट/लाइफ स्किल्स एवं आईटी स्किल्स से संबंधित कुल 22 जॉब रोल चिन्हित किए गए हैं, जिनकी अधिकतम प्रशिक्षण अवधि 210 घंटे निर्धारित की गई है।

- **मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना (एम.एन.एस.के.एस.वाई.)** एक कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के कौशल और रोजगार–क्षमता में सुधार कर राज्य में उनके आर्थिक अवसरों को सुदृढ़ करना है। यह योजना महिला अधिकारिता निदेशालय और आर.एस.एल.डी.सी. के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस योजना को पूर्व में आई–एम शक्ति के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान कुल 2,955 महिलाओं और बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा जयपुर सेंट्रल जेल, भीलवाड़ा जेल और बाल सुधार गृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। आर.एस.टी.पी. योजना अन्तर्गत पैनल में शामिल ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से 5,013 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिनमें होटल एवं रेस्टोरेंट में हाउसकीपिंग और कस्टमर रिलेशन, आई.टी./बी.पी.ओ. सेक्टर, सिलाई, श्रवण बाधितों के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग, कुर्सियों की कैनिंग और ब्राइडल ज्वेलरी निर्माण शामिल हैं।

विभिन्न विभागों के साथ आर.एस.एल.डी.सी. के अभिसरण प्रयास

राज्य में रोजगार क्षमता में सुधार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राजस्थान सरकार विभिन्न विभागों की सभी संबंधित योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कौशल विकास को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास घटकों के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में आर.एस.एल.डी.सी. निम्नलिखित विभागों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है:

1. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम
2. जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग
3. अल्पसंख्यक विभाग

'कौशल राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने के लिए लागू की जा रही अभिनव रणनीतियों को चित्र 5.12 प्रदर्शित किया गया हैं।

चित्र 5.12 : 'कौशल राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने के लिए अभिनव रणनीतियाँ



सी.एस.आर. साझेदारी के अन्तर्गत, आर.एस.एल.डी.सी. में राजस्थान कौशल विकास कोष हेतु धन राशि एकत्रित करने के लिए एक समर्पित सी.एस.आर. प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस कोष का उपयोग विभिन्न कौशल प्रशिक्षण पहलों के क्रियान्वयन में किया जा रहा है।

राज्य में बाजारोन्मुखी रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (आर.टी.डी.) मॉडल अपनाया गया है, जिसमें आर.एस.एल.डी.सी. उद्योग संघों के साथ मिलकर कार्य करता है। इस मॉडल के अन्तर्गत नियोक्ता उम्मीदवारों का अस्थाई रूप से चयन करते हैं, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उनकी नियुक्ति को सुनिश्चित करते हैं।

व्यापक मूल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए 36 सेक्टर कौशल परिषदों के सहयोग से तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान 3.35 लाख से अधिक युवाओं को एन.सी.वी.टी./एस.एस.सी. द्वारा प्रमाणित किया गया है।

विदेशों में रोजगार के अवसरों तथा सुरक्षित प्रवासन के संबंध में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अंतर्गत ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो तथा राजस्थान ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर सेल की स्थापना की गई।

विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्री–डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग (पी.डी.ओ.टी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत आर.एस.एल.डी.सी. पांच जिलों यथा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू एवं नागौर में प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है, वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान 6,768 अभ्यर्थियों को विदेशी रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त जेल बंदियों, बाल अपचारियों एवं दिव्यांगजनों (पी.डब्ल्यू.डी.) हेतु हाउसकीपिंग और आई.टी./बी.पी.ओ. कौशल जैसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

राज्य में कौशल परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी करने हेतु जिला स्तरीय कौशल समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करते हैं और वे जिला स्तर पर संचालित कौशल विकास गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं।

राजस्थान युवा नीति 2026

राजस्थान युवा नीति 2026 को 12 जनवरी 2026 को जारी की गई। यह नीति 15–29 वर्ष आयु वर्ग के 2.25 से 2.30 करोड़ युवाओं की क्षमता को सशक्त रूप से विकसित करने हेतु एक समग्र रोडमैप प्रदान करती है, जो राज्य में 27.2 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नीति युवाओं को नेता (लीडर), नवप्रवर्तक (इनोवेटर) और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने की परिकल्पना करती है, ताकि वे आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सतत राष्ट्र–निर्माण में योगदान दे सकें।

यह नीति कवरेज–आधारित एवं परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण को अपनाती है, जिसके अंतर्गत कम–से–कम एक योजना/हस्तक्षेप के माध्यम से 90 प्रतिशत युवाओं तक पहुँच तथा बहु–स्तरीय सहयोग (मल्टी–टच सपोर्ट) के माध्यम से 75 प्रतिशत युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी निगरानी जिला योजनाओं एवं वार्षिक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- नेतृत्व एवं स्वयंसेविता
- डिजिटल सशक्तिकरण एवं प्रौद्योगिकी
- शिक्षा एवं कौशल विकास
- रोजगार एवं उद्यमिता
- खेल, स्वास्थ्य एवं कल्याण
- संस्कृति, विरासत एवं कला
- समावेशन एवं सामाजिक समानता

यह नीति युवाओं को राजस्थान की विकास रणनीति के केंद्र में रखती है तथा एक समावेशी, कुशल, स्वस्थ और सशक्त युवा पीढ़ी का निर्माण करती है, जो राज्य के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है।

युवा मामलात एवं खेल

राज्य में खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा युवाओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यापक एवं दूरदर्शी रणनीति लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने तथा युवाओ के सशक्तिकरण हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी एवं उपलब्धियाँ



राजस्थान में 24 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2025 तक सभी संभागीय मुख्यालयों में **खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स–2025** का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें 24 खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। राजस्थान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए बिहार में आयोजित **खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025** में कुल 60 पदक (24 स्वर्ण, 12 रजत एवं 24 कांस्य) अर्जित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया और उत्तराखंड में आयोजित 38वें **राष्ट्रीय खेलों** में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 43 पदक (9 स्वर्ण, 11 रजत एवं 23 कांस्य) जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया।

खिलाड़ी कल्याण एवं डिजिटल पहलें



खिलाड़ियों को सुरक्षा कवरेज प्रदान करने हेतु **खेल जीवन बीमा योजना** प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹25 लाख तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुल 40 खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं सुगम पहुँच के लिए खेल प्रमाण–पत्रों हेतु डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है।

प्रमुख खेल योजनाएँ एवं अवसंरचना विकास



जिला स्तर पर खेलों में विशेषज्ञता को सुदृढ़ करने हेतु **एक जिला–एक खेल योजना** प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक प्रमुख खेल का चयन किया गया है। **खेलो राजस्थान युवा खेल** प्रस्तावित हैं, जो **खेलो इंडिया** के अनुरूप होंगे तथा पारंपरिक एवं स्वदेशी खेलों को सम्मिलित करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए लगभग ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिशन ओलंपिक्स–2028 के अंतर्गत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, खेल किट एवं कोचिंग सहायता प्रदान की जायेगी। 150 एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए जयपुर में ₹20 करोड़ की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित किया जा रहा है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से ओपन जिम एवं खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली 163 ग्राम पंचायतों तथा दूसरे चरण में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली 3,138 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जिस पर कुल ₹35 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

आवासीय अकादमियाँ एवं कोचिंग सहयोग



वर्तमान में राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा 25 आवासीय खेल अकादमियाँ/आवासीय खेल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष 821 खिलाड़ियों को खेल उपकरण, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएँ तथा आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान इस पर ₹7.60 करोड़ का व्यय किया गया है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हेतु अल्पकालिक खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिन्हें ₹13,500 से ₹25,000 प्रति माह तक मानदेय प्रदान किया जाता है। खिलाडियों को उच्च तकनीकी आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर तथा पैरा–एथलीटों हेतु जयपुर एवं जोधपुर स्थित खेल अकादमियों एवं पुनर्वास केन्द्रों में उन्नत प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण एवं अभ्यास सुविधाएँ विकसित की गई हैं। इन सुविधाओं का वार्षिक संचालन व्यय ₹1.80 करोड़ है।

युवा विकास पहलें



वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्रों की स्थापना की गई है। एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम के तहत 100 युवाओं को विविध कलाओं एवं संस्कृतियों के अनुभव हेतु विभिन्न राज्यों का भ्रमण करवाया गया। लोक कला और संस्कृति को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने हेतु राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। 13 युवाओं को राजस्थान युथ आईकन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इन पहलों से जमीनी स्तर पर सहभागिता, रोजगार क्षमता, नेतृत्व क्षमता, अन्तर–विभागीय समन्वय और डिजिटल गवर्नेंस में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

06 पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास

पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अहम भूमिका है। राजस्थान अपने समृद्ध इतिहास, विविध परंपराओं, भव्य किलों और महलों तथा विविध प्राकृतिक दृश्यों के कारण भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटन अनेक लोगों को आजीविका व रोजगार प्रदान करता है तथा होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय सेवाओं जैसे संबंधित क्षेत्रों को सहयोग देता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक होने के साथ–साथ स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाता है और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी सहयोग प्रदान करता है।

पर्यटन को आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम मानते हुए, राज्य ने नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और संस्थागत मजबुती के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की वृद्धि के तेज करने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। राजस्थान पर्यटन नीति, 2025 एक सुधारात्मक, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह नीति "विकसित राजस्थान @2047" के दीर्घकालिक परिकल्पना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य राजस्थान को सांस्कृतिक, ग्रामीण, इको–टूरिज़्म और आध्यात्मिक अनुभवों का एक वैश्विक केंद्र बनाना है, जिसे नवाचार, डिजिटल एकीकरण और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं के माध्यम से समर्थित किया जाएगा। राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025 का उद्देश्य पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी (उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत तक), सरलीकृत एकल–खिड़की अनुमतियाँ और पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान करके राज्य को एक शीर्ष फिल्म निर्माण केंद्र बनाना है। यह नीति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की फिल्म निर्माण इकाइयों को राजस्थान में शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करती है और राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति, विविध लोकेशन और प्राकृतिक परिदृश्यों को प्रदर्शित करती है।

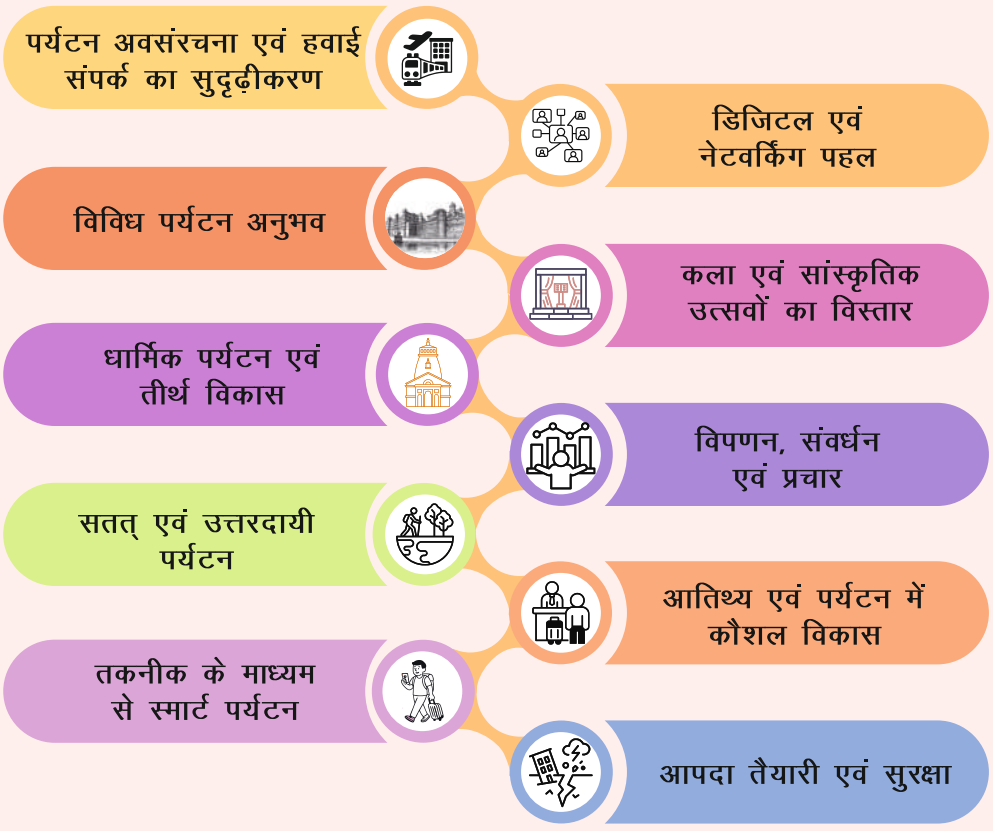
राजस्थान में पर्यटन विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करता है। विरासत पर्यटन किलों, महलों, हवेलियों पर आधारित है, जबकि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ आकर्षण का केन्द्र है। इसके अलावा वन्यजीव एवं इको–टूरिज़्म, फिल्म पर्यटन, वेलनेस पर्यटन और साहिसिक पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैठकें, इंसेंटिव्स, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, एमआईसीई भी पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। यह विविधता वर्ष भर राज्य में विभिन्न प्रकार के आगंतुकों को आकर्षित करने में मदद करती है, मौसमी उतार–चढ़ाव को कम करती है और समग्र पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाती है।

विज़न स्टेटमेंट–विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक, राजस्थान एक ग्रामीण, वैश्विक एवं ईको–टूरिज्म और सांस्कृतिक केन्द्र होगा जो सतत् नीतियों, नवाचार और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से अद्वितीय विरासत, आध्यात्मिकता और कलात्मक अनुभव प्रदान करेगा।

राज्य अपने प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, आजीविका में सुधार करेगा और भावी पीढ़ियों के लिए विश्व–स्तरीय पर्यटन व तीर्थ यात्रा के अनुभवों का सृजन करेगा।

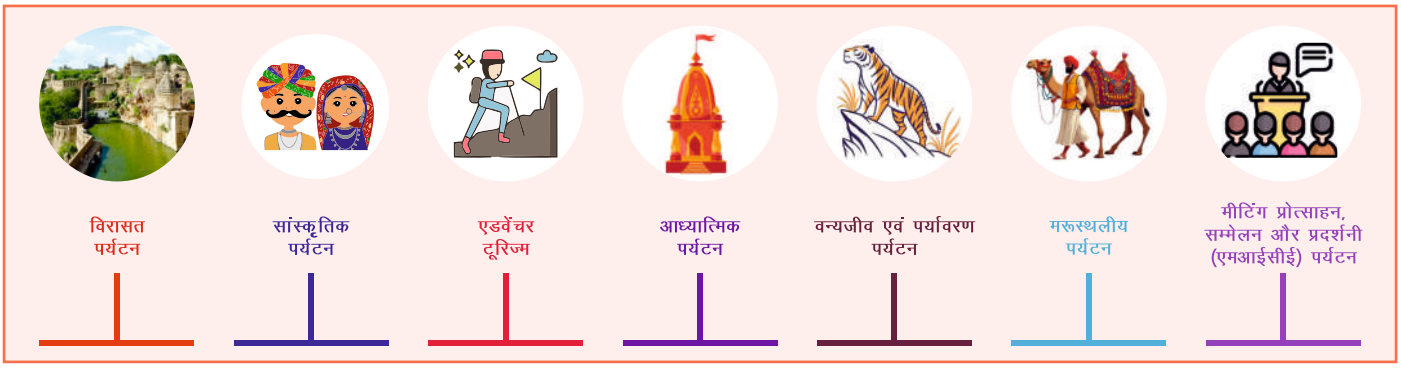
चित्र 6.1 : प्रमुख क्षेत्र



पर्यटन

राजस्थान, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर इसका विशिष्ट स्थान है। राज्य में कई प्रकार के आर्कषण हैं जो घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों को लुभाते हैं। राजस्थान के कुछ विशिष्ट आकर्षणों में लग्जरी ट्रेन (पैलेस–ऑन–व्हील्स), किले, महल और हवेलियाँ, मेले और त्यौहार, हस्तशिल्प, हेरिटेज होटल, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण और पर्यावरण– पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और मंदिर वास्तुकला, शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य आदि सम्मिलित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, रोजगार उत्पन्न करते हैं और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करते हैं। यह स्थानीय समुदायों, उद्योगों के सतत विकास को बढ़ावा देने और चित्र 6.2 में दर्शाए गए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को आकार देने में सहायक है।

चित्र 6.2 : राजस्थान में प्रमुख पर्यटन



विरासत पर्यटनः यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों की यात्राओं पर जोर देता है। राजस्थान ने इन स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं सेवाओं से युक्त प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया है। राजस्थान में 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें चित्तौड़गढ़ किला (चित्तौड़गढ़), कुम्भलगढ़ किला (राजसमंद), रणथम्भौर किला (सवाई

माधोपुर), जैसलमेर किला (जैसलमेर), आमेर किला (जयपुर), गागरोन किला (झालावाड़), जंतर–मंतर (जयपुर), जयपुर की चारदीवारी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) शामिल है जो कि अपना वैश्विक महत्व बनाए हुए हैं और विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी आकर्षण क्षमता को बढ़ाया है इन स्थलों को चित्र 6.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.3 : राजस्थान में 9 यूनेस्को धरोहर स्थल



सांस्कृतिक पर्यटनः राजस्थान का सांस्कृतिक पर्यटन अपने जीवंत मेलों और त्योहारों के लिए जाना जाता है, जो यहाँ की जीवंत संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, रीति–रिवाज और वेशभूषा को दर्शाते हैं और देश–विदेश के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां के मेले और त्यौहार जैसे तीज, पुष्कर ऊंट मेला, जयपुर साहित्य महोत्सव राज्य की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं। घूमर और कालबेलिया जैसे पारंपरिक लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत राजस्थानी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं।

एडवेंचर टूरिज्मः राजस्थान अपने विविध भूभागों में एडवेंचर टूरिज्म गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून की सवारी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और पुष्कर में रेगिस्तानी रोमांच जैसे कैंपिंग, साइकिलिंग और ऊंट सफारी, उदयपुर, घनेराव और कुंभलगढ़ के ट्रेकिंग क्षेत्र पर्यटकों को राज्य के विविध भूभागों का अनुभव करने के लिए आकर्षित करते हैं।

आध्यात्मिक पर्यटनः राजस्थान अपने प्रसिद्ध मंदिरों और आध्यात्मिक स्थलों के लिए प्रतिवर्ष लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। राज्य में नाथद्वारा, खाटू श्याम, सालासर और मेहंदीपुर आदि कई तीर्थ स्थल स्थित हैं।

वन्यजीव और पर्यावरण पर्यटनः राजस्थान में शुष्क रेगिस्तान से लेकर वनों से युक्त भूभागों तक, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। राज्य में तीन राष्ट्रीय उद्यान – रणथंभौर, मुकुंदरा और केवलादेव और 26 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनमें माउंट आबू, भैंसरोरगढ़, जयसमंद, कुम्भलगढ़, जवाहर सागर और सीता माता आदि शामिल हैं। ये स्थल वन्यजीव पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन के लिए भरपूर अवसर प्रदान करते हैं।

मरुस्थल पर्यटनः मरुस्थल पर्यटन राजस्थान के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो देश–विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है। इसके साथ ही, रेगिस्तानी शिविर, ऊंट सफारी और जीप सफारी जैसी पारंपरिक मरुस्थलीय गतिविधियों के अलावा पैरामोटरिंग, एटीवी राइड्स, क्वाड बाइकिंग और स्काईडाइविंग जैसे नए साहसिक विकल्प भी शुरू किए गए हैं। प्रमुख मरुस्थलीय पर्यटन स्थलों में जैसलमेर, पुष्कर, फलोदी, सांभर, नागौर, चूरू, बीकानेर और बाड़मेर के रेतीले टीले शामिल हैं।

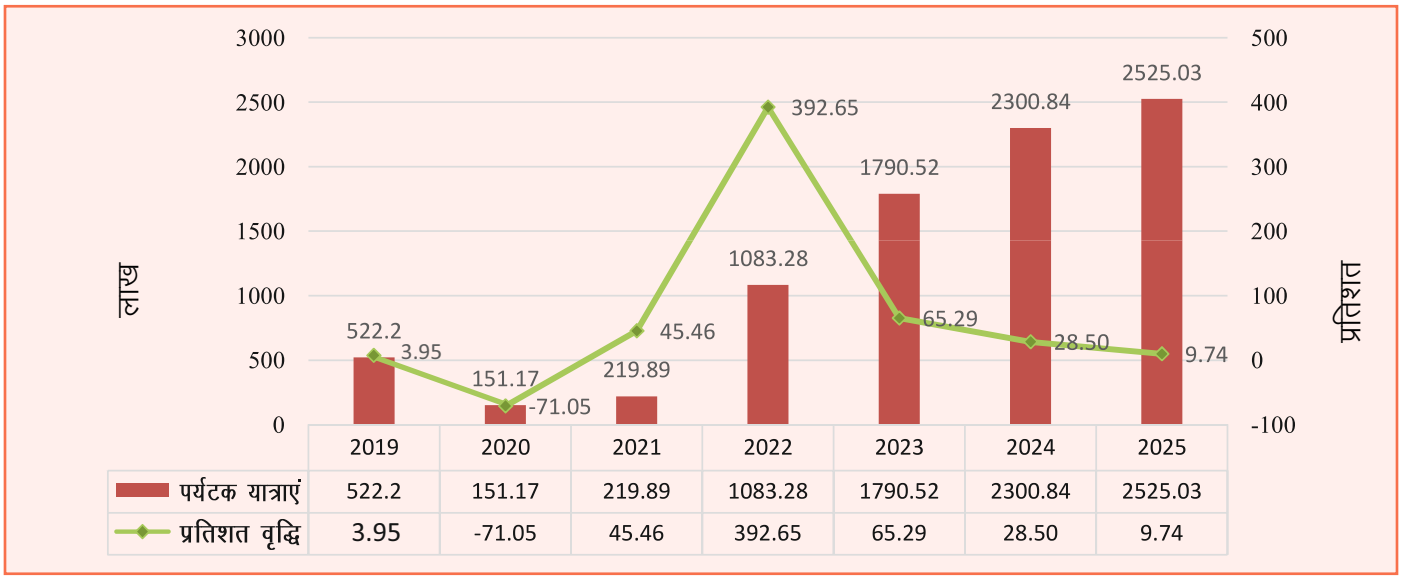
मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) पर्यटनः एमआईसीई सेगमेंट राजस्थान के पर्यटन उद्योग के सबसे गतिशील और तेजी से बढ़ते घटकों में से एक है। स्टोन मार्ट, वस्त्र, अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान मेला, अंतर्राष्ट्रीय रत्न एवं आभूषण प्रदर्शनी (आईजीजेएस), जयपुर ज्वैलरी शो और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो–जोधपुर जैसे आयोजनों ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एमआईसीई आयोजनों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और नीमराना जैसे शहर शादियों, सम्मेलनों, बैठकों और बड़े पैमाने के आयोजनों के प्रमुख केंद्र हैं। इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए, राज्य सक्रिय रूप से उपयुक्त स्थानों की पहचान कर रहा है और कन्वेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास

को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राज्य द्वारा राजस्थान मंडपम, जयपुर में निर्माण करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विद्याधर नगर, जयपुर में भूमि आवंटित कर दी गई है।

राज्य में घरेलू पर्यटक यात्राएं

कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में राजस्थान में घरेलू पर्यटन में 71.05 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, 2022 में इस क्षेत्र ने मजबूत सुधार दिखाया और 392.65 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। 2024 और 2025 के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या क्रमशः 2,300.84 लाख और 2,525.03 लाख तक पहुंच गई। 2019 से 2025 तक राजस्थान में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या चित्र 6.4 में दशाई गई है।

चित्र 6.4 : राजस्थान में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या



धार्मिक पर्यटन स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्राएं: राजस्थान के विभिन्न धार्मिक स्थलों में से, वर्ष 2024 एवं 2025 में खाटू श्याम जी, सीकर शीर्ष धार्मिक पर्यटक स्थल रहा। 2025 में, डीग में स्थित पूंछरी का लौठा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहां घरेलू पर्यटक यात्राओं में 51.61 लाख की बढ़ोतरी हुई। आंकड़े पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के आगमन में हुए महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव को दर्शाते हैं। वर्ष 2024 और 2025 के लिए राजस्थान के धार्मिक स्थलों पर घरेलू पर्यटकों की यात्राओं की संख्या तालिका 6.1 दशाई गई है।

तालिका 6.1 : राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या

क्र.सं.	धार्मिक पर्यटन	घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या (लाख)	
		2024	2025
1.	खाटू श्याम जी, सीकर	236.00	258.00
2.	पूंछरी का लौठा, डीग	95.51	147.12
3.	पुष्कर, अजमेर	124.76	132.46
4.	सांवलियाजी सेठ, चित्तौड़गढ़	106.90	119.40
5.	दरगाह शरीफ, अजमेर	73.91	84.61
6.	रामदेवरा, जैसलमेर	70.94	72.33
7.	कैला देवी मंदिर, करौली	65.89	65.34
8.	सालासर बालाजी, चूरू	49.89	53.61
9.	गोगामेड़ी, हनुमानगढ़	42.16	42.05
10.	शिवाड़, सवाई माधोपुर	47.81	33.63

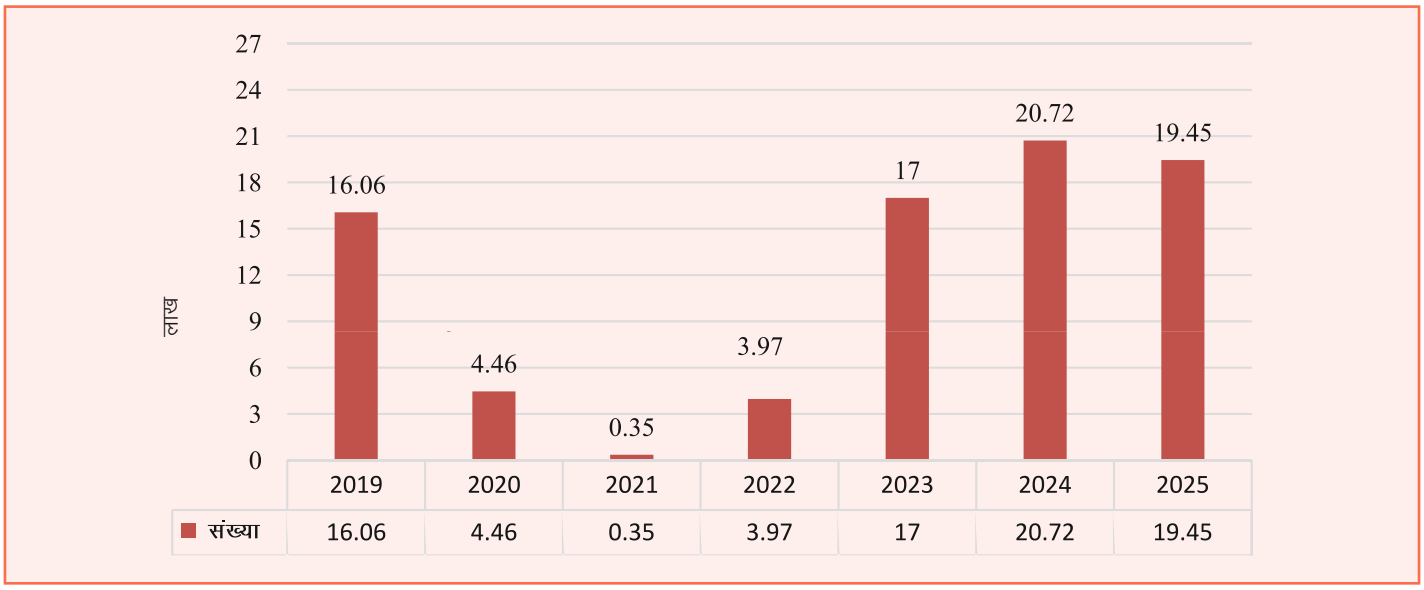
ऐतिहासिक एवं हेरिटेज पर्यटक स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्याः– राजस्थान में जैसलमेर किला वर्ष 2024 और 2025 में प्रमुख ऐतिहासिक एवं विरासत पर्यटन स्थल के रूप में उभरा। वर्ष 2025 में, चित्तौड़गढ़ किला (चित्तौड़गढ़) और हवा–महल (जयपुर) में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 4.54 लाख और 3.57 लाख घरेलू पर्यटकों की यात्राओं में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024 और 2025 में प्रमुख ऐतिहासिक एवं विरासत पर्यटन स्थल पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या को तालिका 6.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.2 : ऐतिहासिक एवं हेरिटेज पर्यटक स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या

क्र.सं.	ऐतिहासिक एवं हेरिटेज पर्यटन	घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या (लाख)	
		2024	2025
1.	जैसलमेर किला, जैसलमेर	44.17	41.92
2.	हवा महल, जयपुर	14.67	18.24
3.	आमेर किला, जयपुर	16.04	18.15
4.	सिटी पैलेस, उदयपुर	12.84	15.23
5.	चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़	8.90	13.44
6.	नहरगढ़ किला, जयपुर	10.21	12.22
7.	जन्तर–मन्तर, जयपुर	9.81	11.63
8.	मेहरानगढ़ किला, जोधपुर	9.75	10.73
9.	उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर	5.74	6.02
10.	अकबर फोर्ट, अजमेर	4.22	4.83

राज्य में विदेशी पर्यटक यात्राएं : राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्राओं में वर्ष 2021 के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई, किन्तु उक्त वृद्धि घरेलू पर्यटक यात्राओं की तुलना में धीमी रही है। वर्ष 2021 से 2024 तक विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई और वर्ष 2025 के दौरान विदेशी पर्यटक यात्राओं में मामूली गिरावट हुई। राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या चित्र 6.5 में दशाई गई है।

चित्र 6.5 : राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या



शीर्ष 5 जिलों में विदेशी पर्यटक यात्राएं:– राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वर्ष 2024 और 2025 में राजस्थान के 5 जिलों में से जयपुर शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान में शीर्ष 5 जिलों में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या तालिका 6.3 में दशाई गई है।

तालिका 6.3 : राजस्थान में शीर्ष 5 जिलों में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या

क्र.सं.	2024		2025	
	जिले का नाम	पर्यटक यात्राओं की संख्या	जिले का नाम	पर्यटक यात्राओं की संख्या
1.	जयपुर	623534	जयपुर	560249
2.	उदयपुर	483109	उदयपुर	470971
3.	जोधपुर	207490	जोधपुर	189454
4.	जैसलमेर	161884	जैसलमेर	153716
5.	अजमेर	103393	दौसा	83505

राज्य में देशवार विदेशी पर्यटक यात्राएं: वर्ष 2025 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस विदेशी पर्यटकों के आगमन के प्रमुख स्रोत देश हैं, इसके बाद जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और स्विट्जरलैंड का उल्लेखनीय योगदान है। राजस्थान में देशवार विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या वर्ष 2019 से 2025 तक तालिका 6.4 में दशाई गई है।

तालिका 6.4 : राजस्थान में देशवार विदशी पर्यटक यात्राओं की संख्या

देश	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
संयुक्त राज्य अमेरिका	145178	49368	7307	64891	135275	157817	169868
यूनाइटेड किंगडम	172698	54548	1939	29532	96394	128994	133978
फ्रांस	218657	64025	3237	34999	97157	125469	131270
जर्मनी	134098	31985	1140	18303	60220	77797	82703
इटली	83060	18383	644	14886	56388	77868	71636
ऑस्ट्रेलिया	81564	25131	614	15841	48140	68283	65252
कनाडा	50194	16866	810	7918	18437	25834	30562
जापान	37452	8907	1496	4659	16229	25748	25250
स्विट्ज़रलैंड	17109	5062	224	3996	11225	14558	14605
अन्य	665550	172182	17395	201659	1160404	1370039	1219944
कुल	**1605560**	**446457**	**34806**	**396684**	**1699869**	**2072407**	**1945068**

राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहलः

- प्रतिष्ठित आईआईएफए 25वां महोत्सव एवं पुरस्कार समारोह 7–9 मार्च, 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया।
- राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन 11 मार्च, 2025 को ₹5,000 करोड़ से अधिक के पर्यटन विकास कार्यों को करने के लिए किया गया है, जिसमें विरासत पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको–टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म का विकास, साथ ही राज्य की ब्रांडिंग और पर्यटक सुविधाओं का विकास भी शामिल है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) 88 पर्यटन विकास कार्यों के लिए ₹276 करोड़ के स्वीकृत किए गए।
- राज्य में पर्यटन को मजबूत करने और घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 नवंबर, 2025 को राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है।
- राज्य में पर्यटन विकास को गति देने के लिए 07 दिसम्बर, 2025 को राजस्थान पर्यटन नीति, 2025 लागू की गई।
- राज्य को राष्ट्रीय–अन्तराष्ट्रीय फिल्म निर्माण हेतु आकर्षण केन्द्र बनाने और आर्थिक प्रोत्साहन के साथ प्रशासनिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से 20 दिसम्बर, 2025 को 'राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025' लागू की गई ।
- राज्य में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार (जीआईटीबी) का आयोजन 04–06 मई, 2025 को जयपुर में किया गया, जिसके अन्तर्गत 53 देशों के 272 फॉरेन टूर ऑपरेटरों (एफटीओ) एवं देशभर से 300 घरेलू विक्रेताओं (सेवा प्रदाता) द्वारा भाग लिया गया।
- राज्य में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12–14 सितम्बर, 2025 को जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) का आयोजन किया गया। इसमें भारत के विभिन्न शहरों से 295 घरेलू टूर ऑपरेटरों/ट्रैवल एजेंटों एवं राजस्थान से 600 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा भाग लिया गया तथा 19,296 बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) बैठकें आयोजित की गईं।
- रेस्पोंसीबल एण्ड सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 जुलाई, 2025 को जयपुर में इण्डियन रेस्पोंसीबल टूरिज्म स्टेट समिट एण्ड अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले होटलों, गेस्ट हाउसों, होमस्टे, ट्रैवल एजेन्सियों/ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में पर्यटन विकास कार्य हेतु खाटूश्याम (सीकर) के लिए ₹87.87 करोड, करणी माता मंदिर (बीकानेर) के लिए ₹22.57 करोड़, मालासेरी डूंगरी (भीलवाडा) के लिए ₹48.73 करोड़ एवं आध्यात्मिक अनुभव, केशोराय पाटन (बूंदी) के लिए ₹21.65 करोड़ की परियोजाएं प्रगतिरत है।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में पर्यटन इकाईयों को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए पर्यटन विभाग ने 148 पात्र पर्यटन एवं आतिथ्य इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त इन इकाइयों को विद्युत शुल्क एवं यूडी टैक्स पूर्व में लागू वाणिज्यक दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पर देय हैं। इससे विद्युत दरें 30 प्रतिशत तक एवं यूडी टैक्स दर 90 प्रतिशत तक कम हुई हैं।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में 462 पर्यटन इकाइयों परियोजनाओं को ₹7,609.21 करोड़ के निवेश के साथ अनुमोदित किये गये, जिनमें 22,427 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना संभावित है।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में 18 हेरिटेज होटलों/सम्पत्तियों को हेरिटज प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में 39 फिल्मों/डॉक्यूमेन्ट्री/विज्ञापनों की शूटिंग की अनुमति जारी की गयी है।
- वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान आंवटित राशि ₹517.06 करोड़ के विरूद्ध ₹78.39 करोड़ का व्यय किया गया है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) लिमिटेड के अंतर्गत इकाइयाँ

आरटीडीसी विरासत होटलों, मोटलों और गेस्ट हाउसों के एक नेटवर्क के संचालन के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से अधिकतर राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर स्थित हैं। यह लग्जरी और बजट कोचों सहित पर्यटक परिवहन सेवाएं भी संचालित करता है और राजस्थान एवं पड़ोसी राज्यों के प्रमुख आकर्षणों के लिए पैकेज टूर आयोजित करता है। दिसम्बर, 2025 तक राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत इकाइयों की स्थिति तालिका 6.5 में दर्शाई गई है।

तालिका 6.5 : राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत इकाइयों की स्थिति (दिसम्बर, 2025 तक)

क्र.सं.	इकाईयों के नाम	संचालित इकाईयों की संख्या
1	होटल	25
2	मोटल	02
3	कैफेटेरिया	01
4	पैलेस ऑन व्हील्स	01
5	यातायात इकाई	01

राजस्थान की समृद्ध विरासत का संरक्षण

राज्य की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें इसकी समृद्ध कलात्मक और स्थापत्य विरासत शामिल है, का संरक्षण और प्रदर्शन वर्तमान और भविष्य की दोनों पीढ़ियों के लाभ के लिए किया जाता है। ये धरोहर स्थल, जैसे कि प्रसिद्ध किले और महल, भारत और विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से, जयपुर और उदयपुर के किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे उनकी वैश्विक पर्यटन अपील और भी बढ़ गई है।

राज्य में, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग 345 संरक्षित स्मारकों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, किले और हवेलियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभाग 43 संरक्षित पुरातात्विक स्थलों की देखरेख करता है तथा 22 राजकीय संग्रहालय एवं 2 कला दीर्घाओं का संचालन करता है।

संग्रहालय अनुदान योजनाः— इस योजनान्तर्गत प्रदेश के 09 संग्रहालयों के लिए विस्तृत परियाजना रिपोर्ट आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा तैयार कर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत की गई हैं।

स्मारकों का संरक्षण एवं संर्वधनः

- धूलारावजी की बावड़ी एवं बोहराजी की बाबड़ी (जमवारामगढ़), जयपुर एवं राजकीय संग्रहालय, अजमेर के संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास कार्य प्रगतिरत हैं।
- जनवरी, 2026 से रीढ़ का टीला त्योंदा (झुंझुनू) में पुरातात्विक उत्खनन कार्य प्रगतिरत है।
- संरक्षित स्मारक बाला किला (अलवर) में आयुध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने कुल आवंटित राशि ₹4,859.05 लाख के विरूद्ध ₹2226.22 लाख का व्यय किया है।

राजस्थान पर्यटन नीति 2025

इस नीति का शुभारम्भ 10 दिसंबर, 2025 को जयपुर में किया गया और यह "विकसित राजस्थान@2047" की दीर्घकालिक आकांक्षाओं के अनुरूप है, इसका उद्देश्य राज्य को परिवर्तनकारी और भविष्योन्मुखी पर्यटन विकास के एक नए युग की ओर ले जाना है। यह नीति नवाचार को बढ़ावा देने, विश्व स्तरीय अवसंरचना विकास में तेजी लाने, डिजिटल और स्मार्ट पर्यटन का विस्तार करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है। इन प्रयासों के माध्यम से घरेलू और विदेशी यात्रियों के अनुभव को बढ़ावा देना है।



यह नीति राजस्थान को भारत का अग्रणी पर्यटन स्थल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी, साथ ही युवाओं, उद्यमियों और पर्यटन से जुड़े समूहों के लिए नए अवसर सृजित करेगी।

प्रमुख फोकस क्षेत्रः

- निवेश प्रोत्साहनः होटलों, रिसॉर्ट्स, विरासत संपत्तियों, होमस्टे और संबंधित उद्यमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- अवसंरचना विकासः राज्य में पर्यटन अवसंरचना को बढ़ाना और मजबूत करना।
- उत्पाद विविधीकरणः परंपरागत पर्यटन से हटकर पर्यावरण ग्रामीण आदिवासी, साहसिक और धार्मिक पर्यटन को शामिल करना है।
- सतत्ताः जिम्मेदार और सुदृढ़ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- डिजिटल परिवर्तनः पर्यटन सेवाओं और आगंतुकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- रोजगार सृजनः रोजगार के अवसर पैदा करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

निवेशकों हेतु प्रमुख प्रोत्साहनः

- सब्सिडीः पूंजी सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (प्रचलित आरआईपीएस के अनुसार) का प्रावधान किया गया।
- छूटः स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट (प्रचलित आरआईपीएस के अनुसार)

राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2025



इस नीति का उद्देश्य आकर्षक प्रोत्साहनों और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्य को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह नीति सिनेमा के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करके, पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। इसके अंतर्गत स्थानीय प्रतिभाओं को समर्थन देना और फिल्म निर्माताओं की सहायता के लिए एक व्यापक फिल्म निर्देशिका और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है।

प्रमुख प्रोत्साहन और लाभः

- राजस्थान में फिल्माई गई फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के खर्च पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। फीचर फिल्मों के लिए ₹3 करोड, वेब सीरीज/डॉक्यूमेंट्री के लिए ₹2 करोड़ और टीवी सीरियल के लिए ₹1.50 करोड़ की अधिकतम सब्सिडी सीमा है।
- सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, निर्माताओं को राजस्थान में कम से कम ₹2 करोड़ (फीचर फिल्म) और ₹1 करोड़ (वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल) पर खर्च करने होंगे। डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा नहीं है।
- सब्सिडी पात्रताः राजस्थान में फिल्म या लघु फिल्म का स्क्रीन टाइम 5 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए या कुल शूटिंग के दिनों में से कम से कम 50 प्रतिशत दिन राजस्थान में शूट किए गए हों।
- राजस्थानी भाषा की फिल्में भी इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।
- लोकेशन शुल्कः राज्य/केंद्र सरकार द्वारा संचालित साइटों के लिए 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (5 दिनों तक)।
- विशेष प्रोत्साहनः राष्ट्रीय (₹50 लाख) और अंतर्राष्ट्रीय (₹1 करोड़) पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए विशेष प्रोत्साहन।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (आरटीयूपी)–2024

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (आरटीयूपी)–2024 का उद्देश्य निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर इसके माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन से जुड़े निवेशकों एवं उद्यमियों को देय लाभों में वृद्धि करना है।

यह नीति हेरिटेज होटलों और संपत्तियों को अतिरिक्त रियायतें और छूट प्रदान करने, निजी क्षेत्रों में उपलब्ध विरासत संपत्तियों का लाभ उठाने पर मुख्य रूप से जोर देती है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन नीति में होटल, रेस्तरां और अन्य पर्यटन संबंधित प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है।

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को सृजित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आरटीयूपी–2024 राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पर्यटन इकाइयों के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) के तहत लाभ :

- पर्यटन के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) में दिए गए सभी वित्तीय लाभ इस नीति में परिभाषित अनुसार पर्यटन इकाइयों को उपलब्ध होंगे।
- आरआईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र, प्रचलित आरआईपीएस में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।

चित्र 6.6 : राजस्थान पर्यटन इकाई नीति–2024 के लाभ



राजस्थान गेस्ट हाउस योजना

राजस्थान गेस्ट हाउस योजना राज्य सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और नगर पालिका क्षेत्रों में आवासीय घरों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार गेस्ट हाऊस के पंजीकरण को प्रोत्साहित करती है।

इस योजना के निम्न लाभ है:

- सरलीकृत पंजीकरण
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार–प्रसार
- स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर

इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए, गेस्ट हाउस को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

- गेस्ट हाउस के मालिक / पट्टेदार को अपने परिवार के साथ आवासीय घर में रहना होगा।
- गेस्ट हाउस में कम से कम 6 और अधिकतम 20 कमरे किराए पर देने योग्य होने चाहिए जिनमें आवश्यक सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नानघर और भोजन कक्ष हों।
- गेस्ट हाउस को संबंधित अधिकारियों से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) और एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए, गेस्ट हाउसों को स्थानीय पर्यटन कार्यालय में आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होगें। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, गेस्ट हाउस को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना–2022

ग्रामीण पर्यटन इकाइयां, विशेष रूप से राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना–2022 के तहत, ग्रामीण इलाको में पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने का लक्ष्य रखती है। इस योजना में रोजगार के अवसर सृजित कर सतत् पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों के लोगों का समर्थन करती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि–पर्यटन और कैंपिंग साइट जैसी पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करती है।

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलने वाले लाभः

- स्टाम्प ड्यूटी से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी किन्तु प्रारम्भ में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी अग्रिम रूप से देय होगी एवं पर्यटन इकाई शुरू करने का प्रमाण पत्र जमा करवाने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- देय और जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का पुनर्भरण किया जायेगा।
- ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू–संपरिवर्तन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
- वन विभाग के अधीन क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन राजस्थान ईको टूरिज्म पॉलिसी, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- स्थानीय लोक कलाकारों, शिल्पकारों और ग्रामीण स्टार्टअप द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को अनुमोदन और पात्र प्रोत्साहनों में प्राथमिकता दी जाएगी।
- ग्रामीण पर्यटन इकाइयां औद्योगिक शुल्क के लिए पात्र है।

संस्कृति

राजस्थान की संस्कृति राजसी इतिहास, विविध परंपराओं, जटिल कला और रेगिस्तानी लचीलेपन का एक जीवंत ताना–बाना है, जो अपने शाही किलों, महलों, समृद्ध वस्त्रों (ब्लॉक प्रिंट, कढ़ाई), लोक संगीत और नृत्य (जैसे घूमर), उत्सवों, विशिष्ट व्यंजनों (दाल बाटी चूरमा) और गहरी जड़ो वाली योद्वा भावना के लिए जानी जाती है, और यह सब "पधारो म्हारे देश" के स्वागतपूर्ण नारे में समाहित है।

राजस्थान का लक्ष्य, सांस्कृतिक संसाधनों की क्षमता का उपयोग करके समृद्ध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है जो स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाए, पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करे और राज्य की अनूठी पहचान को दुनिया के सामने प्रदर्शित करे।

संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल और कार्यक्रम निम्नानुसार हैं

- **परंपरा का संरक्षण, विरासत हस्तशिल्प के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना**

  राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण हैं। यहां काष्ठकला, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र जैसे पारंपरिक शिल्पों को न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि पर्यटन पहलों के माध्यम से बढ़ावा भी दिया जाता है। यहॉ पर्यटक कारीगरों को काम करते हुए देख सकते हैं, शिल्प बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं और प्रामाणिक हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। पारंपरिक हस्तशिल्पों का समर्थन करके, पर्यटक राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं।

- **राजस्थान की सांस्कृतिक गतिविधियों के उत्सव**

  राज्य में वर्ष 2025 के दौरान 103 मेले, उत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें पुष्कर मेला (अजमेर), मेवाड़ महोत्सव (उदयपुर), मारवाड़ महोत्सव (जोधपुर), कुंभलगढ़ महोत्सव (राजसमंद), ऊंट महोत्सव (बाड़मेर), मरू महोत्सव, (जैसलमेर), सांभर महोत्सव, पतंग महोत्सव (जयपुर), डीग महोत्सव (डीग), गणगौर एवं तीज उत्सव (जयपुर) और राजस्थान दिवस शामिल हैं।

अन्य प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम निम्नलिखित हैंः –

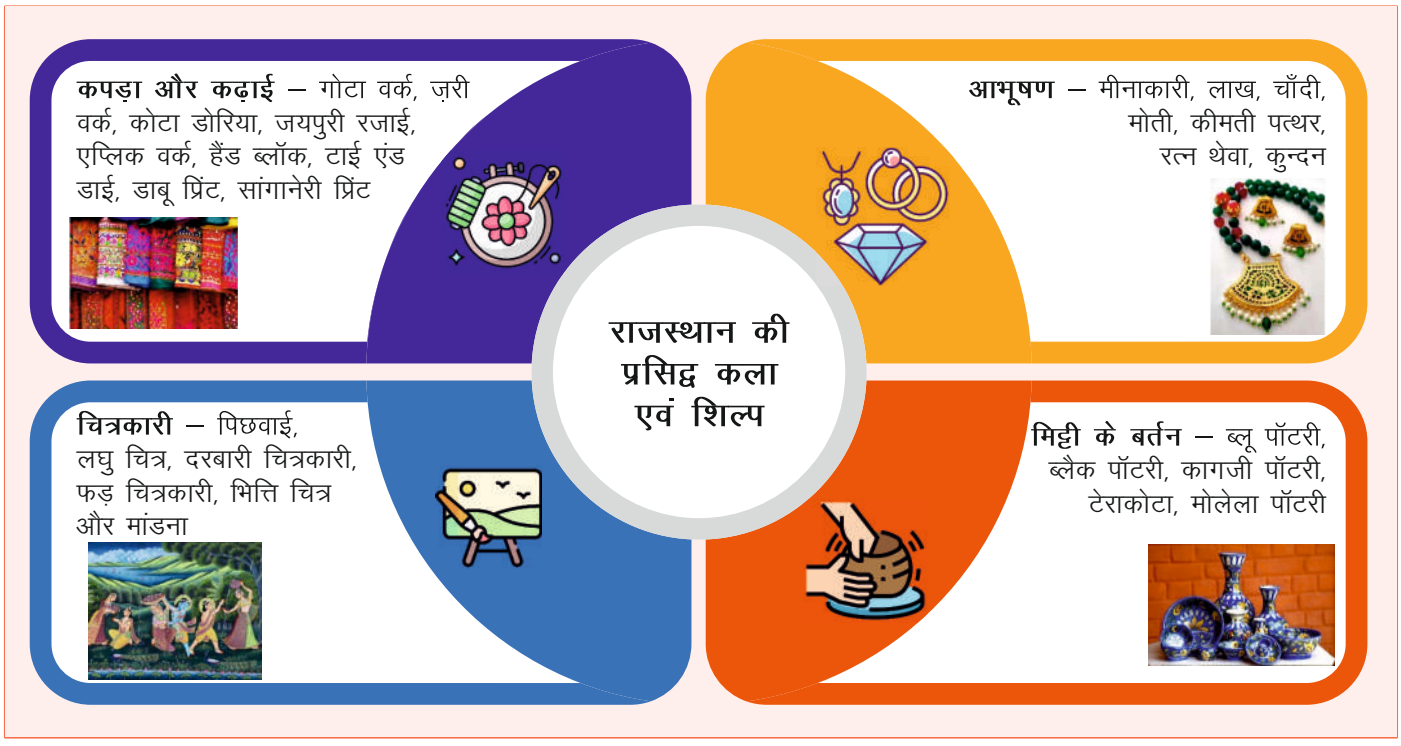
- कल्चरल डायरीज ''अनहद श्रृंखला''– राज्य की लोक कला, संस्कृति एवं शास्त्रीय संगीत पर आधारित मासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ सितम्बर, 2025 में कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- राज्य में प्रथम बार सभी संभाग मुख्यालयों पर 19 नवम्बर, 2025 को 'घूमर फेस्टिवल, 2025' का आयोजन किया गया।
- महिलाओं के लिए तीज मेला पहली बार पौंड्रिक पार्क, जयपुर में तीज महोत्सव के दौरान 27–28 जुलाई, 2025 को आयोजित किया गया।
- ग्रेट इण्डियन ट्रेवल बाजार, (जीआईटीबी) के उद्घाटन समारोह के दौरान 04 मई, 2025 को जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) के दौरान 12–14 सितंबर, 2025 को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कला

राजस्थानी कला, जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें विभिन्न प्रकार के कलात्मक रूप शामिल हैं। इनमें शाही जीवन और महाकाव्य कथाओं को दर्शाने वाली राजपूत शैली की लघु चित्रकला, फड़ चित्रकला, जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके लोक कथाओं को दर्शाने वाले कपड़े के स्क्रॉल हैं, कृष्ण मंदिरों से जुड़ी पिछवाई चित्रकला और मांडना जो एक पारंपरिक कला है जो अनुष्ठानों के दौरान दीवारों और फर्श पर बनाई जाती है, शामिल है। कलात्मक विरासत में मीनाकारी (मीनाकारी आभूषण), बंधनी (टाई–डाई वस्त्र) और बारीक नक्काशीदार लकड़ी और धातु के काम भी शामिल हैं। ये कला रूप अपने चमकीले रंगों, कथात्मक रूपांकनों और पारंपरिक तकनीकों के लिए जाने जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और उसको बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कलात्मक परंपरा पीढ़ियों तक राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

राजस्थान में पारंपरिक शिल्पों की भी विविधता पाई जाती है, जिनमें आभूषण, वस्त्र, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन और धातु शिल्प शामिल हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध कला एवं शिल्प विविधता को चित्र 6.7 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.7 : राजस्थान की प्रसिद्ध कला एवं शिल्प



राज्य में कला का संरक्षण मुख्यतः निम्नलिखित केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है:

जवाहर कला केन्द्र (जेकेके)

जवाहर कला केंद्र (जेकेके), जयपुर का एक प्रमुख बहु–कला केंद्र है। राजस्थान सरकार द्वारा इसे राजस्थानी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यह वास्तुकला, नाटक, संगीत, नृत्य, साहित्य और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाला एक अनूठा केन्द्र है, जिसमें कई प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने 'नवग्रह' (नौ ग्रहों) की अवधारणा पर डिज़ाइन किया था, इसमें 8 ब्लॉक हैं, जिनमें संग्रहालय, एम्फीथिएटर, सभागार, पुस्तकालय, कला दीर्घाएँ, कला स्टूडियो, कैफेटेरिया और शिल्पग्राम शामिल हैं। यह जयपुर के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जेकेके सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग तथा विभिन्न कला विद्याओं के प्रख्यात कलाकरों के साथ मिलकर कार्यक्रमों और परियोजनाओं का आयोजन भी करता है। इसी क्रम में वर्ष 2025–26 में रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती समारोह, जवाहर कला केन्द्र स्थापना दिवस, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वृत्तचित्र स्कीनिंग और सेमिनार, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सिंदूर देश भक्ति गीत संध्या कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसके अलावा, जेकेके अपने समग्र कार्यक्रमों के

माध्यम से कला–पारखियों, विद्वानों, कलाकारों, कारीगरों और आगंतुकों को सुविधा प्रदान करता है। यह उन्हें राजस्थान की कला और संस्कृति के बाहरी और आंतरिक पहलुओं का अवलोकन करने के लिए साम्य और सानिध्य प्रदान करता है।

जेकेके दृश्य कला, प्रदर्शन कला (संगीत, नृत्य और थिएटर) एवं साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता का केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है। जेकेके में होने वाले कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी कला एवं सांस्कृतिक विद्याओं में शास्त्रीय तथा समकालीन दोनों रूप को सम्मिलित करते हुए नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले सांस्कृतिक आयोजनों का संचालन करना है।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹945 लाख का आवंटन किया गया, जिसमें से ₹575.51 लाख का व्यय किया गया।

रवींद्र मंच

रवींद्र मंच, जयपुर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा नृत्य, नाटक और संगीत कला को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्तमान में रवींद्र मंच में 690 सीटों की क्षमता वाला एक सुसज्जित मुख्य थिएटर, 3,500 दर्शकों की क्षमता वाला एक ओपन एयर थिएटर और 125 दर्शकों की क्षमता वाला एक मिनी थिएटर है। रवीन्द्र मंच पर सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्थानों, राजकीय विभागों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, संगीत, सेमीनार एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इसी क्रम में इस वर्ष टैगोर थिएटर योजना के अंतर्गत रवीन्द्र मंच द्वारा 8 नाटकों का मंचन किया गया है तथा विभिन्न संस्थाओं को स्थल बुकिंग की सुविधा प्रदान कर 89 नाटक/कार्यक्रम आयोजित किये गये। राज्य सरकार के सहयोग से मंच सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा कलाकारों एवं रंगकर्मियों को अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राजस्थान पर्यटन में उत्कृष्टता पुरस्कार

ये पुरस्कार राजस्थान की एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में राजस्थान की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण हैं, जो लोगों को अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं।

- **बेस्ट क्रियेटिव फिल्म अवार्ड:**– फिल्म "रोमांस ऑफ राजस्थान" को आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट (ओटीएम), मुंबई में 01 फरवरी, 2025 को प्राप्त हुआ।
- **डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड (रॉयल एक्सपीरियंस):**– पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, (पीएटीए) द्वारा बर्लिन, जर्मनी में 4 से 6 मार्च, 2025 के दौरान आयोजित के कार्यक्रम में प्रदान किया गया।
- **वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर (इण्डिया):**– राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पीएटीए) बर्लिन, जर्मनी में आयोजित कार्यक्रम 4–6 मार्च, 2025 के दौरान सम्मानित किया गया।
- **बेस्ट हेरिटेज डेस्टीनेशन अवार्ड:**– नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2025, 28 मार्च, 2025 को आमेर फोर्ट के लिए प्राप्त हुआ।
- **बेस्ट माउण्टेन डेस्टीनेशन अवार्ड:**– नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2025, 28 मार्च, 2025 को कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए प्राप्त हुआ।
- **बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टीनेशन अवार्ड:**– नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एण्ड अवार्ड्स, 2025 28 मार्च, 2025 को बीकानेर शहर के लिए प्राप्त हुआ।
- **बेस्ट पैवेलियन इंस्टॉलेशन अवार्ड:**– कोलकाता में आयोजित ट्रैवल एण्ड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) में 12 जुलाई, 2025 को प्राप्त हुआ।
- **बेस्ट सस्टेनेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस इन इंडिया अवार्ड:**– बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (आई. आई.टी.एम.) में 24 जुलाई, 2025 को प्राप्त हुआ।
- **बेस्ट पैवेलियन अवार्ड:**– अहमदाबाद में आयोजित गुजरात ट्रेवल फेयर (जीटीएफ) में 30 जुलाई, 2025 को प्राप्त हुआ।
- **बेस्ट डिजाइन एण्ड डेकोरेशन अवार्ड:**– गांधीनगर में आयोजित गुजरात ट्रैवल फेयर (जीटीएफ) में 02 अगस्त, 2025 को प्राप्त हुआ।
- **बेस्ट डिजाइन एण्ड डेकोरेशन अवार्ड:**– मुम्बई में आयोजित ट्रैवल एण्ड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) में 13 अगस्त, 2025 को प्राप्त हुआ।
- **वेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड:**– नई दिल्ली में आयोजित आउट लुक ट्रेवल में 22 नवम्बर, 2025 को प्राप्त हुआ।
- **बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड:**– पुणे में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (आईआईटीएम) में 29 नवम्बर, 2025 को प्राप्त हुआ।

- **द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड**:– हैदराबाद में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (आईआईटीएम) में 06 दिसम्बर, 2025 को प्राप्त हुआ।

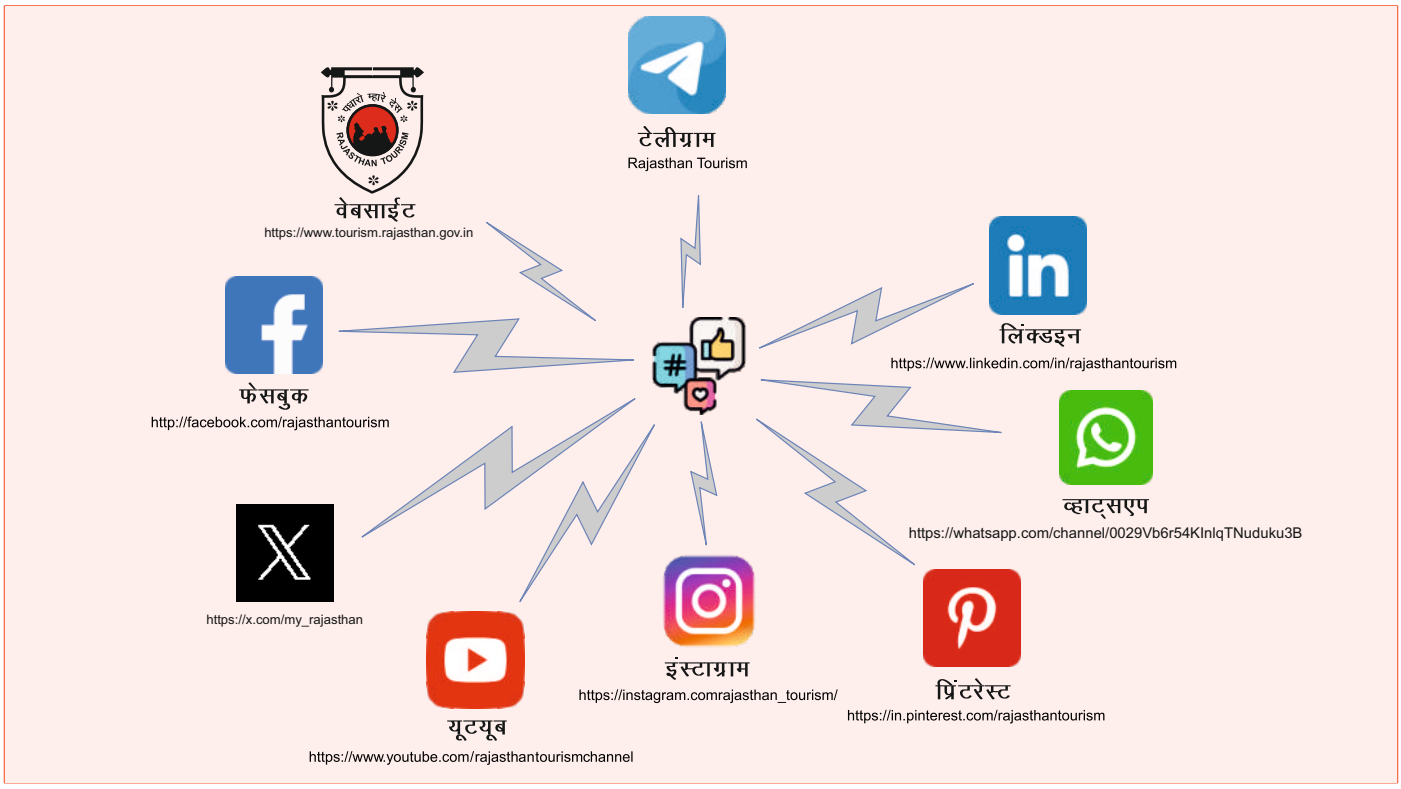
कौशल और प्रशिक्षण : राजस्थान सरकार ने आतिथ्य उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने हेतु, युवाओं के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण, गाइड प्रशिक्षण और करियर–उन्मुख कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने और बेहतर सुविधाएं एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। इनमें जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और उदयपुर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, अजमेर, सुमेरपुर (पाली) और बारां में फूड क्राफ्ट संस्थान और जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (आरआईटीटीएमएएन) शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कुशल और पेशेवर कार्यबल विकसित करना है।

पर्यटन विकास के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और जर्नल्स शामिल है, जो राजस्थान के पर्यटन स्थलों, संस्कृति तथा मेलों और त्योहारों के बारे में जानकारी प्रदान कर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान शुरू किए हैं, जैसे राजस्थान पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपस्थिति और राज्य के पर्यटन आकर्षणों एवं व्यय को दर्शाने वाले लघु प्रचारात्मक वीडियो विज्ञापन इत्यादि।

चित्र 6.8 : प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया



पर्यटक सहायता बल (टीएएफ)

राजस्थान में पर्यटकों, विशेष रूप से महिला पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने प्रभावी पर्यटक सहायता बल अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने, दलालों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना है।

इस अभियान के तहत, पर्यटकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए 19 जिलों में 250 पर्यटक सहायता बल कर्मियों को

तैनात किया गया है। ये कर्मी पर्यटन स्थलों की निगरानी करने और पर्यटको के लिए एक सुरक्षित और सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

धार्मिक पर्यटन की सुविधा

राजस्थान, संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है, जो आध्यात्मिक अनुभवों को सुदृढ़ करता है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है तथा तीर्थयात्रियों और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाता है।

राजस्थान सरकार मन्दिरों और संस्थानों के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय रूप से प्रयासरत है। वर्तमान में, 390 प्रत्यक्ष प्रभार वाले तथा 203 राज्य आत्मनिर्भर मंदिरों और संस्थानों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित राज्य द्वारा विनियमित मंदिरों की निगरानी की जाती है।

तालिका 6.6 : राज्य द्वारा निगरानी किये गये मंदिरों की सूची

क्र.सं.	मंदिर श्रेणी	संख्या	राज्य में स्थित	अन्य राज्यों में स्थित
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी	390	365	25
2	राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी	203	187	16
3	राजकीय सुपूर्दगी श्रेणी	343	305	38
4	राजकीय सहायता प्राप्त	10009	9935	74
5	एन्यूइटी प्राप्त (वार्षिकी)	48466	48466	-
6	मंदिर मंडल अधिनियम के अंतर्गत	2	2	-

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान योजना के तहत कुल आवंटित राशि ₹911.00 लाख के विरुद्ध ₹217.38 लाख व्यय किए जा चुके है।

नागरिकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं

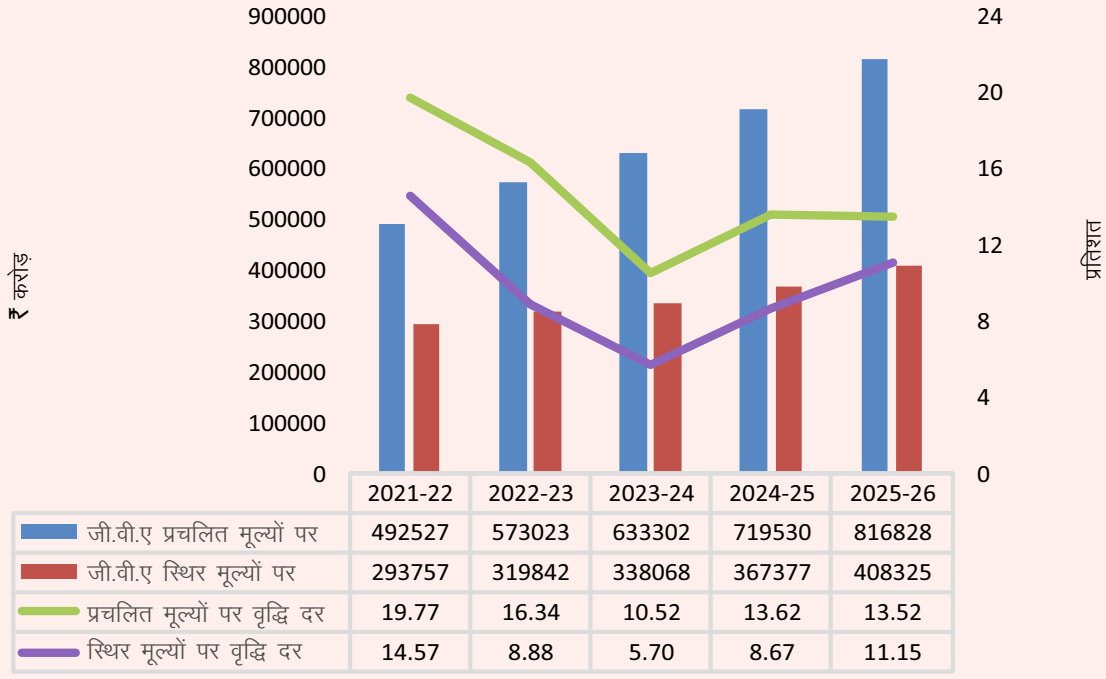
- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजनाः** राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या वाराणसी, सारनाथ, सम्मेदशिखर–पावापुरी, मथुरा–वृंदावन–बरसाना, आगरा, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरूपति, कामाख्या, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वेष्णोदेवी, वाघा बार्डर, गोवा, महाकालेश्वर, अमृतसर, बिहार–शरीफ, पटना साहिब और श्री हजूर साहिब नांदेड (महाराष्ट्र) की ट्रेन द्वारा तथा पशुपतिनाथ, काठमांडू (नेपाल) की हवाई जहाज द्वारा निःशुल्क यात्रा एवं दर्शन सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2025–26 (27 जनवरी, 2026 तक) के दौरान कुल 37,506 (ट्रेन द्वारा 35,634 और हवाई जहाज द्वारा 1,872) तीर्थयात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई गई है। उक्त यात्रा पर कुल ₹98.87 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।
- **सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा योजनाः** इस योजना के तहत, कुल यात्रा खर्च का 50 प्रतिशत, प्रति तीर्थयात्री ₹15,000 तक की प्रतिपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2025–26 के दौरान, इसके लिए ₹100 लाख का प्रावधान रखा गया है।

सेवाएं

सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है और यह वर्तमान में अधिकांश विकसित देशों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी उच्च दक्षता वाली गतिविधियों के साथ–साथ प्लंबिंग जैसी सरल गतिविधियाँ भी शामिल हैं। राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं एवं लोक प्रशासन सम्मिलित हैं।

सेवा क्षेत्र का स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वर्ष 2024–25 मे ₹3.67 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2025–26 में ₹4.08 लाख करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.15 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है जबकि प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वर्ष 2024–25 में ₹7.20 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2025–26 में ₹8.17 लाख करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन एवं वृद्धि–दर को चित्र–6.9 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.9 : प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) एवं वृद्धि दर

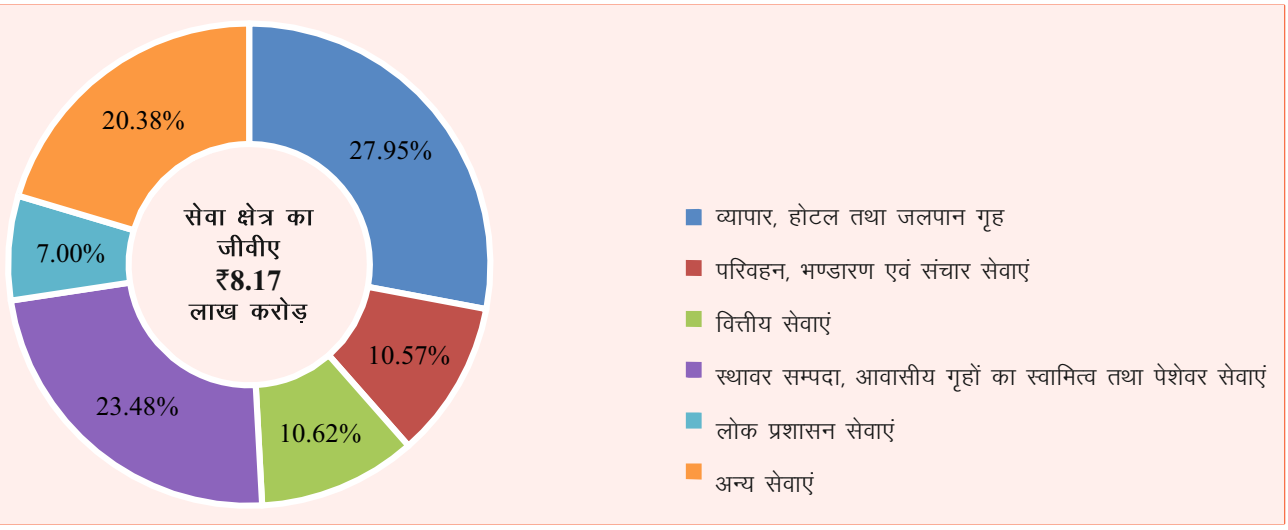


	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
जी.वी.ए प्रचलित मूल्यों पर	492527	573023	633302	719530	816828
जी.वी.ए स्थिर मूल्यों पर	293757	319842	338068	367377	408325
प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर	19.77	16.34	10.52	13.62	13.52
स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर	14.57	8.88	5.70	8.67	11.15

नोटः वर्ष 2023–24 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2024–25 संशोधित अनुमान–I, वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान

वर्ष 2025–26 में सेवा क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना रहा, जिसकी प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीवीए) में 47.71 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही। वर्ष 2025–26 में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार वितरण चित्र–6.10 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.10 : सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार वितरण 2025–26 (अ.अ.)



नोटः अ.अ. = अग्रिम अनुमान

राजस्थान के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2025–26 में व्यापार, होटल और जलपान गृह का सेवा क्षेत्र के जीवीए में 27.95 प्रतिशत, इसके बाद स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का 23.48 प्रतिशत योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत जीवीए में अन्य सेवाओं का योगदान 20.38 प्रतिशत और परिवहन, भण्डारण एवं संचार क्षेत्र का योगदान 10.57 प्रतिशत रहा, जबकि वित्तीय सेवाओं का 10.62 प्रतिशत और लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान 7 प्रतिशत रहा है।

स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों की वृद्धि दर

वर्ष 2025–26 में व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भण्डारण और संचार, वित्तीय सेवाओं, स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन सेवाओं और अन्य सेवाओं में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 15.34 प्रतिशत, 7.79 प्रतिशत, 9.90 प्रतिशत, 8.97 प्रतिशत, 13.24 प्रतिशत और 10.30 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

07 आधारभूत अवसंरचना

विकसित भारत के तहत लचीली, समावेशी और सतत विकास प्रणालियों के निर्माण के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप मूलभूत अवसंरचना को आर्थिक विकास और सेवा प्रदायगी की आधारशिला माना जाता है। विद्युत, परिवहन, जल आपूर्ति, शहरी सेवाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को आवश्यक सार्वजनिक प्रणालियों के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके माध्यम से उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि होती है, उनकी बाजार तक पहुंच बढ़ती है एवं बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इन प्रणालियों को आर्थिक क्षमता को मजबूत करने, संस्थागत दक्षता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस अध्याय में विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण, सड़क और परिवहन नेटवर्क, रेल कनेक्टिविटी, डिजिटल एवं संचार सेवाएँ तथा शहरी एवं ग्रामीण अवसंरचना प्रणालियों सहित प्रमुख मूलभूत अवसंरचना क्षेत्रों की स्थिति और प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार, सेवा प्रदायगी अंतराल में कमी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने हेतु एकीकृत योजना, नेटवर्क विस्तार एवं परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। अवसंरचनात्मक विकास को विनिर्माण, कृषि, व्यापार और सेवा गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने वाले एक समन्वित तथा बहु–क्षेत्रीय प्रयास के रूप में देखा गया है।

प्रमुख अवसंरचना प्रणालियों के बीच अंतर्संबंध तथा आर्थिक गतिविधियों, सेवा प्रदायगी एवं क्षेत्रीय एकीकरण में उनकी भूमिका को चित्र 7.1 में प्रदर्शित गया है, जिसमें विद्युत, सड़क और परिवहन को आधारभूत अवसंरचना के प्रमुख स्तंभों के रूप में लिया गया है। इन क्षेत्रों को परस्पर पूरक एवं सुदृढ़ प्रणालियों के रूप में जाना जाता है, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाती हैं, बाजार तक पहुँच को मजबूत करती हैं तथा शहरी एवं ग्रामीण एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। परिवहन कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डिजिटल प्लेटफार्मों में निवेश को बाजार संपर्कों को बेहतर बनाने, सेवा पहुँच बढ़ाने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के साधनों के रूप में दर्शाया गया है।

चित्र 7.1 : आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र



स्थापित विद्युत क्षमता के विस्तार, ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती करने, नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन में वृद्धि, सड़कों का विस्तार, परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा डिजिटल एवं संचार में सुधार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में प्रगति परिलक्षित होती है। एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों, स्मार्ट ग्रिड प्रणालियों और बाहरी सहायता प्राप्त अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास ने प्रणाली की मजबूती एवं सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। यह विकास राज्य में सतत् आर्थिक गतिविधियों एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मूलभूत अवसंरचना क्षमता के सतत् सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है।

विज़न स्टेटमेन्ट – विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक राजस्थान सतत् ऊर्जा, नवाचार और सुदृढ़ अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होगा। राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन हेतु करेगा।

राज्य सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) और वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देते हुए तकनीकी नवाचारों के माध्यम से राजस्थान एक आधुनिक, समावेशी और सतत् राज्य की दिशा में अग्रसर होगा।

चित्र 7.2



ऊर्जा–आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण

राजस्थान के आर्थिक विकास में विद्युत क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कृषि, उद्योग एवं सेवाओं का सहयोग करते हुये जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। बहु आयामी विद्युत नेटवर्क ग्रामीण एवं औद्योगिक दोनो उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहती है। समग्र अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस क्षेत्र की दक्षता में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार तथा अवसंरचना के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह प्रणाली सौर ऊर्जा के विस्तार को विशेष रुप से कृषि उपयोग हेतु प्राथमिकता देती है, साथ ही विद्युत वितरण, डिजिटल प्रणाली तथा ऊर्जा भण्डारण में सुधार कर उचित एवं किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करती है। नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण और हरित ऊर्जा निर्यात के लिए भी सहायता दी जा रही है, जो रोजगार सृजन और व्यापक आर्थिक विकास में योगदान देते हुये निरंतर विद्युत क्षमता के विस्तार और अवसंरचनात्मक निवेश के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है।

ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता

ऊर्जा उत्पादन राजस्थान की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो औद्योगिकीकरण, शहरीकरण को बढ़ावा देता है तथा जीवन स्तर में सुधार करता है। राज्य में विकास की तीव्र गति को देखते हुये एवं उसकी आर्थिक महत्वकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए सतत् एवं विविध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्य की मार्च, 2025 तक अधिष्ठापित क्षमता 27,283.83 मेगावाट थी, जो दिसम्बर, 2025 तक बढ़कर 31,556.43 मेगावाट हो गई है। राजस्थान में विद्युत उत्पादन कई स्रोतों से किया जाता है, जो सतत् एवं विविध ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। इन स्रोतों में तापीय, जलविद्युत, गैस आधारित उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर और बायोमास) शामिल हैं। वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता तालिका 7.1 में दर्शायी गई है।

थर्मल पावर राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दिसम्बर, 2025 तक राज्य सरकार की परियोजनाओं से स्थापित थर्मल क्षमता 7,830 मेगावाट है और इसे केंद्रीय क्षेत्र के थर्मल पावर प्लांट्स के योगदान से पूरा किया जाता है। थर्मल ऊर्जा उत्पादन स्थिर और सतत् ऊर्जा स्रोत है, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जिन्हें निरन्तर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हाल के वर्षों में राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनी विद्युत उत्पादन प्रणाली के एक प्रमुख घटक के रुप में अपनाया है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, जहां अत्यधिक धूप के साथ विशाल रेगिस्तानी और शुष्क भूमि है, जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आदर्श हैं। राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता 9,898 मेगावाट हो गई है, जो राज्य के ऊर्जा संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इसी प्रकार राजस्थान ने अपनी अनुकूल पवन स्थितियों का लाभ भी उठाया है, विशेष रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में, जहां पवन ऊर्जा का दोहन किया जा रहा है। राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता दिसम्बर, 2025 तक 4,416.12 मेगावाट तक पहुँच चुकी है, जिससे यह देश की पवन ऊर्जा क्षमता में प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है। राजस्थान में दिसम्बर, 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 45.36 प्रतिशत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में यह बदलाव राज्य के सतत् विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा भारत में राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र के रूप में पहचान दिला रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा में तीव्र वृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

ऊर्जा उत्पादन

पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में सतत् प्रगति की है । वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक कुल स्थापित क्षमता 5.55 प्रतिशत संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है। नवीकरणीय ऊर्जा का यह तीव्र विस्तार अनुकूल नीतियों, तकनीकी विकास और हरित ऊर्जा में बढ़ते निवेशों के कारण आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।

राजस्थान अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें सौर एवं पवन ऊर्जा के लक्ष्य नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करेंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक हजारों मेगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसके अतिरिक्त राज्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन जैसे नए क्षेत्रों को खोज रहा है जो इसके ऊर्जा परिदृश्य को और रूपांतरित कर सकेगा। बढ़ती हुई ऊर्जा क्षमता, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में, निजी क्षेत्र के बड़े निवेश को आकर्षित कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं तथा राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान मिल रहा है। राज्य के सतत् ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने से व्यवसायों के लिये ऊर्जा लागत में कमी आ सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने एवं समग्र व्यावसायिक वातावरण में सुधार होता हैं।

तालिका 7.1 : ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसम्बर तक)
1. राज्य की स्वयं/भागीदारी की परियोजनाएं						
(अ)	तापीय	7830.00	7830.00	7830.00	7830.00	7830.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29
(स)	गैस	603.50	603.50	600.50	600.50	600.50
	योग (1)	**9450.79**	**9450.79**	**9447.79**	**9447.79**	**9447.79**
2. केन्द्री परियोजनाओं से राज्य को आवंटन						
(अ)	तापीय	1947.41	1916.37	1916.37	2056.95	2197.47
(ब)	जल विद्युत	740.66	740.66	740.66	740.66	851.86
(स)	गैस*	221.10	*0	0	0	0
(द)	परमाणु	456.74	456.74	456.74	456.74	806.74
	योग (2)	**3365.91**	**3113.77**	**3113.77**	**3254.35**	**3856.07**
3. आरआरईसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाएं						
(अ)	पवन	3734.10	3730.35	4359.63	4416.12	4416.12
(ब)	बायोमास	101.95	109.95	109.95	166.65	196.45
(स)	सौर ऊर्जा (कुसुम पीपीए सहित)	3057.60	3362.10	4010.50	6256.92	9898.00
(द)	तापीय/जल विद्युत	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00
	योग (3)	**10635.65**	**10944.40**	**12222.08**	**14581.69**	**18252.57**
	योग (1+2+3)	**23452.35**	**23508.96**	**24783.64**	**27283.83**	**31556.43**

*22 मार्च, 2021 को जारी विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देश के मद्देनजर उच्च क्रय लागत के कारण एनटीपीसी से 221 मेगावाट गैस विद्युत का आवंटन वापस कर दिया गया था।

प्रसारण तंत्र प्रणाली

राजस्थान में अति उच्च दाब (ईएचवी) प्रसारण नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। मार्च, 2017 में प्रसारण नेटवर्क 36,079 सर्किट किमी. था, जो कि दिसम्बर, 2025 तक बढ़कर 45,933.315 सर्किट किमी. हो गया है, जिसमें सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) परियोजनाएँ भी शामिल है। वर्ष 2016–17 से दिसम्बर, 2025 कुल प्रसारण नेटवर्क में 27.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रसारण नेटवर्क से संबंधित विस्तृत विवरण तालिका 7.2 में दर्शाया गया है। राज्य ने विद्युत रुपांतरण क्षमता और व्यापक प्रसारण लाइनों के विकास के माध्यम से विद्युत प्रसारण नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रगति की परिकल्पना की है। यह प्रणाली अंतर–क्षेत्रीय प्रसारण संपर्कों (ट्रांसमिशन लिंक) को मजबूत करने और हरित ऊर्जा कॉरिडोर को स्थापित करने पर जोर देती है, ताकि अन्य क्षेत्रों तक विद्युत की निर्बाध पहुँच, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

तालिका 7.2 : राज्य में प्रसारण नेटवर्क पीपीपी सहित

(सर्किट किलोमीटर में)

क्र.सं.	विवरण	प्रसारण नेटवर्क	
		मार्च, 2025 तक	उपलब्धि दिसम्बर, 2025 तक
1	765 केवी लाईन	425.498	425.498
2	400 केवी लाईन	7914.408	8416.708
3	220 केवी लाईन	16367.478	16428.958
4	132 केवी लाईन	20138.731	20662.151
कुल लाईन		**44846.115**	**45933.315**

तालिका 7.3 में अतिरिक्त हाई वॉल्टेज (ईएचवी) प्रसारण के सब स्टेशनों की संख्या एवं क्षमता दर्शाई गई है:–

तालिका 7.3 : ईएचवी सब स्टेशनों की पीपीपी सहित संख्या और क्षमता

क्र.सं.	विवरण	इकाई	ईएचवी ग्रिड सब स्टेशन	
			मार्च, 2025 तक	उपलब्धि दिसम्बर, 2025 तक
1	765 केवी जीएसएस	संख्या	2	2
	क्षमता	एमवीए	9000	9000
2	400 केवी जीएसएस	संख्या	19	20
	क्षमता	एमवीए	18570	20255
3	220 केवी जीएसएस	संख्या	130	133
	क्षमता	एमवीए	35635	36895
4	132 केवी जीएसएस	संख्या	506	523
	क्षमता	एमवीए	39747	42921
कुल ईएचवी जीएसएस		**संख्या**	**657**	**678**
कुल क्षमता		**एमवीए**	**102952**	**109071**

विद्युत प्रसारण दक्षता में सुधार लाना

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम (आरवीपीएन) द्वारा स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (एसटीएनएएमएस) को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की विद्युत प्रसारण प्रणाली की कार्यक्षमता, विश्वसनीयता तथा स्थिरता को बढ़ाना है। राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए, एक कुशल और लचीली प्रसारण प्रणाली का होना आवश्यक है, जो बढ़ती मांगों को पूरा करने के साथ–साथ परिचालन हानियों को कम करे और प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करे।

इस प्रणाली के माध्यम से निगम का उद्देश्य राजस्थान के ट्रांसमिशन ग्रिड की निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करना है, साथ ही प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रबंधन, ग्रिड स्थिरता एवं सुरक्षा का पूर्वानुमान तथा दक्ष परिसम्पति प्रबंधन में सुधार के लिए स्मार्ट–ग्रिड पहल को सक्षम बनाना है। यह प्रणाली प्रसारण तंत्र का बेहतर दृश्य और जागरूकता को सुदृढ़ करती है। प्रसारण लाइन पर 14,320 किमी ओपीजीडब्ल्यू की स्थापना का कार्य तथा 552 सबस्टेशन स्थानों पर आईपी/एमपीएल आधारित संचार की

स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही 3 कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी पूर्ण हो चुकी है, जो अब पूर्ण रूप से संचालित हैं। 535 सब–स्टेशन और 20 उत्पादन संयंत्रों का डेटा एकीकृत किया गया है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विकास करना

राज्य में विद्युत उत्पादन सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को सक्षम बनाना ऊर्जा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

(क) प्रसारण परियोजना

- राज्य में 132 के.वी. के 245 ग्रिड सब–स्टेशनों के रख–रखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया हैं, इससे लगभग ₹45 लाख प्रति सब–स्टेशन वार्षिक बचत हो रही है।
- राज्य में 400 के.वी. के 2 जी.एस.एस. अलवर एवं डीडवाना में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- दो प्रसारण परियोजनाएं, सार्वजनिक–निजी सहभागिता प्रणाली के आधार पर वी.जी.एफ. योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई है।
  - 400 के.वी. डी/सी बीकानेर–सीकर प्रसारण लाइन (पी.पी.पी.–6) का निर्माण कार्य पूर्ण करके लाइन चालू की जा चुकी है।
  - 400 के.वी. डी/सी सूरतगढ़–बीकानेर प्रसारण लाइन (पी.पी.पी.–7) का कार्य पूर्ण करके लाइन चालू की जा चुकी है।
- राज्य में 220 के.वी. का 1 जी.एस.एस. एवं 132 के.वी. के 15 जी.एस.एस. सम्बन्धित लाईन सहित पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- सांगोद में स्थित 400 केवी ग्रिड सब–स्टेशन, 400 के.वी. के संबंधित लाइन सहित का निर्माण कार्य दिनांक 29 अप्रेल, 2025 को पूर्ण कर प्रारम्भ किया जा चुका है।

(ख) विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ

राज्य सरकार ने भारत सरकार के प्रतिस्पर्द्धी निविदा दिशा–निर्देशों को अपनाते हुए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ता से 2,786 मेगावाट विद्युत प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य में निजी सहभागिता से कुल 2,786 मेगावाट विद्युत क्षमता विकसित की जा चुकी है।

वितरण प्रणाली

1. राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग

ऊर्जा की उपलब्धता और उपभोग किसी भी राज्य के आर्थिक विकास और प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। गत वर्षों से राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है। वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक राजस्थान की कुल ऊर्जा उपलब्धता में 9,080.92 करोड़ यूनिट से 11,770 करोड़ यूनिट की वृद्धि हुई है, जो कि 29.61 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। ऊर्जा उपलब्धता में यह वृद्धि राज्य की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने तथा उद्योगों, कृषि एवं शहरी अवसंरचना के विस्तार में सहयोग को दर्शाती है। राज्य ने सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के विस्तार के माध्यम से अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविधीकृत करने के प्रयासों को तेज किया है, जिससे राजस्थान राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान पर पहुँच गया है।

औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण ऊर्जा के उपभोग में वृद्धि हुई है। बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता केवल आर्थिक गतिविधियों को नहीं दर्शाती बल्कि यह घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक जरूरतों के लिए ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को भी उजागर करती है। राज्य की ऊर्जा अवसंरचना इन बढ़ती मांगों के अनुरूप विकसित हुई है। नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण प्रणालियों में कई सुधार किए गए है। सतत् विकास को सुनिश्चित करने तथा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने के लिए, पारंपरिक स्रोतों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था का विस्तार होने से ऊर्जा की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है। विकास की गति बनाये रखने एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये राज्य में विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग तालिका 7.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.4 : राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग

(₹करोड़ में)

वर्ष	ऊर्जा उपलब्धता (जनरेटर से खरीदी गई)	शुद्ध उपलब्धता (वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध)	उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा
2021-22	9080.92	8446.61	6969.65
2022-23	10219.78	9399.57	7948.72
2023-24	10948.74	10113.94	8384.75
2024-25	11770.00	10735.55	9200.80
2025-26 (सितम्बर 2025 तक)	5830.80	5348.00	4731.90

2. उपभोक्ता

राजस्थान में विद्युत वितरण प्रणाली घरेलू, गैर–घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने हेतु संचालित की जाती है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में विशेष रुप से सुधार हुआ है जबकि शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण से बढ़ती माँग को पूरा किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण, स्मार्ट ग्रिड तकनीकों का उपयोग तथा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआइ) की शुरूआत ने वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाया है, जिससे दक्षता में सुधार एवं विद्युत क्षति में कमी आई है।

राजस्थान ने प्रसारण और वितरण परियोजनाओं में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे मूलभूत अवसंरचना एवं सेवा प्रदायगी में सुधार हुआ है। ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों तथा सतत् विकास पर केंद्रित प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली वर्तमान एवं भविष्य की ऊर्जा मांगों को पूर्ण करते हुए, राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग प्रदान करती है राजस्थान में मार्च, 2025 तक उपभोक्ताओं की संख्या 197.94 लाख थी, जो 2.44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवम्बर, 2025 तक 202.78 लाख तक पहुँच गई है। विद्युत कम्पनियों में श्रेणीवार उपभोक्ता तालिका 7.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 7.5 : श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या

(संख्या में)

क्र.सं.	श्रेणी	(मार्च, 2025 तक) उपभोक्ता	वर्ष 2025–26 के दौरान जारी किये गये कनेक्शन (नवम्बर तक अनुमानित)	वर्ष 2025–26 के दौरान उपभोक्ता (नवम्बर तक अनुमानित)
1	घरेलू आपूर्ति	15491156	353544	15844700
2	गैर घरेलू आपूर्ति	1779447	54804	1834251
3	औद्योगिक	328903	8768	337671
4	कृषि	2044113	64597	2108710
5	जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	92193	1181	93374
6	पथ–प्रकाश	29347	804	30151
7	मिश्रित भार	27894	676	28570
8	अन्य	602	602	1204
योग		**19793655**	**484976**	**20278631**

3. ग्रामीण विद्युतीकरण

राज्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण एक प्रमुख प्राथमिकता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्य ने 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास में सुधार की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

दिसम्बर, 2025 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, जो शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। यह प्रयास राष्ट्रीय मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर घर, विशेष रूप से दूरस्थ और उपेक्षित क्षेत्रों में, विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो। गांवों का विद्युतीकरण न केवल जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, बल्कि आवश्यक सेवाओं को संचालित करने में भी सहायक है, जिससे ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान में योगदान मिल रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा, राज्य ने व्यक्तिगत घरों मे भी विद्युत आपूर्ति करने पर ध्यान केंद्रित किया है। दिसम्बर, 2025 तक 1.14 लाख ढाणियों और 111.15 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिससे इन घरों में घरेलू कृषि और छोटे व्यवसायों के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

4. कृषि कनेक्शन

- वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में किसानों को 70,566 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं।
- वर्ष 2025–26 (नवम्बर तक) के दौरान किसानों को ₹14,612.19 करोड़ का टैरिफ अनुदान उपलब्ध करवाया गया।

5. राजस्थान में सौलर पंप और पावर प्लांट पहल

राजस्थान ने कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति में सुधार के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना को अपनाते हुए, राज्य में किसानों की मदद के लिए ऑफ–ग्रिड सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पीएम–कुसुम योजना के तहत, डिस्कॉम सबस्टेशनों के 5 किमी के भीतर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड / स्टिल्ट–माउंटेड ग्रिड–कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 5,250 मेगावाट की कुल स्वीकृत क्षमता है, जिसके अन्तर्गत 153 मेगावाट (संशोधित प्रथम–चरण), 397 मेगावाट (द्वितीय–चरण), अतिरिक्त 1,000 मेगावाट (संशोधित द्वितीय–चरण) और 3,700 मेगावाट (संशोधित तृतीय–चरण) शामिल हैं।

कम्पोनेन्ट–ए :

- **प्रथम चरण (संशोधित 153 मेगावाट)** – दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को एमएनआरई द्वारा परियोजना कमीशनिंग की समय–सीमा 31 दिसम्बर, 2025 तक बढ़ाई गई। माननीय आरईआरसी ने 3.14 रूपये प्रति यूनिट की सीलिंग प्री–फिक्स्ड लेवलाइज्ड टैरिफ को स्वीकृति प्रदान की, जबकि न्यूनतम खोजी गई टैरिफ 2.79 रूपये प्रति यूनिट रही। दिसम्बर, 2025 तक 468.75 मेगावाट क्षमता के 364 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।
- **द्वितीय चरण (संशोधित 1,000 मेगावाट)** – प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन, जिसे प्रारंभ में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) द्वारा संचालित किया जा रहा था, 23 जुलाई, 2024 को राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया गया। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) ने ₹3.04 प्रति केडब्ल्यूएच की पूर्व निर्धारित स्तरित टैरिफ को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद, 30 अक्टूबर 2024 को, सभी तीन डिस्कॉम ने पीएम–कुसुम योजना के घटक ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक्सप्रैस ऑफ इन्ट्रस्ट (ईओआई) जारी किया। दिसम्बर, 2025 तक 11 मेगावाट क्षमता के कुल 6 सौर विद्युत संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं।
- **तृतीय चरण (संशोधित 3,700 मेगावाट)**– राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड जयपुर द्वारा 5,000 मेगावाट क्षमता को तीनों डिस्कॉम्स में वितरित किया गया। इसके बाद में एमएनआरई द्वारा 4,000 मेगावाट की स्वीकृति को 3,700 मेगावाट संशोधित कर 20 जुलाई, 2025 को पुनः तीनों डिस्कॉम में वितरित किया गया। दिसम्बर, 2025 तक 2 मेगावाट क्षमता का 1 सौर विद्युत संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका हैं।

कम्पोनेन्ट–सी (फीडर लेवल सोलराईज़ेशन)

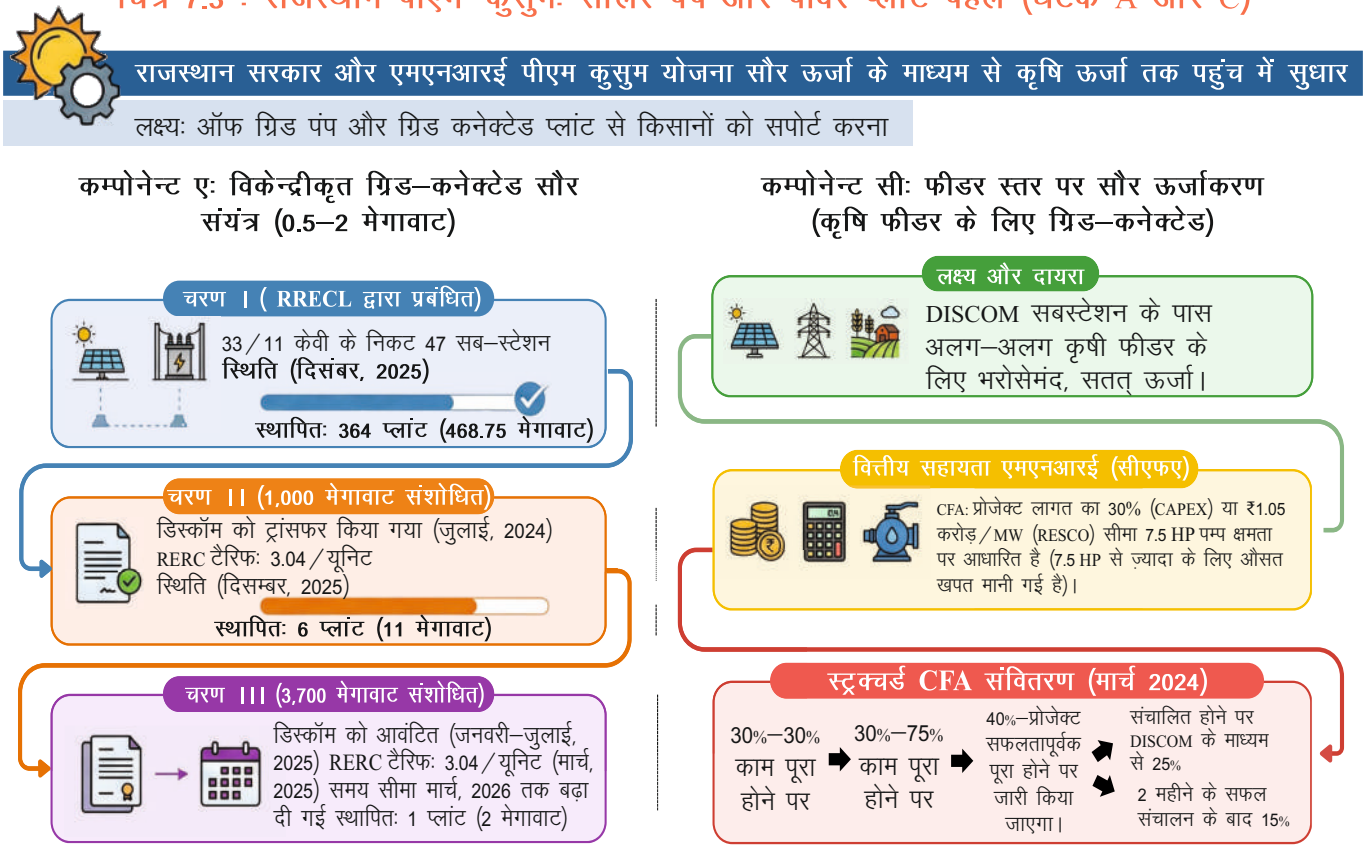
इस योजना के अंतर्गत पृथक कृषि फीडरों की वार्षिक विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिये डिस्कॉम सब–स्टेशनों के निकट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत संयंत्र स्थापित किए गये हैं। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं को सतत एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) मोड में परियोजना लागत का 30 प्रतिशत एवं नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मोड में ₹1.05 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है, जो प्रति पंप 7.5 हॉर्स पावर (एचपी) क्षमता तक सीमित है। 7.5 एचपी (या 15 एचपी, जहाँ लागू हो) से अधिक क्षमता वाले पंपों के लिए, उसी फीडर पर 7.5 / 15 एचपी पंपों की (सीएफए) औसत खपत को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए आधार माना गया है।

एमएनआरई के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) और आरईएससीओ मोड में चल रही परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता तीन किश्तों में जारी की जाती है–

- कुल कार्य के 30 प्रतिशत पूर्ण होने पर – 30 प्रतिशत
- कुल कार्य के 75 प्रतिशत पूर्ण होने पर – 30 प्रतिशत
- परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर 40 प्रतिशत की राशि का भुगतान निम्न प्रकार किया जाता है–
  - सौर संयंत्र के संचालित होने पर डिस्कॉम के माध्यम से 25 प्रतिशत
  - स्थापना के दो माह पश्चात् सफल संचालन होने पर 15 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी, बशर्ते कि इनमें से कम से कम एक माह में विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) में निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ प्राप्त किया गया हो।

यह सुनियोजित विवरण कृषि फीडर के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। दिसम्बर, 2025 तक 2,162 मेगावाट क्षमता के कुल 838 सौर विद्युत संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम कुसुम योजना राजस्थान के सोलर पंप और पावर प्लांट पहल (घटक ए एवं सी) को चित्र 7.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 7.3 : राजस्थान पीएम–कुसुमः सोलर पंप और पावर प्लांट पहल (घटक A और C)



6. घरों तक सौर ऊर्जा पहुंच का विस्तार

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना : भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरूआत 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र लगाकर प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना के माध्यम से अधिकतम ₹78,000 (3 किलोवाट या उससे अधिक) का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान में 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दिसम्बर, 2025 तक 1.22 लाख उपभोक्ताओं के लिए 493 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों के लिये सब्सिडी, बैंकों से रियायती ब्याज दरें तथा पंजीकरण, अनुमोदन और अनुदान वितरण के लिए पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत स्थापित उच्चतम क्षमता वाले 05 जिले जयपुर 110627 किलोवाट, श्रीगंगानगर 37023 किलोवाट, जोधपुर 30544 किलोवाट, सीकर 28117 किलोवाट और हनुमानगढ़ 25623 किलोवाट हैं।

150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना

150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना के अन्तर्गत लाभार्थी उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ 13 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं एवं पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं का विवरण तालिका 7.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.6 : मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ता एवं पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं

(संख्या में)

डिस्कॉम	मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत कुल पंजीकृत उपभोक्ता	150 इकाइयों के के लिए निःशुल्क बिजली योजना के पंजीकरण	पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आवेदन	इंस्टॉलेशन संख्या	स्थापित क्षमता (किलोवाट)
राजस्थान	1,03,86,589	2,82,895	22,082	8,309	29,683

- इन उपभोक्ताओं के घरों पर पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे और उन्हें एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के साथ ₹17,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दी जाएगी ।
- राजस्थान में डिस्कॉम द्वारा 2,604 उपभोक्ताओं को ₹4.42 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है एवं 1162 उपभोक्ताओं की सब्सिडी प्रक्रियाधीन है।
- राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा एक मॉडल सौर गांव घोषित किया गया है।

7. निःशुल्क विद्युत से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना

"मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को ₹1,000 प्रति माह (एक वर्ष में अधिकतम ₹12,000) का अनुदान दिया जा रहा था जिसका वित्त वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि अनुदान) में विलय कर दिया गया है। संशोधित योजना के अंतर्गत जून, 2023 से 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली आपूर्ती की जा रही है। यदि किसी माह विद्युत उपभोग 2,000 यूनिट से अधिक है तो पूर्व योजना के अन्तर्गत उस माह में ₹1,000 की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) कुल 19.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लगभग ₹16,001.72 करोड़ का अनुदान दिया गया है एवं 9.93 लाख कृषि उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किए गए हैं।

8. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत लाभ

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना अन्तर्गत 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली (शून्य बिल) दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता का विद्युत उपभोग एक माह में 200 यूनिट तक हैं, तो पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, स्थायी शुल्क और नगरीय उपकर बिल में छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं की मासिक उपभोग 200 यूनिट से अधिक है, उन्हें भी अन्य शुल्कों को छोड़कर प्रथम 100 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाती हैं।

वर्ष 2025–26 के (दिसम्बर तक) लगभग 98.03 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को ₹5,805.18 करोड़ (प्रावधानिक) अनुदान प्रदान किया गया जिसमें से लगभग 64.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किये गये हैं।

9. रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस)

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2021 को रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) अधिसूचना जारी की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत के आधार पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एवं सी.) हानियों को 12 से 15 प्रतिशत के स्तर पर कम करके और आपूर्ति की औसत लागत एवं कुल राजस्व आवश्यकता अंतर (ए.सी.एस.–ए.आर.आर.) को शून्य पर लाकर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। आर.ई.सी. द्वारा राज्य डिस्कॉम के लिये दिनांक 28 मार्च, 2022 को एल.आर एवं स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों तथा दिनांक 1 अगस्त, 2024 को अतिरिक्त फीडर पृथक्करण कार्यों को मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने आरडीएसएस की समाप्ति तिथि 31 मार्च, 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2028 कर दी है। विभिन्न गतिविधियों (आरडीएसएस) के तहत योजना की उपलब्धियों को तालिका 7.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.7 : विभिन्न गतिविधियों (आरडीएसएस) के अन्तर्गत योजना की उपलब्धियाँ

(संख्या में)

क्र.सं.	गतिविधि	लक्ष्य	उपलब्धि वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक)
1	नया 33/11 केवी सब–स्टेशन	214	165
2	कृषि फीडर पृथक्करण	1559	365
3	एचवीडीएस वितरण ट्रांसफार्मर	44125	20971
4	11 केवी फीडर द्विभाजन	7323	4096
5	33 केवी फीडर द्विभाजन	547	265
6	गाँवों में एलटी केबलिंग (कि.मी.)	42442	17833
7	कृषि पंपों पर कैपेसिटर लगाना	45512	14540
8	उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाना	14289736	2075315
9	डीटी मीटर लगाना	434608	28144
10	वंचित घरों का विद्युतीकरण	208592	108054

अक्षय ऊर्जा

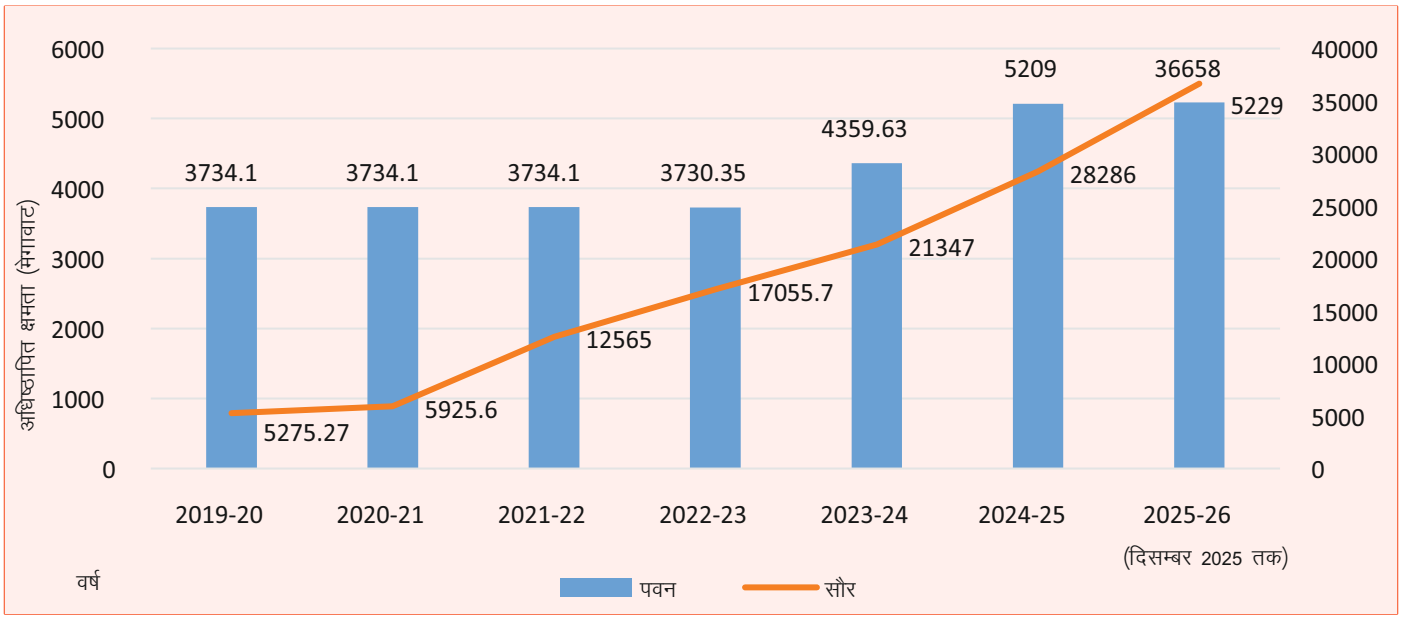
उपलब्ध सौर एवं पवन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हुए राजस्थान भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है, राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार में प्रगति की है, जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देती हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) को राज्य में गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की नोडल राज्य एजेंसी बनाया गया है तथा आरआरईसीएल को ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की राज्य नामित एजेंसी भी घोषित किया गया है।

क. सौर ऊर्जा उत्पादन

राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अपार क्षमता है, जहाँ सौर विकिरण तीव्रता 6 से 7 किलोवाट घण्टे/वर्गमीटर/प्रतिदिन तथा वार्षिक 325 से अधिक सौर दिवस हैं। जिसकी अनुमानित क्षमता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)के अनुसार 142 गीगावाट है। राज्य, जो पारंपरिक रूप से अपनी रेगिस्तानी भूमि के लिए प्रसिद्ध है, तेजी से हरित ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 का उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देना है। राज्य में दिसम्बर, 2025 तक रुफटॉप संयंत्रों एवं ऑफग्रिड संयंत्रों सहित 42,531 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इस नीति के तहत वर्ष 2029–30 तक 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, और ग्रीन हाइड्रोजन को बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ एकीकृत कर बढ़ावा दिया जाएगा ताकि 24 घंटे लगातार ऊर्जा उपलब्ध हो सके। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेषकर पीएम–कुसुम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ वर्ष–दर–वर्ष इसकी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पवन और बायोमास ऊर्जा में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह तुलनात्मक रूप से मध्यम गति से हुई है। राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्वि हुई है, जिसमें सौर ऊर्जा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सौर एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन को चित्र में 7.4 में दर्शाया गया है।

चित्र 7.4 : सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन



ख. सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास

नवीकरणीय ऊर्जा पार्क : यह नीति निजी पार्क डेवलपर्स द्वारा सौर/पवन/हाइब्रिड पार्क के विकास को बढ़ावा देती है, ताकि विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित करने के लिए सामान्य अवसंरचना का निर्माण किया जा सके।

राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड (आरआरडीसीएल) आरआरईसीएल का एक विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था/साधन है, जो नवीकरणीय ऊर्जा/सौर पार्कों के अवसंरचनात्मक प्रबंधन विकास के लिए स्थापित किया गया।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

1. भड़ला सोलर पार्क, जोधपुर में 2,245 मेगावाट क्षमता का सोलरपार्क चार चरणों (फेज) में विकसित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

   i. **प्रथम चरण (65 मेगावाट)** : राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जो कि आरआरईसीएल की सहयोगी कम्पनी है) द्वारा विकसित किया गया है एवं 65 मेगावाट क्षमता से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

ii. **द्वितीय चरण (680 मेगावाट)** : राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल) द्वारा 680 मेगावाट क्षमता का पार्क स्थापित।

iii. **तृतीय चरण (1,000 मेगावाट)** : आईएल एण्ड एफएस एनर्जी डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कम्पनी सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (एसयूआरएजे) द्वारा विकसित किया गया है एवं 1,000 मेगावाट क्षमता का पार्क स्थापित।

iv. **चतुर्थ चरण (500 मेगावाट)** : अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (जो कि अडानी व राज्य सरकार के मध्य संयुक्त उपक्रम कम्पनी है) के द्वारा विकसित किया जा गया है एवं 500 मेगावाट क्षमता का पार्क स्थापित।

भड़ला सोलर पार्क–प्रथम चरण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित किया गया है तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत विकसित किया गया है।

2. नोख सोलर पार्क (925 मेगावाट) विकास राजस्थान डवलपमेंट कम्पनी (आरआरईसी की सहयोगी कम्पनी) द्वारा किया गया है एवं 925 मेगावाट क्षमता का पार्क स्थापित।

एमएनआरई की सौर पार्क योजना के अन्तर्गत अन्य निर्माणाधीन सोलर पार्क्स का विवरण निम्नानुसार हैः–

i. फलोदी–पोकरण सोलर पार्क (750 मेगावाट): यह परियोजना एसेल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है, जो राजस्थान सरकार और एसेल इंफ्रा लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। 450 मेगावाट क्षमता का पार्क स्थापित।

ii. फतेहगढ़ चरण–आईबी (1,500 मेगावाट): संयुक्त उद्यम, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित। 1,496 मेगावाट क्षमता चालू कर दी गई है। इस सोलर पार्क में 500 मेगावाट की क्षमता और बढ़ाई गई हैं।

iii. पूगल सोलर पार्क (2,450 मेगावाट): राजस्थान सोलर–पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल) द्वारा इस परियोजना को तीन चरणों में 1600/6400 मेगावाट घंटा के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ विकसित किया गया है।

ग. रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रेस्को) मोड सोलर रूफ टॉप योजना

आरआरईसी द्वारा रेस्को मोड के तहत राजकीय भवनों पर ग्रिड इंटरएक्टिव रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक 5.3 मेगावाट क्षमता के संयंत्र प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

घ. हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम):

वर्ष 2024–25 के संशोधित बजट में, राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत सरकारी भवनों को रूफटॉप सोलर (आरटीएस) स्थापित करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) को इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। आरआरईसीएल ने राज्य भर में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर (आरटीएस) की स्थापना के लिए विक्रेताओं को आशय पत्र (एलओए) जारी किया है। वर्तमान में कुल 37 मेगावाट आरटीएस क्षमता स्थापित की गई है, जिनमें से 15.1 मेगावाट सरकारी भवनों में कार्यान्वित हो चुका है।

ड़. पवन ऊर्जा कार्यक्रम (पवन ऊर्जा)

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीटूयट ऑफ विण्ड एनर्जी (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊंचाई (धरातल स्तर से) पर अनुमानित क्षमता लगभग 284 गीगावाट है। राज्य दिसम्बर, 2025 तक कुल 5,229 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2025 तक 2,140 मेगावाट हाइब्रिड क्षमता प्रारम्भ की गई है जिसमें 885.60 मेगावाट पवन क्षमता शामिल है।

च. बॉयोमास ऊर्जा (जैविक द्रव्य ऊर्जा)

राजस्थान में बायोमास ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत है जिसके अन्तर्गत मुख्यतः सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल का उपयोग किया जाता है। दिसम्बर, 2025 तक 207.50 मेगावाट क्षमता के 20 बायोमास संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं वर्तमान में कुल 39 मेगावाट क्षमता के 4 बायोमास संयत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में बायोमास एवं वेस्ट टू ऐनर्जी नीति पेश की, जो कि 29 सितम्बर, 2023 से प्रभावी है।

छ. ग्रीन हाइड्रोजन

राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 2,000 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। पहले 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को विद्युत संचरण शुल्क एवं वितरण शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ होगा। इसके अलावा, राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए 70,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहले ही पंजीकृत की जा चुकी है।

ज. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

आरआरईसी ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी है। राज्य में आरआरईसी द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरणों एवं ऊर्जा बचत तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रचार गतिविधियों को अपनाया किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने को बढ़ावा देना और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है।

राजस्थान को जोड़नाः ग्रामीण मार्गों से औद्योगिक राजमार्गों तक

राजस्थान की भौगोलिक चुनौतियाँ, जिनमें विस्तृत मरुस्थलीय भू–भाग, पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा तटीय क्षेत्र का अभाव शामिल है, एक मजबूत और कुशल सड़क तंत्र की आवश्यकता को दर्शाती हैं। पड़ोसी राज्य बंदरगाह संपर्क के लिए राजस्थान पर निर्भर होने के कारण राज्य की सड़कें अंतर–राज्य और अंतरराज्यीय परिवहन मांगों को पूरा करने के लिए मजबूत होनी चाहिए। राजस्थान में सड़क नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है, जो वर्ष 1949 में 13,553 किमी से बढ़कर मार्च, 2025 तक 3.35 लाख किमी हो गया है। राज्य का सड़क घनत्व 97.97 किमी प्रति 100 वर्ग किमी तक पहुंच गया है तथा मार्च, 2025 तक 91.68 प्रतिशत गांव (39,666 गांव) सड़कों से जुड़े हुए हैं। राज्य में कुल वर्गीकृत सड़कों की लंबाई तालिका 7.8 में दी गई है।

तालिका–7.8 : राज्य में मार्च, 2025 तक सड़कों की लम्बाई

(किमी. में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	10790	0	0	0	10790
2	राज्य राजमार्ग	17298	9	0	9	17316
3	मुख्य जिला सड़क	17955	45	120	114	18234
4	अन्य जिला सड़क	57119	6649	212	8843	72822
5	ग्रामीण सड़क	169000	2184	41895	3065	216144
योग		**272162**	**8886**	**42226**	**12031**	**335306**

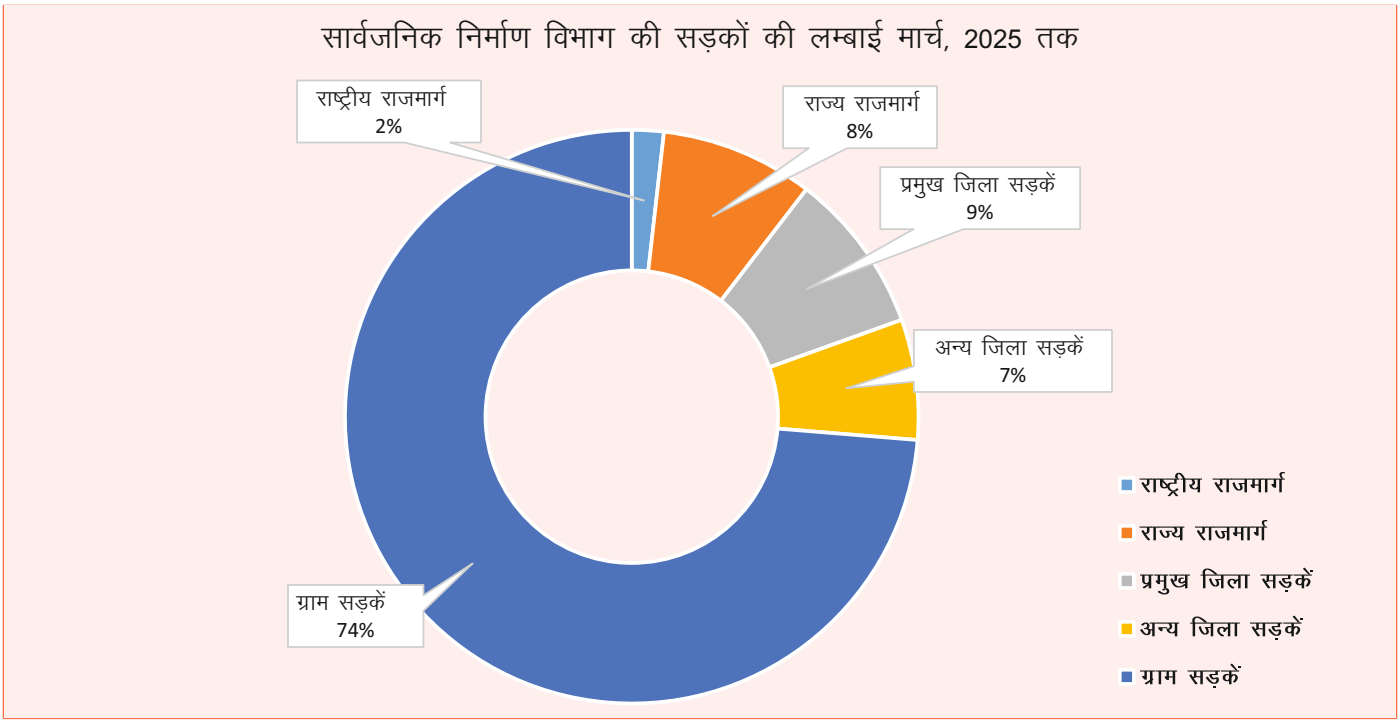
3.35 किमी. कुल सड़कों में से 1.97 किमी. सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जिनका वर्गीकरण तालिका 7.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.9 : राज्य में मार्च, 2025 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़को का वर्गीकरणानुसार

(किमी. में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	3540	0	0	0	3540
2	राज्य राजमार्ग	16986	9	0	9	17004
3	मुख्य जिला सड़क	17635	45	120	114	17914
4	अन्य जिला सड़क	13193	5	159	0	13357
5	ग्रामीण सड़क	142276	585	2375	0	145236
योग		**193631**	**644**	**2654**	**124**	**197051**

चित्र 7.5 : राजस्थान में सड़कों की लंबाई (मार्च, 2025 तक)



दिल्ली–वडोदरा–मुंबई और अमृतसर–जामनगर ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जैसी रणनीतिक परियोजनाएँ राजस्थान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं। ये कॉरिडोर परिवहन दक्षता को बढ़ावा देते हैं, यात्रा समय को कम करते हैं और सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। खनन क्षेत्र को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए, भारी मशीनरी का संचालन, ग्रामीण अवसंरचना की सुरक्षा और संसाधनों के कुशल परिवहन के लिए टिकाऊ कंक्रीट सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस तरह के निवेश न केवल खनन क्षेत्र को सुदृढ़ करते हैं बल्कि ग्रामीण कनेक्टिविटी में भी सुधार कर आर्थिक विकास को गति देते हैं।

रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स सुरक्षा और कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) तथा रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। अवरोधों को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इन परियोजनाओं में तेजी लाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जलवायु–संवेदनशील अवसंरचना की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य हाइड्रोलॉजिकल आकलनों के आधार पर उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये पुल न केवल विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं, बल्कि बाढ़ के जोखिमों को भी कम करते हैं और सीमित संसाधनों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हैं।

राजस्थान द्वारा अपनी सड़क अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता उसके विश्वस्तरीय परिवहन नेटवर्क के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाती है। राज्य ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार–लेन कॉरिडोर में उन्नत करने के लिए सहयोग किया है, जिससे यात्रा समय घटकर मात्र तीन घंटे रह जाएगा। राज्य फ्लाईओवर, रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) और रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का एक विस्तृत नेटवर्क विकसित करने की योजना को भी आगे बढ़ा रहा है। केन्द्र सरकार के समन्वय से जोधपुर रिंग रोड का कार्य तेजी से पूर्ण करने तथा अन्य शहरों में भी ऐसी ही रिंग रोड बनाने का कार्य किया जा रहा है। सड़क विकास को तीव्रता से बढ़ाने के लिए 47 राष्ट्रीय राजमार्गों और 23 राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए रणनीतियाँ तैयार की गई हैं। साथ ही, राजस्थान सड़क विकास और रखरखाव कार्यक्रम के तहत, राज्य अगले पांच वर्षों में ₹10,000 करोड़ का निवेश करेगा ताकि उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके तथा टिकाऊ एवं प्रभावी परिवहन अवसंरचना का विकास हो।

राजस्थान निर्बाध कनेक्टिविटी, जलवायु–संवेदनशील और उन्नत तकनीकी सुविधाओं से युक्त एक विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क की योजना बना रहा है, राज्य की योजना राजमार्गों का विस्तार करने, सभी जिला मुख्यालयों के लिए बाईपास बनाने, राज्य राजमार्गों और डीएफसीसी स्टेशन लिंक को चार–लेन मानकों में अपग्रेड करने और रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की है। एकीकृत परिवहन प्रणालियाँ प्रमुख केंद्रों को आपस में जोड़ेगी, जबकि सतत् विकास पद्धतियों एवं पर्यावरण–अनुकूल सामग्रियों के उपयोग से पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा। उभरती हुई तकनीकों जैसे एआई–आधारित घटना प्रबंधन और जीएनएसएस टोलिंग के उपयोग से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। पीएम गति शक्ति योजना के तहत, यह दृष्टिकोण समावेशी विकास को बढ़ावा देने और राजस्थान को आधुनिक अवसंरचना विकास में अग्रणी के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य रखता है।

सड़क अवसंरचना : प्रगति एवं रणनीतिक पहल

- केंद्रीय सड़क आधारभूत निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत कुल 10 रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) पूर्ण किये जा चुके हैं, 33 आरओबी निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 14 रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) पूर्ण किए गए हैं तथा 14 आरयूबी सीआरआईएफ एवं अन्य राज्य योजनाओं के तहत प्रगति पर हैं।
- जयपुर– किशनगढ़– अजमेर– जोधपुर– पचपदरा हाई–स्पीड कॉरिडोर के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करने का कार्य एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है। डीपीआर का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।
- जोधपुर रिंग रोड पैकेज– I और पैकेज–II (जो कि 30.00 किमी लंबा है) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025–26 के बजट घोषणा में 15 शहरों में रिंग रोड निर्माण करने की घोषणा की गई है। उनके विवरण निम्नलिखित हैं:
  - कोटपुतली में रिंग रोड का निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है तथा सीकर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
  - डीग, प्रतापगढ़, बालोतरा तथा करौली के रिंग रोड़ के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जा चुकी है।
  - हनुमानगढ़ और टोंक में रिंग रोड़ डीपीआर का कार्य प्रगति पर है।
  - झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बांसवाड़ा में रिंग रोड परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है।
- 47 राष्ट्रीय राजमार्गों में से 26 का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 17 प्रगतिरत निर्माण कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें जून, 2026 तक पूरा किया जा सके और 4 कार्यों को बंद कर दिया गया है।
- राजस्थान सड़क विकास एवं अनुरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी पाँच वर्षों में ₹60,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। वर्ष 2025–26 में (नवंबर तक) कुल ₹17,383.81 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹6,251 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वार्षिक योजना–वार उपलब्धि (2025–26):

राज्य सड़क निधि (एसआरएफ):– योजना के तहत रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी), अन्य जिला सड़कें (ओडीआर), मुख्य जिला सड़कें (एमडीआर), मिसिंग लिंक के निर्माण तथा राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों की चौड़ाई एवं वहन क्षमता में सुधार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत गाँवों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास भी सम्मिलित है। वर्ष 2025–26 के लिए ₹1,650 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,186 किमी सड़क निर्माण का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, 2025 तक ₹1,080.03 करोड़ की लागत से 1,455 किमी सड़क नेटवर्क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नाबार्ड: इस योजना का लक्ष्य मिसिंग लिंक और मरम्मत अयोग्य सड़कों का निर्माण करना है। वर्ष 2025–26 के लिए ₹1,200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें 2,109 किमी सड़क निर्माण का भौतिक लक्ष्य है। दिसम्बर, 2025 तक ₹367.45 करोड़ की लागत से 1,632 किमी सड़कें विकसित की जा चुकी हैं।

एसएमआर–राज्य राजमार्ग:– इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के लिए ₹1,000 करोड़ बजट प्रावधान किया गया है, जिसका भौतिक लक्ष्य 150 किमी निर्धारित किया गया है। दिसम्बर, 2025 तक ₹315.70 करोड़ की लागत से 162 किमी सड़क निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। दिसम्बर, 2025 तक 95.76 किमी सड़क के विकास हेतु ₹300.56 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

एसएमआर–प्रमुख जिला सड़कें और अन्य सड़कें :– इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के लिये ₹700 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें 460 किमी सड़कें बनाने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिसम्बर, 2025 तक ₹505.04 करोड़ की लागत से 470 किमी सड़क निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। दिसम्बर, 2025 तक इस योजना के तहत कुल 446.20 किमी लंबाई की 107 परियोजनाओं के लिए ₹420.87 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कि जा चुकी है।

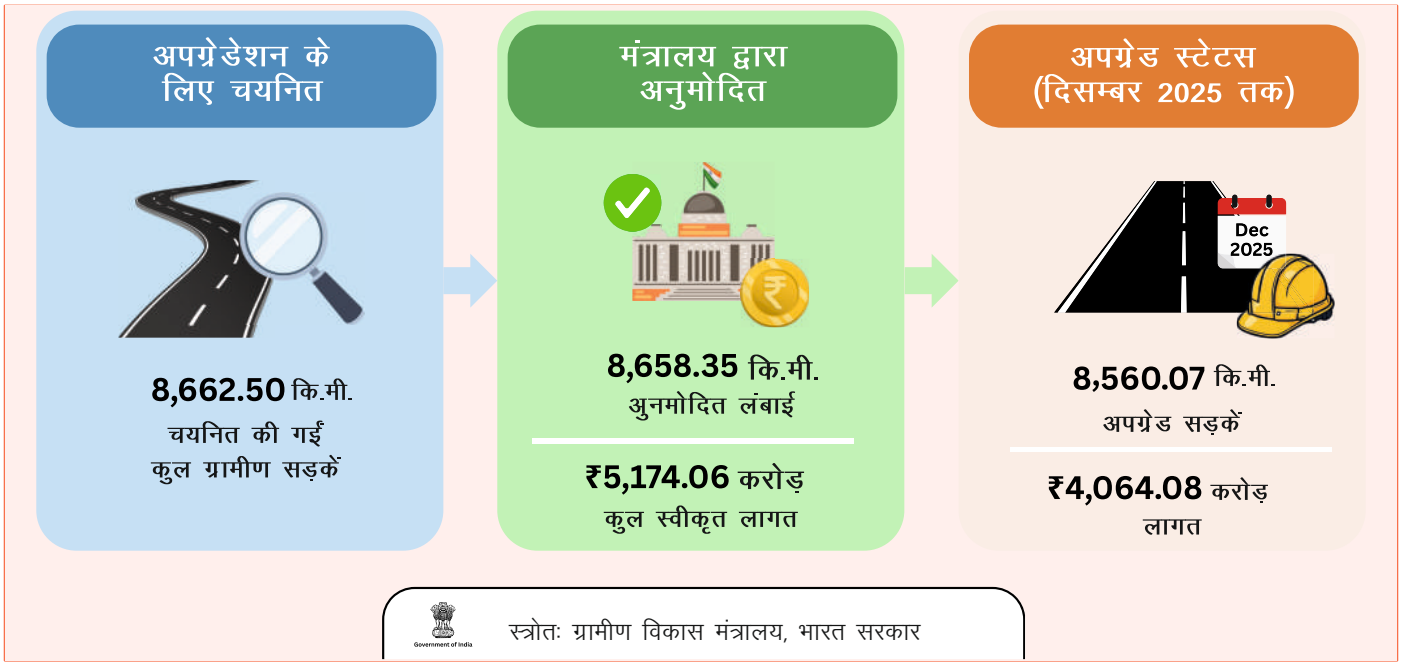
ग्रामीण सड़कें:– इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक और मरम्मत अयोग्य सड़कों का निर्माण करना है। वर्ष 2025–26 के लिए ₹7,200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें 9,675 किमी की सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, 2025 तक ₹2,723.39 करोड़ की लागत से 7,368 किमी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2025 तक 12,249.80 किमी लंबाई की कुल 5,242 परियोजनाओं को ₹4,814.39 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है।

शहरी सड़कें:– इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मिसिंग लिंक और मरम्मत अयोग्य सड़कों के विकास हेतु वर्ष 2025–26 में ₹350 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें 150 किमी सड़क निर्माण का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिसम्बर, 2025 तक ₹206.75 करोड़ की लागत से 168 किमी सड़क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिसम्बर, 2025 तक ₹291.40 करोड़ की लागत से 330.34 किमी लंबाई की 484 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।

केंन्द्रीय आधारभूत सड़क निधी (सीआरआईएफ):– भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित योजना राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण करने पर केंद्रित है। वर्ष 2025–26 के लिए ₹1,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें 1,050 किमी सड़कों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिसम्बर, 2025 तक ₹1,251.60 करोड़ की लागत से 735 किमी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दिसम्बर, 2025 तक 1,000.90 किमी सड़क निर्माण के लिये ₹1,914.70 करोड़ प्राप्त हो चुके है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)–III: इस योजना के अंतर्गत 8,662.50 किमी ग्रामीण सड़कों को उन्नयन हेतु चयनित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 8,658.35 किमी सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत ₹5,174.06 करोड़ है। दिसम्बर, 2025 तक ₹4,064.08 करोड़ की लागत से 8,560.07 किमी सड़कों का उन्नयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसे चित्र 7.6 में दर्शाया गया हैं।

चित्र 7.6 : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)–III
ग्रामीण सड़क उन्न्यन स्थिति (दिसंबर, 2025 तक)



प्रधानमंत्री–जनमन योजनाः बारां जिले में 38 बिना सम्पर्क वाली बस्तियों को ₹68.87 करोड़ की लागत से 98.69 किमी नई सड़कों से जोड़ा जाएगा। दिसम्बर, 2025 तक ₹10.85 करोड़ की लागत से 21.19 कि.मी सड़कों का विकास किया गया है।

वित्तीय प्रोत्साहन योजनाः राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ₹941.91 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया, इसके माध्यम से दिसम्बर, 2025 तक ₹898.15 करोड़ की लागत से पीएमजीएसवाई की 10,536 किमी सड़कों का नवीनीकरण संभव हुआ।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना –2: इस परियोजना की कुल लागत ₹2,617.04 करोड़ है, जिसमें से ₹1,310.81 करोड़ का ऋण एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से लिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 754 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) पर परिवहन दक्षता में सुधार करना है जिसमें सुरक्षा सुविधाएं और जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता को शामिल किया गया है। इस परियोजना में मार्च 2025 तक ₹1,624.32 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट–3: इस एडीबी–वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत 290 किमी राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों को ₹1,287.15 करोड़ की लागत से बेहतर बनाया जाएगा। परियोजना में मार्च 2025 तक ₹876.36 करोड़ की राशि व्यय कि जा चुकी है तथा इसे सितम्बर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

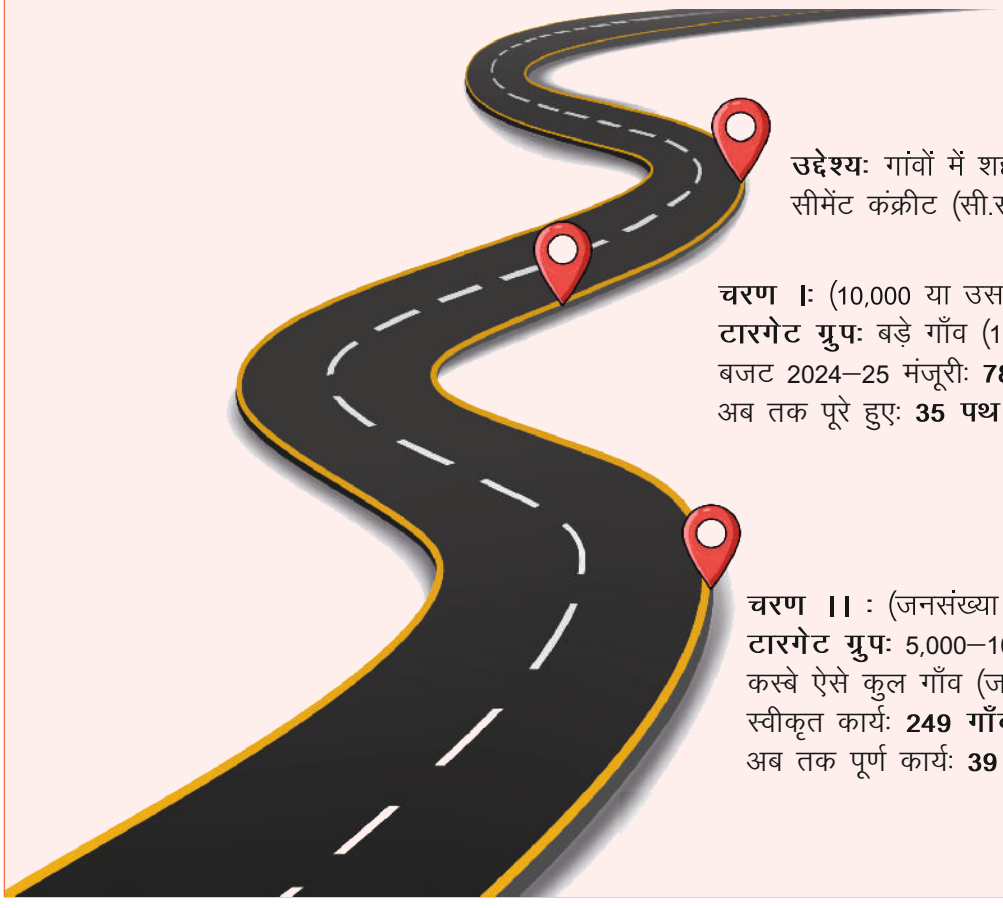
राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजनाः यह परियोजना विश्व बैंक ट्रॉंच–द्वितीय के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत 14 राज्य राजमार्गों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के प्रारंभ से लेकर मार्च, 2025 तक राज्य सरकार द्वारा ₹533.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जिसमें 1 कार्य पूर्ण हो चुका है, 7 कार्य प्रगति पर एवं 6 कार्यों की डीपीआर प्रगति पर है।

अटल प्रगति पथ – राज्य सरकार द्वारा अटल प्रगति पथ की शुरुआत शहरी क्षेत्रों के समान गाँवों में भी सीमेंट कंक्रीट सड़क की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु हुई है।

पहले चरण में, सीमेंट कंक्रीट अटल प्रगति पथ 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों मे बनाये जाएंगे। वर्ष 2024–25 के बजट घोषणा के पहले चरण में 78 अटल प्रगति पथों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इनमें से 35 अटल प्रगति पथों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

दूसरे चरण में, इसे 5,000 से 10,000 तक की आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 5,000 से 10,000 तक की आबादी वाले 832 गाँव हैं। इस संदर्भ में, 249 गाँवों में अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। 39 कार्य पूर्ण हो चुके हैं जिन्हें चित्र 7.7 में दर्शाया गया है:–

चित्र 7.7 : अटल प्रगति पथ



उद्देश्य: गांवों में शहरी सड़कों जैसी सुविधाओं वाली सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) सड़कें उपलब्ध कराना।

चरण I: (10,000 या उससे ज्यादा आबादी वाले गाँव)
टारगेट ग्रुप: बड़े गाँव (10,000 से अधिक आबादी)
बजट 2024–25 मंजूरी: **78 अटल प्रगति पथ**
अब तक पूरे हुए: **35 पथ बनाए गए**

चरण II : (जनसंख्या 5,000–10,000)
टारगेट ग्रुप: 5,000–10,000 की आबादी वाले ग्रामीण कस्बे ऐसे कुल गाँव (जनगणना 2011): **832 गाँव**
स्वीकृत कार्य: **249 गाँव**
अब तक पूर्ण कार्य: **39 कार्य पूर्ण हुए**

एकीकृत परिवहन: आर्थिक विकास और गतिशीलता की दिशा में कदम बढ़ाना

परिवहन आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है, यह विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करता है एवं कनेक्टिविटी में सुधार लाता है। एकीकृत परिवहन प्रणाली के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के लिए नए अवसर सृजित किये जा रहे है। परिवहन प्रणाली के उन्नयन से राज्य भर में आर्थिक गतिविधियाँ, रोजगार सृजन तथा वस्तुओं एवं लोगों की गतिशीलता में सुधार देखने को मिल रहा है।

सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क का उपयोग व्यापार को प्रोत्साहन देने, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु किया जा रहा है। यातायात जाम एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए सतत् एवं आधुनिक परिवहन अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट परिवहन प्रौद्योगिकियों, विद्युत वाहनों तथा पर्यावरण–अनुकूल व्यवहारों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने, शहरीकरण को सुगम बनाने तथा सभी नागरिकों के लिए सुलभ परिवहन सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल एवं पर्यावरण–सचेत परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी)

आरएसआरटीसी राज्य में सुगम, विश्वसनीय और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने में एक अहम भूमिका निभाता

है। राज्य की प्रमुख बस सेवा प्रदाता संस्था के रूप में निगम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हुए निवासियों एवं पर्यटकों के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करता है। आरएसआरटीसी राजस्थान में व्यापक नेटवर्क के साथ क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देने, आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और समग्र परिवहन बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। आरएसआरटीसी द्वारा दिसम्बर, 2025 तक कुल 3,423 स्वयं भू–स्वामित्व तथा किराए पर ली गई निजी बसों का संचालन किया गया। निगम द्वारा प्रतिदिन औसतन 2,968 बसों का संचालन किया जा रहा है, जो 2,025 मार्गों पर 12.46 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रतिदिन लगभग 7.27 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक वाहन बेड़ों की स्थिति तालिका संख्या 7.10 में दर्शाई गई है:–

तालिका 7.10 : वर्षवार वाहन बेड़ों की स्थिति

(संख्या में)

विवरण / वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसम्बर तक)
निगम वाहन	3466	3157	2833	2733	2600
अनुबन्धित वाहन	860	826	832	821	823
योग	**4326**	**3983**	**3665**	**3554**	**3423**
बेड़े की औसत आयु (वर्षों में)	6.34	7.22	7.90	7.06	5.98
बेड़े में सम्मिलित नए वाहन	शून्य	शून्य	शून्य	510	300
नकारा किए गए वाहन	385	375	268	437	513

नागरिकों को प्रदत्त लाभ (2025–26):

- निगम के द्वारा ''महिला दिवस'' एवं ''रक्षा बन्धन'' पर क्रमशः 7.50 लाख एवं 16.03 लाख महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- रेल / हवाई यात्रा की तर्ज पर यात्रियों की सुविधा हेतु निगम की वोल्वों, स्केनिया तथा वातानुकूलित बसों में शुल्क आधारित केटरिंग सुविधा प्रारम्भ की गयी।
- यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु निगम द्वारा सुरक्षा नियंत्रण एवं कमांड सेंटर की स्थापना की गई है।
- निगम द्वारा धार्मिक स्थानों के लिये वातानुकूलित बसों का संचालन शुरु किया गया है।
- निगम द्वारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित रोगी को एक सहयोगी के साथ निगम की साधारण एंव द्रुतगामी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है।
- निगम द्वारा वर्ष 2025–26 मे (दिसम्बर तक) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों में सम्मिलित होने हेतु 102.87 लाख परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है।

मोटर वाहन पंजीयन

सुदृढ़ परिवहन प्रणाली आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक होती है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) में कुल 13.41 लाख वाहनों का पंजीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 (दिसंबर तक) के लिए वाहन पंजीकरण की स्थिति तालिका 7.11 में दर्शायी गई है।

तालिका 7.11 : राजस्थान में वर्षवार पंजीकृत वाहन

(संख्या में)

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	2024–25	2025–26 (दिसम्बर तक)
1	दुपहिया	1151680	956690
2	ई–रिक्शा	14062	9015
3	ई–कार्ट	6275	4285
4	तिपहिया (यात्री)	20664	16554
5	तिपहिया (भार)	5204	4340
6	मोटर कैब / मैक्सी कैब	12155	10736
7	मोटर कार	217876	182629
8	बस / ओमनी बस	2801	2150
9	एम्बुलेंस	1502	964
10	स्कूल बस	1923	1958
11	कृषि ट्रेक्टर	112285	93227
12	ट्रेक्टर–ट्रोली (व्यावसायिक)	2308	1347
13	अर्टिकुलेटेड / डम्पर / ट्रेलर	16209	10876
14	माल वाहक	50328	39462
15	कंसट्रक्शन / अर्थ मूविंग ईक्यूपमेन्ट	6196	3787
16	अन्य	3039	3269
कुल		**1624507**	**1341289**

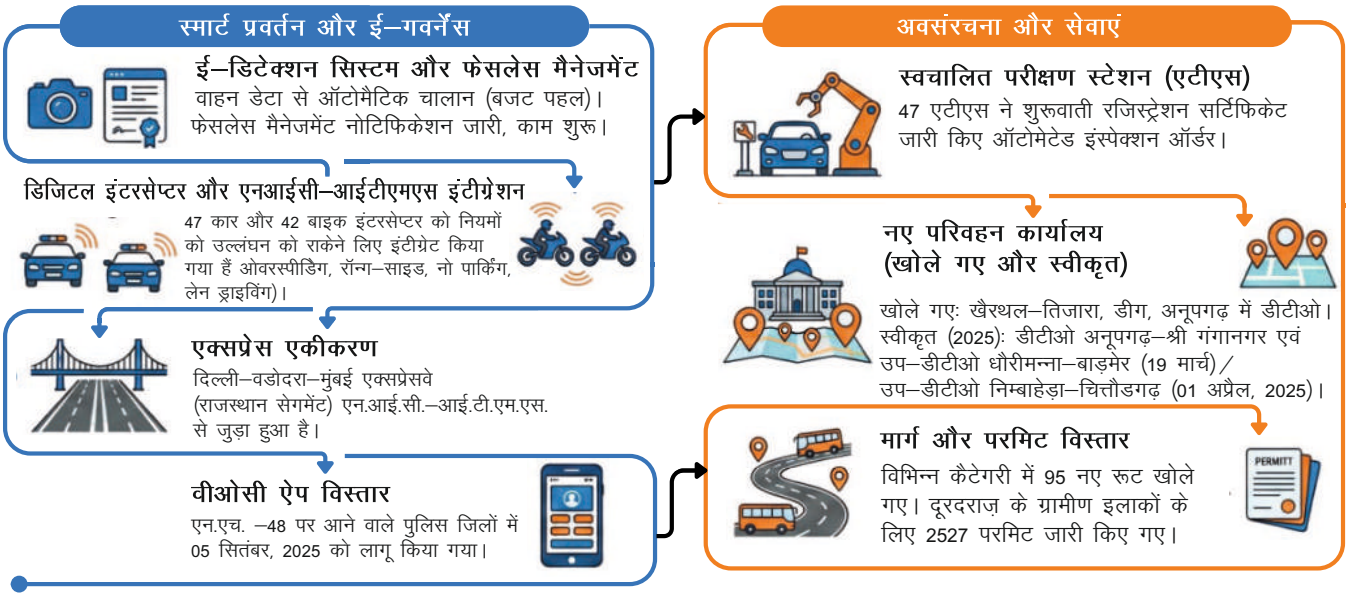
राजस्व उपलब्धियां: वर्ष 2024–25 में कुल ₹7,573.91 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया था। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) कुल ₹5417.96 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

योजना / कार्यक्रम एवं नवाचार

- ई–डिटेक्शन प्रणाली राज्य की नई ई–गवर्नेस पहल का हिस्सा है। इस प्रणाली के माध्यम से टोल द्वारा अपलोड किए गए वाहनों के आंकड़ों का प्रसंस्करण किया जाता है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध स्वचालित चालान जारी किए जाते हैं।
- 47 डिजिटल कार इंटरसेप्टर तथा 42 बाइक इंटरसेप्टर को एनआईसी–आईटीएमएस से एकीकृत किया गया और इनसे ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, नो पार्किंग, लेन ड्राइविंग आदि उल्लंघनों पर कार्रवाई की जा रही है।
- दिल्ली–वडोदरा–मुंबई एक्सप्रेसवे में राजस्थान के हिस्से का एनआईसी–आईटीएमएस से एकीकरण पूर्ण हो चुका है। 1 अगस्त, 2024 से अधिक गति से वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
- 02 जुलाई, 2025 को आदेश जारी कर स्वचालित परीक्षण केंद्रों को स्वचालित मशीनों के माध्यम से वाहनों की जांच करने की अनुमति प्रदान की गई है। अब तक 47 स्वचालित परीक्षण केंद्रों को प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किए जा चुके हैं।

राज्य के प्रत्येक कोने, विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 95 मार्ग प्रारंभ किये गए हैं। इस संबंध में कुल 2,527 परमिट जारी किए गए हैं। राजस्थान परिवहन योजनाओं और नवाचारों का विवरण चित्र 7.7 में दर्शाया गया है।

चित्र 7.7 : राजस्थान परिवहन योजनाएं और नवाचार : ई–गवर्नेंस और आधुनिकीकरण



रेलवे

राजस्थान की रेलवे अवसंरचना राज्य की कनेक्टिविटी, आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा प्रबंधित अपने व्यापक नेटवर्क के कारण राज्य के यात्रियों और माल दोनो के कुशल परिवहन का लाभ मिलता है। विद्युतीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रयासों से संचालन की दक्षता, पर्यावरणीय संतुलन और लागत प्रभावशीलता में वृद्धि हो रही है।

राज्य का रेल नेटवर्क मुख्यतः नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (एनडब्ल्युआर) जोन द्वारा संचालित है, जो विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए आर्थिक विकास को सक्षम बनाता है। यह नेटवर्क जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रेल मार्गों को सम्मिलित करता है।

रेलवे नेटवर्क यात्री एवं माल ढुलाई सेवाओं को सहयोग प्रदान करता है तथा सीमेंट, नमक, खनिज एवं कृषि उत्पादों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स जैसी विरासत रेलगाड़ी भी हैं, जो राज्य के पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देती है। राज्य में चल रहे आधुनिकीकरण प्रयासों के अन्तर्गत रेलवे विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण एवं संपर्क व्यवस्था में सुधार जैसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे संचालन की दक्षता में सुधार तथा राज्य के आर्थिक लक्ष्यों को सुदृढ़ किया जा सके।

रेलवे लाइन का विद्युतीकरणः– राज्य में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण अनेक लाभ प्रदान करता है जिनमें सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है। विद्युतीकृत रेल नेटवर्क लागत–प्रभावी होने के साथ–साथ परिचालन दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार करता है। जिससे तीव्र गति की रेलगाड़ियों की सुविधा मिलती है, माल परिवहन क्षमता में वृद्धि होती है, रखरखाव की आवश्यकता कम होती है जिससे टर्न–अराउंड समय कम होता है। रेलवे विद्युतीकरण में सुधार से न केवल जन परिवहन और संपर्क को मजबूती मिलेगी, बल्कि लॉजिस्टिक क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे राजस्थान उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के बीच एक प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में उभरेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने लगभग 100 प्रतिशत रेलमार्ग विद्युतीकरण पूर्ण कर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। विद्युतीकरण से डीजल ईंधन पर निर्भरता कम हुई है, परिचालन लागत में कमी आई है और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ हुआ है, बल्कि रेलगाड़ियों की गति और विश्वसनीयता भी बढ़ी है।

रेलवे आधारभुत विकासः– उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई महत्वपूर्ण रेलखंडों पर दोहरीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। चूरू–रतनगढ़ (43 किलोमीटर), काठूवास–अटेली (10 किलोमीटर), कुंड–काठूवास (5 किलोमीटर) और मनहेरू– भिवानी (14

किलोमीटर) रेलखंडों का दोहरीकरण कार्य पूर्ण किया गया है। इन रेलखंडो के दोहरीकरण होने से रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा है तथा लाइन क्षमता में बढ़ोतरी होगी तथा अधिक रेलगाड़ियों का संचालन किया जा सकेगा साथ ही उनकी गति में भी वृद्वि होगी।

अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से राजस्थान के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन स्टेशनों को राज्य की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में विकसित किया जा रहा है, साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। रेलवे की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा आम जनता के समक्ष प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 7 नवम्बर, 2025 को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर "स्टेशन उत्सव" का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की रेलवे विरासत को प्रदर्शित किया गया।

25 सितंबर, 2025 को नापला, बांसवाड़ा से 3 तीन नई रेल सेवाओं जोधपुर–दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, बीकानेर–दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी–चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। इन सेवाओं से राजस्थान को देश की राजधानी और उत्तर भारत से तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल संपर्क प्राप्त हुआ है।

तकनीकी विकास और सुरक्षाः– रेल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। वर्तमान में पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पर 256 रूट किलोमीटर में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया जा चुका है, जिसमें से 82 किलोमीटर का कार्य वर्ष 2025–26 के दौरान पूर्ण किया गया है। ऑटोमैटिक सिग्नलिंग से मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होती है और रेलखंड की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, रेलवे द्वारा 75 स्टेशनों पर डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

यात्री सुविधाएंः– 22 मई, 2025 को देशनोक, से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रेल के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर शेखावाटी, राजगढ़, मंडी डबवाली, गोगामेड़ी और देशनोक स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। स्टेशनों पर सर्कुलेटिंग एरिया के सुनियोजित विकास, आगमन और प्रस्थान की बेहतर व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था में सुधार किया गया है। इसके साथ ही प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफार्म शेल्टर प्रदान किए गए हैं, जो गर्मी और बरसात के मौसम में यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगे। उपयोगकर्ताओं को स्वच्छ और आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिक शौचालयों का निर्माण व सुधार किया गया है। नए स्टेशन भवन पर पोर्च का निर्माण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, पर्याप्त और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश हॉल, वेटिंग हॉल, स्टेशन भवन के अग्रभाग का सुधार, नए प्लेटफार्म शेल्टर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के साथ नए शौचालय ब्लॉक और पानी के बूथ, बेहतर साइनेज, प्लेटफार्म पर कोच इंडिकेशन बोर्ड शामिल हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन को मदार जंक्शन–दरभंगा के बीच अक्टूबर, 2025 को शुरू किया गया। 29 नवम्बर, 2025 को जैसलमेर स्टेशन से दिल्ली (शकूर बस्ती) नई रेलसेवा (स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस) को शुरू किया गया।

राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति, 2024

नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि इसके विकास का सीधा प्रभाव देश के अन्य क्षेत्रों पर पड़ता है। यात्रियों एवं वस्तुओं की त्वरित आवाजाही से न सिर्फ दक्षता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ती है अपितु मजबूत व्यवसाय का वातावरण भी उत्पन्न होता है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान होता है, साथ ही यह क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हवाई अड्डों, एयरलाइंस, कार्गो अनुरक्षण मरम्मत एवं ऑवरहाल संगठनों (एमआरओ), उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ), उड्डयन अकादमी, ग्राउंड हैंडलिंग एवं अन्य संबंधित उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलबध कराता है। पर्यटन, नागरिक उड्डयन से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। नागरिक उड्डयन विभिन्न स्थलों के लिए सुगम उड़ान सुविधा प्रदान कर पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस क्षेत्र को विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 जारी की गई है।

राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के मुख्य उद्देश्यः– नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा अपितु रोजगार उत्पन्न होगें एवं क्षेत्रीय विकास भी संतुलित होगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं प्रभावी निगरानी के माध्यम से विमानन क्षेत्र की सुरक्षा एवं वहन क्षमता को सुनिश्चित करना। राजकोषीय सहायता एवं आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाना तथा सरलीकृत

प्रक्रियाओं, विनियम एवं ई–प्रबंधन के माध्यम से व्यवसाय में सहुलियत लाना। नागरिक विमानन क्षेत्र की संपूर्ण श्रृंखला के सामंजस्य पूर्ण संवर्धन हेतु कार्गो, एम.आर.ओ., जनरल एवियेशन, एयर एम्बुलेंस, एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, एरो स्पोर्टस एवं कौशल विकास को शामिल किया जाना।

प्रमुख केन्द्रीत क्षेत्र

- विभिन्न हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों, हैलीपेड और हेलीपोर्टस पर वर्तमान में उपलब्ध नागरिक उड्डयन से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जाकर उपयोग में सुधार किया जाना। प्रथम चरण में उत्तरलाई एवं उदयपुर हवाई अड्डे का उन्नयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चकचौनपुरा (सवाईमाधोपुर), नागौर, हमीरगढ़ (भीलवाड़ा), आबू रोड (सिरोही) और लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर) हवाई पट्टियों के उन्नयन हेतु भी आवश्यक तकनीकी उपकरणों व यंत्रों की स्थापना कर रात्रि–उड़ान परिचालन योग्य बनाया जाना।
- प्रमुख हवाई अड्डों पर शहर की तरफ विकास कार्य किया जाना। प्रथम चरण में जयपुर हवाई अड्डे पर शहर की तरफ विकास कार्य प्रारम्भ किया जाना।
- व्यवसाय एवं पर्यटन के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर नवीन हवाई अड्डे का विकास किया जाना। प्रथम चरण में भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के सहयोग से कोटा में नवीन हवाई अड्डा विकसित किया जाना।
- यात्रियों एवं कार्गो के लिए सुरक्षित, किफायती, संरक्षित और स्थाई/सतत् हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। प्रथम चरण में जयपुर हवाई अड्डों पर कार्गो कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाना तथा अन्य समान क्षमता वाले हवाई अड्डों को सम्मिलित करने के प्रयास किये जायेंगे। अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर रिजनल कनेक्टिविटी योजना एवं अन्य विकल्पों के माध्यम से हवाई सेवा में सुधार किया जाना, प्रथम चरण में उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर को जोड़े जाने के प्रयास किये जायेंगे।
- नागरिक उड्डयन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि उड़ान प्रशिक्षण संगठन, विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संगठन, रख–रखाव मरम्मत एवं ऑवरहॉल संगठन, विमान व पूर्जो के निर्माण इत्यादी में निवेश को आकर्षित किया जाना, प्रथम चरण में झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना किया जाना है।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संवर्धन हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करना।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार सेवा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि एवं आधुनिकीकरण के लिए एक प्रमुख सहायक सेवा के रूप में कार्य करती है। सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार एवं इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव के कारण हाल के वर्षों में दूरसंचार का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों एवं समुदायों के मध्य संचार को सुदृढ़ करने में डाक एवं दूरसंचार सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दिसम्बर, 2025 के अन्त तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 11,031 थी जबकि सितम्बर, 2025 तक कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 6.66 करोड़ थी। राज्य में डाकघरों तथा दूरसंचार उपभोक्ताओं की वर्ष 2025–26 तक की स्थिति तालिका 7.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.12 : राज्य में डाकघरों एवं दूरसंचार उपभोक्ताओं की स्थिति

क्र.सं.	मद	इकाई	2025-26
1.	डाकघर	संख्या	11,031
(अ)	ग्रामीण	संख्या	10,419 दिसम्बर, 2025 तक
(ब)	शहरी	संख्या	612
2.	दूरसंचार उपभोक्ता (तार रहित + तार सहित) (बीएसएनएल)*	करोड़	6.66
(अ)	तार रहित उपभोक्ता	करोड़	6.53 सितम्बर, 2025 तक
(ब)	तार सहित उपभोक्ता	करोड़	0.13

*स्रोतः इंडियन सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर 2025 (TRAI)

विकास को गति प्रदान करना : बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सामर्थ्य का सशक्त उपयोग करना

राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं दानदाताओं से ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है।

विदेशों से वित्तीय सहायता देने वाले कुछ प्रमुख संगठनों के नाम इस प्रकार हैं: विश्व बैंक समूह, जापान अन्तर्राष्ट्रीय को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) एजेन्सी फ्रेन्चाइज डी डवलपमेन्ट (ए.एफ.डी.), के.एफ. डबल्यू. (जर्मन एजेन्सी), न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एन.डी.बी.) एवं एशियन आधारभूत निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) आदि प्रमुख बाह्य ऋण एजेन्सियां हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों यथा–सिंचाई, जलापूर्ति, वानिकी, सड़क, शहरी विकास, आधारभूत संरचना एवं ऊर्जा आदि में राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

इन बाह्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के साथ साझेदारी और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से पेयजल, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क और आजीविका जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों को दूर करने में सहायता प्रदान की जा रही हैं। राजस्थान के निवासियों का जीवन स्तर सुधारने में बाह्य सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्त्रोत राज्य के लिए वृहद तौर पर अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति करता है। विभिन्न क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक परियोजनाएं भी बाह्य वित्तीय सहायता से वित्त पोषित है।

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात स्वीकृत नवीन परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा राज्य को 'बैक–टू–बैक' आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को वही परिपक्वता अवधि, स्थगन अवधि तथा परिशोधन अनुसूची प्राप्त होती है, जो भारत को बाह्य ऋणदाताओं से प्राप्त होती है।

वर्ष 2025–26 के प्रारम्भ में राज्य में 14 बाह्य सहायतित परियोजनाएं (ई.ए.पी.) क्रियान्वित की जा रही थी। जिनमें से, 3 परियोजनाओं का ऋण दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण हो चुका है। चालू परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में ₹3,701.63 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके विपरीत दिसम्बर, 2025 तक ₹1,703.06 करोड़ व्यय किए गए हैं।

तालिका 7.13 : कार्यान्वित/चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम/वित्त पोषित संस्था/परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक व्यय	परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक कुल व्यय
1	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चरण– तृतीय) (ए.डी.बी.) नवम्बर, 2015 से मार्च, 2026	4017.56	99.84	3853.42
2	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चरण–चतुर्थ) (ट्रॉंच–I)(ए.डी.बी.) जनवरी, 2021 से मई, 2028	3076.63	154.56	2342.66
3	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चरण–चतुर्थ) (ट्रॉंच–II)(ए.डी.बी.) अप्रैल, 2023 से मई, 2028	2450.00	295.36	1081.27
4	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–प्रथम (ट्रॉंच–II) (ए.डी.बी.)* दिसम्बर, 2019 से सितम्बर, 2025	2617.04	193.68	1906.63
5	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम– प्रथम (ट्रॉंच–III)(ए.डी.बी.)* मार्च, 2023 से सितम्बर, 2026	1287.15	79.80	1008.45
6	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम–द्वितीय (ट्रॉंच–I) (विश्व बैंक)* अक्टूबर, 2019 से मई, 2025	2996.70	173.06	2623.37

क्र.सं.	परियोजना का नाम/वित्त पोषित संस्था/परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक व्यय	परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक कुल व्यय
7	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (जिका) अप्रैल, 2017 से मार्च, 2028	2294.30	131.30	1048.30
8	मरू क्षेत्र के लिये राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना (ट्राँच–प्रथम व द्वितीय) (एन.डी.बी.) मई, 2018 से जुलाई, 2026	3291.63	86.85	2824.76
9	राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना–द्वितीय (के.एफ.डब्लू.) नवम्बर, 2022 से अक्टूबर, 2026	984.32	110.90	110.90
10	राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना (विश्व बैंक) जुलाई, 2018 से जून, 2025	275.69	2.10	265.85
11	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं लोरोसिस निराकरण परियोजना चरण–द्वितीय (जिका) जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2028	4765.31	204.76	209.43
12	बांध पुर्नवास और सुधार परियोजना–द्वितीय (विश्व बैंक) अप्रैल, 2021 से मार्च, 2027	503.02	11.32	166.17
13	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (ए.एफ.डी.) अप्रैल, 2023 से मार्च, 2031	1693.91	159.07	407.41
14	राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन (जिका) अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2035	1774.30	0.46	0.46
योग		**32027.56**	**1703.06**	**17849.08**

* पीपीपी का भाग शामिल

कार्यान्वित/चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की परियोजनावार प्रगति निम्न प्रकार है:–

1. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम –(तृतीय चरण)–ए.ड़ी.बी.

परियोजना के अन्तर्गत 12 शहरों में ₹4,017.56 करोड़ के कार्य किये जा रहे हैं। इनमें पाली, टोंक और झुंझुनू में सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य, भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर और माउंट आबू में सीवरेज प्रोजेक्ट और बांसवाड़ा में ड्रेनेज का कार्य पूर्ण हो चुका है। श्रीगंगानगर में सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य प्रगति पर है। तीसरे चरण के कार्यों के तहत 18 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹3,853.42 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹157.50 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹99.84 करोड़ व्यय किया गया हैं।

2. राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चतुर्थ चरण) (ट्राँच–I) ए.डी.बी.

इस परियोजना के अन्तर्गत 14 शहरों में कुल ₹3,076.63 करोड़ के कार्य किये जा रहे हैं। इनमें सिरोही, आबू रोड, सरदारशहर, बांसवाड़ा, खेतड़ी, मंडावा और कुचामन में सीवरेज एवं जल आपूर्ति, रतनगढ़, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लाडनू, डीडवाना और मकराना में सीवरेज कार्य तथा लक्ष्मणगढ़ में जल आपूर्ति कार्य शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) कार्य 12 शहरों यथा बांदीकुई, नीम का थाना, जोबनेर, बाड़ी, डीग, भवानी मंडी, शाहपुरा (भीलवाड़ा), तिजारा, भिंडर–कनोड, गंगापुर (भीलवाड़ा), दौसा, सूरतगढ़–पीलीबंगा में राशि ₹45.65 करोड़ की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं। जिसमें से लक्ष्मणगढ़ में जल आपूर्ति कार्य, फ़तेहपुर, मकराना, प्रतापगढ़ और

मण्डावा में सीवरेज कार्य; बांसवाड़ा में सीवरेज एवं जल आपूर्ति कार्य एवं नीम का थाना, दौसा, जोबनेर और बांदीकुई में एफएसएसएम का कार्य पूर्ण हो चुका है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹2342.66 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹435.07 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹154.56 करोड़ व्यय किया गया हैं।

3. राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चतुर्थ चरण) (ट्राँच– II) (ए.डी.बी.)

परियोजना के अन्तर्गत, ₹2,450 करोड़ की लागत के कार्य 16 शहरों में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के अनुसार सीवरेज, जल आपूर्ति, शहरी सौंदर्गीकरण, जल निकासी और मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन आदि के कार्य किए जाएगें।

इस परियोजना के तहत, ₹2,028.05 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें नोखा, बूंदी, डूंगरपुर, बालोतरा और सागवाड़ा में सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य शामिल हैं; जोधपुर, भरतपुर, बाड़मेर में सीवरेज कार्य; निम्बाहेड़ा एवं नाथद्वारा में जल आपूर्ति कार्य; जोधपुर, नवलगढ़, रतनगढ़, बूंदी और भवानीमंडी में जल निकासी कार्य और जैसलमेर, नवलगढ़, पुष्कर, सागवाड़ में सिटी सौंदर्यीकरण कार्य सम्मिलित एवं भरतपुर शहर में सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे हो चुके है। चतुर्थ चरण के कार्यों से 49.00 लाख आबादी लाभान्वित होगी।

बूंदी, नाथद्वारा शहरों में ₹31.09 करोड़ की लागत वाले सिटी सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन है। परियोजना वर्ष 2027–28 तक पूरी होने की संभावना है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹1081.27 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹706.60 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹295.36 करोड़ व्यय किया गया हैं।

4. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–I (ट्राँच–II)– ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है, जो दिसम्बर, 2019 में प्रारम्भ की गई। परियोजना की कुल लागत ₹2,617.04 करोड़ है, जिसमें ए.ड़ी.बी. से ऋण के रूप में ₹1,310.81 करोड (190 मिलियन यू.एस. डॉलर) प्राप्त होंगे व ₹849.20 करोड़ राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे एवं निजी शेयर के रूप में ₹457.06 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना का ऋण मार्च, 2025 तक समाप्त हो चुका हैं।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य राजमार्गों पर परिवहन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करना है। इस परियोजना में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) का दो–लेन या मध्यवर्ती लेन मानकों के अनुसार निर्माण या पुनर्वास, संचालन और रखरखाव शामिल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन, निगरानी, सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं को शामिल किया गया है तथा इसका उद्देश्य सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की सार्वजनिक निजी भागीदारी इकाई की परियोजना प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना है।

इस परियोजना में 6 पैकेजों के अन्तर्गत 754 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों के विकास के कार्य आवंटित किये जा चुके हैं। इनमें से 4 पैकेजों के अन्तर्गत 474 कि.मी. लम्बाई के 6 राजमार्गों का विकास इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ई.पी.सी.) मोड के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है एवं 2 पैकेजों के अन्तर्गत 280 कि.मी. लम्बाई के 5 राजमार्ग का कार्य हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) पर है।

सभी 11 राजमार्गों के विकास कार्य का आवंटन किया जा चुका है (6 ई.पी.सी. मोड एवं 5 कार्य हाईब्रिड एन्यूटी मोड)। 10 राजमार्गों के विकास का कार्य (6 ई.पी.सी. मोड एवं 4 कार्य हाईब्रिड एन्यूटी मोड) पूर्ण हो चुका है। 1 कार्य (हाईब्रिड एन्यूटी मोड) प्रगतिरत है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹1906.63 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹124.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ₹193.68 करोड़ व्यय किया गया हैं।

5. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम –I (ट्राँच– III) (ए.डी.बी.)

यह परियोजना एडीबी द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹1,287.15 करोड़ है, जिसमें से एडीबी के ऋण के रूप में

₹895.29 करोड़ एवं ₹391.86 करोड़ का योगदान राज्य का होगा। यह परियोजना मार्च, 2023 से क्रियान्वित है तथा इसे सितम्बर, 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य राजमार्गों पर परिवहन की दक्षता और सुरक्षा में वृद्धि करना है। इसके अंतर्गत 290 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) का निर्माण, पुनर्वास, संचालन तथा अनुरक्षण किया जाना तथा उन्हें दो–लेन या मध्यवर्ती–लेन मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाना शामिल है। परियोजना में सड़क सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित विशेषताओं को भी सम्मिलित किया गया है तथा इसका उद्देश्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पीपीपी प्रभाग की परियोजना प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड के अंतर्गत चार राजमार्गों पर कुल 293 किलोमीटर को कवर करने वाले चार पैकेजों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹1008.45 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹100.17 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹79.80 करोड़ व्यय किया गया हैं।

6. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम – II– (ट्रॉंच– I) विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, जो अक्टूबर, 2019 में प्रारम्भ की गई। परियोजना की कुल लागत ₹2,996.70 करोड़ निर्धारित की गई है। जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में ₹1,779.43 करोड़ व राज्य सरकार द्वारा ₹893.63 करोड़ की राशि वहन की जायेगी एवं निजी अंश के रूप में ₹323.64 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना ऋण दिसंबर 2024 में पूर्ण हो चुका है।

इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य राजमार्गों के प्रबंधन को सुदृढ़ करना एवं राजस्थान के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

- 801 किमी राज्य राजमार्गों को दो लेन या मध्यवर्ती लेन मानकों में अपग्रेड करना।
- राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन।
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा उपायों एवं परियोजना प्रबंधन सहायता।

इस परियोजना के तहत 917 किमी लंबाई के 13 राजमार्गों वाले 10 पैकेज विकसित किए गये हैं।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹2623.37 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹170.51 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹173.06 करोड़ व्यय किया गया हैं।

7. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना–(जिका)

राज्य के 30 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) से ऋण प्राप्त कर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना प्रारम्भ की गई है। परियोजना के क्रियान्वयन से 5.13 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित होगें। परियोजना की पूर्णता की समयावधि 31 मार्च, 2028 निर्धारित की गई है।

यह परियोजना मौजूदा सिंचाई सुविधाओं के सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर किसानों की आजीविका में सुधार लाने तथा कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में लैंगिक मुख्यधारा को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है।

परियोजना की कुल लागत ₹2,294.30 करोड़ (39,987 मिलियन येन) है जिसमें से जिका का ₹1,882.70 करोड़ (32,619 मिलियन येन) वित्तीय योगदान है और ₹411.60 करोड़ (7,368 मिलियन येन) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस परियोजना के वित्त पोषण को दो ट्रॉंच में बांटा गया है:

- **ट्रॉंच –1** : कुल लागत राशि ₹982.30 करोड़ एवं जिका के साथ ऋण समझौता राशि ₹827.20 करोड़ (13,725 मिलियन येन) 31 मार्च, 2017 को हस्ताक्षरित।
- **ट्रॉंच –2** : कुल लागत राशि ₹1312.00 करोड़ एवं जिका के साथ ऋण समझौता राशि ₹1,055.50 करोड (18,894 मिलियन येन) 29 मार्च, 2023 को हस्ताक्षरित ।

परियोजना को कुल 137 सिंचाई उप–परियोजना को तीन चरणों में लागू किया गया है, जिनमें चरण–1 के तहत 65 सिंचाई उप–परियोजनाओं, चरण–2 के तहत 36 सिंचाई उप–परियोजनाओं तथा चरण–3 के तहत 36 सिंचाई उप–परियोजनाओं निर्धारित की गई हैं।

वर्ष 2025–26 में लखपति दीदी को विभिन्न चरणों द्वारा सिंचाई सब प्रोजेक्ट्स में लागू किया जा रहा है। लखपति दीदी (बागवानी) के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के 1,000 गाँवों में महिला कृषक हित समूहों का गठन किया जाकर परियोजना अवधि में कुल 10,000 कृषक महिलाओं को उन्नत सब्जी एवं फल उत्पादन के द्वारा आजीविका में सुधार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार लखपति दीदी एफवीसी (खाद्य मूल्य श्रृंखला) के अन्तर्गत कुल 100 कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना कर परियोजना क्षेत्र में महिलाओं की आजीविका सुधार के साथ–साथ उद्यमिता कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹1048.30 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (माह दिसम्बर तक) के दौरान ₹246.60 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹131.30 करोड़ व्यय किया गया हैं।

8. मरू क्षेत्र के लिये राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना (ट्राँच–1 व 2)–एन.डी.बी.

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण–1 के पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। परियोजना की अनुमानित लागत ₹3,291.63 करोड़ है। इसे 8.5 वर्षों की अवधि में 2 चरणों में निष्पादित किया जाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) द्वारा 70 प्रतिशत वित्तपोषण एवं शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- **रीलाइनिंग कार्यः** इंदिरा गांधी फीडर की आर.डी. 496 से 555 (हरियाणा भाग) और आर.डी. 555 से 671 (राजस्थान भाग) तथा इंदिरा गांधी मुख्य नहर आर.डी. 0 से 620 तक (कुल 179.53 किमी) तथा वितरण प्रणाली में 2,498.69 किमी।
- **जलभराव उन्मूलनः** 33,312 हैक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में लवणता और जलभराव की समस्याओं का समाधान (सेम) की समस्या से निजात मिलेगी।
- **संस्थागत विकासः** जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) को मजबूत करना और आईएमटीआई और कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थानों का संस्थागत विकास।

परियोजना के प्रथम चरण के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,037.25 करोड़) के ऋण समझौते पर 13 फरवरी, 2018 को हस्ताक्षर किए गए, जो 31 मई, 2018 से लागू किया गया। इस चरण की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं:

- इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर की 67.69 किलोमीटर लाइनिंग का नवीनीकरण।
- वितरण प्रणाली की 875.08 किलोमीटर लाइनिंग का कार्य पूर्ण हुआ।
- कुल व्यय ₹1,037.25 करोड़।
- एनडीबी से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹726.60 करोड़) का दावा प्राप्त हुआ।

परियोजना के दूसरे चरण के लिए 245 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹2,254.38 करोड़) के ऋण अनुबंध पर 29 जुलाई, 2022 को हस्ताक्षर किए गए, जो 31 अक्टूबर, 2022 से लागू किया गया। इस चरण की उपलब्धियाँ (दिसम्बर, 2025 तक) इस प्रकार हैं–

- 111.84 किमी के लक्ष्य के विरुद्ध इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर की 109.78 किमी की लाइनिंग पूर्ण की गई।
- वितरण प्रणाली में 1623.21 किलोमीटर का जीर्णोद्धार पूर्ण किया गया (लक्ष्य 1,623.61 किलोमीटर)।

परियोजना की समग्र प्रगति इस प्रकार है –

- 179.53 किमी के लक्ष्य के विरुद्ध इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर की 177.47 किमी की लाइनिंग पूर्ण की गई।
- दिसम्बर, 2025 तक 286 स्वीकृत कार्यों में से 276 कार्य पूर्ण किये गये।
- वितरण प्रणाली में 2,498.69 किमी नवीनीकरण (लक्ष्य 2,498.69 किमी) पूर्ण हो चुका है। 109 स्वीकृत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

इस परियोजना के लाभ निम्नलिखित हैं:

1. **बेहतर जल पहुंच:** रीलाइनिंग से नहरों के अंतिम छोर पर पानी की उपलब्धता में सुधार होता है, जिससे किसानों को आनुपातिक सिंचाई का लाभ मिलता है। प्रशिक्षण पहल आधुनिक कृषि तकनीकों से जानकारी मिलेगी, जिससे उत्पादकता बढ़ती है।
2. **सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर पंप:** जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
3. **भूमि सुधार:** जलभराव और सेम की समस्याओं का समाधान करता है, भूमि की उपयोगिता और कृषि उत्पादन में सुधार करता है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹2824.76 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹356.54 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹86.85 करोड़ व्यय किया गया हैं।

9. राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना–II (के.एफ.डब्ल्यू.)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) ने राजस्थान के हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–2 (जीईसी–2) के तहत एक ट्रांसमिशन योजना प्रस्तावित की है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹984.32 करोड़ (आईडीसी सहित) और ₹880.92 करोड़ (आईडीसी को छोड़कर) है।

इस योजना में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) उदयपुर, 220 केवी जीएसएस डूंगरपुर, 400 केवी जीएसएस हनुमानगढ़, 220 केवी जीएसएस दलोट के साथ–साथ संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल है।

परियोजना का वित्तपोषण इस प्रकार है –

परियोजना के लिए 49.88 मिलियन यूरो (लगभग ₹414.03 करोड़) की केएफडब्ल्यू ऋण संधि 19 दिसंबर, 2022 को हस्ताक्षरित की गई। इसके अतिरिक्त, पृथक समझौतों पर 20 दिसंबर, 2022 को हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण पर परिवर्तनीय ब्याज दर लागू है, (जो 6–महीने की यूरिबोर दर +0.35 प्रतिशत प्रति वर्ष है।)

वित्तपोषण संरचना इस प्रकार है:

- के.एफ.डब्ल्यू. से 47 प्रतिशत ऋण (यूरो 49.88 मिलियन या ₹414.03 करोड़)।
- केंद्रीय अनुदान का 33 प्रतिशत (₹290.70 करोड़), जो नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से प्राप्त हुआ।
- 20 प्रतिशत राज्य इक्विटीं।

आर्थिक मामलात के विभाग (डीईए), एमएनआरई तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने जीईसी–2 के तहत इस योजना को मंजूरी दी गई। क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए, परियोजनाओं को बहु पैकेजों में लागू किया गया। 29 नवंबर, 2024 को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने आरटीएम (विनियमित टैरिफ तंत्र) मोड के माध्यम से 3 प्रमुख सब स्टेशनों और उनसे जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणालियों के विकास को मंजूरी दी:

1. 400 केवी जीएसएस हनुमानगढ़ (केंचिया)।
2. 400 केवी जीएसएस उदयपुर।
3. 220 केवी जीएसएस डूंगरपुर।

के.एफ.डब्ल्यू. ने ऋण राशि 49.88 मिलियन यूरो रखते हुए 25 जून, 2025 को वित्तपोषण हिस्सेदारी 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 67 प्रतिशत कर दी। सभी संविदात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 10 पैकेजों के तहत अग्रिम भुगतान (अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत) जारी किया गया। सीएफए का स्वीकार्य दावा लगभग राशि ₹93.88 करोड़ एमएनआरई दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदन के लिए सीईए को भेजा गया है।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹400.00 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹110.90 करोड़ व्यय किया गया हैं।

10. राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना– विश्व बैंक

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन परियोजना (एसपीएफएम) को सुदृढ़ करने की कुल लागत 31 मिलियन यू.एस. डॉलर है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 21.7 मिलियन यू.एस डॉलर और राज्य सरकार द्वारा 9.30 मिलियन यू.एस डॉलर का योगदान दिया गया है। यह परियोजना जुलाई, 2018 में प्रारंभ कर जून, 2025 मे पूर्ण की गयी।

एसपीएफएम परियोजना का उद्देश्य राजस्थान सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (एसपीएफएम) को मजबूत करना और बेहतर बजट निष्पादन, सार्वजनिक व्यय में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने में योगदान देना और राजस्थान सरकार में राजस्व प्रणाली और क्षमता को मजबूत करना है। परियोजना में निम्न शामिल हैं:

- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना।
- व्यय और राजस्व प्रणाली को बढ़ाना।
- परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण।

एसपीएफएम परियोजना के तहत शुरू किए गए प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं –

1. जीएसटी कार्यान्वयन के लिए सहयोग करना।
2. ऑनलाइन ऑडिट प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) के माध्यम से ऑडिट प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
3. एकीकृत नकदी और ऋण प्रबंधन प्रणाली (आईसीडीएमएस)) को बढ़ाना।
4. प्रतिबद्धता नियंत्रण प्रणाली (सीसीएस) विकसित करना ।
5. सार्वजनिक निवेश प्रबंधन (पीआईएम) ढांचे की स्थापना।
6. आबकारी विभाग और परिवहन विभाग में परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (बीपीआर) अध्ययन आयोजित करना।
7. अनुबंध प्रबंधन में क्षमता विकास और राजस्थान सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम और नियम।
8. इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली का विकास।
9. क्षमता निर्माण हेतु सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

एसपीएफएम परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चूका है। प्रारंभ से दिसम्बर, 2025 तक परियोजना के तहत ₹265.85 करोड़ की राशि व्यय की गई और विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति के रूप में ₹168.38 करोड प्राप्त किये गये। दिसम्बर, 2025 तक 21.7 मिलियन अमेरिकन डॉलर की राशि पूर्ण रुप से प्राप्त की जा चुकी है।

11. राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण–(जिका)

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹4,765.31 करोड़ है। जिसमें जल जीवन मिशन, भारत सरकार का योगदान ₹1,985.17 करोड, राज्यनिधि (ग्रामीण) ₹577.14 करोड़, राज्यनिधि (शहरी) ₹28.35 करोड़ तथा जे.आई.सी.ए. ऋण ₹2,174.65 करोड़ है। परियोजना जुलाई, 2021 से प्रारंभ होकर दिसम्बर, 2028 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के झुंझुनू एवं बाड़मेर जिले में जल उपचार प्लांट और जल आपूर्ति संबंधित सुविधाओं को स्थापित कर, ग्राम जल स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के क्षमता विकास के साथ–साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना है, जिससे क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके।

इस प्रोजेक्ट के तहत, झुंझुनू जिले के 2 कस्बों सूरजगढ़ एवं उदयपुरवाटी तथा झुंझुनू और बाड़मेर जिलों के 1,173 गांवों और 4,184 अन्य बस्तियों में 3.28 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना को 4 निर्माण पैकेजों में विभाजित किया गया है: झुंझुनू जिले के लिए 1 पैकेज और बाड़मेर जिले के लिए 3 पैकेज। परियोजना का मुख्य उद्देश्य झुंझुनू और बाड़मेर जिलों के गांवों में सतत और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे:

- जल उपचार संयंत्रों और संबंधित सुविधाओं का निर्माण।
- ग्राम जल स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करना।
- जीवन स्तर, स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए सामुदायिक विकास गतिविधियों को जारी रखना।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹209.43 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹300.00 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹204.76 करोड़ व्यय किया गया हैं।

भविष्य की जल आपूर्ति परियोजनाओं में हरित ऊर्जा समाधानों को एकीकृत किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

- उन्नत भण्डारण जलाशयों (ईएसआर) से घरों और गांव वितरण प्रणालियों तक कलस्टर वितरण के लिए सौर ऊर्जा आधारित जल पंपिंग ।
- गांव में जल वितरण के लिए सौर ऊर्जा संचालित पंपिंग स्टेशन।
- सभी पंप हाउसों में सौर पंप और पैनल की स्थापना।
- स्वच्छ जलाशयों से गांव की वितरण प्रणालियों तक सौर ऊर्जा आधारित पंपिंग, जिसका आवश्यकतानुसार मूल्यांकन और अपनाया जाना।
- सभी हेडवर्क्स पर सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए सौर सेंसर आधारित ऑन–ऑफ स्विच संचालन।

12. बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना–2 (ड्रीप– 2)– विश्व बैंक

राजस्थान में डेम पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) फेज–II को विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के समर्थन से शुरू किया गया है जिसे केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सुविधाजनक बनाया गया है। इस परियोजना के चरण–II की कुल लागत ₹503.02 करोड़ है। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन को बढ़ाना है, इसके लिए व्यापक योजना, प्रबंधन और पुनर्वास उपायों को लागू किया जाएगा। यह राज्य के बांध सुरक्षा ढांचे को जोखिम सूचित प्रबंधन प्रथाओं, सतत वित्तीय तंत्र और संस्थागत सुधारों के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास भी करता है।

राजस्थान में 212 बड़े बांध हैं, जिनमें से 189 बांध डीआरआईपी फेज–2 और फेज 3 में शामिल किए गए हैं। द्वितीय चरण अप्रेल, 2021 में प्रारम्भ कर मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जायेगा। फेज–III अप्रेल, 2025 में प्रारंभ कर मार्च, 2031 तक पूर्ण किया जायेगा। फेज–II के तहत, 15 बांधों के मरम्मत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 7 बांधों का कार्य पूर्ण हो चुका है, 4 बांधों पर काम चल रहा है और शेष बांधों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होनी बाकी है। शेष बांधों पर फेज–III के तहत काम किया जाएगा।

प्रोजेक्ट डी.आर.आई.पी.–II के तहत, बांधों पर पर्यटन का विकास, जल मनोरंजन गतिविधियाँ, विश्राम गृह नवीनीकरण आदि के माध्यम से राजस्व सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹166.17 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹262.76 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹11.32 करोड़ व्यय किया गया हैं।

13. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना(आरएफबीडीपी)–एएफडी

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (आरएफबीडीपी) एजेंसी फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) द्वारा समर्थित एक पहल है, जो 2023–24 से 2030–31 तक 8 वर्षों तक जारी रहेगी। परियोजना की कुल लागत ₹1,693.91 करोड़ है, जिसमें ₹1,185.28 करोड़ एएफडी के ऋण योगदान के रूप में और ₹508.63 करोड़ राजस्थान राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं।

यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में क्रियान्वित की जा रही है।

आरएफबीडीपी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सशक्तिकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु राजस्थान के पूर्वी भाग में जैव विविधता का संरक्षण तथा पतझड़ी वनों के संसाधनों का संवर्धन करना है।

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को 23 डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट (डीएमयू) और 90 फील्ड मैनेजमेंट यूनिट (एफएमयू) में बांटा गया है। परियोजना कार्यान्वयन के लिए 800 गांवों को चुना गया है।

परियोजना अंतर्गत कुल 55,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, 3,000 हैक्टेयर क्षेत्र में ओरण, कृषि वानिकी के अन्तर्गत 100 प्लाण्ट माईक्रो रिजर्व 55 लाख पौधों का वितरण किया जाएगा एवं वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु 610 किमी. पक्की दीवार का निर्माण कार्य करवाये जाएगा।

परियोजना अंतर्गत वर्ष 2024–25 तक 27,107 हैक्टेयर में अग्रिम वृक्षारोपण के कार्य व 6,100 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य, 114 किमी. क्षेत्र में पक्की दीवार निर्माण कार्यं एवं 209 परियोजना गांव में प्रवेश बिन्दु गतिविधियों (ईपीए) पूर्ण की गई है। साल 2025–26 में, 21,007 हैक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया गया। 16,425 हैक्टेयर में अग्रिम वृक्षारोपण के कार्य प्रगतिरत है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2025 तक ₹407.41 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹282.94 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹159.07 करोड़ व्यय किया गया हैं।

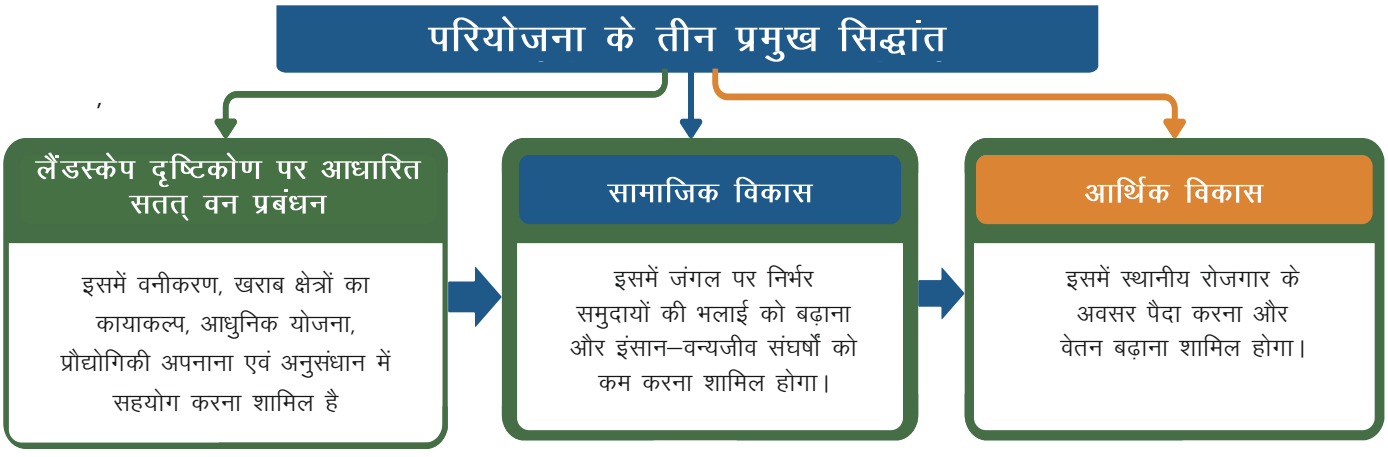
14. राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन –जिका

यह परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना लागत ₹1,774.30 करोड़ है जिसमें ₹1,493.20 करोड़ जिका का ऋण अंश और ₹281.10 करोड़ राज्यांश है। यह परियोजना अक्टूबर, 2024 से प्रभावी है तथा मार्च, 2035 तक पूर्ण होने वाली है।

परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया देने और वनीकरण, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी पुर्नस्थापन, जीवनयापन में सुधार और संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, जिससे राजस्थान में सतत् सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान किया जा सके।

विकास गतिविधियाँ राजस्थान के 19 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में क्रियान्वित की जायेंगी। परियोजना के तीन प्रमुख सिद्धांत चित्र 7.9 में दर्शाए गए है।

चित्र 7.9



परियोजना की गतिविधियों को प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया है:–
(1) मरूस्थलीय (2) गैर–मरूस्थलीय (3) संस्थागत सुदृढ़ीकरण

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को 30 प्रभागीय प्रबंधन इकाइयों तथा 90 क्षेत्रीय प्रबंधन इकाइयों में विभाजित किया गया है। वर्ष 2025–26 (माह दिसम्बर तक) के दौरान ₹80 करोड़ (संशोधित) का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ₹46.00 लाख व्यय किया गया हैं।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी): बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को खोलना

राजस्थान में मजबूत बुनियादी ढांचा उत्पादकता बढ़ाने, विकास को समर्थन देने और गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाता है। बेहतर बुनियादी ढांचा परिवहन लागत को कम करने, कार्यकुशलता सुधारने और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। हालांकि, राजस्थान को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन और आर्थिक विकास शामिल हैं। ये सभी कारक मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रहे हैं जबकि सरकारी बजट सीमित है जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण बन गया है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को एक प्रमुख समाधान के रूप में अपनाया है। निजी कंपनियों/संस्थाओं के साथ मिलकर काम करके, सरकार उनके संसाधनों, विशेषज्ञता और कार्यकुशलता का उपयोग करके बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सुधार कर सकती है। राजस्थान सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है, जिससे लागत प्रभावी और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राजस्थान राज्य सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से राजमार्ग, जल आपूर्ति प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण संरचना का समग्र विकास करना है।

निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल

नवीन आधारभूत संरचना परिसम्पतियों के सृजन के साथ–साथ विद्यमान परिसम्पतियों के प्रबंधन में, पीपीपी को बढ़ावा एवं समर्थन देने के लिए राज्य सरकार की कई नीतियों और संस्थागत नवाचारों के फलस्वरूप, राज्य विशेषकर सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सफल कार्यान्वयन के साथ विगत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि का पक्षधार रहा है।

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं, जो निम्न प्रकार हैः–

अ. संस्थागत व्यवस्था

राज्य में पीपीपी परियोजनाओं के सफल विकास और निष्पादन हेतु एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक त्रि–स्तरीय संस्थागत ढांचा अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: –

1) अनुमोदन समितियां –

क) काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई.डी) – आधारभूत संरचना परियोजनाओं, विशेषकर सार्वजनिक–निजी सहभागिता आधार पर विकसित की जा रही परियोजनाओं के नीतिगत मुद्दों संबंधी निर्णय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई.डी) का गठन किया गया है। सी.आई.डी विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेती है तथा उन सभी पी.पी.पी. परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करती है, जिनकी परियोजना लागत विभाग की वित्तीय शाक्तियों से बाहर हैं या जिनकी लागत ₹500 करोड़ से अधिक है।

ख) एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी) – राज्य सरकार द्वारा, सी.आई.डी के कार्यो के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी.) का भी गठन किया गया है। ई.सी.आई.डी. द्वारा सी.आई.डी. को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने, समीक्षा करने. नीतिगत पत्रों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के साथ सी.आई.डी. के निर्णयों के क्रियान्वयन का फॉलोअप एवं परीवीक्षण का कार्य भी किया

जाता है। सी.आई.डी. के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अन्य कार्यवाही भी इस कमेटी के द्वारा सम्पन्न की जाती है। राज्य सरकार विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत पीपीपी प्रस्तावों को अनुमोदित करती है, जिससे वे ई.सी.आई.डी और वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) योजनाओं के तहत केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

ग) एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्टस् – राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेन्ट प्रोग्राम (आर.एस.एच.डी.पी.) के अन्तर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर विचार कर स्वीकृती प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी का पृथक से गठन किया गया है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है।

घ) स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.) – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधित) नियम–2015 के प्रावधानों के अनुसार स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.) का गठन किया गया है। यह स्टेट लेवल कमेटी स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों (पी.पी.पी. एवं गैर पी.पी.पी. दोनों) पर विचार व परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करती है।

2) पीपीपी सैल (नोडल एजेंसी) – सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों में समन्वय के लिए वर्ष 2007–08 में आयोजना विभाग के अन्तर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में पीपीपी सैल का गठन किया गया। यह सैल पीपीपी से संबंधित उत्तम क्रियाविधियों, दिशा–निर्देशों, योजनाओं आदि समस्त सूचनाओं के संग्राहक के रूप में कार्य करता है। यह सी. आई.डी.. ई.सी.आई.डी. एवं एस.एल.ई.सी. के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। पीपीपी सेल आयोजना विभाग के प्रभारी सचिव के पर्यवेक्षण में कार्यरत था, जो राज्य के पीपीपी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहे थे। वित्त विभाग (आर्थिक कार्य प्रभाग) के एफ.डी. (समन्वय) आदेश दिनांक 8 दिसंबर, 2025 के माध्यम से पीपीपी सेल को वित्त विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब वित्त सचिव (बजट) प्रभारी सचिव एवं राज्य पीपीपी नोडल अधिकारी हैं।

3) संबंधित प्रशासनिक विभाग/एजेंसी (कार्यकारी एजेंसी) – राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग/एजेंसी, अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनिस में यथा निर्धारित पीपीपी मोडैलिटी के अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम हैं।

ब. निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम

1) प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (पीडीकोर) का गठन पीपीपी मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के विभागों की सहायता के लिए दिसंबर, 1997 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित किया गया था।

2) रोड इन्फ्रास्ट्रक्टचर डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (रिडकोर) का गठन राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2004 में किया गया था।

3) सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (एसयूसीआरएल) का गठन भादला (जोधपुर) में 1,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2014 में किया गया था।

4) एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (ईएसयूसीआरएल) का गठन जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2014 में किया गया था।

5) अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) का गठन जैसलमेर और भादला (जोधपुर) में 2,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2015 में किया गया था।

स. परियोजना विकास कोष (पीडीएफ)

वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास आवश्यकताओं की लागत की पूर्ति संबंधित प्रशासनिक विभाग या तो उनके विशिष्ट/बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत अथवा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आई.आई.पी.डी.एफ.) के तहत केंद्रीय सहायता लेकर कर सकते है।

भारत सरकार ने नवम्बर, 2022 में मौजूदा आईआईपीडीएफ को पुनर्गठित कर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में परिवर्तित किया है, जिसका कुल परिव्यय ₹150 करोड़ है। यह योजना वर्ष 2022–23 से 2024–25 तक की 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई थी।

आई.आई.पी.डी.एफ. योजना के अंतर्गत वित्तपोषण परियोजना प्रायोजक प्राधिकारी (पीएसए) को पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास लागतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत परामर्शदाताओं और लेनदेन सलाहकारों की लागत को वित्तपोषित किया जा सकता है।

आई.आई.पी.डी.एफ. योजना के तहत एकल प्रस्ताव (परियोजना लेन–देन सलाहकार/सेमिनार/कार्यशाला/व्यावसायिक सेवा व्यय आदि) के लिए अधिकतम ₹5 करोड़ तक का वित्तपोषण किया जा सकता है। ₹5 करोड़ से अधिक की किसी भी वित्त पोषण आवश्यकता को परियोजना प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा स्वयं वहन किया जा सकता है।

आई.आई.पी.डी.एफ. योजना के तहत वित्त पोषण, परियोजना प्रायोजक एजेंसी द्वारा अर्जित किए गए माइलस्टोन के आधार पर प्रदान किया जाता है और यह गैर–वसूली योग्य होता है।

द. सौदा सलाहकार सेवाएं

राज्य के प्रशासनिक विभाग सौदा सलाहकार सेवाओं (वित्तीय परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता और कानूनी सलाहकार) की प्राप्ति के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खुले विज्ञापन मार्ग के माध्यम से सक्षम हैं। आरटीपीपी नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं से परामर्शदात्री सेवाएं प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई हैः

1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आरएसआरडीसी)
2. वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड (वेपकोस), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम।
3. नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेज (नेबकॉन), नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी है।
4. रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकॉनोमिक सर्विसेज लिमिटेड (राईट्स), भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम।
5. पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.एल.), पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी।
6. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी.), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।
7. पीडीकोर लिमिटेड को सामाजिक–आर्थिक/अवसंरचना विकास, पर्यावरणीय सुधार, दक्षता सुधार आदि के लिए परियोजना/कार्यक्रम के एंड–टू–एंड आधार पर परियोजना/कार्यक्रम परिकल्पना एवं क्रियान्वयन हेतु पेशेवर सेवाओं के लिए, जिसमें संसाधन जुटाना (जैसे पीपीपी परियोजनाएँ/परिसंपत्ति/परिसंपत्ति मुद्रीकरण) शामिल है, नियुक्त किया जाएगाय परंतु उन परामर्श सेवाओं को छोड़कर जहाँ केवल परामर्श दिया जाना हो और क्रियान्वयन की सफलता में कोई भूमिका/हित न हो, बशर्ते कि–
   (i) पीडीकोर लिमिटेड को देय शुल्क, माइलस्टोन से जुड़े व्यावसायिक शुल्क और परियोजना/कार्यक्रम के पूरा होने से जुड़ी उपलब्धि/सफलता शुल्क का योग है।
   (ii) सभी मामलों में सफलता शुल्क के रूप में पीडीकोर लिमिटेड को कुल सेवा शुल्क का न्यूनतम 50 प्रतिशत देय है।

8. राजस्थान फाइनेंसियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड (आर.एफ.एस.डी.एल.), राजस्थान सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है।

य. वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में एक सामाजिक क्षेत्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना जारी की गई।

पीपीपी प्रारूप पर विकसित की जा रही ऐसी आधारभूत संरचना परियोजनाऐं, जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हैं, लेकिन बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकताओं, दीर्घकालीन समायावधि और व्यावसायिक स्तर पर व्यावसायिक उपयोगकता शुल्क बढ़ाने में असमर्थता आदि के कारण वाणिज्यिक रूप से सक्षम नहीं हैं, के लिए भारत सरकार की ''आधारभूत संरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए योजना'' के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

यह योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। आर्थिक रूप से वांछनीय लेकिन व्यावसायिक रूप से अलाभकारी अवसंरचना परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से लाभकारी बनाने के उद्देश्य से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो एक बार या स्थगित रूप में दी जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2020 में इस योजना को सामाजिक आधारभूत संरचना हेतु निम्नलिखित उप–योजनाओं अन्तर्गत उन्नत वीजीएफ सहायता देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया हैः–

उप–योजना –1: भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत परिचालन लागत की वसूली के साथ सामाजिक क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं यथा अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए कुल परियोजना लागत (टीपीसी) का अधिकतम 60 प्रतिशत (30 प्रतिशत 30 प्रतिशत प्रत्येक) संवर्धित वीजीएफ सहायता प्रदान की जा सकती है।

उप–योजना –2: यह केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में नमूना/पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने तक ही सीमित है। इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत परिचालन लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना की टीपीसी का अधिकतम 40 प्रतिशत तक और राज्य सरकार टीपीसी के अधिकतम 40 प्रतिशत तक वीजीएफ सहायता प्रदान कर सकती है।

इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट के बाद पहले 5 वर्षों के लिए परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत 25 प्रतिशत प्रत्येक) तक वीजीएफ सहायता प्रदान कि जा सकती हैं।

इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए अन्य सभी क्षेत्रों को परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना की टीपीसी का अधिकतम 40 प्रतिशत तक वीजीएफ समर्थन मिलती रहेगी, जहां केंद्र सरकार परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना के टीपीसी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक वीजीएफ सहायता प्रदान करेगी और राज्य सरकार कैपेक्स के लिए टीपीसी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक वीजीएफ सहायता प्रदान कर सकती है।

र. मॉनिटरिंग क्रियाविधि

राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से, दोनों, परियोजना प्राधिकारी के स्तर पर मासिक एवं विभागीय स्तर पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है। पीपीपी सैल द्वारा भी राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की तीन श्रेणियों यथा पूर्ण की गई परियोजनाओं, प्रगतिरत परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन/पाइपलाइन परियोजनाओं की स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है।

प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए संचालन एवं समन्वय समिति– परियोजनाओं को प्रारंभ करते समय कार्य विभागों के मध्य अंतर–विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एंव प्रमुख बुनियादी ढांचा

परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन और समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्य प्रबंधन प्रणाली (सीएमडब्ल्यूएमएस) पोर्टल के माध्यम से ₹100 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा विभागों से संबंधित परियोजनाओं (पीपीपी और गैर–पीपीपी दोनों) और निर्धारित समय सीमा से 3 साल से अधिक की देरी वाली परियोजनाओं की मासिक समीक्षा की जाती है।

ल. अन्य समर्थककारी प्रयास

पीपीपी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में निम्नांकित द्वारा भी सहायता मिली है –

1) सड़क विकास नीति, 2013

राजस्थान वर्ष 1994 में राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति, 1994 के तहत सड़क क्षेत्र में बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बीओटी) आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था। वर्ष 2013 में सड़क विकास नीति को पुनः अद्यतन किया गया। हाल के वर्षों में सड़क क्षेत्र की कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में राज्य अग्रणी रहा है।

2) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004

राज्य में सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 10 अगस्त, 2004 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर ₹1 का उपकर (सेस) लागू कर एक स्थायी राज्य सड़क विकास कोष बनाया गया। उपकर की दरों को समय–समय पर संशोधित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत एकत्रित धनराशि का उपयोग राज्य में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किया जा रहा है।

3) राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014

राजमार्गो की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के उपयोग में सुविधा के साथ–साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए 29 अप्रैल, 2015 में एक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 बनाया गया। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 01 सितम्बर, 2023 से क्रियाशील है तथा वर्तमान में (31 मार्च, 2025 तक) 57 राज्य राजमार्गों का देखरेख इसके अधीन है।

4) क्षमतावर्द्धन (कैपेसिटी बिल्डिंग)

राज्य सरकार का मानना है कि स्थायी आधार पर पीपीपी परियोजनाओं के सफल प्रबंधन और क्रिर्यान्वयन के लिए सार्वजनिक संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सभी हितधारकों के बीच पर्याप्त क्षमता के विकास की आवश्यकता है। इसके लिए पीपीपी सैल, पीपीपी परियोजनाओं की पहचान, उपापन और पोस्ट अवॉर्ड प्रबंधन में क्षमता विकसित करने हेतु प्रशासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों की सहायता कर रहा है।

आर्थिक मामलात् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन विकास बैंक) के सहयोग से वर्ष 2010 में प्रारम्भ, नेशलन पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (एन.पी.सी.बी.पी.), राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसका उद्देश्य पीपीपी परियोजनाओं की अवधारणा, संरचना, अवॉर्ड, क्रियान्वयन और मॉनिटंरिग को सक्षम बनाने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों की क्षमताओं को बड़े स्तर पर बढ़ाना था।

भारत सरकार के आर्थिक मामलात विभाग के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अवधारणा, संरचना, योजना, कार्यान्वयन और निगरानी सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सभी चरणों में शामिल अधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बड़े स्तर पर बढ़ाना है।

प्रशिक्षण में बुनियादी ढांचे के वित्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), परियोजना प्रबंधन, बातचीत और मुकदमेबाजी जैसे कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से विकसित करने और प्रबंधित करने

में प्रतिभागियों की क्षमताओं में सुधार करना है। राज्य सरकार के अधिकारी अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार इन कार्यक्रमों और प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेते हैं।

पीपीपी सैल राज्य में उपलब्ध सभी राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी पर रिसोर्स सर्पोट प्रदान कर रहा है।

व. राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की स्थिति

सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत अवसंरचना, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है। राज्य की पीपीपी परियोजनाओं का तीन श्रेणियों में यथा पूर्ण परियोजनाओं, क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन/पाइपलाइन परियोजनाओं का दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक की स्थिति में समग्र संक्षिप्त विवरण तालिका 7.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.14 : क्षेत्रवार संचालित सार्वजनिक–निजी सहभागिता परियोजनाओं की दिसम्बर, 2025 तक की स्थिति

क्र.स.	सेक्टर	पूर्ण परियोजनाएं		क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं		प्रक्रियाधीन /पाईपलाईन परियोजनाएं	
		संख्या	₹ करोड़	संख्या	₹ करोड़	संख्या	₹ करोड़
1	सड़कें (राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग)	84	12982.25	5	1839.96	0	0
2	शहरी आधारभूत ढांचा	30	754.54	7	323.80	13	4983.65
3	ऊर्जा	16	7558.13	6	7635.45	3	1523.16
4	जलापूर्ति	1	46.00	3	9416.40	11	34675.83
5	सूचना प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	0	-
6	सामाजिक	62	635.17	3	16.47	6	613.35
7	अन्य	16	166.36	-	-	2	28.00
योग		**210**	**22196.46**	**24**	**19232.08**	**35**	**41823.99**

उपरोक्त सारांश यह दर्शाता है, कि 31 दिसम्बर, 2025 तक ₹22,196.46 करोड़ के निवेश वाली 210 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। 24 परियोजनाएं जिनकी लागत ₹19,232.08 करोड़ है, के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य प्रगति पर हैं और ₹41,823.99 करोड़ लागत की अन्य 35 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन अथवा पाइपलाइन में हैं।

एक सतत् भविष्य का निर्माण: हरित बुनियादी ढांचे की क्षमता

भारत सरकार के सतत विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप, राजस्थान राज्य ने सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से हरित बुनियादी ढांचा को अपनाया है। राजस्थान में हरित बुनियादी ढांचे का उद्देश्य प्राकृतिक और अर्ध–प्राकृतिक प्रणालियों के एक प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को लाभ पहुँचाना है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करते हुए मरुस्थलीकरण से बचाव, जल प्रबंधन में सुधार, जैव विविधता को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभर रहा है।

पिछले वर्ष के दौरान, राज्य ने जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी हरित पहल की हैं। महत्त्वपूर्ण वृक्षारोपण अभियानों और वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के एकीकरण से लेकर एक व्यापक स्वच्छ ऊर्जा नीति के निर्माण तक, राजस्थान एक हरित और अधिक सतत भविष्य की दिशा में अग्रसर है। ये

पहलें न केवल पर्यावरण की रक्षा करने का लक्ष्य रखती हैं, बल्कि राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करते हुए भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं में महत्वपूर्ण योगदान भी देती हैं।

राजस्थान में हरित बुनियादी ढांचे की पहल

- **बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानः** जुलाई, 2024 में, राज्य सरकार ने 'मिशन हरियालो राजस्थान'' के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसमें अगले पांच वर्षों में ₹4,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के हरित क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है।
- **टाइगर रिजर्व में इलेक्ट्रिक वाहन :** रक्षित क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए, राज्य सरकार ने रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेशजी मंदिर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के पांडुपोल मंदिर में पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परिवहन प्रणाली की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना और वन्यजीवों को होने वाली असुविधाओं को कम करना है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा :** राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है. और यह सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिनमें भादला सोलर पार्क शामिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है एवं जोधपुर में स्थित है, जिसकी क्षमता 2,245 मेगावाट है, तथा जैसलमेर में पवन फार्म, जो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं।
- **एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 :** दिसंबर, 2024 में पेश की गई इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है, जिसमें 90,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 25,000 मेगावाट पवन तथा हाइब्रिड ऊर्जा शामिल हैं। यह नीति छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों, वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग के माध्यम से विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर जोर देती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश :** नवंबर 2024 में, राज्य सरकार ने सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 6.57 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- **नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए विकास शुल्क में कमी :** अक्टूबर, 2023 में, राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकर्ता के लिए विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अधिक निवेश को आकर्षित करना और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करना है। इस संशोधित नीति में पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर और हरित हाइड्रोजन जैसी उभरती तकनीकों के लिए विशेष प्रोत्साहन भी शामिल हैं।
- जयपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना और अनिवार्य वर्षा जल संचयन जैसी सरकारी योजनाओं के तहत ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम लागू किए गए हैं।
- **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (एमजेएसए):** यह प्रमुख कार्यक्रम वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और पारंपरिक जलाशय पुर्नस्थापना के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस अभियान से प्रथम चरण में 5,000 से अधिक गांवों को पानी की उपलब्धता एवं कृषि उत्पादकता में सुधार का लाभ प्राप्त होगा।
- **राजस्थान वन्यजीव और जैव विविधता परियोजनाः** यह परियोजना पारिस्थितिकी सुधार, जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक वन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है, साथ ही यह पारिस्थितिकी पर्यटन और वन उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन को प्रोत्साहित करती है।

08 जल सुरक्षा एवं अनुकूलता

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, जलवायु एवं संसाधन संबंधी बाधाओं को देखते हुए, राजस्थान की दीर्घकालिक विकास रणनीति में जल सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के कुल भूभाग के 10.41 प्रतिशत से अधिक भाग होने के बावजूद, राज्य के पास देश के कुल जल संसाधनों का लगभग 1.16 प्रतिशत ही उपलब्ध है। अनियमित वर्षा, गिरते भूजल स्तर तथा बढ़ते बंजर भूमि क्षेत्र जैसी समस्याओं के कारण राजस्थान को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि कृषि उत्पादकता, आजीविका, पारिस्थितिक संतुलन तथा समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

विजन 2047 के अनुरूप, राज्य ने सतत, न्यायसंगत एवं अनुकूल जल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण में बड़े पैमाने की सिंचाई एवं जल आपूर्ति अवसंरचना को समुदाय–आधारित संरक्षण, जल के कुशल उपयोग की तकनीकों तथा संस्थागत सुधारों के साथ जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, संशोधित पार्बती–कालीसिंध–चंबल (PKC) लिंक परियोजना (ERCP से एकीकृत), नर्मदा नहर परियोजना तथा विभिन्न लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं जैसी प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल की उपलब्धता को स्थिर करने, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ–साथ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत PMKSY 2.0 तथा इसके वाटरशेड एवं सूक्ष्म–सिंचाई घटकों जैसी पहलों के माध्यम से "हर खेत को पानी" और "प्रति बूंद अधिक फसल" पर विशेष ज़ोर दिया गया है, जिससे जल–उपयोग दक्षता तथा कृषि अनुकूलता को बढ़ाया जा सके।

भूजल की स्थिरता एवं जलवायु अनुकूलता को अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 तथा 'कर्मभूमि से मातृभूमि' और 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' जैसे बड़े जन–भागीदारी अभियानों के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा को AMRUT 2.0 तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सुनिश्चित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य सार्वभौमिक घरेलू नल कनेक्शन एवं विश्वसनीय सेवा आपूर्ति प्रदान करना है। RWSLIP, DRIP तथा NABARD सहायता प्राप्त योजनाओं जैसी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं के सहयोग से, राजस्थान के जल क्षेत्र सुधार एक समग्र दृष्टि को दर्शाते हैं, जो अवसंरचना, शासन, प्रौद्योगिकी तथा सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत कर राज्य के लिए जल–अनुकूलता भविष्य सुनिश्चित करते हैं।

राज्य शुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति को स्थिर करने के लिए संशोधित PKC - ERCP लिंक तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे विशाल अवसंरचना परियोजनाओं को लागू कर रहा है। इसके अतिरिक्त, PMKSY 2.0 और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जैसी पहलें कृषि क्षमता बढ़ाने के लिए वाटरशेड विकास एवं समुदाय–आधारित जल संचयन पर केंद्रित हैं। आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अटल भूजल योजना जैसे भूजल पुनर्भरण योजनाओं के साथ एकीकृत कर, राज्य अपने ग्रामीण समुदायों एवं पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण हो, जिससे दीर्घकालिक समृद्धि तथा एक सशक्त, जल–सुरक्षित राजस्थान का निर्माण हो सके।

विज़न स्टेटमन्ट–विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक, राजस्थान मजबूत शासन, सतत् संरक्षण और न्यायसंगत उपयोग के माध्यम से जल सुरक्षा हासिल कर लेगा।

उपलब्धता, गुणवत्ता और अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए, राज्य कृषि, समुदायों और पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाएगा, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और जलवायु चुनौतियों के अनुकूल एक जल–सुरक्षित और समृद्ध राजस्थान सुनिश्चित होगा।

चित्र 8.1 : प्रमुख क्षेत्र



जल–सुरक्षित राजस्थान की ओर

राजस्थान 343 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें से लगभग 101 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बंजर भूमि है। इसके अलावा, कम वर्षा वाले दिनों, अधिक तीव्रता की वर्षा तथा बिखरे हुए वर्षा पैटर्न के कारण वर्षा जल का बड़ा भाग व्यर्थ बह जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार जल की कमी होती है और कृषि योग्य भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित होती जा रही है। इसके फलस्वरूप भू–जल स्तर लगातार गिर रहा है और उपजाऊ भूमि धीरे–धीरे अनुपयोगी बनती जा रही है।

भविष्य में जल–सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान की प्रतिबद्धता, दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक प्रमुख आधार है, जो सीमित जल संसाधनों के समेकित प्रबंधन पर केंद्रित है। राज्य की कृषि क्षमता और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने हेतु प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया है, साथ ही मौजूदा जल स्रोतों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को पुनः स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में जल–सुरक्षा की दिशा में राज्य द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

सिंचाई

राजस्थान में सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, ट्यूबवेल, खुले कुओं एवं तालाबों और अन्य स्रोतों से होती है। इंदिरा गांधी नहर, माही, नर्मदा नहर, बीसलपुर, चंबल कमांड क्षेत्र आदि राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान राजस्थान की सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के लिए 6 वृहद परियोजनाएं (नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, उच्च स्तरीय नहर कैनाल–माही, पीपलखूंट उच्च स्तरीय कैनाल, कालीतीर लिफ्ट), 5 मध्यम परियोजनाएं (गरड़दा, तकली, गागरिन, हथियादेह, अंधेरी) एवं 34 लघु सिंचाई योजनाएं प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं से 40.19 लाख हेक्टेयर का कुल सिंचाई क्षेत्र सृजित एवं विस्तारित किया गया है।

राज्य के सिंचाई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उपलब्ध जल के सबसे प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से अन्य प्रमुख पहलों में राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, अटल भूजल योजना आदि शामिल हैं।

वर्ष 2025–26 माह दिसम्बर तक 23,320 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2026–26 में ₹6,028.74 करोड़ बजट प्रावधान (इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर) के विरुद्ध माह दिसम्बर तक ₹2,765.05 करोड़ का व्यय किया गया है।

चित्र 8.2 : प्रमुख सिंचाई परियोजना



नर्मदा नहर परियोजना

यह भारत की पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसमें जालोर और बाड़मेर जिलों के 233 गाँवों में फैले 2.46 लाख हेक्टेयर के संपूर्ण कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। यह परियोजना लगभग 37.48 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी, जिसमें 1,541 गाँव (जालोर जिले में 874 और बाड़मेर जिले में 667) और 3 शहर यथा जालोर, भीनमाल और सांचौर तथा कमाण्ड क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्र भी शामिल हैं।

इस परियोजना की संशोधित लागत ₹3,124 करोड़ है। वर्ष 2025–26 के लिए ₹10.96 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से माह दिसम्बर तक ₹0.10 करोड़ खर्च किए गए हैं और अब तक कुल ₹3,280.82 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

परवन वृहद् परियोजना

परवन वृहद् परियोजना को राजस्थान के झालावाड़ जिले में परवन नदी पर प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना के तहत, झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सी.सी.ए. में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी और 1,402 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सम्पूर्ण सिंचित भूमि को पानी के उचित उपयोग के लिए स्काडा (SCADA) नियंत्रित प्रेशराइज़्ड पाइप के माध्यम से स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से सिंचित करने का प्रस्ताव है। परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति प्रस्तावित सोलर पावर प्लांट से की जाएगी।

इस परियोजना के लिए ₹7,355.23 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना में वर्ष 2025–26 के लिए ₹850 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक ₹133.07 करोड़ का व्यय किया गया है और अब तक कुल ₹6,229.72 करोड़ का व्यय हो चुका है।

ऊपरी उच्च स्तर नहर (माही) परियोजना

इस परियोजना के तहत, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें लगभग 105

किलोमीटर मुख्य नहर और वितरण प्रणाली के माध्यम से 'सैडल' बांध संख्या 1 से पानी दिया जाएगा। यह सिंचाई सुविधा राजस्थान के बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदौरा विधानसभा क्षेत्रों के 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना की कुल लागत ₹2,500 करोड़ है। परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा निर्माण कार्य जारी है।

वर्ष 2025–26 के लिए ₹450 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से माह दिसम्बर तक ₹415.12 करोड़ खर्च किए गए हैं और अब तक कुल ₹790.71 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

पीपलखूंट उच्च स्तर नहर परियोजना

इस परियोजना के अन्तर्गत पीपलखूंट तहसील के 24 गांवों के 5,127 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी, साथ ही माही बांध के दाहिने छोर से जल को 3.72 टीएमसी की मात्रा में जाखम बांध में मोड़ा जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹2,000 करोड़ है।

वर्ष 2025–26 के लिए ₹450 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिसम्बर तक ₹356.95 करोड़ खर्च किए गए हैं और अब तक कुल ₹1,189.25 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

धौलपुर लिफ्ट परियोजना

धौलपुर जिले में लगभग 39,980 हेक्टेयर सीसीए में सिंचाई प्रदान करने के लिए माइक्रो इरीगेशन सिस्टम पर आधारित एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना की अवधारणा की गई है, जिसमें सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में अनिवार्य सुक्ष्म सिंचाई और 30 मेगावॉट सौर पावर जनरेशन प्लांट की स्थापना शामिल है, जो वार्षिक बिजली की आवश्यकता को पूर्ण करेगा। यह परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से एक है।

वर्ष 2025–26 के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से माह दिसम्बर तक ₹109.26 करोड़ खर्च किए गए हैं और अब तक कुल ₹852.95 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इस परियोजना की जून 2026 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

कालीतीर लिफ्ट परियोजना

यह परियोजना मुख्य रूप से धौलपुर जिले के 483 गांवों (बाड़ी–170, बसेड़ी–193, धौलपुर–59, सैपऊ–61) और 3 शहरों (बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा) के लिए पीएचईडी द्वारा पेयजल की मांग को पूर्ण करने के लिए तैयार की गई है, जो पार्वती और रामसागर बांध से पानी प्राप्त करेंगे। इस योजना में प्रत्येक मानसून अवधि के दौरान हर साल चंबल नदी कालीतीर गांव, सरमथुरा तहसील के पास से 98.60 मिलीयन घन मीटर पानी लिया जाएगा।

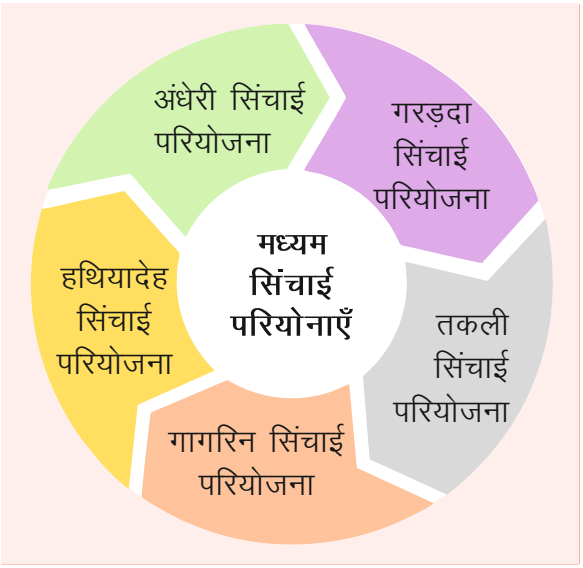
वर्ष 2025–26 के लिए ₹435 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से माह दिसंबर तक ₹91.41 करोड़ खर्च किए गए हैं और अब तक कुल ₹294.23 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

गरड़दा सिंचाई परियोजना

यह परियोजना बूंदी जिले के होलासपुरा गांव में मंगली डूंगरी नदी और गणेश नाले पर निर्माणाधीन है। परियोजना से बूंदी जिले के 44 गांवों की 9,161 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा एवं जिले के 111 गांवों व 98 बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिससे लगभग 4,4000 लोगों को लाभान्वित किया जा सकेगा। बांध की कुल लंबाई 4.37 किलोमीटर है और इसकी कुल भंडारण क्षमता 44.38 मिलियन घन मीटर है, जिसमें से 8 मिलियन घन मीटर पेयजल के लिए आरक्षित है। 104.24 किलोमीटर की कुल नहर की लंबाई का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

वर्ष 2025–26 के लिए ₹3.32 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक राशि ₹5.36 करोड़ का व्यय हो चुका है। अब तक कुल ₹360.51 करोड़ का व्यय हो चुका है।

चित्र 8.3 : मध्यम सिंचाई परियोनाएँ



तकली सिंचाई परियोजना

यह परियोजना कोटा जिले के रामगंजमंडी एवं चेचट तहसील के धाकिया गांव में स्थित तकली नदी पर निर्माणाधीन है। बांध का पूर्ण जल भराव स्तर 350.50 मीटर एवं भराव क्षमता 33.74 मिलियन घन मीटर है। जिससे कोटा जिले की रामगंजमंडी एवं चेचट तहसीलों के 33 गांवों की 7800 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के सिंचित क्षेत्र में वर्ष 2025 से किसानों की मांग के आधार पर रबी फसल हेतु सिंचाई सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्ष 2025–26 में परियोजना हेतु राशि ₹20 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक ₹8.73 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा अब तक कुल राशि ₹288.75 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

गागरिन सिंचाई परियोजना

यह परियोजना झालावाड़ जिले की पिड़ावा/पचपहाड़ तहसील के कालीपीपल (देवगढ़) गांव के निकट आहू नदी पर निर्माणाधीन है। इस परियोजना से पिड़ावा तहसील के 32 गांवो में 9999.83 हैक्टेयर (प्रेशर इरिगेशन 5088.21 हैक्टेयर एवं फ्लो इरिगेशन 4911.62 हैक्टेयर) क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना की संशोधित लागत ₹284.79 करोड़ है। बांध की पूर्ण भराव क्षमता 52.60 मिलियन घन मीटर है जिसमें सें 10 मिलियन घन मीटर पेयजल हेतु आरक्षित है। परियोजना का बांध का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा नहर का कार्य प्रगतिरत है। परियोजना को जून, 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2025–26 में परियोजना हेतु ₹15 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक ₹5.11 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा अब तक कुल राशि ₹292.81 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

हथियादेह सिंचाई परियोजना

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना बारां जिले की किशनगंज तहसील के करवारी खुर्द गांव में स्थित एक स्थानीय नदी पर निर्माणाधीन है। इस परियोजना से बारां जिले के 49 गांवों की 8,979 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। बांध की पूर्ण भराव क्षमता 46.95 मिलियन घन मीटर है।

परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास की कार्यवाही प्रगति पर है। 286.50 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति 23 मई 2025 को प्रदान की गई। मुख्य नहर के निर्माण तथा 8,979 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु प्रेशर सिंचाई प्रणाली के लिए ₹118.45 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है, जिसमें से 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2025–26 में परियोजना हेतु ₹40 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक ₹37.24 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा अब तक कुल राशि ₹371.59 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

अंधेरी सिंचाई परियोजना

अंधेरी सिंचाई परियोजना बारां जिले की छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में अंधेरी नदी पर प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुंडकिया (छबड़ा) में अंधेरी नदी पर सिंचाई परियोजना राशि ₹829.96 करोड़ की डी.पी.आर. स्वीकृत हो चुकी है। परियोजना के अंतर्गत 1,598 मिलियन घन फिट (45.29 मिलियन घन मीटर) की कुल भंडारण क्षमता वाला बांध, 23.30 मीटर की अधिकतम ऊँचाई तथा 3 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध प्रस्तावित है, जिसमें 14 वर्टिकल गेट सहित 152 मीटर लम्बे शूट गेटेड स्पीलवे शामिल हैं। बांध का कुल कमाण्ड क्षेत्र 11887 हेक्टेयर में से सिंचित क्षेत्र 9,850 हेक्टेयर पर 8.95 कि.मी. लम्बाई की मुख्य नहर का निर्माण कर फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमुख नदी बेसिन एवं अंतर्राज्यीय परियोजनाएँ

- **संशोधित पार्बती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत ई.आर.सी.पी.)**

  संशोधित–पीकेसी लिंक परियोजना राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके तहत मानसून के दौरान चम्बल नदी के सहायक नदी बेसिनों (कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध, मेज) में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्बती, कालीसिल, गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में अपवर्तन किया जाना है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डी.पी.आर. बनाये

जाने हेतु भारत सरकार तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार के मध्य दिनांक 28 जनवरी, 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

संशोधित–पीकेसी योजना में 17 जिलों में पेयजल एवं औद्योगिक जल उपलब्धता तथा परियोजना में 2.51 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षेत्र सृजन एवं 1.52 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का पुर्नस्थापन का प्रावधान सम्मिलित है। डीपीआर में राजस्थान की हिस्सा राशि ₹89,644 करोड़ दिनांक 29 जुलाई, 2025 को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर दी गई है।

संशोधित–पीकेसी परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) के घटक नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राज्य की पेयजल आवश्यकता के दृष्टिगत 3 पैकेजों (रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा पम्प हाऊस, चम्बल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण, नवनेरा पम्प हाऊस से मेज से गलवा से बीसलपुर एवं ईसरदा फीडर निर्माण) हेतु राशि ₹9,416.70 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं।

इसके साथ ही मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर (जलाश्य) अजमेर का निर्माण और बीसलपुर से मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर तक फीडर, ईसरदा से रामगढ़ बांध जयपुर तक फीडर, खुर्रा चेनपुरा से जयसमंद अलवर तक फीडर एवं ईसरदा से खुर्रा चेनपुरा से बंध बरेठा भरतपुर तक फीडर निर्माण के कार्यों हेतु राशि ₹13,895 करोड़ के आवंटन आदेश (एलओए) जारी कर दिए गए हैं। जिनका अलाइनमेंट सर्वे का कार्य प्रगतिरत है। परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर तक कुल राशि ₹251.49 करोड़ तथा परियोजना के घटकों नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध पर क्रमशः राशि ₹9.53 करोड़ एवं ₹56.62 करोड़ व्यय किये गये हैं।

परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। परियोजना अर्न्तगत फव्वारा सिंचाई पद्धति (Micro Irrigation) से 2.21 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षेत्र का सृजन एवं 1.52 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र की पुर्नस्थापना होगी। जल के कुशलतम उपयोग हेतु अपशिष्ट जल का शोधन कर 30,000 हेक्टेयर नवीन सिंचित क्षेत्र का सृजन किया जायेगा।

परियोजना में फीडर नहरों के निर्माण के साथ–साथ सड़क निर्माण किया जाकर बेहतर आवागमन की सुविधा विकसित की जायेगी एवं नहरों के किनारे सघन वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में योगदान किया जायेगा। परियोजना में सोलर पद्धति से विद्युत उत्पादन का प्रावधान भी सम्मिलित है, जिससे परियोजना के संचालन हेतु आवश्यक विद्युत का उत्पादन भी संभव हो सकेगा।

- **यमुना जल समझौता**

  यमुना जल पर मई, 1994 में हुये समझौते के अनुसार अपर यमुना रिवरबोर्ड द्वारा ताजेवाला हैड (हथिनीकुंड बैराज) पर मानसून अवधि (जुलाई से अक्टूबर) मे 1,917 क्यूसेक (वार्षिक 577 एम.सी.एम) जल राजस्थान को आंवटित किया गया। 17 फरवरी, 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत ताजेवाला हेड (हथिनी कुंड बैराज) से पानी को सीकर, चुरू, झुंझुनू और राजस्थान राज्य के अन्य क्षेत्रों में भूमिगत प्रणाली के माध्यम से लाने हेतु संयुक्त डीपीआर रिपोर्ट बनाने पर सहमति बनी, ताकि उनकी पेयजल और अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.)

पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा कही जाने वाली इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रकृति की विषमताओं से मनुष्य के साहसपूर्ण संघर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की प्यासी मरू भूमि को दूरस्थ हिमालय के जल से सिंचित करना तथा यहां के करोड़ों निवासियों को पेयजल व उद्योगों, ऊर्जा संयंत्रों को पानी उपलब्ध कराना है। परियोजना के उद्देश्यों में सूखा–निवारण, पर्यावरण सुधार और वनीकरण, रोजगार सृजन और पुनर्वास शामिल हैं।

परियोजना में 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में नहर निर्माण कार्य पूर्ण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। वर्तमान में चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट योजना के 0.10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6 नई नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

परियोजना में उपलब्ध जल के कुशल एवं अधिकतम उपयोग के लिए स्टेज– II की लिफ्ट योजनाओं में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली

विकसित करने का निर्णय लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्टेज–II की लिफ्ट योजनाओं के 0.27 लाख हेक्टेयर सीसीए में यह प्रणाली विकसित की गई। इसके पश्चात वर्ष 2016 से 2023–24 तक 1.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य आवंटित किए गए। वर्ष 2025–26 में अतिरिक्त 1.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य आवंटित किए गए हैं, जो वर्तमान में प्रगति पर हैं। वर्ष 2025–26 में दिसंबर तक इन कार्यों पर ₹215.91 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं तथा पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के 0.27 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली विकसित की गई है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण (प्रवाह क्षेत्र) में नहरों के निरंतर उपयोग से नहरें जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक जलह्रास होता है। इसलिए, इन नहरों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं प्रगतिरत हैं:

- आईजीएनपी द्वितीय चरण की बीसलपुर शाखा, भुट्टोवाला और धौधा नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, लागत– ₹134.55 करोड़ (आरआईडीएफ–XXVI के अंतर्गत)
- आईजीएनपी द्वितीय चरण की चारणवाला शाखा प्रणाली का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण लागत ₹102.31 करोड़ (आरआईडीएफ–XXVII के अंतर्गत)

वर्ष 2025–26 के दौरान माह दिसम्बर तक इन परियोजनाओं पर क्रमशः ₹5.03 करोड़ और ₹3.05 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जैसलमेर सम्भाग में सागर मल गोपा शाखा के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कार्यों, मुख्य नहर की आरडी 1254 से 1458 तक निकलने वाली सीधी नहरों व आसुतार वितरिका प्रणाली के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों पर इस वर्ष माह दिसम्बर तक ₹35.82 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के अन्तर्गत चौधरी कुंभा राम आर्य लिफ्ट में नई नहरों के निर्माण पर ₹16.16 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और 16.35 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया है।

वर्ष 2025–26 में कुल ₹1106.36 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। प्रथम चरण की कंवरसेन लिफ्ट योजना के लिए ₹78.04 करोड़ रुपये तथा शेष ₹1,028.32 करोड़ द्वितीय चरण के संचालन, रखरखाव एवं निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित किये गये है तथा दिसम्बर, 2025 तक ₹5,46.84 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कुल 14.82 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। वर्ष 2025–26 में दिसम्बर तक 11,296 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। उपनिवेशन विभाग ने ₹70 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्व ₹337.80 करोड़ की राशि एकत्रित की है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत 99 प्राथमिकता वाली सीएडीडबल्यूएम परियोजनाओं में शामिल गंग नहर परियोजना फेज–द्वितीय में वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, तक 14,500 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के विरुद्व 6,907 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य किया गया है, जिसके तहत ₹15.70 करोड़ का व्यय किया गया है।

श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं हनुमानगढ़ जिलों में अमरसिंह सब ब्रांच सिंचाई परियोजना, सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज–प्रथम (खाजूवाला एवं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र) में वर्ष 2025–26 मे 57,200 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के विरूद्व 48,712 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण व जीर्णोद्वार किया गया, जिसके तहत ₹175.91 करोड़ का व्यय किया गया।

चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के कोटा,बून्दी एवं बारां जिलों में कृषकों को लाभान्वित करने के लिए प्रभावी सिंचाई सुविधा हेतु वर्ष 2025–26 मे 8,596 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण एवं 284.57 किमी लम्बाई में नहरों की लाइनिंग के कार्य के विरुद्व ₹289.06 करोड़ व्यय किये जाकर 6,296 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य एवं 169.95 किमी लम्बाई में नहरों की लाइनिंग का कार्य पूर्ण करवाया गया है।

सरहिन्द फीडर और इंदिरा गांधी फीडर की रिलाईनिंग (पंजाब हिस्सा)

इस परियोजना के अन्तर्गत, इंदिरा गांधी फीडर में 97 किलोमीटर और सरहिन्द फीडर में 100 किलोमीटर लंबाई में रिलाइनिंग

की जाएगी। समझौते के अनुसार, इंदिरा गांधी फीडर के रिलाइनिंग के लिए हर साल 70 दिनों की नहरबंदी की जाकर कार्य निष्पादित करवाये जाएंगे।

राजस्थान फीडरः— राजस्थान फीडर में पंजाब ने कुल 97 किलोमीटर लंबाई में से 81.70 किलोमीटर लंबाई के रिलाइनिंग कार्य को पूर्ण कर लिया है। शेष रही 15.30 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग कार्य आगामी नहरबंदी माह मार्च—मई, 2026 में पूर्ण करवाये जाने प्रस्तावित हैं। दिसम्बर, 2025 तक पंजाब ने इन कार्यों पर ₹1,346.84 करोड़ खर्च किए हैं। राजस्थान ने राजस्थान फीडर के रिलाइनिंग के लिए अपनी हिस्सेदारी के तहत पंजाब को ₹960.89 करोड़ का हस्तांतरण किया है।

सरहिंद फीडरः— पंजाब ने सिरहिंद फीडर में 100 कि.मी. लंबाई में रिलाइनिंग का कार्य पूरा कर लिया है। सरहिन्द फीडर के रिलाईनिंग पर पंजाब ने दिसम्बर, 2025 तक ₹801.49 करोड़ खर्च किए तथा राजस्थान ने सरहिन्द फीडर के रिलाइनिंग के लिए अपनी हिस्सेदारी के तहत पंजाब को ₹183.86 करोड़ का हस्तांतरण किया है।

फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण

फिरोजपुर फीडर की अनुमानित जल प्रवाह क्षमता 11,192 क्यूसेक है जो अपेक्षित रख—रखाव के अभाव में घटकर 9,500 क्यूसेक ही रह गई है। यह नहर राजस्थान में प्रवाहित होने वाली गंगनहर एवं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की कॉमन फीडर है। इस नहर की क्षमता कम होने के कारण इन दोनों नहर प्रणालियों में सिंचाई के पानी की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की डीपीआर को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24 अप्रेल, 2025 को 158वीं सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना की कुल लागत ₹647.62 करोड़ है, जिसमें पंजाब राज्य का अंश ₹379.12 करोड़ (58.54 प्रतिशत) तथा राजस्थान राज्य का अंश ₹268.50 करोड़ (41.46 प्रतिशत) है। फिरोजपुर फीडर की रिलाइनिंग से गंग नहर प्रणाली के अंतर्गत 3.14 लाख हेक्टेयर तथा भाखड़ा नहर सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 2.92 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

इस योजना का उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। इसमें सतत सिंचाई पद्धतियों तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए " हर खेत को पानी" और "प्रति बूंद अधिक फसल" जैसी पहलों को शामिल किया गया है, ताकि दीर्घकालिक कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

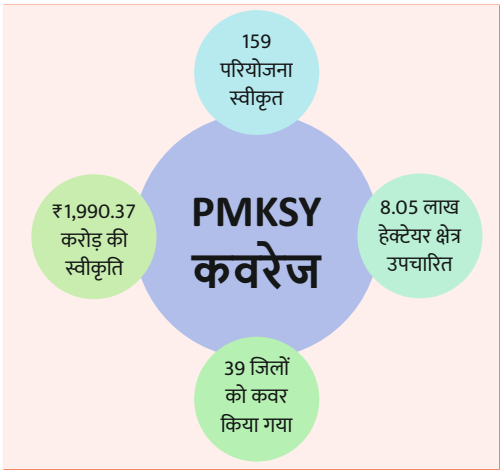
जल ग्रहण विकास घटक—पीएमकेएसवाई 2.0

डब्ल्यूडीसी—पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत, वर्ष 2025—26 तक ₹1990,.37 करोड़ की लागत से 39 जिलों को कवर करते हुए 8.05 लाख हेक्टेयर के उपचार के लिए 159 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैंः—

- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मृदा और आर्द्रता संरक्षण गतिविधियां।
- जल संचयन संरचनाएं जैसे चेक डेम, नाला बांध, खेत तालाब, टैंक, एनीकट, अमृत सरोवर कार्य आदि।
- प्रभावी वर्षा प्रबंधन जैसे खेत बांधना, कंटूर बांधना/खुदाई, चरणबद्ध खुदाई, भूमि समतल करना, मल्चिंग आदि।
- लाभार्थियों की भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण और प्रवेश बिंदु गतिविधियां।
- उत्पादन गतिविधियां जैसे नर्सरी स्थापना, वनारोपण, बागवानी, चारागाह विकास कार्य आदि।
- परिसम्पतिहीन व्यक्तियों, महिलाओं, लघु एवं सीमांत किसानों व सूक्ष्म उद्यम के लिए आजीविका गतिविधियां।

चित्र 8.4



इस योजना के अन्तर्गत कुल ₹1,387.38 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें

राज्य का हिस्सा ₹554.95 करोड़ है, जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2025 तक ₹1,216.27 करोड़ का व्यय किया गया है। योजना के अन्तर्गत 49,692 कार्य प्रारम्भ किए गए हैं, जिनमें से दिसम्बर, 2025 तक 47,858 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

मरम्मत,नवीनीकरण, पुर्नस्थापान योजना (आरआरआर)

यह योजना जनवरी 2005 में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से छोटे जल संरचनाओं की मरम्मत और सुधार के लिए शुरू की गई थी,जो 60:40 वित्त पोषण पैटर्न पर आधारित थी। वर्ष 2017–18 में इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बना दिया गया।

- **आर.आर.आर. के अन्तर्गत संचालित परियोजनाएं** : वर्तमान में राज्य में 37 जल निकायों के कार्य ₹124.71 करोंड़ की स्वीकृत लागत (केंद्र का हिस्सा ₹74.83 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹49.88 करोड़) के साथ क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से कुल 1.94 लाख किसानों को लाभ होगा, जिनमें से 92,269 किसान एससी/एसटी समुदाय से हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 7,484.17 हेक्टेयर सिंचित कमांड क्षेत्र (आई.सी.ए.) को पुनर्जीवित किया जाएगा। योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 में ₹25 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹7.50 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है तथा दिसम्बर, 2025 तक ₹79 करोड़ का कुल व्यय हुआ है।
- **आर.आर.आर. के अन्तर्गत नए प्रस्तावः** इस योजना के अन्तर्गत ₹142.92 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹85.75 करोड़ और राज्य हिस्सा ₹57.17 करोड़) लागत के साथ 84 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएँ 3 जिलों यथा कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में लागू की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से कुल 2,16,415 लाख किसानों को लाभ होगा, जिनमें से 88,629 किसान एससी/एसटी समुदाय से हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने पर 4404 हेक्टर सिंचित कमांड क्षेत्र (आईसीए) को पुनर्जीवित किया जायेगा वर्ष 2025–26 के लिए ₹55 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹33 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है तथा दिसम्बर, 2025 तक ₹71.00 करोड़ का कुल व्यय किया जा चुका है।

पीएमकेएसवाई का सूक्ष्म सिंचाई घटकः

सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकें जल प्रबंधन की सबसे कारगर पद्धतियाँ हैं, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि के साथ–साथ जल की बचत भी होती है। इस प्रणाली के उपयोग को बढ़ाने के लिए, विभिन्न श्रेणियों के किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। सामान्य किसान 70 प्रतिशत (27 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा, 18 प्रतिशत राज्य हिस्सा और 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य हिस्सा) अनुदान के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/लघु और सीमांत किसान 75 प्रतिशत (27–33 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा, 18–22 प्रतिशत राज्य हिस्सा और 20–30 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य हिस्सा) अनुदान के लिए पात्र हैं।

वर्ष 2025–26 में ₹905.18 करोड़ (केंद्रीय अंश के रूप में ₹543.11 करोड़ तथा राज्य अंश के रूप में ₹362.07 करोड़) का प्रावधान रखा गया है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पर अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान करने तथा एम.आई.एफ. परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य निधि से ₹359.29 करोड़ की राशि रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक ₹156.13 करोड़ खर्च किए गए हैं। माह दिसम्बर, 2025 तक, 62,916 हेक्टेयर तथा 63,243 हेक्टेयर क्षेत्र को क्रमशः ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर तथा फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।

पीएमकेएसवाई की कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजना

गंग नहर परियोजना चरण–द्वितीय पीएमकेएसवाई के तहत प्राथमिकता वाले कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अन्तर्गत ₹341.53 करोड़ की लागत से 1,17,975 हेक्टेयर में पक्के जलमार्ग का निर्माण पूर्ण किया जाना है। वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर, 2025 तक 6,907 हेक्टेयर में पक्के जलमार्ग का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम 'कुसुम') घटक–'बी'

पीएम 'कुसुम' घटक–बी योजना अकेले सौर पंप (3 एचपी से 10 एचपी तक) की स्थापना का समर्थन करती है, जिसमें 7.5 एचपी तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदान देय है। जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और जो डीज़ल आधारित पंप सेट पर निर्भर हैं, वे इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप प्रणाली स्थापित करने के पात्र हैं।

इस योजना के अन्तर्गत किसानों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। शेष 60 प्रतिशत भारत सरकार और राजस्थान सरकार प्रत्येक के द्वारा 30–30 प्रतिशत दिया जा रहा है। किसान बैंक से 30 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है और शेष 10 प्रतिशत किसानों को देना होगा। अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों के जिलों में अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए सौर पंप सेट लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग किसानों के हिस्से की लागत वहन करते हुए 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रहा है। वर्ष 2025–26 के दौरान 20,419 सौर पंप लगाए गए हैं, जिन पर ₹400.15 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर, 2025 तक ₹132.36 करोड़ व्यय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (एमजेएसए 2.0)

राज्य में फरवरी, 2024 से अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अभियान प्रारम्भ किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक (एमपीटी), मिनी स्टोरेज टैंक (एमएसटी) सब सरफेस बैरियर (एसएसबी) का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत आदि का काम किया जाता है। अगले चार वर्षों में एमजेएसए 2.0 के तहत राज्य के 20,000 गांवों में जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 8.1

चरण	चयन हेतु ग्रामों की संख्या	पूर्णता अवधि
प्रथम	5135	31.03.2026
द्वितीय	4746	30.06.2026
तृतीय	5000	30.06.2027
चतुर्थ	5119	30.06.2028

तलिका 8.2 : प्रथम चरण की 31.12.2025 तक प्रगति

लक्ष्य		कार्य प्रारंभ		कार्य पूर्ण	
संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)
114039	2532.42	119756	2645.49	110059	2289.49

तलिका 8.3 : द्वितीय चरण की 31.12.2025 तक प्रगति

अनुमोदित कार्य		स्वीकृत कार्य		कार्य प्रारंभ		कार्य पूर्ण	
संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)
99930	2607.44	26059	612.01	6218	184.58	2880	54.90

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आरडब्ल्यूएसएलआईपी)–जेआइसीए

इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार लाना तथा राज्य में कृषि और सिंचाई क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि सहायता सेवाओं में सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।

जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जेआइसीए) के सहयोग से 30 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार हेतु राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के क्रियान्वयन से 5.13 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित होंगे। परियोजना की विस्तारित पूर्णता समयावधि 31 मार्च, 2028 तक है। परियोजना की कुल लागत राशि ₹2,294.30 करोड़ (39,987 मिलियन येन) है। जिसमें से जेआइसीए द्वारा राशि ₹1882.70 करोड़ (32,619

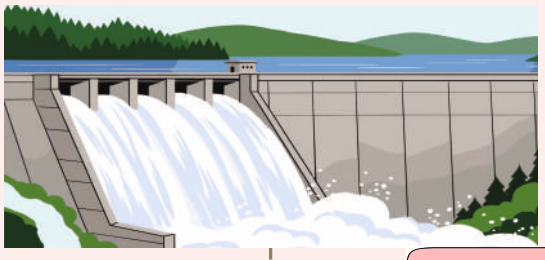
मिलियन येन) का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा शेष राशि ₹411.60 करोड़ (7,368 मिलियन येन) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। जेआइसीए द्वारा यह परियोजना दो चरणों में वित्तपोषित की जा रही है तथा प्रत्येक चरण के लिए पृथक ऋण समझौते किए गए हैं।

परियोजना को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण के तहत 65 सिंचाई उप–परियोजनाओं, द्वितीय चरण के तहत 36 सिंचाई उप–परियोजनाएं तथा तृतीय चरण के तहत 36 सिंचाई उप–परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य एवं अन्य परियोजना गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

वर्ष 2025–26 हेतु बजट अनुमान राशि ₹246.60 करोड़ के विरुद्ध दिसम्बर, 2025 तक राशि ₹131.30 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। जेआइसीए से दिसम्बर, 2025 तक राशि ₹1035.33 करोड़ का पुनर्भरण प्राप्त किया गया ।

वर्ष 2025–26 में "लखपति दीदी" घटक को चरण–II एवं चरण–III की सिंचाई उप–परियोजनाओं में लागू किया जा रहा है। लखपति दीदी (उद्यानिकी) के अन्तर्गत उन्नत फल एवं सब्जी उत्पादन तकनीकों को अपनाकर महिला कृषक हित समूह (WFIG) के गठन के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के 1,000 गांवों में 10,000 महिला किसानों की आजीविका में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है।

चित्र 8.5 : बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) – विश्व बैंक, एआईआईडी



DRIP चरण–II एवं III का संक्षिप्त विवरण

सहयोग प्राप्त संस्थाएं: विश्व बैंक, एआईआईडी, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

उद्देश्यः बांधों की सुरक्षा बढ़ाना और प्रबंधन को सुदृढ़ करना

कुल अवधिः 10 वर्ष

चरण–IIः अप्रैल 2021–मार्च 2027
चरण–IIIः अप्रैल 2025–मार्च 2031
212 बड़े बांधों में से 189 बांधों का चयन किया गया है

ड्रिप चरण–II की प्रगति

- 15 बांधों पर ₹516.55 करोड़ की पुनर्वास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है
- 11 बांधों पर ₹184.06 करोड़ के कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं
- 7 बांधों पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 4 बांधों पर कार्य प्रगतिरत है

परियोजना के लाभ

- जल धारण क्षमता में वृद्धि
- सिंचाई और पेयजल के लिए अधिक जल उपलब्धता
- आधुनिकीकृत बांध एवं बाढ़ डेटा प्रबंधन
- प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं कार्यक्षमता में वृद्धि

वित्तीय प्रगति (दिसंबर 2025 तक)

वर्ष 2025–26 में ₹262.76 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹11.32 करोड़ का व्यय किया गया है तथा कुल ₹171.58 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (आरडब्ल्यूएसआरपीडी)

इस परियोजना के माध्यम से पानी की बचत की गई है जिससे नहरों के टेल रीच (अंतिम छोर) तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और किसानों को सिंचाई के लिए समानुपातिक रूप से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को कृषि की नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी जिससे कृषि में सुधार होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले सूक्ष्म सिंचाई कार्यों से पानी की बचत होगी और किसानों को सोलर पंपों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जलभराव वाले क्षेत्रों में भूमि सुधार (लैंड रिक्लेमेशन) के कार्य किए जाएंगे जिससे क्षेत्र में गाद (सिल्ट) की समस्या से राहत मिलेगी।

यह परियोजना आठ वर्ष छः माह की अवधि में दो चरणों में पूर्ण की जाएगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3,291.63 करोड़ है, जिसमें से 70 प्रतिशत धनराशि न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी और शेष 30 प्रतिशत राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से जुटाई जाएगी।

परियोजना के मुख्य फोकस क्षेत्रों में इंदिरा गांधी फीडर को आरडी 496 से 555 (हरियाणा भाग) और आरडी 555 से 671 (राजस्थान भाग) तक रीलाइनिंग करना, साथ ही इंदिरा गांधी मुख्य नहर को आरडी 0 से 620 तक रीलाइनिंग करना, जो कुल 179.53 किलोमीटर को कवर करता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना में 2,498.69 किलोमीटर वितरण प्रणाली का विकास, 33,312 हेक्टेयर जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार और कमांड क्षेत्र का विस्तार शामिल है। यह जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूएज) को मजबूत करने और आईएमटीआई/कृषि विज्ञान केंद्र के संस्थागत विकास पर भी जोर देता है। इन पहलों से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, और बाड़मेर सहित कई जिलों को लाभ होगा।

चरण 1: ₹1,037.25 करोड़ की लागत वाली परियोजना के पहले चरण के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर 13 फरवरी, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। विभाग द्वारा इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर के लिए नवीनीकरण और वितरण प्रणाली का काम पूर्ण किया गया, जिसमें ₹1,037.25 करोड़ का उपयोग किया गया और न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एनडीबी) से 100 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹726.60 करोड़) का दावा किया गया।

चरण 2: दूसरे चरण के लिए 29 जुलाई, 2022 को एनडीबी के साथ ₹2,254.38 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह चरण इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर की लाइनिंग और नवीनीकरण पर केंद्रित था। दिसम्बर, 2025 तक इस चरण के लिए ₹2,254.38 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹1,787.51 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

परियोजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की तय लाईनिंग 179.53 किमी में से 177.47 किमी लम्बाई में जीर्णोद्धार के कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं। कुल स्वीकृत 286 कार्यों में से माह दिसम्बर, 2025 तक 276 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। शेष 10 कार्य प्रगतिरत हैं। परियोजना के अन्तर्गत वितरण तन्त्र की परियोजना में प्रस्तावित कुल 2498.69 किमी के विरुद्ध 2498.69 किमी लम्बाई में जीर्णोद्धार के कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं। सभी 109 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

परियोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि ₹356.54 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध राशि ₹85.15 करोड़ का व्यय माह दिसम्बर, 2025 तक किया जा चुका है। परियोजना पर माह दिसम्बर, 2025 तक कुल राशि ₹2824.76 करोड़ व्यय कर NDB से राशि ₹1818.76 करोड़ का क्लेम प्राप्त कर लिया गया है।

चित्र 8.6



17 जिलों के 38 ब्लॉकों की 1,132 ग्राम पंचायतों को कवर किया

अटल भू–जल योजना

अटल भू–जल योजना एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यक्रम है, जो अप्रैल, 2020 से मार्च, 2025 तक लागू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर भू–जल प्रबंधन को बढ़ावा देकर और समुदाय में संवेदनशीलता जल उपयोग के लिए व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से भू–जल स्तर में गिरावट को रोकना है। सहभागिता जल सुरक्षा योजना और स्थानीय समुदाय की विशेष रूप से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 जिलों के 38 ब्लॉकों की 1,132 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है। योजना के उद्देश्य को जारी रखने के लिए 1132 ग्राम पंचायतों में 1132 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। अक्टूबर, 2025 परियोजना के समापन पर 1132 ग्राम पंचायतों का मुल्यांकन किया गया और यह पाया गया कि पिछले 3 वर्षों में 1132 ग्राम पंचायतों में से 137 ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर की गिरावट में आंशिक सुधार/कमी दर्ज की गई है। जबकि 38 पंचायत समितियों में से 07 पंचायत समितियों के 50 प्रतिशत से अधिक कुओं के भूजल स्तरों में आंशिक सुधार दर्ज किया गया है।

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान

''जल शक्ति अभियान'' वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''कैच द रैन थीम'' पर प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष जल शक्ति अभियान हेतु पृथक–पृथक थीम रखी गई, वर्ष 2025 में जल शक्ति अभियान का थीम जल संचय, जन भागीदारी और जन जागरूकता पर केन्द्रित है।

जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 सितंबर, 2024 को जल संचय जन–भागीदारी अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा 15 जनवरी, 2025 को ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' अभियान का शुभारंभ किया गया।

जल संचय– जन भागीदारी अभियान ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' के अन्तर्गत अगले 4 वर्षों में राज्य के 41 जिलों की लगभग 11195 ग्राम पंचायतों में कुल 45,000 भूजल पुनर्भरण संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भामाशाहों प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से, क्राउड फण्डिंग व कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि (CSR fund) के माध्यम से किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल की हर बूंद का संरक्षण करना और राज्य में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जनभागीदारी के साथ भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना है, साथ ही जन जागरुकता पैदा करके पानी के उपयोग के बारे में जनता के विचार को बदलना है।

वर्ष 2025–2026 में सीएसआर निधि से प्रदेश में 5000 पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भामाशाह, प्रवासी राजस्थानियों, क्राउड फंडिंग और सीएसआर फंड के तहत निर्धारित कॉरपोरेट लक्ष्य की मदद से वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अपने–अपने जिलों में कम से कम 125 या अधिक पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करें।

नवाचार/अभिनव पहलः–

वर्ष 2025–2026 में 5000 पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 16,006 संरचनाओं (300 प्रतिशत से अधिक) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' अभियान के तहत राज्य में जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जल संचय–जनभागीदारी 1.0 अभियान में अखिल भारतीय स्तर पर भामाशाहों को सम्मानित किया है।

अब तक ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा भूजल पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचना के निर्माण कार्य के लिए ई–पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 43,126 निर्माण स्थलों का चयन किया गया है।

वंदे गंगा'' जल संरक्षण जन अभियान

गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 जून से 20 जून, 2025 तक संपूर्ण राज्य में ''वंदे गंगा'' जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया था।

अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण एवं जल संरक्षण को जन जागृति द्वारा जन आंदोलन बनाना है। इस हेतु आगामी मानसून से पूर्व राज्य में वर्षा जल के अधिक से अधिक संग्रहण हेतु अभियान अंतर्गत नवीन जल संचय संरचनाओं की शुरूआत

एवं पूर्ण कार्यों का निरीक्षण/लोकार्पण, जल स्त्रोतों की साफ–सफाई, परंपरागत जल संरचनाओं का पुनरूद्धार से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

इस अभियान में हमारी परम्परा एवं संस्कृति को पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों से जोड़ते हुए जैसे वंदे गंगा कलश यात्रा, वंदे गंगा जल सेवा, पशुओं एवं पक्षियों के लिए जल प्रबन्ध, जलाशयों पर पूजन, जन जाग्रति हेतु प्रभात फेरी, कार्यशालाएं, रात्रि चौपाल, ग्राम सभाओं आदि का भी आयोजन किया गया है।

राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ भामाशाहों,जनहितैषी, स्वयं सेवी संस्थाओं, उद्योगपतियों, धार्मिक संस्थाओं एवं प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी ने अभियान को जन आंदोलन बना दिया है।

चित्र 8.7



''वंदे गंगा'' जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत आयोजित मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है:

- अभियान के अतंर्गत अब तक राज्य की लगभग 11 हजार ग्राम पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों के लगभग 3 लाख 70 हजार कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं। जिनमें लगभग 13.2 मिलियन महिलाओं सहित लगभग 25.3 मिलियन नागरिकों ने भाग लिया है।
- अभियान अंतर्गत लगभग 42,200 जल स्त्रोतों की सफाई का कार्य किया गया है। साथ ही लगभग 73,900 विभिन्न कार्यालयों, अस्पतालों एवं विद्यालयों की साफ–सफाई का कार्य किया गया है।

11,000 ग्राम पंचायतें कवर की गईं

1.02 लाख श्रमदान स्थल

42,200 जल स्रोतों की सफाई की गई

4,560 पुनर्भरण शाफ्टों का निर्माण किया गया

- अभियान अंतर्गत 18,900 पूर्ण कार्यो का निरीक्षण/लोकार्पण किया गया। साथ ही लगभग 5,600 नवीन कार्य प्रारम्भ किये गए हैं।
- अभियान के दौरान सीएसआर एवं दान दाताओं के सहयोग से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में लगभग 4,560 रिचार्ज शाफ्ट बनाये जा चुके हैं।
- अभियान के दौरान लगभग 1.02 लाख स्थानों पर आम जनता द्वारा श्रमदान के कार्यक्रम आयोजित किये गए।
- अभियान के दौरान सरकार का संदेश पहुचाने एवं प्रचार–प्रसार के लिए लगभग 13,600 ग्राम सभायें, 6,800 प्रभात फेरी, 9,800 कलश यात्रा, 6,000 विभिन्न प्रकार की चौपाल आयोजित की गई हैं।
- अभियान में मीडिया की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,300 मीडिया कॉन्फ्रेंस एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं लगभग 14,800 छोटी बैठकें/सेमीनार आयोजित किये गए हैं।

किसान साथी ऐप:

किसान साथी ऐप को 14 अगस्त 2024 को जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पार्वती परियोजना कमान क्षेत्र के किसानों के लिए एक डिजिटल संचार मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। ऐप की मुख्य विशेषताएं हैं:

- पानी की उपलब्धता, बांध की स्थिति और नहर संचालन से संबंधित सटीक और पारदर्शी डेटा समय पर प्रदान करके किसानों और विभाग के बीच सूचना के अंतर को पाटना।

- किसानों को पानी छोड़ने, बांध गेज स्तर, नहर स्त्राव, मौसम पूर्वानुमान और मंडी दरों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जिससे बेहतर फसल योजना और सिंचाई संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव होगा।
- फसल विवरण डिजिटल रूप से जमा करने के लिए, पानी की मांग–आपूर्ति के अंतर को देखने और मौसम–वार और फसल–वार ऐतिहासिक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए।
- जियो–फेंसिंग लगाने वाले तंत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, केवल निर्दिष्ट कमांड क्षेत्र के भीतर डेटा प्रविष्टि की अनुमति देना।
- दो तरफा संचार को सुगम बनाने के लिए किसानों को नहरों में दरार, अतिप्रवाह, पानी न मिलने या अन्य शिकायतों की सूचना सीधे विभाग को देने की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके।
- लगभग 70,000 किसान पार्वती कमांड क्षेत्र में आते हैं और एपीके–आधारित इंस्टॉलेशन के माध्यम से ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया चल रही है।

बाराबन्दी (सिंचाई अनुसूची) मोबाइल ऐपः–

जल संसाधन विभाग ने एनआईसी, श्रीगंगानगर के माध्यम से बाराबंदी मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान सीधे अपने मोबाइल फोन पर अपनी जल आवंटन पर्चियों को देख सकते हैं और अपनी भूमि, सिंचाई की बारी और पानी छोड़ने के कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डब्ल्यू आर डी के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

नाबार्ड गांव क्षेत्रों में भूजल स्तर सुधारने के लिए जल संचयन संरचनाओं, जिनमें मध्यम, लघु, सूक्ष्म और छोटी जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं, से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ये परियोजनाएं स्थानीय किसानों को उनकी जल आवश्यकताओं को बिना किसी बाधा के पूर्ण करने में सीधा लाभ पहुंचाती हैं। वर्तमान में ट्रेंच आरआईडीएफ 27 से 31 के कार्य प्रगति पर हैं। इन ट्रेंचों के अंतर्गत ₹2,018.11 करोड़ की लागत से कुल 94 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से नाबार्ड द्वारा ₹1,575.57 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। इनमें से 53 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 39 परियोजनाओं पर कार्य प्रगतिरत है।

वर्ष 2025–26 में ₹157.89 करोड़ के व्यय दावे नाबार्ड को पुनः भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से ₹137.89 करोड़ के दावों की माह दिसम्बर, 2025 तक प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करनाः एकीकृत जल अवसंरचना

राज्य भूजल संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है। पिछले दो दशकों में अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। राज्य की स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी की समस्या को भौगोलिक विविधता एवं सतही और भूजल की सीमित उपलब्धता ने और अधिक जटिल बना दिया है।

शहरी जल आपूर्ति

राज्य में कुल 257 शहरी कस्बे हैं, जिनमें सभी जिला मुख्यालय सम्मिलित हैं। इन सभी 257 शहरी कस्बों को पाईप लाइन आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है (जिसमें घरेलू जल कनेक्शन की सुविधा शामिल है) इन शहरी कस्बों में से 86 शहरी कस्बे सतही जल स्रोतों पर, 89 शहरी कस्बे भूजल स्रोतों पर तथा शेष 82 शहरी कस्बे सतही एवं भूजल स्रोतों के मिश्रण पर निर्भर हैं। राज्य के सात प्रमुख शहर यथा–जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में विभिन्न स्थाई सतही जलस्रोत से पेजयल आपूर्ति की जा रही है।

शहरी क्षेत्र में नल कूप एवं हैंड पम्प निर्माणः राज्य के अधिकांश कस्बे पेयजल आपूर्ति हेतु भूजल पर निर्भर हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्र में 653 ट्यूबवेल और 1019 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं।

शहरी क्षेत्र में हैण्डपम्प मरम्मतः जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों को कार्यशील बनाए रखकर पूरे वर्ष पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2025–26 में 26,398 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई है।

वर्ष 2025–26 में कुल ₹3,992.71 करोड़ के बजट प्रावधान में से ₹971.61 करोड़ की राशि माह दिसम्बर, 2025 तक व्यय की जा चुकी है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0):–

भारत सरकार द्वारा 01 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 योजना प्रांरभ की गई जिसके अन्तर्गत सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025–26 तक ''हर घर नल'' द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। योजनान्तर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत, 1 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 33.33 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।

अमृत 2.0 के अन्तर्गत राजस्थान के 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति से सम्बन्धित कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा ₹5,123.06 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 178 शहरी स्थानीय निकायों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु कुल ₹5,099.56 करोड़ के कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं। इनमें से 104 शहरी स्थानीय निकायों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

चित्र 8.8 : अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (अमृत 2.0)



ग्रामीण जल आपूर्ति

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से जल समस्या का क्रमिक समाधान किया जा रहा है। 15 अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2028 तक पीने योग्य पानी हेतु घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। तदनुसार, विभाग की प्राथमिकता अब आबादी कवर करने के स्थान पर प्रत्येक घर को पीने योग्य पानी हेतु घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है।

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन –

वर्ष 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य की वित पोषण हिस्सेदारी 50:50 प्रतिशत है। जल जीवन मिशन हेतु राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता समिति (एसडब्ल्यूएसएम), जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डीडब्ल्यूएसएम) एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग एजेंसी है।

चित्र 8.9 : जल जीवन मिशन



"हर घर जल"

- **62.40 लाख नल कनेक्शन**
- **1.94 लाख नए नल कनेक्शन**
- **₹6,007.12 करोड़ की धनराशि उपलब्ध**
- **₹2,750.94 करोड़ का व्यय**
- **50.46 लाख परिवार लाभान्वित**

वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर तक 1.94 लाख नये कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत ₹2,750.94 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है तथा अब तक कुल 62.40 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

जल जीवन मिशन के तहत ₹93,427 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 11,159 एकल ग्राम योजनाओं और 139 प्रमुख जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग 92 लाख परिवार घरेलू जल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति से लाभान्वित होंगे। जेजेएम के तहत 50.46 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन से लाभान्वित किया गया है। दिसंबर, 2025 तक ₹29,039 करोड़ रुपये का संचयी व्यय किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप एवं हैण्डपम्प निर्माण

राज्य के अधिकांश गाँवों में पेयजल व्यवस्था भू–जल पर निर्भर है। वर्ष 2025–26 के दौरान माह दिसम्बर तक 1,414 ट्यूबवेल एवं 3,409 हैण्डपम्प स्थापित किए जा चुके हैं।

जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों को क्रियाशील बनाए रखकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरे वर्ष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान नियमित रूप से चलाया जाता है। वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर, 2025 तक कुल 1,46,025 हैंडपंपों का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य पूरा किया गया है।

पेयजल परिवहन

राज्य में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में उन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन किया जाता है जो या तो पेयजल योजनाओं से लाभान्वित नहीं हैं अथवा जहाँ सुदूर छोर के क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति में कमी हो जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य में 8,616 गांवों/ढाणियों में पेयजल परिवहन की सुविधाएं पहुंचाई गई हैं।

वृहद् पेयजल परियोजनाएं

राजस्थान में अनेक सतत् सतही जल संसाधन हैं, जिनमें हैं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (5,719 ग्राम, 39 कस्बे), चम्बल नदी

(4,899 ग्राम, 29 कस्बे), नर्मदा नदी (902 ग्राम, 3 कस्बे), बीसलपुर बांध (3,109 ग्राम, 22 कस्बे), जवाई बांध (811 ग्राम, 10 कस्बे) इत्यादि शामिल है इन जल संसाधनों का उपयोग राज्य में प्रमुख जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए किया गया है।

राशि ₹39,362.64 करोड़ के निवेश से 120 वृहद पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनों से 110 कस्बे, 16,680 ग्रामों तथा 12,716 ढाणियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए डिज़ाईन किया गया है।

चित्र 8.10 : जल आपूर्ति परियोजनाओं की प्रगति दिसम्बर, 2025 तक

प्राप्त कवरेज
- 99 नगर
- 14,842 गांव
- 12,071 ढाणियां लाभान्वित

पूर्ण की गई परियोजनाएँ
- 105 परियोजनाएँ पूर्ण
- ₹27,162.93 करोड़ का व्यय

प्रगतिरत परियोजनाएँ
- 13 नगरों को सेवा प्रदान करने वाली 12 परियोजनाएँ
- ₹6,273.25 करोड़ का व्यय

जल संसाधन विभाग
- 3 परियोजनाएँ
- ₹1,176.10 करोड़ का व्यय

जल जीवन मिशन का विस्तार
- 42 परियोजनाएँ पूर्ण
- 119 परियोजनाएँ प्रगतिरत

राज्य की उपलब्धि

राजस्थान को 18 नवंबर, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जल संरक्षण और जन भागीदारी पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जिला वर्ग (पश्चिमी क्षेत्र, श्रेणी–1) में भीलवाड़ा जिले को प्रथम और बाड़मेर जिले को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

09 पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता

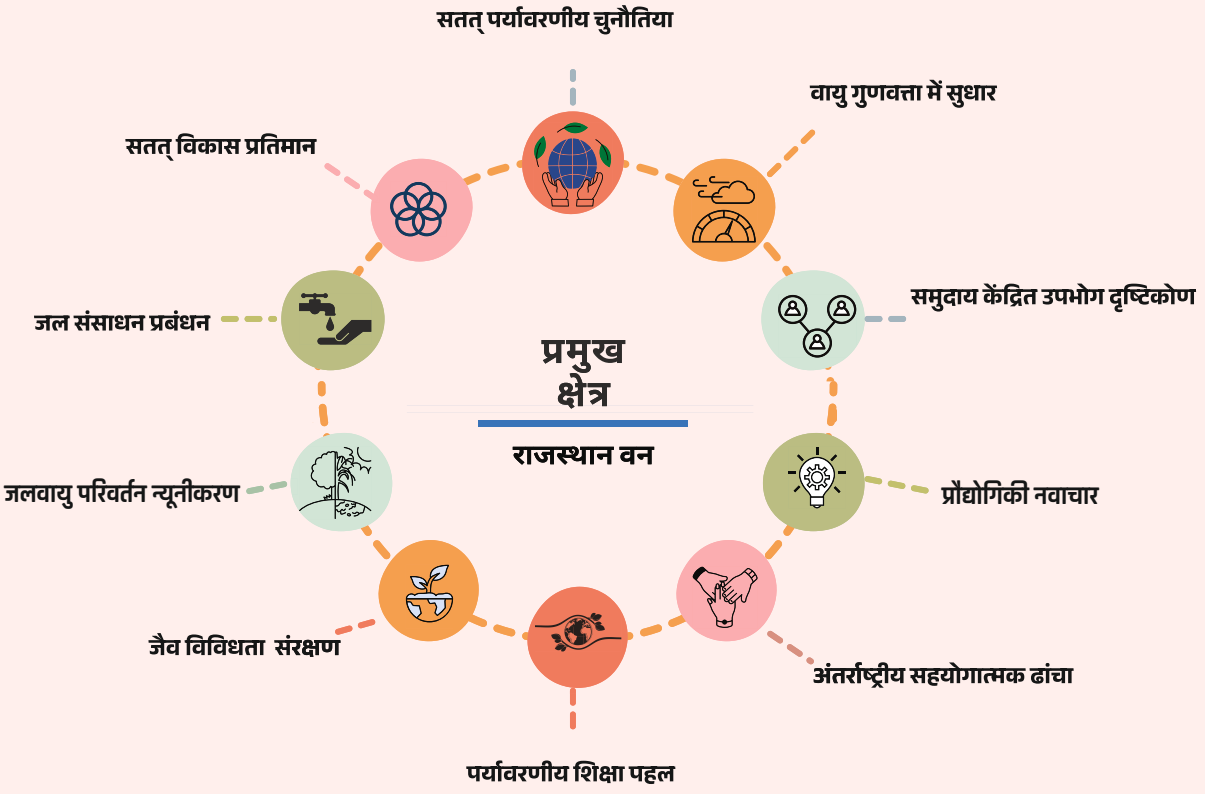
प्रकृति के संरक्षण के साथ दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता आवश्यक है। पर्यावरणीय स्थिरता, भावी पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देती है। यह प्राकृतिक संसाधनों के उत्तरदायी उपयोग, प्रदूषण में कमी, जैव विविधता के संरक्षण तथा अक्षय ऊर्जा एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्क्युलर इकोनोमी) की प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है। जलवायु अनुकूलता से तात्पर्य प्रणालियों, समुदायों, अवसंरचना, पारिस्थितिकी तंत्रों एवं संस्थाओं की जलवायु संबंधित आपदाओं जैसे कि लू, बाढ़, सूखा और चरम मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान लगाने, सहन करने, उनके अनुरूप ढ़लने और उनसे उबरने की क्षमता से है। सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) फ्रेमवर्क, मार्गदर्शन करता है कि विकास किस प्रकार पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी तथा जलवायु संकट के लिये तैयार रह सकते हैं। यह अक्षय ऊर्जा को अपनाने, ऊर्जा दक्षता, सतत् परिवहन, अपशिष्ट में कमी, जल संरक्षण तथा कमजोर पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के माध्यम से निम्न–कार्बन विकास के पथ को प्रोत्साहित करता है।

विजन स्टेटमेन्ट – विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक, राजस्थान पर्यावरणीय अनुकूलता और सतत् विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा, जो आर्थिक प्रगति और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलित समन्वय स्थापित करेगा। राज्य वन संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी एवं सतत् भूमि उपयोग के माध्यम से जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार तथा जैव विविधता संरक्षण को सशक्त रूप से प्रोत्साहित करेगा।

एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन प्रणाली राज्य में तैयारी, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु–अनुकूल भविष्य सुरक्षित किया जा सकेगा।

चित्र 9.1



प्रभावी पर्यावरणीय स्थिरता एवं जलवायु अनुकूलता के लिए साक्ष्य–आधारित शासन (evidence-based governance), समुदायों की सहभागिता तथा तकनीकी नवाचार आवश्यक हैं। जलवायु जोखिम आकलन, संवदेनशील क्षेत्रों की मैपिंग, पूर्व–चेतावनी तंत्र एवं रियल–टाईम पर्यावरणीय निगरानी, सक्रिय नीति–निर्माण और लक्षित निवेश को सक्षम बनाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, सर्क्युलर इकोनोमी पद्धतियों, सतत् कृषि एवं प्रकृति–आधारित समाधानों के माध्यम से हरित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन न केवल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाता है बल्कि हरित रोजगारों (ग्रीन जॉब्स) का सृजन और विभिन्न क्षेत्रों की अनुकूलन क्षमता को भी सुदृढ़ करता है।

चित्र 9.2 : पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता की मुख्य विशेषताएं



राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी पहचान विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों से है जिसमें थार रेगिस्तान एवं शुष्क मैदानों से लेकर वनाच्छादित अरावली पहाड़ियाँ व उपजाऊ नदी घाटियाँ शामिल हैं। राज्य की अनूठी भौगोलिक संरचना, कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र तथा कृषि, पशुपालन एवं पर्यटन जैसे जलवायु–संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भरता दीर्घकालीन विकास के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता को महत्वपूर्ण बनाती है। बढ़ता तापमान, गिरता भू–जल स्तर, अनियमित मानसून, बार–बार सूखा, धूल भरी आंधियाँ और बढ़ती हीटवेव की जोखिमें आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जल की उपलब्धता, जन–स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं।

सतत् विकास लक्ष्यों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत राजस्थान ने पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो इसके बेहतर एस.डी.जी. के प्रदर्शन एवं लक्षित हरित नीतियों में परिलक्षित होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति एवं विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियाँ जैसी नीतियां जारी की गई हैं। फिर भी, कम

वनावरण, गंभीर जल संकट तथा शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो कि जलवायु–अनुकूलन उपायों को सुदृढ़ करने और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए सतत् प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। राजस्थान द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न नीतिगत साधनों और संस्थागत तंत्रों को अपनाया गया है।

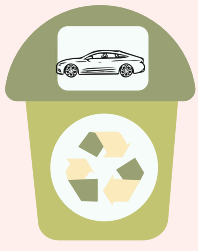
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला प्रशासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय तथा अन्य संबंधित विभागों व संगठनों के माध्यम से राज्य में पर्यावरणीय मानदण्डों की पालना करवाने हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नोडल विभाग है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राजस्थान जैव विविधता मण्डल एवं अन्य संबंधित विभागों तथा जिला प्रशासन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कार्य भी किये जा रहे हैं।

राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 33,020.32 वर्ग कि.मी. है. जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.65 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार वन क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि कुल वन क्षेत्र का क्रमशः 36.94, 56.54 एवं 6.51 प्रतिशत है। इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट–2023 के अनुसार राज्य का वनावरण 16,548.21 वर्ग कि.मी. (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84 प्रतिशत) एवं वृक्षावरण 10,841.12 वर्ग कि.मी. है, अतः राज्य का कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण 27,389.33 वर्ग किमी है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत है। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 5 टाइगर रिजर्व एवं 39 कन्जर्वेशन रिजर्व है। इसके अतिरिक्त, उदयपुर, कोटा, जयपुर एवं जोधपुर में 4 जैविक उद्यान विकसित किये गये हैं।

राज्य में वन विभाग जैव विविधता संरक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण, वनीकरण, ग्रामीण समुदायों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने, जनता की सक्रिय भागीदारी के साथ वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम तथा इको–टूरिज्म से संबंधित गतिविधियां संचालित करता है। राज्य में 15 स्थलों पर दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं लुप्त प्रायः वानस्पतिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु बचाव कार्य किये जा रहे हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत, प्राकृतवास (Habitat) के विकास, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, दावानल से बचाव तथा वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघरों के विकास कार्य से संबंधित मुख्य गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलन के लिए राज्य सरकार की प्रमुख नीतियां



राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति–2025

राज्य सरकार द्वारा पुराने, खराब, अपंजीकृत एवं अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरण–अनुकूल तरीके से चरणबद्ध रूप से सड़कों से हटाने के उद्देश्य से राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति–2025 जारी की गई है।

नीति की प्रमुख विशेषताएं :

- वायु प्रदूषण को कम करने एवं सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु पुराने, खराब तथा अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाना।
- सम्पूर्ण राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आर.वी.एस.एफ.) की स्थापना करना।
- 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना।
- निजी वाहनों के लिए स्वैच्छिक स्क्रैपिंग का विकल्प, जिसमें भविष्य में अनिवार्यता के प्रावधान की संभावना भी सम्मिलित।
- अवधिपार, अपंजीकृत, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त, छोड़े गए या जब्त किए गए वाहन भी सम्मिलित।
- वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत डिजिटल एवं पारदर्शी स्क्रैपिंग प्रक्रिया।
- वाहन मालिकों को जमा प्रमाण पत्र (सी.ओ.डी.) एवं वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र (सी.वी.एस.) जारी करना।

- वाहन स्वामियों को प्रोत्साहन जिसमें नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में (निर्धारित सीमा के अधीन) अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट सम्मिलित।
- वाहनों का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देना।
- धातुओं और सामग्रियों की रिकवरी और पुनः उपयोग के माध्यम से सर्क्युलर इकोनोमी का समर्थन करना।

राजस्थान ई–वेस्ट प्रबंधन नीति–2023



ई–वेस्ट से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने तथा इसके प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ई–वेस्ट प्रबंधन नीति–2023 जारी की गई है। इस नीति का उद्देश्य ई–वेस्ट के सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण एवं निस्तारण को सुनिश्चित करना है। यह नीति अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र से एकीकृत कर सर्क्युलर इकोनोमी और संसाधनों की रिकवरी को बढ़ावा देती है।

नीति की प्रमुख विशेषताएं:

- एक प्रभावी एवं पर्यावरण–अनुकूल ई–वेस्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना।
- ई–वेस्ट के संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण तथा वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देना।
- ई–वेस्ट रीसाईक्लिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
- सर्क्युलर इकोनोमी एवं रिसोर्स रिकवरी का समर्थन करना।
- ई–वेस्ट प्रबंधन नियमों एवं विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) की अनुपालना सुनिश्चित करना।
- सभी हितधारकों की क्षमता एवं जागरूकता बढाना।



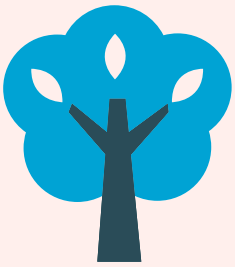
राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति–2023

राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित करने तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये 5 जून, 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस) को राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति–2023 जारी की गई है। यह नीति बढ़ते तापमान, लू, सूखा, जल संकट एवं मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है।

नीति की प्रमुख विशेषताएं :

- सभी विभागों की योजना निर्माण एवं निर्णय–प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलुओं को मुख्यधारा में शामिल करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप शमन उपायों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना।
- समुदायों, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्रों की अनुकूलन क्षमता एवं लचीलेपन (Resilience) को बढ़ाना।
- जलवायु–अनुकूल प्रौद्योगिकियों, नवाचारों और ग्रीन–फाईनेंस को बढ़ावा देना।
- प्रभावी क्लाईमेट गवर्नेंस हेतु संस्थागत व्यवस्था, डेटा सिस्टम और मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करना।

राजस्थान वन नीति–2023



पारिस्थितिक, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक, पारंपरिक एवं अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से वनों, वन्यजीवों, जैव विविधता एवं संरक्षित क्षेत्रों के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य से 'राजस्थान वन नीति–2023' जारी की गई है। यह नीति विद्यमान प्राकृतिक वनों, वन्यजीवों एवं जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन तथा प्रबंधन की परिकल्पना करती है।

नीति की प्रमुख विशेषताएं :

- पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रवाह के लिए उनकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने हेतु विद्यमान प्राकृतिक वनों, वन्यजीवों एवं जैव विविधता का संरक्षण, संवर्द्धन, पुनर्स्थापन एवं प्रबंधन करना।
- विद्यमान वनों में पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देकर उपलब्ध स्थानों पर संरक्षण, वनीकरण, कृषि–वानिकी एवं वृक्षारोपण के माध्यम से वन क्षेत्रों के बाहर वनस्पति का विस्तार कर राज्य में वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि करना।
- वन एवं चारागाह पर आधारित संसाधनों तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के सतत उपयोग के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा लोगों के आजीविका अवसरों को बेहतर बनाना।
- मरुस्थलीकरण सहित भूमि क्षरण के सभी रूपों की रोकथाम करना तथा वनों, चारागाहों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।
- वनस्पति एवं जीव–जंतुओं की विविधता तथा जीन पूल रिजर्व (gene pool reserve) विशेषकर दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पति एवं जीव–जंतुओं की प्रजातियों का, प्रभावी संरक्षण उपायों के माध्यम से संरक्षण एवं संवर्द्धन करना।

पर्यावरण एवं वन क्षेत्र की प्रमुख पहलें एवं योजनाएं

i. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **'एक पेड़ माँ के नाम'** अभियान का शुभारंम्भ किया गया है। मेरी लाइफ पोर्टल (merilife.nic.in) के अनुसार दिसम्बर, 2025 तक, राज्य में 8.21 करोड़ पौधे लगाये गये।

ii राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से प्रेरित होकर **'मिशन हरियालो राजस्थान'** प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक), इस मिशन के अन्तर्गत 10 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 11.64 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया।

दिनांक 27 जुलाई, 2025 को माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया। महोत्सव के दौरान लगभग 12,000 पौधे लगाये गए। हरियाली तीज के अवसर पर प्रत्येक जिले में भी जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें सक्रिय जनभागीदारी के साथ 2.50 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य के विरूद्ध 2.54 करोड़ पौधे लगाये गए।

iii. ईको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक जिले में **2 लव कुश वाटिकाएं** विकसित की जा रही हैं, जिनमें मनोरंजन गतिविधियां, पैदल पथ, जलाशय, पक्षी दर्शन की सुविधाएं आदि शामिल हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक), ₹1,541.48 लाख के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹736.42 लाख व्यय किये गए।

iv. बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक), 1.46 लाख हेक्टेयर सार्वजनिक एवं वन भूमि क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया, जो कि लक्षित क्षेत्र 80,297 हेक्टेयर का 181.82 प्रतिशत है। कुल 822.02 लाख पौधे रोपे गए, जो कि लक्ष्य 521.93 लाख के विरूद्ध 157.50 प्रतिशत है।

v. **संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम** के अन्तर्गत, वनों एवं वन्यजीवों के सरंक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ ईको–डवलपमेंट गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 2,605 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियां/ईको–डवलपमेंट समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2025–26 में (दिसंबर तक), कुल प्रावधान ₹50 लाख के विरूद्ध ₹9.82 लाख व्यय किया गया है।

vi. विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं अजमेर में **वनस्पति उद्यान** (Botanical Gardens) विकसित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) ₹1,530.05 लाख के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹231.04 लाख व्यय किये गये हैं।

vii. पंच–गौरव कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की स्थानीय एवं मुख्य प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में **'एक जिला–एक वृक्ष प्रजाति** (One District–One Tree Species) की पहचान की गई है। वर्ष 2025–26 में, चयनित वनस्पतियों के लिए ₹1,175 लाख स्वीकृत किये गए हैं।

viii. राज्य का पहला **'बटरफ्लाई पार्क'** उदयपुर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिसे 5 जोन में विभाजित किया गया है। राजस्थान में पायी जाने वाली तितली की कुल 189 प्रजातियों में से 80 प्रजातियों की रंगीन तितलियां इस पार्क में देखी जा सकती है।

ix. प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के अनुसार राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (Rajasthan CAMPA) का गठन दिनांक 14 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय कैम्पा (National CAMPA) द्वारा दिसम्बर, 2025 तक राजस्थान कैम्पा को ₹2,676.25 करोड़ हस्तांतरित किये गये हैं। राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वार्षिक कार्य संचालन योजना वर्ष 2025–26 हेतु ₹286.14 करोड़ स्वीकृत किये गए हैं तथा दिसम्बर, 2025 तक ₹76.50 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वनों के पुनर्सृजन, जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजनाओं, पर्यावरणीय वानिकी और चारागाह विकास योजनाओं से संबंधित विकास कार्यों हेतु राज्य योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, कैम्पा, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा वीबी–जी राम जी (मनरेगा) आदि से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं। राज्य एवं केंद्र योजना मद के अन्तर्गत ₹1,13,905.67 लाख का बजट आवंटन किया गया है जिसमें से दिसंबर, 2025 तक ₹58,525.08 लाख का व्यय किया जा चुका है।

x. राज्य की जैव विविधता का संरक्षण, उनके सतत उपयोग तथा लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता मण्डल स्थापित किया गया है। यह मण्डल राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम, 2010 के अनुसार कार्य कर रहा है। मण्डल के कार्यों के संचालन हेतु वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक), ₹155.01 लाख के प्रावधान के विरूद्ध ₹120 लाख जारी किये गए है।

xi. वायु गुणवत्ता निगरानी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के तहत कुल 57 स्टेशन संचालित हैं। इसके साथ ही, 46 निरंतर रियल–टाईम परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन तथा 2 मोबाइल वैन रियल–टाईम निगरानी के लिए संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (एन. डब्ल्यू.एम.पी.) के अंतर्गत कुल 199 स्टेशनों के माध्यम से जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है, जिनमें सतही जल गुणवत्ता निगरानी के लिए 68 स्टेशन तथा भू–जल गुणवत्ता निगरानी के लिए 131 स्टेशन शामिल हैं।

xii. 666 उद्योगों द्वारा राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के ओ.सी.ई.एम.एस. (ऑनलाईन सतत उत्सर्जन/अपशिष्ट निगरानी प्रणाली) पोर्टल पर कॉन्फिगर किया गया है। सभी 17 श्रेणी के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग, कॉमन ट्रीटमेंट डिस्पोजल सुविधाएं, राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 'रेड केटेगरी' के उद्योग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, डेयरी तथा 100 KLD से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों को ओ.सी.ई.एम.एस. के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

xiii. जयपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कार्य कर रही है।

xiv. **'राजस्थान सर्क्युलर इकोनॉमी इंसेटिव स्कीम–2025'** दिनांक 05, जून 2025 को जारी की गई है, जिसके माध्यम से रीसाईक्लिंग एवं पुनः उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिकतम 2 करोड रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा तथा सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत एम.एस.एम.ईज. एवं स्टार्टअप्स् को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए जा रहे ऋण अनुदान में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

xv. अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के पर्यटक स्थलों एवं प्रमुख स्थानों पर 50 आई.ओ.टी. (इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) सक्षम प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग मशीनें/रिवर्स वेंडिग मशीनें स्थापित की गई है।

xvi. राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नागरिकों हेतु एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसमें किसी भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित सूचना देने पर ₹10,000 तक का पुरस्कार तथा किसी भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की निर्माण इकाईयों से संबंधित जानकारी देने पर ₹15,000 तक के इनाम का प्रावधान किया गया है।

xvii. जयपुर के सांगानेर औधोगिक क्षेत्र में सी.ई.टी.पी. सांगानेर पर 2 पंपिग स्टेशनों की स्थापना एवं शेष 11 के.डब्ल्यू. पाइपलाइन की स्थापना से संबंधित कार्य राशि ₹11.76 करोड़ स्वीकृत कर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा पूर्ण कराये गये हैं।

xviii. **बीज बैंक:** राज्य में वनस्पतियों की उन्नत प्रजातियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025–26 में 25 जिलों में कुल 150 बीज बैंक स्थापित किये गये है। इनमें वन विभाग के माध्यम से 32 बीज बैंक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के माध्यम से 72 एवं 6 गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 46 बीज बैंक सम्मिलित हैं। इन 150 बीज बैंकों के संचालन के लिए राशि ₹97 लाख आवंटित की गई है, जिसमें से राशि ₹67 लाख जिला परिषदों के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों/संयुक्त वन संरक्षण एवं प्रबंधन समितियों को हस्तान्तरित कर दी गई है। शेष राशि ₹30 लाख निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार गतिविधियों पर व्यय की जा रही है।

बीज बैंकों की स्थापना, भवन मरम्मत, रंग–रोगन तथा बीज भंडारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु 118 ग्राम पंचायतों को प्रति बीज बैंक ₹25,000 की अनुदान राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी 150 बीज बैंकों में बीज गुणी को ₹25,000 प्रति बीज संरक्षक (seed custodians) की दर से मानदेय प्रदान किया गया है। साथ ही एक बीज बैंक मॉड्यूल मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है।

xix. **बर्तन बैंक:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत को ₹1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध करवाये जाकर 1,000 ग्राम पंचायतों में राजीविका कार्यक्रम की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित बर्तन बैंक स्थापित किए गए हैं। जिनमें किराया ₹3 प्रति सेट निर्धारित किया गया है तथा ग्राम पंचायतों को बी.पी.एल., दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा अथवा विशेष परिस्थितियों में किराये में 50 प्रतिशत की रियायत प्रदान करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

शुष्क भूमि के विशाल क्षेत्र एवं उच्च सौर विकिरण होने के कारण राजस्थान को भौगोलिक स्थिति का लाभ मिला है जिससे यह सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक आदर्श स्थान बना हुआ है। राज्य की नीतियां निवेश को आकर्षित करने एवं अक्षय ऊर्जा के आधारभूत ढ़ांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई हैं। राज्य की सौर ऊर्जा नीति सौर पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है तथा विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है।

इसी प्रकार, नीतियों के माध्यम से राजस्थान की पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जा रहा है जो पवन चक्की संयंत्रों के विकास विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के पवन गलियारों (wind corridors) को प्रोत्साहित कर रही है।

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति–2024

यह अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने, अभिनव भंडारण समाधानों को एकीकृत करने तथा स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। राज्य के प्रचुर सौर एवं पवन संसाधन तथा सहायक नीतियां, इसे भारत के सतत् ऊर्जा की ओर परिवर्तन में अग्रणी भूमिका के रूप में स्थापित करते है।

सतत् विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रगतिशील नीति को भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट अक्षय क्षमता को अर्जित करने के साथ संबद्ध किया गया है। नीति की रणनीतिक अवधि मार्च, 2030 तक तक बढ़ाई गई है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आर.आर.ई.सी.) नोडल एजेंसी है।

नीति का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है जो न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढावा देवे बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति को भी सुनिश्चित करे। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए, यह नीति अनुसंधान एवं विकास के साथ–साथ मानव संसाधन के विकास पर भी बल देती है। राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षमता के वर्ष 2029–30 तक के लक्ष्य तालिका संख्या 9.1 में दर्शाए गए है।

तालिका 9.1 : अक्षय ऊर्जा क्षमता के वर्ष 2029–30 तक के लक्ष्य

क्र.स.	अक्षय ऊर्जा का प्रकार	लक्षित क्षमता (2029–30)
1	सौर	90,000 मेगावाट
2	पवन और हाइब्रिड	25,000 मेगावाट
3	हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट (पी.एस.पी.), बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम	10,000 मेगावाट
	कुल	**1,25,000 मेगावाट**

प्रमुख पहलें:

अ) सौर एवं पवन प्रौद्योगिकियों का हाइब्रिडाइजेशन: ऊर्जा में परिवर्तनशीलता को कम करने और बेहतर ग्रिड स्थिरता को अर्जित करने के लिए, यह नीति सौर एवं पवन संसाधनों के एकीकरण को बढ़ावा देती है।

ब) ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (ई.एस.एस.) एवं ग्रीन हाइड्रोजन: अक्षय ऊर्जा स्रोतों की रुकावटों को दूर करने के महत्व को पहचानते हुए, यह नीति ग्रिड की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए ई.एस.एस. के विकास को बढ़ावा देती है।

स) विकेंद्रीकृत उत्पादन: यह नीति सोलर रूफटॉप सिस्टम एवं विकेंद्रीकृत ग्रिड–कनेक्टेड परियोजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत उत्पादन का समर्थन करती है। इन नवाचारों का उद्देश्य ट्रांसमिशन लॉस को कम करना, आधारभूत ढांचे की लागत में बचत और स्थानीय विद्युत उत्पादन को बढावा देना है।

नीति के कार्यान्वयन में प्रोत्साहन एवं सहायता:

अ) सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग योजनाओं के साथ रूफटॉप फोटो वोल्टिक (पी.वी.) सिस्टम लगाये जाने हेतु सब्सिडी एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।

ब) यह नीति दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाने के लिए ऑफ–ग्रिड सोलर एप्लीकेशन को प्रोत्साहित करती है।

स) आर.ई. पार्को के निर्माण सहित अक्षय ऊर्जा केंद्रित परियोजनाओं के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सहयोग प्रदान करना।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख पहलें एवं योजनाएँ

1) **पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** एक करोड़ घरों में सौर संयंत्र स्थापित कर प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी, 2024 को पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ₹78,000 (3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए) के अनुदान का प्रावधान है। राजस्थान में, 5 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, 2025 तक 1.22 लाख उपभोक्ताओं के लिए 493 मेगावाट की सौर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है। योजनान्तर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए अनुदान एवं रियायती बैंक ब्याज दरें तथा पंजीकरण, अनुमोदन एवं अनुदान संवितरण हेतु एक पूर्णतया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है।

2) **पी.एम. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम):** किसानों को ऑफ–ग्रिड सौलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहयोग प्रदान करने के लिये राज्य में भारत सरकार की कुसुम योजना को अपनाया गया है। पीएम–कुसुम योजना (घटक–ए, चरण– I) के अन्तर्गत, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आर.आर.ई.सी.एल.) द्वारा 468.75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। पी.एम.–कुसुम योजना (घटक–ए, चरण–II) के अन्तर्गत, सभी तीनों डिस्कॉम्स द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) जारी की गई है तथा 11 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। पी.एम.

–कुसुम योजना (घटक–ए, चरण–III) के अन्तर्गत, 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किये गये हैं।

घटक–सी (फीडर लेवल सौलराइजेशन) के अंतर्गत, एक या अधिक अलग–अलग (segregated) कृषि फीडरों की वार्षिक विद्युत आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता वाले ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। दिसम्बर, 2025 तक 2162 मेगावाट क्षमता वाले कुल 838 सौर विद्युत संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किये जा चुके हैं।

3) **राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) के नवाचारः** कंपनी द्वारा पवन एवं सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर में 106.30 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के पवन ऊर्जा फार्म आठ चरणों में स्थापित किए गए हैं। ये पवन फार्म की प्रति वर्ष लगभग 1300 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं।

अन्य प्रमुख नवाचार और योजनाएँ

1) **राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (आर.ई.वी.पी.)–2022:** अगले पाँच वर्षों के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ सतत् परिवहन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2025–26 में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाये जाने को प्रोत्साहित करने के लिए एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति हेतु ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। रीको द्वारा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्कों का विकास भी किया जाएगा।

यह नीति जयपुर, जोधपुर एवं अन्य प्राथमिकता वाले शहरों को उच्च वाहन घनत्व एवं प्रदूषण स्तरों के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। निजी और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त किया गया है। इस नीति का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा ई.वी. ईको सिस्टम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जिसके के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैः

- **ई.वी. परिदृश्य का निर्माणः** राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाये जाने का प्रोत्साहन देना, एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है।
- **उत्तरदायी विभागः** विभागों में आपसी सहयोग सुनिश्चित करते हुए परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आदि विभिन्न विभागों को नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **प्रोत्साहनः** उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं।
- **आई.टी. प्लेटफॉर्मः** सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की रियल टाईम स्थिति की जानकारी प्रदान करने हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन–आधारित प्लेटफॉर्म की स्थापना ताकि उपयोगकर्ताओं की सुविधा को बढ़ाया जा सके।

2) **जल संरक्षण और प्रबंधनः** राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, राज्य में हरित विकास का समर्थन करने एवं इसे मूर्त रूप देने हेतु जल संरक्षण और जल निकायों की संरचनाओं के कायाकल्प की दिशा में एक प्रमुख पहल है।

3) **हरित विनिर्माण उद्योगः** राज्य द्वारा पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए रोजगार सृजन करने हेतु खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल कार्यों एवं निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों के साथ हरित औद्योगिक व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4) **ग्रीन बजटः** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए ग्रीन बजट के माध्यम से सतत् विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है। ग्रीन बजट पेश करने का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को रोकना, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करना, मरूस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण को रोकना और बढ़ते तापमान को नियंत्रित करना है। इसका

उद्देश्य, इन क्षेत्रों में सामूहिक रूप से किये जा रहे व्यय को प्रदर्शित करना है। यह राज्य की दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने तथा आर्थिक प्रगति में योगदान देने में मदद करेगा। केंद्रीय बजट 2023–24 के संदर्भ में, राज्य का पहला ग्रीन बजट वर्ष 2025–26 के लिए, 19 फरवरी, 2025 को पेश किया गया था। ग्रीन बजट के अन्तर्गत कुल ₹27,853.84 करोड़ आवंटित किये गए, जो राज्य के कुल बजट का 5.18 प्रतिशत है।

5) **ग्रीन रेटिंग स्कीमः** उद्योगों को पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकित करने के लिए ग्रीन रेटिंग योजना शुरू की गई थी। इस योजना का विस्तार दिनांक 21 अगस्त, 2024 को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, होटलों तथा आवासीय परियोजनाओं को सम्मिलित करने के लिए किया गया। रेटिंग (प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रोंज) के आधार पर, लागू शुल्क कम एवं अनुज्ञा की वैधता को बढ़ाया जाता है।

6) **प्रशासनिक सुधार और सुशासनः** राजस्थान में प्रशासनिक सुधार ग्रीन आईटी एवं प्रभावी सार्वजनिक सेवा प्रदायगी पर ध्यान देते हुए सुशासन में संधारणीयता को जोड़ने की दिशा में अग्रसर है। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का प्रमाणीकरण एवं लाभों के वितरण हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म, संधारणीय शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का एक उदाहरण है।

7) **पेपरलेस सुशासनः** पर्यावरण अनुकूल व्यवहारों को बढ़ावा देने और आई.टी. को शासन से एकीकृत करने के लिए, राज्य ने राज–काज पोर्टल (ई–फाइल सिस्टम) प्रारम्भ किया है, जो पेपरलेस कार्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य समय की बचत करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं सुव्यवस्थित करना है, जो अंततः शासन में कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। राज–काज ई–ऑफिस सिस्टम पर दिसम्बर, 2025 तक 75 प्रशासनिक विभागों के 60,000 से अधिक कार्यालयों के 10 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक जुड़ गए हैं तथा 42 लाख से अधिक फाइलें बनाई जा चुकी हैं।

राज्य में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य

राहत एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य, राज्य आपदा प्रबंधन और राहत विभाग द्वारा किया जा रहे हैं। राहत कार्य और गतिविधियाँ विभिन्न विभागों/संगठनों जैसे पी.डब्ल्यू.डी., वन, पी.एच.ई.डी., पंचायतीराज, राजस्व, स्थानीय निकाय आदि द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

वर्ष 2025–26 में, राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) में कुल राशि ₹5,905.86 करोड़ उपलब्ध है। इसमें से दिसम्बर, 2025 तक, विभिन्न आपदा प्रबंधन गतिविधियों हेतु ₹3546.09 करोड़ तालिका 9.2 में दर्शाये अनुसार आवंटित किये जा चुके हैं। इन निधियों का उद्देश्य राज्य में आने वाली किसी भी आपदा से संबंधित चुनौतियों का समय पर एवं कुशलता से समाधान सुनिश्चित करना है।

तालिका 9.2 : वर्ष 2025–26 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत निधियों का आवंटन (दिसम्बर, 2025 तक)

क्र.सं.	गतिविधि	राशि (₹करोड)
1	राहत गतिविधियाँ	
	(अ) पेयजल	6.58
	(ब) पशु संरक्षण गतिविधियाँ	1.99
2	कृषि आदान–अनुदान	2483.97
3	अन्य मद	1053.55
	कुल	**3546.09**

राजस्थान ने अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के सभी 41 जिलों में जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2025–26 में राशि ₹38.95 करोड आवंटित की गई है। बिजली गिरने से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए 2,130 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है तथा पोर्टेबल लाईटिंग डिवाइस/ऐरिस्टर्स के लिए ₹63.90 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राजथान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा दिसम्बर, 2025 तक 19 जिलों में 899 ऐरिस्टर स्थापित किये गए हैं। वर्ष 2025 में मानसून सत्र हेतु (दिसम्बर तक), बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिये ₹1,058.39 करोड़ स्वीकृति किये गए हैं। दिसम्बर, 2025 तक, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/किसानों को कृषि अनुदान एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु ₹2,483.97 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹1364.88 करोड व्यय किये गए।

युवा आपदा मित्र योजना के अन्तर्गत युवाओं को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा के लिए ₹2425.40 लाख स्वीकृत किये गये।

सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

सतत् विकास के वर्ष 2030 के एजेंडा को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों द्वारा सितंबर, 2015 में अपनाया गया। यह 17 अंतर्संबंधित वैश्विक लक्ष्यों का एक संकलन है, जिसे शांति, लोगों एवं पृथ्वी की समृद्धि तथा एक बेहतर भविष्य को अर्जित करने के लिए एक साझा ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराने हेतु विकसित किया गया है। ये लक्ष्य सतत विकास को प्राप्त करने के लिए गरीबी कम करने, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शिक्षा के स्तरों में सुधार करने, आधारभूत अवसरंचना और आर्थिक विकास का विस्तार करने, असमानताओं में कमी करने, जैव–विविधता को संरक्षित करने तथा साझेदारी करने की आवश्यकता को मान्यता देते हैं। एस.डी.जी. एजेंडा, 5 पीज् यथा लोग, ग्रह (पृथ्वी), समृद्धि, शांति एवं भागीदारी पर केंद्रित एक कार्य योजना है। सतत् विकास लक्ष्य सार्वभौमिक (सभी राष्ट्रों के लिये–विकसित, विकासशील एवं कम विकसित), अंतर्संबंधित और अविभाज्य हैं। वर्ष 2030 के इस वैश्विक एजेंडे के मूल में **'कोई भी पिछे ना रहे'** का सिद्धांत है।

सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

भारत की सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में परिलक्षित होती हैं। नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को आगे बढ़ा रहा है तथा एस.डी.जी. की मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं समीक्षा हेतु विभिन्न उपकरण/साधन स्थापित करने हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए सिविल सोसायटीज् एवं निजी क्षेत्र को भी सशक्त भागीदारी के माध्यम से सम्मिलित किया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoS&PI) को नेशनल इंडीकेटर फ्रेमवर्क (NIF) विकसित करने एवं उसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो सतत् विकास लक्ष्यों एवं संबद्ध टार्गेट्स की प्रगति की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता है। नेशनल इंडीकेटर फ्रेमवर्क (NIF) के सांख्यिकीय संकेतक एस.डी.जी. के टार्गेट्स को पूरा करने हेतु बनाई गई नीतियों के परिणामों को वैज्ञानिक रूप से मापने में सहायता करते हैं।

वर्तमान में, सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए नेशनल इंडीकेटर फ्रेमवर्क में 284 संकेतक सम्मिलित हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सुविधा एवं सहायता के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.) के विकास हेतु दिशा–निर्देश विकसित एवं प्रसारित किए हैं। विभिन्न स्तरीय इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स में सम्मिलित लक्ष्यवार संकेतकों की संख्या तालिका संख्या 9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.3 : विभिन्न स्तरों पर इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स में सम्मिलित संकेतक (लक्ष्यवार)

सतत् विकास लक्ष्य	संकेतको की सख्या					
	टार्गेटस् की संख्या	जी.आई.एफ.	एन.आई.एफ.	एस.आई.एफ.	डी.आई.एफ.	बी. आई.एफ.
एस.डी.जी. 1: गरीबी का अंत	7	13	13	27	22	11
एस.डी.जी. 2: भुखमरी समाप्त करना	8	15	19	38	32	18
एस.डी.जी. 3: आरोग्य एवं कल्याण	13	28	38	45	28	11
एस.डी.जी. 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	10	12	19	26	19	11
एस.डी.जी. 5: लैंगिक समानता	9	14	28	33	25	12
एस.डी.जी. 6: शुद्ध जल एवं स्वच्छता	8	11	13	15	12	9
एस.डी.जी. 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा	5	6	5	9	5	3
एस.डी.जी. 8: सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास	12	17	26	30	17	8
एस.डी.जी. 9: उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना	8	12	17	17	6	3
एस.डी.जी. 10: असमानताओं में कमी लाना	10	14	12	6	2	1
एस.डी.जी. 11: संधारणीय शहर एवं समुदाय	10	16	13	13	8	1
एस.डी.जी. 12: उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन	11	13	14	8	5	1
एस.डी.जी. 13: जलवायु कार्रवाई	5	8	7	3	1	0
एस.डी.जी. 14: जलीय जीवन	10	10	10	3	2	1
एस.डी.जी. 15: स्थलीय जीवन	12	14	15	11	8	3
एस.डी.जी. 16: शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं	12	24	21	26	23	15
एस.डी.जी. 17: लक्ष्यों के लिये साझेदारियां	19	24	14	6	2	2
कुल	**169**	**251**	**284**	**316**	**217**	**110**

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स

नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की गई प्रगति को मापने के लिये एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स जारी करता हैं। यह इंडेक्स राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढावा देता है तथा एक–दूसरे से सीखने के लिए उनके बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ये इंडेक्स हमारे देश के एस.डी.जी. की दिशा में किये गये सामूहिक प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में, समग्र स्कोर 0 से 100 की सीमा में होता है तथा यह लक्ष्यों के अन्तर्गत टार्गेट्स को अर्जित करने में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की समग्र उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों यथा अचीवर (Achiever), फ्रंट–रनर (Front-Runner), परफॉर्मर (Performer) एवं एस्पिरेंट (Aspirant) में वर्गीकृत किया गया है।

जिस भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का स्कोर 100 है उसे अचीवर कहा गया है, 65 के बराबर या अधिक और 100 से कम स्कोर

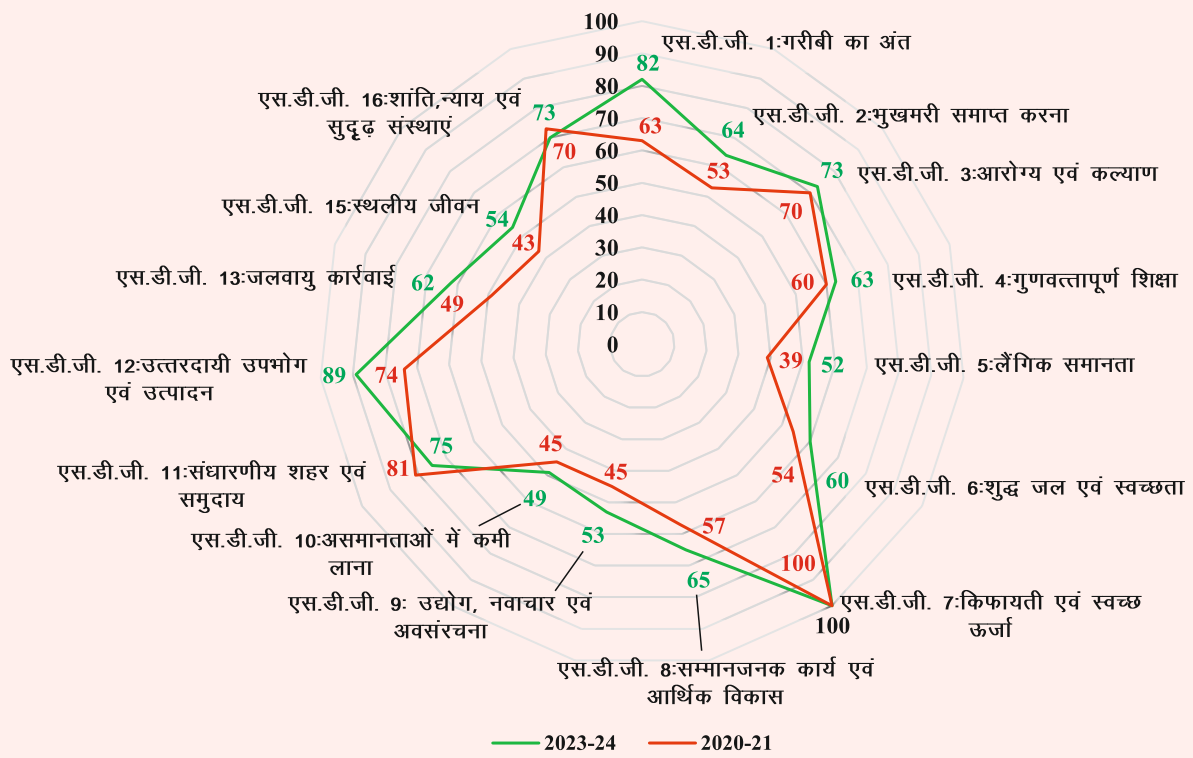
वाले किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को फ्रंट–रनर कहा गया है, 50 के बराबर या अधिक और 65 से कम स्कोर वाले किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को परफॉर्मर कहा गया है तथा 50 से कम स्कोर वालों को एस्पिरेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण दिसम्बर, 2018 में जारी किया गया, जिसमें 13 सतत् विकास लक्ष्यों के 62 संकेतकों का उपयोग किया गया है, इसके बाद इंडेक्स का द्वितीय संस्करण दिसम्बर, 2019 में जारी किया गया, जिसमें 16 लक्ष्यों के 100 संकेतकों का उपयोग किया गया है। तृतीय संस्करण मार्च, 2021 में जारी किया गया, जिसमें 16 लक्ष्यों के कुल 115 संकेतको का उपयोग किया गया है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का नवीनतम एवं चतुर्थ संस्करण जुलाई, 2024 में जारी किया गया, जिसकी गणना 16 लक्ष्यों के 113 संकेतकों के आधार पर की गई है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 2023–24 (4.0) में भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2020–21 के 66 से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 71 हो गया है, जो यह संकेत करता है कि देश ने सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने की यात्रा में समग्र रूप से आगे की ओर प्रगति की है। यह एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट, राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन सकारात्मक रूझान को दर्शाता है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2023–24 में राजस्थान के तुलनात्मक लक्ष्यवार स्कोर को चित्र संख्या 9.3 में दर्शाया गया है।

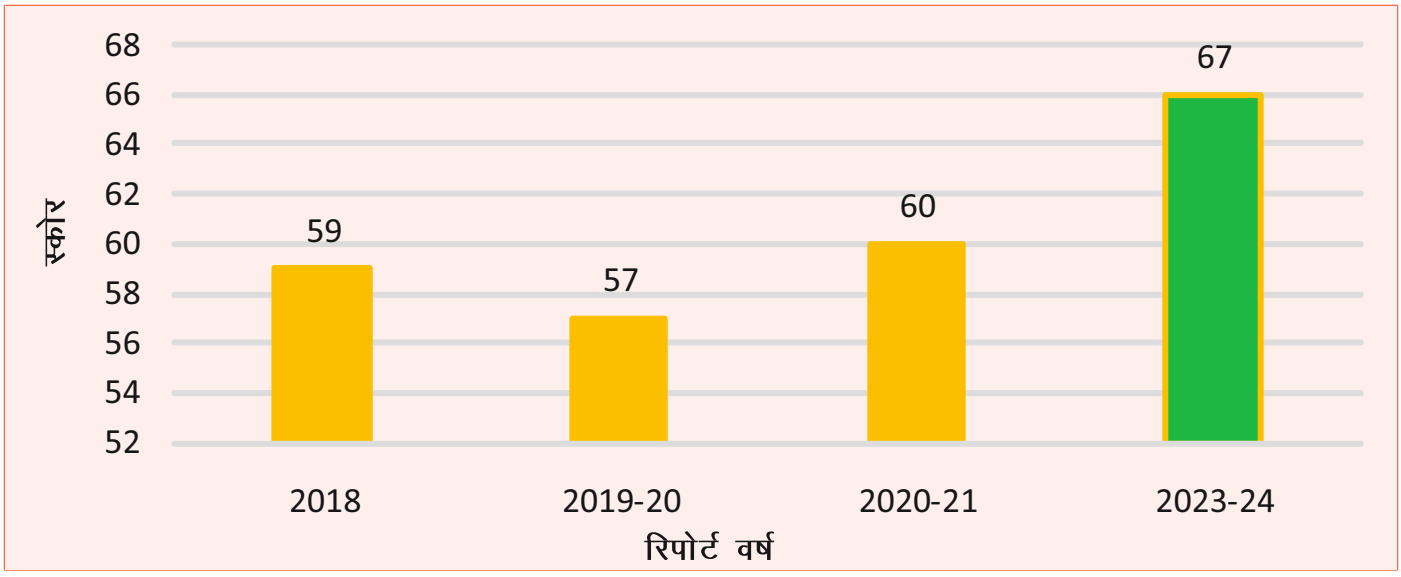
चित्र 9.3 : एस.डी.जी. इंडिया सूचकांको में राजस्थान का स्कोर



सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता

राज्य के प्रयास, राष्ट्रीय विजन एवं वैश्विक सतत विकास एजेंडे का समर्थन करते हुये सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी, न्यायसंगत और संधारणीय भविष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। राज्य की संस्थागत प्रणाली, प्रगति एवं रणनीतिक दृष्टिकोण एस.डी.जी. के प्रति राज्य के समर्पण को प्रदर्शित करते हैं। राज्य के संधारणीय एवं समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिये राजस्थान ने अपनी विकास रणनीतियों को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संबद्ध किया है। साक्ष्य–आधारित पॉलिसी निर्माण में सहायता करने के लिये राज्य ने डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता के महत्व पर भी बल दिया है। विभिन्न एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स पर राज्य का प्रदर्शन (समग्र स्कोर) चित्र संख्या 9.4 में दिखाया गया है।

चित्र 9.4 : एस.डी.जी. इंडिया सूचकांकों पर राजस्थान का प्रदर्शन (समग्र स्कोर)



संस्थागत व्यवस्था

राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के लिए आयोजना विभाग नोडल विभाग है। राज्य द्वारा एस.डी.जी. क्रियान्वयन के प्रयासों को गति देने, प्रगति को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा डेटा–आधारित नीतिगत निर्णयों में सहायता प्रदान करने हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सतत् विकास लक्ष्य कोर्डिनेशन एंड ऐक्सिलिरेशन सेंटर की स्थापना की गई है।

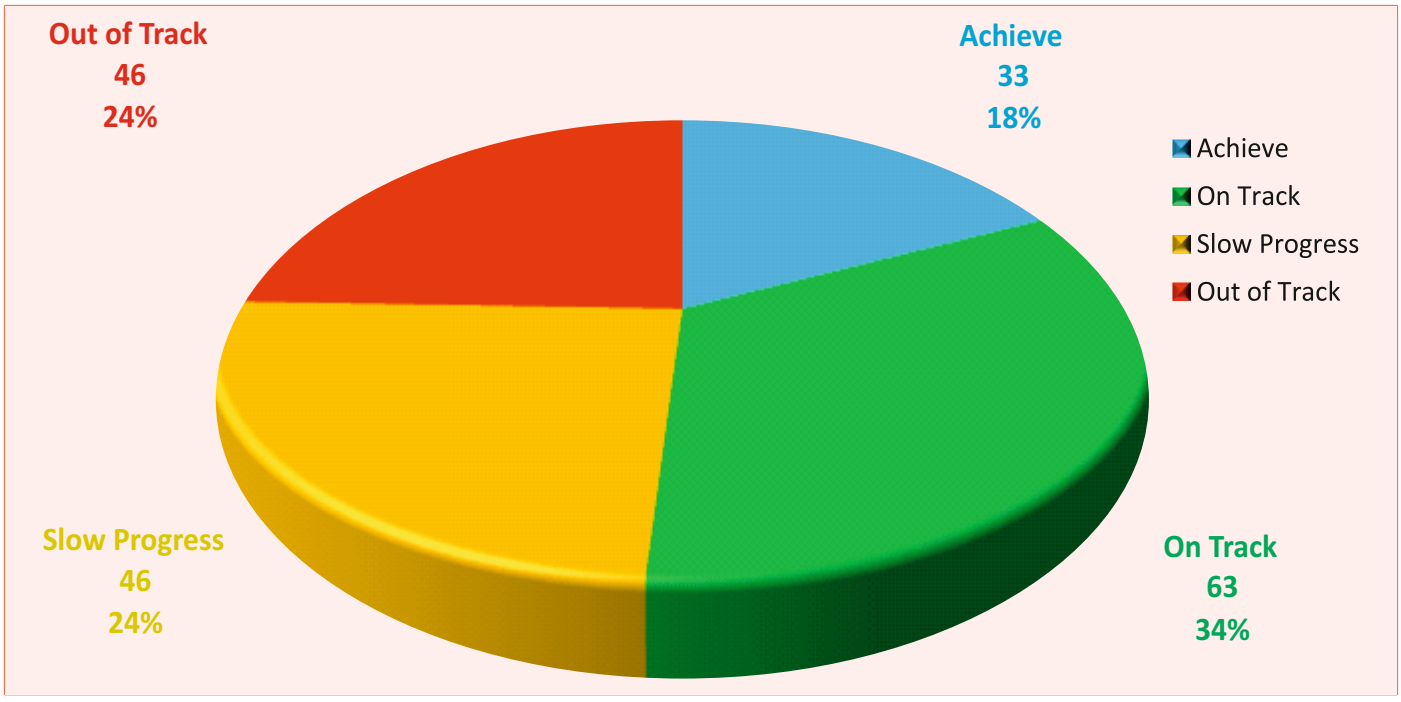
मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों को सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। जिला स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, आवधिक समीक्षा एवं उपलब्धियों के आंकलन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया गया है।

मॉनिटरिंग एवं प्रकाशन

राज्य ने पारदर्शी तरीके से एस.डी.जी. की प्रगति को विभिन्न हितधारकों से साझा करने हेतु सामयिक प्रतिवेदन जारी किये हैं तथा सतत् विकास के एजेंडा में जन–भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रचार–प्रसार सामग्रियां प्रकाशित की गई हैं।

- **राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट्स्:** सतत् विकास लक्ष्यों पर राज्य की प्रगति को साझा करने हेतु राज्य द्वारा राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट्स् के 7 संस्करण जारी किये गये। राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया। राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट का नवीनतम 7वां संस्करण दिनांक 29 जून, 2025 को 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (3.0) में सम्मिलित 316 संकेतकों पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट में प्रथम बार, एस.डी.जी. के वर्ष 2030 के टार्गेटस् के सापेक्ष राज्य की प्रगति का विस्तृत विश्लेषण सम्मिलित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में न केवल संकेतकों पर राज्य की प्रगति का विश्लेषण किया गया है बल्कि संकेतकों को उनकी प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे संकेतक जिनके वर्ष 2030 के टार्गेटस् को राज्य द्वारा अर्जित कर लिया गया है, उन्हें 'Achieve', ऐसे संकेतक जिन्हें वर्तमान गति से अर्जित कर लिया जावेगा 'On Track', ऐसे संकेतक जिन पर राज्य की प्रगति की गति धीमी है उन्हें 'Slow Progress' तथा ऐसे संकेतक जिनमें राज्य की प्रगति वर्ष 2030 के टार्गेटस् के विरूद्ध अत्यधिक न्यून या नकारात्मक है, उन संकेतकों को 'Out of Track' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इससे हमें राज्य के विकास में पिछडे क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट–2025 में राज्य के समग्र प्रदर्शन और लक्ष्यवार प्रदर्शन को चित्र संख्या 9.5 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 9.5 : राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट–2025 में राज्य का समग्र प्रदर्शन



- **राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स रिपोर्ट**: राज्य के जिलों के मध्य एस.डी.जी. को अर्जित करने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने तथा राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी स्थानीयकरण एवं क्रियान्वयन करने हेतु राजस्थान एस.डी.जी. सूचकांक तैयार किये गये हैं। इस सूचकांक का नवीनतम 6वां संस्करण माह अक्टूम्बर, 2025 में जारी किया गया है, जिसमें झुंझुनू जिला 67.13 समग्र स्कोर के साथ शीर्ष पर एवं जैसलमेर जिला 51.82 समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा है।
- राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए **स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.)** विकसित किया गया है। एस.आई.एफ. के नवीनतम संस्करण 3.0 में कुल 316 संकेतक शामिल हैं।
- जिला स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग एवं प्रगति को मापने हेतु **डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी.आई.एफ.)** विकसित किया गया है। डी.आई.एफ. के नवीनतम संस्करण 3.0 (2025) में कुल 217 संकेतक सम्मिलित हैं। संकेतकों के समंकों की गणना एवं संकलन में सहायता हेतु मेटाडेटा भी तैयार कर जिलों से साझा किया गया है।
- सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तर पर लक्ष्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने में सहायता हेतु ब्लॉक इंडिकेटर फ्रेमवर्क (बी.आई.एफ.) विकसित किया गया है। 110 संकेतकों वाला ब्लॉक इंडिकेटर फ्रेमवर्क– संस्करण 1.0 विकसित किया गया तथा मेटाडेटा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ साझा किया गया है।
- लक्ष्यों/टार्गेट्स/संकेतकों की मैपिंग उनसे संबंधित विभागों के साथ की गई है। इसके साथ ही, लक्ष्यों एवं टार्गेट्स को राज्य/केंद्रीय योजनाओं के साथ भी मैप किया गया है।

एसडीजी कोर्डिनेशन एंड ऐक्सिलिरेशन सेंटर (एस.डी.जी.सी.ए.सी.)

राज्य की वर्ष 2025–26 की बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04 सितंबर, 2025 को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सतत् विकास लक्ष्य कोर्डिनेशन एंड ऐक्सिलीरेशन सेंटर की स्थापना की गयी है। यह केंद्र, राज्य में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का विश्लेषण एवं पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करेगा।

- राज्य द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में की गयी प्रगति को विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक रूप में विभिन्न हितधारकों से साझा करने हेतु निदेशालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर एस.डी.जी. बुलेटिन जारी किये जा रहे हैं। बुलेटिन में ग्राफ्स,

इनफोग्राफ्स, मानचित्रों एवं तालिकाओं के उपयोग के माध्यम से चयनित गोल्स के विभिन्न संकेतकों पर राज्य की प्रगति, वर्तमान नीतियों व उपलब्धियों की सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। अब तक निदेशालय द्वारा निम्न 6 संस्करण जारी किए गए है –

- प्रथम संस्करण (माह जुलाई–सितम्बर, 2024) –लक्ष्य 1: गरीबी का अंत।
- द्वितीय संस्करण (माह अक्टूबर–दिसम्बर, 2024) –लक्ष्य 2: भुखमरी समाप्त करना।
- तृतीय संस्करण (माह जनवरी–मार्च, 2025) –लक्ष्य 3: आरोग्य एवं कल्याण।
- चतुर्थ संस्करण (माह अप्रैल–जून, 2025) –लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
- पंचम संस्करण (जुलाई–सितम्बर, 2025) –लक्ष्य 5: लैंगिक समानता।
- षष्टम संस्करण (अक्टूम्बर–दिसम्बर, 2025) –लक्ष्य 6: शुद्ध जल एवं स्वच्छता।

- सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के बजट प्रावधानों को एस.डी.जी. लक्ष्यों एवं टार्गेट्स के साथ मैप किया गया है तथा आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर मैपिंग एवं नियमित अद्यतन हेतु एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। वर्ष 2020–21 से टार्गेट–वाइज योजनाओं एवं उनके बजट आवंटन का विवरण, राज्य के बजट दस्तावेजों में सम्मिलित एवं प्रकाशित किया जा रहा है।

क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण

- सतत् विकास लक्ष्य कोर्डिनेशन एंड ऐक्सिलिरेशन सेंटर द्वारा प्रशासन के सभी स्तरों पर सतत विकास लक्ष्यों के प्रति समझ एवं ग्राह्यता को बढ़ावा देने के लिए राजकीय कार्मिकों की क्षमतावर्धन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।
- सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राज्य कर्मियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु राजकीय कार्मिकों के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों में उनके द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सतत् विकास लक्ष्यों पर कम से कम एक सत्र को सम्मिलित करने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स

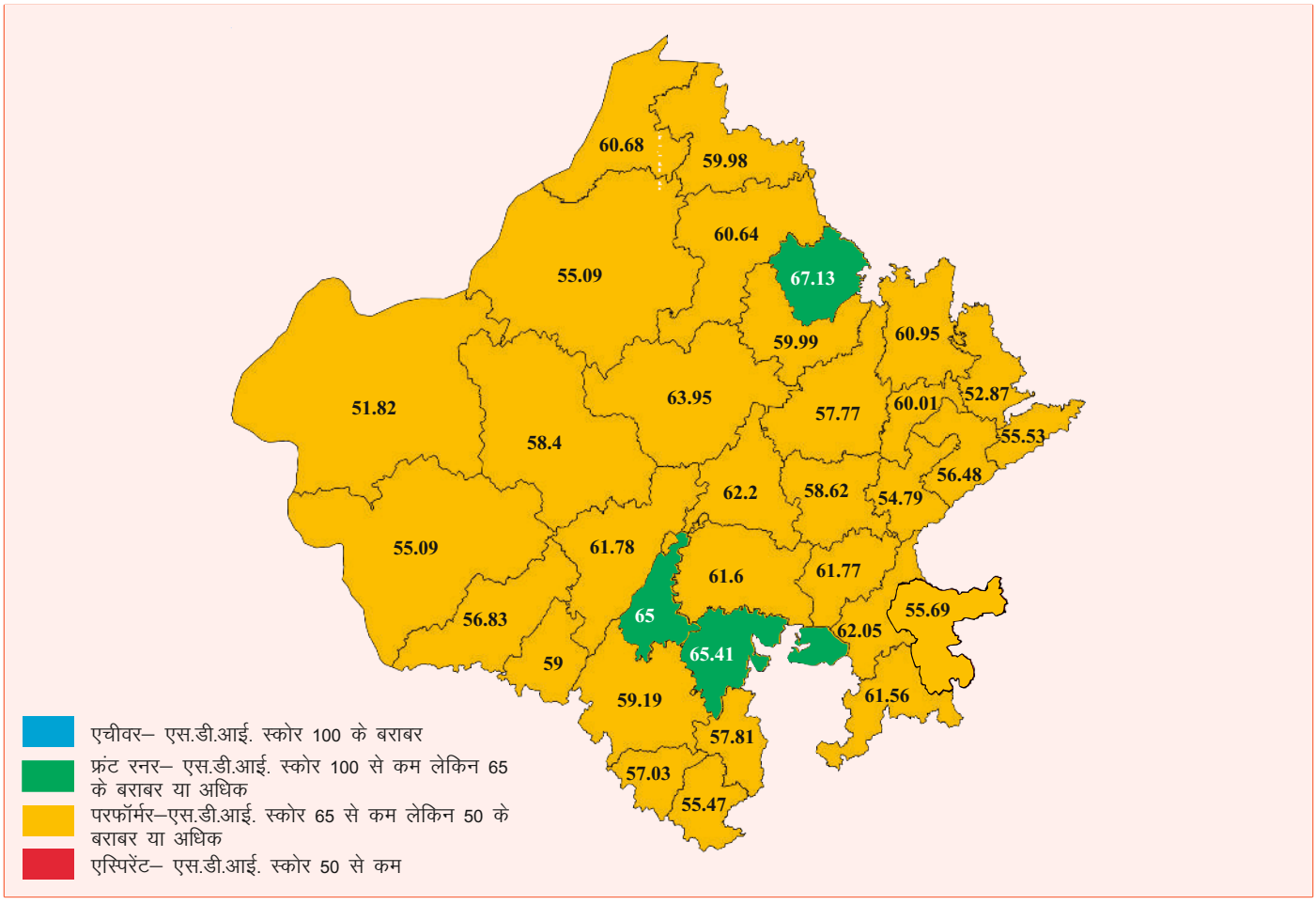
राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों पर जिलों के प्रदर्शन को मापना और एस.डी.जी. को अर्जित करने के लिए जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा विकसित करना है। इंडेक्स में स्कोर की गणना करने एवं जिलों के प्रदर्शन को वर्गीकृत करने के लिए नीति आयोग के एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में प्रयुक्त गणना विधि को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, एस.डी.जी. इंडेक्स को लक्ष्य स्तर तक के स्कोर में विभाजित किया जा सकता है ताकि यह समझने में मदद मिल सके कि कौन से लक्ष्य अर्जित कर लिये हैं एवं कहां और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स के संस्करणों का उनके जारी होने के वर्ष तथा सम्मिलित लक्ष्यों एवं संकेतकों की संख्या की जानकारी तालिका संख्या 9.4 में दी गई है।

तालिका 9.4 : राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का विवरण

संस्करण	वर्ष	सम्मिलित लक्ष्यों की संख्या	उपयोग मे लिये संकेतको की संख्या
1.0	2020	12	31
2.0	2021	13	55
3.0	2022	14	75
4.0	2023	14	83
5.0	2024	14	95
6.0	2025	14	100

राजस्थान एस.डी.जी. इण्डेक्स का नवीनतम 6वां संस्करण 14 लक्ष्यों के 100 संकेतकों पर विकसित किया गया है। इस सूचकांक में उपयोग में लिये गये अधिकांश संकेतक एस.आई.एफ. और नीति आयोग के इण्डेक्स से लिये गये हैं, हालांकि कुछ संकेतको को सभी जिलों के डेटा उपलब्ध नही होने के कारण संशोधित कर उपयोग में लिया गया है। संकेतकों से संबंधित डेटा राजकीय प्रकाशनों, पोर्टल्स एवं विभागीय सूचनाओं सहित विभिन्न स्त्रोतों से संकलित एवं अद्यतित किये गये हैं। इस सूचकांक में 67.13 स्कोर के साथ झुंझुनू जिले ने शीर्ष स्थान सुरक्षित रखा है तथा जिला जैसलमेर सबसे निचले स्थान पर रहा है। राजस्थान एस.डी.जी. इण्डेक्स–2025 (वर्जन 6.0) में जिलों का प्रदर्शन चित्र 9.6 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 9.6 : राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स – 2025 (वर्जन 6.0) में जिलों का प्रदर्शन



10 ग्रामीण विकास

राजस्थान के सामाजिक–आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ ग्रामीण विकास है, क्योंकि राज्य की बड़ी आबादी कृषि, उससे संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण आजीविकाओं पर निर्भर है। राज्य की विविध कृषि–जलवायु परिस्थितियों, क्षेत्रीय असमानताओं और जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, ग्रामीण विकास केवल आय सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधारभूत संरचना का निर्माण, आजीविका सुरक्षा, सामाजिक समावेशन, पर्यावरण स्थिरता तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण भी शामिल है। संतुलित विकास और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक समेकित और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है।

राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए विकेन्द्रीकृत ढांचा अपनाया है, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पंचायती राज संस्थाएं सहभागी योजना, योजनाओं के अभिसरण और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से वित्तीय विकेन्द्रीकरण, पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण तथा क्षमता निर्माण पहलों ने स्थानीय संस्थाओं को सशक्त एवं सेवा वितरण में जवाबदेही को बेहतर बनाया है।

रोजगार सृजन और आजीविका सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करती है, आय सुरक्षा को सहारा देती है और स्थाई ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन करती है। इसके पूरक के रूप में, राजस्थान में राजीविका के माध्यम से क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ किया है तथा कृषि और गैर–कृषि उद्यमों में विविधीकरण का समर्थन किया है।

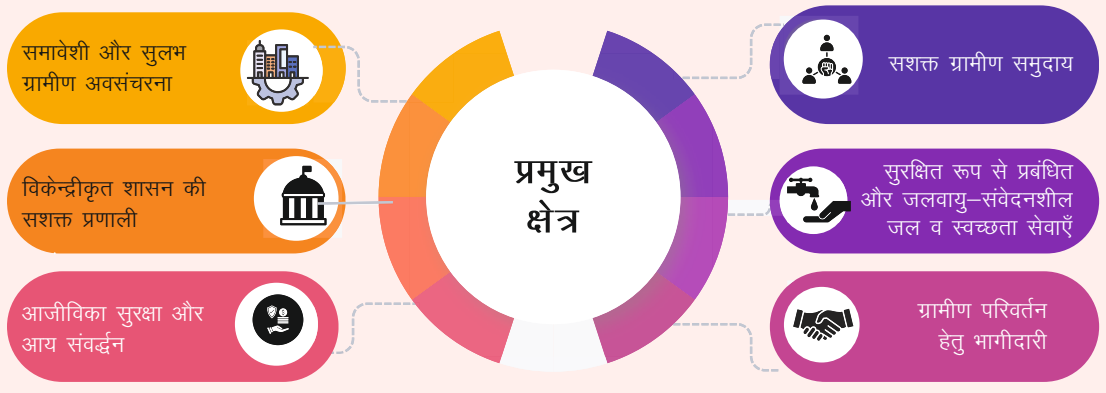
आवास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार भी एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी योजनाओं ने सुरक्षित आवास और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार किया है, जिससे स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। लक्षित जनजातीय, मरुस्थलीय, पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का प्रयास किया जाता है।

समग्र रूप से, राजस्थान की ग्रामीण विकास रणनीति एक समेकित, सहभागितापूर्ण और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाती है, जिससे समावेशी और सतत् ग्रामीण परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

विजन स्टेटमेन्ट–विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक, विकेंद्रीकृत शासन संस्थाएं इस योग्य होंगी कि वे एक जीवंत और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीण रुपांतरण को गति दें। यह रुपांतरण ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी और सुलभ बुनियादी ढांचे के निर्माण, आजीविका सुरक्षा एवं आय वृद्धि, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्वच्छता और स्वच्छता सेवाओं के माध्यम से ग्राम स्वराज के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।

चित्र 10.1



समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता

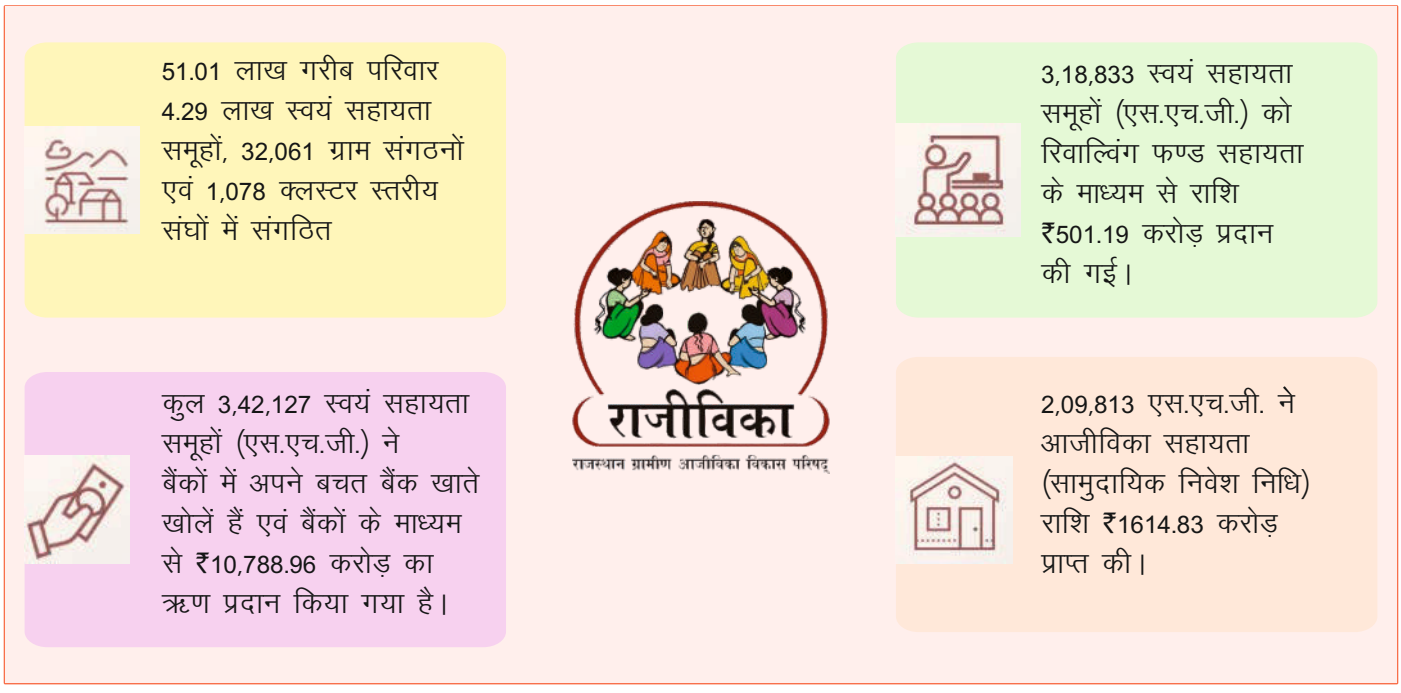
इन प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का सतत् विकास, ग्रामीण समुदायों को सशक्त करना और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया जा रहा हैं :

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) राजीविका

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर, 2010 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। यह संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह (एच.एच.जी.) आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा हैं।

इस सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थाई वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत् आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है। सभी ग्रामीण निर्धनों की पहचान सहभागिता पहचान प्रक्रिया और सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) सर्वे द्वारा परिवारों को चिन्हित किया गया हैं। राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :–

चित्र 10.2 : दिसम्बर, 2025 तक की प्रमुख उपलब्धियां



राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) को सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 के लिए ₹678.35 करोड़ का प्रावधान हैं, जिसमें से दिसम्बर, 2025 तक ₹337.55 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। इस मिशन में भारत सरकार का योगदान 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत है।

राजीविका द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में प्रमुख गतिविधियों में संस्था निर्माण, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका हस्तक्षेप और अभिसरण सम्मिलित हैं।

माह दिसम्बर, 2025 तक की प्रमुख उपलब्धियां

- वर्तमान में यह परियोजना राज्य के सभी ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है। 38,452 गांवों में कुल 4.29 लाख स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) बनाए गए हैं, जिससे 51.01 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
- 32,061 से अधिक ग्राम संगठन (वी.ओ.) और 1,078 क्लस्टर स्तरीय संघ (सी.एल.एफ.) जुड़े हुए हैं, जो वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- राजीविका के माध्यम से आजीविका संवर्धन के लिए ₹2,116.03 करोड़ आवंटित किए गए हैं एवं ₹10,788.96 करोड़ के बैंक ऋण प्रदान किये गये हैं।
- राजस्थान महिला कोष के माध्यम से राजीविका की 1,54,861 महिलाओं को लगभग ₹735 करोड़ के ऋण दिए गए हैं, ये ऋण 2.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हैं, जिसमें 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
- कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 36.03 लाख गरीब परिवार लाभान्वित हुये हैं।
- कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आजीविका संवर्धन के लिए 2 उत्पादक कम्पनियां स्थापित की गई हैं।
- 40,000 महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के तकनीकी सहयोग से कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में ₹41.89 करोड़ की लागत से उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई हैं। अब तक 30,033 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) परिवारों से ₹500 करोड़ का दूध खरीदा गया है, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हुई है।
- कोटा और बारां जिलों में सोयाबीन, सरसों और धनिया पर आधारित मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए ₹17.39 करोड़ के निवेश से हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। इस पहल से 18,345 परिवार लाभान्वित हुए हैं, जिसका कुल कारोबार ₹34.20 करोड़ रहा है।
- कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3,237 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है, जिससे 2.32 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों से जुड़े हैं।
- 65 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) बनाए गए हैं, जिससे 45,531 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, पशु सखी एवं कृषि सखी

- **नमो ड्रोन दीदी** योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन एवं उनके परिवहन के लिए वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋणों पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया एवं कीटनाशकों के छिड़काव से उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। यह पहल पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगी।

  नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉक में 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं। ड्रोन दीदियों ने दिसम्बर, 2025 तक लगभग 12,500 एकड़ कृषि भूमि पर सफलतापूर्वक कार्य किया है।
- **सोलर दीदी**– वर्ष 2025–26 में 25,000 सोलर दीदियों के सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 2025 तक 25,000 सोलर दीदियों की पहचान की गई है।
- **लखपति दीदी**– योजना के अंतर्गत 796 लखपति मास्टर ट्रेनरों द्वारा 24,907 लखपति कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (सी.आर.पी.) को प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 19.90 लाख संभावित महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से कुल 12.98 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- **बैंक सखी**– कुल 7,104 महिलाएँ डिजिटल सखी (डीजी पे सखी) के रूप में तथा 6,053 महिलाएँ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी (बी.सी. सखी) के रूप में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिसम्बर 2025 तक राशि ₹671.07 करोड़ के लेन–देन किए गए हैं।

- **पशु सखी एवं कृषि सखी**– राजीविका की गतिविधियाँ मुख्यतः महिलाओं द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। कुल 37,369 स्वयं सहायता समूह सदस्य पशु सखी एवं 36,787 एस.एच.जी. सदस्य कृषि सखी के रूप में कार्यरत हैं।

- 8 जिलों (बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर) में 517 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे 1.50 लाख महिला सदस्य लाभान्वित हुई है।
- उद्यमिता संवर्धन के तहत 54,879 से अधिक महिला उद्यम (जिनमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, हस्तशिल्प, किराना और महिलाओं के स्टोर आदि शामिल हैं) स्थापित किए गए हैं, जिससे महिलाओं की आजीविका में वृद्धि हुई है।
- विभिन्न जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर 254 कैंटीन शुरू की गई हैं, जिनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।
- स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की बिक्री बढ़ाने के लिए जयपुर, चुरू(2), श्रीगंगानगर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, जोधपुर, राजसमंद और कोटा में 11 रिटेल स्टोर खोले गए हैं।
- गैर–कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 288 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है, जिसमें 8,540 परिवार शामिल हैं।
- उड़ान योजना के तहत सभी जिलों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। दिसम्बर, 2025 तक कुल 63 लाख सेनेटरी पैड वितरित किए गए हैं।
- विभिन्न सखी संवर्गों के लिए नियमित और समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।

राजीविका के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में वर्ष 2025–26 की उपलब्धियां तालिका 10.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.1 : राजीविका के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों में वर्ष 2025–26 की उपलब्धियां (दिसम्बर तक)

(संख्या में)

क्र.स.	गतिविधियां	लक्ष्य (2025–26)	प्रगति (2025–26)	संचयी प्रगति
1	स्वयं सहायता समूह गठन	40000	16952	429525
2	स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की संख्या	400000	207135	5101109
3	क्रमोन्नत ग्राम संगठनों की संख्या	380	593	32061
4	रिवॉल्विंग फंड प्राप्त स्वयं सहायता समूह की संख्या (@15000 / एस.एच.जी.)	40000	12253	318833
5	सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) राशि प्राप्त स्वयं सहायता समूह की संख्या (@75000 / एस. एच.जी.)	30000	23754	209813

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं इसके द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। यह सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु तैयार है।

वर्ष 2024–25 के दौरान कुल ₹9,441.01 करोड़ व्यय कर 3,155.57 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं तथा 58.86 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है एवं कुल 5.11 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।

वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹4,819.26 करोड़ व्यय कर 1,554.85 लाख मानव दिवसों का सृजन कर 42.03 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा कुल 46,684 परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (सी.एम.आर.ई.जी.एस) के अन्तर्गत मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण होने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है एवं 47 अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) ब्लॉकों के परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मिशन अमृत सरोवर

मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का निर्माण/विकास करना है, जिसके लिए राज्य का लक्ष्य 2,475 है। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम एक एकड (0.4 हैक्टर) का तालाब क्षेत्र होगा। मिशन अमृत सरोवर के प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 3,138 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं एवं द्वितीय चरण में कुल 601 अमृत सरोवर का चिन्हीकरण किया गया है।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम– जनमन)

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) का विकास करना है। राज्य के बारां जिले की 08 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन (पी.वी.टी.जी.) सहरिया परिवारों को ₹2.00 लाख प्रति आवास निर्माण हेतु, शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 एवं मनरेगा से अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि ₹25,290 सहित कुल राशि ₹2.37 लाख प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत पक्का आवास होने पर अथवा परिवार में सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को छोड़कर समस्त आवासहीन, सहरिया परिवार पात्र हैं। ग्रामीण विकास मत्रांलय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएम–जनमन के अन्तर्गत बारां जिले की 8 पंचायत समितियों में सहरिया जनजाति के परिवारों का वर्ष 2023–24 में सर्वे कराकर एवं पात्र परिवार चिन्हित कर आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं।

योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक कुल आवंटित लक्ष्य 26,671 आवासों के विरुद्ध 22,416 आवासों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिसमें वर्ष 2023–24 के लिए 17,512 आवास और 2024–25 के लिए 9,159 आवासों का लक्ष्य शामिल हैं। योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक ₹368.18 करोड़ व्यय कर 11,411 आवास पूर्ण किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना–2011 (एस.ई.सीसी.–2011) के समंकों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि ₹1,20,000 देय है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि ₹12,000 देय है। योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से दैनिक मजदूरी (90 दिवस तक) भी उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2025–26 के लिए 2,21,135 आवासों के निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध कुल 2,18,050 आवासों की स्वीकृति जारी की गई है। व्यय राशि केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य 60:40 अनुपात में वहन की जाती है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान ₹1045.61 करोड़ व्यय किए गए हैं एवं 1,08,073 नये आवासों का निर्माण किया गया है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। यह योजना नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक वित्तीय

वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। माननीय विधायकों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए वार्षिक आंवटन के 20 प्रतिशत तक की सिफारिश की जा सकती है।

पेयजल, सम्पर्क सड़कें, आबादी क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली, शहरी क्षेत्र में सीवरेज कार्य, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में भवन निर्माण, टैंकों की सफाई, पारम्परिक जल स्रोतों का विकास, पर्यटन स्थलों का आधारभूत विकास, पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय/औषधालयों के भवन निर्माण, राजकीय चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरण, चिकित्सालय/औषधालय भवन निर्माण, बस स्टैण्ड, सामुदायिक केन्द्र, खेल मैदान, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में कम्प्यूटर्स एवं न्यायालयों के भवन आदि से सम्बन्धित कार्य इस योजना के अन्तर्गत रखे गए हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक) में कुल उपलब्ध राशि ₹2,738.84 करोड़ के विरूद्ध ₹705.80 करोड़ व्यय कर 11,063 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.)

राज्य में 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद (एम.पी.) अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के निर्वाचित राज्य सभा सदस्य राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। "गम्भीर प्राकृतिक आपदा" की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र/राज्य के बाहर भी निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में पुनर्वास हेतु प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम ₹1.00 करोड़ तक की स्थाई परिसम्पत्ति निर्माण की अनुशंसा करवा सकते हैं।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं तथा जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है, जो कि क्षेत्रीय विकास हेतु महत्वपूर्ण है। योजना में जन समूह द्वारा दीर्घ अवधि तक उपयोग में ली जाने वाली स्थायी/जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार में निहित होता है।

सांसद द्वारा कार्य निष्पादन हेतु चयनित क्षेत्र को संबंधित सांसद की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सम्भव हो, सम्बन्धित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियां प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिवस में प्रदान की जाती है। सभी अनुशंषाएँ, स्वीकृतियाँ एवं भुगतान भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ई–साक्षी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहें है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल उपलब्ध राशि ₹175.00 करोड़ के विरूद्ध माननीय सांसदों से ₹137.68 करोड की अभिशंषा प्राप्त कर कुल ₹31.18 करोड व्यय किए गए हैं।

मेवात क्षेत्र विकास योजना

मेव समुदाय मुख्यतः अलवर, खैरथल–तिजारा एवं डीग जिले के 14 ब्लॉक में बहुलता से निवास करते हैं। इस योजना में उपरोक्त जिलों के 807 गाँव सम्मिलित हैं। मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986–87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, लघु एवं कुटीर उद्योंगों की स्थापना तथा लोगों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधनों का विकास करना है।

वर्ष 2025–26 के लिए योजना का बजट प्रावधान ₹100.00 करोड़ है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) कुल उपलब्ध राशि ₹94.45 करोड़ के विरूद्ध ₹25.09 करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं कुल 262 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

महात्मा गांधी जन–भागीदारी विकास योजना (एम.जी.जे.वी.वाई.)

फरवरी, 2020 में गुरू गोलवलकर जन–भागीदारी विकास योजना (जी.जी.जे.वी.वाई.) का नाम महात्मा गांधी जन–भागीदारी विकास योजना किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के

निर्माण एवं रख–रखाव के लिए जन–भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत श्मशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत राशि, अन्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 70 प्रतिशत (कुल जनसंख्या में 40 प्रतिशत से अधिक एस. टी./एस.सी. आबादी वाले क्षेत्रों में 80 प्रतिशत राशि) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है एवं शेष राशि का संग्रहण जनता से किया जाता है।

वर्ष 2025–26 के लिए योजना का बजट प्रावधान ₹20.00 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) कुल उपलब्ध राशि ₹48.24 करोड़ के विरूद्ध ₹9.04 करोड़ व्यय किए गए एवं कुल 108 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

डांग क्षेत्र विकास योजना

बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र को 'डांग क्षेत्र' के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र पिछड़े हुए हैं और इनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारम्भ की गई। इस योजना में 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बून्दी) के 2,192 गांवों को शामिल किया गया है। वर्ष 2025–26 के लिए ₹100.00 करोड़ का प्रावधान है, वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल उपलब्ध राशि ₹78.68 करोड़ के विरूद्ध ₹17.43 करोड़ व्यय किए गए हैं एवं कुल 282 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

मगरा क्षेत्र विकास योजना

राजस्थान का दक्षिणी–मध्य भाग, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, एवं राजसमन्द, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत नहीं आता है, स्थानीय रूप से 'मगरा' के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के संसाधन यथा– भूमि, पानी एवं पशुधन कम हैं तथा यहाँ के निवासियों का भारी मौसमी पलायन होता है। यहाँ के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु मगरा क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2005–06 में शुरु की गई। वर्तमान में यह उक्त जिलों के 1,746 गांवों में क्रियान्वित की जा रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2025–26 के लिए योजना का बजट प्रावधान ₹100 करोड़ है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) कुल उपलब्ध राशि ₹75.01 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹12.67 करोड़ व्यय किये गये हैं तथा कुल 232 कार्य पूरे किए गए हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास पहलों ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये प्रयास बुनियादी ढांचों के विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका सृजन और ग्रामीण शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहे हैं। बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान देने से बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार जैसी शिक्षा पहलों ने साक्षरता दर को बढ़ाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाने में मदद की है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा देने में सहायक रहा है, जिससे जन स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है।

राजस्थान निरन्तर अपने महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है, निरंतर ग्रामीण विकास के प्रयास राज्य के लिए अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बायो–फ्यूल प्राधिकरण

राज्य की बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष अखाद्य तैलीय फसलों की खेती के द्वारा जैव–ईंधन के उत्पादन की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य में बायोफ्यूल नीति की घोषणा के पश्चात् वर्ष 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया।

चित्र 10.3 : राजस्थान में बायो–फ्यूल की स्थिति

मुख्य गतिविधियां

- राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 के अन्तर्गत राज्य में परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिये बायोडीजल (बी–100) की खुदरा बिक्री हेतु उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया का क्रियान्वयन।
- क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने हेतु एम.जी.–नरेगा एवं अन्य विभागों के साथ मिलकर गैर खाद्य तैलीय फसलों (रतनजोत, करंज, महुआ एवं नीम) के रोपण को बढावा देना।
- राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निष्पादन।

मुख्य उपलब्धियां

- बायोडीजल (बी–100) उत्पादकों, वितरकों, और खुदरा विक्रेताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया विकसित की गई है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने बायोडीजल (बी–100) की खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाए और लागू किए हैं।
- राजस्थान जैव ईंधन नियम, 2019 के तहत 12 जैव ईंधन (बी–100) उत्पादक फर्मों को पंजीकृत किया गया है, जिससे राज्य में खुदरा बिक्री के लिए 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन जैव ईंधन (बी–100) उत्पादन क्षमता सृजित की गई है।
- राजस्थान जैव ईंधन नियम, 2019 के अंतर्गत 102 जैव ईंधन (बी–100) मोबाइल खुदरा दुकानों का पंजीकरण किया गया है।
- सरल और समयबद्ध पंजीकरण प्रक्रिया की सुविधा के लिए जैव ईंधन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है।

राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड

वर्ष 2016 में राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तन कर ''बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड'' किया गया। ''बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड'' का पुर्नगठन 11 फरवरी, 2022 को किया गया। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है:

- जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया।
- समितियों के सदस्यों एवं अन्य हितधारकों की भूमिकाओं एवं दायित्त्वों के संबंध में क्षमता अभिवर्द्धन के प्रयोजन से कार्यक्रम तथा गतिविधियों का निर्धारण किया गया।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य (ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदों द्वारा किया जाता है) चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है तथा सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सतत् रूप में सुधार करना एवं गाँव और उसकी जनता के मन में कुछ स्पष्ट नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना है ताकि वह अन्य ग्रामों के लिए आदर्श बन सके। सांसद आदर्श ग्राम योजना की चरणवार प्रगति तालिका 10.2 में दी गई है।

तालिका 10.2 : सांसद आदर्श ग्राम योजना की चरणवार प्रगति (दिसम्बर, 2025 तक)

(संख्या में)

चरण	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	बेसलाईन सर्वे एवं वी.डी.पी. पूर्ण कार्य	वी.डी.पी. में सम्मिलित कुल कार्य	कुल पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
I	34	34	1424	1403	8
II	31	31	1999	1945	9
III	17	17	601	592	7
IV	30	30	1201	698	37
V	22	22	804	495	72
VI	16	16	796	326	30
VII	23	23	1074	627	106
VIII	17	17	465	252	34

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना (एस.पी.एम.जे.यू.वाई.)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना को जून, 2025 में सम्पूर्ण राज्य में जिला–विशिष्ट जरूरतों को पूर्ण करके आर्थिक विकास और समावेशी सामाजिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रारंभ की गई है। यह योजना राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जिसमें भागीदारी आधारित योजना निर्माण, प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना तथा जिला स्तरीय विशेषज्ञ मिशन टीमों के माध्यम से त्वरित क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, पर्यटन, एम.एस.एम.ई. और खेल क्षेत्रों में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना तथा सतत् एवं समेकित विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही, योजना में जीआईएस एवं एआई/एमएल जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने एवं प्रशासनिक संवाद में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना

बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 22 लाख परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाये जाने के क्रम में वर्ष 2025–26 में गरीबी मुक्त राजस्थान हेतु राज्य वित्त पोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में प्रारम्भ की गई है। यह योजना प्रथम चरण में 5 हजार, द्वितीय चरण में 5 हजार एवं तृतीय चरण 10 हजार गांवों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

योजनान्तर्गत आजीविका सृजन एवं स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों पर बल दिया गया है। योजनान्तर्गत दो चरणों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं तृतीय चरण के सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2025–26 में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे दूरस्थ, दुर्गम एवं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। अपनी रणनीतिक महत्ता के बावजूद, भौगोलिक एवं परिस्थितिजन्य कारणों से ये क्षेत्र लंबे समय तक बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक.आर्थिक विकास से वंचित रहे हैं।

यह राज्य वित्तपोषित कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सतत् विकास के लिए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में राशि ₹150.00 करोड आवंटित किये गये हैं एवं ₹12.67 करोड व्यय किये गये हैं।

योजना के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना जिसमें विद्यालय भवनों, कक्षाओं एवं आंगनवाड़ी (बाल देखभाल) केंद्रों का निर्माण एवं स्मार्ट डिजिटल कक्षाओं एवं ई–लर्निंग सुविधाओं की स्थापना तथा छात्रावासों एवं जर्जर भवनों का निर्माण, मरम्मत तथा नवीनीकरण सम्मिलित है।

- चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इकाई भवनों का निर्माण, चिकित्सा उपकरणों एवं मशीनरी की उपलब्धता, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों में शौचालयों तथा पेयजल, आरओ वाटर कूलर की स्थापना, खेल मैदानों एवं पुस्तकालय भवनों का विकास सम्मिलित है।

- पेयजल आपूर्ति जिसमें गांवों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जल शोधन संयंत्रों एवं आरओ प्लांट की स्थापना सम्मिलित है।

- संपर्कता एवं ग्रामीण अवसंरचना जिसमें गांवों में आंतरिक सड़कों एवं जल निकासी प्रणालियों का निर्माण एवं पुलों/संबंधित संपर्क कार्यों का निर्माण सम्मिलित है।

- ऊर्जा एवं प्रकाश व्यवस्था जिसमें सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना तथा गांवों में प्रकाश व्यवस्था की सुविधा सम्मिलित है।
- कृषि एवं पशुपालन जिसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तथा पशुओं के लिए चारा भंडारण केंद्रों एवं पेयजल कुंडों का विकास सम्मिलित है।
- खेल अवसंरचना जिसमें खेल मैदानों एवं खेल स्टेडियमों का निर्माण, ओपन जिम एवं शारीरिक फिटनेस उपकरणों की स्थापना सम्मिलित है।
- पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास जिसमें पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का विकास एवं संरक्षण तथा शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्थाए सामुदायिक भवन, सम्पर्क मार्ग एवं पार्किंग जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन सम्मिलित है।
- महिला सशक्तिकरण जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन एवं बिक्री हेतु सहायता, बाजार स्थलों एवं कार्यशाला भवनों का निर्माण एवं आजीविका संवर्धन गतिविधियां सम्मिलित हैं।
- कौशल विकास हेतु स्थानीय निवासियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।

पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाना

राजस्थान, देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने वाला अग्रणी राज्य था। जहाँ पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर, राजस्थान में किया था। 24 अप्रैल, 1993, पंचायती राज के भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, जब पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ताकि ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को पूरा किया जा सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–243(जी) पचांयतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे से सबंधित है। सवैंधानिक सशोधनों के अनुक्रम में राजस्थान पचांयती राज अधिनियम, 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज नियम, 1996 में लागू किए गए।

चित्र 10.4



पंचायती राज विभाग/संस्थाओं के मूल कार्य निम्नानुसार हैं:

- 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना के अनुसार विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करना।
- पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार (पी.ई.एस.ए.) अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन।
- पंचायती राज संस्थानों में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक/संस्थापन कार्य।

- पंचायती राज संस्थाओं में संगठनात्मक क्षमता का निर्माण, महिला जन–प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों पर विशेष ध्यान देने के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों की पेशेवर क्षमता का संवर्द्धन करना, ताकि वे अपनी भूमिकाओं का निर्वहन प्रभावी रूप से कर सकें।
- बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए अनेक योजनाओं के समन्वयन एवं उपलब्ध संसाधनों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजना समितियों के माध्यम से एकीकृत विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना का निर्माण एवं उसके उपयोग की व्यवस्था करना।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी विभिन्न योजनाओं यथा– पन्द्रहवां वित्त आयोग, षष्टम राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रमों की निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियात्मक व्यवस्था के साथ सभी को स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधा उपलब्ध कराना।
- सभी घरों में शौचालय का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों में कार्यशील शौचालय एवं मूत्रालय हो।
- ई–सक्षमता के माध्यम से पंचायतों को अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु सहयोग प्रदान करना।

राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप एवं विकास कार्यक्रम, जो कि सीधे ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़े हैं और समावेशी विकास को बढ़ाते हैं, उनका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 41 जिला परिषद्, 457 पंचायत समितियां और 14,403 ग्राम पंचायतें राज्य में अस्तित्व में हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान–पन्द्रहवां वित्त आयोग

- पन्द्रहवें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 5 वर्ष की है। षष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर राशि पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में वितरित की जायेगी।
- 15 वें वित्त आयोग, भारत सरकार, की अन्तिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 40 प्रतिशत बेसिक अनटाईड अनुदान एवं शेष 60 प्रतिशत बेसिक टाईड अनुदान के रूप में होगा। अनटाईड अनुदान का उपयोग वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर स्थानीय निकायों (पीआरआई) की स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाईट और प्रकाश व्यवस्था, अन्य सार्वजनिक भवनों/परिसम्पत्तियों जैसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों, सहकारी बीज एवं उर्वरक भण्डारण केन्द्रों, सडकों, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, श्मशान स्थलों की मरम्मत एवं रख रखाव हेतु किया जा सकता है।
- पंचायती राज मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50–50 प्रतिशत की दो किश्तों में जारी किया जायेगा, जिसमें से 50 प्रतिशत टाईड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाये रखने एवं शेष 50 प्रतिशत का उपयोग बुनियादी सेवाओं यथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकता है।
- वर्ष 2025–26 के लिए बजट प्रावधान ₹3,087 करोड़ है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में वित्तीय वर्ष 2024–25 की राशि ₹927.44 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई। वर्ष 2025–26 के दौरान कुल उपलब्ध राशि ₹2,953.33 करोड़ के विरूद्व, दिसम्बर, 2025 तक ₹1,997.42 करोड़ व्यय किए गए हैं और 50,934 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

षष्टम राज्य वित्त आयोग

- षष्टम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) में की गई अनुशंसाओं के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कार्यवाही रिपोर्ट (ए.टी.आर.) के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली कुल अनुदान राशि का वितरण इस प्रकार होगाः 55 प्रतिशत राशि आधारभूत और विकास कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता की योजनाओं और गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए, 2 प्रतिशत राशि लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए एवं 3 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
- षष्टम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–25 के लिए) में की गई सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर) तैयार की है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7 प्रतिशत हिस्सा, 2011 की जनगणना के आधार पर 73.2 प्रतिशत और 26.8 प्रतिशत के अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरित किया जाए। इसके अलावा, यह राशि जिलेवार वेटेज के आधार पर वितरित की जाएगी, जिसमें वर्ष 2024–25 में राज्य की जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत आवंटित किया गया है।
- वर्ष 2025–26 के लिए बजट प्रावधान ₹7,000 करोड़ है। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में वित्तीय वर्ष 2024–25 की राशि कुल ₹2,489.96 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में कुल उपलब्ध राशि ₹4,849.92 करोड़ के विरूद्व राशि ₹2,452.21 करोड़ व्यय किए गए हैं एवं 60,799 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

राजस्थान को मार्च, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण शुरू किया गया है। एसबीएम–जी चरण II का मुख्य उद्देश्य गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है, जिससे गांवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा सके।

- **व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल)**: एस.बी.एम.–जी के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) की एक इकाई के निर्माण और उपयोग के लिए ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला मुखिया वाले परिवारों को प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल 1.05 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- **सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.)**: ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ बजारों में, बस स्टेण्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर एवं अन्य स्थानों पर ₹3.00 लाख की लागत से सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें 15वें वित्त आयोग से 30 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल 2,205 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया गया है।
- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन**: स्थानीय स्तर पर उत्पन्न ठोस एवं तरल अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार लाया जा सकता है तथा समुदाय का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। गांवों को ओडीएफ प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि ओडीएफ स्थिति को बरकरार रखा जा सके, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके तथा गांव को स्वच्छ बनाया जा सके। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) में कुल 414 गांवों को ओडीएफ प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया।
- **गोबर–धन परियोजना**: यह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं के गोबर और जैविक कचरे को गांवों से साफ करके तथा ऊर्जा और खाद का उत्पादन करके आय के स्रोत विकसित करना है। प्रत्येक जिलें में एक आदर्श गोबर–धन परियोजना स्थापित की जा रही है। वर्ष 2025–26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल 7 गोबर–धन परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं।

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.), सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.), ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गोबर–धन परियोजना पर कुल ₹100.67 करोड़ व्यय किए गए हैं।

पंचायत विकास योजना (पी.डी.पी.)

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार, वर्ष 2015 से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है। यह योजना ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संसाधनों के नियोजन की प्रक्रिया है, जिसमें जनसहभागिता के आधार पर ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार प्रस्तावों को विशेष ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद, एक समन्वित कार्ययोजना तैयार कर ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

- जन योजना अभियान (पीपीसी) ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी को अभियान मोड में सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। जन योजना अभियान 2 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान वर्ष 2026–27 के लिए विकास योजनाएं (जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी) तैयार की जाएंगी।
- केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अभियान के दौरान सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए संकल्पों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर तक 11,173 ग्राम पचांयत विकास योजना, 346 ब्लॉक पंचायत विकास योजना तथा 31 जिला पंचायत विकास येाजना ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई है।

स्वामित्व योजना

- स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल, 2020 को पंचायत दिवस पर किया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन के माध्यम से राज्य के सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा।
- मानचित्र के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी।
- स्वामित्व योजनान्तर्गत, वर्ष 2025–26 (माह दिसम्बर तक) में भूमि स्वामियों को कुल 4.13 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी, 2024 से प्रदेश के ग्रामीण कस्बों में प्रारम्भ की गई है। योजना के माध्यम से स्थानीय रूचि के अनुसार पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदेश के समस्त चिन्हित ग्रामीण कस्बों में संचालित की जा रही है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अन्तर्गत 796 रसोईयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 दोपहर के भोजन एवं अधिकतम 100 रात्रि भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लाभार्थी से प्रति थाली ₹8 लिए जा रहे हैं तथा प्रति थाली ₹22 राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

प्रत्येक लाभार्थी को 600 ग्राम भोजन (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ, 100 ग्राम चावल/बाजरा खिचड़ी और अचार) की थाली परोसी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में (माह दिसम्बर तक) ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 796 रसोई के माध्यम से 1.84 करोड़ से अधिक भोजन थाली परोसी जा चुकी है।

अटल ज्ञान केन्द्र

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के स्व–अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन की पठन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केन्द्रों पर ई–पुस्तकालय की सुविधा विकसित की जायेगी। दिसम्बर, 2025 तक कुल 1,607 अटल ज्ञान केन्द्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) वर्ष 2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में इसे "पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसकी अवधि मार्च, 2026 तक निर्धारित की गई है। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना है। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण प्रावधान 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्य योजनाओं हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹143.80 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2025–26 की अनुमोदित गतिविधियों पर अवशेष धनराशि ₹37.27 करोड़ में से ₹22.02 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर तक, राज्यांश सहित कुल राशि ₹16. 66 करोड एस.एन.ए.–स्पर्श के माध्यम से जिलों को हस्तान्तरित की गई है।

ग्राम पंचायत भवन निर्माण

ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण कम से कम 5 बीघा भूमि पर किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण सचिवालय की दृष्टि से सभी कार्यालयों को एक ही परिसर में लाने का प्रावधान है, ताकि आम आदमी को सुविधाएं मिल सकें। इन ग्राम पंचायतों के मॉडल चित्र और मानचित्र पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत ₹50 लाख हैं।

नवगठित 1,452 ग्राम पंचायतों में से 9 ग्राम पंचायतों के कार्यालय विद्यालयों या अन्य भवन परिसरों में संचालित हो रहे हैं। 1,443 नई ग्राम पंचायतों के कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए, 1,436 भवनों हेतु भूमि आवंटित की गई हैं और 1,427 भवनों हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है। वर्तमान में 1,324 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 66 कार्य प्रगति पर है।

पंचायत समिति भवन निर्माण

वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सीमांकन किया, जिसके तहत 57 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया। 56 पंचायत समितियों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। शेष 1 पंचायत समिति के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। 56 भवनों के लिए तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है और 13 भवनों का कार्य पूर्ण एवं 35 भवनों का कार्य प्रगतिरत है।

अम्बेडकर भवन

नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालय पर अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जा रहा है। एक अम्बेडकर भवन की अनुमानित लागत ₹50 लाख है। अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए प्रति भवन ₹25 लाख की राशि जिला परिषदों के निजी जमा खातों में हस्तांतरित की गई है एवं शेष राशि अन्य योजनाओं के अभिसरण से जुटाई जाएगी। दिसम्बर, 2025 तक कुल 120 स्वीकृत अम्बेडकर भवनों में से 117 निर्माण पूर्ण हो चुके हैं एवं 1 भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

''हर घर तिरंगा'' कार्यक्रम

वर्ष 2025 में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 8 से 15 अगस्त, 2025 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निजी आवासों, सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालयों आदि पर लगभग 109.94 लाख तिरंगा ध्वज फहराए गए।

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध–घुमंतू भूखंड/पट्टा आवंटन अभियान

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू श्रेणियों के काफी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2025–26 (माह दिसम्बर तक) के दौरान उक्त श्रेणियों के आवास विहीन परिवारों को कुल 3,486 पट्टे वितरित किये गये हैं। इन समुदायों को बहुधा जमीन की कमी के कारण सरकारी आवास योजनाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संसाधनों तक समान पहुँच को प्राथमिकता देकर, यह अभियान कमजोर समुदायों के उत्थान और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.0 (एम.जे.एस.ए. 2.0)

राज्य में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी, 2024 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक (एमपीटी), सब सरफेस बैरियर (एसएसबी) का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत आदि का काम किया जाता है। अगले चार वर्षों में एमजेएसए 2.0 के तहत राज्य के 20,000 गांवों में जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2025 तक एमजेएसए 2.0 के प्रथम चरण के अन्तर्गत 1,14,039 कार्यों के लक्ष्यों के विरूद्ध कुल 1,10,059 कार्य पूर्ण करवाये गये तथा राशि ₹2289.49 करोड़ का व्यय किया गया है एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत 99,930 कार्यों के लक्ष्यों के विरूद्ध कुल 26,059 कार्य स्वीकृत किये गये एवं कुल 2880 कार्य पूर्ण करवाये गये हैं तथा राशि ₹54.90 करोड़ का व्यय किया गया है।

समावेशी और सतत् ग्रामीण गैर–कृषि विकास को प्रोत्साहित करना

राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) की स्थापना नवम्बर, 1995 में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में की गई थी। रूडा, स्थायी आजीविका के व्यावहारिक मार्ग के रूप में दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय, एकीकृत एवं क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। राज्य के दस्तकारों के विकास के लिए रूडा विभिन्न सुधारों को लागू करता है, जिसमें कौशल वृद्धि, तकनीकी विकास एवं प्रसार, डिजाइन एव उत्पाद विकास, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन शामिल है। इन गतिविधियों के द्वारा बड़ी संख्या में दस्तकारों, बुनकरों, कुम्भकारों, मूर्तिकारों को सतत् रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

रूडा के इन क्रियाकलापों का प्रभाव राजस्थान जैसे सूखा प्रभावी राज्य में ऊन, चर्म, लघु खनिजों जैसे मुख्य उपक्षेत्रों में कार्यरत दस्तकारों के लिए बढी हुई क्षमताओं के साथ स्वरोजगार के माध्यम से स्थायी आय के वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखा जा सकता है। यह भारत में गैर कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाला एक अनूठा संगठन है।

रूडा प्रमुख रूप से तीन उप क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है:–

- चमड़ा
- ऊन एवं वस्त्र
- लघु खनिज

रूडा कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मेलों और प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) रूडा के तीनों उपक्षेत्रों (चमड़ा, लघु खनिज एवं ऊन तथा वस्त्र) की संयुक्त कार्यशाला (जयपुर), चर्म उपक्षेत्र में शाहपुर (अलवर) तथा चावन्डिया (जयपुर), में डिजाईन डवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऊन एवं वस्त्र उपक्षेत्र में धनाऊ (बाड़मेर), में डिजाईन डवलपमेंट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। टेराकोटा डिजाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम मजावड़ी (उदयपुर) में आयोजित किया गया। मार्केटिंग व समन्वय उपक्षेत्र में तीज उत्सव 2025 बीकानेर हाऊस नई दिल्ली में, सावन तीज उत्सव, जयपुर में, ट्रेवल मार्ट जयपुर में मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मेलों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से कुल 692 दस्तकारों को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹222 लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें से माह दिसम्बर, 2025 तक कुल राशि ₹111 लाख जारी की गई है एवं कुल ₹107.73 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

11 शहरी विकास

शहरीकरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लगातार जनसंख्या का बढ़ना और शहरों का विस्तार होना जहां लोग बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवनशैली के लिए पलायन करते है, जिससें शहरी क्षेत्रो का घनत्व, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक संरचनाएं बदल जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कृषि प्रधान समाज धीरे–धीरे औद्योगिक और शहरी समाज में परिवर्तित होता है, जिसके परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों का विकास होता है।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वर्तमान में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और अनुमान है कि वर्ष 2050 तक यह प्रतिशत बढ़कर 66.66 प्रतिशत हो जाएगा। शहरीकरण आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शहर वैश्विक जीडीपी में लगभग 80 प्रतिशत योगदान करते हैं। ये शहरी केंद्र विकास के हब के रूप में कार्य करते हैं, जहां वाणिज्य, सरकार और परिवहन मिलकर अनुभव साझा करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता एवं विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराते है।

राजस्थान सरकार ने 2025–26 वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें अपने शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचे में सुधार, शहरी सुविधाओं को बढ़ाने और सतत् विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया हैं। राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) के सहयोग सहित विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों के आधुनिक प्रयास शहरीकरण की बढ़ती मांग को पूर्ण करने में सहायक साबित हुये हैं। राज्य सरकार ने उच्च जनसंख्या दबाव और तेज शहरी विकास का सामना कर रहे शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए सीवरेज, जलापूर्ति, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। शहरों में सीवरेज और जल आपूर्ति प्रणाली जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ जल निकासी और शहर के सौंदर्यीकरण कार्य न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, बल्कि अधिक रहने योग्य और टिकाऊ शहरी स्थान बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

विजन स्टेटमेंन्ट–विकसित राजस्थान @2047

वर्ष 2047 तक, राजस्थान में किफायती आवास, स्मार्ट टाऊनशिप और आवश्यक सुविधाओं से युक्त परिवर्तित अनौपचारिक बस्तियों द्वारा जीवंत, समावेशी और सतत् शहरी केन्द्रों का निर्माण करना। इस हेतु राज्य 5R दृष्टिकोण– Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Remove – के माध्यम से उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर शहरी स्वच्छता में अग्रणी भूमिका निभाएगा। राजस्थान ठोस रणनीतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करेगा और सहभागी एवं जवाबदेह सेवा वितरण हेतु विकेंद्रीकृत शहरी शासन को सशक्त करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा, अनुकूल अवसंरचना और हरित सार्वजनिक स्थलों पर केंद्रित योजनाओं के माध्यम से राजस्थान शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करेगा, जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता और जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित हो सके।

चित्र 11.1 : प्रमुख क्षेत्र



सतत् शहरी विकास और जनसांख्यिकीय प्रबंधन

राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृति राष्ट्रीय स्तर के समान ही रही है। भारत की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का हिस्सा 1961 में 17.97 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 31.14 प्रतिशत हो गया। राजस्थान में भी इसी प्रकार की प्रवृति देखी गई, जहां राज्य की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत 1961 में 16.28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 24.87 प्रतिशत हो गया।

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2021 तक भारत में शहरी आबादी का अनुमानित हिस्सा 34.43 प्रतिशत था और वर्ष 2031 तक यह 37.55 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में, वर्ष 2021 में शहरी आबादी का हिस्सा 26.33 प्रतिशत होने का अनुमान था और वर्ष 2031 तक यह बढ़कर 27.74 प्रतिशत हो सकता है।

वर्ष 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 685 लाख थी, जिसमें 355 लाख पुरुष और 330 लाख महिलाएँ थीं। वर्ष 2031 तक राज्य की जनसंख्या 872 लाख तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें 444 लाख पुरुष और 428 लाख महिलाएँ शामिल होंगी।

वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या 170 लाख थी, जिसमें 89 लाख पुरुष और 81 लाख महिलाएँ शामिल थीं। वर्ष 2031 तक शहरी जनसंख्या 242 लाख तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें 126 लाख पुरुष और 116 लाख महिलाएँ शामिल होंगी।

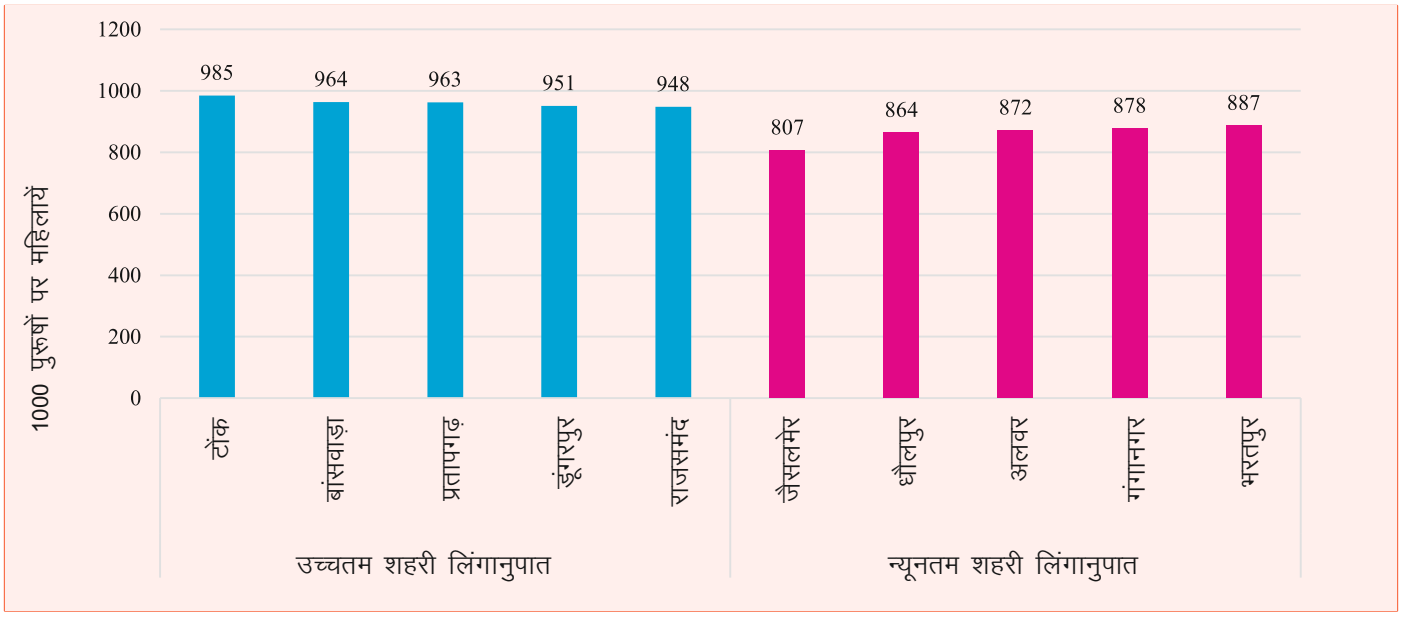
बच्चों की जनसंख्या (0–6 आयु वर्ग)

वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग स्थिर होकर 106 लाख रही है। वर्ष 2001 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 52.39 प्रतिशत लड़के तथा 47.61 प्रतिशत लड़कियां थी जो वर्ष 2011 में परिवर्तित होकर क्रमश 52.95 प्रतिशत 47.05 प्रतिशत रहे है।

लिंगानुपात

राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2011 में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं था, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 890 महिलाएं था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात में प्रति 1,000 पुरुषों पर 24 महिलाओं की वृद्धि हुई है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में लिंगानुपात अधिक संतुलित दिखाई देता है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाएं था, जो शहरी क्षेत्रों से थोड़ी अधिक है। वर्ष 2001 में, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 930 महिलाओं का था, जो शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात से कहीं अधिक था। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, राजस्थान में उच्चतम और निम्नतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का विवरण चित्र 11.2 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 11.2 : उच्चतम और निम्नतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का विवरण

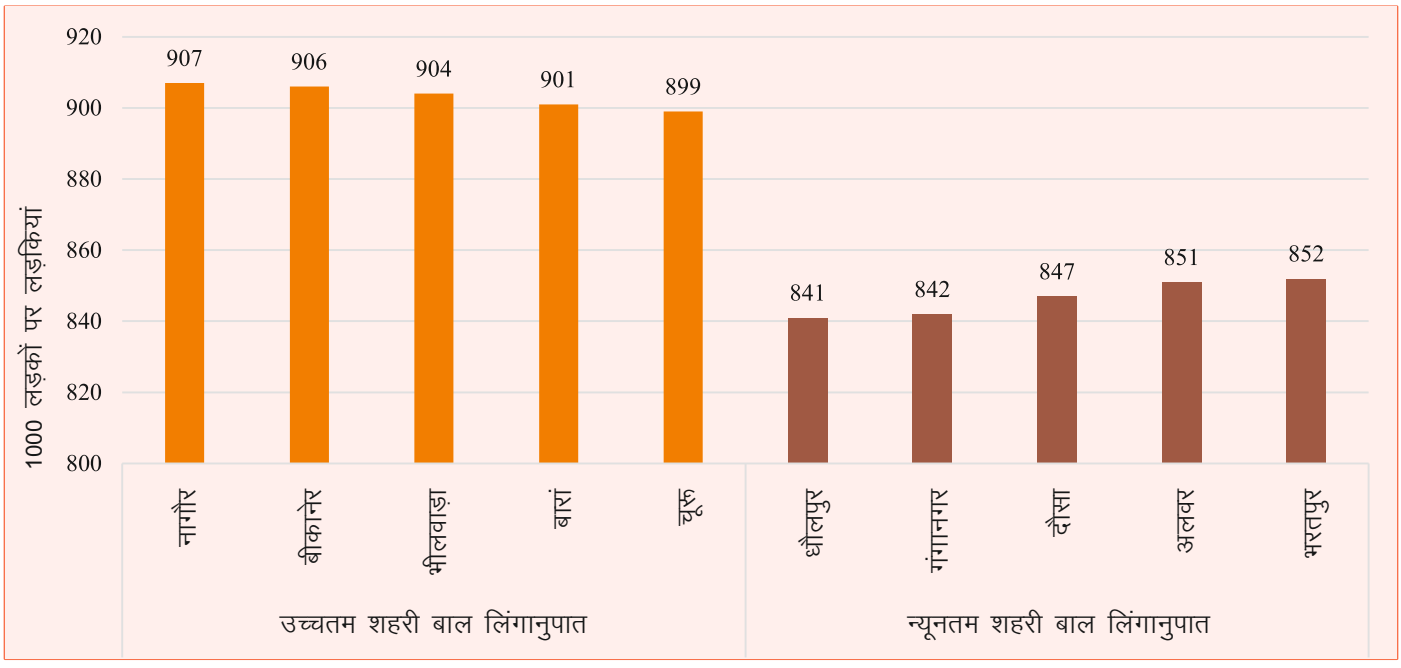


स्त्रोत : जनगणना, 2011

बाल लिंगानुपात

राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) में भी समान प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में बाल लिंगानुपात में गिरावट आई। शहरी क्षेत्रों में, बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 887 लड़कियों से घटकर वर्ष 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 874 लड़कियों पर आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात वर्ष 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 914 लड़कियों से घटकर वर्ष 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 892 लड़कियों पर आ गया। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, राजस्थान में सबसे अधिक और सबसे कम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिलों का विवरण चित्र 11.3 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 11.3 : सबसे अधिक और सबसे कम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिलें



स्त्रोत : जनगणना, 2011

साक्षरता दर

पिछले कुछ वर्षों में, राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसका प्रमाण यह है कि साक्षरता दर में 1961 से वर्ष 2011 तक निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत तक पहुँच गई, जबकि वर्ष 2001 में यह 60.40 प्रतिशत थी। क्षेत्रवार प्रदर्शन के संदर्भ में, शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर वर्ष 2011 में 79. 70 प्रतिशत रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 61.40 प्रतिशत दर्ज की गई। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले जिलों का विवरण तालिका 11.1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिकाः 11.1 : राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले

सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले			न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले		
क्र.सं.	जिला	साक्षरता प्रतिशत में	क्र.सं.	जिला	साक्षरता प्रतिशत में
1.	उदयपुर	87.5	1.	नागौर	70.6
2.	बांसवाड़ा	85.2	2.	जालौर	71.1
3.	प्रतापगढ़	84.8	3.	चूरू	72.6
4.	डूंगरपुर	84.4	4.	धौलपुर	72.7
5.	अजमेर	83.9	5.	करौली	72.8

स्त्रोत : जनगणना, 2011

एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर/शहरी समूह

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और शहरी समूहों में जयपुर सबसे बड़ा शहर है, जिसकी जनसंख्या (30.46 लाख) है इसके बाद जोधपुर (11.38 लाख), कोटा (10.02 लाख) और बीकानेर (6.44 लाख) का स्थान आता है। वहीं शहरी समूहों में बांसवाड़ा सबसे छोटी आबादी वाला शहर है, जिसकी जनसंख्या 1.01 लाख है।

शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन

राजस्थान में नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से, कोटा (60.31 प्रतिशत), जयपुर (52.40 प्रतिशत), अजमेर (40.08 प्रतिशत), जोधपुर (34.30 प्रतिशत) और बीकानेर (33.86 प्रतिशत) सबसे अधिक शहरीकृत जिलें हैं, वहीं जालोर (8.30 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (8.27 प्रतिशत), बांसवाड़ा (7.10 प्रतिशत), बाड़मेर (6.98 प्रतिशत) और डूंगरपुर (6.39 प्रतिशत) सबसे कम शहरीकृत जिलें हैं।

राजस्थान में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन

जनगणना–2011 में उपलब्ध संमको के अनुसार राजस्थान में पुरूष मुख्यतः रोजगार के अवसरों के लिए तथा महिलाएं मुख्यतः वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करती हैं। जनगणना–2011 दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जिसमें से 32 लाख राजस्थान के थे, जो देश में कुल ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले व्यक्तियों का 4 प्रतिशत है। कुल पलायन करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 49.16 प्रतिशत पुरूष काम/रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 59.11 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल पलायन करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 45.06 प्रतिशत पुरूष काम/रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 51.80 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षत्रों की ओर पलायन करते हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का समान कारण रहा है।

राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति

शहरी राजस्थान में लगभग 68.9 प्रतिशत घर 'अच्छी' स्थिति में हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 68.4 प्रतिशत की तुलना से थोड़ा अधिक है। भारत की जनगणना 2011 घरों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैः अच्छी, रहने–योग्य और जीर्ण–शीर्ण। राजस्थान में आधे से अधिक शहरी घरों को 'अच्छी' स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 29.3 प्रतिशत को 'रहने–योग्य' घरों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 1.8 प्रतिशत शहरी परिवार उचित भौतिक बुनियादी ढांचे के बिना 'जीर्ण–शीर्ण' अवस्था में हैं, इसलिए इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजस्थान में झुग्गी–झोपड़ी/कच्ची बस्ती के निवासी (शहरी)

देश के विभिन्न भागों में कच्ची बस्तियों का निर्माण और विकास कई कारणों से होता है, जैसे तीव्र ग्रामीण से शहरी प्रवास, उच्च बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक ठहराव और योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन। ये कच्ची बस्तियां आमतौर पर साफ और ताजे पानी की आपूर्ति, निरंतर बिजली की आपूर्ति, उचित स्वच्छता और साफ–सफाई आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं, जो झुग्गीवासियों के बीच विभिन्न वायु और जल जनित बीमारियों का कारण बन रही हैं। इतना ही नहीं स्लम एरिया में घरों की संरचना एवं गुणवत्ता भी अच्छे स्तर की नहीं है।

हालांकि कच्ची बस्तियों को परिभाषित करना अत्यन्त कठिन कार्य है, फिर भी जनगणना संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों को बस्तियों में वर्गीकृत किया हैः

- ऐसे सभी क्षेत्र जिन्हें राज्य/स्थानीय स्वशासन या केन्द्र द्वारा प्रशासित किसी अधिनियम के तहत् बस्तियों के रूप में क्षेत्र घोषित किये गये हों।
- ऐसे सभी क्षेत्र जिनकी पहचान राज्य/स्थानीय सरकार एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा बस्तियों के रूप में की गयी है, किन्तु किसी कानून द्वारा अधिसूचित किए गए है।
- ऐसे सभी घने क्षेत्र जिसमें कम से कम 300 की जनसंख्या अथवा 60–70 परिवार रहते हों एवं ऐसे आवासीय समूह में हों जो पूरी तरह अनियोजित तरीके से बसे हुए हों जिनमें आधारभूत नागरिक सुविधाओं यथा– प्रकाश, पीने का पानी, स्वच्छता व स्वच्छ हवा का पूरी तरह से अभाव हो।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वालों की आबादी 20.68 लाख है, जो कुल शहरी आबादी का 12.13 प्रतिशत है। कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या 3.23 लाख जयपुर नगर निगम की सीमा में हैं, जो कि राज्य की कच्ची बस्ती जनसंख्या का 15.64 प्रतिशत है एवं जयपुर नगर की कुल जनसंख्या का 10.62 प्रतिशत है। इसके बाद राज्य की झुग्गी आबादी का कोटा (नगर निगम) 15.44 प्रतिशत, जोधपुर (नगर निगम + आउट ग्रोथ) 12.29 प्रतिशत, बीकानेर (नगर निगम) 5.89 प्रतिशत, अजमेर (नगर निगम) 5.35 प्रतिशत, उदयपुर (नगर निगम) 3.13 प्रतिशत है और गंगानगर (नगर परिषद + आउट ग्रोथ) 2.44 प्रतिशत हैं। शहर की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्ती निवासियों का प्रतिशत पीलीबंगा (न.प.) में 74.53 प्रतिशत दर्ज किया गया है, इसके बाद क्रमशः जहाजपुर (न.प.) में 63.79 प्रतिशत और केसरीसिंहपुर (न.प.) में 61.46 प्रतिशत है। राजस्थान में स्लम आबादी तालिका 11.2 में दी गई है:–

तालिका 11.2 : राजस्थान में कच्ची बस्तियों की जनसांख्यिकीय स्थिति, जनगणना 2011

क्र.सं.	विवरण	इकाई	
1	कच्ची बस्तियों के घर	संख्या	394391
2	कच्ची बस्तियों की जनसंख्या	संख्या	2068000
3	पुरूष	संख्या	1078991
4	महिला	संख्या	989009
5	बच्चे (0–6 वर्ष)	संख्या	307035
6	एस.सी. जनसंख्या	संख्या	582562
7	एस.टी. जनसंख्या	संख्या	100675
8	शहरी परिवारों में कच्ची बस्तियों के परिवारों का प्रतिशत	प्रतिशत	16.12
9	शहरी जनसंख्या में कच्ची बस्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत	16.21
10	साक्षरता दर	प्रतिशत	69.79
11	लिंगानुपात	प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या	917
12	बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	प्रति हजार लडक़ो पर लड़कियों की संख्या	897

सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित और समन्वित तरीके से शहरी आबादी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य में विकास प्राधिकरणों, शहरी न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर नियोजन कार्यालय, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आदि का गठन किया गया। राज्य में सात विकास प्राधिकरण (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर), 12 शहरी न्यास (अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, श्रीगंगानगर, सीकर, बालोतरा, दौसा–बांदीकुई और सवाई माधोपुर) राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागरिकों की सुविधाओं व शहरी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कार्यरत है।

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और राजस्थान के विकास प्राधिकरण शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। जयपुर मेट्रो का चरणबद्ध विस्तार, जिसमें कुल ₹18,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है, जो शहरी यातायात को बेहतर बनाने पर राज्य के ध्यान को दर्शाता है, जिसमें एशियाई विकास बैंक से ₹810 करोड़ का वित्तपोषण प्राप्त 1बी जैसे उल्लेखनीय चरण शामिल है। साथ ही, जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक ₹978.52 करोड़

का पूंजीगत व्यय कर सड़क नेटवर्क, फ्लाईओवर और आवासीय परियोजनाओं जैसी पहल की हैं। ये संयुक्त प्रयास सम्पूर्ण राजस्थान में शहरी कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका 11.3 : जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का चरणबद्व विस्तार

चरण	विवरण	लागत	वित्तपोषण
चरण–1ए (मानसरोवर से चांदपोल तक)	संचालन 3 जून, 2015 से	₹2023 करोड़	पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित।
चरण–1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड़)	संचालन 23 सितम्बर, 2020 से लंबाई– 2.01 किलोमीटर निर्माण के दौरान शहर की विरासत को संरक्षित रखते हुये कार्य किया गया।	₹1126 करोड़	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ₹810 करोड़ का ऋण, शेष राजस्थान सरकार द्वारा।
चरण–1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है।	₹1511.07 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.एम.आर.सी) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)
चरण–1डी (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है। परियोजना कार्यान्वयन हेतु कार्य प्रगति पर है।	₹222.15 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.एम.आर.सी) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)
चरण–2 (प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़)	राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, जयपुर मेट्रो ने यातायात एवं परिवहन परामर्शदाता के रूप में मैसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया है। फेज–2 (प्रहलादपुरा/ सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र/हल्दीघाटी मार्ग/ हवाई अड्डा/अंबाबाड़ी/ विद्याधर नगर/टोड़ीं मोड़) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है।	₹13532.92 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.एम.आर.सी) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पॉलिसी–2025

राजस्थान टीओडी नीति–2025 को शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा 10 दिसम्बर, 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन योजना के एकीकरण के माध्यम से सतत एवं सघन शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति का उदेश्य ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, शहरी विस्तार तथा निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना तथा आवागमन सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाना हैं।

- टीओडी क्षेत्र को मेट्रो जैसे जन परिवहन स्टेशनों/कॉरिडोरों के चारों ओर 500–800 मीटर की परिधि में चिन्हित एवं अधिसूचित किया जाता है।
- पैदल आवामगमन को प्रोत्साहन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, गैर–मोटर चालित परिवहन तथा अंतिम छोर तक संपर्क पर विशेष बल जाता गया है।

- टीओडी क्षेत्रों में अवसंरचना क्षमता और नियोजन मानकों के अधीन उच्च अनुमेय निर्मित क्षेत्र अनुपात (बी.ए.आर.) की अनुमति दी जाती है।
- टीओडी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता अवसंरचना वृद्धि शुल्क तथा मूल्य अधिग्रहण वित्त व्यवस्था से प्रदान की जाती है।

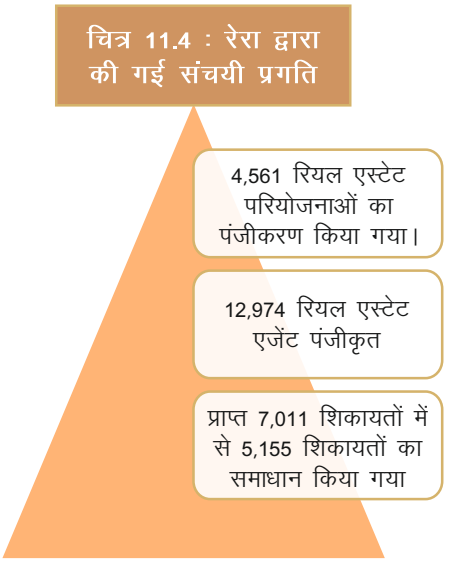
तलिका 11.4 : शहरी विकास प्राधिकरण

विकास प्राधिकारण	विवरण	वित्तीय स्थिति, दिसम्बर 2025 तक (राशि ₹करोड़ में)	
		कुल प्राप्तियां	कुल व्यय
जयपुर विकास प्राधिकरण	रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं और आवासीय योजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी।	2371.87	1248.32
जोधपुर विकास प्राधिकरण	सड़कों/फ्लाईओवरों, पुलों, विद्युतीकरण, सीवरेज, पार्कों तथा नवीन निर्माण परियोजनाओं पर केन्द्रित दृष्टिकोण।	521.78	183.21
अजमेर विकास प्राधिकरण	सौंदर्यीकरण, विद्युत, जलापूर्ति, सड़क, खेल मैदानों, सीवरेज के रखरखाव और स्मार्ट सिटी विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण।	363.02	158.81
कोटा विकास प्राधिकरण	विकास और बुनियादी ढ़ांचे की परियोजनाओं पर केंद्रित दृष्टिकोण।	1059.49	498.18
उदयपुर विकास प्राधिकरण	सड़क नेटवर्क, फ्लाईओवर, पुल, विद्युतीकरण, पार्क और अन्य विकास परियोजनाओं पर केंद्रित दृष्टिकोण।	473.89	212.02
बीकानेर विकास प्राधिकरण,	विकास और बुनियादी ढ़ांचे की परियोजनाओं पर केंद्रित दृष्टिकोण।	369.01	81.24
भरतपुर विकास प्राधिकरण,	विकास और बुनियादी ढ़ांचे की परियोजनाओं पर केंद्रित दृष्टिकोण।	82.48	68.72

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (रेरा): आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, प्रभावी और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) और रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया।

रेरा का वेब पोर्टल rera.rajasthan.gov.in. है। परियोजनाओं और एजेंटों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन और सभी शिकायतें इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरी जाती हैं। दिसम्बर, 2025 तक रेरा द्वारा की गई संचयी प्रगति चित्र 11.4 में दी गई है।

चित्र 11.4 : रेरा द्वारा की गई संचयी प्रगति



राजस्थान टाउनशिप नीति–2024

राजस्थान टाउनशिप नीति, 2024 को राजस्थान में संतुलित शहरी विस्तार, बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 17 जुलाई, 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति के माध्यम से आवास, अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधाओं के साथ बड़े स्तर की आत्मनिर्भर टाउनशिपों को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है।

- यह नीति परिधीय एवं नए विकास क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित कर मौजूदा शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करने का प्रयास करती है।
- निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में आसान नियोजन नियम, भू–उपयोग में लचीलापन और उत्तम विकास मानक निर्धारित किए गए हैं।
- इस नीति में सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, विद्युत, खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं सहित एकीकृत अवसंरचना पर विशेष जोर दिया गया है।
- नीति में टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत मिश्रित भूमि उपयोग, सस्ती आवासीय योजना और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किये गये हैं।

आवास

राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में आवासीय आवश्यकताओं का समाधान करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रभावी उपाय सुझाना था। वर्ष 2025–26 के लिए राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियों का विवरण तालिका 11.5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 11.5 : वर्ष 2025–26 में राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियां (दिसम्बर, 2025 तक)

क्र.सं.	कार्य	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	नये आवासों का निर्माण प्रारम्भ करना	संख्या	4269	1557
2.	आवास निर्माण पूर्ण किया गया	संख्या	3467	269
3.	आवासों का आंवटन	संख्या	3699	377
4.	आवासों का कब्जा दिया जाना	संख्या	5527	2212
5.	निर्माण कार्यो पर व्यय	₹करोड़	961.63	300
6.	प्राप्तियां	₹करोड़	652.94	847.70

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रमुख पहल

वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) के दौरान, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा 12 मई 2025 को पाँच आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 427 मकानों/फ्लैटों हेतु पंजीकरण योजना प्रारंभ की गई, 20 अगस्त 2025 को सात आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 667 मकानों/फ्लैटों के लिए एक अन्य पंजीकरण योजना तथा दिसंबर 2025 में तीन आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 274 मकानों/फ्लैटों हेतु पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई।

तालिका 11.6 : जिलेवार चालू परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	जिलें	पहल/परियोजनाएं
1	जयपुर	• प्रताप नगर में ग्रीनवुड होराईजन योजना के अंतर्गत 336 फ्लैटों का निर्माण ₹300 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। • प्रताप नगर में गंगा अपार्टमेंट योजना के अंतर्गत 80 फ्लैटों का निर्माण ₹25 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

क्र.सं.	जिला	पहल / परियोजनाएं
		• मानसरोवर आवासीय योजना के अंतर्गत 160 फ्लेट्स का निर्माण ₹35 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत प्रताप नगर में 856 आर्थिक कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा 730 निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) (जी+12) फ्लेट्स का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं। • ए.आई.एस रेजीडेंसी फेज–2 योजना के अंतर्गत सेक्टर–19, प्रताप नगर में 114 ई.डब्ल्यू.एस. (2बी+जी+12) फ्लेट्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं अतिरिक्त विकास कार्य प्रगति पर है। • एसएस रेजीडेंसी परियोजना के अंतर्गत सेक्टर–19, प्रताप नगर में उच्च आय वर्ग (एच.आई.जी.) हेतु 175 (2बी+जी+12) फ्लेट्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं अतिरिक्त विकास कार्य प्रगति पर है। • माही अपार्टमेंट योजना के अंतर्गत सेक्टर–23, प्रताप नगर में 225 मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.–बी) (बी.एस–9) फ्लेट्स का निर्माण प्रगतिरत है। • सेक्टर–22, प्रताप नगर, जयपुर में समृद्धि अपार्टमेंट परियोजना के अंतर्गत 159 एम.आई.जी–ए फ्लेट्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं अतिरिक्त विकास कार्य प्रगति पर है। • सेक्टर–26 प्रताप नगर में 126 एमएनआईटी फैकल्टी फ्लेट्स, महला आवासीय योजना में 365 मकानों तथा सेक्टर–28, प्रताप नगर में 164 विला एवं 132 शॉपिंग आर्केड का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
2	उदयपुर	• पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना के अंतर्गत 200 फ्लेट्स का निर्माण ₹20 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। • अटल नगर, भिंडर में 12 एम.आई.जी–बी फ्लेट्स तथा साउथ एक्सटेंशन में 56 (जी+3) निम्न आय वर्ग फ्लेट्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। • हिरण मगरी योजना के अंतर्गत 24 एम.आई.जी–एस+6 फ्लेट्स का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
3	अजमेर	• किशनगढ़ के खोड़ा गणेश रोड आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्गों के लिए 94 मकानों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
4.	बूंदी	• लाखेरी आवासीय योजना के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों के लिए 195 मकानों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
5.	धौलपुर	• धौलपुर में बड़ी रोड आवास योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 31 मकानों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है
6.	जोधपुर	• बदली आवासीय योजना सेक्टर–5 एवं 6, जोधपुर के अंतर्गत ई.डब्लू.एस. हेतु 294, निम्न आय वर्ग हेतु 329, मध्यम आय वर्ग–बी हेतु 53 तथा उच्च आय वर्ग हेतु 41 स्वतंत्र मकानों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
7.	सिरोही (आबू रोड)	• ई.डब्लू.एस. के 118, एल.आई.जी. के 49, एम.आई.जी.–ए के 26, एम.आई.जी.–बी के 25 तथा एच.आई.जी. के 31 मकानों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
8.	हनुमानगढ़	• डीटीओ कार्यालय के निकट 108 निम्न आय वर्ग फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
9.	भीलवाड़ा	• शाहपुरा, भीलवाड़ा जिलें में 49 ई.डब्ल्यू.एस., 18 एल.आई.जी., 09 एम.आई.जी.–ए एवं 07 एम.आई.जी.–बी स्वतंत्र मकानों का निर्माण एवं अतिरिक्त विकास कार्य प्रगतिरत है। • पटेल नगर विस्तार योजना के अंतर्गत 42 एम.आई.जी.–ए, 52 एम.आई.जी.–बी एवं 08 एच.आई.जी. के मकानों का निर्माण एवं अतिरिक्त विकास कार्य प्रगतिरत है। • बड़ी सादड़ी योजना के अंतर्गत 28 ई.डब्ल्यू.एस, 06 एल.आई.जी., 24 एम.आई.जी.–ए, 24 एम.आई.जी.–बी तथा 14 एच.आई.जी. के स्वतंत्र मकानों का निर्माण एवं अतिरिक्त विकास कार्य प्रगतिरत है।

नगर नियोजन के माध्यम से हमारे शहरों के भविष्य को सृजित करना

नगर नियोजन विभाग का मुख्य उद्देश्य शहरों के भौतिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें मास्टर प्लान, जोनल और सेक्टर प्लान जैसी योजनाओं की तैयारी के साथ–साथ विभिन्न सरकारी संस्थानों, स्थानीय निकायों और अन्य एजेंसियों को तकनीकी सलाह प्रदान करता है। साथ ही, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण और उनकी नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। राजस्थान में नगर नियोजन का उद्देश्य तेजी से हो रहे शहरीकरण का प्रबंधन करते हुए सतत् विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार करना है। राज्य के व्यापक मास्टर प्लान के माध्यम से शहरी विकास को दिशा प्रदान करता है, जिसमें क्षेत्रीकरण, बुनियादी ढाँचे के विकास, परिवहन और हरित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

प्रमुख पहलों में किफायती आवास योजनाएँ, बुनियादी ढाँचा उन्नयन और स्मार्ट सिटीज मिशन शामिल हैं, जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरी जीवन को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से आवास और वाणिज्यिक आवश्कताओं को पूरा किया जा रहा है। पर्यटन ने भी नगर नियोजन को प्रभावित किया है, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों, जहाँ विरासत संरक्षण एवं पर्यटन हेतु आधारभूत अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई है।

राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2025

भूमि आवंटन नीति 2025 में सामाजिक, सार्वजनिक, धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्टों, सरकारी विभागों, उपक्रमों एवं निकायों, समाचार पत्रों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान शामिल है। यह नीति राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 तथा राजस्थान नगरपालिकाएं (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटन के लिए लागू की गई हैं। इस नीति के प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर भी लागू होंगे, किंतु जिन मामलों का निस्तारण पहले ही किया जा चुका है, उन पर यह नीति लागू नहीं होगी। यह नीति राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों तथा राजस्थान आवास मंडल पर भी लागू होगी।

मास्टर प्लानः किसी भी शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान लगभग 20 वर्षों की अवधि में एक स्पष्ट दृष्टिकोण और कानूनी ढांचा प्रदान करता है। राजस्थान के 309 नगरपालिका शहरों में से 194 के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा चुके हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। जयपुर के मास्टर डेवलपमेंट प्लान–2025 में चौंमू, बगरू और बस्सी जैसे नए शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। टपूकड़ा और कोटकासिम को ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है, जबकि नीमराना और बर्डोद, शाहजहाँपुर–नीमराना–भिवाड़ी (एस.एन.बी) मास्टर प्लान के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, बोरावड़ का शहरी क्षेत्र मकराना मास्टर प्लान में शामिल है। वर्ष 2023 से 2025 की अवधि में राज्य में 79 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया, जिनके मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः

- एनसीआर सेल द्वारा भरतपुर जिले के रूपवास नगर हेतु ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2041 निर्माण किया गया।
- खैरथल तिजारा जिले के खैरथल नगर हेतु ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2041 को एनसीआर सेल द्वारा अधिसूचित किया गया। इसके पश्चात खैरथल के लिए संशोधित मास्टर प्लान–2047 का प्रस्ताव भी राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
- **एनसीआर क्षेत्र में एन.सी.आर.पी.बी. से ऋण सहायता से संबंधित उपलब्धियाँः** एन.सी.आर.पी.बी., नई दिल्ली के साथ समन्वय के माध्यम से एनसीआर सेल द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा हेतु ₹1,061 करोड़ तथा भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर हेतु ₹470 करोड़ की ऋण सहायता की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

राजस्थान उप–क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.), नई दिल्ली से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिसका विवरण तालिका 11.7 में दिया गया है।

तालिका 11.7 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.), नई दिल्ली से वित्तीय सहायता (दिसम्बर, 2025 तक)

क्रं. सं.	जिला/स्थान	परियोजना विवरण	ऋण राशि (₹करोड़)
1	अलवर (करौली), भरतपुर (सीकरी)	सब स्टेशन का निर्माण कार्य	31.58
2	अलवर (करौली)	220/132 केवी एव 132/33 जीएसएस लाइन के निर्माण व विधुत लाईनों के अपग्रेडेशन हेतु	62.64
3	भरतपुर (बरखेड़ा)	132/133 केवी, 1X31.5 एमवीए जीएसएस के निर्माण एवं विधुत लाईनों के अपग्रेडेशन हेतु	23.66
4	भरतपुर (सीकरी)	220/132 केवी जीएसएस के निर्माण एवं ट्रासमिशन लाईनों हेतु	116.92
5	भरतपुर (फूलवारा)	132/133 केवी, 1X31.5 एमवीए जीएसएस व ट्रासमिशन लाईनों हेतु	22.13
6	भरतपुर (चिखरु बयाना)	132/33 जीएसएस के निर्माण एवं विधुत लाईनों के अपग्रेडेशन हेतु	21.43
7	जयपुर (एस.एम.एस अस्पताल)	132/33 केवी, 2X50 एमवीए जीएसएस सबस्टेशन का निर्माण	85.76
8	जयपुर (एसएमएस स्टेडियम, मानसरोवर–सांगानेर ओवरहेड लाइन)	132 केवी का रूपांतरण, डीसी और संबंधित कार्य।	114.51

प्रभावी शहरी शासन और नीति कार्यान्वयन

प्रभावी शहरी प्रशासन और नीति कार्यान्वयन सतत् शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करते हैं और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य वर्तमान में निम्नलिखित पहले लागू कर रहा है:–

चित्र 11.5



दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी):

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) का पायलट योजना को जून, 2025 से जयपुर नगर निगम में पायलट शहर के रूप में प्रारंभ किया गया।

इस योजना के अंतर्गत संवेदनशील व्यवसायिक समूहों (वी.ओ.जी) से संबंधित श्रमिकों जैसे भवन निर्माण श्रमिक, परिवहन श्रमिक, ठेला/रेहड़ी चालक, कचरा संग्रहणकर्ता, अपशिष्ट चुनने वाले (वेस्ट पिकर्स) तथा घरेलू कामगारों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना के प्रमुख घटक एवं उनके लाभ निम्नानुसार हैं:

- समुदाय–आधारित संस्थागत विकास (सी.एल.आई.डी)
- वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास (एफ.आई.ई.डी)
- सामाजिक अवसंरचना
- अभिसरण

योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2025 तक भारत सरकार से ₹3 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी.एम. स्वनिधि 2.0:

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना का पुनर्गठन किया गया तथा इसकी अवधि मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। पी.एम. स्वनिधि 2.0 का उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से तथा केंद्र सरकार की नौ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर स्ट्रीट वेंडर्स एवं उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

पी.एम. स्वनिधि 2.0 के अंतर्गत नई व्यवस्थाएँ :

- तीन ऋण श्रेणियाँ ₹15,000, ₹25,000 एवं ₹50,000 निर्धारित की गई हैं
- प्रत्येक ऋण श्रेणी पर केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- डिजिटल लेन–देन करने वाले लाभार्थियों को ₹1,200 तक कैशबैक की सुविधा दी जाएगी।
- ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेन–देन पर अतिरिक्त ₹400 का कैशबैक प्रदान किया जाएगा।

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रत्येक पाँच वर्ष में वेंडर्स की पहचान की जाएगी तथा उन्हें वेंडर पहचान पत्र अथवा प्रमाण–पत्र जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी.एम. स्वनिधि के अन्तर्गत प्रगति तालिका 11.8 में दी गई हैं।

तालिका 11.8 : प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी.एम. स्वनिधि के अन्तर्गत प्रगति दिसम्बर, 2025 तक

ऋण के प्रकार	लक्ष्य	आवेदन	आवेदनों की स्वीकृति	ऋण वितरण	ऋण वितरण की राशि ₹करोड़
प्रथम श्रेणी ₹15000	476201	253659	206245	201980	206.14
द्वितीय श्रेणी ₹25000	238101	94425	60088	57858	118.45
तृतीय श्रेणी ₹50000	71482	24244	8668	8045	38.66
कुल	785784	372328	275001	267883	363.25

राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)

इस योजना के तहत झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों को पक्का मकान प्रदान किए गए हैं। साथ ही पेय जलापूर्ति, सड़कें और अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसी बुनियादी अवसंरचना भी उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के अंतर्गत 16 शहरों में 19 परियोजनाओं के लिए कुल ₹903.15 करोड़ की लागत से 16,132 आवासीय इकाइयों (डवेलिंग यूनिट्स) का निर्माण किया जाना था। स्वीकृत 16,132 आवासीय इकाइयों में से 7,416 इकाईयां व्यवहार्य नही पाये जाने के कारण केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सी.एस.एम.सी) की बैठक में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई। दिसम्बर, 2025 तक शुद्व रूप से स्वीकृत आवासीय इकाइयों की संख्या 8,716 हैं, जिनमें से 7,065 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड– द्वितीय (आर.यू.डी.एफ.II)

राजस्थान शहरी विकास निधि–द्वितीय का गठन 25 अगस्त, 2021 को आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको), वित्तीय संस्थानों, बैंक से ऋण प्राप्त करने, राज्य सरकार से विशेष/अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के प्रावधान के साथ किया गया है। सभी यू.एल.बी विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार ट्रस्ट और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी इस फडं में योगदान देगें।

सात सीवरेज परियोजनाएं

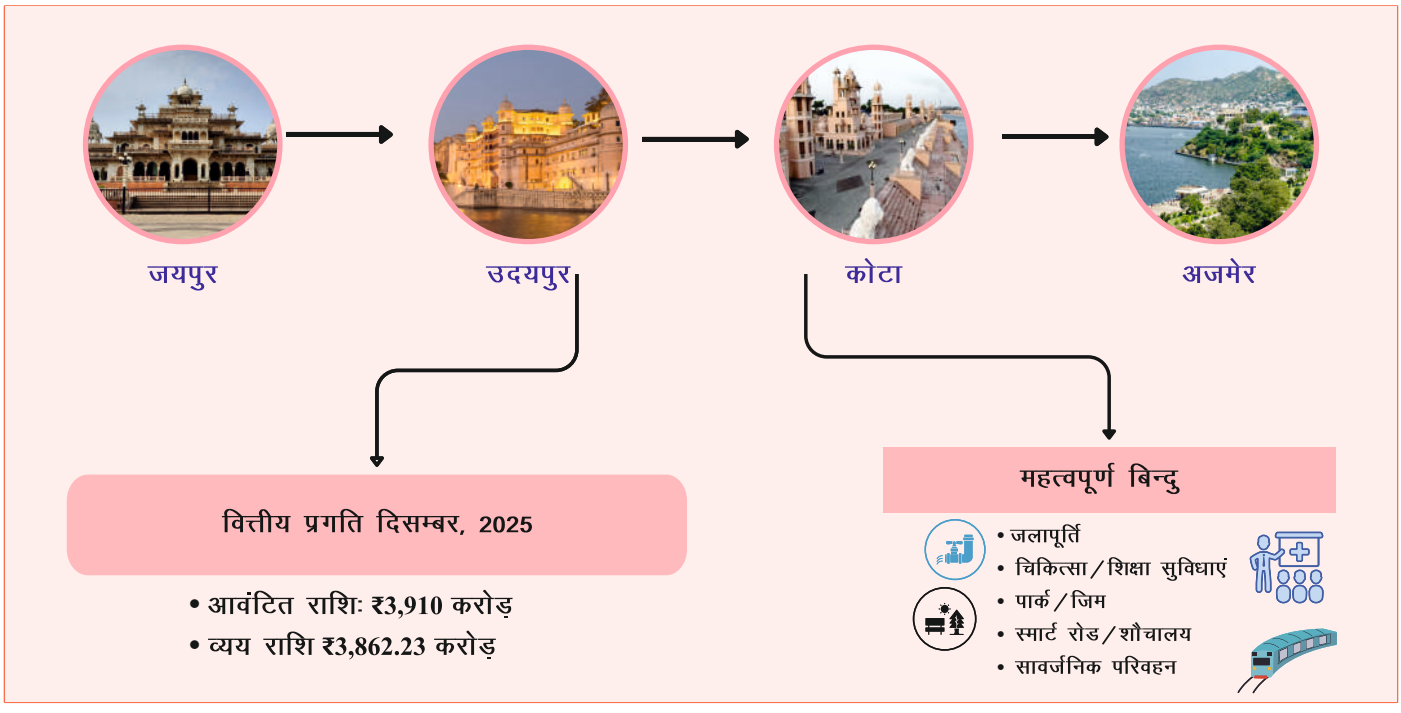
राजस्थान सरकार द्वारा 7 शहरों (बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना) में सीवरलाईन डालने एवं ट्रीटमेन्ट प्लांट कार्य हेतु ₹472.44 करोड़ की राशि स्वीकृत दी गई है, जिसके विरूद्ध ₹466.41 करोड़ राशि का व्यय किया जा चुका है।

स्मार्ट सिटीज मिशन

जून, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों का विकास करना है, जो बुनियादी ढांचे की सुविधा, निवासियों को उच्च जीवन गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और शहरी विकास के लिए स्मार्ट समाधान का उपयोग प्रदान करें। इस मिशन का लक्ष्य 100 शहरों को विकसित करना था, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर ₹100 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्य/यू.एल.बी के द्वारा समान योगदान किया जाता है।

राजस्थान में, चार शहरों– जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए चुना गया है। दिसम्बर, 2025 तक, इस योजना के तहत कुल राशि ₹3,862.23 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जबकि प्राप्त राशि ₹3,910 करोड़ थी। मिशन के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं में जल आपूर्ति प्रणाली, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं का विकास, पार्कों का विकास, ऑपन एयर जिम, अग्निशमन साधन की खरीद, स्मार्ट सडको एवं शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का सवंर्धन और पार्किग के बुनियादी ढाचें का विकास शामिल है। वित्त की उपलब्धता और व्यय का विवरण तालिका 11.9 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 11.6 : स्मार्ट सिटीज मिशन



तालिका 11.9 : वित्त की उपलब्धता और व्यय का विवरण (₹करोड़) दिसम्बर 2025 तक

शहर	कुल अंश					उपलब्ध राशि					व्यय
	केन्द्र सरकार (50 प्रतिशत)	राज्य सरकार (30 प्रतिशत)	सम्बंधित स्थानीय (निकाय 10 प्रतिशत)	सम्बंधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण (10 प्रतिशत)	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	सम्बंधित स्थानीय निकाय	सम्बंधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण	कुल	
जयपुर	500	300	100	100	1000	490	300	80	100	990	978.01
उदयपुर	500	300	100	100	1000	490	300	100	100	970	929.54
अजमेर	500	300	100	100	1000	490	300	90	100	970	965.9
कोटा	500	300	100	100	1000	490	300	90	90	980	988.78
कुल	2000	1200	400	400	4000	1960	1200	360	390	3910	3862.23

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0)

इस मिशन के अंतर्गत सीवरेज, जल निकायों के पुनर्जीवन तथा जलापूर्ति से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाना है, जिसके लिए ₹3,552 करोड़ की केंद्रीय सहायता निर्धारित है।

31 नगरीय स्थानीय निकायों (यू.एल.बी) में 43 सीवरेज परियोजनाओं को ₹5,673.71 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से ₹4,497.55 करोड़ की 37 सीवरेज परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, ₹212.13 करोड़ की 5 परियोजनाओं को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एपेक्स समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। नगर निगम जयपुर द्वारा ₹600 करोड़ की 1 सीवरेज परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। दिसम्बर, 2025 तक ₹2,250.12 करोड़ के कार्य निष्पादित किए जा चुके हैं। इन कार्यों के अंतर्गत 4.87 लाख घरों को सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराकर लगभग 24.35 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।

जल निकायों एवं पार्कों के पुनर्जीवन से संबंधित 131 परियोजनाओं को ₹494.13 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से ₹330.92 करोड़ की 95 परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए

चित्र 11.7 : प्रभावी शहरी शासन और नीति कार्यान्वयन



जा चुके हैं तथा 23 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नव–स्वीकृत 36 कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। दिसम्बर, 2025 तक ₹141.35 करोड़ के कार्य निष्पादित किए जा चुके हैं।

178 यू.एल.बी में ₹5,099.47 करोड़ की लागत से जलापूर्ति कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अमृत 2.0 के अंतर्गत जलापूर्ति कार्यों की निष्पादन एजेंसी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है। अब तक 176 कार्यो के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर) स्वीकृत की जा चुकी हैं। पी.एच.ई.डी द्वारा ₹1,174.45 करोड़ की लागत वाले 104 कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं। शेष कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया एवं कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया पी.एच.ई.डी स्तर पर प्रगति पर है।

दिसम्बर, 2025 तक भारत सरकार से ₹695.45 करोड़ की हिस्सेदारी प्राप्त हो चुकी है, जिसे संबंधित यू.एल.बी को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत भौतिक कार्यो की प्रगति 43 प्रतिशत है तथा दिसम्बर, 2025 तक ₹2,436.57 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है, जो व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आई.एच.एच.एल), सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी), मूत्रालयों का निर्माण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 3.68 लाख आई.एच.एच.एल और सीटी/पीटी में 22,547 सीटों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्थान में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया गया है और इसे भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है।

मिशन के तहत, कुल ₹925.95 करोड़ (केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी ₹611.34 करोड. एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी ₹314.61 करोड़) की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को वितरित की गई हैं और तदनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को अक्टूबर 2021 में पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया। इसके प्रमुख घटकों में शौचालय निर्माण आई.एच.एच.एल., सीटी/पीटी, मूत्रालय, ठोस अपशिष्ट प्रबधंन, उपयोग किए गए जल प्रबधंन और सूचना, शिक्षा, सचांर और क्षमता निर्माण (आई.ई.सी. और सी.बी.) शामिल है।

मिशन के तहत राजस्थान के लिए कुल आवंटन ₹1,765.80 करोड़ है। दिसम्बर, 2025 तक भारत सरकार से ₹319.28 करोड़ प्राप्त हुए हैं, साथ ही राज्य का हिस्सा ₹212.85 करोड़ भी प्रदान किया गया है। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस.एल.टी.सी.) द्वारा ₹3,799.20 करोड़ की एक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। एस.बी.एम. (शहरी) 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹1,724.12 करोड़ उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना

प्रदेश में 'लक्ष्य अंत्योदय–प्रण अंत्योदय–पथ अंत्योदय' की संकल्पना को साकार कर रही सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में 230 नगरीय निकायों में 992 रसोईयों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष ₹250 करोड़ व्यय कर प्रतिवर्ष 9.16 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, नवगठित 79 नगरीय निकायों में प्रत्येक में एक–एक अन्नपूर्णा रसोई के संचालन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। इस प्रकार राज्य में कुल 1,071 श्री अन्नपूर्णा रसोईयों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

इस पहल के तहत स्थायी रसोई में आम जनता को ₹8 प्रति प्लेट की रियायती लागत पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं। जिसमें राज्य सरकार ₹22 प्रति प्लेट का अनुदान देती है। दिसम्बर, 2025 तक 10.92 करोड़ भोजन थालियाँ परोसी जा चुकी हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0

आवास योजना का उद्देश्य बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹3 लाख तक) तथा निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच) के व्यक्तियों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए कुल 2,77,908 आवासों को स्वीकृति दी गई है। दिसम्बर, 2025 तक इसमें ''साझेदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.)''घटक के तहत 27,396 घर, ''लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी.एल.सी.)'' घटक के तहत 1,02,150 घर और ''ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना (सी.एल.एस.एस.)'' घटक के तहत 1,48,362 घर शामिल हैं। ये सभी आवास संबंधित विकास प्राधिकरणों, विकास ट्रस्टों, नगर निकायों और आवास बोर्डों द्वारा निजी भूमि पर ऋण में अनुदान घटक के तहत स्वीकृत किए गए हैं।

समग्र रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 2,77,908 आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 2,38,942 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। जबकि 32,726 मकान निर्माणाधीन हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का उद्देश्य 2029 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹3 लाख तक) तथा निम्न आय वर्ग (₹3 लाख से ₹6 लाख तक) के परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण (बी.एल.सी.) घटक के तहत 48,619 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जबकि ब्याज सब्सिडी योजना (आई.एस.एस.) के अंतर्गत 6,619 आवासों को मंजूरी प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 55,238 आवासों को स्वीकृति दी गई हैं।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि

राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन किया गया था। उक्त निधि में उपलब्ध कुल राशि का उपयोग यातायात प्रबंधन से जुडे विभाग/निकाय/ कंपनी एवं निगमों को अनुदान एवं ऋण राशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु किया जा रहा है। उक्त निधि में वर्ष 2011–12 से 2025–26 (सितम्बर, 2025 तक) कुल ₹8,974.6 करोड़ की राशि संग्रहित की गई है, जिसमें से दिसम्बर, 2025 तक ₹6,272.04 करोड़ व्यय किए जा चुके है।

रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज

वर्तमान में, 9 रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) और रोड अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत ₹314.81 करोड़ है, जिसमें राज्य का योगदान ₹176.95 करोड़ और रेलवे का योगदान ₹137.86 करोड़ है। पिछले 10 वर्षों में, राज्य सरकार ने 56 आरओबी/आरयूबी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 47 परियोजनाएं दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के सदस्यों के लिए 125 दिन का अकुशल श्रम रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। परिवार जन आधार आईडी का उपयोग करके निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक 7.05 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है एवं 1.79 लाख परिवारों को काम आवंटित किया गया है। दिसम्बर, 2025 तक 7,010 कार्यो को मंजूरी दी गई है, जिसमें ₹125.72 करोड़ का व्यय किया गया है और 111.24 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है। इस योजना में 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी मजदूर महिलाएं हैं, जो योजना के महिला सशक्तिकरण के प्रभाव को दर्शाता हैं।

राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) चरण–III

पाली, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और टोंक (सीवरेज और जलापूर्ति) के साथ–साथ भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, झालावाड़–पाटन, कोटा (सीवरेज) और बांसवाड़ा (ड्रेनेज) में कुल 12 शहरों में ₹4017.56 करोड़ की परियोजनाएँ चल रही हैं। इनमें पाली, टोंक और झुंझुनू में सीवरेज और जलापूर्ति के कार्य, भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर और माउंट आबू में सीवरेज के कार्य और बांसवाड़ा में ड्रेनेज के कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिये गये हैं। श्रीगंगानगर में सीवरेज और जलापूर्ति के कार्य जल्द पूर्ण होनें की संभावना है। दिसम्बर, 2025 तक, इन परियोजनाओं पर ₹3,853.42 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। फेज–III के इन कार्यों से लगभग 18 लाख लोगो को लाभ मिलेगा।

आर.यू.आई.डी.पी. चरण IV ट्रेंच–I

कुल ₹3,076.63 करोड़ की लागत से 14 शहरों में विभिन्न कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनमें सिरोही, आबू रोड, सरदारशहर, बांसवाड़ा, खेतड़ी, मंडावा और कुचामन में सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रतनगढ़, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लाडनू, डीडवाना और मकराना में सीवरेज कार्य किए जा रहे हैं, जबकि लक्ष्मणगढ़ में जल आपूर्ति कार्य का संचालन किया जा रहा है। साथ ही, 12 शहरों बांदीकुई, नीम का थाना, जोबनेर, बारी, डीग, भवानी मंडी, शाहपुरा (भीलवाड़ा), तिजारा, भिंडर, कानोड़, गंगापुर (भीलवाड़ा), दौसा और सूरतगढ़–पीलीबंगा में ₹45.65 करोड़ की लागत से मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) के कार्य जारी हैं। लक्ष्मणगढ़ में जल आपूर्ति, फतेहपुर, मकराना, प्रतापगढ़ में सीवरेज और मंडावा तथा बासवाडा में सीवरेज एवं जलापूर्ति कार्य एवं नीम का थाना ,दौसा, जोबनेर तथा बांदीकुई में एफ.एस.एस.एम के कार्य पूर्ण किये जा चुके है। दिसम्बर 2025 तक, इस परियोजना पर कुल ₹2,342.66 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

आर.यू.आई.डी.पी. चरण IV ट्रेंच– II

एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) द्वारा वित्तपोषित आर.यू.आई.डी.पी. चरण IV के दूसरे चरण के अंतर्गत, 16 शहरों में बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए लगभग ₹2,450 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना में सीवरेज, जलापूर्ति, शहरी सौंदर्यीकरण और मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसमें से ₹2,028.05 करोड़ के कार्यों को आवंटित किया जा चुका है और वर्तमान में ये कार्य प्रगतिरत् हैं। इनमें नोखा, बूंदी, डूंगरपुर, बालोतरा और सागवाड़ा में सीवरेज और जलापूर्ति के कार्य, जोधपुर, भरतपुर और बाड़मेर में सीवरेज के कार्य, निम्बाहेड़ा और नाथद्वारा में जलापूर्ति के कार्य जोधपुर, नवलगढ़, रतनगढ़, बूंदी और भवानीमंडी में जल निकासी के कार्य और नवलगढ़, पुष्कर, सागवाड़ा और जैसलमेर में शहरी सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट शामिल हैं। भरतपुर में शहरी सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका हैं।

बूंदी और नाथद्वारा जैसे शहरों में ₹31.09 करोड़ की लागत से शहर सौंदर्यीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन हैं। दिसम्बर, 2025 तक, इस परियोजना पर कुल ₹1081.27 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। परियोजना वर्ष 2027–28 तक पूरी होने की संभावना है। चरण–4 के इन कार्यों से लगभग 49 लाख लोगो को लाभ मिलेगा।

12 प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं

प्रभावी शासन एवं प्रौद्योगिकी–आधारित सार्वजनिक सेवा प्रदायगी समावेशी विकास, सामाजिक न्याय एवं सतत् विकास की प्राप्ति के आधारभूत स्तम्भ हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, शासन प्रशासनिक नियंत्रण तक ही सीमित नहीं है; इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्वता, प्रौद्योगिकीय एकीकरण एवं नागरिक सहभागिता भी सम्मिलित है। इसे ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने विजन 2047 की प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक विकास आवश्यकताओं के अनुरूप शासन प्रणालियों को सुदृढ़ करने, सेवा प्रदायगी तंत्र में सुधार तथा संस्थागत दक्षता में वृद्धि के लिए एक व्यापक एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है।

राजस्थान के शासन सुधारों की एक प्रमुख विशेषता डिजिटल प्लेटफॉर्मों एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स तथा ब्लॉकचेन का व्यापक उपयोग है। 'स्मार्ट' (सर्विस मैनेजमेन्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल–टाइम सिस्टम) जैसी पहल का लक्ष्य सामाजिक लाभ पारिस्थितिकी तंत्र को रूपांतरित करना है, जिसमें पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान, निर्बाध सेवा प्रदायगी एवं डेटा–आधारित नीतिगत सुधार सम्मिलित हैं। इसी प्रकार, जन आधार एक एकीकृत परिवार–आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली स्थापित कर शासन सुधारों का एक मजबूत आधार बनकर उभरा है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) को सशक्त बनाता है, साथ ही दोहराव को समाप्त करता है एवं महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।

नागरिक सेवाओं के अतिरिक्त, राजस्थान ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रबंधन एवं क्षेत्र–विशिष्ट शासन में भी महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं। राजएसएसओ, राज ई–वॉल्ट, राज–काज, आईएफएमएस 3.0 एवं जीआईएस–आधारित निर्णयन प्रणालियों जैसे एकीकृत प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आन्तरिक राजकीय कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं डेटा–आधारित निर्णयन को सम्भव बनाया है। कृषि, सहकारिता, मत्स्य, नगरीय स्थानीय निकायों एवं स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में की गई पहल समावेशी तथा प्रौद्योगिकी–आधारित शासन व्यवस्था के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही उक्त पहल प्रभावी शासन के समग्र ढांचे को प्रदर्शित करती है, जो राजस्थान को प्रशासनिक नवाचार, पारदर्शिता एवं नागरिक–केंद्रित सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करती है।

विजन स्टेटमेन्ट–विकसित राजस्थान@2047

2047 तक, राजस्थान कुशल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी–संचालित शासन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन और डाटा विश्लेषण कानून प्रवर्तन, न्यायिक दक्षता और भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे। स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

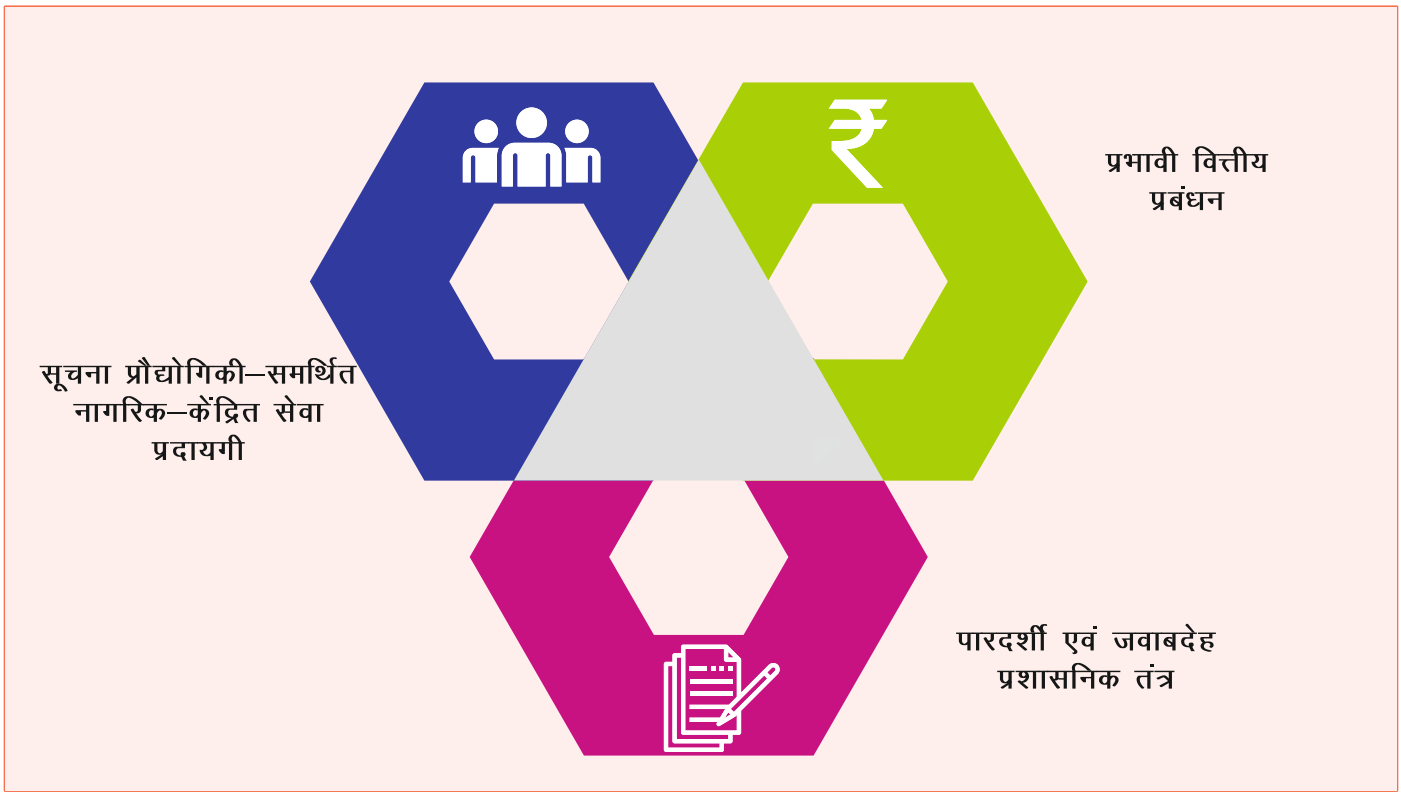
एक दक्ष, विशेषरूप से तकनीक–प्रवीण प्रशिक्षित कार्यबल साइबर अपराध से निपटने के लिए समावेशी विकास, सतत् विकास और नागरिक–केंद्रित सेवा प्रदायगी को प्रोत्साहित करेगा, जिससे राजस्थान नवाचारपूर्ण, उत्तरदायी और जवाबदेह शासन का एक आदर्श बनेगा।

चित्र 12.1 : प्रमुख क्षेत्र

- भविष्य–उन्मुख राजस्थान के लिए अवसंरचना विकास
- डिजिटल शासन एवं जनसुलभता
- न्यायिक एवं विधिक प्रणाली आधुनिकीकरण
- भूमि एवं संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता
- सतत् भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय मॉनिटरिंग
- कानून प्रवर्तन और सुरक्षा को बढ़ाना
- प्रौद्योगिकी–संचालित पुलिसिंग एवं निगरानी
- पुलिस प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
- सेवा नियमों में संशोधन एवं भर्ती सुधार
- नागरिक–केंद्रित शासन

प्रभावी शासन केवल अच्छी नीतियां ही नहीं, अपितु उनका गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं परिणाम भी है। यह "कोई भी पीछे न छूटे" के सिद्धांत को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को समयबद्ध सार्वजनिक सेवा प्रदायगी, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग तथा समावेशी विकास पर बल देता है। प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं के तीन प्रमुख स्तंभ चित्र संख्या 12.2 में प्रदर्शित किये गये हैं।

चित्र 12.2 : राजस्थान में प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवा के तीन स्तंभ



सूचना प्रौद्योगिकी–समर्थित नागरिक–केंद्रित सेवा प्रदायगी

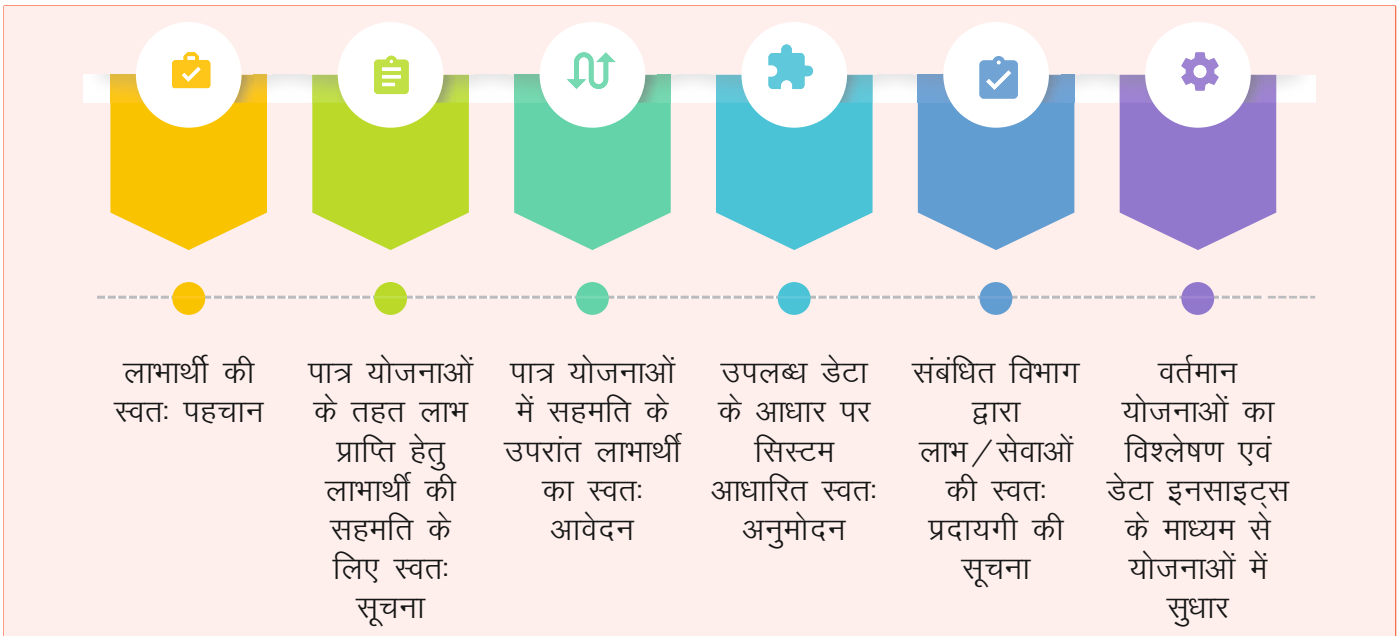
निर्णयन एवं सेवा प्रदायगी के मूल आधार पारदर्शिता, दक्षता तथा समावेशिता के माध्यम से राजस्थान सरकार विभिन्न नागरिक–केंद्रित एवं प्रौद्योगिकी–आधारित पहल द्वारा अच्छे एवं प्रभावी शासन को बढ़ावा देने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। नागरिक–केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सरकार वंचित व्यक्तियों को सशक्त बनाने तथा डिजिटल साक्षरता के अंतर को कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। राज्य सरकार शासन संचालन की क्षमता में वृद्धि कर उसे सर्वोत्तम बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक उन्नत प्लेटफॉर्म का क्रियान्वयन कर रही है।

प्रमुख पहल :–

- **स्मार्ट (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल–टाइम सिस्टम)**

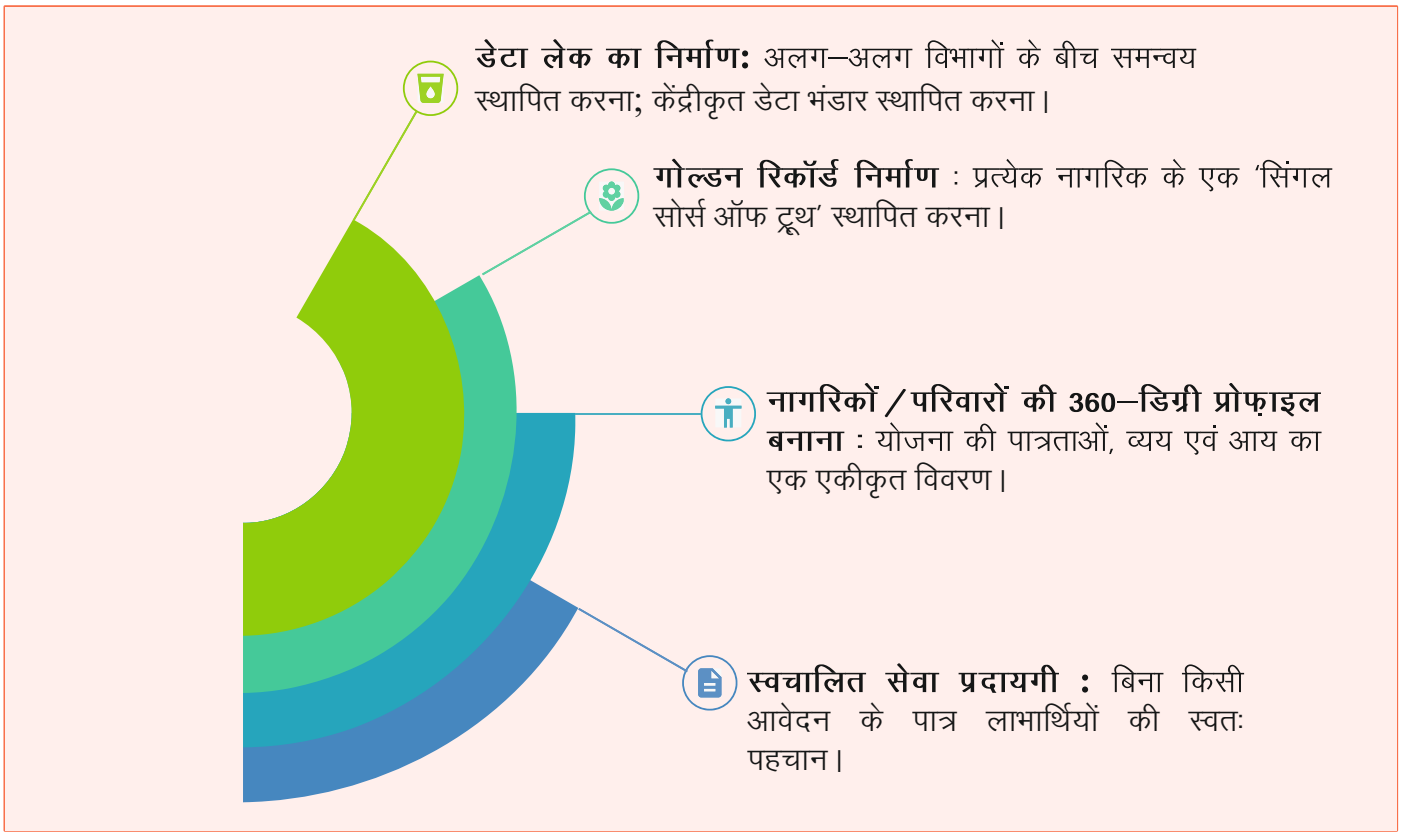
राजस्थान सरकार नागरिकों को सेवा प्रदायगी में प्रौद्योगिकी के उपयोग में हमेशा अग्रणी रही है। इसी क्रम में, एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) का उपयोग करके नागरिक सेवा प्रदायगी के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सहायता कर उन्हें संबंधित योजनाओं में स्वचालित रूप से नामांकित करना एवं मानवीय हस्तक्षेपों को समाप्त या कम करते हुए लाभों का वितरण प्रारम्भ कर सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के वर्तमान तरीके को उन्नत बनाना है। राज्य के वर्तमान सामाजिक लाभ पारिस्थितिकी तंत्र में इस प्रणाली को सम्मिलित करने के लिए जिन प्रमुख उद्देश्यों के साथ इसे तैयार किया जा रहा है, उन्हें चित्र संख्या 12.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 12.3 : स्मार्ट के प्रमुख उद्देश्य



नागरिक–केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी विभाग विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह करते हैं। इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण डेटासेट्स विभिन्न प्रणालियों में संग्रहीत हैं। इन महत्वपूर्ण डेटासेट्स के माध्यम से नागरिकों को आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण चित्र संख्या 12.4 में दर्शाए गए हैं।

चित्र 12.4 : विभागीय डेटा सेट्स से लाभ प्राप्ति के प्रमुख चरण

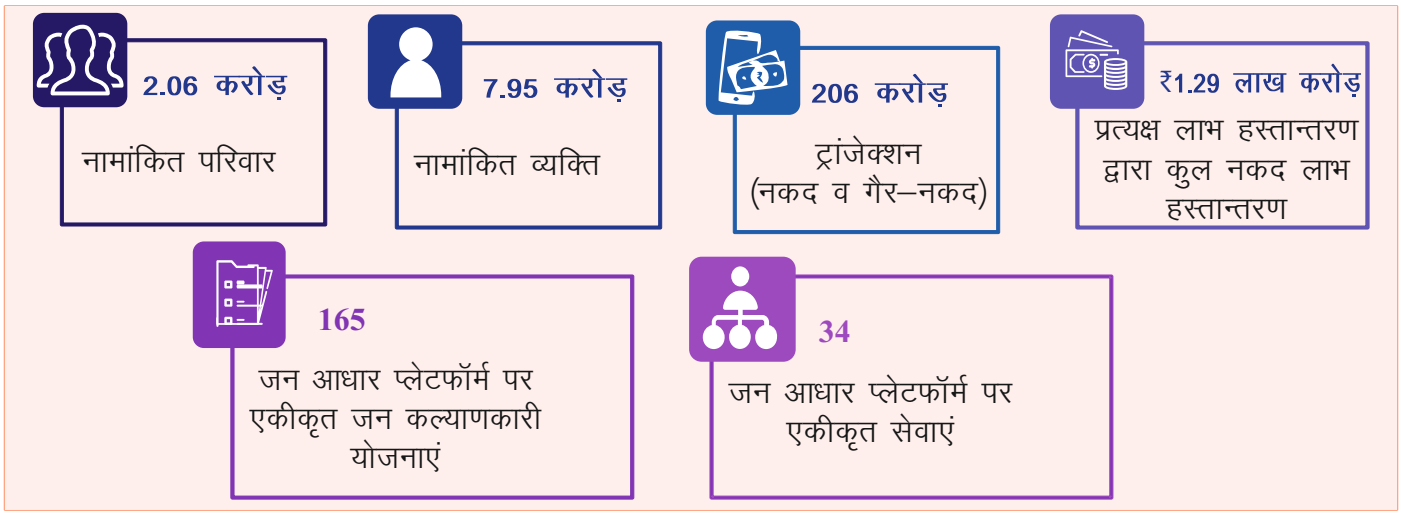


- **जन आधार**

राज्य में ''एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान'' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण योजनाओं के प्रदत्त लाभ (नकद या गैर–नकद) जनता को सरलता, सुगमता तथा पारदर्शिता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा ''राजस्थान जन आधार योजना'' संचालित की जा रही है।

वर्तमान में जन आधार देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी है जिसमें राज्य की अनुमानित जनसंख्या का 97 प्रतिशत से अधिक सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस संग्रहीत है तथा जन आधार पोर्टल का दूसरा मुख्य कार्य राजस्थान के निवासियों को नगद एवं गैर नगद लाभ हस्तान्तरण करने के लिए एक लाइव डीबीटी पोर्टल प्रदान करना है जिसके माध्यम से दिसम्बर, 2025 तक 206 करोड़ से अधिक के लेनदेन हुए हैं एवं ₹1.29 लाख करोड़ से अधिक की राशि का लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तान्तरण किया गया है। जन आधार पोर्टल से 199 से अधिक योजनाएं एवं सेवाएं एकीकृत है एवं अन्य सभी राज्य योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित राज्य योजनाओं को सम्मिलित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। राजस्थान में जन आधार योजना की प्रगति चित्र संख्या 12.5 में दर्शाई गई है।

चित्र 12.5 : राजस्थान में जन आधार योजना की प्रगति (दिसम्बर, 2025 तक)



जन आधार योजना की प्रमुख विशेषताएं–

- **एकल नम्बर** : राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा राज्य के प्रत्येक परिवार को जन आधार में नामांकन उपरान्त एक 10 अंकों की परिवार पहचान संख्या तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान की जाती है।
- **एकल पहचान:** यह पहचान संख्या, पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण एवं परिवार के मुखिया के साथ सदस्यों के संबंध के प्रमाण के रूप में अधिकृत है।
- **महिला सशक्तीकरण:** जन आधार नामांकन हेतु परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया बनाया जाना तथा वित्तीय समावेशन हेतु उसका व्यक्तिगत बैंक खाता होने की अनिवार्यता महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
- **वित्तीय समावेशन:** परिवार के सभी नकद लाभ अनिवार्य रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में हस्तान्तरित किए जाते हैं। यह सरकार को महिलाओं को बैंकिंग की मुख्यधारा से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है, जिससे राज्य की प्रत्येक महिला के लिए अन्य बैंकिंग सेवाओं के द्वार खुल सकें।
- **अपात्र एवं दोहरे लाभार्थियों की सटीक पहचान के लिए मास्टर डेटाबेस का निर्माण** : राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी विभाग अपना व्यक्तिगत लाभार्थी डेटाबेस तैयार नहीं करेगा। सभी विभागों को अपनी योजनाओं के समस्त लाभों के हस्तांतरण हेतु लाभार्थियों की सूचना एकीकृत रूप से जन आधार डेटाबेस से लेना अनिवार्य किया गया है जिससे राज्य के लिए एकीकृत मास्टर डेटाबेस तैयार होने के साथ ही लाभ हस्तांतरण से लाभार्थियों के दोहरेपन, नकली एवं अपात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान हो रही है।

- **घर के समीप लाभों की प्रदायगी** : जन आधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्लेटफॉर्म आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को नकद लाभों की प्रदायगी सीधे ही उनके बैंक खातों में तथा गैर नगद लाभों की प्रदायगी उनके घर डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करता है।

'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान'' की दिशा में बढते कदम–

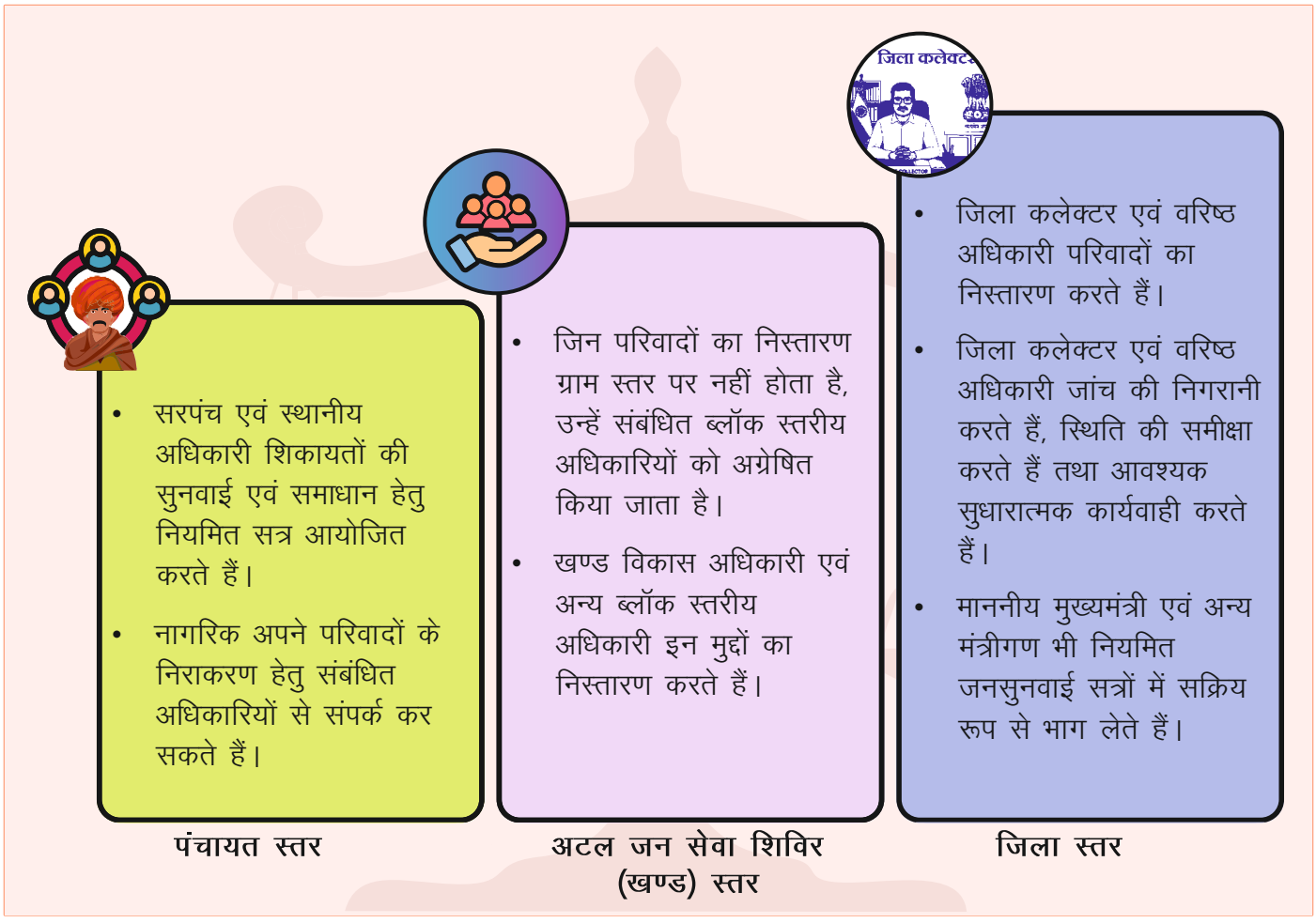
- प्राधिकरण, निवासियों की सुविधा के लिए अन्य सभी डेटाबेस के तहत् जारी किये गये कार्डों अथवा संख्याओं को एकीकृत कर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की प्रदायगी हेतु केवल जन आधार संख्या से ही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कदम बढाते हुये राशन कार्ड डेटाबेस को जन आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है जिसके फलस्वरूप अब राजस्थान में जन आधार कार्ड राशन कार्ड भी है। इससे दो कार्ड अब एक कार्ड में ही समाहित हो गए हैं। इसी प्रकार, प्राधिकरण अन्य कार्डों को भी जन आधार कार्ड में ही समाहित करने के लिए प्रयासरत् है।
- राज्य में जन आधार प्लेटफॉर्म को पहचान पोर्टल (जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत करने के लिए राज्य का पोर्टल) के साथ एकीकृत किया गया है जिसके परिणामस्वरूप, परिवार में होने वाली इन तीन घटनाओं की अद्यतित जानकारी वास्तविक समय में मिलने लगी है। पहचान पोर्टल के साथ इस एकीकरण से जन आधार राज्य की जनसंख्या की गणना वास्तविक समय में करने में सक्षम हुआ है।

- **राजस्थान सम्पर्क (181)**: यह एक केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म है, जहां राज्य का कोई भी नागरिक टोल–फ्री नंबर 181 डायल करके संबंधित विभागों में अपना परिवाद दर्ज करा सकता है। इस प्रणाली में मुख्य रूप से वेब पोर्टल से एकीकृत राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर सम्मिलित हैं, जो सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न नागरिक केंद्रित जानकारियों एवं परिवादों के समाधान के लिए एक सम्पर्क बिन्दु के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2025 में कुल 34.43 लाख पंजीकृत परिवादों में से 33.88 लाख परिवादों (98 प्रतिशत से अधिक) का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्थान सम्पर्क (सीएम हेल्पलाइन–181) कॉल सेन्टर से 157 विभाग एवं कार्यालय, 96 ब्यूरो, बोर्ड, आयोग, निगम एवं संघ तथा 52 संस्थान, अकादमिया एवं विश्वविद्यालय संबद्ध हैं।

  राज्य के डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क में एक महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में 23 मार्च, 2025 को राजस्थान सम्पर्क 2.0 का शुभारंभ किया गया। यह उन्नत एवं केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है, जो कि रियल–टाइम मॉनिटरिंग, डेटा आधारित निगरानी तथा विभागों के मध्य सेवा प्रदायगी सुविधा पर विशेष बल देते हुए लागू किया गया है।

- **राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी (आरजीडीपीएस) अधिनियम, 2011**: आरजीडीपीएस अधिनियम, 2011 नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की एक पहल है। नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से वांछित प्रत्येक अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए एक अधिकारी नामित है। यदि नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित सेवाएं प्राप्त नहीं होती है तो नामित अधिकारी पर उचित शास्ति लगाए जाने का प्रावधान है। 28 विभागों की कुल 306 सार्वजनिक सेवाओं को इसमें अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2025 में प्राप्त कुल 1.78 करोड़ आवेदनों में से 1.76 करोड़ (98 प्रतिशत से अधिक) आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
- **राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम (आरटीएच), 2012**: इस अधिनियम के तहत वर्ष 2025 (दिसम्बर तक) में प्राप्त कुल 84,099 आवेदनों में से 84,048 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
- **जनसुनवाई प्रणाली**: राजस्थान सरकार द्वारा शासन में सुधार एवं जन परिवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से त्रि–स्तरीय जनसुनवाई प्रारम्भ की गई थी। यह प्रणाली तीन स्तर : जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संरचित है। यह एक नागरिक–केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना एवं सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी तरीके से समाधान करना है। इसमें एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है जो नागरिकों एवं सरकारी अधिकारियों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद सुनिश्चित करता है जिससे प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आमजन को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने, समाधान प्राप्त करने तथा अपने परिवादों का शीघ्र समाधान प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। त्रि–स्तरीय जनसुनवाई प्रणाली चित्र 12.6 पर दर्शाई गई है।

चित्र 12.6 : त्रि–स्तरीय जनसुनवाई प्रणाली



ये सत्र प्रायः निर्धारित दिनों पर आयोजित किए जाते हैं, जहां नागरिकों को अपनी शिकायतें लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्या का समाधान या निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि उपलब्ध करवाये जाने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2025 में दर्ज और निस्तारित की गई शिकायतों की स्थिति तालिका संख्या 12.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 12.1 : वर्ष 2025 में दर्ज एवं निस्तारित परिवादों की स्थिति

क्र.स.	स्तर	दर्ज परिवाद	निस्तारित परिवाद	परिवाद निस्तारण का प्रतिशत
1	जिला स्तर	19169	19157	99.93
2	अटल जन सेवा शिविर (खण्ड स्तर)	25975	25913	99.76
3	ग्राम पंचायत स्तर	120567	120404	99.86

- **ई–मित्र** : त्वरित और सुविधाजनक नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार ने राज्य में वैधानिक रूप से अनुमत सभी सरकारी एवं निजी नागरिक केंद्रित सेवाओं को आमजन के घर के समीप पारदर्शी और किफायती तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से ई–गवर्नेंस के ई–मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना की है।

  इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के, आईटी–इनेबल्ड सर्विस डिलीवरी इंटरफेस के माध्यम से सूचना एवं सेवाओं के एक समूह से जोड़ना है। यह सेवा प्रदायगी प्लेटफॉर्म वेब–आधारित ई–मित्र एप्लिकेशन

(http://emitra.rajasthan.gov.in), ई–मित्र मोबाइल ऐप एवं आईटी–इनेबल्ड फिजिकल कियोस्क के माध्यम से निवासियों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में, सरकारी विभागों एवं निजी संगठनों की 600 से अधिक सेवाएं 78,000 से अधिक ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से राज्य के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आमजन की सुविधा के लिए बहुभाषी संवादात्मक एआई चैटबॉट एवं व्हाट्सएप के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्रारम्भ की गयी है। दिसम्बर, 2025 में ई–मित्र पोर्टल पर 10 नवीन सेवाएं (9 सरकारी क्षेत्र की जी2सी सेवाएं एवं 1 टैक्स बडी की बी2सी सेवा) प्रारम्भ की गई हैं।

- **ई–मित्र प्लस** : नागरिकों को बिना किसी सरकारी कार्यालय में गये सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए, ई–मित्र प्लस ई–सेवा प्रदायगी की दिशा में भारत में पहला अभूतपूर्व कदम है जो एटीएम की तरह बिना किसी मानवीय संवाद के सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। नागरिक सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर बिल्ट–इन–प्रिन्टर से उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। यह कियोस्क 85 से अधिक सेवाओं के साथ अनेक भुगतान माध्यमों नकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग को भी सपोर्ट करता है।

  इन सेवाओं के अतिरिक्त, ई–मित्र प्लस ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करता है। इनमें जन–सुनवाई, सरकारी योजनाओं की जानकारी का प्रसार एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण सम्मिलित है। राज्य में कुल 14,891 ई–मित्र प्लस कियोस्क स्थापित किए गए हैं। साथ ही, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए लगभग 2500 वीडियो सहित शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा चुकी है।

- **जन सूचना पोर्टल** : यह पोर्टल विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी जैसे पात्रता, स्थिति एवं नोडल विभाग संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए एक वन–स्टॉप–विन्डो है। यह पोर्टल नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल पर दिसम्बर, 2025 तक 117 विभागों, 351 योजनाओं एवं 749 प्रकार की जानकारी उपलब्ध है।

- **आई स्टार्ट**: राज्य सरकार ने स्टार्ट–अप्स से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए www.istart.rajasthan.gov.in नामक एक वेब पोर्टल स्थापित किया है। यह पोर्टल पॉलिसी अन्तर्गत सभी प्रोत्साहनों के लिए एक वन–स्टॉप गेटवे है। यह सरकारी अधिकारियों, स्टार्ट–अप्स, मेंटर्स और प्रशासकों को स्टार्ट–अप्स कार्यक्रम की निगरानी एवं उपयोग के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम (बीआईपी) जैसे विशेष कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए हैं, ताकि स्टार्ट–अप इकोसिस्टम की पहुँच और प्रभाव को आबादी के विभिन्न वर्गों तक और अधिक विस्तारित किया जा सके। वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) पोर्टल पर कुल 7,382 पंजीकरण किए गए हैं। जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, पाली, जोधपुर और उदयपुर जिलों में इन्क्यूबेटर स्थापित किए जा चुके है।

राजस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी–अक्सआर) पॉलिसी 2024

नीति का उद्देश्य राज्य को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी–अक्सआर) का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस क्षेत्र की अपार विकास क्षमता को देखते हुए, नीति बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रोत्साहन और कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप्स, उद्यमों और शिक्षाविदों के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। इसका लक्ष्य एवीजीसी–अक्सआर में निवेश को आकर्षित कर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित करना है।

क. **वित्तीय प्रोत्साहन** : उत्पादन अनुदान (30 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति) और स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण करना।

ख. **बुनियादी ढांचे का विकास** : अटल इनोवेशन स्टूडियो, एक्सेलेरेटर, इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और उच्च–स्तरीय प्रौद्योगिकी संसाधनों तक पहुँच।

ग. **कौशल विकास** : कुशल कार्यबल बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी।

घ. **व्यापार करने में आसानी** : अनुमोदनों और प्रोत्साहनों के लिए समर्पित एवीजीसी–अक्सआर कक्ष और एकल खिड़की पोर्टल।

ड़ **सांस्कृतिक संवर्द्धन** : राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित सामग्री के लिए प्रोत्साहन और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग।

च. **अनुसंधान और विकास**: आईपी निर्माण, नवाचार प्रयोगशालाओं और एवीजीसी–अक्सआर सैंडबॉक्स के लिए समर्थन।

- **सिंगल साइन–ऑन (एसएसओ)** : ''वन डिजिटल आईडेन्टिटी'' सिद्धान्त पर राज–एसएसओ राज्य सरकार की सभी एप्लीकेशन सिस्टम तक केन्द्रीकृत पहुंच प्रदान करता है, जिससे सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर उपयोगकर्ता के पंजीकरण की पुनरावृत्ति समाप्त होती है, एकीकृत एवं यूजर–फ्रेंडली अनुभव सुनिश्चित होता है। वर्तमान में, 604 विभागीय एप्लीकेशन (जी2जी: 368 और जी2सी: 236) एसएसओ प्लेटफॉर्म से एकीकृत हैं। दिसम्बर, 2025 तक 3.29 करोड़ से अधिक लोग इस सुविधा से लाभान्वित हो चुके हैं।

- **राज ई–वॉल्ट** : राज ई–वॉल्ट एक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है, जो दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहीत करने के लिए एक सेंट्रल रिपॉजिटरी के रूप में सेवाएं प्रदान करती है। राज ई–वॉल्ट डिजि–लॉकर से भी एकीकृत हो चुका है। नागरिक एसएसओ आईडी बनाकर तथा राज ई–वॉल्ट एप्लिकेशन में लॉग–ऑन करके इसकी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। दिसम्बर, 2025 तक, राज ई–वॉल्ट पर नागरिकों एवं विभिन्न विभागों के 86 करोड़ से अधिक दस्तावेज संग्रहीत हैं। वर्तमान में लगभग 2 लाख दस्तावेज प्रतिदिन अपलोड किए जा रहे हैं।

किसानों के लिए तकनीकी पहल :

कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति ने खेती की पद्धतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, जिससे उत्पादकता, स्थिरता और दक्षता में सुधार हुआ है। राज्य सरकार की प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

क) **राज–एआईएमएस** : डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (डीएएम) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली (Raj&AIMS) परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें आधुनिक तकनीकें यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल),रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रोबोट एण्ड ड्रोन/अनमेन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) आदि सम्मिलित है।

ख) **राजकिसान साथी पोर्टल** : किसानों के लिए ''ईज ऑफ डुईंग फार्मिंग'' उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत सिंगल विण्डो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कृषि योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए सेवाएं प्रदान करता है। राजकिसान साथी परियोजना के अन्तर्गत, अब तक लगभग 40 विभिन्न योजनाओं के 150 से अधिक मॉड्यूल एवं 11 मोबाइल ऐप्स विकसित किए जा चुके हैं। दिसम्बर, 2025 तक, कुल ₹3,566 करोड़ की डीबीटी का हस्तांतरण किया जा चुका है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एग्री–इनपुट डीलरों एवं निर्माताओं को 2.10 लाख से अधिक लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए जा चुके हैं तथा 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनीकिट्स एवं 1.35 लाख से अधिक बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण नमूने की सुविधा किसानों द्वारा प्राप्त की जा चुकी है।

ग) **किसान सहायता** : विभिन्न फसलों की नई विकसित किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को बीज मिनीकिट्स मुफ्त में प्रदान किए गए। 2025–26 में खरीफ और रबी मौसम के लिए, किसानों को कुल 31.50 लाख बीज मिनीकिट्स वितरित किये जा चुके हैं। किसानों के लिए प्रमुख तकनीकी पहल चित्र 12.7 में प्रदर्शित की गई है।

चित्र 12.7 : किसानों के लिए तकनीकी पहल



घ) **राज सहकार पोर्टल** – यह सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में उत्तरदायी एवं पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रारम्भ किया गया एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और सेवाओं यथा–अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आवेदन, ऑनलाइन भुगतान, नवीन सहकारी संस्था पंजीकरण, एनजीओ पंजीकरण तथा खेलसंघों के पंजीयन हेतु उपयोग किया जाता है।

ङ) **नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी)** – मत्स्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से पारदर्शिता, दक्षता और विकास को बढ़ावा देने हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक घटक है। दिसम्बर 2025 तक, एनएफडीपी पोर्टल पर कुल 5,841 किसान पंजीकृत हो चुके हैं। यह पंजीकरण किसानों की साख सुविधाएँ, प्रदर्शन अनुदान, मत्स्य सहकारिता का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण जैसी सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम बनाएगा।

स्थानीय स्वशासनः

स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा राज्य के शहरी निवासियों को पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ यथा– भवन योजना स्वीकृति, व्यापार लाइसेंस एवं उसका स्वतः नवीनीकरण, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन, यूडी/संपत्ति कर, 90 ए, मोबाइल टावर एवं ओएफसी अनुमति, नामांतरण, साइनेज लाइसेंस, प्रॉपर्टी आईडी, लीज डीड (पट्टा), उप खंड पुनर्गठन तथा लीज राशि जमा सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ई–नीलामी पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नगर निकाय डिजिटल रूप से नीलामी कर सकते हैं।

पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र

राज्य में प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने तथा अधिक समावेशी, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने हेतु सरकार की प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं :

- **राज–काज** : यह राज्य द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ई–ऑफिस प्रणाली को लागू कर विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं को पारंपरिक ऑफलाइन मैनुअल सिस्टम से डिजिटाइज कर निर्णयन में सुधार एवं परिचालन को बढ़ाना है। यह प्रणाली कागज रहित संचालन, समय एवं संसाधनों की बचत तथा डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता, शीघ्रता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं, फाइल प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा विशिष्ट कार्यप्रवाह को स्वचालित और सुव्यवस्थित करती है। प्रमुख मॉड्यूल में आईपीआर, पीएआर, एनओसी, लीव तथा

ई–फाइल और डाक सम्मिलित हैं। ई–ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद दिसम्बर, 2025 तक, 42 लाख से अधिक फाइलें राज–काज ई–ऑफिस सिस्टम में सृजित जा चुकी हैं तथा 75 प्रशासनिक विभागों के 430 संगठनों के 60,000 से अधिक कार्यालयों में 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता राज–काज एप्लिकेशन से जुड़े हैं। राजकाज संस्करण–2.0 का विकास किया गया है। राजकाज संस्करण–द्वितीय में कॉमन मास्टर्स तथा अचल संपत्ति विवरण से संबंधित मॉड्यूल हाल ही में लाइव किए गए हैं।

- **राज ई–साइन** : ई–साइन परियोजना कागज रहित एवं पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल आधार ई–केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित, लागत–कुशल तथा पारदर्शी ऑनलाइन दस्तावेज हस्ताक्षर एवं सरकारी अनुमोदन को किसी भी समय, कहीं से भी, सक्षम बनाकर कागज रहित प्रणाली को बढ़ावा देती है। आधार आधारित सेवाओं का उपयोग 50 से अधिक ई–गवर्नेंस एप्लीकेशन्स द्वारा किया जा रहा है। दिसम्बर, 2025 तक, 11.55 करोड़ से अधिक दस्तावेज ई–साइन हो चुके है। औसतन 70,000 से अधिक दस्तावेज प्रतिदिन ई–साइन किए जा रहे हैं।

- **राजमेल** : राजमेल राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए एक निःशुल्क ईमेल सेवा है, जिसमें तकनीक को अधिक यूजर–फ्रेंडली बनाने के लिए स्थानीय (क्षेत्रीय) भाषा में ई–मेल सेवा शामिल है। दिसम्बर, 2025 तक, 57.48 लाख से अधिक खाते बनाए जा चुके हैं।

- **राजनेट** : राज्य ने राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) के माध्यम से अन्तिम छोर की ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने हेतु एक एकीकृत नेटवर्क समाधान लागू किया है। इस पहल के तहत, जिला एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ (वीसी कक्ष) स्थापित की जा चुकी हैं। राज्य की 9,260 से अधिक ग्राम पंचायतों में राजनेट के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी है।

- **स्टेट पोर्टल** : स्टेट पोर्टल नागरिकों, सरकारी उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों, पर्यटकों तथा विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना एवं लेन–देन आधारित सरकारी सेवाओं का एकल स्रोत है। यह सेवाओं और जानकारी तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों/संस्थानों/संगठनों/पीएसयू/बोर्डों/योजनाओं इत्यादि के वेब पोर्टलों से सहज रूप से जुड़ा हुआ है। दिसम्बर, 2025 तक लगभग 93 लाख लोगों ने इस पोर्टल (rajasthan.gov.in) का उपयोग किया एवं सेवाओं का लाभ उठाया।

- **स्टेट डेटा सेन्टर (एसडीसी)** : यह राज्य स्तर पर ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन्स की भौतिक रूप से होस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराता है एवं राजस्थान सरकार की जवाबदेही और समावेशिता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, डिजिटल विभाजन को पाटता है और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करता है। इसकी कुल क्षमता 800 रैक की है। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर (आरएसडीसी–पी4) अपटाईम टीयर–4 प्रमाणित गोल्ड स्टेंडर्ड सुविधा है (टीसीडीडी, टीसीएफएफ – टीसीओएस) जो 99.99 प्रतिशत अपटाईम सुनिश्चित करता है।

- **कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (अभय)** : अभय सेंटर जीपीएस एवं सीसीटीवी आधारित सुरक्षा के लिए एक एकीकृत समाधान प्रदान करता है, जो 7 संभागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में स्थापित किये गये हैं। कुल 25,159 कैमरे लगाए जा चुके हैं। इस परियोजना में निम्न सम्मिलित हैं:
  - वीडियो सर्विलेंस सिस्टम
  - डायल 100 कन्ट्रोल सिस्टम
  - फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम
  - इन्टेलीजेन्ट ट्रेफिक मेनेजमेन्ट सिस्टम
  - व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम
  - ज्योग्रॉफिकल इन्फोरमेशन सिस्टम

- **जिला प्रभारी सचिवों द्वारा निरीक्षण तथा दौरे** : भारत सरकार और राज्य सरकार की परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति का सतत् एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने तथा नागरिकों से संबंधित सेवाओं एवं

अन्य सरकारी कार्यों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों/सचिवों को जिला प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

- **मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड (सीएम एक्सेल्स) एवं सम्पर्क पोर्टल अवार्ड** : 21 अप्रैल, 2025 को लोग सेवा दिवस के अवसर पर, राजस्थान सरकार ने प्रभावी जन शिकायत निवारण के लिए 6 अधिकारियों एवं 3 विभागों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से और 9 अधिकारियों और 4 विभागों को सम्पर्क पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका उद्देश्य लोक सेवकों एवं विभागों को उत्कृष्ट कार्य, नवाचारों के लिए प्रेरित करना तथा लोक सेवा के प्रति उनके समर्पण और कार्यकुशलता बढ़ाना है।

- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**: प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के लिए नोडल विभाग है। इस पोर्टल के माध्यम से आमजन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं विभिन्न विभागों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

- **राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेन्ट सेन्टर (राज–कैड)** : राजकैड को क्षमता निर्माण और कौशल संवर्द्धन के नवाचारी मॉडल के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसका विशिष्ट मंत्र (यूएसपी) ''कमिटमेन्ट एश्योर्ड डिलीवरी'' है। इसने महत्वपूर्ण उभरती तकनीकों जैसे Python, ArcGIS, Flutter, AI/ML एवं Cloud को अपना कर अपनी आंतरिक आईटी क्षमता को काफी मजबूत किया है। राजकैड द्वारा लाइव प्रोजेक्ट्स के रख–रखाव के साथ 20 वेब पोर्टल परियोजना का विकास, 107 विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड/मॉड्यूल्स का निर्माण तथा 8 इन–हाउस मोबाइल एप्लिकेशन निर्मित किये गये हैं।

- **भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)** : भू–स्थानिक डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण हेतु 'राजधरा' नामक राज्य–स्तरीय एकीकृत जीआईएस प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है। राजधरा पहल के अन्तर्गत, विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की परिसंपत्तियों के जियो–टैगिंग हेतु मोबाइल एप्लिकेशन, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिए जीआईएस आधारित डीएलसी टैगिंग, प्रशासनिक विभाग हेतु सड़क सूचना सहित अन्य समाधान प्रदान कराए हैं। जयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान–2025 क्षेत्र के लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित कर उन्नत अवसंरचना, सीवरेज एवं ड्रेनेज योजना में सहयोग हेतु जयपुर का 3–डी सिटी मॉडल भी विकसित किया गया है।

  हैरिटेज स्मारकों के डिजिटल संरक्षण के लिए चयनित स्थलों का 3–डी स्कैन करके वर्चुअल संरक्षण हेतु मॉडल तैयार किये गये हैं। इनमें जयपुर के हवा महल, जंतर–मंतर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, सिटी पैलेस, परकोटा शहर के आठ द्वार एवं आमेर किला तथा उदयपुर के सिटी पैलेस एवं कुंभलगढ़ किला सम्मिलित हैं।

  इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नागरिकों एवं प्रशासकों को भूमि उपयोग की पहचान, खसरा एवं भू–खण्ड स्वामित्व विवरण देखने तथा पुलिस थानों, नगर निकाय वार्डों एवं ले–आउट प्लान स्तरों तक पहुंच के लिए अर्बन जीआईएस पोर्टल लॉन्च किया गया है। पारदर्शिता को बढ़ाने एवं नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से सभी शहरों के मास्टर प्लान प्रकाशित किए जा रहे हैं।

- **ई–प्रोक्योरमेन्ट**: पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित सभी सरकारी संगठनों के लिए ई–प्रोक्योरमेंट (गर्वमेन्ट ई–प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन– जीईपीएनआईसी) प्रणाली को लागू किया है। अक्टूबर, 2011 में जीईपीएनआईसी के साथ राज्य में ई–प्रोक्योरमेंट की शुरुआत के बाद से, 327 से अधिक राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों ने इस प्रणाली को अपनाया है, जो परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर तक) राशि ₹1.59 लाख करोड़ से अधिक की 9.52 लाख से अधिक निविदाओं पर कार्यवाही की गई है।

- **डेटा एनालिटिक्स** : कर अपवंचन की पहचान कर राजस्व वृद्धि करना तथा कर आधार का विस्तार करने के उद्देश्य से यह परियोजना वाणिज्यिक कर, परिवहन एवं खान जैसे विभिन्न राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में क्रियान्वित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं यथा आरजीएचएस, जन आधार, ई–मित्र, राजस्थान संपर्क, आईएफएमएस, आरटीआई इत्यादि के साथ अन्य विभाग जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जेडीए एवं वन विभाग भी इस परियोजना का उपयोग प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कर रहे हैं। यह परियोजना विभिन्न डेटा एनालिटिक्स तकनीकों की सहायता से डेटा–आधारित नीति निर्माण एवं साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

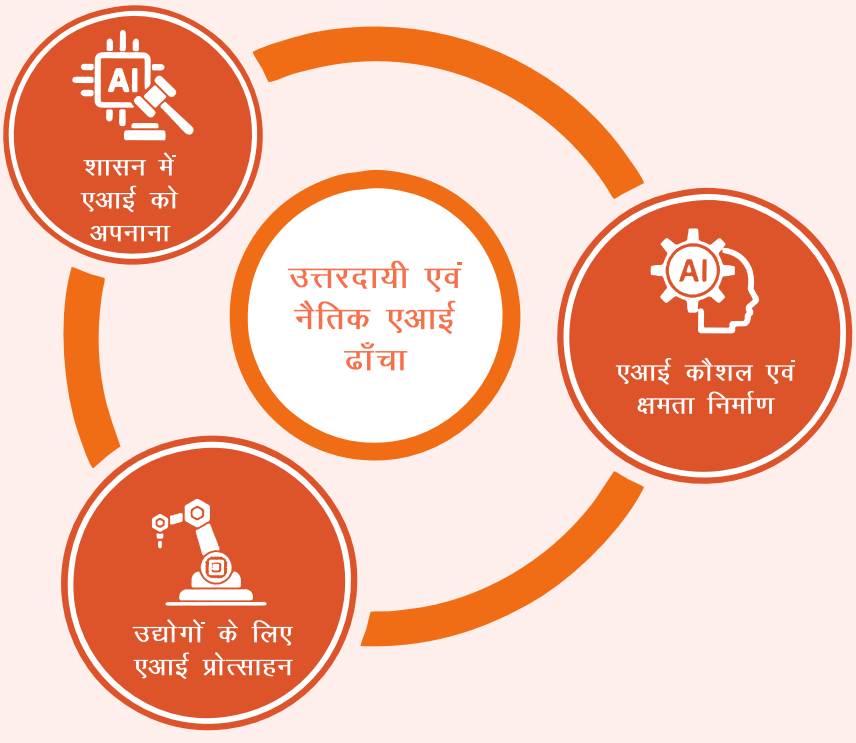
- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण का विकास :**
  - सरकारी विभागों में आईटी पहल के सफल क्रियान्वयन में सहयोग हेतु दिसम्बर, 2025 तक कुल 6,786 सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुर्नभरण :** राजस्थान सरकार द्वारा आईटी कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमसीए पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले सरकारी कार्मिकों के शुल्क का पुनर्भरण किया जाता है।
  - **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) :** दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने, डिजिटल विभाजन को कम करने तथा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आरकेसीएल की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा राजकीय कार्मिकों के आरएससीआईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।

राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026

राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026 : 6 जनवरी, 2026 को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, जयपुर में लॉन्च की गई। यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, नए रोजगार अवसरों के सृजन तथा एआई के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

राज्य सरकार एआई को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखती है, जो शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रगति को गति प्रदान करेगी तथा विकसित राजस्थान@2047 के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देगी। राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु, इस नीति में उन संकेतक परिणामों का उल्लेख किया गया है जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एक रणनीतिक प्रवर्तक के रूप में चिह्नित किया है। यह एआई/एमएल नीति संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ एवं भविष्य के लिए तैयार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी।

चित्र 12.8 : एआई/एमएल नीति के उद्देश्य



प्रभावी वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रशासन इस विश्वास पर आधारित है कि एक पारदर्शी और कानूनी रूप से सशक्त सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुशासन के व्यापक ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके माध्यम से सरकार वित्तीय जानकारी को एकत्रित, प्रबंधित, निगरानी और नियंत्रण करती है, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। वित्तीय लेन–देन की निगरानी, प्रदर्शन का प्रभावी प्रबंधन, अनुपालना की सुनिश्चितता, संचालन प्रकटीकरण इस प्रक्रिया में सम्मिलित है।

राजस्थान ने अपनी बजटिंग और लेखांकन प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक तंत्र क्रियान्वित किया है। यह एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के स्वचालित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्भव हुआ है, जो वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है। इस प्रकार यह सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ाता है और जवाबदेही को मजबूत करता है। चित्र 12.9 आईएफएमएस 3.0 की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता है।

चित्र 12.9 : आईएफएमएस 3.0 की प्रमुख विशेषताएं



आईएफएमएस के माध्यम से, नकदी प्रवाह प्रबन्धन और खातों के वास्तविक समय समाधान में सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप बजट बनाने की प्रक्रिया और अधिक कुशल हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली ने सूचना प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया है,समयबद्ध खातों को तैयार करने में सटीकता को बढ़ाया है और सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता तथा कुशलता में सुधार किया है। इन सुधारों ने परिणामोन्मुख शासन के लिए वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ किया है। आईएफएमएस एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों हितधारकों की सुविधा के लिए विभिन्न मॉड्यूलर प्रणालियों को

एकीकृत करता है। राज्य ने एक सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन के लिए एक समग्र आईटी प्लेटफॉर्म के तहत सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत कर अपने वित्तीय शासन को रूपान्तरित किया है।

इसमें बजट अनुमान, बजट तैयारी, पूल बजट, ट्रेजरी कार्य, ई–भुगतान, ई–बिल, ई–स्वीकृति, ई–रसीदें, आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और ई–चालान जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली डेटा प्रबंधन, ई–खाता सबमिशन, ई–रिकॉन्सिलिएशन, बैंकों के साथ एकीकृत व्यवस्था, रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, महालेखाकार, पब्लिक फाईनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम, विभागीय पोर्टल, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशलन पेमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया और अन्य प्रक्रियाओं के लिए सभी हितधारकों के मध्य पेपरलेस ई–सबमिशन की सुविधा भी प्रदान करता है। इसकी रचना का उद्देश्य स्वचालित वित्तीय लेनदेन सक्षम करना, कुशल निगरानी सुनिश्चित करना, सटीकता और सुदृढ़ विश्लेषणात्मक क्षमताओं में वृद्धि करना है। यह व्यापक प्रणाली डेटा समर्थित निर्णयन, अधिक पारदर्शी और जवाबदेह सार्वजनिक वित्त ढांचे का समर्थन करती है।

आईएफएमएस के तहत वित्तीय प्रशासन में हुए परिवर्तन ने राज्य को स्वचालित और कुशल वित्तीय प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार किया है। यह प्रणाली भारत सरकार के नवोन्मेषी प्लेटफार्मों के साथ पूरी तरह से संरेखित है। इस विकास ने लेखांकन और वित्तीय लेनदेन वितरण की प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया है, जो अब सबसे दूरदराज क्षेत्रों तक भी पहुंच गया है। वर्ष 2010–11 से बजट, वित्तीय और लेखांकन रिकॉर्ड के एक मजबूत डेटाबेस के साथ अब आईएफएमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ एकीकरण के लिए तैयार है। एआई का उपयोग करके राज्य का उद्देश्य तेजी से निर्णय लेना, अनुमानों में सुधार करना और मानव हस्तक्षेप को कम करना है जिससे वित्तीय संचालन और शासन में अधिक कुशलता लाई जा सके।

13 वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति

भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक गतिशील योगदानकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, और 2025–26 में इसका प्रचलित मूल्यों पर 5.25 प्रतिशत का योगदान दिया है। 2025–26 में राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) ₹18.75 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के ₹17.01 लाख करोड़ से वृद्धि को दर्शाता है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दिखाई दी है, जो ₹2.02 लाख अनुमानित है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष के मुकाबले 9.32 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। क्षेत्रवार योगदान की दृष्टि से कृषि सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में 25.74 प्रतिशत का योगदान करते हुए कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आजीविका प्रदान करती है। राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें बढ़ते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) और बड़े पैमाने पर विनिर्माण इकाइयाँ शामिल हैं। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में 26.55 प्रतिशत का योगदान है। सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 47.71 प्रतिशत का योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र में पर्यटन, सूचना प्रोद्योगिकी–सक्षम सेवाओं और वित्तीय सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे राजस्थान की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थिति और मजबूत हुई है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, राजस्थान को जल संकट, जलवायु संबंधी संवेदनशीलताओं और विकास में क्षेत्रीय विषमताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, राज्य इन समस्याओं का समाधान नवोन्मेषी नीतियों, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, डिजिटल परिवर्तन, अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने, शिक्षा के आधुनिकीकरण और मानव विकास संकेतकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करके कर रहा है।

विज़न स्टेटमेंट– विकसित राजस्थान@2047

राजस्थान को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करना है जो सतत् विकास, वित्तीय स्थिरता और नागरिक केन्द्रीत शासन की मिसाल बने। इस विज़न को प्राप्त करने के लिए एक्शन एजेण्डा में वित्तीय स्थिरता और संवृद्धि, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, समावेशी आर्थिक विकास, सतत् विकास, सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है।

आर्थिक वृद्धिः सुदृढ़ एवं लचीली अर्थव्यवस्था का आधार

आर्थिक वृद्धि राजस्थान की सतत् और उच्च मूल्य वाले विकास की आकांक्षा का केन्द्रीय स्तंभ बनी हुई है। प्रमुख क्षेत्रों में लगातार विस्तार, संरचनात्मक सुधार द्वारा समर्थित एवं आधारभूत ढांचे के निवेश में वृद्धि ने राज्य के उत्पादक आधार को मजबूती प्रदान की है। विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा तथा आधुनिकीकृत कृषि की बढ़ती भूमिका राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ते विविधीकरण एवं लचीलेपन को दर्शाती है। रोजगार सृजन, आय में वृद्धि तथा राजकोषीय स्थिरता को प्रोत्साहित करते हुए, आर्थिक वृद्धि राजस्थान में समावेशी विकास एवं दीर्घकालिक आर्थिक रूपांतरण के लिए एक मजबूत एवं टिकाऊ आधार प्रदान करती है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, राज्य में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। ये अनुमान राज्य में किए गए नीतिगत निर्णयों, निवेश तथा उपलब्ध कराए गए अवसरों के परिणामों की वृहद् तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिम्ब है तथा इससे तैयार की गई प्रति व्यक्ति आय, जन समूह के कल्याण का उपयुक्त मापदण्ड है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2025–26 में ₹18.75 लाख करोड़ सम्भावित है, जोकि वर्ष 2024–25 में ₹17.01 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2025–26 में 10.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अग्रिम अनुमानों के

अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2025–26 में ₹357.14 लाख करोड़ अनुमानित है जो 8.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.25 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तथा अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद अनुमान तथा इनकी वृद्धि तालिका–13.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 13.1 : राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)

(₹करोड़)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
जी.एस.डी.पी.–राजस्थान	1195641	1348693	1522063	1701190	1875413
वृद्धि दर (%)	17.46	12.80	12.85	11.77	10.24
जी.डी.पी.–अखिल भारत	23597399	26890473	30122956	33068145	35713886
वृद्धि दर (%)	18.9	14.0	12.0	9.8	8.0

राज्य के लिए वर्ष 2023–24– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2024–25–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2024–25– प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2025–26– प्रथम अग्रिम अनुमान

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011–12 कीमतों पर)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन/मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पर जी.एस.डी.पी की गणना की जाती है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025–26 में वास्तविक/स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹9.82 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2024–25 में ₹9.04 लाख करोड़ था, यह वर्ष 2025–26 में 8.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2025–26 में वास्तविक/स्थिर (2011–12) कीमतों पर ₹201.90 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी वर्ष में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 4.86 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद अनुमान (स्थिर 2011–12 कीमतों पर) तालिका 13.2 में एवं इनकी वृद्धि चित्र 13.1 में दर्शाए गए है।

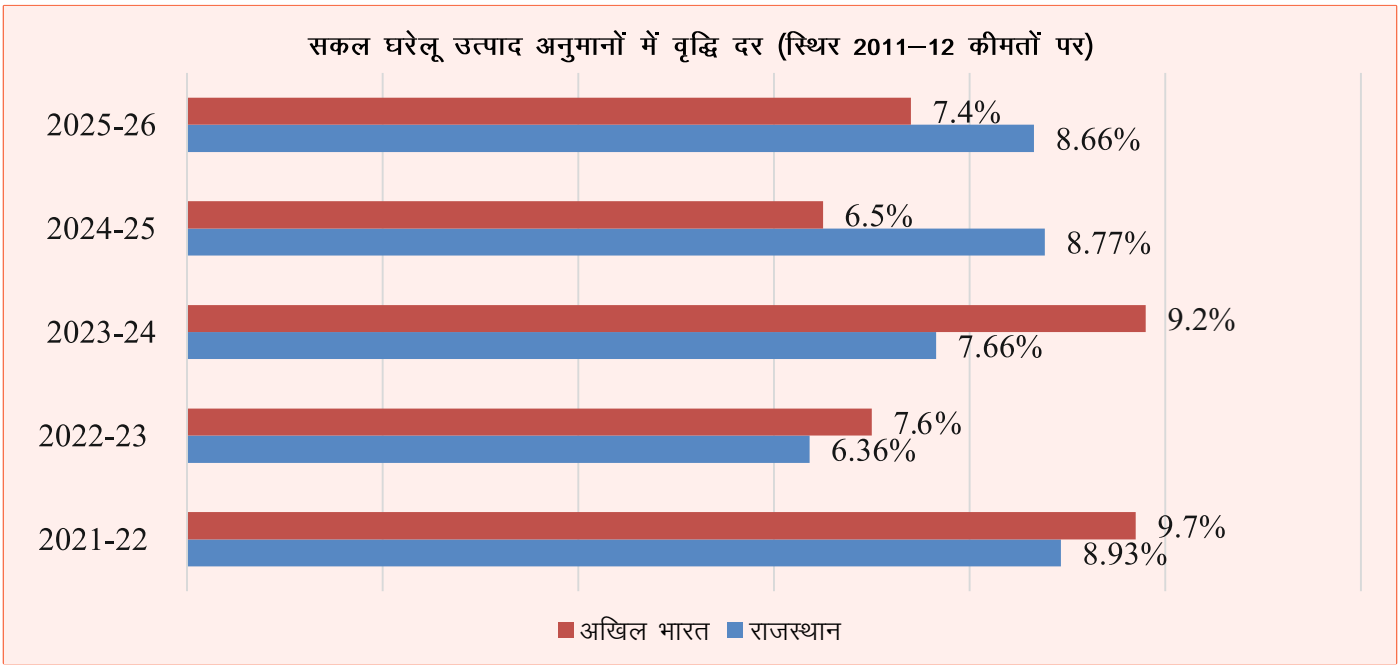
तालिका 13.2 : राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011–12 कीमतों पर)

(₹करोड़)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
जी.एस.डी.पी.–राजस्थान	725464	771631	830724	903564	981807
वृद्धि दर (%)	8.93	6.36	7.66	8.77	8.66
जी.डी.पी.–अखिल भारत	15021846	16164913	17650591	18796955	20189919
वृद्धि दर (%)	9.7	7.6	9.2	6.5	7.4

राज्य के लिए वर्ष 2023–24– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2024–25–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2024–25– प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2025–26– प्रथम अग्रिम अनुमान

चित्र–13.1



शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.)

सकल घरेलू उत्पाद समंको में से स्थाई पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है। स्थाई पूंजी उपभोग, पूंजीगत स्कन्ध के उस हिस्से के प्रतिस्थापन मूल्य को मापता है, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2025–26 में ₹16.85 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2024–25 में ₹15.25 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2025–26 में 10.48 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर

वर्ष 2025–26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर वर्ष 2025–26 में ₹8.59 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2024–25 में ₹7.89 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2025–26 में 8.90 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राजस्थान के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तालिका–13.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 13.3 : राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(₹करोड़)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
प्रचलित कीमतों पर	1070324	1202344	1361835	1525291	1685118
वृद्धि दर (%)	18.10	12.33	13.26	12.00	10.48
स्थिर (2011–12) कीमतों पर	634247	674018	724575	789133	859333
वृद्धि दर (%)	9.50	6.27	7.50	8.91	8.90

वर्ष 2023–24– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2024–25–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान

प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है।

प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर

प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024–25 में ₹1,85,095 की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2025–26 में ₹2,02,349 अनुमानित है, यह वर्ष 2025–26 में 9.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर तालिका 13.4 एवं चित्र–13.2 में दर्शाई गई है।

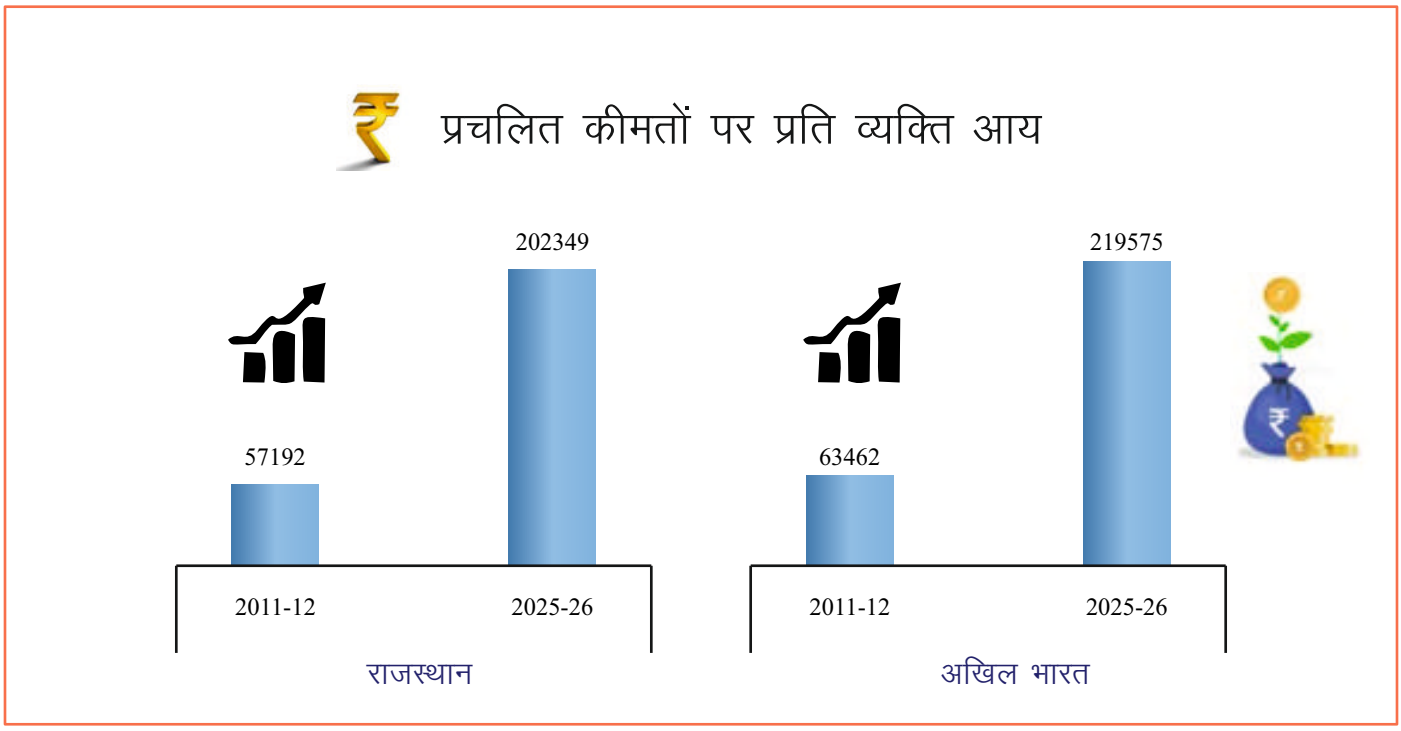
तालिका 13.4 : राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित कीमतों पर)

(₹)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
(पी.सी.आई.) राजस्थान	134143	149060	167027	185095	202349
वृद्धि दर (%)	16.72	11.12	12.05	10.82	9.32
(पी.सी.आई.) अखिल भारत	150906	169145	188892	205324	219575
वृद्धि दर (%)	18.6	12.1	11.7	8.7	6.9

राज्य के लिए वर्ष 2023–24– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2024–25–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2024–25– प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2025–26– प्रथम अग्रिम अनुमान

चित्र 13.2



प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर

स्थिर (2011–12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024–25 में ₹95,762 की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2025–26 में ₹1,03,189 अनुमानित है, जो गत वर्ष 2024–25 की तुलना में वर्ष 2025–26 में 7.76 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर तालिका 13.5 में दर्शाई गई है।

तालिका 13.5 : राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर

(₹)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
(पी.सी.आई.) राजस्थान	79490	83561	88868	95762	103189
वृद्धि दर (%)	8.23	5.12	6.35	7.76	7.76
(पी.सी.आई.) अखिल भारत	94054	100163	108786	114710	121968
वृद्धि दर (%)	9.3	6.5	8.6	5.4	6.3

राज्य के लिए वर्ष 2023–24– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2024–25–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2024–25– प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2025–26– प्रथम अग्रिम अनुमान

क्षेत्रीय परिवर्तनः आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में तेजी लाना

राजस्थान की आर्थिक वृद्धि इसके प्रमुख क्षेत्रों– कृषि, उद्योग और सेवाओं में लक्षित विकास रणनीतियों द्वारा संचालित होगी। राज्य अपने सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, जल प्रबंधन में सुधार करने और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सिंचाई विस्तार के साथ–साथ, राज्य उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण को बढ़ावा दे रहा है और कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों को मजबूत कर रहा है, जिसका लक्ष्य कृषि मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्य जोड़ना है। ये प्रयास उत्पादकता बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे और राजस्थान की कृषि उपज की निर्यात क्षमता में वृद्धि करेंगे।

उद्योग के लिए, राजस्थान विनिर्माण, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दे रहा है, औद्योगिक समूहों को बढ़ावा दे रहा है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों को आकर्षित करने के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार कर रहा है। अक्षय ऊर्जा के विस्तार पर भी मुख्य ध्यान दिया जा रहा है, राजस्थान का लक्ष्य सौर और पवन ऊर्जा में अग्रणी बनना है, जो न केवल ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाएगा बल्कि टिकाऊ औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा।

पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं के कारण सेवा क्षेत्र में निरंतर विस्तार की उम्मीद है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाते हुए, राजस्थान का लक्ष्य अपने पर्यटन प्रस्तावों को बढ़ाना है, जबकि डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार आईटी और फिनटेक उद्योगों के विकास में सहयोग करेगा। स्मार्ट शहरों, नवाचार केंद्रों और ई–गवर्नेंस पहलों के विकास से सेवाओं के विकास में और तेजी आएगी, जिससे राज्य को सेवा–संचालित अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थान मिलेगा। इन क्षेत्रीय विकासों का प्रभाव सकल राज्य मूल्य वर्धन में परिलक्षित होता है, जो राज्य के आर्थिक विकास में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान की विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है।

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

प्रचलित बुतियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2024–25 में ₹15.70 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2025–26 में ₹17.12 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2025–26 में 9.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2025–26 में वर्ष 2024–25 की तुलना में क्षेत्रवार प्रतिशत विचलन कृषि क्षेत्र में 3.47 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 6.99 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 13.52 प्रतिशत है। प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के वृहद् क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2021–22 से सकल राज्य मूल्य वर्धन मूल्यों को तालिका–13.6 में तथा सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान को चित्र 13.3 में दर्शाया गया हैं।

चित्र 13.3

वर्ष 2025–26 (अग्रिम अनुमान) के लिए राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान



तालिका 13.6 : प्रचलित बुनियादी कीमतों पर क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन

(₹करोड़)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
कृषि क्षेत्र	322739	351121	388438	425904	440702
उद्योग क्षेत्र	315450	348361	395783	424790	454486
सेवा क्षेत्र	492527	573023	633302	719530	816828

वर्ष 2023–24– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2024–25–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान

वर्ष 2025–26 के लिए कृषि क्षेत्र (फसलें, पशुधन, वानिकी और लॉगिंग तथा मत्स्य पालन) का योगदान 25.74 प्रतिशत होने की संभावना है। खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ तथा निर्माण से युक्त उद्योग क्षेत्र 2025–26 के दौरान 26.55 प्रतिशत होने की संभावना है। सेवा क्षेत्र, जिसमें व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट, आवासों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएँ, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ शामिल हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जिनका योगदान 2025–26 के दौरान 47.71 प्रतिशत अनुमानित है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर

वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2024–25 में ₹8.21 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2025–26 में ₹8.79 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2025–26 में 7.03 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2025–26 में 25.33 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2025–26 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹2.23 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 0.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उद्योग क्षेत्र, जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित है, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2025–26 में 28.21 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2025–26 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹2.48 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 7.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र में रेलवे, अन्य यातायात, भण्डारण, संचार, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, लोक प्रशासन, वित्तीय तथा अन्य सेवाओं का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2025–26 में योगदान 46.46 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2025–26 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹4.08 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 11.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2021–22 से स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के वृहद् क्षेत्रों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन की संरचना को तालिका–13.7 में दर्शाया गया है।

तालिका–13.7 : स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹करोड़)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
कृषि क्षेत्र	191571	199619	206474	222073	222550
उद्योग क्षेत्र	194568	203171	218768	231618	247872
सेवा क्षेत्र	293757	319842	338068	367377	408325

वर्ष 2023–24– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2024–25–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान

पूंजी निर्माणः सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण

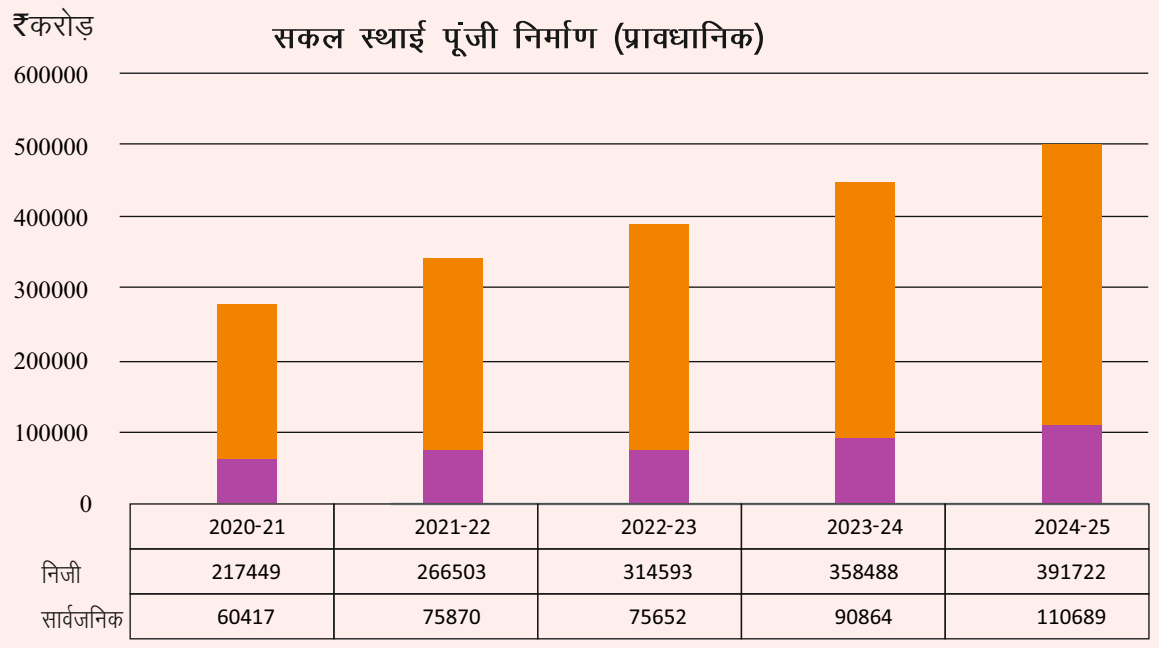
राजस्थान की विकास योजना का एक महत्वपूर्ण घटक व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता देगा जो औद्योगिक विकास का समर्थन करता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों को आकर्षित करता है। प्रमुख परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों सहित परिवहन में सुधार, स्मार्ट शहरों का विकास, औद्योगिक गलियारे और सार्वजनिक उपयोगिताओं का विस्तार शामिल होगा। इसके अलावा, बेहतर सड़कें, सिंचाई प्रणाली और बिजली और स्वच्छ पानी तक पहुंच जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को शहरी–ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए बढ़ाया जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह समग्र दृष्टिकोण न केवल आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेगा बल्कि महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, समग्र उत्पादकता बढ़ाएगा और पूरे राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसम्पत्तियों में से निस्तारित सम्पत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसम्पत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है।

राजस्थान के सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ) के अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एन.ए.एस.), आधार वर्ष 2011–12, में तय किए गए नियमों, परिभाषाओं और संकलन पद्धति के अनुसार तैयार और संशोधित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इन अनुमानों को उपयोग करने वाले उद्योगों और संस्थागत क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर उपलब्ध नवीनतम प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण आँकड़े और लेखापरीक्षित खाते इस्तेमाल किए गए हैं, हालांकि यह प्रक्रिया आँकड़ों की उपलब्धता की सीमाओं के अधीन रही है।

प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024–25 के अन्त में कुल सम्पत्तियाँ ₹5,02,412 करोड़ अनुमानित की गई हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹17,01,190 करोड़) का 29.53 प्रतिशत है। वर्ष 2024–25 में सकल स्थाई पूंजी निर्माण में गत वर्ष 2023–24 की तुलना में 11.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल स्थाई पूंजी निर्माण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2024–25 में क्रमशः 77.97 एवं 22.03 प्रतिशत रहा है। राज्य में निर्मित सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2020–21 से चित्र–13.4 तथा क्षेत्रवार सकल स्थाई पूंजी निर्माण तालिका–13.6 में दर्शाया गया है।

चित्र–13.4



तालिका 13.8 : क्षेत्रवार सकल स्थाई पूंजी निर्माण (प्रावधानिक)

(₹करोड़)

क्र.सं.	क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	फसलें	8527	10237	10190	12568	14871
2	पशुपालन	1985	2071	2334	2646	3067
3	वानिकी	131	331	427	805	572
4	मत्स्य पालन	131	147	187	205	241
5	खनन	5740	6475	6210	6618	6991
6	विनिर्माण	13895	21172	28890	37231	40479
7	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	24414	31272	25202	31144	37922
8	निर्माण	113134	136998	161923	188132	207125
9	व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	3670	4739	6345	7035	8136
10	रेलवे	1086	1704	3421	6784	7459

(₹करोड़)

क्र.सं.	क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
11	अन्य परिवहन	3212	4612	4843	5698	6030
12	भंडारण	52	183	185	67	67
13	संचार	11853	14612	18039	17951	19593
14	वित्तीय सेवाएं	1275	716	1268	1467	1619
15	स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	66430	77567	85064	90497	96745
16	लोक प्रशासन	10641	12801	13327	17296	23255
17	अन्य सेवाएं	11689	16737	22390	23210	28240
कुल		**277866**	**342374**	**390245**	**449352**	**502412**

योग का मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं है।

मूल्य स्थिरीकरण : आर्थिक विकास और स्थिरता

कीमतों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से समय के साथ–साथ भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन होता हैं। चूंकि कीमतें विभिन्न आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से मूल्य परिवर्तन की वित्तीय निगरानी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका सीधा असर आर्थिक नीति एवं नियोजन पर पड़ता हैं। इनमें होने वाले परिवर्तनों के पर्यवेक्षण के लिए प्राथमिक संकेतक मूल्य सूचकांक हैं। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों मे होने वाले सापेक्ष परिवर्तन मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दो महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जो क्रमशः खुदरा एवं थोक स्तर के मूल्यों को मापते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है, जो उत्पादन लागत को प्रभावित करता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ताओं के लिए जीवन यापन की लागत को मापता है, जिससे उनकी क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का सन् 1957 से राज्य के चयनित केन्द्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुधन उत्पाद, उप उत्पाद, भवन निर्माण हेतु भवन सामग्री एवं मजदूरी दरों के भाव राज्य के 33 जिलों से प्राप्त कर संकलित किये जा रहे हैं। थोक मूल्यों के आधार पर राज्य के मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो, चण्ड़ीगढ़ के द्वारा तैयार कर जारी किए जा रहे हैं।

राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) (आधार वर्ष 1999–2000=100)

थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार–चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेनदेनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं तथा वित्तीय संस्थानों, उद्योगों तथा व्यापार मण्डलों के द्वारा भी उपयोग में लिया जाता हैं। यह विभिन्न वस्तु समूहों जैसे–प्राथमिक वस्तुएं, कृषि वस्तुएं, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य व अखाद्य वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों के पर्यवेक्षण में भी सहायक हैं। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में भी मूल्य सूचकांक सहायक हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 75 प्राथमिक वस्तु समूह में, 69 विनिर्मित उत्पाद समूह में तथा 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में

सम्मिलित हैं। प्राथमिक वस्तु समूह का 33.894, विनिर्मिम उत्पाद समूह का 49.853 तथा ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग को 16.253 भारांकन निर्धारित किया है।

राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2024 में 394.68 से बढक़र वर्ष 2025 में 399.13 रहा है, जो कि 1.13 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक 438.15 से बढकर 445.65 रहा, जिसमें 1.71 प्रतिशत, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह का सूचकांक 570.72 से बढकर 571.11 रहा, जिसमें 0.07 प्रतिशत एवं विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक 307.73 से बढ़कर 311.42 रहा, जिससे 1.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक 2011–12 के आधार वर्ष पर आधारित 2024 में 153.9 से बढ़कर 2025 में 154.9 हो गया, जो 0.65 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के दौरान वृहद् वस्तु समूहवार थोक मूल्य सूचकांक एवं उनका गत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन क्रमशः तालिका 13.9 व 13.10 तथा चित्र 13.5 व 13.6 में दर्शाया गया है:–

तालिका 13.9 : राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

वृहद–समूह		वार्षिक औसत सूचकांक				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	प्राथमिक वस्तुएं	378.22	416.65	420.67	438.15	445.65
(अ)	कृषि वस्तुएं	377.10	415.64	414.86	431.42	437.84
(ब)	खनिज	386.65	424.23	464.56	488.97	504.67
2	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	569.93	576.88	579.11	570.72	571.11
3	विनिर्मित उत्पाद	285.65	302.60	303.29	307.73	311.42
	समस्त वस्तुएं	**363.23**	**385.83**	**387.90**	**394.68**	**399.13**

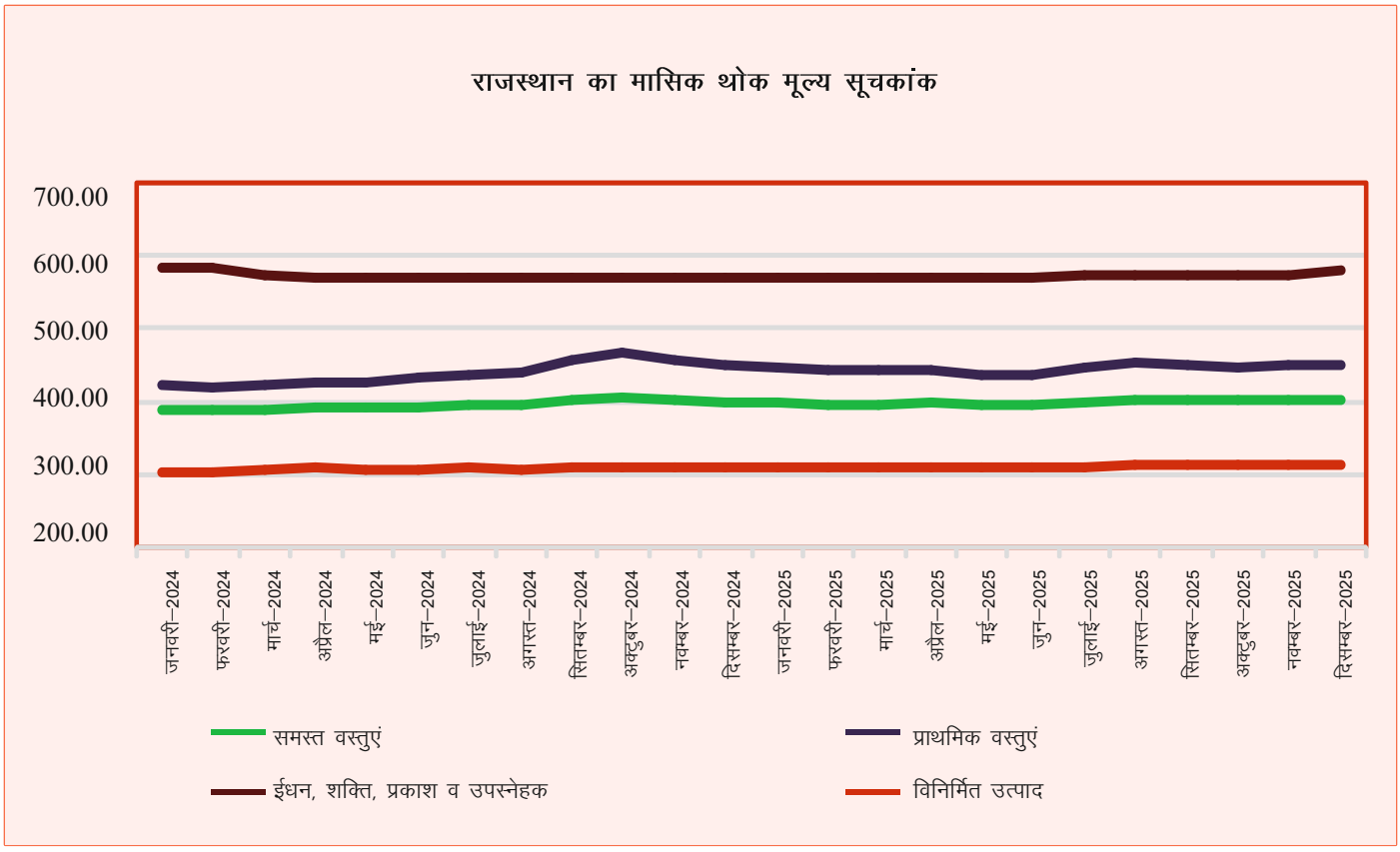
तालिका 13.10 : राज्य के समूहवार थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

वृहद–समूह		वार्षिक औसत प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष आधारित)				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	प्राथमिक वस्तुएं	14.10	10.16	0.96	4.16	1.71
(अ)	कृषि वस्तुएं	14.77	10.22	-0.19	3.99	1.49
(ब)	खनिज	9.39	9.72	9.51	5.25	3.21
2	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	11.91	1.22	0.39	-1.45	0.07
3	विनिर्मित उत्पाद	4.91	5.93	0.23	1.46	1.20
	समस्त वस्तुएं	**9.78**	**6.22**	**0.54**	**1.75**	**1.13**

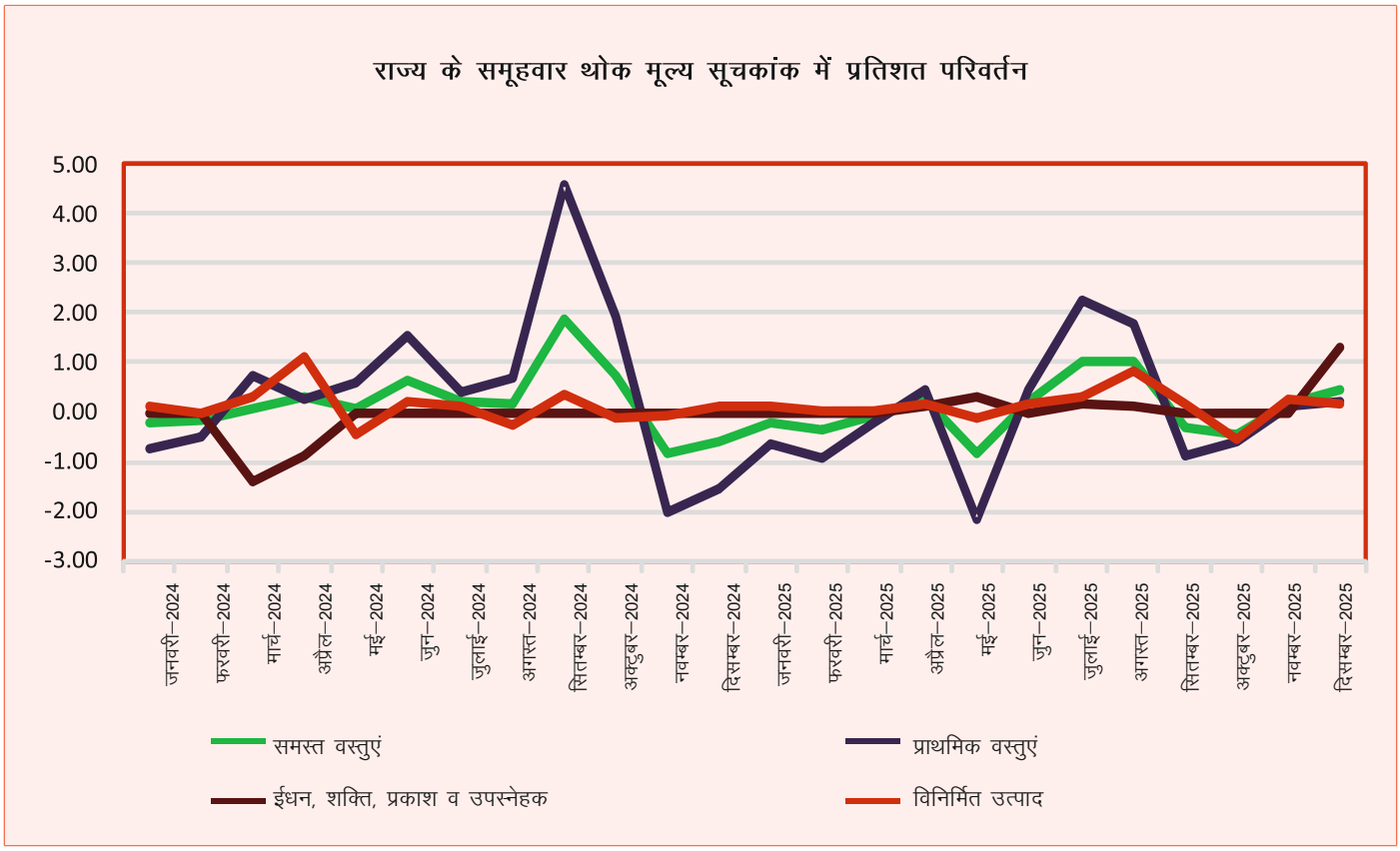
चित्र 13.5

(आधार वर्ष 1999–2000=100)



चित्र 13.6

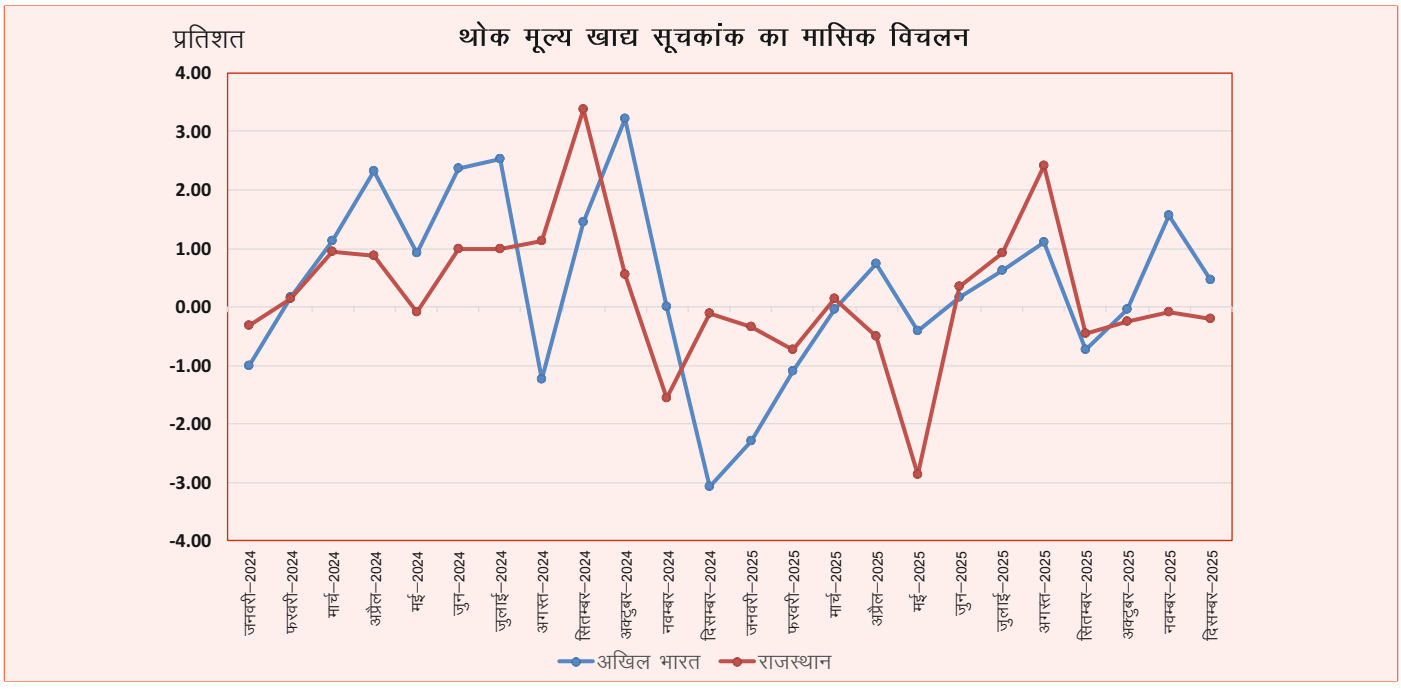
(आधार वर्ष 1999–2000=100)



खाद्य मुद्रास्फीति – थोक मूल्य खाद्य सूचकांक (भार 30.163)

पिछले दो वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना रही है। जलवायु परिवर्तन, हीट वेव्स, अनियमित मानसून वितरण, बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, मूसलधार बारिश और ऐतिहासिक रूप से सूखे की स्थिति के कारण खाद्य कीमतों की अस्थिरता बढ़ रही है। राज्य स्तरीय थोक मूल्य खाद्य सूचकांक, जिसमें प्राथमिक वस्तु समूह से खाद्य सामग्री और विनिर्मित उत्पाद समूह से खाद्य उत्पादन शामिल हैं, वर्ष 2024 में 421.67 था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 427.13 हो गया। इसमें 1.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जनवरी 2024 से दिसम्बर 2025 के दौरान थोक मूल्य खाद्य सूचकांक समूह का मासिक प्रतिशत परिवर्तन चित्र 13.7 में दर्शाया गया है:–

चित्र 13.7



उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अन्तर्गत उन चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के मापन हेतु तैयार किया गया हैं, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। इस तरह के बदलाव उपभोक्ताओं की आय आरै उनके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करते है। चूंकि यह सूचकांक प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमत स्तर में होने वाले उतार–चढ़ाव को दर्शाता है इसलिए सरकार मुद्रास्फीति के लिए थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक महत्व देती है। प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जा रहे हैं – (अ) औद्योगिक श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–आई, डब्ल्यू) (ब) कृषि श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–ए.एल.) (स) ग्रामीण श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–आर.एल.) (द) ग्रामिण, शहरी एवं संयुक्त हेतु (सी.पी.आई–आर.यू. एण्ड सी.)। प्रथम तीन प्रकार के सूचकांक श्रम ब्यूरो चंण्ड़ीगढ़ तथा चतुर्थ सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ), नई दिल्ली द्वारा तैयार एवं जारी किये जाते है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.) (आधार वर्ष 2016=100)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी भी देश में औसत औद्योगिक श्रमिक परिवार द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं की स्थाई बास्केट के खुदरा मूल्यों में होने वाले सामयिक परिवर्तनों को मापने का महत्वपूर्ण कारक है और इस प्रकार यह देश के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोग स्तर पर होने वाले परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण सूचक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–आई.डब्ल्यू का लक्षित समूह कारखाना, खनन, वृक्षारोपण, मोटर परिवहन, पोत, रेलवे एवं विद्युत (उत्पादन व वितरण) में नियोजित श्रमिक हैं। यह सूचकांक मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्तें के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू) श्रम ब्यूरो, चण्ड़ीगढ़ द्वारा तैयार और जारी किया जा रहा है। अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर केन्द्र को औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पुरानी

श्रृंखला (आधार वर्ष 2001=100) में शामिल किया गया था। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला में श्रम ब्यूरो चण्डीगढ द्वारा माह सितम्बर 2020 से नवीन आधार वर्ष 2016=100 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय श्रृंखला के लिए सी.पी.आई (औद्योगिक श्रमिक) का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केन्द्रों से लिये गये समकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें से तीन केन्द्र राजस्थान (अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर) में स्थित है।

वर्ष 2025 में उपभोक्ता कीमतों में निरन्तर वृद्धि का रूझान जारी रहा। 2025 में उपभोक्ता मूल्य के सामान्य सूचकांक में गत वर्ष, 2024 की तुलना में अलवर केंद्र पर 2.02 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र पर 2.62 प्रतिशत, जयपुर केंद्र पर 1.88 प्रतिशत तथा अखिल भारत पर 2.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर केंद्रों के लिए सभी वस्तु समूहों के वर्ष, 2025 के गत वर्ष, 2024 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फिति तालिका 13.11 में तथा दर्शाए गये है।

तालिका 13.11 : औद्योगिक श्रमिकों के लिए समूहवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

क्र. स.	समूह	अलवर केन्द्र		वर्ष 2024 की तुलना में प्रतिशत विचलन	भीलवाड़ा केन्द्र		वर्ष 2024 की तुलना में प्रतिशत विचलन	जयपुर केन्द्र		वर्ष 2024 की तुलना में प्रतिशत विचलन
		वर्ष 2025	वर्ष 2024		वर्ष 2025	वर्ष 2024		वर्ष 2025	वर्ष 2024	
1	खाद्य एवं पेय पदार्थ	143.0	144.3	-0.90	141.6	145.5	-2.68	147.2	147.4	-0.14
2	पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक पदार्थ	154.3	147.1	4.89	139.6	134.1	4.10	119.5	117.3	1.88
3	वस्त्र एवं जूते	145.5	131.6	10.56	146.9	140.3	4.70	141.7	140.8	0.64
4	आवास समूह	117.2	115.2	1.74	123.1	120.1	2.50	125.7	122.0	3.03
5	ईधन एवं प्रकाश	114.1	109.6	4.11	90.9	89.8	1.22	69.4	67.5	2.81
6	विविध	143.0	136.5	4.76	144.7	138.0	4.86	127.3	122.8	3.66
सामान्य सूचकांक		**136.3**	**133.6**	**2.02**	**137.1**	**133.6**	**2.62**	**130.0**	**127.6**	**1.88**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि तीनों केन्द्रों पर वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में सामान्य सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 से अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर और अखिल भारत के लिए वर्षवार औसत सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100) तालिका 13.12 में दिए गए हैं।

तालिका 13.12 : औद्योगिक श्रमिकों के लिए वर्षवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)

(आधार वर्ष 2016=100)

वर्ष	अलवर		भीलवाडा		जयपुर		अखिल भारत	
	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
2021	120.9	2.37	118.5	1.98	115.8	1.31	122.0	2.43
2022	126.3	4.47	127.0	7.17	123.1	6.30	129.2	5.90
2023	127.6	1.03	131.9	3.86	126.4	2.68	136.4	5.57
2024	133.6	4.70	133.6	1.29	127.6	0.95	141.6	3.81
2025	136.3	2.02	137.1	2.62	130.0	1.88	145.5	2.75

कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूंचकांक (सी.पी.आई.–ए.एल.) (आधार वर्ष 1986–87=100)

श्रम ब्यूरो, चण्ड़ीगढ द्वारा कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक (सी.पी.आई.) मई 2025 तक 1986–87 आधार वर्ष के अनुसार तैयार किये गए हैं। नया आधार वर्ष 2019 जून 2025 से लागु किया गया है। जून से दिसम्बर 2025 की अवधि के दौरान राजस्थान के कृषि श्रमिकों का औसत सामान्य सूचकांक 137.23 एवं अखिल भारत का 136.13 रहा। वर्ष 2022–21 से 2024–25 तक राजस्थान एवं अखिल भारत स्तर पर कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तालिका 13.13 में दर्शाए गए है।

तालिका 13.13 : कृषि श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष 1986–87=100
(कृषि वर्ष–जुलाई से जून)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारतीय	
	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक
2021-22	1108	1151	1026	1092
2022-23	1247	1260	1094	1166
2023-24	1328	1319	1192	1250
2024-25	1398	1384	1245	1308

वर्ष 2024–25 के लिए औसत जूलाई 2024 से मई 2025 तक का अलग–अल

सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त) (आधार वर्ष 2012=100)

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ) ,सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए अखिल भारत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग–अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवीन आधार वर्ष 2012 के आधार पर माह जनवरी, 2015 से जारी किए जा रहे हैं। सामान्य सूचकांक वर्ष 2021 से वर्ष 2025 की विवरण तालिका 13.14 में अंकित हैं।

तालिका 13.14 : ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2012=100)

वर्ष	राजस्थान			अखिल भारतीय		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
2021	157.85	157.73	157.81	161.89	160.73	161.35
2022	169.10	167.98	168.70	173.13	171.03	172.15
2023	180.41	179.10	179.95	183.17	180.41	181.88
2024	189.21	187.95	188.75	193.11	188.34	190.88
2025	191.88	190.38	191.35	196.81	193.08	195.08

राजकोषीय प्रबन्धन : वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना

वर्ष 2024–25 में मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:–

राजस्व घाटा : वर्ष 2024–25 में राजस्व घाटा ₹41,950 करोड़ रहा।

राजकोषीय घाटा : वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमानों में अनुमानित ₹70,091 करोड़ के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹72,420 करोड़ रहा, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.26 प्रतिशत (विद्युत क्षेत्र के लिए 0.42 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के अन्तर्गत 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण हेतु 0.54 प्रतिशत अतिरिक्त सहित) है।

राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति/वित्तीय मानकों का विस्तृत विवरण तालिका 13.15 एवं चित्र 13.8 से 13.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15 : राजकोषीय स्थिति/परिमाप

(₹करोड़)

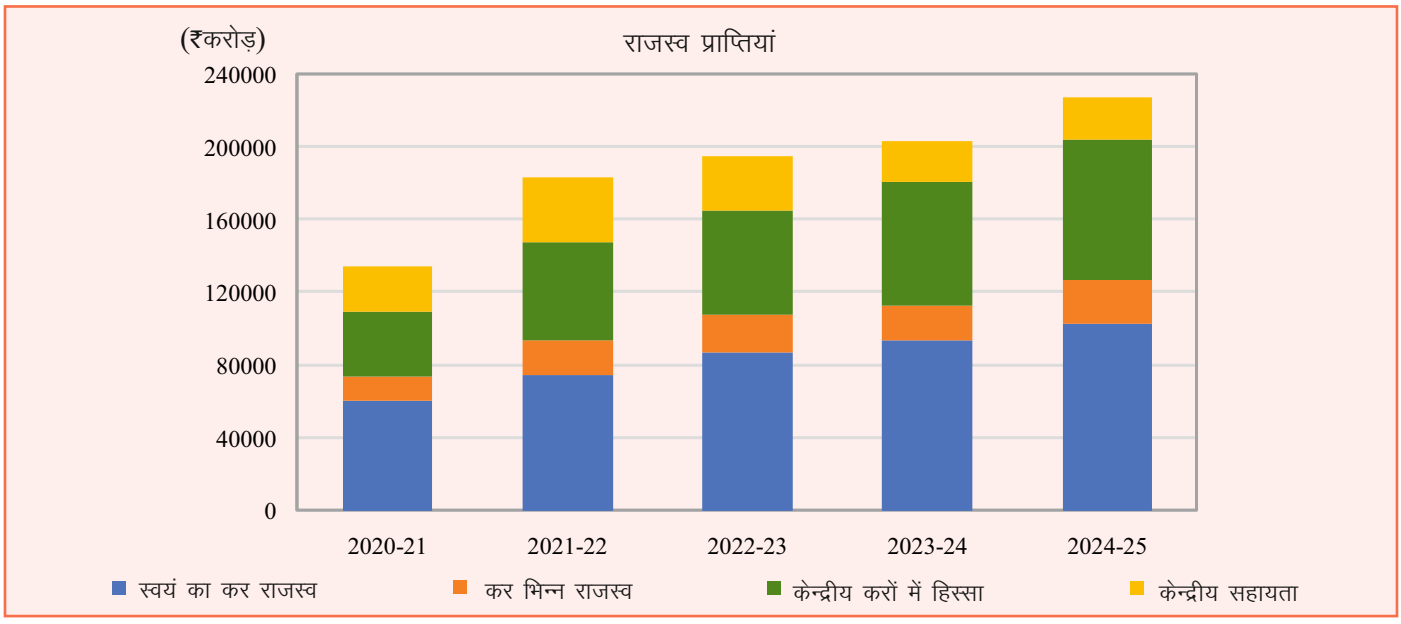
मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व प्राप्तियां	**134308**	**183920**	**194988**	**203276**	**227250**
(i) स्वयं का कर राजस्व	60283	74808	87347	94086	103310
(ii) कर भिन्न राजस्व	13653	18755	20564	18680	23502
(iii) केन्द्रीय करों में हिस्सा	35576	54031	57231	68063	77548
(iv) केन्द्रीय सहायता	24796	36326	29846	22447	22890
2. गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां	**388**	**2405**	**436**	**419**	**524**
3. कुल प्राप्तियां (राजस्व प्राप्तियां+गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां)	**134696**	**186325**	**195424**	**203695**	**227774**
4. कुल व्यय	**194071**	**234563**	**246452**	**269275**	**300194**
(i) राजस्व व्यय	178310	209790	226479	242231	269200
इसमें से					
ब्याज भुगतान	25202	28100	30602	34128	40179
(ii) पूँजीगत परिव्यय	15270	24152	19798	26646	30727
(iii) उधार एवं अग्रिम	491	621	175	398	267
5. सकल राज्य घरेलु उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011–12 की श्रृंखलानुसार)	**1017917**	**1195641**	**1348693**	**1522063**	**1701190**
6. राजस्व घाटा	**44002**	**25870**	**31491**	**38955**	**41950**
7. राजकोषीय घाटा	**59375**	**48238**	**51028**	**65580**	**72420**

(₹करोड़)

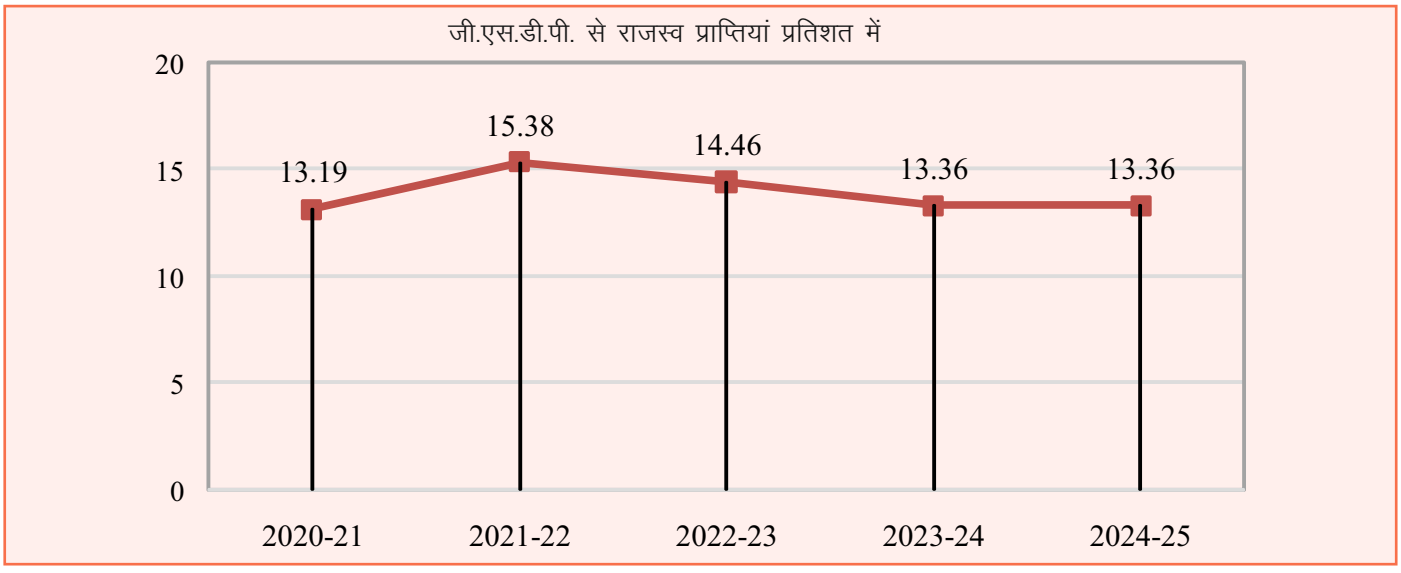
मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
8. प्राथमिक घाटा	**34173**	**20138**	**20426**	**31452**	**32241**
9. राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (%)	**5.83**	**4.03**	**3.78**	**4.31**	**4.26**
10. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर (प्रतिशत)	-4.14	36.94	6.02	4.25	11.79
11.राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.75	24.09	16.76	7.72	9.80
12. सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	13.19	15.38	14.46	13.36	13.36
13. सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के स्वयं का कर राजस्व (प्रतिशत)	5.92	6.26	6.48	6.18	6.07
14. वेतन एवं मजदूरी पर व्यय	**51619**	**57118**	**59774**	**65399**	**70791**
(i) राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	38.43	31.06	30.66	32.17	31.15
(ii) राजस्व व्यय से प्रतिशत (ब्याज एवं पेंशन भुगतान के अतिरिक्त)	39.50	36.08	35.06	36.15	35.45
15. ब्याज भुगतान व्यय	**25202**	**28100**	**30602**	**34128**	**40179**
(i) राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	18.76	15.28	15.69	16.79	17.68
(ii) राजस्व व्यय से प्रतिशत	14.13	13.39	13.51	14.09	14.93
16. राजकोषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व)	**410499**	**462845**	**505574**	***568285**	**640844**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	40.33	38.71	37.49	37.34	37.67

*केन्द्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर ऋण के रूप में प्राप्त राशि में से ₹3,353.38 करोड को महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रोफार्मा से कम किया गया है।

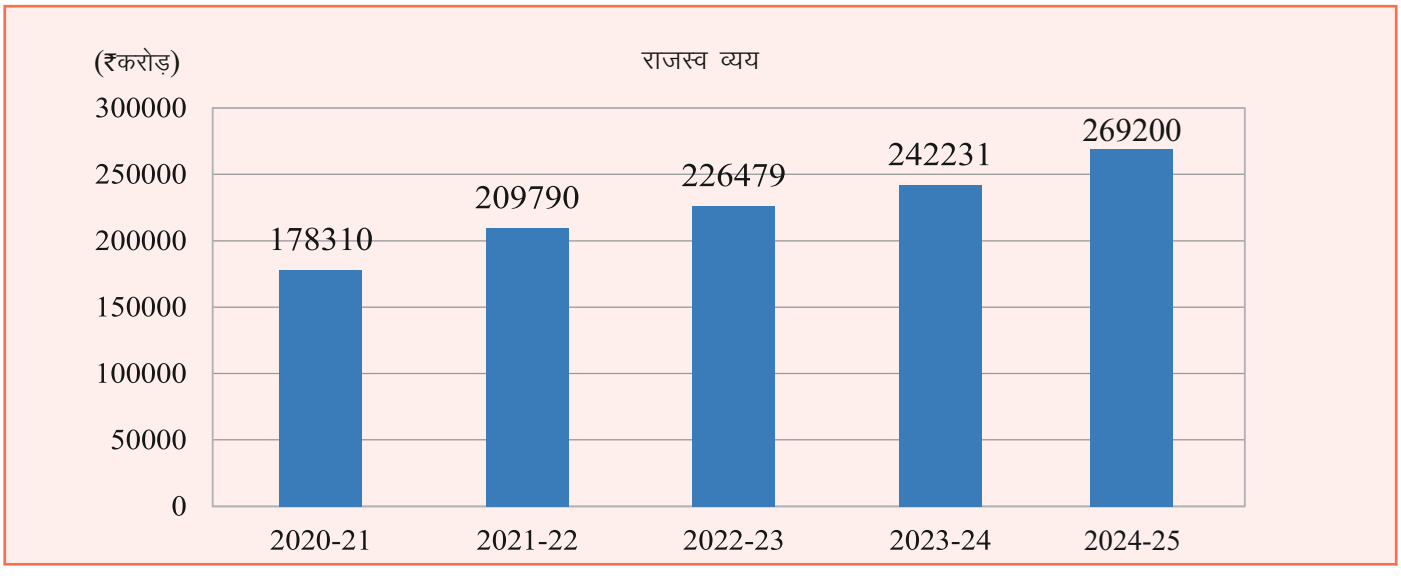
चित्र 13.8



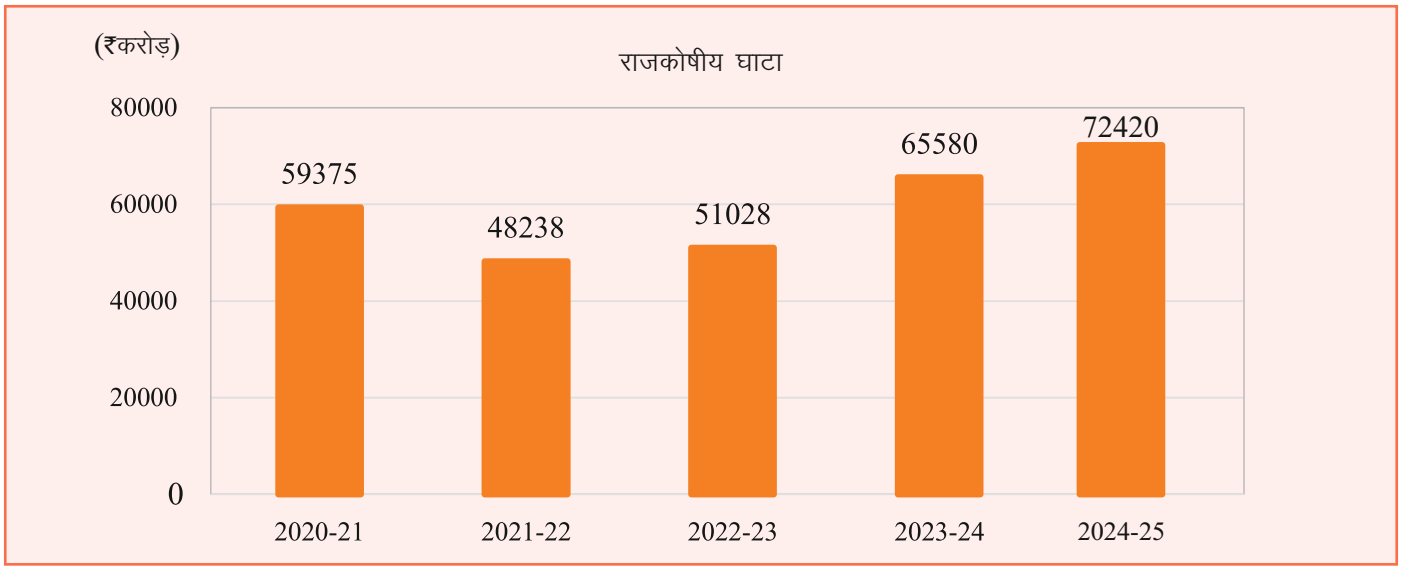
चित्र 13.9



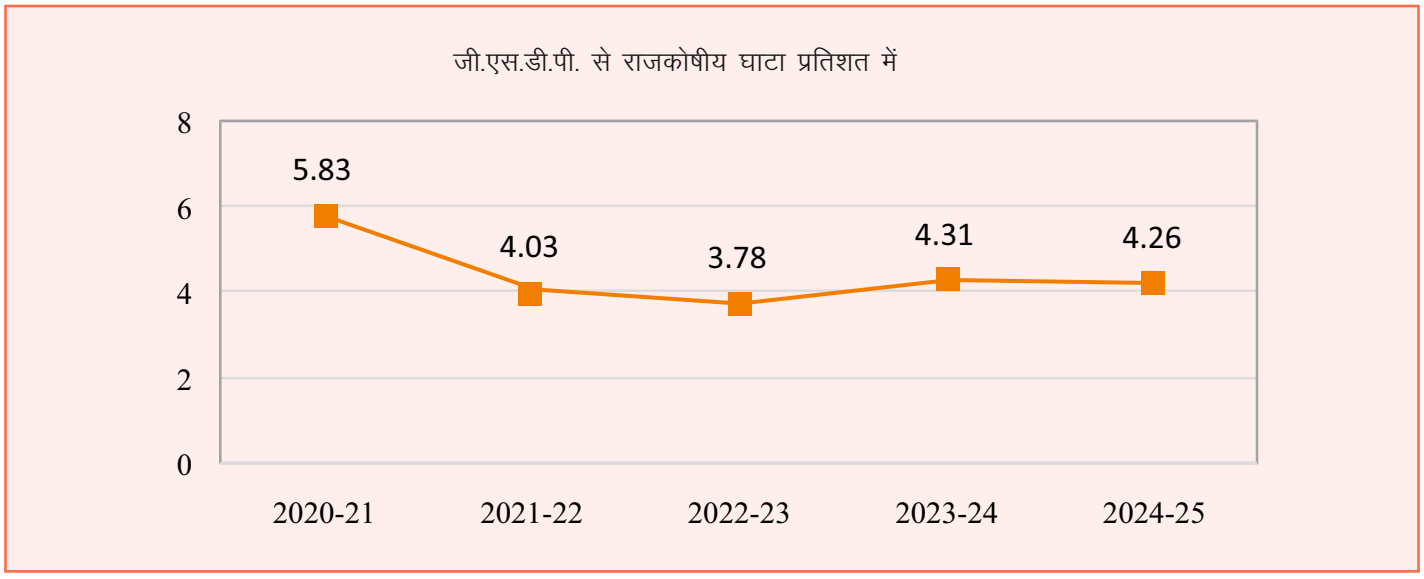
चित्र 13.10



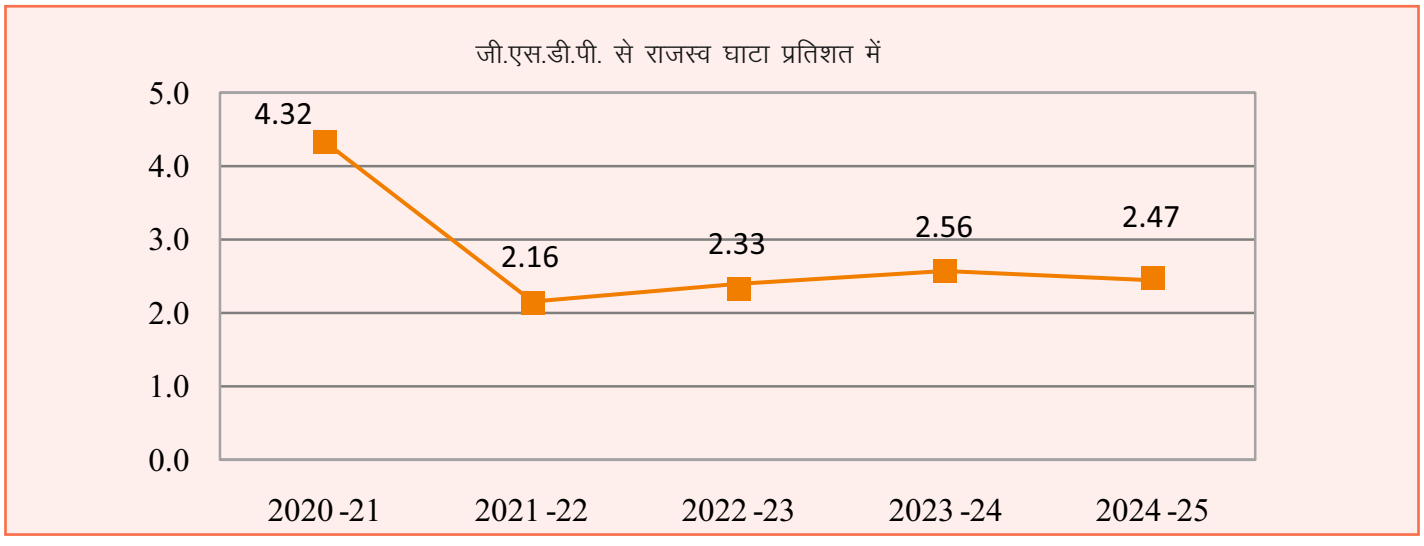
चित्र 13.11



चित्र 13.12



चित्र 13.13



राजस्व व्यय का क्षेत्रवार तुलनात्मक विवरण तालिका 13.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 13.16 : राजस्व व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण

(₹करोड़)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल राजस्व व्यय	178310	209790	226479	242231	269200
सामान्य सेवाएं (सहायतार्थ अनुदान व अंशदान को सम्मिलित मानते हुए)	60144 (33.73)	65406 (31.18)	71875 (31.74)	77678 (32.07)	87022 (32.33)
सामाजिक सेवाएं	74010 (41.51)	85054 (40.54)	90168 (39.81)	101884 (42.06)	114789 (42.64)
आर्थिक सेवाएं	44156 (24.76)	59330 (28.28)	64436 (28.45)	62669 (25.87)	67389 (25.03)

नोटः कोष्ठक में दिए हुए समंक सम्बन्धित वर्ष के कुल राजस्व व्यय से प्रतिशत दर्शाते हैं।

वर्ष 2024–25 में राजकोषीय स्थिति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:–

प्राप्तियों की प्रवृत्ति :

वर्ष 2024–25 में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 11.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 9.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि मुद्रांक एवं पंजीयन में 14.82 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क में 14.21 प्रतिशत, वाहन कर में 12.98 प्रतिशत, विद्युत कर तथा शुल्क में 12.40 प्रतिशत तथा राज्य माल एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) में 11.84 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप रही।

व्यय की प्रवृत्ति :

राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2024–25 में 75.70 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2024–25 में योजनाओं पर व्यय ₹1,79,475 करोड़ का हुआ जो कि गत वर्ष की तुलना में 14.41 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024–25 में वेतन एवं मज़दूरी पर व्यय, कुल राजस्व व्यय (पेंशन भुगतान व ब्याज को छोड़कर) का 35.45 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2024–25 में वेतन तथा मजदूरी में पिछले वर्ष की तुलना में 8.24 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2024–25 में विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹2,12,655 करोड़ का रहा, जो कि समग्र व्यय का 70.8 प्रतिशत है। विकासात्मक व्यय का विवरण तालिका 13.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 13.17 : विकासात्मक व्यय का विवरण

(₹करोड़)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामाजिक सेवाएं	81932	96119	99019	111857	127438
आर्थिक सेवाएं	51597	72554	75016	79333	85217
कुल विकासात्मक व्यय	133529	168673	174035	191190	212655
कुल व्यय	194071	234563	246452	269275	300194
विकासात्मक व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	68.8%	71.9%	70.6%	71.0%	70.8%

पूंजीगत परिव्यय:

वर्ष 2024–25 में पूंजीगत परिव्यय ₹30,727 करोड़ रहा जो कि वर्ष 2023–24 से 15.3 प्रतिशत अधिक है।

राजकोषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व):

वर्ष 2023–24 के अन्त में कुल राजकोषीय देनदारियां [#]₹5,68,285 करोड़ थी, जिसमें ₹72,559 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2025 को यह ₹6,40,844 करोड़ हो गई। इस प्रकार वर्ष 2023–24 की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 12.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजकोषीय देनदारियां अतिरिक्त ऋण (जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति एवं पूंजीगत व्यय हेतु) को कम करने के पश्चात राशि ₹6,07,382 करोड रही जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 35.70 प्रतिशत है। राजकोषीय देनदारियों के घटक इस प्रकार है:– (i) आन्तरिक ऋण ₹4,48,790 करोड़, (ii) केन्द्र सरकार से ऋण ₹53,606 करोड़, (iii) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि ₹75,981 करोड़ तथा (iv) आरक्षित निधि एवं जमा ₹62,467 करोड़।

राजकोषीय समेकन :

वर्ष 2024–25 में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 282 प्रतिशत रहा। वर्ष 2024–25 के अन्त में राजकोषीय देनदारियां राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 5.05 गुना रही है। वर्ष 2024–25 में राजकोषीय देनदारियां राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 37.67 प्रतिशत एवं अतिरिक्त ऋण के प्रभाव रहित 35.70 प्रतिशत रही है।

[#]केन्द्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर ऋण के रूप में प्राप्त राशि में से ₹3,353.38 करोड को महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रोफार्मा से कम किया गया है।

स्कीमवार आय–व्ययक की समीक्षा

स्कीमवार आय–व्ययक का आय–व्ययक अनुमान तथा व्यय तालिका 13.18 में दर्शाया गया है।

तलिका 13.18 : स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान एवं व्यय विवरण

(₹करोड़)

वर्ष	आय–व्ययक अनुमान	व्यय
2017-18	81157.97	78117.34
2018-19	107865.40	99743.07
2019-20	116735.96@	103530.80
2020-21	110200.82	101872.43
2021-22	132251.35	137764.24
2022-23	169655.55	141924.56
2023-24	184311.57	155490.15
2024-25	209633.99@	183456.87*
2025-26	245608.47	132299.53#

@ परिवर्तित आय–व्ययक अनुमान
* अनन्तिम व्यय
#दिसम्बर, 2025 तक

स्कीमवार आय–व्ययक परिव्यय (2025–26)

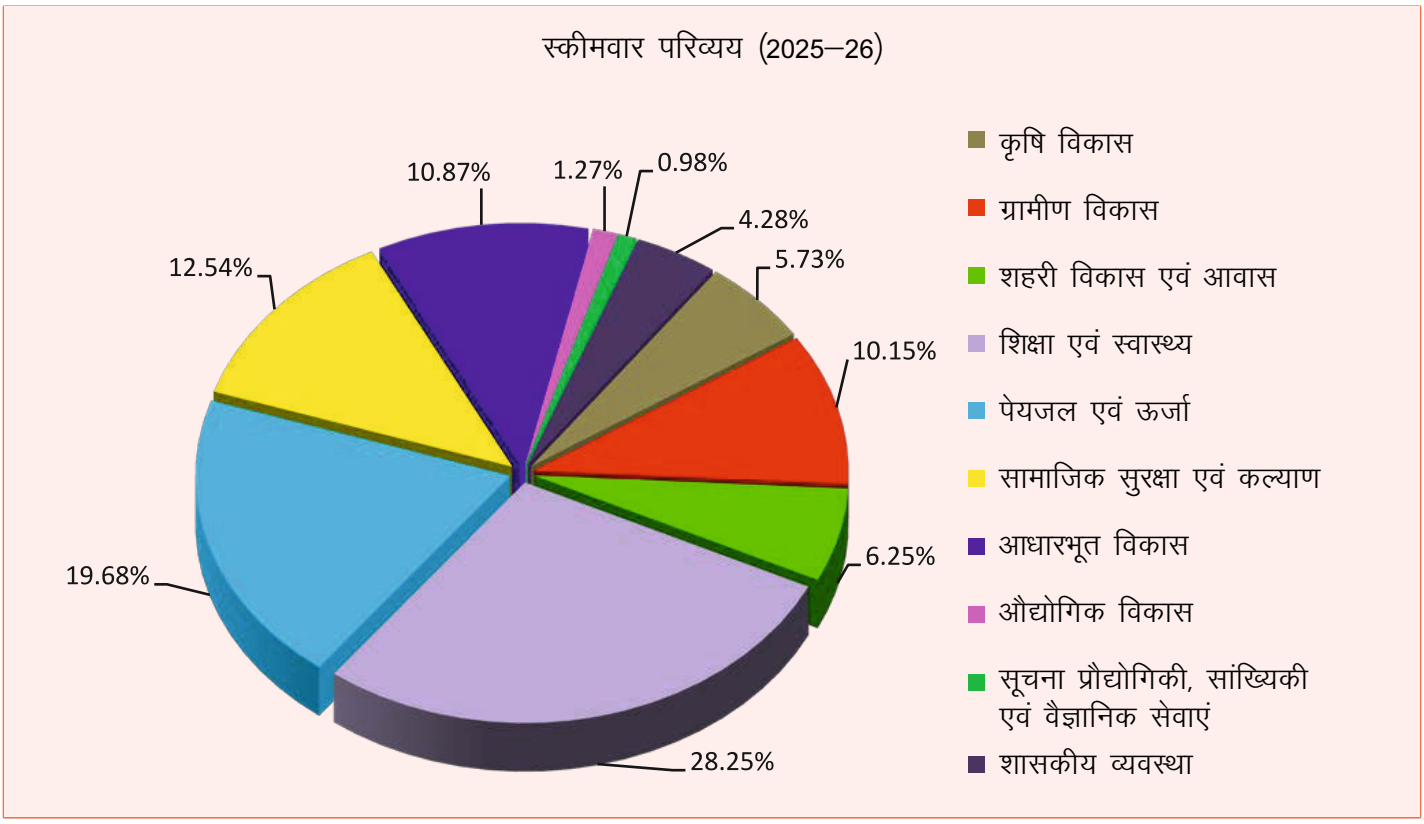
वर्ष 2025–26 में स्कीमवार परिव्यय ₹2,45,608.47 करोड़ है। वर्ष 2025–26 के लिए मुख्य मदवार आवंटन का विवरण तालिका 13.19 एवं चित्र 13.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 13.19 : स्कीमवार आय–व्ययक परिव्यय का मदवार आवंटन 2025–26

(₹करोड़)

क्र. सं.	मुख्य मद	स्कीमवार परियय 2025–26
1	कृषि विकास	14075.96
2	ग्रामीण विकास	24925.02
3	शहरी विकास एवं आवास	15344.04
4	शिक्षा एवं स्वास्थ्य	69389.83
5	पेयजल एवं ऊर्जा	48341.30
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	30802.73
7	आधारभूत विकास	26697.86
8	औद्योगिक विकास	3121.45
9	सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं वैज्ञानिक सेवाएं	2414.03
10	शासकीय व्यवस्था	10496.25
कुल योग		**245608.47**

चित्र 13.14



वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के स्कीमवार आय–व्ययक के अन्तर्गत व्यय को तालिका 13.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 13.20 : स्कीमवार आय–व्ययक के अन्तर्गत वर्षवार व्यय

(₹करोड़)

क्र. सं.	मुख्य मद	व्यय	
		2024-25*	2025-26#
1	कृषि विकास	9658.24	7577.80
2	ग्रामीण विकास	17923.49	9442.66
3	शहरी विकास एवं आवास	10921.95	7816.45
4	शिक्षा एवं स्वास्थ्य	53412.05	44770.27
5	पेयजल एवं ऊर्जा	36073.54	25197.43
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	27375.41	21019.43
7	आधारभूत विकास	19068.44	12479.17
8	औद्योगिक विकास	1447.26	1209.61
9	सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं वैज्ञानिक सेवाएं	1208.43	916.68
10	शासकीय व्यवस्था	6368.06	1870.03
कुल योग		**183456.86**	**132299.53**

* अनन्तिम व्यय
#दिसम्बर, 2025 तक

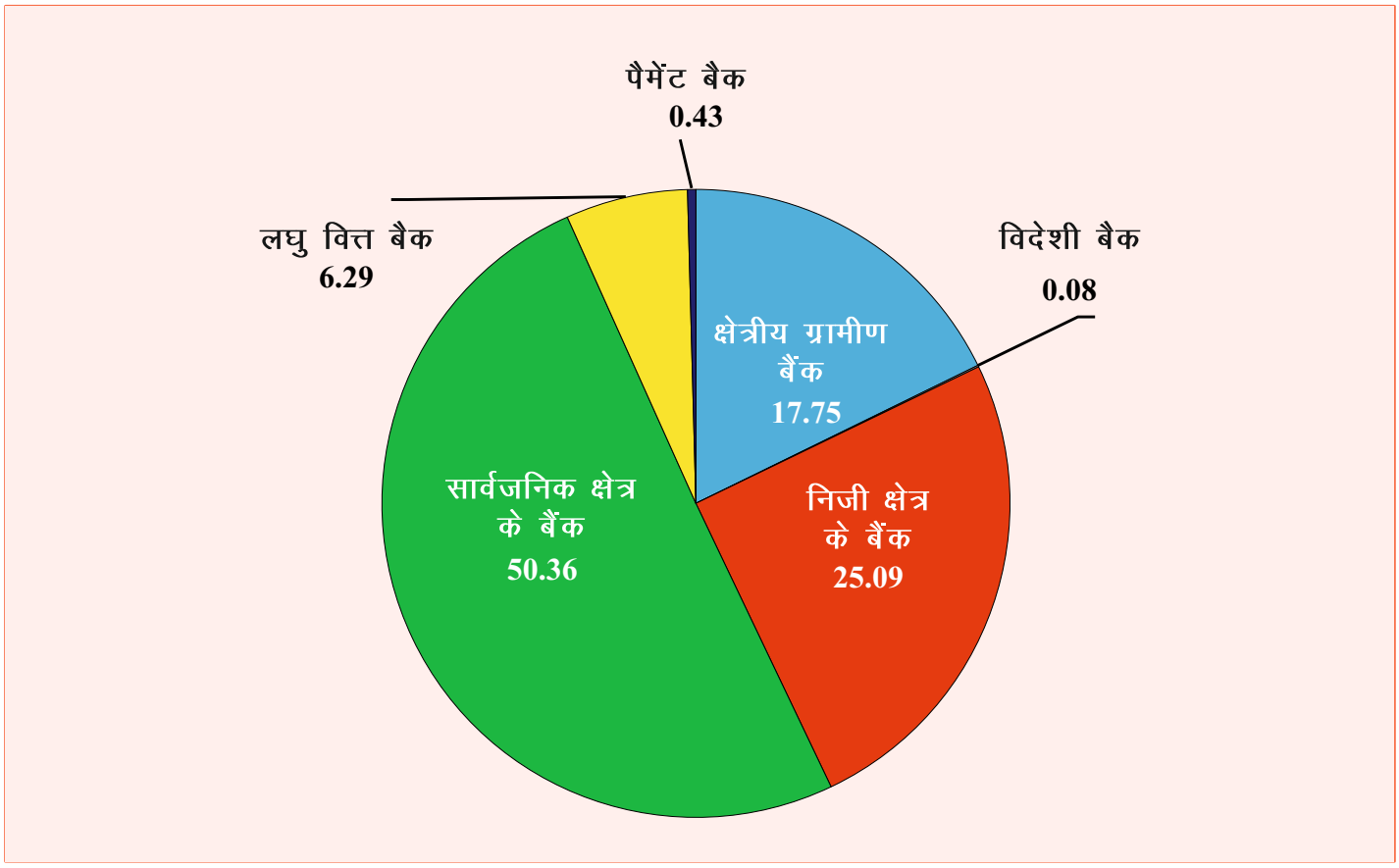
वित्तीय सेवाएँ: पूँजी तक पहुँच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाना

बैंकिंग

वित्तीय संस्थाएँ विभिन्न क्षेत्रों में जमा राशियाँ जुटाने और ऋण वितरण के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नियोजित वित्तपोषण के पूरक के रूप में, सरकार ने राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से संस्थागत वित्त की सुविधा का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालाँकि, ऋण का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए ताकि रिटर्न को अधिकतम किया जा सके और लाभ को आबादी के व्यापक वर्ग तक पहुँचाया जा सके।

राज्य में विकास के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण, निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई)–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम–मुद्रा योजना, स्टार्ट–अप/स्टैंड–अप इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और एससी/एसटी के विकास के लिए योजनाएं, अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे विभिन्न ऋण–आधारित कार्यक्रम बैंकों की सक्रिय भागीदारी से समाज के कमजोर/हाशिए पर पड़े वर्गों के विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जैसे– मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्व–रोजगार योजना आदि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों ने ऋण सहायता प्रदान करके विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद की है और इस प्रकार वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कमजोर वर्गों के उत्थान के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। सितम्बर, 2024 और सितम्बर, 2025 तक राजस्थान में बैंक कार्यालयों, उनकी जमा राशियों और ऋणों का राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक डेटा तालिका 13.21 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 13.15 : राजस्थान में बैंक शाखाएं (प्रतिशत में) सितम्बर, 2025 तक



तालिका 13.21 : बैंक शाखाओं, जमाराशियों और ऋणों के तुलनात्मक आंकड़े

क्र.सं.	मद	राजस्थान		भारत	
		सितम्बर, 2024	सितम्बर, 2025	सितम्बर, 2024	सितम्बर, 2025
1	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	1593	1628#	22140*	22634#
	(ब) जमा (₹करोड़)	49130	52770#	641599*	690414#
	(स) ऋण (₹करोड़)	39165	42176#	479195*	535476#
2	विदेशी बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	7	7	781	810
	(ब) जमा (₹करोड़)	1158	1196	1078997	1193145
	(स) ऋण (₹करोड़)	1284	1353	595705	630738
3	निजी क्षेत्र के बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	2093	2301	45023	49297
	(ब) जमा (₹करोड़)	191680	209253	7638381	8415210
	(स) ऋण (₹करोड़)	230650	261369	7167542	7820942
4	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	4271	4619	86180	93596
	(ब) जमा (₹करोड़)	430072	470327	12503989	13654458
	(स) ऋण (₹करोड़)	306468	348084	9049223	10234006
5	लघु वित्त बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	564	577	7221	7676
	(ब) जमा (₹करोड़)	31513	38597	236969	281828
	(स) ऋण (₹करोड़)	33979	38961	252878	294830
6	पेमेंट बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	3	40	72	845
	(ब) जमा (₹करोड़)	3	4	17566	28508
	(स) ऋण (₹करोड़)	0	0	0	0
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक				
कुल	**(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या**	**8531**	**9172**	**161417**	**174858**
	(ब) जमा (₹करोड़)	**703556**	**772147**	**22117501**	**24263563**
	(स) ऋण (₹करोड़)	**611546**	**691943**	**17544543**	**19515992**

* 31 मार्च, 2024 तक # 31 मार्च, 2025 तक

नोटः– क्षेत्रीय भारतीय रिर्जव बैंक के अनुसार ग्रामीण बैंकों का साख एवं जमा का डाटा केवल वार्षिक रूप से लिया जाता है अतः तिमाही सितंबर 2025 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा एवं साख का डाटा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: https://www.rbi.org.in

तलिका 13.21 यह दर्शाती है कि–

1. सितम्बर, 2025 में सितम्बर 2024 की तुलना में, जमा में 9.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 9.70 प्रतिशत रही।
2. सितंबर, 2025 तक राजस्थान में सभी क्षेत्र के बैंकों का ऋण–जमा अनुपात 89.61 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय स्तर पर 80.43 प्रतिशत है।
3. सितम्बर, 2024 की तुलना में सितंबर, 2025 तक राजस्थान में कुल ऋण में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इसमें 11.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
4. राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 832.78 लाख (1 अक्टुबर, 2025) के अनुसार औसतन 9,080 व्यक्तियों पर तथा राज्य के औसतन 37.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक शाखा है।

डिजिटल भुगतान

1. जन आधार कार्ड धारकों को राज्य में जिलों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में विभिन्न सेवा बिंदुओं पर नकद/वित्तीय लेनदेन के लिए सेवाएं मिल सकती हैं। ऐसे लेनदेन को सक्षम करने के लिए राज्य में बैंक शाखाओं के साथ 75,000 से अधिक कियोस्क/ई–मित्र/माइक्रो एटीएम काम कर रहे हैं।
2. ई–मित्र नागरिकों को सरकारी जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बहु–सेवा, एकल–खिड़की नेटवर्क है। इसके अलावा, लाभार्थियों को मोबाइल भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए पेटीएम और एम–पैसा जैसे मोबाइल वॉलेट को जन आधार भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी)

वित्तीय समावेशन जरूरतमंद और कमजोर वर्गों तथा निम्न–आय वर्ग को कम कीमत में और समय पर वित्तीय सेवाएं और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन, मात्र बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है और इसमें ग्राहकों को दरवाजे पर औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा ऋण, बचत, बीमा, प्रेषण सुविधाएं, वित्तीय परामर्श और सलाहकार सेवाएं जैसी वित्तीय सेवाएं शामिल होती हैं।

राज्य में वित्तीय समावेशन के तहत बैंक, ब्रिक और मोर्टार शाखाओं, बैंकिंग आउटलेट और व्यवसाय संवाददाताओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 1,27,468 बैंक मित्र (बीसी) काम कर रहे हैं (31 दिसम्बर 2025 तक)।

अन्य

- प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अन्तर्गत राजस्थान में 3.80 करोड़ खाते खोले गए हैं और 31 दिसम्बर 2025 तक 92.25 प्रतिशत खातों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है।
- राज्य में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में 31 दिसम्बर 2025 तक कुल 132.82 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया है तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 में 31 दिसम्बर 2025 तक कुल 295.26 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया है।
- अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। इस योजना में पात्रता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इस योजना के तहत, सब्स्क्राइबर द्वारा प्रीमियम भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह तथा अधिकतम 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की गारंटी दी जाती है। राज्य में इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक कुल 43.48 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अन्तर्गत 19 जनवरी, 2026 तक राजस्थान में कुल 2,559 लाभार्थियों को ₹213.73 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए।
- वर्ष 2025–26 के दौरान राजस्थान में बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एन.बी.एफ.सी.) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) के अन्तर्गत किए गए संवितरण की प्रगति तालिका 13.22 में दर्शाई गई है।

तालिका 13.22 : वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत प्रगति (16 जनवरी 2026 तक)

ऋण की श्रेणी	स्वीकृतियों की संख्या	विवरण राशि (₹करोड़)
शिशु	469373	1819.58
किशोर	918751	11477.48
तरूण	72582	5657.31
तरूण प्लस	3423	525.26
योग	**1464129**	**19479.63**

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाः–

भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो 05 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित मापदंडों के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करता है–

- डीबीटी योजनाओं की व्यापक पहचान और उनकी ऑन–बोर्डिंग।
- आधार अधिनियम की धारा 7 या धारा 4 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचना।
- सर्विस प्लस या राज्य के किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजनाओं की प्रक्रियाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण।
- डीबीटी योजनाओं की नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान और मोबाइल ऐप उमंग पर उनका एकीकरण।

डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति

यह डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है जो केंद्र के साथ–साथ राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं का समग्र रीयल टाईम व्यू प्रदान करता है और समेकित डैशबोर्ड की जानकारी प्रदान करता है। डीबीटी भारत मिशन पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति निम्नानुसार है–

- वर्तमान में 126 राज्य और 55 सीएसएस डीबीटी योजनाएं डीबीटी भारत पोर्टल पर हैं।
- वर्ष 2025–26 तक डीबीटी भारत पोर्टल के अनुसार कुल संचयी डीबीटी ₹3,90,917.93 करोड़ का लेनदेन किया गया।
- वर्ष 2025–26 के दौरान कुल 4.50 करोड़ लाभार्थी के साथ ₹36,698.53 करोड़ के डीबीटी लेनदेन किए गए (31 दिसम्बर 2025 तक)।
- राज्य के विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2025–26 के दौरान ₹388.26 करोड़ की अनुमानित बचत/लाभ और 1,84,138 अस्तिवहीन एवं दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों को हटाया गया।

समावेशी विकासः समतामूल अर्थव्यवस्था का निर्माण

समावेशी विकास राजस्थान को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्रीय महत्व रखता है, ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित समूहों तक पहुँचे। समानतामूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण अवसंरचना में निवेश कर रही है, रोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बना रही है, वित्तीय समावेशन का विस्तार कर रही है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार कर रही है। उद्यमिता समर्थन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं, युवाओं और निम्न–आय परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी पहल मिलकर असमानताओं को कम करने, बहुआयामी गरीबी का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती हैं कि राजस्थान में आर्थिक विकास व्यापक, सतत और समावेशी हो।

आर्थिक समीक्षा
2025-26

सांख्यिकीय परिशिष्ठ

सांख्यिकीय परिशिष्ठ

परिशिष्ठ	पृष्ठ	विषय
1	प 1	महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक
2	प 4	सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय
3	प 5	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन
4	प 6	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान
5	प 7	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर
6	प 8	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन
7	प 9	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान
8	प 10	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर
9	प 11	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
10	प 12	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
11	प 13	सकल स्थाई पूँजी निर्माण
12	प 17	सकल घरेलू जिला उत्पाद अनुमान प्रचलित मूल्यों पर
13	प 18	सकल घरेलू जिला उत्पाद अनुमान स्थिर (2011–12) मूल्यों पर
14	प 19	जिलेवार प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर
15	प 20	जिलेवार प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर
16	प 21	बजट–अधिशेष (+)/घाटा (–)
17	प 22	बजट (प्राप्तियाँ)
18	प 24	बजट (व्यय)
19	प 26	योजनावार व्यय
20	प 28	कार्यक्रमवार बजट व्यय
21	प 30	राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक
22	प 31	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
23	प 32	संगठित क्षेत्र में रोजगार
24	प 33	कृषि उत्पादन सूचकांक
25	प 35	फसलवार उत्पादन
26	प 37	फसलवार क्षेत्रफल
27	प 39	स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल
28	प 40	स्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल
29	प 41	ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता
30	प 42	राज्य में सड़कों की लम्बाई
31	प 43	स्वास्थ्य सूचक
32	प 45	राज्य में साक्षरता दर
33	प 46	जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011
34	प 48	राजस्थान में अकाल / अभाव की स्थिति से हुई क्षति
35	प 49	राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक		इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1		2	3	4	5	6	7
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ करोड़	434837	493551	551031	615642	681482
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹ करोड़	434837	454564	486230	521509	563340
3	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ करोड़	395331	446382	494236	551517	610713
4	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12)कीमतों पर	₹ करोड़	395331	409802	434292	465408	501922
5	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर	₹	57192	63658	69480	76429	83426
6	प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹	57192	58441	61053	64496	68565
7	सकल स्थाई पूंजी निर्माण ɵ	₹ करोड़	147440	168034	186759	197007	205188
8	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		147.66⊕	108.92	115.89	117.98	119.25
9	कृषि उत्पादन सूचकांक** (2005–06 से 2007–08)=100		153.49	147.50	156.16	143.34	145.62
10	कुल खाद्यान्न उत्पादन**	000 मै.टन	21925	20060	20719	19643	18288
11	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		222.67	253.21	259.88	267.97	273.55
12	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक◇						
	(i) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)		192	214	230	238	245
	(ii) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)		191	215	233	240	248
	(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)		192	215	236	245	259

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

◇कलेण्डर वर्ष से संबंधित

⊕⊕ आधार वर्ष 2004–05=100 कलेण्डर वर्ष से संबधित

ɵ प्रावधानिक

** कृषि वर्ष से संबंधित है।

लगातार....

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक		इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1		2	8	9	10	11	12
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ Crore	760587	832529	911519	1000032	1017917
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹ Crore	596746	628020	643278	678316	665963
3	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ Crore	682626	748490	819185	899469	906308
4	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12)कीमतों पर	₹ Crore	529650	557618	568452	598220	579208
5	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर	₹	91924	98698	106604	115534	114925
6	प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹	71324	73529	73975	76840	73447
7	सकल स्थाई पूंजी निर्माणΘ	₹ Crore	219502	233887	267723	288302	277866
8	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		122.11	133.08	140.37	126.90	122.34
9	कृषि उत्पादन सूचकांक** (2005–06) से (2007–08)=100		175.12	170.17	183.07	202.56	207.85
10	कुल खाद्यान्न उत्पादन**	'000 MT	23140	22105	23160	26635	27324
11	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		287.24	292.34	301.74	316.00	337.70
12	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक◇		(आधार वर्ष 2001=100)				आधार वर्ष 2016=100
	(i) जयपुर		257	268	282	313	325Ψ	114.6^
	(ii) अजमेर		256	260	272	292	300Ψ	-
	(iii) भीलवाड़ा		269	274	278	296	308Ψ	116.0^
	(iii) अलवर		-	-	-	-	-	117.3^

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

◇कलेण्डर वर्ष से संबंधित

** कृषि वर्ष से संबंधित है

Θ प्रावधानिक

Ψ अप्रैल से अगस्त, 2020

^सितम्बर से मार्च 2021

लगातार...

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	13	14	15	16	17
1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ करोड़	1195641	1348693	1522063	1701190	1875413
2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹ करोड़	725464	771631	830724	903564	981807
3 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ करोड़	1070324	1202344	1361835	1525291	1685118
4 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12)कीमतों पर	₹ करोड़	634247	674018	724575	789133	859333
5 प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर	₹	134143	149060	167027	185095	202349
6 प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹	79490	83561	88868	95762	103189
7 सकल स्थाई पूंजी निर्माण ϴ	₹ करोड़	342374	390245	449352	502412	उ.न.
8 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		133.97	136.93	153.46	154.38	153.29$^{\Delta}$
9 कृषि उत्पादन सूचकांक** (2005–06) से 2007–08)=100		201.57	209.63	214.92	243.55	उ.न.
10 कुल खाद्यान्न उत्पादन **	000 मै.टन	23192	25280	24092	30962	28398*
11 थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		371.22	388.45	388.09	396.70	399.74^{Ø}
12 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक		आधार वर्ष 2016=100				
(i) जयपुर		116.5	125.4	126.0	132.0	130.7^{Ø}
(ii) भीलवाड़ा		120.1	129.1	132.0	134.8	137.6^{Ø}
(iii) अलवर		123.0	126.8	127.7	135.5	136.7^{Ø}

नोट : 1–7 के लिए वर्ष 2023–24 संशोधित अनुमान-II, वर्ष 2024–25 संशोधित अनुमान-I, वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

उ.न. उपलब्ध नहीं

** कृषि वर्ष से संबंधित है

ϴ प्रावधानिक

Δ अप्रैल से नवम्बर 2025 (प्रावधानिक)

* अग्रिम अनुमान

Ø अप्रैल से दिसम्बर 2025

2. सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	127746	127746	112636	112636	18565	18565
2005-06	142236	136285	125333	120202	20275	19445
2006-07	171043	152189	151428	134350	24055	21342
2007-08	194822	160017	172250	140471	26882	21922
2008-09	230949	174556	203939	152284	31279	23356
2009-10	265825	186245	233767	161159	35254	24304
2010-11	338348	213079	300907	185366	44644	27502
2011-12	434837	434837	395331	395331	57192	57192
2012-13	493551	454564	446382	409802	63658	58441
2013-14	551031	486230	494236	434292	69480	61053
2014-15	615642	521509	551517	465408	76429	64496
2015-16	681482	563340	610713	501922	83426	68565
2016-17	760587	596746	682626	529650	91924	71324
2017-18	832529	628020	748490	557618	98698	73529
2018-19	911519	643278	819185	568452	106604	73975
2019-20	1000032	678316	899469	598220	115534	76840
2020-21	1017917	665963	906308	579208	114925	73447
2021-22	1195641	725464	1070324	634247	134143	79490
2022-23	1348693	771631	1202344	674018	149060	83561
2023-24*	1522063	830724	1361835	724575	167027	88868
2024-25#	1701190	903564	1525291	789133	185095	95762
2025-26$	1875413	981807	1685118	859333	202349	103189

* संशोधित अनुमान–II

संशोधित अनुमान-I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2004–05 से 2010–11, 2004–05 श्रृंखला पर आधारित

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2011–12 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

3. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24(	2024-25!	2025- 26"
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	137066	151869	164374	176220	192912	187798
2. पशुपालन	133671	147777	161322	180088	198538	217499
3. वानिकी	20940	22022	23958	30487	32267	33015
4. मत्स्य पालन	966	1070	1467	1643	2187	2390
5. खनन	33790	38114	43339	50988	54946	56426
6. विनिर्माण	108635	135229	143847	157393	167309	184137
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	35185	34479	37807	50828	53144	54702
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	31442	30397	33560	46540	48854	49905
ii जल आपूर्ति	3743	4082	4247	4288	4290	4797
8. निर्माण	79685	107628	123368	136574	149392	159221
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	100072	127158	159559	174036	196417	228282
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	97447	122913	149585	161395	179987	208022
ii होटल तथा जलपान गृह	2625	4245	9975	12641	16430	20260
10. रेलवे	6553	6343	6579	7457	8121	8714
11. अन्य परिवहन	23393	34448	37871	40553	44440	48155
12. भंडारण	527	486	518	614	698	781
13. संचार	16052	18673	21900	24386	26638	28710
14. वित्तीय सेवाएं	41050	44550	58227	63743	76436	86743
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	104153	121749	138704	152402	170344	191800
16. लोक प्रशासन	32227	36346	38902	43301	50177	57172
17. अन्य सेवाएं	87211	102775	110762	126808	146259	166471
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	961175	1130716	1272506	1417523	1570224	1712016
कृषि क्षेत्र	292644	322739	351121	388438	425904	440702
उद्योग क्षेत्र	257294	315450	348361	395783	424790	454486
सेवा क्षेत्र	411238	492527	573023	633302	719530	816828

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2020–21 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान

4. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24(	2024-25!	2025- 26"
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	14.26	13.43	12.92	12.43	12.29	10.97
2. पशुपालन	13.91	13.07	12.68	12.70	12.64	12.70
3. वानिकी	2.18	1.95	1.88	2.15	2.05	1.93
4. मत्स्य पालन	0.10	0.09	0.12	0.12	0.14	0.14
5. खनन	3.52	3.37	3.41	3.60	3.50	3.30
6. विनिर्माण	11.30	11.96	11.30	11.10	10.66	10.76
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	3.66	3.05	2.97	3.59	3.38	3.20
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	3.27	2.69	2.64	3.28	3.11	2.92
ii जल आपूर्ति	0.39	0.36	0.33	0.30	0.27	0.28
8. निर्माण	8.29	9.52	9.69	9.63	9.51	9.30
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	10.41	11.25	12.54	12.28	12.51	13.33
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	10.14	10.87	11.76	11.39	11.46	12.15
ii होटल तथा जलपान गृह	0.27	0.38	0.78	0.89	1.05	1.18
10. रेलवे	0.68	0.56	0.52	0.53	0.52	0.51
11. अन्य परिवहन	2.43	3.05	2.98	2.86	2.83	2.81
12. भंडारण	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
13. संचार	1.67	1.65	1.72	1.72	1.70	1.68
14. वित्तीय सेवाएं	4.27	3.94	4.58	4.50	4.87	5.07
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	10.84	10.77	10.90	10.75	10.85	11.20
16. लोक प्रशासन	3.35	3.21	3.06	3.05	3.20	3.34
17. अन्य सेवाएं	9.07	9.09	8.70	8.95	9.31	9.72
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कृषि क्षेत्र	30.45	28.54	27.59	27.40	27.13	25.74
उद्योग क्षेत्र	26.77	27.90	27.38	27.92	27.05	26.55
सेवा क्षेत्र	42.78	43.56	45.03	44.68	45.82	47.71

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2020–21 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

5. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24(	2024-25!	2025- 26"
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	6.68	10.80	8.23	7.21	9.47	-2.65
2. पशुपालन	21.39	10.55	9.17	11.63	10.24	9.55
3. वानिकी	-0.83	5.17	8.79	27.25	5.84	2.32
4. मत्स्य पालन	2.04	10.73	37.08	12.00	33.14	9.28
5. खनन	25.21	12.80	13.71	17.65	7.76	2.69
6. विनिर्माण	2.71	24.48	6.37	9.42	6.30	10.06
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	12.74	-2.00	9.65	34.44	4.56	2.93
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	14.00	-3.32	10.41	38.68	4.97	2.15
ii जल आपूर्ति	3.17	9.06	4.03	0.96	0.06	11.80
8. निर्माण	-0.78	35.07	14.62	10.70	9.38	6.58
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	-19.87	27.07	25.48	9.07	12.86	16.22
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	-18.37	26.13	21.70	7.90	11.52	15.58
ii होटल तथा जलपान गृह	-52.39	61.71	135.00	26.73	29.97	23.31
10. रेलवे	1.14	-3.20	3.73	13.34	8.90	7.30
11. अन्य परिवहन	-22.64	47.25	9.94	7.08	9.59	8.36
12. भंडारण	-0.98	-7.85	6.61	18.56	13.66	11.82
13. संचार	8.52	16.33	17.28	11.35	9.23	7.78
14. वित्तीय सेवाएं	7.34	8.53	30.70	9.47	19.91	13.48
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	1.17	16.89	13.93	9.88	11.77	12.60
16. लोक प्रशासन	8.96	12.78	7.03	11.31	15.88	13.94
17. अन्य सेवाएं	-6.14	17.85	7.77	14.49	15.34	13.82
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	1.65	17.64	12.54	11.40	10.77	9.03
कृषि क्षेत्र	12.27	10.28	8.79	10.63	9.65	3.47
उद्योग क्षेत्र	5.33	22.60	10.43	13.61	7.33	6.99
सेवा क्षेत्र	-6.67	19.77	16.34	10.52	13.62	13.52

* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2020–21 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

6. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24(	2024-25!	2025- 26¨
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	86912	84591	92168	93858	102622	97477
2. पशुपालन	80206	87089	87001	91325	97014	102059
3. वानिकी	19124	19170	19580	20287	21175	21741
4. मत्स्य पालन	661	721	871	1003	1263	1274
5. खनन	24586	23285	23730	25308	26602	26227
6. विनिर्माण	91938	102783	106483	113338	118438	127726
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	12131	12720	14295	15264	16467	18010
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	9798	10336	11951	12925	14176	15501
ii जल आपूर्ति	2333	2384	2344	2340	2292	2509
8. निर्माण	49339	55780	58663	64858	70110	75909
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	60434	73710	86510	88695	95954	110669
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	58848	71250	81102	82252	87927	100794
ii होटल तथा जलपान गृह	1585	2461	5408	6442	8026	9875
10. रेलवे	3322	3480	3792	4229	4487	4823
11. अन्य परिवहन	16168	21721	22665	23908	25889	28118
12. भंडारण	318	282	281	313	341	379
13. संचार	11084	11760	13094	14352	15518	16517
14. वित्तीय सेवाएं	31147	31566	36209	38803	41597	45715
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	63131	71344	77108	81089	87742	95612
16. लोक प्रशासन	20621	22125	22165	23455	26053	29504
17. अन्य सेवाएं	50170	57769	58017	63225	69797	76988
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	621290	679896	722632	763310	821068	878748
कृषि क्षेत्र	186902	191571	199619	206474	222073	222550
उद्योग क्षेत्र	177994	194568	203171	218768	231618	247872
सेवा क्षेत्र	256394	293757	319842	338068	367377	408325

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2020–21 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

7. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24(	2024-25!	2025- 26"
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	13.99	12.44	12.75	12.30	12.50	11.09
2. पशुपालन	12.91	12.81	12.04	11.96	11.82	11.61
3. वानिकी	3.08	2.82	2.71	2.66	2.58	2.47
4. मत्स्य पालन	0.11	0.11	0.12	0.13	0.15	0.14
5. खनन	3.96	3.42	3.28	3.32	3.24	2.98
6. विनिर्माण	14.80	15.12	14.74	14.85	14.42	14.53
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	1.95	1.87	1.98	2.00	2.01	2.05
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	1.58	1.52	1.65	1.69	1.73	1.76
ii जल आपूर्ति	0.38	0.35	0.32	0.31	0.28	0.29
8. निर्माण	7.94	8.20	8.12	8.50	8.54	8.64
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	9.73	10.84	11.97	11.62	11.69	12.59
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	9.47	10.48	11.22	10.78	10.71	11.47
ii होटल तथा जलपान गृह	0.26	0.36	0.75	0.84	0.98	1.12
10. रेलवे	0.53	0.51	0.52	0.55	0.55	0.55
11. अन्य परिवहन	2.60	3.19	3.14	3.13	3.15	3.20
12. भंडारण	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
13. संचार	1.78	1.73	1.81	1.88	1.89	1.88
14. वित्तीय सेवाएं	5.01	4.64	5.01	5.08	5.07	5.20
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	10.16	10.49	10.67	10.62	10.69	10.88
16. लोक प्रशासन	3.32	3.25	3.07	3.07	3.17	3.36
17. अन्य सेवाएं	8.08	8.50	8.03	8.28	8.50	8.76
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कृषि क्षेत्र	30.08	28.18	27.62	27.05	27.05	25.33
उद्योग क्षेत्र	28.65	28.62	28.12	28.66	28.21	28.21
सेवा क्षेत्र	41.27	43.20	44.26	44.29	44.74	46.46

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2020–21 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

8. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24(	2024-25!	2025-
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	-0.35	-2.67	8.96	1.83	9.34	-5.01
2. पशुपालन	16.48	8.58	-0.10	4.97	6.23	5.20
3. वानिकी	0.04	0.24	2.14	3.61	4.38	2.67
4. मत्स्य पालन	3.48	9.19	20.69	15.22	25.89	0.87
5. खनन	35.76	-5.29	1.91	6.65	5.11	-1.41
6. विनिर्माण	1.57	11.80	3.60	6.44	4.50	7.84
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	0.45	4.85	12.38	6.78	7.88	9.37
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	0.96	5.50	15.63	8.14	9.68	9.35
ii जल आपूर्ति	-1.64	2.16	-1.70	-0.17	-2.05	9.47
8. निर्माण	-6.29	13.05	5.17	10.56	8.10	8.27
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	-23.27	21.97	17.36	2.52	8.18	15.34
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	-21.83	21.07	13.83	1.42	6.90	14.63
ii होटल तथा जलपान गृह	-54.41	55.22	119.80	19.13	24.59	23.03
10. रेलवे	-15.67	4.76	8.97	11.52	6.10	7.50
11. अन्य परिवहन	-29.69	34.35	4.35	5.48	8.28	8.61
12. भंडारण	-5.18	-11.55	-0.28	11.44	8.95	11.14
13. संचार	-1.26	6.10	11.35	9.61	8.12	6.44
14. वित्तीय सेवाएं	6.68	1.35	14.71	7.16	7.20	9.90
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	-1.99	13.01	8.08	5.16	8.20	8.97
16. लोक प्रशासन	4.67	7.29	0.18	5.82	11.08	13.24
17. अन्य सेवाएं	-8.80	15.15	0.43	8.98	10.40	10.30
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	-2.12	9.43	6.29	5.63	7.57	7.03
कृषि क्षेत्र	6.30	2.50	4.20	3.43	7.56	0.22
उद्योग क्षेत्र	2.68	9.31	4.42	7.68	5.87	7.02
सेवा क्षेत्र	-10.22	14.57	8.88	5.70	8.67	11.15

* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2020–21 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

9. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24(	2024-25!	2025- 26$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	120676	133314	144821	154783	169444	164953
2. पशुपालन	132254	146047	159312	177924	196151	214884
3. वानिकी	20743	21783	23700	30207	31971	32712
4. मत्स्य पालन	893	991	1360	1525	2031	2219
5. खनन	26787	31836	36613	42736	46053	47294
6. विनिर्माण	89945	112823	116518	128797	136911	150682
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	23657	23347	25095	36217	37867	38977
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	21559	21165	22931	34040	35689	36542
ii जल आपूर्ति	2099	2182	2164	2177	2178	2435
8. निर्माण	72742	99563	111972	124061	135705	144633
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	92289	117785	147875	161479	182095	211555
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	90417	114519	139379	150566	167911	194065
ii होटल तथा जलपान गृह	1872	3265	8496	10913	14184	17490
10. रेलवे	5254	5065	5021	5516	6006	6445
11. अन्य परिवहन	16706	27041	28824	30691	33633	36444
12. भंडारण	473	430	455	531	604	675
13. संचार	10447	12450	14847	16471	17992	19391
14. वित्तीय सेवाएं	39985	43377	56862	62265	74663	84730
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	88921	104229	118427	130745	146138	164545
16. लोक प्रशासन	26762	30013	32101	35913	41616	47418
17. अन्य सेवाएं	81033	95306	102355	117434	135447	154164
बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन	849566	1005399	1126156	1257295	1394325	1521722
कृषि क्षेत्र	274566	302135	329193	364439	399597	414769
उद्योग क्षेत्र	213130	267568	290198	331811	356536	381586
सेवा क्षेत्र	361870	435696	506766	561045	638192	725368

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2020–21 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

10. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*	2024-25#	2025- 26$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	76019	72895	79527	80162	87647	83253
2. पशुपालन	79142	85945	85780	90008	95615	100588
3. वानिकी	18977	19012	19422	20117	20997	21558
4. मत्स्य पालन	600	658	789	911	1147	1157
5. खनन	19478	18926	19279	20003	21026	20730
6. विनिर्माण	76641	85600	88490	94506	98759	106503
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	2652	4232	5102	4829	5210	5698
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	1346	2961	3908	3642	4046	4424
ii जल आपूर्ति	1306	1271	1194	1187	1163	1273
8. निर्माण	42941	48708	51056	56497	61072	66124
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	54351	67025	78875	80544	87043	100338
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	53353	65258	74427	75216	80405	92171
ii होटल तथा जलपान गृह	998	1767	4447	5328	6638	8167
10. रेलवे	2336	2565	2724	2911	3088	3320
11. अन्य परिवहन	10903	16179	16604	17320	18755	20370
12. भंडारण	277	243	240	259	282	314
13. संचार	6600	6956	7828	8526	9219	9812
14. वित्तीय सेवाएं	30296	30676	35215	37739	40456	44462
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	51837	59310	64383	67570	73114	79672
16. लोक प्रशासन	16146	17346	17358	18302	20330	23023
17. अन्य सेवाएं	45339	52403	52348	56955	62876	69354
बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन	534535	588679	625020	657161	706636	756274
कृषि क्षेत्र	174737	178510	185518	191198	205405	206555
उद्योग क्षेत्र	141713	157466	163927	175836	186067	199055
सेवा क्षेत्र	218085	252703	275575	290127	315164	350664

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2020–21 से 2025–26, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

11. सकल स्थाई पूँजी निर्माण*

(₹ करोड़)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4
2011-12	121746	25695	147440
2012-13	138855	29179	168034
2013-14	144540	42218	186759
2014-15	145806	51201	197007
2015-16	154697	50491	205188
2016-17	163683	55819	219502
2017-18	178548	55339	233887
2018-19	205303	62420	267723
2019-20	225902	62400	288302
2020-21	217449	60417	277866
2021-22	266503	75870	342374
2022-23	314593	75652	390245
2023-24	358488	90864	449352
2024-25	391722	110689	502412

नोट : *प्रावधानिक
पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

11 (अ). सकल स्थाई पूँजी निर्माण*

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
1. फसलें	3693	4370	4770	5286	5376
2. पशुपालन	1545	1570	1996	2180	2401
3. वानिकी	51	147	33	245	232
4. मत्स्य पालन	41	48	59	82	79
5. खनन	2113	1044	2082	1581	2120
6. विनिर्माण	12950	12887	12353	11062	12035
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	13327	15741	20380	24534	22407
8. निर्माण	59897	67767	61310	71555	72347
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	1719	2063	2344	2661	2942
10. रेलवे	1416	1353	2474	1419	3349
11. अन्य परिवहन	1282	1858	2301	2225	2451
12. भंडारण	10	11	67	76	167
13. संचार	2655	3335	10234	3405	8287
14. वित्तीय सेवाएं	859	1063	851	901	1040
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	37496	43844	46710	50796	53120
16. लोक प्रशासन	3263	4642	8320	5894	6604
17. अन्य सेवाएं	5123	6292	10472	13107	10230
योग	**147440**	**168034**	**186759**	**197007**	**205188**

नोटः– *प्रावधानिक
पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

लगातार...

11 (ब). सकल स्थाई पूँजी निर्माण*

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	7	8	9	10	11
1. फसलें	6550	6479	7013	7718	8527
2. पशुपालन	2725	3785	1549	1842	1985
3. वानिकी	207	177	112	98	131
4. मत्स्य पालन	93	101	105	118	131
5. खनन	2552	4576	9064	6435	5740
6. विनिर्माण	12703	14842	14494	16481	13895
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	24913	19842	23015	22471	24414
8. निर्माण	77653	79414	92909	109595	113134
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	3239	3740	4336	4718	3670
10. रेलवे	1095	1357	1536	1230	1086
11. अन्य परिवहन	2569	2904	3427	5097	3212
12. भंडारण	60	101	63	29	52
13. संचार	7663	14981	17308	15136	11853
14. वित्तीय सेवाएं	801	400	1415	1731	1275
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	55366	60846	66642	70130	66430
16. लोक प्रशासन	8276	8615	10452	9988	10641
17. अन्य सेवाएं	13036	11727	14283	15485	11689
योग	**219502**	**233887**	**267723**	**288302**	**277866**

नोटः– *प्रावधानिक
पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

लगातार...

11 (स). सकल स्थाई पूँजी निर्माण*

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	12	13	14	15
1. फसलें	10237	10190	12568	14871
2. पशुपालन	2071	2334	2646	3067
3. वानिकी	331	427	805	572
4. मत्स्य पालन	147	187	205	241
5. खनन	6475	6210	6618	6991
6. विनिर्माण	21172	28890	37231	40479
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	31272	25202	31144	37922
8. निर्माण	136998	161923	188132	207125
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	4739	6345	7035	8136
10. रेलवे	1704	3421	6784	7459
11. अन्य परिवहन	4612	4843	5698	6030
12. भंडारण	183	185	67	67
13. संचार	14612	18039	17951	19593
14. वित्तीय सेवाएं	716	1268	1467	1619
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	77567	85064	90497	96745
16. लोक प्रशासन	12801	13327	17296	23255
17. अन्य सेवाएं	16737	22390	23210	28240
योग	**342374**	**390245**	**449352**	**502412**

नोटः– *प्रावधानिक
पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

12. सकल घरेलू जिला उत्पाद अनुमान प्रचलित मूल्यों पर*

(₹ करोड़)

क्र. सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	44693	53904	61448	69640	76914
2	अलवर	83910	101705	107446	123607	136559
3	बांसवाड़ा	17175	19753	22924	25820	28897
4	बारां	18173	21154	22967	25496	28712
5	बाड़मेर	33872	38984	46568	53697	60624
6	भरतपुर	28025	34278	37070	40695	45804
7	भीलवाड़ा	52101	53434	65423	65401	72702
8	बीकानेर	37114	45242	53859	60113	67772
9	बूँदी	15952	18689	21443	23623	26559
10	चित्तौड़गढ़	25560	32403	32025	36933	41290
11	चूरू	23654	27941	28800	32391	36561
12	दौसा	19467	22162	25947	28725	32437
13	धौलपुर	11598	13894	15137	16736	18871
14	डूँगरपुर	11316	13459	16054	17513	19563
15	गंगानगर	35545	40118	44322	45867	51767
16	हनुमानगढ़	26744	31324	35131	40263	45461
17	जयपुर	133217	160869	186596	212637	237409
18	जैसलमेर	11732	13766	15625	18526	20992
19	जालोर	16900	19386	26747	29331	33164
20	झालावाड़	20112	23062	24805	28129	31637
21	झुंझुनू	24724	29879	32031	36838	41377
22	जोधपुर	55383	63193	74534	82161	92039
23	करौली	17724	19796	19986	21576	24279
24	कोटा	31035	36078	41494	47552	53296
25	नागौर	38167	43660	51605	54283	61142
26	पाली	28239	33750	38282	43349	48547
27	प्रतापगढ़	9363	11041	12416	13441	15128
28	राजसमन्द	19257	25174	24926	31536	35285
29	सवाई माधोपुर	16682	18751	20437	24461	27632
30	सीकर	34574	40642	49464	57086	64322
31	सिरोही	15186	18050	20560	23652	26499
32	टोंक	19063	22786	25527	28008	31561
33	उदयपुर	41662	47314	54883	62421	69536

नोटः– *प्रावधानिक

फरवरी, 2025 में जारी राज्य जीएसडीपी अनुमान के आधार पर

13. सकल घरेलू जिला उत्पाद अनुमान स्थिर 2011–12 मूल्यों पर*

(₹ करोड़)

क्र. सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	29098	31928	34116	37313	39788
2	अलवर	60397	66788	67990	74106	79600
3	बांसवाड़ा	10932	11698	12732	13800	14868
4	बारां	11181	12468	13181	13874	14964
5	बाड़मेर	24483	23921	26150	28144	30335
6	भरतपुर	17047	19388	19930	21129	22878
7	भीलवाड़ा	28743	30432	32698	33995	36481
8	बीकानेर	25247	28091	33137	35089	37854
9	बूँदी	10071	10900	11781	12517	13486
10	चित्तौड़गढ़	17331	18687	18167	19356	20801
11	चूरू	14861	17077	16240	17494	18911
12	दौसा	11811	12869	14175	15350	16686
13	धौलपुर	7383	8385	8792	9348	10121
14	डूँगरपुर	6971	7822	8768	9369	10108
15	गंगानगर	23841	24527	26773	27301	29449
16	हनुमानगढ़	18680	20220	21476	24037	25835
17	जयपुर	90233	101591	110613	121387	131322
18	जैसलमेर	8100	8810	9805	10908	11685
19	जालोर	10712	11119	14404	15859	17117
20	झालावाड़	12194	13491	13563	14710	15870
21	झुंझुनू	15849	18080	18138	19791	21355
22	जोधपुर	35688	38014	41633	43676	47023
23	करौली	10695	11294	10807	11565	12504
24	कोटा	20199	21836	23809	25891	27946
25	नागौर	23336	25143	28722	28993	31422
26	पाली	18640	19560	21151	23091	24951
27	प्रतापगढ़	5716	6247	6636	6910	7430
28	राजसमन्द	13945	17920	17178	19803	21148
29	सवाई माधोपुर	10428	10982	11532	13183	14268
30	सीकर	20987	23373	26773	29770	32272
31	सिरोही	10112	10421	11477	12597	13615
32	टोंक	11520	12823	13938	14570	15797
33	उदयपुर	29535	29560	32911	35674	38402

नोटः– *प्रावधानिक

फरवरी, 2025 में जारी राज्य जीएसडीपी अनुमान के आधार पर

14. जिलेवार प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर*

(₹)

क्र. सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	134185	160607	180685	202670	221674
2	अलवर	173510	209318	215160	244849	268321
3	बांसवाड़ा	74793	84913	97527	108820	120686
4	बारां	116579	134974	144722	158968	177343
5	बाड़मेर	100104	115257	135616	154709	173158
6	भरतपुर	85960	104951	111843	121636	135662
7	भीलवाड़ा	163404	169136	203381	201752	222367
8	बीकानेर	122580	148353	174514	192760	215368
9	बूँदी	112885	130981	148558	162042	180527
10	चित्तौड़गढ़	128759	161657	156956	178772	198117
11	चूरू	91442	107215	108372	120974	135366
12	दौसा	94818	106507	123416	135521	151635
13	धौलपुर	75098	89737	96400	105703	118061
14	डूँगरपुर	63874	75466	89383	96515	106779
15	गंगानगर	139991	156515	170616	175071	195950
16	हनुमानगढ़	117513	135877	150919	171306	191679
17	जयपुर	152032	182701	208650	235599	260991
18	जैसलमेर	136242	157543	176674	208250	234051
19	जालोर	71618	81482	112518	122011	136719
20	झालावाड़	111437	126950	135035	151461	168771
21	झुंझुनू	90192	108196	114720	130838	145649
22	जोधपुर	115936	131533	152974	167083	185603
23	करौली	97332	107126	105964	113391	126341
24	कोटा	122350	141351	160405	182178	202501
25	नागौर	90086	102314	119367	124434	138895
26	पाली	107540	127650	142736	159716	177323
27	प्रतापगढ़	85190	99522	110565	118395	131971
28	राजसमन्द	128034	166552	163025	203140	225260
29	सवाई माधोपुर	98560	109444	117866	139281	155861
30	सीकर	101898	118858	143681	165153	184114
31	सिरोही	114027	133744	150368	171110	190024
32	टोंक	105733	124923	138335	150453	167963
33	उदयपुर	105841	119656	137064	154225	170316

नोटः– *प्रावधानिक

फरवरी, 2025 में जारी राज्य जीएसडीपी अनुमान के आधार पर

15. जिलेवार प्रति व्यक्ति आय स्थिर 2011–12 मूल्यों पर*

(₹)

क्र. सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	85155	92864	98311	106483	112384
2	अलवर	123424	135160	135486	146411	155929
3	बांसवाड़ा	46517	49195	53223	57151	61034
4	बारां	70595	78393	82034	85338	91216
5	बाड़मेर	69548	68350	74079	78979	84513
6	भरतपुर	50910	57831	58706	61625	66138
7	भीलवाड़ा	89952	94651	100768	103930	110582
8	बीकानेर	81613	90087	105278	110456	118143
9	बूँदी	69911	74992	80332	84514	90279
10	चित्तौड़गढ़	85683	91884	87574	92381	98424
11	चूरू	56248	64254	59824	63817	68426
12	दौसा	56098	60527	66253	71148	76668
13	धौलपुर	46750	53191	55212	58123	62358
14	डूँगरपुर	38255	42787	47868	50656	54155
15	गंगानगर	92071	93623	101301	102359	109488
16	हनुमानगढ़	80780	85840	90764	100633	107238
17	जयपुर	100189	112411	121231	131908	141490
18	जैसलमेर	88871	96612	107180	118187	125854
19	जालोर	44149	45444	59646	64915	69487
20	झालावाड़	66141	72661	72557	77807	83197
21	झुंझुनू	56286	63819	63474	68728	73518
22	जोधपुर	72988	77305	83972	87208	93095
23	करौली	57616	60040	56265	59752	63987
24	कोटा	77625	83426	90251	97354	104182
25	नागौर	53556	57271	64869	64952	69788
26	पाली	68962	71963	77083	83336	89298
27	प्रतापगढ़	51109	55310	58156	60036	63978
28	राजसमन्द	89700	114316	108487	123703	131044
29	सवाई माधोपुर	60391	62818	65423	73786	79118
30	सीकर	60107	66567	76144	84354	90427
31	सिरोही	74284	75647	82669	89867	96275
32	टोंक	62483	68769	74160	76753	82497
33	उदयपुर	73263	73288	80864	86780	92638

नोटः– *प्रावधानिक

फरवरी, 2025 में जारी राज्य जीएसडीपी अनुमान के आधार पर

16. बजट–अधिशेष (+)/घाटा (–)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	बजट अधिशेष (+) /घाटा (-)	प्रारम्भिक अधिशेष (+) /घाटा (-)	राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5
2004-05	-2142.60	-124.92	-973.98	6145.98
2005-06	-660.02	205.75	59.93	5150.07
2006-07	638.38	272.13	1732.09	3969.73
2007-08	1652.98	-921.29	2534.62	3408.37
2008-09	-826.75	544.70	-749.07	6973.32
2009-10	-4747.18	-206.42	-3529.66	10298.79
2010-11	1054.86	546.98	3242.95	4126.05
2011-12	3357.45	61.79	4265.96	3625.86
2012-13	3451.22	-78.23	-194.46	8534.51
2013-14	-1039.21	49.10	-6126.08	15189.28
2014- 15	-3215.06	24.91	-8536.62	18999.51
2015-16*	-5954.12	458.02	-51061.65	63069.96
2015-16#	-5954.12	458.02	-11011.89	23020.19
2016-17*	-18114.14	-491.44	-28641.01	46317.95
2016-17#	-9114.14	-491.44	-6268.82	23945.75
2017-18*	-18534.34	6.79	-5621.62	25341.61
2017-18#	-6534.34	6.79	-5621.62	25341.61
2018-19*	-28900.16	-81.36	-12777.72	34472.92
2018-19#	-16900.16	-81.36	-12777.72	34472.92
2019-20*	-36371.30	98.84	-14011.09	37654.36
2019-20#	-22554.83	98.84	-14011.09	37654.36
2020-21	-44001.52	-82.08	-34173.61	59375.42
2021-22	-25869.96	247.41	-20137.32	48237.79
2022-23	-31491.36	-258.10	-20426.73	51028.61
2023-24	-38954.60	73.04	-31451.77	65579.55
2024-25(सं. अ.)	-31939.15	106.92	-30972.70	70090.84
2025-26(आ. अ.)	-31009.41	115.09	-44585.41	84643.63

सं. अ. संशोधित अनुमान
आ. अ. आय–व्ययक अनुमान

* उदय योजना सहित
\# उदय योजना रहित

17. बजट (प्राप्तियाँ)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ			विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
	कर राजस्व	कर भिन्न राजस्व	केन्द्रीय सहायता	
1	2	3	4	5
2004-05	12720.43	2146.15	2897.01	-
2005-06	15180.31	2737.67	2921.21	0.81
2006-07	18368.61	3430.61	3792.96	-
2007-08	21802.33	4053.93	4924.36	1.16
2008-09	23942.22	3888.46	5638.17	4.21
2009-10	25672.41	4558.22	5154.39	8.94
2010-11	33613.75	6294.12	6020.33	13.42
2011-12	40354.10	9175.10	7481.56	15.73
2012-13	47605.50	12133.59	7173.92	8.12
2013-14	52150.77	13575.25	8744.36	10.27
2014- 15	58489.91	13229.50	19607.50	14.57
2015-16	70628.85	10927.88	18728.40	24.34
2016-17	77927.52	11615.56	19482.91	27.84
2017-18	87633.42	15733.72	23940.04	16.61
2018-19	99232.69	18603.01	20037.32	20.13
2019-20	95294.12	15714.15	29105.53	20.42
2020-21	95859.21	13653.02	24795.65	14.08
2021-22	128838.59	18754.97	36326.49	31.42
2022-23	144577.17	20564.43	29846.33	16.20
2023-24	162149.15	18679.58	22447.55	14.23
2024-25 (सं. अ.)	198025.99	26917.28	37675.00	20.00
2025-26 (आ. अ.)	228459.87	26883.32	39193.30	20.00

सं. अ. संशोधित अनुमान
आ. अ. आय–व्ययक अनुमान

लगातार...

17. बजट (प्राप्तियाँ)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त प्राप्तियाँ				कुल प्राप्तियाँ
	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	आकस्मिक निधि	सार्वजनिक लेखा (शुद्ध)	
1	6	7	8	9	10
2004-05	11791.40	124.63	0.00	911.21	30590.82
2005-06	5495.30	237.61	0.00	853.20	27426.11
2006-07	4222.14	513.90	0.00	1800.14	32128.36
2007-08	5063.33	1780.73	0.00	-730.44	36895.40
2008-09	7477.87	89.23	165.00	2472.78	43677.94
2009-10	8796.42	112.00	0.00	4241.02	48543.40
2010-11	7977.35	318.41	0.00	12.92	54250.30
2011-12	5918.40	1229.31	0.00	1259.66	65433.87
2012-13	9955.00	1101.56	0.00	3207.99	81185.68
2013-14	14491.44	315.53	0.00	4862.56	94150.18
2014- 15	18140.82	1004.44	300.00	5843.65	116630.39
2015-16*	60998.17	1447.34	0.00	7488.84	170243.81
2015-16#	20948.40	1447.34	0.00	7488.84	130194.04
2016-17*	43888.85	1713.52	0.00	6952.22	161608.44
2016-17#	21516.66	1713.52	0.00	6952.22	139236.24
2017-18*	28556.57	15133.41	0.00	8465.50	179479.26
2017-18#	28556.57	133.41	0.00	8465.50	164479.26
2018-19*	37846.81	15158.42	0.00	13459.55	204357.92
2018-19#	37846.81	158.42	0.00	13459.55	189357.92
2019-20*	46173.72	15669.75	0.00	11612.16	213589.86
2019-20#	46173.72	947.79	0.00	11612.16	198867.89
2020-21	89964.00	373.53	0.00	10352.32	235011.81
2021-22	101363.31	2373.60	500.00	3250.06	291438.44
2022-23	160565.41	419.61	0.00	15942.70	371931.86
2023-24	222266.34	404.74	0.00	7384.83	433346.42
2024-25 (सं. अ.)	228515.80	529.46	0.00	7270.61	498954.14
2025-26 (आ. अ.)	233488.01	416.39	0.00	8723.14	537184.03

सं. अ. संशोधित अनुमान
आ. अ. आय–व्ययक अनुमान

* उदय योजना सहित
\# उदय योजना रहित

18. बजट (व्यय)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व व्यय					पूँजीगत परिव्यय				
	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	राज्य निधि	कुल	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	राज्य निधि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004-05	17164.22	2236.68	505.29	_	19906.19	67.79	3044.93	375.57	_	3488.29
2005-06	18367.68	2430.25	701.28	_	21499.21	60.59	3733.80	499.29	_	4293.68
2006-07	21153.68	2910.27	889.85	_	24953.80	141.78	3833.26	834.31	_	4809.35
2007-08	23993.98	4094.23	1039.43	_	29127.64	944.28	4576.18	1035.0	_	6555.55
2008-09	28524.99	4361.58	1409.03	_	34295.60	-195.85	4884.25	1211.5	_	5899.95
2009-10	33845.30	5027.69	1259.20	_	40132.19	-644.60	5275.61	543.72	_	5174.73
2010-11	36120.68	6938.75	1813.91	_	44873.34	20.06	4954.05	276.51	_	5250.62
2011-12	41237.77	10457.85	1957.69	_	53653.31	16.33	6828.25	274.67	_	7119.25
2012-13	49226.49	12105.71	2129.59	_	63461.79	1.36	10301.24	380.98	_	10683.58
2013-14	58145.26	15153.39	2210.94	_	75509.59	-12.23	13308.77	368.12	_	13664.66
2014- 15	67098.09	27443.88	0.00	_	94541.97	15.31	16087.37	0.00	_	16102.69
2015-16*	74601.35	31637.88	0.00	_	106239.23	-9.75	21995.01	0.00	_	21985.26
2015-16#	74601.35	31637.88	0.00	_	106239.23	-9.75	16295.01	0.00	_	16285.26
2016-17*	79657.59	47482.55	0.00	_	127140.14	12.26	16967.46	0.00	_	16979.72
2017-18*	0.00	0.00	0.00	145841.52	145841.52	0.00	0.00	0.00	20623.28	20623.28
2017-18#	0.00	0.00	0.00	133841.52	133841.52	0.00	0.00	0.00	17623.28	17623.28
2018-19*	0.00	0.00	0.00	166773.19	166773.19	0.00	0.00	0.00	19638.20	19638.20
2018-19#	0.00	0.00	0.00	154773.19	154773.19	0.00	0.00	0.00	16638.20	16638.20
2019-20*	0.00	0.00	0.00	176485.10	176485.10	0.00	0.00	0.00	14718.05	14718.05
2019-20#	0.00	0.00	0.00	162668.63	162668.63	0.00	0.00	0.00	13812.56	13812.56
2020-21	0.00	0.00	0.00	178309.41	178309.41	0.00	0.00	0.00	15270.49	15270.49
2021-22	0.00	0.00	0.00	209790.01	209790.01	0.00	0.00	0.00	24151.60	24151.60
2022-23	0.00	0.00	0.00	226479.29	226479.29	0.00	0.00	0.00	19798.28	19798.28
2023-24	0.00	0.00	0.00	242230.88	242230.88	0.00	0.00	0.00	26645.72	26645.72
2024-25(सं. अ.)	0.00	0.00	0.00	294557.43	294557.43	0.00	0.00	0.00	38288.19	38288.19
2025-26(आ.अ.)	0.00	0.00	0.00	325545.90	325545.90	0.00	0.00	0.00	53686.15	53686.15

सं. अ. संशोधित अनुमान * उदय योजना सहित
आ. अ. आय–व्ययक अनुमान # उदय योजना रहित

लगातार...

18. बजट (व्यय)

(₹ करोड़)

वर्ष	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	आकस्मिक निधि	कुल पूँजीगत व्यय	कुल व्यय
1	12	13	14	15	16
2004-05	6681.55	639.72	0.00	10809.56	30715.75
2005-06	992.48	434.18	0.00	5720.34	27219.55
2006-07	1780.43	312.65	0.00	6902.43	31856.23
2007-08	1845.81	287.69	0.00	8689.05	37816.69
2008-09	2432.63	340.06	165.00	8837.64	43133.24
2009-10	2945.08	497.82	0.00	8617.63	48749.82
2010-11	3317.24	262.12	0.00	8829.98	53703.32
2011-12	3490.42	1109.10	0.00	11718.77	65372.08
2012-13	4706.71	2411.83	0.00	17802.12	81263.91
2013-14	4115.62	811.21	0.00	18591.49	94101.08
2014- 15	4960.04	700.78	300.00	22063.51	116605.48
2015-16*	4959.03	36602.26	0.00	63546.55	169785.79
2015-16#	4959.03	2252.49	0.00	23496.78	129736.02
2016-17*	5014.57	12965.45	0.00	34959.74	162099.88
2016-17#	5014.57	2593.26	0.00	21587.54	139727.68
2017-18*	11673.66	1334.01	0.00	33630.95	179472.47
2017-18#	11673.66	1334.01	0.00	30630.95	164472.47
2018-19*	16914.80	1113.09	0.00	37666.10	204439.28
2018-19#	16914.80	1113.09	0.00	34666.10	189439.28
2019-20*	20032.68	2255.19	0.00	37005.92	213491.02
2019-20#	20032.68	2255.19	0.00	36100.43	198769.06
2020-21	41022.98	491.02	0.00	56784.49	235093.90
2021-22	56128.17	621.24	500.00	81401.01	291191.02
2022-23	125737.61	174.78	0.00	145710.66	372189.96
2023-24	163998.58	398.21	0.00	191042.51	433273.39
2024-25(सं. अ.)	165588.65	412.95	0.00	204289.79	498847.22
2025-26(आ. अ.)	157452.44	384.45	0.00	211523.04	537068.94

सं. अ. संशोधित अनुमान
आ. अ. आय–व्ययक अनुमान

* उदय योजना सहित
\# उदय योजना रहित

19. योजनावार व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र	प्रथम योजना 1951-56	द्वितीय योजना 1956-61	तृतीय योजना 1961-66	वार्षिक योजना 1966-69	चतुर्थ योजना 1969-74	पंचम योजना 1974-79	वार्षिक योजना 1979-80	षष्ठम् योजना 1980-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	2.88	8.26	14.83	10.95	15.60	46.85	20.35	121.42
II ग्रामीण विकास	3.04	12.52	14.48	4.15	3.00	19.24	18.12	123.32
III विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	31.31	27.86	87.88	46.59	105.26	271.17	76.31	553.29
V ऊर्जा	1.24	15.15	39.36	46.82	93.98	248.97	100.00	566.13
VI उद्योग एवं खनिज	0.46	3.37	3.31	2.06	8.55	34.53	11.87	83.65
VII परिवहन	5.55	10.17	9.75	4.41	9.99	84.20	22.57	251.04
VIII वैज्ञानिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
IX सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	9.12	25.05	42.86	21.67	72.07	149.05	39.74	419.88
X आर्थिक सेवाएं	0.55	0.11	0.23	0.11	0.34	0.83	0.16	1.50
XI सामान्य सेवाएं	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.78	1.07	10.31
योग	**54.15**	**102.74**	**212.70**	**136.76**	**308.79**	**857.62**	**290.19**	**2130.69**

लगातार...

19. योजनावार व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र	सप्तम् योजना 1985-90	वार्षिक योजना 1990-91	वार्षिक योजना 1991-92	अष्टम् योजना 1992-97	नवम् योजना 1997-02	दशम् योजना 2002-07	ग्यारहवीं योजना 2007-12	बारहवीं योजना 2012-17
1	10	11	12	13	14	15	16	17
I कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	203.41	79.56	95.27	1112.14	1050.07	1013.70	5610.22	16162.99
II ग्रामीण विकास	210.41	73.60	101.84	871.40	1686.42	3004.22	8254.56	34865.23
III विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1.73	0.40	1.00	39.03	149.41	237.67	526.80	1094.68
IV सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	690.51	177.49	218.14	1836.19	2259.65	3769.83	3760.16	6800.71
V ऊर्जा	921.77	275.13	347.11	3253.90	5258.06	10699.24	37619.30	123502.63
VI उद्योग एवं खनिज	145.57	88.72	62.22	638.98	646.79	567.41	888.50	1207.34
VII परिवहन	142.48	42.40	60.30	868.20	1882.56	3105.56	5228.00	16914.47
VIII वैज्ञानिक सेवाएं	2.41	1.76	2.46	16.65	10.10	7.17	75.19	160.38
IX सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	736.26	222.31	278.44	3095.79	6397.50	10164.93	29450.68	107556.70
X आर्थिक सेवाएं	12.28	5.88	8.08	71.67	84.18	1020.19	1474.64	5949.85
XI सामान्य सेवाएं	39.35	8.32	9.55	195.02	142.08	361.29	1066.29	3850.75
योग	**3106.18**	**975.57**	**1184.41**	**11998.97**	**19566.82**	**33951.21**	**93954.34**	**318065.73**

20. कार्यक्रमवार बजट व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र		वर्ष					
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1		2	3	4	5	6	7
I	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाऐं	3864.85	7288.73	8659.85	10523.36	10984.65	8498.62
II	ग्रामीण विकास	12208.62	10413.97	11907.61	10885.57	17422.25	16963.91
III	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	297.91	189.21	100.08	30.98	52.33	37.81
IV	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2268.18	2481.55	2560.99	2673.02	3677.00	3536.36
V	ऊर्जा	16199.34	25183.88	26691.39	14695.44	23951.89	26341.94
VI	उद्योग एवं खनिज	343.03	388.78	449.96	554.70	1388.20	1821.68
VII	परिवहन	6027.74	6310.44	5335.53	4575.45	8034.83	7720.67
VIII	वैज्ञानिक सेवाएं	16.44	15.44	9.33	8.54	9.74	21.44
IX	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	34269.61	41765.08	42723.58	51641.01	65830.75	68612.61
X	आर्थिक सेवाएं	1769.53	2426.15	1504.87	2056.51	2118.48	2808.46
XI	सामान्य सेवाएं	852.09	3279.83	3587.61	4227.85	4294.12	5561.06
	योग	**78117.34**	**99743.07**	**103530.80**	**101872.43**	**137764.24**	**141924.56**

लगातार...

20. कार्यक्रमवार बजट व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र		वर्ष		
		2023-24	2024-25*	2025-26#
1		8	9	10
I	कृषि विकास	9767.63	9658.24	7577.80
II	ग्रामीण विकास	12904.72	17923.49	9442.66
III	शहरी विकास एवं आवास	8999.86	10921.95	7816.45
IV	शिक्षा एवं स्वास्थ्य	45773.15	53412.05	44770.27
V	पेयजल एवं ऊर्जा	30917.29	36073.54	25197.43
VI	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	21451.55	27375.41	21019.43
VII	आधारभूत विकास	16443.83	19068.44	12479.17
VIII	औद्योगिक विकास	2150.50	1447.26	1209.61
IX	सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं वैज्ञानिक सेवाएं	3013.96	1208.43	916.68
X	शासकीय सेवाएं	4067.67	6368.06	1870.03
	योग	**155490.15**	**183456.86**	**132299.53**

*अनन्तिम व्यय #दिसम्बर 2025 तक पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

21. राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष (1999–2000=100)

वर्ष	प्राथमिक वस्तु समूह			ईंधन, शक्ति, प्रकाश उपस्नेहक समूह	विनिर्मित समूह	समस्त वस्तुऐं सामान्य सूचकांक
	कृषि	खनिज	संयुक्त			
भार	29.933	3.961	33.894	16.253	49.853	100.000
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	114.74	110.69	114.27	188.29	118.77	128.54
2005-06	118.29	120.11	118.50	216.78	120.87	135.68
2006-07	132.21	148.56	134.11	229.21	134.47	149.76
2007-08	145.29	153.56	146.26	227.65	149.42	161.06
2008-09	167.37	154.16	165.82	241.06	164.02	177.15
2009-10	182.67	180.05	182.37	239.79	166.00	183.54
2010-11	195.67	207.85	197.09	259.73	179.46	198.48
2011-12	220.38	226.65	221.11	281.16	204.66	222.67
2012-13	272.68	240.99	268.98	307.10	224.91	253.21
2013-14	269.58	252.29	267.57	360.51	221.83	259.88
2014-15	272.04	266.71	271.42	376.64	230.19	267.97
2015-16	291.06	283.91	290.22	372.72	229.89	273.55
2016-17	305.31	297.41	304.39	408.37	236.09	287.24
2017-18	291.61	309.01	293.64	433.14	245.55	292.34
2018-19	298.50	327.21	301.85	464.76	248.52	301.74
2019-20	320.30	339.58	322.55	468.66	261.77	316.00
2020-21	334.70	363.05	338.01	528.61	275.25	337.70
2021-22	392.13	393.50	392.29	575.00	290.47	371.22
2022-23	419.18	435.56	421.10	579.45	303.99	388.45
2023-24	413.85	474.10	420.89	579.02	303.55	388.09
2024-25	437.71	490.05	443.83	568.11	308.83	396.72
2025-26*	437.61	509.52	446.01	572.12	312.08	399.74

नोटः– अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक

अप्रैल–मई 2020 के थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका।

22. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

कलेण्डर /वित्तीय वर्ष	विनिर्माण क्षेत्र	खनन क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	सामान्य
1	2	3	4	5
2004	227.69	171.59	271.07	228.88
2005	101.76	110.24	103.04	102.09
2006	109.19	121.17	103.00	108.98
2007	111.71	141.92	101.43	111.62
2008	123.27	154.47	106.55	122.66
2009	140.77	164.96	107.21	138.55
2010	140.83	171.70	132.51	140.92
2011	145.79	193.77	153.17	147.66
2012-13	101.48	128.17	102.51	108.92
2013-14	108.72	134.04	110.67	115.89
2014-15	108.99	132.49	131.11	117.98
2015-16	110.29	134.49	130.53	119.25
2016-17	115.71	135.04	125.32	122.11
2017-18	134.71	132.85	124.96	133.08
2018-19	143.39	134.76	137.70	140.37
2019-20	125.93	125.60	135.15	126.90
2020-21	122.95	119.43	126.10	122.34
2021-22	136.14	124.53	144.93	133.97
2022-23	142.18	116.76	157.21	136.93
2023-24	169.50	111.38	168.64	153.46
2024-25	175.21	97.30	179.77	154.38
2025-26*	181.17	87.94	161.00	153.29

2004 का आधार वर्ष 1993–1994 =100
2005 से 2011 तक आधार वर्ष 2004–2005=100
वर्ष 2012–13 से 2025–26 तक आधार वर्ष 2011–12=100
* प्रावधनिक माह नवम्बर 2025 तक

23. संगठित क्षेत्र में रोजगार

(संख्या लाखों में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4
2004	9.28	2.45	11.73
2005	9.45	2.52	11.97
2006	9.52	2.65	12.17
2007	9.55	2.77	12.32
2008	9.59	2.91	12.50
2009	9.62	3.09	12.71
2010	9.54	3.21	12.75
2011	9.46	3.38	12.84
2012	9.51	3.55	13.06
2013	9.53	3.70	13.23
2014	9.60	3.86	13.46
2015	9.52	4.00	13.52
2016	9.65	4.05	13.70
2017	9.61	4.14	13.74
2018	9.69	4.40	14.08
2019	9.72	4.20	13.92
2020	9.88	4.17	14.05
2021	9.85	4.26	14.11
2022	9.86	4.34	14.20
2023	9.79	4.46	14.25
2024	9.83	4.55	14.38
2025*	9.84	4.56	14.40

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
जून 2025 तक
स्त्रोतः रोजगार विभाग के रोजगार बाजार सूचना योजना पर आधारित है।

24. कृषि उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2005–06 से 2007–08=100)

कृषि वर्ष	अनाज	दलहन	तिलहन	रेशे (कपास एवं सण)*	मसाले #
भार	35.476	14.857	33.021	8.850	3.053
1	2	3	4	5	6
2004-05@	139.45	116.11	212.90	84.82	165.00
2005-06@	129.33	77.35	232.41	97.66	118.58
2006-07@	174.83	128.01	201.53	82.84	149.32
2007-08	113.27	118.75	83.45	103.90	134.62
2008-09	115.95	139.32	102.94	87.49	131.80
2009-10	95.48	53.38	87.16	108.85	143.47
2010-11	158.68	247.10	130.11	103.27	172.84
2011-12	152.73	181.05	116.72	208.57	245.51
2012-13	145.27	148.90	125.91	184.12	197.81
2013-14	147.21	188.66	119.67	155.05	218.16
2014-15	141.24	149.65	108.26	184.05	165.70
2015-16	133.52	154.17	111.25	146.37	274.42
2016-17	161.02	265.73	129.85	188.02	344.20
2017-18	150.37	282.66	123.52	228.11	338.60
2018-19	158.09	294.13	153.87	246.19	342.60
2019-20	180.30	348.87	152.08	335.93	371.91
2020-21	186.66	310.06	167.41	386.45	378.08
2021-22	154.41	312.90	206.22	299.09	289.51
2022-23	171.88	282.96	208.76	334.56	295.94
2023-24(अ. सं.)	169.27	256.82	203.67	315.83	470.42
2024-25(अ)	219.91	325.00	186.87	215.43	535.72

मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक, हल्दी सम्मिलित है।

* वर्ष 2007–08 से रेशे में सिर्फ कपास सम्मिलित है।

@ आधार वर्ष 1991–92 से 1993–94=100

अ=(अन्तिम)

अ.सं.=(अन्तिम संशोधित)

लगातार....

24. कृषि उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2005–06 से 2007–08=100)

कृषि वर्ष	फल एवं तरकारियां $	गन्ना	तम्बाकू/इसबगोल*	ग्वार बीज	समस्त फसलें
भार	0.575	0.962	0.055	3.150	100.000
1	7	8	9	10	11
2004-05@	250.69	23.65	39.68	94.46	154.24
2005-06@	318.00	41.25	30.45	165.61	153.84
2006-07@	317.83	53.76	26.72	183.81	167.63
2007-08	106.92	104.49	124.41	149.52	106.08
2008-09	95.74	68.21	174.40	151.61	115.77
2009-10	94.84	60.60	354.52	24.37	88.69
2010-11	124.18	64.96	288.06	185.21	158.77
2011-12	165.24	79.37	304.14	222.14	153.49
2012-13	120.42	74.64	252.97	243.65	147.50
2013-14	157.93	63.83	278.39	344.07	156.16
2014-15	224.78	71.17	297.76	330.34	143.34
2015-16	337.53	93.44	365.08	267.31	145.62
2016-17	310.62	85.95	467.76	168.89	175.12
2017-18	267.94	67.17	573.49	152.10	170.17
2018-19	163.74	78.82	490.49	124.01	183.07
2019-20	243.41	57.38	432.11	154.47	202.56
2020-21	281.06	69.25	536.40	136.92	207.85
2021-22	323.32	56.63	515.67	120.64	201.57
2022-23	216.06	55.40	447.46	194.16	209.63
2023-24(अ. सं.)	238.13	64.03	851.26	177.92	214.92
2024-25(अ)	359.12	81.87	1211.11	237.40	243.55

$ आलू, प्याज, शकरकन्द, सिंघाड़ा सम्मिलित है।

* वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक तम्बाकू एवं आगे के वर्षों के लिये इसबगोल का सूचकांक हैं।

@ आधार वर्ष 1991–92 से 1993–94=100

अ (अन्तिम)

अ.सं.=(अन्तिम संशोधित)

25. फसलवार उत्पादन

(मै. टन)

कृषि वर्ष	अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	4695452	6123545	10818997	500799	843413	1344212
2005-06	3599596	6324088	9923684	359209	540736	899945
2006-07	5100362	8348190	13448552	550571	929194	1479765
2007-08	6866501	7665427	14531928	949853	602654	1552507
2008-09	6701751	8165843	14867594	817100	1009157	1826257
2009-10	3535934	8121776	11657710	133407	568722	702129
2010-11	8961999	11360203	20322202	1603097	1648814	3251911
2011-12	8621619	10950717	19572336	1313399	1039429	2352828
2012-13	6378906	11725908	18104814	636970	1318342	1955312
2013-14	6284051	11964559	18248610	773380	1697502	2470882
2014-15	6904383	10789160	17693543	962955	987058	1950013
2015-16	5092507	11204241	16296748	1046966	943333	1990299
2016-17	6377020	13344122	19721142	1879235	1539463	3418698
2017-18	6277655	12193726	18471381	1870091	1763595	3633686
2018-19	6621882	12779625	19401507	1867668	1890887	3758555
2019-20	7179918	14961111	22141029	1775638	2718551	4494189
2020-21	9761633	13596196	23357829	1929163	2037459	3966622
2021-22	7314482	11825609	19140091	1307385	2744361	4051746
2022-23	9187704	12449654	21637358	1772104	1870519	3642623
2023-24(अ. सं.)	7706655	13056881	20763536	1340067	1989302	3329369
2024-25(अ)	9418791	17362764	26781555	2005575	2175220	4180795

अ (अन्तिम)
अ.सं.=(अन्तिम संशोधित)

लगातार....

25. फसलवार उत्पादन

(मै. टन)

कृषि वर्ष	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना	कपास (लिंट)
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	5196251	6966958	12163209	1588523	3972926	5561449	276642	129988
2005-06	3958805	6864824	10823629	1516613	4418292	5934905	482634	149683
2006-07	5650933	9277384	14928317	1360196	3806737	5166933	628963	126956
2007-08	7816354	8268081	16084435	1866389	2362957	4229346	594056	146576
2008-09	7518851	9175000	16693851	1694516	3506119	5200635	387814	123424
2009-10	3669341	8690498	12359839	1481554	2955059	4436613	344559	153561
2010-11	10565096	13009017	23574113	2269595	4371908	6641503	369354	145690
2011-12	9935018	11990146	21925164	2787234	2977811	5765045	451282	294229
2012-13	7015876	13044250	20060126	2555573	3815597	6371170	424349	261022
2013-14	7057431	13662061	20719492	2240571	3799990	6040561	362881	218737
2014-15	7867338	11776218	19643556	2421530	2898996	5320526	404616	259645
2015-16	6139453	12147574	18287027	2244005	3267135	5511140	531267	206487
2016-17	8256255	14883585	23139840	2563053	3955656	6518709	488652	265245
2017-18	8147746	13957321	22105067	2567783	3546350	6114133	381868	321800
2018-19	8489550	14670512	23160062	2843321	4821104	7664425	448115	347311
2019-20	8955556	17679662	26635218	2566406	4753638	7320044	326262	473902
2020-21	11690796	15633655	27324451	3441089	4612860	8053949	393737	545174
2021-22	8621867	14569970	23191837	2900994	7375812	10276806	321992	421931
2022-23	10959808	14320173	25279981	3566686	6774733	10341419	314986	471970
2023-24(अ. सं.)	9046722	15046183	24092905	3728942	6397739	10126681	364046	445553
2024-25(अ)	11424366	19537984	30962350	3823143	5550109	9373252	465468	303914

अ (अन्तिम)

अ.सं.=(अन्तिम संशोधित)

26. फसलवार क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	6316950	2185889	8502839	2488817	1087496	3576313
2005-06	6714435	2326252	9040687	2363984	1126113	3490097
2006-07	6728402	2797723	9526125	2151465	1055749	3207214
2007-08	6933290	2841988	9775278	2603680	1265123	3868803
2008-09	6985633	2582221	9567854	2383203	1288045	3671248
2009-10	7210619	2618724	9829343	2483702	919903	3403605
2010-11	7541113	3365466	10906579	2915289	1836481	4751770
2011-12	6776318	3214516	9990834	2971521	1477714	4449235
2012-13	5794042	3372226	9166268	1956669	1288694	3245363
2013-14	6110864	3516534	9627398	2221340	1976445	4197785
2014-15	5852346	3664303	9516649	2038707	1323525	3362232
2015-16	5782024	3368429	9150453	2830818	1035964	3866782
2016-17	5902931	3628879	9531810	4100379	1645183	5745562
2017-18	5849553	3326318	9175871	4239817	1620991	5860808
2018-19	5866486	3225883	9092369	4274556	1631449	5906005
2019-20	6047238	3802008	9849246	3838773	2497233	6336006
2020-21	6136092	3502324	9638416	3994696	1918914	5913610
2021-22	6102842	3042257	9145099	4122932	2333749	6456681
2022-23	6403756	3342388	9746144	3571071	1975715	5546786
2023-24(अ.सं.)	5946768	3391996	9338764	3646881	1816825	5463706
2024-25(अ)	6385846	4169329	10555175	3709118	1697077	5406195

अ (अन्तिम)

अ.सं.=(अन्तिम संशोधित)

लगातार....

26. फसलवार क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना	कपास
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	8805767	3273385	12079152	1468348	3685927	5154275	5724	437776
2005-06	9078419	3452365	12530784	1615089	3669351	5284440	7922	471563
2006-07	8879867	3853472	12733339	1312317	3215383	4527700	10897	349602
2007-08	9536970	4107111	13644081	1518290	2498852	4017142	10401	369179
2008-09	9368836	3870266	13239102	1822203	2842098	4664301	6526	302687
2009-10	9694321	3538627	13232948	1843810	2314286	4158096	5986	444540
2010-11	10456402	5201947	15658349	1829587	3688814	5518401	5512	335871
2011-12	9747839	4692230	14440069	2119242	2507195	4626437	6415	567576
2012-13	7750711	4660920	12411631	2080205	2837943	4918148	5805	540644
2013-14	8332204	5492979	13825183	2197741	3081415	5279156	5261	393088
2014-15	7891053	4987828	12878881	1984087	2477568	4461655	5575	486553
2015-16	8612842	4404393	13017235	2283838	2559394	4843232	6141	447649
2016-17	10003310	5274062	15277372	2026160	2800416	4826576	6854	471167
2017-18	10089370	4947309	15036679	1927066	2222532	4149598	5427	584230
2018-19	10141042	4857332	14998374	1988121	2824991	4813112	5370	629244
2019-20	9886011	6299241	16185252	2341603	3485402	5827005	4466	760500
2020-21	10130788	5421238	15552026	2471969	2817860	5289829	4977	807839
2021-22	10225774	5376006	15601780	2385037	4538803	6923840	4246	755858
2022-23	9974827	5318103	15292930	2431218	4706623	7137851	3527	814614
2023-24(अ.सं.)	9593649	5208821	14802470	2451970	4193736	6645706	4177	1003790
2024-25(अ)	10094964	5866406	15961370	2573332	3524420	6097752	6058	627391

अ (अन्तिम)

अ.सं.=(अन्तिम संशोधित)

27. स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	नहरें	तालाब	कुंऐं एवं नल कूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2004-05	1957957	85534	4972511	77185	7093187
2005-06	2352358	82764	5293095	89819	7818036
2006-07	2370432	137194	5363387	87173	7958186
2007-08	2515493	103568	5382200	87194	8088455
2008-09	2460916	33631	5338314	77066	7909927
2009-10	2109132	18099	5107124	74418	7308773
2010-11	2463576	57635	5718997	81617	8321825
2011-12	2729980	72124	5999495	101289	8902888
2012-13	2885036	94113	6347171	129147	9455467
2013-14	2975815	70210	6649262	169581	9864768
2014-15	3067957	72149	6874357	156322	10170785
2015-16	3255513	66867	7116780	123285	10562445
2016-17	3219237	100588	7215168	189450	10724443
2017-18	3179567	68866	7232471	122598	10603502
2018-19	3336113	35536	7485631	164115	11021395
2019-20	3566473	79579	7963368	179220	11788640
2020-21	3441017	47410	7988133	178667	11655227
2021-22	3367935	39139	8233412	224465	11864951
2022-23	3599052	39238	8703869	240732	12582891
2023-24	3721149	51787	8961001	226035	12959972
2024-25 (अ)	3764970	61088	9391723	244991	13462772

अ (अन्तिम)

28. स्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	नहरें	तालाब	कुंऐं एवं नल कूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2004-05	1457471	82407	4266653	73416	5879947
2005-06	1705767	76740	4426605	84834	6293946
2006-07	1703284	130791	4580694	80976	6495745
2007-08	1687753	101724	4572049	82534	6444060
2008-09	1583116	30565	4558657	72710	6245048
2009-10	1423923	16597	4338313	71081	5849914
2010-11	1628746	55676	4897427	78876	6660725
2011-12	1843797	68785	5111105	97888	7121575
2012-13	1900662	91686	5382149	124623	7499120
2013-14	1859107	67461	5561022	162037	7649627
2014-15	1928740	69699	5733278	149993	7881710
2015-16	1979480	66193	5775257	117067	7937997
2016-17	2018266	99296	5956495	182955	8257012
2017-18	1926523	68160	5870501	119753	7984937
2018-19	2016562	34978	6069433	161983	8282956
2019-20	2198456	78055	6368814	175651	8820976
2020-21	2145125	47051	6409749	176196	8778121
2021-22	2056469	38580	6613145	215453	8923647
2022-23	2248790	38698	6978080	234700	9500268
2023-24	2214502	51306	7063079	218405	9547292
2024-25 (अ)	2262653	59525	7370909	234593	9927680

अ (अन्तिम)

29. ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता

(मेगावाट)

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता
1	2
2004-05	5296.11
2005-06	5453.88
2006-07	6089.43
2007-08	6420.69
2008-09	7019.48
2009-10	8076.51
2010-11	9188.22
2011-12	10308.45
2012-13	12275.88
2013-14	14371.61
2014-15	15907.81
2015-16	17439.78
2016-17	18677.18
2017-18	19552.77
2018-19	21077.64
2019-20	21175.90
2020-21	21978.90
2021-22	23452.35
2022-23	23508.96
2023-24	24783.64
2024-25	27283.83
2025-26*	31556.43

नोटः– *दिसम्बर 2025 तक

30. राज्य में सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राज मार्ग	राज्य राज मार्ग	मुख्य जिला सड़कें	अन्य जिला सड़कें	ग्रामीण सड़कें	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	5655	10139	6735	22615	117976	163120
2005-06	5655	11594	7328	21412	121139	167128
2006-07	5655	11668	7447	23681	125063	173514
2007-08	5714	11750	7658	24424	132914	182460
2008-09	5722	11758	7673	24418	137235	186806
2009-10	5724	11866	7829	24480	138635	188534
2010-11	5724	11873	10137	24062	137606	189402
2011-12	7260	10953	9900	25033	136854	190000
2012-13	7310	10937	10168	25761	137518	191694
2013-14	7310	11971	9509	25626	141434	195850
2014-15	8016	11421	9815	29603	149487	208342
2015-16	8168	15607	7646	30313	155973	217707
2016-17	8202	15438	8462	31431	163321	226854
2017-18	9079	15543	8802	32175	170971	236572
2018-19	10600	15518	8758	53432	175937	264244
2019-20	10618	15621	8780	53792	180217	269028
2020-21	10618	15545	8965	54746	183086	272959
2021-22	10618	17238	13271	51225	186462	278813
2022-23	10790	17349	14173	67952	191548	301811
2023-24	10790	17376	14372	68265	206318	317121
2024-25	10790	17316	18234	72822	216144	335306

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

31. स्वास्थ्य सूचक

वर्ष	अशोधित जन्म दर *		अशोधित मृत्यु दर **		शिशु मृत्यु दर #	
	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
1	2	3	4	5	6	7
2004	24.1	29.0	7.5	7.0	58	67
2005	23.8	28.6	7.6	7.0	58	68
2006	23.5	28.3	7.5	6.9	57	67
2007	23.1	27.9	7.4	6.8	55	65
2008	22.8	27.5	7.4	6.8	53	63
2009	22.5	27.2	7.3	6.6	50	59
2010	22.1	26.7	7.2	6.7	47	55
2011	21.8	26.2	7.1	6.7	44	52
2012	21.6	25.9	7.0	6.6	42	49
2013	21.4	25.6	7.0	6.5	40	47
2014	21.0	25.0	6.7	6.4	39	46
2015	20.8	24.8	6.5	6.3	37	43
2016	20.4	24.3	6.4	6.1	34	41
2017	20.2	24.1	6.3	6.0	33	38
2018	20.0	24.0	6.2	5.9	32	37
2019	19.7	23.7	6.0	5.7	30	35
2020	19.5	23.5	6.0	5.6	28	32
2021	19.3	23.6	7.5	6.7	27	31
2022	19.1	23.8	6.8	6.2	26	30
2023	18.4	22.9	6.4	5.9	25	29

स्त्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन आरजीआई(संदर्भित वर्ष)
* प्रति हजार मध्यवर्षीय जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या
** प्रति हजार मध्यवर्षीय जनसंख्या में मृत्युओं की संख्या
# प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्युओं (एक वर्ष से कम) की संख्या

लगातार...

31. स्वास्थ्य सूचक

वर्ष	जीवन प्रत्याशा दर (आयु वर्षों में)	
	भारत	राजस्थान
1	8	9
2000-04	63.9	64.1
2001-05	64.3	64.5
2002-06	64.7	64.9
2003-07	65.0	65.2
2004-08	65.4	65.8
2005-09	65.7	66.2
2006-10	66.1	66.5
2007-11	66.5	66.8
2008-12	67.0	67.2
2009-13	67.5	67.5
2010-14	67.9	67.7
2011-15	68.3	67.9
2012-16	68.7	68.3
2013-17	69.0	68.5
2014-18	69.4	68.7
2015-19	69.7	69.0
2016-20	70.0	69.4
2017-21	69.8	69.4
2018-22	69.9	69.9
2019-23	70.3	70.4

स्त्रोत :- एस. आर. एस. आधारित एब्रीज्ड जीवन तालिका आरजीआई (संदर्भित वर्ष)

32 राज्य में साक्षरता दर

(प्रतिशत)

जनगणना वर्ष	कुल व्यक्ति			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1951	13.88	2.66	8.50	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1961	28.08	7.01	18.12	21.74	3.19	12.95	59.93	26.89	44.55
1971	33.87	10.06	22.57	27.04	4.80	16.44	64.53	34.94	50.82
1981	44.77	14.00	30.11	35.32	6.78	22.47	72.29	41.46	58.05
1991	54.99	20.44	38.55	47.64	11.59	30.37	78.50	50.24	65.33
2001	75.70	43.85	60.41	72.16	37.34	55.34	86.45	64.67	76.20
2011	79.19	52.12	66.11	76.16	45.80	61.44	87.91	70.73	79.68

उ. न. उपलब्ध नहीं

स्त्रोतः भारत की जनगणना – (संदर्भ अवधि)

नोटः– साक्षरता दर 1951, 1961 तथा 1971 के लिए जनसंख्या आयु वर्ग 5 वर्ष एवं अधिक को सम्मिलित किया गया है तथा साक्षरता दर 1981 से 2011 के लिए जनसंख्या आयु वर्ग 7 वर्ष एवं अधिक को सम्मिलित किया गया है।

33. जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011

जिला	जनसंख्या (संख्या में)					लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)		जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि. मी.)	जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2001–2011 (प्रतिशत)
	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	ग्रामीण	शहरी	समस्त	वर्ष 0–6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अजमेर	1324085	1258967	2583052	1547642	1035410	951	901	305	18.6
अलवर	1939026	1735153	3674179	3019728	654451	895	865	438	22.8
बांसवाड़ा	907754	889731	1797485	1669864	127621	980	934	397	26.5
बारां	633945	588810	1222755	968541	254214	929	912	175	19.7
बाड़मेर	1369022	1234729	2603751	2421914	181837	902	904	92	32.5
भरतपुर	1355726	1192736	2548462	2053363	495099	880	869	503	21.4
भीलवाड़ा	1220736	1187787	2408523	1895869	512654	973	928	230	19.2
बीकानेर	1240801	1123136	2363937	1563553	800384	905	908	78	24.3
बून्दी	577160	533746	1110906	888205	222701	925	894	192	15.4
चित्तौडगढ़	783171	761167	1544338	1259074	285264	972	912	197	16.1
चूरु	1051446	988101	2039547	1463312	576235	940	902	147	20.3
दौसा	857787	776622	1634409	1432616	201793	905	865	476	23.5
धौलपुर	653647	552869	1206516	959066	247450	846	857	398	22.7
डूंगरपुर	696532	692020	1388552	1299809	88743	994	922	368	25.4
गंगानगर	1043340	925828	1969168	1433736	535432	887	854	179	10.0
हनुमानगढ़	931184	843508	1774692	1424228	350464	906	878	184	16.9
जयपुर	3468507	3157671	6626178	3154331	3471847	910	861	595	26.2
जैसलमेर	361708	308211	669919	580894	89025	852	874	17	31.8
जालौर	936634	892096	1828730	1676975	151755	952	895	172	26.2
झालावाड़	725143	685986	1411129	1181838	229291	946	912	227	19.6
झुंझुनू	1095896	1041149	2137045	1647966	489079	950	837	361	11.7
जोधपुर	1923928	1763237	3687165	2422551	1264614	916	891	161	27.7
करौली	783639	674609	1458248	1240143	218105	861	852	264	20.9
कोटा	1021161	929853	1951014	774410	1176604	911	899	374	24.4
नागौर	1696325	1611418	3307743	2670539	637204	950	897	187	19.2
पाली	1025422	1012151	2037573	1577567	460006	987	899	164	11.9
प्रतापगढ़	437744	430104	867848	796041	71807	983	933	195	22.8
राजसमन्द	581339	575258	1156597	972777	183820	990	903	248	17.7
सवाई माधोपुर	704031	631520	1335551	1069084	266467	897	871	297	19.6
सीकर	1374990	1302343	2677333	2043427	633906	947	848	346	17.0
सिरोही	534231	502115	1036346	827692	208654	940	897	202	21.8
टोंक	728136	693190	1421326	1103603	317723	952	892	198	17.3
उदयपुर	1566801	1501619	3068420	2459994	608426	958	924	262	23.7
राजस्थान	**35550997**	**32997440**	**68548437**	**51500352**	**17048085**	**928**	**888**	**200**	**21.3**

लगातार...

33. जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011

जिला	साक्षरता दर प्रतिशत में								
	कुल व्यक्ति			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अजमेर	82.4	55.7	69.3	76.5	41.3	59.1	90.8	76.5	83.9
अलवर	83.7	56.3	70.7	82.1	52.2	67.9	91.0	74.7	83.4
बांसवाड़ा	69.5	43.1	56.3	67.7	40.1	54.0	91.0	79.3	85.2
बारां	80.4	52.0	66.7	78.4	47.8	63.6	87.8	67.5	78.0
बाड़मेर	70.9	40.6	56.5	69.4	38.6	54.8	88.6	66.6	78.2
भरतपुर	84.1	54.2	70.1	83.1	50.5	67.9	88.1	68.8	79.0
भीलवाड़ा	75.3	47.2	61.4	71.3	40.6	56.0	89.0	71.8	80.7
बीकानेर	75.9	53.2	65.1	70.6	44.3	58.1	85.7	69.5	78.0
बून्दी	75.4	46.6	61.5	72.3	41.2	57.3	87.7	67.4	77.9
चित्तौडगढ़	76.6	46.5	61.7	73.3	40.2	56.8	90.8	74.3	82.7
चूरु	78.8	54.0	66.8	76.9	51.1	64.4	83.4	61.3	72.6
दौसा	83.0	51.9	68.2	81.8	49.4	66.3	91.0	69.4	80.7
धौलपुर	81.2	54.7	69.1	81.2	52.4	68.1	81.3	62.9	72.7
डूंगरपुर	72.9	46.2	59.5	71.5	44.0	57.6	91.4	77.1	84.4
गंगानगर	78.5	59.7	69.6	75.9	55.3	66.2	85.3	71.3	78.7
हनुमानगढ़	77.4	55.8	67.1	75.9	53.1	65.1	83.3	66.8	75.4
जयपुर	86.1	64.0	75.5	82.5	51.7	67.6	89.2	75.1	82.5
जैसलमेर	72.0	39.7	57.2	69.4	35.5	53.8	87.4	66.2	78.0
जालौर	70.7	38.5	54.9	69.4	36.8	53.3	84.2	56.9	71.1
झालावाड़	75.8	46.5	61.5	73.0	41.5	57.6	89.5	72.1	81.1
झुंझुनू	86.9	61.0	74.1	86.8	59.8	73.4	87.4	65.0	76.5
जोधपुर	79.0	51.8	65.9	74.6	41.2	58.5	86.7	71.3	79.4
करौली	81.4	48.6	66.2	80.9	46.5	65.0	84.1	60.0	72.8
कोटा	86.3	65.9	76.6	82.2	54.0	68.6	88.9	73.7	81.7
नागौर	77.2	47.8	62.8	76.0	45.2	60.9	81.9	58.8	70.6
पाली	76.8	48.0	62.4	73.6	43.5	58.4	87.1	63.9	75.8
प्रतापगढ़	69.5	42.4	56.0	67.3	39.0	53.2	92.2	77.1	84.8
राजसमन्द	78.4	48.0	63.1	75.9	43.3	59.5	91.1	72.3	81.9
सवाई माधोपुर	81.5	47.5	65.4	79.4	42.4	61.9	89.8	67.2	79.0
सीकर	85.1	58.2	71.9	84.9	56.4	70.8	85.8	64.3	75.4
सिरोही	70.0	39.7	55.3	64.6	32.7	49.0	89.3	66.9	78.7
टोंक	77.1	45.4	61.6	75.5	39.7	58.0	82.9	64.8	73.8
उदयपुर	74.7	48.4	61.8	69.6	39.8	54.9	93.4	81.2	87.5
राजस्थान	**79.2**	**52.1**	**66.1**	**76.2**	**45.8**	**61.4**	**87.9**	**70.7**	**79.7**

34. राजस्थान में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति

कृषि वर्ष	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	भू–राजस्व निलंबित* (₹ लाख)
1	2	3	4	5
2004-05	31	19814	227.65	167.77
2005-06	22	15778	198.44	123.21
2006-07	22	10529	136.73	36.49
2007-08	12	4309	56.12	39.86
2008-09	12	7402	100.12	47.69
2009-10	27	33464	429.13	459.04
2010-11	2	1249	13.67	9.53
2011-12	11	3739	49.95	30.77
2012-13	12	8030	120.90	65.44
2013-14	17	10225	159.38	101.44
2014-15	13	5841	74.30	15.35
2015-16	19	14487	194.87	171.55
2016-17	13	5656	90.38	62.00
2017-18	16	6838	106.50	89.38
2018-19	9	5555	72.50	14.85
2019-20	21	14331	150.72	-
2020-21	6	2062	21.62	-
2021-22	10	6122	74.28	-
2022-23	1#	92	2.36	-
2023-24	13	5110	58.69	-
2024-25	0	0	0	-
2025-26	0	0	0	-

* वित्तीय वर्ष के समंक दिसम्बर 2025 तक

\# तहसीलों की संख्या (तहसील पाली)

35. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख वर्ग कि.मी.) 2011	देश के कुल क्षेत्रफल में राज्य का प्रतिशत 2011	भारत की कुल जनसंख्या में राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत 2011	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) 2011	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2011	साक्षरता दर (प्रतिशत) 2011
1	2	3	4	5	6	7
1 आन्ध्र प्रदेश	1.63	4.96	4.09	304	29.5	67.4
2 असम	0.78	2.39	2.58	398	14.1	72.2
3 बिहार	0.94	2.86	8.60	1106	11.3	61.8
4 गुजरात	1.96	5.97	4.99	308	42.6	78.0
5 हरियाणा	0.44	1.34	2.09	573	34.9	75.6
6 हिमाचल प्रदेश	0.56	1.69	0.57	123	10.0	82.8
7 कर्नाटक	1.92	5.83	5.05	319	38.7	75.4
8 केरल	0.39	1.18	2.76	860	47.7	94.0
9 मध्य प्रदेश	3.08	9.38	6.00	236	27.6	69.3
10 महाराष्ट्र	3.08	9.36	9.28	365	45.2	82.3
11 उड़ीसा	1.56	4.74	3.47	270	16.7	72.9
12 पंजाब	0.50	1.53	2.29	551	37.5	75.8
13 राजस्थान	**3.42**	**10.41**	**5.66**	**200**	**24.9**	**66.1**
14 तमिलनाडू	1.30	3.96	5.96	555	48.4	80.1
15 तेलंगाना'	1.12	3.41	2.89	312	38.9	66.5
16 उत्तर प्रदेश	2.41	7.33	16.50	829	22.3	67.7
17 पश्चिम बंगाल	0.89	2.70	7.54	1028	31.9	76.3
अखिल भारत	**32.87**	**100.00**	**100.00**	**382**	**31.1**	**73.0**

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

*स्टैटिस्टिकल एब्सट्रेक्ट तेलंगाना स्टेट, 2021

लगातार...

35. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

	राज्य	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2023	जोतों का औसत आकार (हैक्टेयर) 2015–16	प्रति हैक्टेयर खाद का अनुमानित उपभोग (कि.ग्राम./हैक्टर) 2024–25@	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर (₹) 2024–25#
1		**8**	**9**	**10**	**11**
1	आन्ध्र प्रदेश	19	0.94	1854.20	266240
2	असम	30	1.09	299.58	159185
3	बिहार	23	0.39	1927.69	69321
4	गुजरात	20	1.88	1877.80	272451$
5	हरियाणा	26	2.22	1477.59	353182
6	हिमाचल प्रदेश	14	0.95	52.57	256137
7	कर्नाटक	14	1.36	2325.04	380906
8	केरल	5	0.18	171.39	308338
9	मध्य प्रदेश	37	1.57	3203.31	152615
10	महाराष्ट्र	14	1.34	3274.17	309340
11	उड़ीसा	30	0.95	676.94	168966
12	पंजाब	17	3.62	2042.09	221197
13	**राजस्थान**	**29**	**2.73**	**1862.34**	**185053**
14	तमिलनाडू	12	0.75	1139.06	361619
15	तेलंगाना	18	1.00	1879.02	387623
16	उत्तर प्रदेश	37	0.73	5563.82	108572
17	पश्चिम बंगाल	17	0.76	1820.15	163467
	अखिल भारत	**25**	**1.08**	**32927.52**	**205324**

स्त्रोतः– सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जी. ओ. आई. ($वर्ष 2022–23)
@ कृषि सांख्यिकी, एट ए ग्लान्स 2024, भारत सरकार

लगातार...

35. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य		प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.)* 2021–22	प्रति लाख जनसंख्या@ पर मोटर वाहन की संख्या 31.03.2020	प्रति सौ वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई @ (कि.मी.) 2018–19
1		12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	1567.23	24888	108.21
2	असम	384.32	12493	508.84
3	बिहार	328.71	8095	316.69
4	गुजरात	2238.87	38669	127.07
5	हरियाणा	2186.44	29336	113.75
6	हिमाचल प्रदेश	1742.43	23216	131.54
7	कर्नाटक	1375.56	39200	186.82
8	केरल	844.10	40054	669.03
9	मध्य प्रदेश	1231.83	21328	118.42
10	महाराष्ट्र	1588.32	30482	206.97
11	उड़ीसा	2263.70	20012	196.29
12	पंजाब	2350.06	37489	293.60
13	**राजस्थान**	**1345.30**	**24392**	**91.59**
14	तमिलनाडू	1714.31	42089	208.47
15	तेलंगाना	2126.18	34327	125.41
16	उत्तर प्रदेश	662.91	15206	183.83
17	पश्चिम बंगाल	733.42	11153	319.84
	अखिल भारत	**1255.14**	**24046**	**165.23**

* उपयोगिता तथा अनुपयोगिता से सम्बन्धित (स्त्रोत–सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरेटी मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर)–पी.आई.बी. भारत सरकार
@ आर्थिक सर्वे महाराष्ट्र स्टेट, 2024–25

लगातार...

35. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य		प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक (संख्या) (सितम्बर, 2025)	प्रति व्यक्ति बैंक जमा (₹) (सितम्बर, 2025)	प्रति व्यक्ति बैंक ऋण (₹) (सितम्बर, 2025)
1		**15**	**16**	**17**
1	आन्ध्र प्रदेश	13	93184	144305
2	असम	7	62099	39380
3	बिहार	5	41732	20887
4	गुजरात	12	174092	144263
5	हरियाणा	16	293720	202000
6	हिमाचल प्रदेश	20	211844	79587
7	कर्नाटक	14	276805	186918
8	केरल	18	279984	170592
9	मध्य प्रदेश	7	75207	59268
10	महाराष्ट्र	11	414265	406462
11	उड़ीसा	10	122430	57558
12	पंजाब	20	219921	125630
13	**राजस्थान**	**9**	**86383**	**78023**
14	तमिलनाडू	16	195790	227628
15	तेलंगाना	14	230513	250850
16	उत्तर प्रदेश	6	76045	38609
17	पश्चिम बंगाल	9	121996	64487
	अखिल भारत	**10**	**165933**	**132863**

स्त्रोत – 1 अक्टूबर, 2025 पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इण्डिया एण्ड स्टेट्स 2011–2036, आर.जी.आई.
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक–आरबीआई की जमा और साख पर तिमाही सांख्यिकी (2025–26 क्वार्टर–2)– आर.बी.आई.



डाउनलोड करने के लिए स्केन करें

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
वेबसाईट : http//statistics.rajasthan.gov.in ● ई-मेल: dir.des@rajasthan.gov.in
फोन: +91 141 2222740